

**DUE DATE SLIP**  
**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

# भारतीय सांख्यिकी

( INDIAN STATISTICS )

( समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों परी स्नानक्रम एवं स्नानक्रमेतर  
बहुआधी के लिए )

लेखक

लक्ष्मण स्वरूप पोरवाल, एम.कॉम., एल एल.बी.,  
प्राध्यापक, अकाउन्टेन्सी एवं साइंस्की विभाग  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

रमेश बुक डिपो  
जयपुर

---

---

सर्वाधिकार सुरक्षित

---

आठ रूपये पचाम नये पैसे

# विषय - सूची

## प्रथम खंड भारतीय समंक ( Indian Statistics )

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
१.	विकास एवं इतिहास ( Growth & History )	१
२.	केन्द्र में सांख्यिकीय संगठन ( Statistical Organization at the Centre )	१०
३.	राजस्थान में सांख्यिकीय संगठन ( Statistical Organization in Rajasthan )	२३
४.	कृषि समक ( Agricultural Statistics )	३६
५.	राष्ट्रीय काप उपकरण ( National Income Statistics )	४७
६.	राष्ट्रीय न्यायसंघ मंचोदण ( N. S. S. )	६५
७.	मूल्य समक ( Price Statistics )	७१
८.	व्यापार समक ( Trade Statistics )	१२५
९.	भौद्योगिक समक ( Industrial Statistics )	१३६
१०.	श्रम समक ( Labour Statistics )	१७८
११.	वित्त समक ( Financial Statistics )	२०३
१२.	जन-संस्था समक ( Population Statistics )	२६१

## द्वितीय खंड व्यवहारिक सांख्यिकी ( Applied Statistics )

१३.	जन-सृजु शारि समक ( Vital Statistics )	२६३
१४.	विराम नियंत्रण ( Quality Control )	३१०
१५.	व्यापारिक फूटानुमान ( Business Forecasting )	३२०
१६.	सांख्यिक अधिकार ( Statistical Interpretation )	३२६
१७.	टर्ड ना आयोजन ( Planning of Survey )	३४०
	प्रस्तो की सूची	३५०
	दैविक सार्वेण्य ( Random Tables )	३५५

प्रथम खण्ड  
भारतीय सम्पर्क  
( Indian Statistics )

## अध्याय १

# विकास एवं इतिहास

(Growth & History)

“सांख्यिकी” ( Statistics ) का अर्थ दो प्रकार से लगाया जाता है—एक तो एवं वद्वन् सज्जा के रूप में और दूसरे बहुचरन सज्जा के रूप में। प्रथम प्रकार में “सांख्यिकी” वो विज्ञान के रूप में माना जाता है जिसमें सांख्यिकीय रीतियों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। द्वितीय प्रकार में “सांख्यिकी” का समक या आंकड़ों (data) के रूप में अध्ययन किया जाता है। आंग्ल भाषा में तो “Statistics” शब्द का ही ‘is’ या ‘are’ क्रिया का प्रयोग करके दोनों प्रकार से अर्थ लगाया जाता है। यदि “Statistics” शब्द के साथ “is” क्रिया का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ सांख्यिकी विज्ञान एवं सांख्यिकीय रीतियाँ (statistical methods) होता है, और यदि “Statistics” शब्द के साथ “are” क्रिया का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ आंकड़े (data और figures) से लिया जाता है। हिन्दी भाषा में यह कठिनाई नहीं है। प्रथम प्रकार के लिए “सांख्यिकी” शब्द तथा द्वितीय प्रकार के लिए “समक” या “आंकड़े” शब्द का प्रयोग किया जाता है।

सांख्यिकीय रीतियों का भली-भाति अध्ययन कर चुकने के बाद यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उन रीतियों का प्रयोग किन-किन समस्याओं पर किया जाता है व विविध समक किस प्रकार एकत्र किए जाते हैं। अगले अध्यायों में इन ही विस्तृत रूप से समझने का प्रयत्न किया गया है।

## प्रिकाम

“सांख्यिकी” शब्द का आधुनिक ढंग से प्रयोग सोलहवी शताब्दि से किया जारहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे पहले समक एकत्र ही नहीं किए जाने थे। समक ईमा के लगभग ३००० वर्ष पूर्व भी एकत्र किए जाने थे लेकिन उनको मांसिकीय रीतियों के रूप में अवस्थित ढंग से न तो एकत्र ही किया जाता था और न उनका विवरण भी विस्तृत नहीं। अपनी-प्रपनी आवश्यकता के घनुसार शासकों द्वारा आंकड़े एकत्र करवाए जाने थे ताकि वे अपनी आपने अवस्था दृचार रूप से कर सकें।

सोलहवी शताब्दि में केप्लर (Kapler) और न्यूटन (Newton) ने गुरुत्वाकरण (law of gravitation) और प्रहो के संबंध में समक एकत्र किए। सोलहवी शताब्दि में लन्दन के जॉन ग्रॉन्ट (John Graunt), न्यूमैन (Neumann), हेली (Halley) व पेटी (Petty) आदि ने जन्म-मृत्यु के आंकड़े एकत्र करके उनका विवरण किया। द्वारहवी शताब्दि में सांख्यिकी वो गणित

विज्ञान की एक असंग शास्त्र के रूप में माना गया। केन्स ( Keynes ) की राय पर जर्मनी के एकत्वाल ( Achenwall ) को आधुनिक सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जा सकता है। जैकब बरनोली एवं हेनियल बरनोली, केटले ( Quetlet ) ला प्लास ( La place ), लेग्रेज ( Lagrange ), गास ( Gauss ) आदि ने सम्भाविता सिद्धान्त ( Theory of Probability ) तथा अन्य सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने शतान्त्रि में नेप ( Knapp ), लेक्सिस ( Lexis ) गाल्टन, कार्ल पीयर्सन आदि का महत्वपूर्ण कार्य है।

बीमबी शतान्त्रि के उत्तराभ म सांख्यिकी में बहुत शोध कार्य हुआ और नए नई सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए। नई रीतियों के प्रयोग चालू किए गए। 'निर्दर्शन एवं सभाविता के सिद्धान्तों' ने तो 'सांख्यिकी' को एक नया कलंबर पहना दिया है। पिछले ६५ वर्षों में निम्न सांख्यिकों ने सांख्यिकी के बहुत सांख्यिकी कार्य किए हैं।

१—फिशर ( R. A. Fisher )—प्रयोगों के डिजाइन ( Design of experiments ) एवं वटन सिद्धान्त ( Distribution theory )

२—किंचन्चन ( Khintchine )—सभाविता सिद्धान्त

३—नीमेन ( Neyman ) एवं पीयर्सन ( E. S. Pearson )—अनुमान सिद्धान्त ( Estimation theory ) उपकल्पना की जांच ( testing the hypothesis ) आदि।

४—हरविज ( Hurwitz )—निर्दर्शन सिद्धान्त ( Sampling theory )

५—हॉटेलिंग ( Hotelling )—बहु-मूल्यीय विश्लेषण ( Multi-variate analysis )

६—कोलमोग्रोफ ( Kolmogorov )—सभाविता नियम के मूल सिद्धान्त ( Fundamentals of Probability theory )

७—येट्स ( Yates )—प्रयोगों के डिजाइन ( Experimental designs )

८—अब्राहम वाल्ड ( A. Wald )—अनुक्रमिक विश्लेषण ( Sequential analysis )

उपरोक्त के प्रतिरिक्त विल्कम ( S. S. Wilks ), क्रैमर ( Cramér ) शेप्पर्ड ( Sheppard ) आदि के शोध-कार्य भी उल्लेखनीय हैं।

भारतीय सांख्यिकों ने भी सांख्यिकी-विज्ञान एवं रीतियों का डिकाउ-करने में महत्वपूर्ण शोधकार्य किया है। निम्नलिखित सांख्यिकों के कार्य समस्त सांख्यिकी के बहुत सांख्यिकी के कार्य में मायता प्राप्त है—

१ प्रो० महालनोबिस ( P. C. Mahalanobis )—बहु-मूल्यीय विश्लेषण ( Multi-variate analysis )

- २ प्रो० वी० के० आर० वी० राव—राष्ट्रीय ग्राम ।
- ३ प्रो० राधाकृष्ण राव ( C. R. Rao )—प्रनुमान सिद्धान्त ।
- ४ प्रो० मुखात्मे ( P. V. Sukhatme )—निदर्शन सिद्धान्त ।
- ५ प्रो० थी० खण्डे ( S. S. Shrikhande )—डिजाइन के प्रयोग ।
६. प्रो० बोस ( R. C. Bose )—डिजाइन के प्रयोग ।
७. प्रो० राय ( S. N. Roy )—बहुमूल्यीय विश्लेषण ।

उपरोक्त के अनिक्षिक डा० पान्से ( V. G. Panse ), प्रो० हुजूरवजार, अवैधी नाटू ( W. R. Natu ), नायर, नारायण एव आर० आर० बहादुर के शोध कार्यों को भी मान्यता मिली है । प्रो० मी० आर० राव को हाल ही में उनके वार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा १०,००० रुपए का इनाम दिया गया है तथा डा० मुखात्मे को ( Royal Statistical Society का Guy Silver Medal ) चाँदी का पदक मिला है ।

### इतिहास

भारतीय साहित्यकी ( समक ) के इतिहास को हम सुविधा की दृष्टि से निम्न भागों में बाट सवाने हैं —

१. प्राचीन काल में ( १८ वी० शताब्दि तक )
२. १९ वी० शताब्दि
- ३ २० वी० शताब्दि — अ—स्वतन्त्रता के पूर्व  
आ—स्वतन्त्रता के बाद

### प्राचीन काल में —

अन्य देशों की भार्ति भारतवर्ष में भी प्राचीन समय में अक्षमप्रह का कार्य राजाओं एव शासकों द्वारा राजकीय कार्य को मुचाह रूप से उत्पाने के लिए किया जाता था । राजाओं तथा शासकों को भूमि व्यवस्था के लिए आँकड़ों की जानकारी की आवश्यकता पड़ती थी । इसी प्रबार युद्धादि के लिए मैत्रिक प्राप्त करने की अभिनाशा में भी वह अपनो जनशक्ति का प्रनुमान लगाने के लिए अब संग्रह करवाने थे । चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक तथा गुप्त वंश के राजाओं ने आर्थिक एव प्रशासन मम्बन्धी समस्याएँ मुलझने के लिए संपूर्ण एकत्रित बनाने की मुचाह व्यवस्था कर दी थी । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चन्द्रगुप्त मौर्य के समय के संनेक द्वेषी सम्बन्धी आवडे उपनिषद हैं ।

मुग्ल काल में भी भूमि सूधार के लिए अक्षमग्रहण की समुचित व्यवस्था थी । “तुजके बाबरी” एव “आइने अक्षबरी” में भूमि, उत्पादन, अवाल, जनसंख्या आदि के आवडे उपलब्ध हैं । शेरशाह मूरी एव प्रलाउदीन खिलजी के शासनकाल की रिपोर्टों में भी जान होता है कि उस समय भी नाना प्रकार के आवडे एवं विए जाते थे ।

इंस्ट्रूमेंट्स इन्डिया कम्पनी ने नींशापुन सना प्रपत्र हाथ में लो के परवान् बागर, मूर्मि एवं उन्नादन सम्बन्धी समक्ष एकत्र बत्त्वाएँ।

उपरोक्त विवरण से हम इन नियुक्ति पर पहुँचते हैं कि प्राचीन बात में शैक्षिक शासुन व्यवस्था के सहृदयाद (by-products) के रूप में एकत्र किये गए। उन समय देश में बोई सुन्दरियित मान्यविज्ञ समझ नहीं था जो एकत्रित समझों का विशेषण एवं नियंत्रण करता।

### उन्नीसवीं शताब्दि —

अट्टारहवीं शताब्दि के अन्त में जब देश के श्रद्धेक माणों में मूर्मि व्यवस्था के निए रेष्ट्रोवारी (Rystowari) प्रथमतापूर्वी गई तो माल विभाग के अनुरूप वार्षिक वार्ताएँ करने वाले कर्मचारिया हारा भूमि, उन्नादन की लाकुर हृषि-मूल्यादि के सम्बन्ध में समक्ष सज्जण का बारं बिया गया बोकि सरकार इनके आगर पर ही कर-वसूली कर सकती थी। उन्नीसवीं शताब्दि में अनेक अन्तर्गत पड़े। १८६० का अकाल-तो जीपरण था। इस बारण से सरकार का व्यापार अक्ष-मुद्रण की ओर गया। लेकिन शताब्दि के उनरावं छठे भी मारकूदपर्य में बोई साम्यविज्ञ समझ नहीं था जो नियमित रूप से आइडे एकत्र बरता हो। १८६८ में प्रदम बार लंदन में साहियवीय सक्षेप (Statistical Abstract 'British India') प्रकाशित विद्या गया। यह १८२२ तक स्वदेश से ही प्रकाशित रहा। १८२३ में इसका प्रकाशन भारत में होने लगा। १८३२ में भारत में प्रदम बार जन-गणना की गई लेकिन वह अनुरूप एवं अद्भुत थी तथा उसकी व्याप्ति भी अस्वर्णात् थी। १८५१ न प्रति दस वर्ष जन-गणना विभागित हर में ली जा रही है। १८७५ में उत्तर प्रदेश के राज्य पाल सर जान स्ट्रेचे (Sir John Strachey) के अनुसार पर हृषि देश वाणिज्य विभाग की स्वापता की गई। इस विभाग का वार्षिक व्यापारित समक्ष प्रशिक्षित करता और देश के हृषि सबजी नम्रतों के सुधार में सुन्दर देश था। केंद्र में भी १८३१ में बेन्द्रीय हृषि-विभाग स्वोन्तर रखा था लेकिन अफगान मुद्द छिड़ जाने के कारण धनाभाव महमूम विज्ञ गया परन्तु इसे बन्द कर दिया गया। कुछ समय पश्चात् ही भरतीय दुर्भिक्षा आयोग की विभागिता के परिणाम स्वरूप देश के प्रत्येक प्रान्त में हृषि-विभाग खोले गए। बेन्द्रीय सरकार ने तो बेन्द्रीय हृषि विभाग भारतम् बन दिया। इन हृषि विभागों में हृषि सम्बन्धी महत्वपूर्ण अक्ष एकत्रित दिए गए।

१८८१ में प्रथम बार Imperial Gazetteer of India प्रकाशित विद्या गया जिसमें देश के विभिन्न भागों की घायिक म्बिति सम्बन्धी समक्ष दिए गए। १८८३ में कल्कत्ता में साम्यवीय सम्मेलन (Statistical Conference) हुआ। सम्मेलन में सरकार की इस देश में उद्देशा के बारे में बड़ी आरोक्षना की गई और सरकार को इम ओर व्यापार देने के लिए मुम्भव दिया गया। कल्कत्ता १८८३-८४ में पशुधन सम्बन्धी

गणना की गई। पिछली पश्चालगणना १९६१ में सम्पन्न हुई थी। १८८६ में ब्रिटिश-भारत की हिंदू-समक की रिपोर्ट ( Report of Agricultural Statistics of British India ) प्रकाशित की गई। १९६४ में प्रवाम बार येहूं व चावल की फसल का पूर्वानुमान ( forecast ) प्रकाशित किया गया। १९०० में तिलहन, जूट, चपास, गन्नादि अन्य वर्तुओं का पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाने लगा। १९६५ में एक सांख्यिकीय ब्यूरो ( Statistical Bureau ) की स्थापना की गई जिसके प्रमुख सांख्यिकीय महानिदेशक ( Director General of Statistics-D. G. S.) नियुक्त विए गए।

उपरोक्त विवरण में हमें ज्ञान होता है कि सरकार ने समक एकत्र करने के लिए संचयों एवं व्यवस्थित ढंग से कोई खास कदम नहीं उठाए।

बोसवी शान्तानिंदि-स्वतन्त्रता से पूर्व—१९०५ में सांख्यिकीय महानिदेशक का कार्य Director General of Commercial Intelligence-D.G.C.I. ने सभाला व वह इसी नाम से विभागाध्यक्ष बनाए गए और उनका कार्यालय कलकत्ते में ही रहा। १९०६ में इस विभाग ने Indian Trade Journal के नाम से एक सांख्यिक पत्रिका निकाली जो आज तक प्रकाशित होती है। इसमें व्याण्ड, एवं व्यवसाय सम्बन्धी समक प्रकाशित किए जाते हैं। १९११ में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के फलस्वरूप १९१२ में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदल दी गई और D. G. C. I. का कार्यालय भी दिल्ली आगया। लेकिन कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण १९२२ में यह कार्यालय वापिस कलकत्ता आगया और इसके विभागाध्यक्ष का नाम Director General of Commercial Intelligence & Statistics-D. G. C. I. & S. बर दिया गया। आज तक यह कार्यालय इसी नाम से कल्पकृता में कार्य कर रहा है। उस समय समक एकत्रीकरण के लिए यही एक मात्र संव्यवस्थित सांख्यिकीय संस्था थी। १९१४ में द्वितीय महायुद्ध चाल हो गया। ब्रिटिश सरकार की सदा से भारत को शोषण करने की नीति थी, फलस्वरूप हमारे देश में कोई उद्योग घड़े नहीं खोले गए। किन्तु युद्ध काल में आँग्मण के डर से ब्रिटेन से निर्मित भाल का प्रायात समझ नहीं हो सका। ग्रन. भारत में कुछ उद्योग घन्थे शुरू करने के विचार से ब्रिटिश सरकार ने १९१६ में एक औद्योगिक आयोग ( Industrial Commission ) की नियुक्ति करके उसमें औद्योगिक विकास एवं समको में सुधार करने के लिए सुझाव देने को कहा। कमीशन ने भारत सरकार को विविध प्रादिक एवं औद्योगिक समको का संकलन, विवेचन एवं विश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। लेकिन १९१६ में युद्ध समाप्त हो गया और प्रायात पुनः चालू हो गए, अत इस कमीशन की शिकारिसों पर कोई कदम नहीं उठाए गए।

इस समय तक राष्ट्रीय नेतृत्व का पार्टी जागृत हो चुकी थी जिसकी उपेक्षा ब्रिटिश

सरकार को करना कठिन हो गया। अब सरकार ने १९२४ में श्री विश्वेश्वरेया की अध्यक्षता में एक आर्थिक जात्च ममिति (Economic Enquiry Committee) की नियुक्ति की। १९२५ में इस ममिति ने विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित सांख्यिकीय तथ्यों के संग्रह मन्दन्धी जात्च करके बतलाया कि वित्त, जन मस्त्या, व्यापार, यानायात एवं जन्म मृत्यु के आकड़े कुछ भौतिक प्रपद थे, लेकिन कृषि, उत्पादन, चरागाह, बन, मत्स्य, खनन, डेरी फार्म, दीवं उद्योग-एवं कुटीर उद्योग के आकड़े विकृत अभौतिक प्रपद थे। आय, धन, व्यय, मनदूरी, मूल्य एवं क्रहण के सम्बन्ध में तो समिति की राय में कोई आकड़े ही एकत्र नहीं बिए जाने थे। समिति ने सिफारिश की कि केन्द्र तथा ग्रामीय सरकारों द्वारा मध्यहिन समस्त शक्ति वेन्ट्रीय अधिकार में ग्राजने चाहिए तथा प्रत्येक प्रान्त में अलग-अलग सांख्यिकीय घूरों (Statistical Bureau) स्थापित किए जाने चाहिए।

१९२८ में कृषि शाही आयोग (Royal Commission on Agriculture) वी सिफारिणे भी उपरोक्त ममिति के निष्पर्वं एवं मुझावों में मिलनी जुलती थी। सरकार ने आयोग की सिफारिश के पल-खरूप १९३० में भारतीय कृषि शोध मस्त्या (Imperial/Indian Council of Agricultural Research—I C A R) की स्थापना की। १९३० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ग्रन्तगंत राष्ट्रीय योजना ममिति (National Planning Committee) का निर्माण किया जिसके प्रधान श्री जवाहरलाल नेहरू एवं मन्त्रिव श्री के टी शाह थे। इस समिति ने प्रत्येक सम्भवता का गहन अध्ययन करने के हेतु वह उप-समितियां बनाई। यह एक निजी सम्भवता थी अत इसे सरकारी रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो गके, किर भी इस ममिति ने बाकी महत्वपूर्ण काय किया है। १९३१ में श्रम शाही आयोग (Royal Commission on Labour) ने सिफारिश की कि श्रम से सब्वित समक एवं विए जावें तथा इसके लिए बानून भी बनाए जावें। १९३२ में दिल्ली में सांख्यिकीय शोध घूरो (Statistical Research Bureau) स्थापित किया गया।

ब्रिटिश सरकार ने १९३३ में लद्दन वे दो विरोपणों की बाउले-राबर्टसन ममिति (Bowley Robertson Committee) नियुक्ति कर समक सरकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदल उठाया। इस ममिति ने भारत की आर्थिक स्थिति की पूर्ण जाँच करके आर्थिक सर्वेक्षण के लिए १९३४ में ८ क विश्वनाय योजना मेंश की। ममिति ने निम्न मुख्य मुमाव दिए—

१—भारत के यामीगा व शहरी द्वे का एक निर्दार्त अध्ययन किया जाय। भारतीय समक इतिहास म निदर्शन की रीति में समक सरकार वरने का यह पहना सुझाव था। बुल गावों में से निदर्शन रीति में १६५० गाव चुनकर गहन सर्वेक्षण एवं अध्ययन वरने का ममिति ने सुझाव दिया।

२- राष्ट्रीय आय का अनुमान करने के लिए समिति ने आय गणना दोहि प्रति उत्पादन-एण्टा रीति, दोनों का ही एक साथ प्रयोग करने के लिए कहा। समका की उपलब्धि नहीं होने के कारण किसी एक रीति से आय का अनुमान वही लगाया जा सकता था।

३- Guide to Current Official Statistics नामका पत्रिका का प्रकाशन नियमित समयान्तर पर किया जाय।

४- केंद्र में सांख्यिकी के विभागाव्यक्ति को सांख्यिकी का सचावक ( Director of Statistics ) कहा जाय।

५- भारत सरकार के लिए आर्थिक मामलों के संबोधकर ( Economic Adviser ) की नियुक्ति बीजाय।

६- प्रत्येक प्रान्त में सुर्वे विभाग स्थापित किए जाएँ।

प्रिंटिंग सरकार ने उपरोक्त सिफारिशों में केवल न०३ व ५ को कार्यान्वित किया। १९३८ में भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार द्वारा कार्यालय ( An Office of the Economic Adviser to the Government of India ) स्थापित किया जिसमें १९३३ में खोला गया सांख्यिकीय शोध अधरो ( Statistical Research Bureau ) का कार्यालय मिला दिया गया। आर्थिक सलाहकार के कार्य आर्थिक समझी का सम्बृहण तथा विश्लेषण तथा विए गए। अजकल यह कार्यालय प्रति सप्ताह बत्तुओं के थोक मूल्य के मूच्चक प्रकाशित करता है। इस कार्यालय के द्वारा Guide to Current Official Statistics नामक पत्रिका भी प्रकाशित की गई। अब इस पत्रिका के स्थान पर Statistical Handbook of Indian Union प्रकाशित भी जानी है।

अन्य मुहूर्तपूर्ण सिफारिशों को कार्यान्वित न करके प्रिंटिंग सरकार न यह सिद्ध कर दिया कि भारत के राज्य में आवडे एकत्र करने में उसकी विशेष रुचि नहीं थी। १९३६ में द्वितीय महायुद्ध के चालू हो जान पर फिर प्रिंटिंग सरकार को ब्रिटेन से नियमित माल के आयान करने में कठिनाई हुई। सरकार भी नीति के कारण भारत में कोई विशेष उद्योग घने चालू नहीं किए गए थे। माल की बमी होजाने के कारण वप्पा, तेल, चीनी, अनाज आदि का कम्टोल करना पड़ा। इसके लिए सरकार द्वारा आवश्यक आकड़ी की बमी महसूस हुई थी। बैन्डीय एवं प्रान्तीय सरकार के प्रत्येक विभाग में एक-एक छोटा कार्यालय समक एकत्र करने के लिए स्रोत दिया गया। कई नई मिले चालू करने के लिए लाइसेन्स दिए गए। पलस्ट्रैप साप की घनरियों की तरह नए-नए कारखाने खुल गए जिन्होंने मात्रा और ग्राह दिया, विस्त की ओर नहीं। युद्ध काल में तो माम अधिक होने के कारण इन कारखानों ने अत्यधिक लाभ व माला किन्तु युद्ध समाप्त होने पर प्रतिवेशित होने के कारण कई को मरना काम बन्द करना पड़ा।

मुद्रकाल में अनेक सम्बन्धी समस्याओं सम्बन्धी समक उद्योगों से एकत्र करने के लिए १९४२ में औद्योगिक समक अधिनियम ( Industrial Statistics Act ) पारित किया गया। अधिनियम को लागू करने के लिए १९४५ में निर्मितियों की सम्पत्ति करने के हेतु नियम ( Census of Manufacturing Rules ) बनाए गए और समक संग्रह करने के कार्य के लिए एक नया कार्यालय ( Directorate of Industrial Statistics ) औद्योगिक समक निदेशालय १९४८ में स्थापित किया गया।

### स्वतंत्रता के बाद—

उपरोक्त विवरण से पूर्णतया स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में कोई ठेम कदम नहीं उठाए। यह निविवाद मत्त्व है कि कोई भी योजना बनाने के पहले तत्सम्बन्धी आकड़े उपलब्ध नहीं चाहिए। तभी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी स्थिति क्या है और हमें किन लद्दों तक पहुँचना है। इस स्थिति को हमारी राष्ट्रीय सरकार ने सुमझा और विविध समस्याओं से सम्बन्धित समक एकत्र बरने के हेतु कई सम्पादन, निदेशालय एवं कार्यालय खोले। महित में वे निम्न हैं। ( इनका विस्तृत व्याख्यन हम सम्बन्धित अध्याय में करेंगे।

१—केन्द्रीय थम एवं रोजगार मनालय के पश्चीम १९४६ में क्षम ब्यूरो ( Labour Bureau ) की स्थापना।

२—केन्द्रीय कृषि एवं वाद्य मनालय वे अन्तर्गत आर्थिक एवं मासिकीय मामलों के मलाहकार ( Adviser in the Directorate of Economics & Statistics ) की १९४७ में नियुक्ति।

३—१९४८ में स्थायी जन-सम्पत्ति अधिनियम का पारित विया जाना एवं जन सम्पत्ति आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल का स्थायी कायालय खोला जाना।

४—१९४६ में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति।

५—१९५० में राष्ट्रीय व्यावरण अधीक्षण ( National Sample Survey ) का चालू होना।

६—१९५६ में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण।

७—मई १९५१ में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ( Central Statistical Organization-C S O ) का स्थापित होना।

८—१९५३ में समक नकलन अधिनियम ( Collection of Statistics Act ) का पारित विया जाना।

९—केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मनालय के प्रार्थिक सभाहावार द्वारा १९३८ से भूम्य मुद्राक तैयार बनाना।

१०—ग्रोदोगिक निर्मितियों की १९४६ से वार्षिक संगणना (census of manufactures) एवं १९५१ से भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (Indian Statistical Institute—I S I) के निरीक्षण में N. S. S द्वारा निर्मितियों का निर्दर्शन सर्वे (Sample Survey of Manufacturing Industries—S S M I) किया जाना। अब उपरोक्त संगणना एवं निर्दर्शन सर्वे का कार्य १९५८ में बद्द कर दिया गया और १९५६ से उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries—A.S.I.) N. S. S द्वारा किया जाता है।

११—भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (Indian Statistical Institute) को १९६० से राष्ट्रीय महत्व की संस्था माना जाना।

पिछले वर्षों में L. S. I और I. C. A. R. एवं C S O द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं। जहाँ विविध स्तर का सांख्यिकीय प्रशिक्षण किया जाता है एवं शोध कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त कई विश्वविद्यालय एवं अन्य शोध संस्थाएं भी अब सांख्यिकीय रीतियों एवं उनके प्रयोग में सुधार करने के लिए शोध कार्य कर रही हैं।

सर्वे करने में भी उन्नत ज्ञान एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है। कृषि उपज एवं चेन्फल के अन्तिम अनुमान (estimates) निर्दर्शन रीति से फसल कटाई प्रयोग (crop cutting experiments) के द्वारा वैज्ञानिक ढंग से किये जाते हैं। किस्म नियन्त्रण (quality control) का निर्माण वायं में प्रयोग किया जाता है तथा सारणीयन करने के लिए यन्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा है।

उपरोक्त संदिग्ध विवरण से यह स्पष्ट है कि विविध समक्त एकत्र करने की दिशा में हमारे देश में पिछले बीस वर्षों में समृच्छिक वद्दम उठाए गए हैं विन्तु अन्य विकसित देशों के बराबर होने में हमें और प्रयत्न करने होंगे।

## अध्याय २

# केन्द्र में सांख्यिकीय संगठन

Statistical Organization at the centre

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी राष्ट्रीय सरकार ने यह तत्काल ही जान लिया कि सफल योजना बनाने के लिए विविध समस्याओं पर पूर्ण ध्यान देना आवश्यक है। भ्रिटिश सरकार ने हमारी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। पिछले बीस वर्षों में विभिन्न राज्य सरकारों ने अनुमानत १५० व केन्द्रीय सरकार में ८० के द्वारा समक एकत्र करने के लिए खोल दिए हैं। सभी राज्यों में आगे अपने सांख्यिकीय संगठन इच्छा नियमित रूप से अवधारणा समय-समय पर समक सदृश्यता करते हैं। हम समक एकत्रित करने वाले विभागों एवं कार्यालयों को उनके स्वभावानुसार निष्पत्र भागों में बांट सकते हैं।

१—कुछ ऐसे विभाग हैं जिनम समक प्रशासन के सहउत्पाद (by product) के रूप में इकट्ठे होते हैं। प्रशासन को सुनारु रूप से चलाने के लिए ये समक अपने आप एकत्रित होते रहते हैं, जैसे केन्द्रीय राजस्व बोर्ड (Central Board of Revenue), राजीवीय राजस्व बोर्ड, इक-तार विभाग, रेल एवं सड़क यातापान विभाग आदि।

२—कुछ ऐसे विभाग हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन, विनियम एवं वितरण पर नियन्त्रण (control) रखने के उद्देश्य से समक एकत्र करते हैं, जैसे—आयात नियंत्रित के नियन्त्रक (Controller) लोहा एवं इस्पातन के नियंत्रक, बान आयुक्त (Textile Commissioner), केन्द्रीय विद्युत आयुक्त आदि के विभाग।

३—कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमे देश की रक्षा हेतु समरु एकत्र किए जाते हैं जैसे सरकारी रुक्षा विभाग द्वारा चलाई जाने वाली फैक्ट्रिया (ordnance factories)।

४—कुछ ऐसे विभाग एवं संस्थाएं हैं जो प्रस्तुति-शोध के द्वारा में समक एकत्र करती हैं जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute, Calcutta—I S I), रिजर्व बैंक का शोध विभाग, भारतीय कृषि शोध संस्था (Indian Council of Agricultural Research—I C A R)

५—कुछ विभाग, कायाकल्य या संस्थाएं विशेष रूप से समक एकत्र करने के उद्देश्य से ही स्थापित की जाती हैं—जैसे भौतिकिक समक निदेशालय (Directorate of Industrial Statistics), श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) कृषि मंत्रालय वा आर्थिक एवं साहित्यी निदेशालय (Directorate of Economics

and Statistics), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (Office of the Economic Adviser), इह मंत्रालय का जन-गणना विभाग, बेंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (C. S. O.), राष्ट्रीय न्यादर्ते अधीक्षण (N. S. S.) आदि।

जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों मे ८७ सांख्यिकीय इकाइया (units) हैं। तो वे हम मुख्य-मुख्य मंत्रालयों के अन्तर्गत विभिन्न सांख्यिकीय इकाइया तथा उनके मुख्य प्रकाशनों का दर्शन करेंगे।

### खाद्य एवं कृषि मंत्रालय

क—आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय—इस निदेशालय को, जैसा कि पिछले अध्याय मे बताया जा चुका है, १९४७ मे स्थापित किया गया। इस निदेशालय के अध्यक्ष “सलाहकार” (Adviser) कहलाते हैं। १९०५ से १९४७ तक प्रत्येक प्रकार की समस्ता के लिए D. G. C. I. & S. कलकत्ता ही समेक एकत्र करता था। धीरे धीरे इस विभाग के कार्यों का विवेन्द्रीकरण हुआ। १९४८ से कृषि सम्बन्धी समेक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय एकत्र बहने लगा है। इसमे कृषि की उपज, चेत्रफल, उत्पादकता (productivity), अनुमान (estimates) बन, खनन, मत्स्य, पशुधन आदि के समेक सम्मिलित हैं। इस निदेशालय की तिम्ह मुख्य नियमित (regular) पत्रिकाएँ हैं।

- ( i ) Weekly Bulletin of Agricultural Prices—साप्ताहिक
- ( ii ) Wholesale Prices of Foodgrains—( Weekly ) साप्ताहिक
- ( iii ) Agricultural Situation in India—सासिक
- ( iv ) Agricultural Statistics of India—वार्षिक Vol I and II
- ( v ) Abstract of Agricultural Statistics—वार्षिक
- ( vi ) Estimates of Area and Production of Principal Crops in India, Vol I & II—वार्षिक
- ( vii ) Indian Cotton Pressing Factories Returns—वार्षिक
- ( viii ) Bulletin on Various Crops—वार्षिक
- ( ix ) Indian Forest Statistics—वार्षिक
- ( x ) Indian Land Revenue Statistics—वार्षिक
- ( xi ) Agricultural Wages in India—वार्षिक
- ( xii ) Agricultural Prices in India—वार्षिक
- ( xiii ) Indian Live Stock Statistics—वार्षिक

( iv ) Bulletin on Food Statistics—वार्षिक

( xv ) Cotton in India—वाणिक

( xvi ) Indian Live Stock Census—पचवर्षीय

( xvii ) Average yield of per acre of principal crops in India—  
पचवर्षीय

( xviii ) Indian Agricultural Atlas—दस वर्षीय

इसके अतिरिक्त इस विभाग ने कई राष्ट्रीय ( ad hoc ) प्रशासन भी निकाले हैं।

ख—विपणन एवं नियोजन निदेशालय ( Directorate of Marketing and Inspection)

यह सर्वथा विभिन्न कृषि पदार्थों के विपणन का अध्ययन करती है, जैसे—गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, दूध आदि आदि। विभिन्न वस्तुओं के विपणन समझी समक्ष यह सर्वथा समय समय पर प्रकाशित करती है। इस सर्वथा को कोई नियमित पत्रिका नहीं है।

ग—भारतीय कृषि शोध संस्था ( I C A R ) की सांख्यिकी शाखा—  
१९३० में स्थापित यह शाखा कृषि, पशुपालन, पशु चिकित्सा, विभिन्न प्रकार की मिट्टी एवं जलवायु आदि विषयों के सम्बन्ध में शोधकार्य करती है तथा विभिन्न स्तरों के कमचारियों को सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग करती है व डिप्लोमा प्रदान करती है। निदेशालय रीति पर इसी संस्था ने—सबसे वहले १९४३ में भव्यप्रदेश में कहल-कटाई प्रयोग करके फसल के अनुमान मालूम किये थे। अब यह कार्य राष्ट्रीय न्यादर्श समीक्षण ( N S S ) की देख रेख में सम्पन्न किया जाता है।

घ—ग्रन्थ इकाइयाँ—

( १ ) चावल शोध संस्था ( Rice Research Institute ), बटक

( २ ) वन शोध संस्था ( Forest Research Institute ), देहरादून

( ३ ) मर्स्य ( Fisheries ) शोध संस्था, मडपम

( ४ ) चीनी एवं बनस्पति शोध संस्था, दिल्ली

( ५ ) केन्द्रीय ट्रेनिंग संगठन—

ये सब संस्थाएं अपनी अनुसंधान एवं शोध के परिणाम वार्षिक प्रतिवेदनों में निकालती हैं।

### उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय

इस मंत्रालय की मुख्य मुख्य सांख्यिकीय इकाइया निम्न लिखित हैं—

कृषि वसायिक ज्ञान एवं सांख्यिकी विभाग ( D G C I & S ),

कलकत्ता—यह संस्था १९०५ में बनी थी। पहले यह होके विषय पर समक्ष एकत्रित करती थी, तिन्हु अब यह ऐतन व्यापार सम्बंधी आकड़े ही प्रकाशित करती है।

इसके मध्य कार्य कुपि वाणिज्य मत्रालय के भाविक एवं साहियको विदेशालय, विपणन एवं निरीदण विभाग, केन्द्रीय साहियकीय समिति ( C. S. O ) को सौंप दिए गए हैं। इम सत्या के निम्न मुख्य प्रकाशन हैं।

- ( १ ) Indian Trade Journal—साप्ताहिक
- ( २ ) Monthly Statistics of the Foreign Trade of India  
Vol I & II—मासिक
- ( ३ ) Accounts Relating to Coasting Trade and Navigation  
of India—मासिक
- ( ४ ) Accounts Relating to Inland ( Rail and River borne )  
Trade of India—मासिक
- ( ५ ) Raw Cotton Trade Statistics—मासिक
- ( ६ ) Customs & Excise Revenue Statements of the Indian  
Union—मासिक
- ( ७ ) Annual Statements of the Foreign Sea borne Trade  
of India—वार्षिक

स्थ—ग्राहिक सलाहकार कार्यालय (Office of the Economic Adviser)—यह कार्यालय १९३२ मे खोला गया था। यह सत्या प्रति सप्ताह अपनी पत्रिका मे १९२ वस्तुओं के थोक मूल्य एवं थोक मूल्य सूचक प्रकाशित करती है। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका मे २८ वस्तुओं के मासिक मूल्य सूचक भी दिए जाते हैं। इस पत्रिका का नाम "Index Numbers of Wholesale Prices in India" है।

ग—प्रमण्डन अधिनियम प्रशासन विभाग ( Department of Company Law Administration )—यह विभाग शुरू मे वित् मत्रालय के अधीन था लेकिन १९५७ मे इसे उद्योग एवं वाणिज्य मत्रालय के अधीन कर दिया गया। यह विभाग प्रमण्डनो के सम्बन्ध मे विस्तृत सूचना एकत्र करता है जिसे निम्न पत्रिकाओं मे प्रकाशित किया जाता है— ✓

- ( १ ) Blue Book of Joint Stock Companies in India—  
मासिक
- ( २ ) Joint Stock Companies in India—वार्षिक
- घ—वाणिज्य एवं उद्योग मत्रालय का वाणिज्य प्रकाशन विदेशालय ( Directorate of Commercial Publicity )—यह शास्त्रा मत्रालय सदब्धी कार्यों के प्रकाशन की ओर ध्यान देती है। इसकी निम्न मुख्य पत्रिका मर्ज़ी व हिन्दी दोनो भाषाओं मे निकलती है।
  - ( १ ) उद्योग-व्यापार पत्रिका—मासिक
  - ( २ ) Journal of Industry & Trade—मासिक

३—लघु उद्योगों का सांख्यिकीय विभाग ( Statistical section, small scale industries )—यह विभाग लघु उद्योग संबंधी विभिन्न प्रकार के समक्ष एकत्र करता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न सांख्यिकीय इकाइयाँ भी इसी मन्त्रालय के अधीन हैं।

( १ ) आयात निर्यात नियंत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली—इस कार्यालय के द्वारा आयात निर्यात पर साप्ताहिक पत्रिका निकाली जाती है।

( २ ) वान-आयुक्त कार्यालय, बम्बई ( Textile Commissioner's Office )—इसके द्वारा मासिक पत्रिका निकाली जाती है।

( ३ ) लौह एवं इस्पात नियंत्रक का कार्यालय, कलकत्ता—यह कार्यालय वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है।

ओद्योगिक समक्ष निदेशालय ( Directorate of Industrial Statistics ) को १९५७ से केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ( C S O ) के अधीन कर दिया गया है।

### वित्त मंत्रालय

इस मन्त्रालय के अधीन निम्न सांख्यिकीय इकाइयाँ वार्षं वर्ती हैं—

क-रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शोध विभाग ( research section )—

१९४६ के राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक भारत सरकार के अधीन है। रिजर्व बैंक की शोध-शाखा निम्न पत्रिकाएँ नियमित रूप से प्रकाशित करती है—

( १ ) The Statistical Supplement—साप्ताहिक ✓

( २ ) Reserve Bank of India Bulletin—मासिक ✓

( ३ ) Report on Currency & Finance—वार्षिक ✓

( ४ ) Statistical Tables Relating to Banks in India—वार्षिक

( ५ ) Review of Cooperative Movement in India—वार्षिक ✓

( ६ ) Report on the Trend and Progress of Banking in India—वार्षिक

( ७ ) Statistical Statements Relating to Cooperative Movement in India—वार्षिक

( ८ ) Combined Finance and Revenue Accounts of the Central and State Governments issued by Comptroller and Auditor General of India—वार्षिक

( ९ ) L. I. C. Annual Reports

ख—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की सांख्यिकीय ( आयकर ) शाखा—यह शाखा Income Tax Revenue Statistics और All-India Income tax and Returns प्रति वर्ष प्रकाशित करती है।

ग—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की सांख्यिकीय एवं ज्ञान (जकात एवं चुंगी) शाखा प्रतिमाह एक बुलेटिन प्रकाशित करती है जो सरकारी काय के लिए ही होती है।

घ—इम मन्त्रालय मे एक आर्थिक सलाहकार का कार्यालय भी तत्सावधी समक एकत्र करता है।

राष्ट्रीय यादर्श अधीक्षण (N.S.S.) और राष्ट्रीय ज्ञान इकाई (National Income Unit-N.I.U.) को १९५७ से केन्द्रीय सांख्यिकीय सगठन (C.S.O.) के अधीन कर दिया है। प्रमहडल अधिनियम प्रशासन विभाग को उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन कर दिया गया है।

### थ्रम एवं रोजगार मन्त्रालय

इस मन्त्रालय मे निम्न मुख्य सांख्यिकीय इकाइयाँ हैं— ✓

क—थ्रम ब्यूरो (Labour Bureau)—इस ब्यूरो की स्थापना १९४६ मे शिल्पोत्तम म हुई थी। यह सत्या कृषि एवं उद्योग सबबो अभिक उपभोक्ता सूचक तैयार करती है तथा कुछ भारीण एवं शहरी केन्द्रो के फुटकर भावों के मूल्यानुपात प्रकाशित करता है। इस सत्या ने समक सम्बन्ध अधिनियम (Collection of Statistics Act) १९५३ के अधीन १९५६ म समक संकेतन के नए नियम बनाए हैं और अब उन्ही नियमो के अन्तर्गत समक सम्बन्ध काय विया जाता है। इस सत्या के निम्न मुख्य प्रकाशन हैं—

( १ ) Indian Labour Journal—मासिक

( २ ) Indiana Labour Year Book—वार्षिक ✓

( ३ ) Large Industrial Establishments in India—वार्षिक

( ४ ) कारखानो के समक (Statistics of Factories)—वार्षिक ✓

( ५ ) भारतीय अभिक संघ अधिनियम (India Trade Union Act) के काय पर वार्षिक प्रतिवेदन। ✓

( ६ ) मजदूरी प्रतिकार (Workmen's Compensation) अधिनियम के काय पर वार्षिक प्रतिवेदन। ✓

( ७ ) कमचारी राज्य बीमा (Employee's State Insurance) अधिनियम के काय पर वार्षिक प्रतिवेदन। ✓

यह ब्यूरो विभिन्न तद्देश (Ad hoc) सर्वे भी प्रकाशित करता है।

झ—खान के मुख्य निरीक्षक का कार्यालय (Office of the Chief Inspector of Mines) घनबाद—✓

यह सत्या खान सम्बभी समक एकत्र करतो है इसके मुख्य प्रकाशन निम्न हैं—

- ( i ) Monthly Coal Bulletin
- ( ii ) Annual Report of Chief Inspector of Mines
- ( iii ) Indian Coal Statistics वार्षिक
- ( iv ) List of Coal Mines in India द्विवर्षीय
- ( v ) List of Metalliferous Mines in India द्विवर्षीय

**ग-कृषि-श्रमिक जात शास्त्रा** ( Agricultural labour Enquiry Branch )—इस शास्त्रा ने कृषि श्रम के बारे में १९५०-५१ में प्रथम जात तथा १९५६-५७ में द्वितीय जात सम्पन्न की। यह १९६२-६३ में यह शास्त्रा तृतीय जात कर रही है। प्रथम दो जातों के प्रतिवेदन उपलब्ध हैं। इस संस्था ने कृषि ज्ञान में बहुत से बोधनीय समक एकत्र कर के भाषान योगदान दिया है।

**घ-पुनर्वास एवं रोजगार के संचालक का कार्यालय** ( Office of the Director General of Resettlement and Employment )—यह संस्था बेरोजगारी के सम्बन्ध में विविध प्रकार की प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में मूल्यना एकत्र करती है। इसकी वार्षिक पत्रिका Handbook on Training Facilities available in the Country है।

### गृह मंत्रालय

वैसे तो यह मंत्रालय कई प्रकार के समक एकत्र करता है लेकिन हमारे उद्देश्य के लिए निम्न विभाग ही महत्वपूर्ण है—

**जन गणना आयुर्क एवं रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय** ( office of the Census Commissioner and Registrar General )—पहले यह कार्यालय प्रथेक दस-वर्षीय जन गणना के बाद समाप्त कर दिया जाता था लेकिन १९४८ से यह कार्यालय स्थायी रूप से स्थापित किया गया है। यह कार्यालय प्रति दस-वर्ष में जन गणना सम्पन्न करता है और जन्म-मृत्यु के भार्किडे ( vital statistics ) भी एकत्र करता है। पहिले ये आकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इकट्ठे किए जाते थे। यह कार्यालय जन गणना के आकड़ों की विभिन्न रिपोर्ट निकालता है तथा समय-समय पर सर्वे रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है।

यातायात एवं परिवहन मंत्रालय भी प्रतिवर्ष Basic Road Statistics नाम की पत्रिका प्रकाशित करता है। रेलवे मंत्रालय भी प्रशासन के सह-उत्पाद ( by product ) के रूप में बहुत से समक एकत्र करता है जिन्हे निम्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है—

- ( i ) Monthly Railway Statistics

- ( ii ) Annual Report of the Railway Board ( Vol. I and II )

## केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (Central Statistical Organization—C. S. O.).

उपरोक्त विवरण से हमें ज्ञात होता है कि पिछले बीस वर्षों में, मुख्य रूप से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्, विविध प्रकार के समंक एकत्र करने के लिए नई नई संस्थाएं खोली गईं। फलस्वरूप यह अत्यन्त आवश्यक हो गया कि इन संस्थाओं में समन्वय (coordination) स्थापित करने के लिए एक और मुख्य बनाई जाए। अतः १९४६ में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन वी स्थापित एक छोटी सी इकाई के रूप में बी गई। इस इकाई को २ मई १९५१ को केबिनेट सेक्रेटरियट (Cabinet secretariat) के अधीन एक पूरे विभाग (Department) के रूप में बदल दिया गया। क्योंकि जब D.G.C.I. & S. के कार्यों का विकेन्द्रीकरण निया गया तो इस सांख्यिकीय इकाईया केन्द्र में तथा १५० इकाईयों में खोली गई, तब प्रब्रह्म आवश्यक होगया कि इन सब इकाईयों में समान नीति बर्ताई जाए तथा विविध शब्दों के अर्थ भी एक हृषि में ही लगाए जाएं। इन सब कारणों से और मुख्यतः सब इकाईयों में समन्वय स्थापित करने के हेतु इस संगठन को मन्त्रालय में एक विभाग (department) का दर्जा दिया गया। यह विभाग अन्य कार्यों के अलावा राष्ट्रीय आय के वार्षिक इवें पत्र निकालता है और अपने निरीक्षण में N.S.S. के द्वारा औद्योगिक समक भी एकत्र करता है।

संगठन (Organization)—वर्तमान समय में C. S. O. का कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है। इस विभाग में अब एक सचालक (director), तीन संयुक्त-संचालक (joint directors), पांच उप-सचालक (deputy directors), नीन सहायक-सचालक (assistant directors), दो विशेष वार्षिक के लिए नियुक्त अफसर (officers on special duty) तथा बहुत से सांख्यिकीय, सांख्यिकीय निरीक्षक एवं यात्रक हैं। ये सब मिल कर C. S. O. का सचाल स्तर से एवं मुख्यस्थित प्रबन्ध करते हैं।

कार्य (functions)—धीरे-धीरे C. S. O. ने एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय विभाग का स्थान मिल गया है। अब उसका कार्य-चेत्र भी अधिक बड़ा हो गया है। C. S. O. के निम्न कार्य मुख्य हैं—

१—समन्वय (coordination)—C. S. O. का मुख्य कार्य विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य-नागरिकों, जिनमें एक उसकाधारों ते जनक-जैसे वीजन ने समन्वय स्थापित करता है। इन उद्देश्य से कि कही भी कार्य का दोहराव न हो—समय व शक्ति का अपव्यय न हो—तथा सारे कार्यों में एकत्रित हो, इम विभाग की स्थापिता बी गई है। राज्य सरकार की विभिन्न सांख्यिकीय इकाईयों का समन्वय का कार्य प्रत्येक राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालक करते हैं।

२—सलाह देना (to offer advice)—C. S. O. केन्द्रीय मंत्रालयों व राज्य सरकारों के सांख्यिकीय विभाग वो बहुत सी मस्स्याओं पर निलाह देता है। जैसे,

विदेशी के भाषार वर्ष बदलने के लिए, मूल्य व मन्त्र वस्तुओं के निर्देशक बनाने के लिए, राज्य की आदि आदि का अनुमान संग्रह की समस्याओं पर C. S. O. समाह देता है।

३—टिप्पणी करना (to offer comments)—C. S. O. राज्य के प्रकाशनों में प्रयुक्त वहन से सबोध (concepts) व पारिभाषिक शब्दों (terms) एवं परिभाषाओं (definitions) के बारे में टिप्पणी करता है। यह कायं वह एक स्पता तथा सामान्य स्तर कायम रखने के लिए वरता है।

४—सूचना उपलब्ध करना (to supply data) - C. S. O बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विदेशी राज्य सरकारों, एवं निजी संस्थाओं को वाचित सूचना उपलब्ध करवाता है। स युक्त राष्ट्र संघ के सामिकी विभाग एवं अन्य संस्थाओं के निम्न प्रकाशनों के लिए C. S. O सूचना मेज़ीता है-

क—U.N. Monthly Bulletin of Statistics—मासिक

—U. N. Quarterly Bulletin on Commodity Trade Statistics—  
मासिक

—U.N. Demographic Year Book

## E C A F E Quarterly Bulletin और Annual Surveys

इ—हस की Academy of Sciences.

च—Geographical ( भौगोलिक ) division of the U. S. Encyclopaedia

इसके अलावा London Economist को विशेष अवसरों पर वाचित समक्ष भेजना।

समन्वय करना, सलाह देना, टिप्पणी करना तथा विदेशी एवं देशी सत्याज्ञों को सूचना भेजना तो C S O के मुख्य कार्य है। इनके अतिरिक्त C. S. O. अब कार्य देश बड़ जाने के कारण निम्न कार्य भी वरता है। C S O अब भी ग्रन्त सम्पर्क एवं त्र वरता है और विविध योजनाओं की प्रगति एवं विवास के आकृता है।

५—C S O राष्ट्रीय योजना से सम्बन्धित विविच मध्यपन करता है, जैसे चीनी, ब्रह्मस, वस्त्र, सादाशो भी दृतीय, चतुर्थ एव पच-वर्षीय योजनाओं के अन्त में मार्ग वा अनुमान लगाना तथा योजनाओं के लक्ष्य निर्धारित करना। C. S. O. मूल्य, वैदेशिक व्यापार एव उदाइन आदि भी प्रगति की वैमासिक प्रतिवेदन मंत्रि-मण्डल (cabinet ministers) के सूचनायंत्रार बरता है।

६—C. S. O ग्रामीणों को जाव करने वाली समिति ( Technical Working Party ) वी स्थायता से विभिन्न वेद्वीय एवं राज्यों की सास्त्रिकीय परियोजनाओं व वार्षिकों की तकनीकी परीक्षा करता है। C. S. O. ने गउ कुद्ध वर्षों में दामोदर धाटी योजना व भास्तर-नगल योजना के बहुत से तकनीक ( techno-

economic) सर्वेस्त्रण किए हैं। C. S. O. प्रतिमाह लगभग ४० निर्वाचित परियोजनाओं की प्रगति के बारे में प्रतिवेदन तैयार करता है।

७—C. S. O. प्रशिद्धण के कार्यक्रम भी सम्पन्न करता है। कुछ मुख्य प्रशिद्धण कार्यक्रम निम्न लिखित हैं—

क—सांख्यिकी में सव्याकालीन पाठ्यक्रम (Evening Course, in Statistics)

ख—विश्व विद्यालयों के छात्रों के लिए लघु कालीन पाठ्य क्रम (Short course for university students)

ग—वरिष्ठ सांख्यिकी अफसरों के लिए प्रशिद्धण पाठ्यक्रम (Senior Statistical Officer's Training Course),

घ—दून्य देश के नागरिकों के लिए प्रशिद्धण पाठ्यक्रम (Training Course for Nationals of other Countries),

प्रशिद्धण दिल्ली एवं कलकत्ता दोनों जगह ही दिया जाता है।

इ—C. S. O. ने हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों को राज्य की वार्षिक कुल आय एवं प्रति वर्षीय आय का अनुमान करने के सम्बन्ध में बासी सुझाव दिये हैं।

६—C. S. O. की राष्ट्रीय आय इकाई (National Income Unit-N. I. U.) १९५४ से एक वार्षिक श्वेत पत्र (Annual White Paper) तैयार करती है जिसमें राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है। हाल ही में १९६१-६२ के लिए दसवीं वार्षिक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया है। यह इकाई राष्ट्रीय आय के शीघ्र अनुमान (quick estimates) भी प्रकाशित करती है। १९५७ के पहले यह इकाई वित्त मंत्रालय के अधीन आई।

१०—C. S. O. ने देश में पूँजी के निर्माण (capital formation) के सम्बन्ध में अवैष्ट्रात्मक कार्य भी अपने हाथ में लिया है। हाल ही में पूँजी निर्माण पर “Estimates of Gross Capital Formation in India from 1948-49 to 1960-61” नामक विस्तृत पत्र प्रकाशित हुआ है।

११—१९५८ तक औद्योगिक निर्मित वस्तुओं की गणना औद्योगिक समंक निदेशालय (Directorate of Industrial Statistics) द्वारा प्रति वर्ष संगणना रीति से की जाती थी। साथ ही N. S. S. भी निर्दर्शन रीति से निर्मित माल की गणना (Sample Survey of Manufacturing Industries-S. S. M. I.) प्रति वर्ष करता था। इस तरह में कार्य में दोहरापन था तथा इन दोनों संस्थाओं द्वारा एकत्रित समक्ष मिलते भी नहीं थे। इन कारणों से इन दोनों संस्थाओं का

कार्य १६५८ के बाद से बद्द कर दिया गया व औद्योगिक समंक निदेशालय का C. S. O. में १६५७ में हस्तान्तरण कर दिया। १६५६ से औद्योगिक समंक सम्प्रहण का कार्य N. S. S. के द्वारा C. S. O. की कलकत्ता में स्थित औद्योगिक शाखा ( Industrial Wing ) की देख-रेख में संगणना व निर्दर्शन दोनों रीतियों से वियु जाता है। यह शाखा प्रक्ष संयुक्त संचालक एवं दो उप-संचालक एवं एक सहायक-संचालक की देख-रेख में कार्य करती है।

१२—C. S. O. देश में तथा विदेशों में प्रदर्शन के लिए चित्र ( charts and diagrams ) सरकारी कार्य के लिए या अन्य मन्त्रालयों के प्रादेश पर तैयार करता है।

१३—C. S. O. राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मन्त्रालयों के सांख्यिकी अधिकारियों की सभा एवं सम्मेननों का आयोजन करता है। यह तकनीकी जाच समितियों की भी समग्र बुलाता है।

उपरोक्त विवरण से हमें पता चलता है कि भव C. S. O. का कार्य ऐसा बहुत विस्तृत हो गया है।

प्रकाशन ( Publications ) :—C. S. O. विभिन्न मासिक एवं वार्षिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। इई प्रकाशन नियमित रूप से निकाले जाते हैं व कई समय-समय पर प्रकाशित होने रहते हैं। उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—

क—*Monthly Abstract of Statistics*

ख—*Weekly Supplement to the Monthly Bulletin* ( हिन्दी व अंग्रेजी में )

ग—*Annual Statistical Abstract*

प—*Monthly Statistics of the Production of Selected Industries in India*

द—*Annual Survey of Industries*

तदर्य प्रकाशन—

क—*Statistical Handbook of Indian Union—1958*

ख—*Statistical System in India—1958*

ग—*Selected Plan Statistics—1959*

घ—*Sample Survey of Current Interest—1958-59*

इ—*Reports of the various Conferences and Committees*

समालोचना (Criticism)—उपरोक्त विविध कार्यों से स्पष्ट है कि यह कुछ दरों में C. S. O. का कार्य बहुत बढ़ गया है। १९५५ से स्वतन्त्रता प्राप्ति तक D. G. C. I. & S. सब महत्वपूर्ण सामिक पहलुओं पर समक्ष एकत्र करता रहा, किन्तु

जैसे हो कायं बढ़ा, समक सप्रहण के कार्यों को विकेन्द्रित करता पड़ा। अत C. S. O को स्थापना की गई। परन्तु C. S. O. केवल समन्वय का ही कार्य नहीं करता है वर्त्त स्वयं भी समक एकत्र करता है तथा विभिन्न प्रगति रिपोर्ट भी तैयार करता है। इस प्रकार से C. S. O ने केन्द्रीय व राज्य सरकारों के साहियकी विभाग के कार्यों व अधिकारों पर भी अपना कुछ अधिकार सा बर लिया है। राज्य सरकारों के साहियकी अफसरों को कुछ ऐसा महमूल होने लाया है कि C. S. O उन पर एक अफसर के रूप में कार्य करता है। इस तथ्य के बारे में विभिन्न मकालयों के प्रधिकारियों वी सभा एवं सम्मेलनों में C. S. O के उनके कार्यों में दखल दिए जाने की आज्ञावना की गई है। उनकी राय में C. S. O का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्भागों की नाति केवल समन्वय करना होता चाहिए।

कुछ व्यक्तियों का मत है कि वर्तमान समय में C. S. O द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित मानकों समन्वित (uncoordinated) हैं। अब C. S. O द्वारा समक एकत्र करने में तथा उन्ह प्रकाशित करने में मानव शक्ति, समय एवं बन का बेकार अपश्रय है।

लेकिन अय व्यक्तियों वी विचार धारा विन्कुल विपरीत है। उनका मत है कि यदि C. S. O यह सब कार्य नहीं करेगा तो वहन अधिक लोहग्राम, देशी व असाम-जस्त्य होगा एवं विभिन्न सम्भागों द्वारा प्रकाशित एक ही प्रकार के और एक ही समय के समझों में बहुत अन्तर होगा। हमारे देश में साहियकीय संगठन अभी नया हो है अब यह नितान्त आवश्यक है कि C. S. O विभिन्न राज्य सरकारों को सबोच (concepts), परिभाषायों (definitions) प्राप्ति व सबक में समन्वय व एकत्रित करने की हरिद द्वे समय समय पर सलाह दे।

अत यह सम्भव दिया जा सकता है कि सारे तरों को बदलवे के बजाय केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों में कार्य देश का उचित विभाजन कर दिया जाय। प्रत्येक राज्य के साहियक निदेशालय म उच्च अधिकारी केन्द्रीय प्रशासित सेवा के होने चाहिए और द्योटे अधिकारी राज्य प्रशासन सेवा के होने चाहिए। उच्च अधिकारी केन्द्रीय सेवा (central services) के होने की उच्च से सब राज्यों में C. S. O द्वारा निर्धारित नीनियाँ, सबोच, परिभाषाएँ एवं शब्द आदि का समानता से पालन कर सकेंगे। इन अधिकारियों का कार्य सर्वे की डिजाइन, योजना, सारणीयन, प्रतिवेदन तथ्यार करना आदि होना चाहिए। द्योट राज्य सेवा के अधिकारी गण समक सप्रहण एवं अन्य कार्य का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त विए जाने चाहिए। इस तरह दोनों वर्ग के अधिकारियों में कोई विवाद नहीं होगा और जारा काय मुद्रांक रूप से जल सकेगा।

यह जान कर हमें हृष होता है कि हाल ही में केन्द्रीय साहियकीय सेवा (Central Statistical Service) का लिर्माण दिया है। साहियकीय सेवा में सुधार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रदान है।

भारत में सप्रहित समकों को हम मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। अ-सरकारी एवं अर्ध सरकारी समक ( Official and Semi Official Statistics )

### आ-गैर सरकारी समक ( Unofficial Statistics )

उपरोक्त सब समक सरकारी या अर्ध सरकारी हैं। गैर सरकारी समक हमारे देश में बहुत कम मात्रा में एकत्र किए जाते हैं। कोमर्स ( Commerce ), ईस्टन इकोनोमिस्ट ( Eastern Economist ), कैपिटल ( Capital ), कार्पेग वा ( Economic Review ) तथा विभिन्न चेम्बर आब कोमर्स, शोध संस्थाएं, विश्व विद्यालय आदि गैर-सरकारी समक एकत्र बरते हैं एवं सूचक तैयार करते हैं।

---

### अध्याय ३

## राजस्थान में सांख्यिकीय संग

( Statistical Organization in Rajasthan )

राजनीतिक हृष्टि से भोटे रूप में स्वतन्त्रता से पूर्व का भारत दो भागों में विभक्त किया जा सकता है— १. ब्रिटिश शासित प्रदेश और २. भारतीय राजवाड़े ( Princely States )। तुलनात्मक रूप में ब्रिटिश शासित प्रदेश में समक एकत्र करने के अन्दे सावन उपलब्ध थे, किन्तु भारतीय राजवाड़ा में, जिसकी संख्या ५६० के लगभग थी, कोई मुख्यवस्थित सांख्यिकीय संपर्क नहीं थे। केवल कुछ ही बड़ी रियासतों जैसे हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, भालियर, जयपुर आदि में समक संप्रहण करने के छोटेन्होटे विभाग थे। ये विभाग भी प्रशासकीय क्रियाओं के फलस्वरूप सह-उत्पाद के रूप में एकत्रित समझों का सकलन, सारणीयन, विश्लेषण आदि करते थे। मुख्य रूप से जनसंख्या, भूमि, जकात एवं चुम्गी के आकड़े ही इन रियासतों द्वारा एकत्रित किये जाते थे।

१९५० में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बहुत से विभागों एवं संस्थाओं द्वारा स्थापना केवल मात्र समक संप्रहण के लिए ही बींगई। राज्यों में समक संप्रहण एवं सकलन व्यवस्था में सुधार करने के हेतु ग्रे गरी समिति (Gregory Committee) ने १९५६ में सुधार द्वारा किए प्रत्येक राज्य में एक सांख्यिकीय ब्यूरो (bureau) या निदेशालय (directorate) स्थापित किया जाने वाले केन्द्र शासित प्रदेशों में एक-एक सांख्यिकीय इकाई (Statistical unit) की स्थापना की जावे। ये सुधार प्रत्येक राज्य में कार्यान्वित कर दिए गए हैं।

राजस्वनाने में कुल २३ रियासतें होने पर भी केवल जयपुर व उदयपुर के अलावा किसी भाय रियासत में समक संप्रहण आदि की विशेष व्यवस्था नहीं थी। थोड़े बहा समक प्रशासनिक क्रियाओं के लिए उत्पाद (by product) के रूप में प्रत्येक रियासत में स्वत ही एकत्र हो जाते थे लिंगित इन समझों का विश्लेषण एवं विवेदन करके इनमे लाभ उठाने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी।

राजस्थान राज्य का निर्माण होने के पश्चात मई १९५० में समूल राज्य के लिए एक सांख्यिकीय ब्यूरो (Statistical Bureau) की स्थापना की गई जिसका मुख्य कार्यालय जयपुर में खोला गया। इस ब्यूरो के प्रमुख अधिकारी को मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी (Chief Statistical Officer) कहा जाता था। कुछ समय तक तो इस विभाग ने विभिन्न इकाइयों (रियासतों) से प्राप्त सामग्री का केवल विचयन (processing) ही किया, अन्य कोई योजना भरने हाथ में नहीं ली। १९५०-५१

‘न इस विभाग ने एक मासिक पत्रिका निकालने की कोशिश की परन्तु व्यवहारिक कठि-  
नाइयों के कारण बाद में इस पत्रिका को अमासिक बनाकर प्रकाशित किया जाने लगा।  
लेकिन इस प्रयोजन में भी अधिक सफलता नहीं मिली और यह पत्रिका तीन वर्ष तक ही  
निकाली जा सकी।’

१९५५-५६ में इस विभाग के पूर्ण संगठन करने के लिए मुख्य साहित्यकीय  
अधिकारी ने एक योजना बनाकर सरकार के सम्मुख पेश की। सरकार ने इसे २३ अगस्त  
१९५६ को स्वीकार कर इस विभाग को नया रूप दिया। तब से इस विभाग का नाम  
आर्थिक एवं साहित्यकीय निदेशालय ( Directorate of Economics &  
Statistics ) है। अतः १९५६-५७ को राजस्वान के साहित्यकीय इतिहास का एक  
महत्वपूर्ण वर्ष बना जा सकता है।

संगठन — इस निदेशालय का प्रबन्ध एक सचिलक, एक उप-सचालक, चार  
सहायक सचालक, मुख्य कार्यालय में तीन साहित्यक और दस विभिन्न जिलों में दस  
साहित्यक करते हैं। उपरोक्त अधिकारी सब राजपत्रित ( gazetted ) हैं। इनके अति-  
रिक्त शेष १६ जिला में १६ साहित्यकीय निरीक्षक ( inspectors ), कई गणक,  
ड्रापर्टमेंट, आर्टिस्ट आदि अराजपत्रित ( non-gazetted ) कर्मचारी हैं।

२०१५ १९५६ के राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप अजमेर, जो अब तक केन्द्र शासित प्रदेश  
था, राजस्थान राज्य में मिला दिया गया। अब इसका एक साहित्यकीय कार्यालय ( Board  
of Economic Enquiry ) भी १९५८ में निदेशालय में मिला लिया गया। इस  
कार्यालय का मुख्य कार्य पंजीकृत कारखानों के औद्योगिक एवं श्रम सम्बंधी समक एकत्र  
करने का था। अब यह भार भी निदेशालय ने सभाला।

राजस्थान निदेशालय राष्ट्रीय न्यायालय अधीक्षण ( N S S ) द्वारा एकत्रित  
समको के मिलते जुलते आधार ( matching basis ) पर ही उद्योगों व समक  
भी एकत्र करता था। इसमें लिये दो साहित्यक, छ साहित्यक-सहायक एवं १४ साहित्यकीय  
निरीक्षक मूलग से नियुक्त थे। १९५५ से एक एकीकृत व्यापक ( Integrated  
Programme ) चालू किया गया है, जिसके अन्तर्गत N S S व राज्य निदेशालय  
के अधिकारी मिलकर एक ही प्रवार के समक एकत्र वर्ताते हैं।

२०२ निदेशालय के कार्य को मुख्यवित्तीय ढांग से चलाने के लिए विभिन्न बगों में विभाजित  
कर दिया गया है, जैसे योजना विभाग, नियर्यान सर्वेक्षण विभाग, राज्य आय विभाग,  
प्रायोगिक मध्यक मण्डल विभाग, मशेल्य विभाग, प्रशिक्षण विभाग, पुस्तकालय विभाग  
आदि।

कार्य (Inpections) निदेशालय के कार्य ठीक वही हैं जो कि केन्द्र में C S O  
करता है। मुख्य नायों का विवरण नीचे दिया गया है—

- १ राज्य के विभिन्न विभागों (departments) की सास्पकीय इकाइयों के कार्यों मे समन्वय स्थापन करना।
- २ विभिन्न इकाइयों को समक-सम्बद्धता सदृशी मामला मे सलाह देना तथा उनके प्रदानक का काय करना।
- ३ सर्वेताण मे प्रबुत्त सबोधों (concepts) तथा परिभाषाओं (definitions) के अध मे प्रमाप निश्चय करना ताकि समवो मे समानता व एकत्रित हो सके।
- ४ समय-समय पर योजना की प्रगति सम्बद्धी समक एकत्र करना एवं विभिन्न परियोजनाओं (Projects) का सर्वेताण कर प्रगति प्रनिवेदन (progress reports) लेपार करना।
- ५ वार्षिक आवार पर राज्य की आव वा आवादन करना।
- ६ पशु सम्बद्धी एवं निर्माण सम्बद्धी गणना करना।
- ७ कृषि उत्पादन एवं उत्पादन, डोक व उपभोक्ता-मूल्य सम्बद्धी मूल्यांक तयार करना।
- ८ १९५५ से एकीकृत वार्षिक्यम (Integrated Programme) के अन्तर्गत \ S S के साथ समक-सम्बद्धता के काय मे नाम लेना।
- ९ प्रगति हेतु चाट व चित्र तयार करना।
- १० वेद्वीय संस्थाओं की राज्य सम्बद्धी समक व मूल्यांक उपलब्ध करना।
- ११ १९५३ के समक सम्बद्धता अधिनियम के अन्तर्गत तयार किए गये १९५६ के समव सम्बद्धता नियम (Rules) के अन्तर्गत उद्योग एवं अम सम्बद्धी मूल्यांक एकत्र करना।
- १२ राज्य एवं वेद्वीय सरकार के सास्पकीय विभागों के बीच सामजस्य (liaison) स्थापित करना।
- १३ अय राज्य सरकारा वे साथ सास्पकीय मूल्यांक वा आनन्द प्रदान करना। गत खुद वर्षों से निदेशालय ने सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभागों मे सास्पकीय इकाई की स्थापना करवा दी है। निम्न इकाइयों मे राजपत्रित दर्जे के सास्पकीय अधिकारी समक सम्बद्धता करवाते हैं—गमाज कल्याण विभाग, महकारी विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग अम विभाग शिक्षा विभाग राजस्व बोड, योजना विभाग, आदि। निम्न विभागों मे सम्बद्धता अधिकारी अराजपत्रित अरणी के ह—भूगम विभाग, खनन विभाग, मानवनिक वाय विभाग (P.W.D.) पशु पालन (animal husbandry) विभाग आदि।

राजस्थान मे कृषि सम्बद्धी समक-कृषि समक एकत्र करने के लिए एवं प्रयोगो के विस्तैपण करने म सहायता देने के लिए कृषि विभाग मे राजपत्रित धर्मणी

के सांख्यिकीय अधिकारी ( Statistical officer ) कार्य करते हैं । यह कार्यालय विभिन्न प्रयोगों के लिये डिजाइन तैयार करता है व निर्दर्शन रीति से तत्सम्बन्धी समंक एकत्र करता है । पहिले न्यादर्श आधार पर फसलों के अनुमान के लिए फनल-कटाई प्रयोग ( Crop Cutting Experiments ) भी इसी विभाग द्वारा करवाए जाते थे । अब यह वार्ष राजस्व बोडी को सौंप दिया गया है जो पहिले से ही फसलों के विभिन्न पूर्वानुमान करता आ रहा है । कृषि समको का एक व्यापक सांख्यिकी निदेशालय की देख-रेख में होता है । ये समक वार्षिक कृषि समक प्रपत्र, (Annual Agricultural Statistical Returns) व मौसम एवं फसलों की स्लिंपर्ट (Season & Crop Reports) में प्रकाशित किए जाते हैं । बाद में इन्हे Annual Statistical Abstract of Rajasthan में प्रकाशित किया जाता है । किसी भी विभाग को कोई भी प्रतिवेदन निकालने के पहिले सांख्यिकी निदेशालय से जाच करवाती होती है । २२ फसलों के चेत्रफल, उत्पादन, भूमि उपयोग ( Land Utilization ) एवं सिंचाई-बड़ी नहरों, तालाबों, कुश्मों एवं छोटी नहरों आदि के वार्षिक समंक एकत्र किए जाने हैं व इन्हे निदेशालय की नियमित पश्चिकाओं में प्रकाशित किया जाता है ।

तृतीय योजना के अन्त तक किसानों द्वारा प्राप्त आय प्रोर विविध व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए समाजतात्सूचक ( Parity Index Number ) भी बनाने की योजना है ।

कृषि उत्पादन के सूचक ( Index Numbers of Agricultural Production )- राजस्वान सरकार भी वार्षिक आधार पर कृषि उपज ( yield ) एवं चेत्रफल ( area ) के सूचक तैयार करती है । आधार वर्ष १९५२-५३ से १९५५-५६ सक के चार वर्षों का औसत है । इसमें २२ वस्तुएं शामिल हो जाती हैं जिनकी उपज व चेत्रफल का अनुमान राजस्व बोड द्वारा लगाया जाता है । इन्हे दो वर्गों व पाँच उपवर्गों में विभाजित किया जाता है । वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है ।

वर्ग	उपवर्ग	वस्तुएं
१. खाद्य फसलें (Food-crops)	अ खाद्यान्न (Cereals) आ दालें आदि	चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का व जौ = ( ६ ) चना, अरहर, रखी व खरीक दालें = ( ४ )
२ अखाद्य फसलें (Non food-crops)	अ तिलहव (Oilseeds) आ रेशेदार पदार्थ (Fibres) इ विविध	मूँगफली, तिल, सरसो अरण्डी व अलसी = ( ५ ) कपास, सन = ( २ ) तम्बाकू, गना, आनू, तालामर्च, झदरख = ( ५ )

**दिधि—** सूचक बनाने में शृंखला प्रक्रिया पद्धति (chain base method) का प्रयोग किया जाता है। चानू वर्ष की उपज की तुलना शिल्प वर्ष की उपज के आधार पर दी जाती है।

भारत—विभिन्न उपवर्गों व सारे सूचक के लिए मार्गियकीय मात्रा (weighted arithmetic average) का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं को भारत उत्तीर्ण अनुपात में दिये जाने हैं जो आधार वर्ष में उत्पादित वस्तु के औरहन मूल्य और समस्त उत्पादित वस्तुओं के औरहन मूल्य का अनुपात है। वस्तुओं के आंकड़े आधार वर्ष में फसल-कटाई मूल्य (harvest prices) के आधार पर लिए जाते हैं। सकल उत्पादन (gross production) के आंकड़े ही सूचक बनाने के काम में लिए जाते हैं। राजस्थान में १९५५-५६ में कृषि उत्पादन का देशनाक १०६.६१ और १९६०-६१ में १२६.८६ था।

**प्रकाशन—साधिकी निदेशालय निम्न पत्रिकाएँ नियमित रूप से प्रकाशित करता है।**

1. Quarterly Digest of Economics & Statistics,
2. Annual Basic Statistics,
3. Annual Statistical Abstract of Rajasthan.

इसके अतिरिक्त निदेशालय योजना प्रणाली ट्रिपोर्ट, साधिकी एटलस व बजट अध्ययन (Study) भी प्रकाशित करता है।

नियमित पत्रिकाओं में निम्न मामलों मूल्य रूप से प्रकाशित की जाती है—

क्षेत्रफल, जन संख्या, जलवाय, वृष्टि, औद्योगिक एवं थर्म समक, महाकारी नियमितियों के आंकड़े, सायुक्त प्रमाणडलों की संख्या, पूँजी आदि, आयात-निर्यात एवं व्यापार के समंक योक एवं फुटकर मूल्य सूचक, उभोजन मूल्य सूचक (मजमेर, व्यावर व जटपुर) रोजगारी शिल्प योजना आदि से नियमित सम्बन्ध।

साधिकी एवं आर्थिक निदेशालय के अतिरिक्त निम्न सास्कार एवं निदेशालय भी विभिन्न प्रकार के सर्वेदण करते हैं एवं सदृचार समक भेजह करते हैं—

**आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेदण निदेशालय (Directorate of Industrial and Economic Survey)।**

राजस्थान की आर्थिक एवं औद्योगिक परिस्थिति से अवगत होने के लिए राजस्थान सरकार ने १९५८ में इस निदेशालय की स्थापना की। निदेशालय ने निदर्शन-प्रणाली के आधार पर समस्त राजस्थान का सर्वेदण किया। वेवन करोली में संगणना रोति से सर्वेदण किया गया। समस्त राजस्थान को राजनीतिक विभाजन के आधार पर ही पांच दिवीजनों में विभाजित कर लिया। १० प्रतिशत भाव व ५ प्रतिशत परिवार निर्दर्शन

ये तिसे चुने गए। यसस्तु मूलता की अनुमतियों में एकत्र की गई। प्रथम अनुमति में सामाजिक मूलता, द्वितीय अनुमति में सप्त एवं बुद्धीर उद्योग के बारे में एवं तृतीय अनुमति में परिवार के नमवन्म में विस्तृत मूलता एकत्र की गई। सर्व एकत्र वर्णने का कार्य समाप्त हो चुका है व यदि ६००० नहीं हूँ अनुमतियों द्वा भारतीयन, वर्षों बारे आदि विषय यह रहा है। उन्नरचना प्रतिवेदन को विद्यार विद्या जारीगा।

**मूल्यांकन नियन्त्रण (Evaluation Organization)**—राजस्वान में सोकलात्मक विशेषज्ञताएँ हरले इन्हें प्राप्तिवारी राज्य का २ अप्रूप १९५६ को थी नहीं न नामीर में एक्सप्रेस विद्या। प्राप्तिवारी राज्य की उपलब्धता के लिए यह आवश्यक था कि इस योजना की प्रगति एवं विवास को नियन्त्रित रूप से जाना जाय। परन्तु वर्ष १९६० में मतिसहायता संचालन के अन्तर्मुख्यांकन-नियन्त्रण (Evaluation Organization) की स्थापना की गई। इस विभाग ने प्राप्तिवारी राज्य में उन्नाव एवं प्रगति पर दो प्रतिवेदन तैयार किए हैं जिन्हें प्रत्याखित किया जा चुका है।

**तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण (Techno-economic Survey)**—राजस्वान सरकार के आदेश पर (National Council of Applied Economic Research) ने, जिसके प्रबन्धदाता पी. एस. लोडनाथन हैं, राजस्वान की तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण विभा। यहाँ से ज्ञान दृष्टा कि १९६० में राजस्वान की वायिक आय ४५० द३० करोड़ रुपये (प्रति व्यक्ति २५८ रुपए) थी।

१९७५-७६ के मूल्यांकन में यह १९६१-६२ की राजस्वान की वायिक आय<sup>२</sup> को २७६ रुपये प्रति व्यक्ति आंका गया है।

दरयोंने दिवरण में हम यह बह सकते हैं कि जिसने दस वर्षों में राजस्वान में ग्राम्यनी केव में अन्य राज्यों की जाति प्रगति हुई है। लेकिन यह भी हमारे समझों में कई विद्याएँ हैं, जिन्हें हटाने के लिए हमें प्रयत्नशील रखना होगा।

\* Vide Hindustan Times dt.—25 March 1963.

## अध्याय ४

### कृषि समंक

(Agricultural Statistics)

भारतवर्ष में कृषि समंक बहुत समय से एकत्र किए जाते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मुगल-कालीन 'आयने अकबरी' व 'तुज़के बादरी' आदि इस बात के प्रमाण हैं। ब्रिटिश शासन काल में भी कृषि समंक एकप्र किए जाने सी व्यवस्था थी। Statistical Abstract of British India में भी जो सन् १८६८ से ही इंग्लैण्ड में प्रकाशित किया जाता था, इस प्रकार के आंकड़े द्याये जाते थे। सन् १८७१ में ही भारत सरकार ने कृषि विभाग खोल दिया था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सर जॉन स्टूची की निकारिश पर सन् १८७५ में वहाँ भी कृषि विभाग खोला गया जिसका कार्य, मूल्य कार्डों के अलावा, कृषि समंक भेंटलन करना भी था।

मोटे तौर पर 'कृषि-समंक' के अन्तर्गत हम उन सब समंकों का अध्ययन करते हैं जो कृषीय-व्यवस्था पर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से असर डालते हैं, जैसे मूमि प्रयोग, जैवफल, उपज, अनुमान, वन, मत्स्य, पशु चन आदि से सम्बन्धित समंक। अब हम इन सबका विस्तृत रूप से अध्ययन करें।

कृषि समंकों में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने सन् १८४७ में कृषि एवं खाद्य मंत्रालय (Food and Agriculture Ministry) में आधिक एवं सांख्यिकीय मामलों का निदेशालय (Directorate of Economics and Statistics) स्थापित किया। इस निदेशालय द्वारा निम्न मुख्य पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं—

- १—Bulletin of Agricultural Prices—साप्ताहिक
- २—Agricultural Situation in India—मासिक
- ३—Abstract of Agricultural Statistics—वार्षिक
- ४—Estimates of Area and Production of Principal Crops in India Vol I and II—वार्षिक
- ५—Indian Cotton Pressing Factories Returns—वार्षिक
- ६—Bulletin on Various Crops—वार्षिक
- ७—Indian Forest Statistics—वार्षिक
- ८—Indian Land Revenue Statistics—वार्षिक

- ६—Agricultural Statistics of India—Vol. I & II—वार्षिक  
 ७—Agricultural Wages in India—वार्षिक  
 ८—Agricultural Prices in India—वार्षिक  
 ९—Indian Livestock Census—पशु-वर्षांक

उपरोक्त के अनावा इस निरेशालय द्वारा कई पत्रिकाएं तद्यं ( ad hoc )  
 से प्रकाशित भी गई हैं। इष्टिसमक C. S. O. द्वारा प्रकाशित Annual  
 Statistical Abstract में भी नियमित रूप से प्रकाशित किए जाने हैं।

### भूमि प्रयोग समक ( Land Utilization Statistics )

भूमि-प्रयोग समक के अन्तर्गत हम भूमि के विविध प्रकार के प्रयोग एवं उनके  
चौकफल ( area ) की जानकारी करते हैं। भूमि का प्रयोग क्षेत्रों के लिए, जगतो में,  
 पहाड़ा में, नदी, नालों या ताजावो आदि में होता है। भूमि प्रयोग के समक हमें खाद्य एवं  
 इष्टि सत्रालय के आर्थिक एवं साहित्यीय मामलों के मत्ताहकार ( Adviser ) के द्वारा  
 प्रकाशित Agricultural Statistics of India Vol. I & II में  
 उपलब्ध होते हैं। वैने तो भूमि प्रयोग के ममक भारतवर्ष में सन् १९५४ से एकत्र किए  
 जाने हैं लेकिन उनमें पूर्णता वी हाइ से कई कमिया हूँ। पिछले बीम वर्षों में उनमें सुधार  
 करने के काफ़ी प्रयत्न किए गए हैं। सन् १९५८-५९ में कुल चौक ( Total area ) के  
 ६० प्रतिशत के सम्बन्ध में भूमि प्रयोग के ममक एकत्रित किए गए थे। अब हमारे देश के  
 कुल भौगोलिक चौकफल ८०६३ लाख एकड़ में ७२३० लाख एकड़ भूमि के प्रयोग  
 सम्बन्धी आवडे उपलब्ध हैं।

कुण्ठ समझो में सुधार करने एवं समन्वय स्थापित करने के हेतु समृक्त राष्ट्र की  
 एक दक्षिणी समिति ( Technical Committee on Coordination of  
 Agricultural Statistics ) ने सन् १९४६ में कई बहुमूल्य सुनाव दिए जिन्हे  
 सरकार ने स्वीकृत कर उह कामी हर तत्त्व काय रूप में परिणाम दिया है। पहले भूमि-  
 उपयोग के समक केवल पाल भाग में ही विभाजित किए जान थे लेकिन उपरोक्त समिति  
 की रिपोर्टों के प्रतुमार सन् १९५६-५७ में नदा वर्गीकरण चालू कर दिया गया है  
 त्रिमत्रे अन्तर्गत भूमि-उपयोग समझो को निम्न नाम भागों में वर्गीकृत किया जाता है—

- १—ग्रामीय भूमि—भवन, मट्टवे, रेले, नदी, नहर, तालाब आदि के उपयोग  
 में लाई गई भूमि इस वर्ग में शामिल की जानी है।  
 २—दून—दून, तिजो एवं सत्रारी, देना वन-क्षेत्र शामिल दिए जाने हैं।

३—बंजर एवं कृषि के अयोग्य भूमि—इसमें पहाड़, रेतीले क्षेत्र एवं मन्द  
अकृपीय भूमि सम्मिलित की जानी है।

४—स्थायी चरागाह एवं अन्य चराने की भूमि।

५—विविध उद्यानों एवं बागादि में प्रयोग भूमि।

६—कृषीय बेकार भूमि—(Culturable Waste)—इसमें वह सब  
भूमि शामिल है जो कृषि के योग्य है लेकिन उसमें पांच वर्ष से अधिक से किसी भी  
कारण से खेती नहीं की गई है।

७—चालू पर्ती (Current fallows)—इसमें वह सब भूमि शामिल की  
जाती है जिसमें प्रत्येक वर्ष खेती की जाती है, लेकिन चालू वर्ष में वह पटत रह गई है।

८—अन्य पर्ती भूमि (Other fallow lands)—इसमें वह भूमि शामिल  
की जानी है जिसमें खेती की जाती थी लेकिन अस्थाई रूप से (एक वर्ष में अधिक और  
पांच वर्ष से अधिक नहीं) खेती नहीं की गई है।

९—शुद्ध क्षेत्रफल (Net area sown)—जिसमें कृषि की जानी है।

### क्षेत्रफल समांक

(Area Statistics)

विविध प्रमुखों का क्षेत्रफल हमें Estimates of Area & Production  
of Principal Crops-Vol I & II नामक वापिक पत्रिका जो कृषि एवं  
खाद्य मत्रालय के आर्थिक एवं सांख्यिकीय भागों के सलाहकार (Adviser) द्वारा  
प्रकाशित की जाती है, से प्राप्त होते हैं। यह हमें भली भांति विदित है कि हमारे देश में  
दो प्रथाएँ—रैयतवाड़ी (Ryotwari) एवं जमीदारी, जागीरदारी, विस्वेदारी—काषी  
समय में प्रचलित थीं। रैयतवाड़ी प्रथा में रैयत भूमि-राजस्व (land revenue)  
सीधा सरकार को देती थी। ऐसे ज्ञेयों को स्थायी बन्दोबस्त (temporary  
settlement) वाले द्वेष भी बहते हैं। लगभग २०-२५ वर्ष के बाद इन ज्ञेयों की  
सरकार पौष्टिकण करके भूमि राजस्व निवारित कर देती है। यह प्रथा पञ्चाब, मद्रास,  
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग आदि में प्रचलित थी।

जमीदारी प्रथा में स्थायी बन्दोबस्त (permanent settlement) था।  
इसमें जमीदार सरकार को स्थायी राशि लगान के रूप में देते थे और किसानों से मन-  
मान वर (rent) तरह-नरह से बसूब करते थे। यह प्रथा बगल, विहर, उड़ीसा,  
उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, अवर आदि में प्रचलित थी तो जागीरदारी एवं विस्वेदारी प्रथा  
रजावाड़ों में प्रचलित थी।

स्थायी बन्दोबस्त वाले ज्ञेयों में समक्ष एक ग्रित करने वाला मुख्य सरकारी कर्म-  
चारी पटवारी होता था जो पटेल या लम्बरदार वो सहायता से गांव के प्रत्येक खेत

( field ) का पूरा नवजात तंयार करना था व उसका रिकार्ड "हमरा, खनीनी व टीप" में रखना था । पटवारी के कार्य का निरीदण सक्षिल का इनचार्ज 'बानुनगो' करता था । ग्रस्यायी बन्दोबस्त बाले देशों में देशपल समक्ष मणणना रीति ( census method ) से एकत्र किए जाने हैं । तुलना भी इष्टि म ग्रस्यायी बन्दोबस्त बाले देशों में आकड़े अधिक ठीक हैं । इसका प्रयुक्त कारण सरकार भी उचित मूर्म व्यवस्था थी ।

इनका होने पर भी पटवारी के पास बहुत अधिक काम होने के कारण वह कभी कभी विना प्रत्येक खेत पर स्वयं गए हुए या पटेत प्रादि के द्वारा ही समक्ष एकत्र बर लेता था । वह बार पटवारियों से समय पर समक्ष ही प्राप्त नहीं होते थे । बाउर-रबर्टसन भमिति ने मन् १६३४ में इस सम्बन्ध में मुकाबल दिया था कि पटवारियों को विस्तृत हिंदौ-यन्त्रों दी जाए व उनके कार्य वी बानुनगो एव लद्दीनदार द्वारा अग्रिम अच्छी जांच की जाय । राष्ट्रीय ग्राम समिति ने भी मन् १६५४ म देशपल समक्ष में मुकार करने के लिए मुकाबल दिया था कि कुल देशपल समक्ष जांच वर्षों की अवधि में एकत्र किए जाए व प्रत्येक वर्ष कुल गांवों की  $\frac{1}{4}$  के सम्बन्ध में पूर्ण जामकारी प्राप्त की जाए । इसमें पटवारी पर कार्य भार  $\frac{1}{4}$  ही रह जावेगा और वह अनन्त कार्य को अधिक दक्षता में कर सकेगा । वैनिय सरकार ने हाउ ही में पटवारियों के कार्य वी जांच करने के लिए एक योजना बनाई है । हमें देव निदर्शन ( random sample ) रीति में देशपल समक्ष एकत्र करके यह देशना चाहिए कि पटवारियों द्वारा मणणना रीति ( census method ) से एकत्रित समक्ष कहीं तक ठीक है । बुद्ध नदय ( ad hoc ) मौद्रणा में जांच हुआ है कि पटवारियों द्वारा एकत्रित समक्ष वातिविका में कम होने हैं ।

देशपल समक्षों का ठीक अनुमान लगात म और भी स्वेच्छा में विभ्रम ( error ) हो जानी है, जैसे—

१—दो खेतों के बीच में मेंड ( ridge ) जिसमें खेती नहीं की जाती है, उसका ठीक अनुमान नहीं होता है ।

२—वह खेतों में बेजड ( mixed crop ) पैदा की जाती है जैसे गेहूं व चना एक ही साथ खेत में दो दिया गया हो । ऐसी हालत में यह अनुमान लगाना कठिन हो जाना है कि वितनी मूर्म गहने की परम्परा में मानी जाय और वितनी मूर्म चमे की परम्परा में ।

३—वह जाहू सेनों के बीच में बाग होता है जहाँ पटवारि पैदा किए जाते हैं । ऐसे देशों का भी ठीक अनुमान लगाना जम्मी हो जाता है ।

४—कभी-नभी परम्परा में देशपल में खेतों के समय और परम्परा के काटने के समय में अतिर होता है । परम्परा विगड़ जाती है या कोई परम्परा के द्वारा नहीं उपयोग के जारए उम्मी दूसरी परम्परा दी जाती है । कभी नह तो द्वारा परम्परा के खेतों के समय का

चेत्रफल ही एकत्रित किया जाता था लेकिन इद १६४६ की नेतृत्वनीको समिति ने मुकाबल दिया है कि दैव निदर्शन रीति से सर्वेदण करके दोने के समय फ़ामान के चेत्रफल और कटाई के समय पसल के चेत्रफल में अनुपात जात किया जाना चाहिए ताकि ठीक चेत्रफल मालूम करने में उचित सशोधन किया जा सके। इस सुनाव को कार्यान्वित करने पर चेत्रफल सबधी ग्रांडडो में काफी सुधार होगा।

[स्थायी बन्दोबस्त वाले चेत्रों में चेत्रफल सबधी समक बहुत ही असनोए जनक थे। इन चेत्रों में आवडे एकत्र करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वेवल पुलिस का चौकीदार या गाँव का मुखिया जो भी उचित अनुमति देता था, अपने अनुमान से समक एकत्र कर लेता था। स्थायी बन्दोबस्त वाले चेत्रों की तरह पुढ़वारी या कानूनगों प्रादि कर्मचारी नहीं होते थे। केवल एक कामदार होता था जो सब प्रकार के बायं करता था।]

रजवाडों में भी लगभग ऐसी ही हालत थी। अविकर भाग में पैमायश ही नहीं होती थी।

पिछले बीस वर्षों में स्थायी बन्दोबस्त वाले चेत्रों में काफी सुधार हुआ है। विहार व बंगाल सरकार ने सर्वे करवाए हैं व सखारी कर्मचारी नियुक्त किए हैं। जमीदारी व जामीरदारी प्रथा वा उन्मूलन हो गया है। अब इन चेत्रों में भी संगणना (census) रीत द्वारा प्रत्येक सेत्र के सर्वे किया जाता है। निम्न तालिका से हमें दर्तमान स्थिति जात होती है।

विवरण	चेत्रफल	कुल का प्रतिशत
	लास एकड़	
संगणना रीति	५५०७	६८
निदर्शन रीति	२३१	३
वन्वे अनुमान	१४६६	१८
दूदा हुआ चेत्र	८५६	११
कुल	८०६३	१००

इस दैव निदर्शन रीति से राष्ट्रीय निदर्शन अधीक्षण (National Sample Survey) भी अपने विविध दौरों (rounds) में सफल भारत में फ़सलों के चेत्रफल का अनुमान करता है। लेकिन प्रणाली में अन्तर एवं सर्वे में निदर्शन विभ्रम (sample error) होने के कारण इन ग्रांडडों की कृषि मन्त्रालय द्वारा एकत्रित

आकड़ो से तुलना नहीं की जा सकती है। यह नितान्त आवश्यक है कि शीघ्र ही इन आकड़ो में सुधार करके इन्हे तुलनीय बनाया जाय।

### उपज समंक

#### Yield Statistics

हमारे देश में सरकार उपज के समक दो रीतियों से ज्ञात करती हैं —

१—परम्परागत (Traditional) रीति ।

२—दैव निदर्शन (Random Sample) रीति ।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय न्यादर्श अधीक्षण ( N S S ) भी दैव निदर्शन रीति ही द्वारा उपज के समक एकत्र करता है।

#### परम्परागत रीति ( Traditional Method )—

यह रीति हमारे देश में काफ़ी समय से अपनाई जा रही है। इस रीति में किसी भी फसल की उपज निम्न सूच से ज्ञात की जाती है—

चेत्रफल  $\times$  सामान्य उपज  $\times$  स्थितिकारक

Area  $\times$  Normal yield  $\times$  Condition factor

सामान्य उपज ( Normal Yield ) —सामान्य उपज का अर्थ अभी हाल तक सरकार द्वारा “माध्य वर्ष में माध्य प्रकार की जमीन पर माध्य उपज” ( Average yield on average soil in average year ) से लगाया जाता था। ऐसा सिर्फता है कि सरकार ने ‘माध्य’ ( average ) और ‘सामान्य’ ( normal ) को एक ही समझा। ‘माध्य’ का अर्थ है पिछली सत्त्वायों का औसत और ‘सामान्य’ का अर्थ उस फसल से है जिसकी किसान सामान्य परिस्थिति में आशा करता है। यह फसल ‘सामान्य’ से कम पैदा होती है तो किसान को रज होता है और यदि वह ‘सामान्य’ से अधिक होती है तो उसे खुशी होती है। ‘सामान्य’ वास्तव में ‘माध्य’ से अधिक व अधिकतम ( maximum ) से कम होती है। अब ‘माध्य’ एवं ‘सामान्य’ को एक ही मान लेना अनुचित है।

प्रत्येक राज्य के कृषि विभाग विविध जिलों के लिए ‘सामान्य’ उपज का प्रति पाच वर्ष के बाद निर्धारण करते हैं। भू राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी प्रत्येक फसल के अपने अनुभव के आधार पर औसत ( माध्य ) भूमि के टुकड़े तुन लेते हैं। उन टुकड़ों में उनके सामने फसल बोई व काटी जाती है। इन आकड़ों को कृषि विभाग के सचासक के पास भेज दिया जाता है। वह अन्य कारणों का ध्यान रखकर प्रत्येक जिले के लिए “सामान्य फसल” का निर्वाचण कर देता है।

नई रीति —हार ही में सामान्य उपज को ज्ञान करने की नयी रीति अपनाई जाने लगी है। दैव निदर्शन रीति से फसल-वर्ड के प्रयोगों द्वारा प्रति एकड़ की औसत

(average) उपज जात करती जाती है। इस उपज का दस-वर्षीय चल माध्य (Ten-yearly moving average) ही 'सामान्य उपज' कहलाता है। यह रोति अधिक ठीक है।

स्थिति कारक (Condition factor) — इसे seasonal factor भी बहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ष की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर वर्ष की उपज को 'आना' के हिसाब से बताया जाता है। एक रुपये में सोलह आने होते हैं। यदि फसल 'सामान्य' (normal) हो तो उसे 'सोलह आने फसल' कहा जाएगा। यदि फसल ७५ प्रतिशत ठीक हो तो उसे 'वारह आने फसल' कहा जाएगा। इसी प्रकार आधी फसल ठीक होने पर उसे 'रुपए में आठ आना फसल' कहा जाएगा। इस प्रकार के अनुमान को "आनावारी अनुमान" (Annawari Estimate) भी कहते हैं।

३१ यह अनुमान पटवारी के द्वारा किया जाता है। कभी-कभी वह पटेल से भी राय लेते हैं। इसमें पद्धपातपूर्ण विश्रम (biased error) होने की बहुत आशा का रहती है। यदि पटवारी अपने किसानों को अशिक तकाबी छह दिलाना चाहता हो तो वह वास्तविक से कम अनुमान दिलाता है। यदि वह अपने कार्य में दक्षता स्व प्रभाव देकर तरकी आदि की आशा करता हो तो फसल खराब होने पर भी उसे ठीक बता देता है। इस प्रभाव इस रोति में ठीक अनुमान होना पटवारी के पद्धपात रहित होने पर निर्भर करता है। कई बार तो पटवारी स्वयं से रों पर गए बिना ही अपने अनुभव के आवार पर या पटेल आदि को देते पर भेज कर ही अनुमान बता देता है। कभी-कभी पटवारी कार्यालयिक होने के कारण पिछले अनुमान के आवार पर ही बिना कोई विशेष प्रयत्न किए दूसरे व तीसरे अनुमान भी भेज देता है।

इस सम्बन्ध में सुगर करने के हेतु वाउले रावर्टसन समिति ने भारित माध्य निकालने का सुझाव दिया था, जिसे उस समय केवल मद्रास राज्य ने ही अपनाया। हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने स्थितिकारक (Condition factor) का अनुमान करने की नई विधि निश्चित करदी है जिसका प्रयोग अब प्रत्येक राज्य भरकार करती है। इस विधि के अनुसार प्रत्येक जिले का स्थितिकारक ज्ञात करने के लिए तहसील के आकड़ों का भारित समान्तर मध्यक (weighted average) निकालना होता है। भार प्रत्येक तहसील में फसल के द्वेषकल के अनुपात में दिए जाते हैं।

### देव निर्दर्शन रीति (Random Sampling Method) —

परमदायक रोति में पद्धपात पूर्ण विश्रम होने की आशा का रहती है। अब अब हमारे देश में उपज के अन्तिम अनुमान देव निर्दर्शन रीति द्वारा फसल-कटाई-प्रयोग करके ही किये जाते हैं। वैसे तो इस रीति के प्रयोग का सुझाव सन् १९१६ में कृषि बोर्ड (Board of Agriculture) ने दिया था। सन् १९२३-२५ में श्री हूबेक

( Mr. Hubback ) ने भी विहार व उडीसा में धान की उन्नत ज्ञात दरते के लिए इस रीति का प्रयोग किया लेकिन उन्ह विशेष महानना नहीं मिली । यी धूबैक ने १३'६ वर्ग फुट के वर्द्धन्यादर्श ( Sample ) टुकड़े को चुन कर उनम बुद्धाई व कठाई के मुम्भाव दिए थे । यी महाननोविम ( Prof P C Mahalanobis ) ने इन टुकड़ों का आकार ५० से १०० वर्ग फुट छोड़ बननाया । लेकिन हावड़र सुवात्मे ( Dr. P. V. Sukhatme ) ने भारतीय कृषि अनुमन्यान परिषद् ( I. C. A. R ) में एक योजना रेखार की जिसका प्रयोग सबसे पहले सद १९४२ में अपनोना जिले में किया गया । यह योजना सफल निर्द द्वार्द है और आज इमका प्रयोग समस्त भारत में किया जा रहा है ।

विचित्र-प्रत्येक राज्य का साम्बन्धी विभाग या कृषि विभाग प्रत्येक फसल के अनुभाव ने लिए हर एक तहसील में कुछ गाँव दैव निर्दर्शन रीते से चुन लेता है । प्रत्येक गाँव में भी दो सख्ताएँ ( चार अंक की ) इसी रीति से चुन ली जाती है । इन सख्ताओं की मूलना तहसील दार के पास फसल बोने के काढ़ी समय पहिले में बढ़ी जाती है । फसल कठाई प्रयोगों का साम्बन्धी विभाग के इनपोक्टर अपनी देख रेख में करता है, जिसकी जाव राष्ट्रीय निर्दर्शन अधीक्षण ( N S S ) के कर्मचारी करते हैं ।

प्रत्येक गाँव में पश्चारी से स्वर्ण-सूच्या ज्ञान करली जाती है । वो हर्द दोनों न्यादर्श सम्भायों में स्वर्ण-सूच्या का भाव दक्षर अनग-अनग शेष कर की सख्ता ज्ञात करली जाती है । इस शास्त्र की सन्दर्भ वाले स्वर्ण नम्बरों में हमें फसल कठाई प्रयोग करते होते हैं । लेकिन वास्तव में खेत पर जाकर यह मानूम कट लिया जाता है कि इन चुने हुए दो खेतों में वही फसल बोई जान वाली है जिसके लिए फसल कठाई प्रयोग किया जाने वाला है । यदि यह खेत किसी दूसरी फसल के लिए है तो अगले खसरा नम्बर वाला खेत चुना जाना चाहिए । इस प्रकार दो खेत चुन लिए जाते हैं । यदि न्यादर्श से स्वर्ण में खसरा सूच्या का पूरा भाव लग जाव और शेषफल कुछ नहीं बचे तो अनिम खसरा नम्बर वाला खेत चुना जाना चाहिए । यदि अनिम खसरा सूच्या वाला खेत किसी दूसरी फसल के लिए निर्धारित है तो खसरे में १ नम्बर वाले खेत को चुन लिया जाता है ।

अब हमें हुए हुए खेत में ब्लॉक (टुकड़ा) बनाना है । ब्लॉक का आकार साधारण के लिए  $33' \times 114'$  या दो, एकड़ का होना है व क्षाय, निरहन आदि के लिए  $33' \times 33'$  या दो एकड़ का । चुन हुए खेत पर जाकर हम खेत के दिल्लु-परिचयी कोने पर एक छूटी गाड़ देते हैं प्रथम् फसल मामते व दार्द और रहती है । इस स्थान से खेत की लम्बाई और चौड़ाई कदमा में नापती जाती है । लम्बाई ( बड़ी साइड ) के कदमों की सुधरा में ऐ व चौड़ाई ( छोटी साइड ) के कदमों की सुधरा में से ७ घण्टे हैं । यह सख्ताएँ घटाना आवश्यक है अन्यथा कभी-कभी ज्ञाट का बनना बिज्ञ हो सकता है ।

जो शेषफल सख्ता रहती है उसकी संख्या के बराबर या उनसे छोटी दो सख्ताएँ दैव निदर्शन सख्ता तालिका ( Random number tables ) में से चुन ली जाती हैं।

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दो चुने हुए खेतों पर किसी एक की लम्बाई ७० कदम व चौड़ाई ४० कदम है। ७० में से १३ घटाने पर ५७ और ४० में से ७ घटाने पर ३३ आने हैं। अब हम दैव निदर्शन-सख्ता तालिका में से शुरू से सख्ताओं को पढ़ने जायेंगे व वह पहिली सख्ता चुन लगे जो ५७ या इससे कम है। माना कि वह सख्ता ५७ ही है। उसके आगे और सख्ताओं को भी देखते जाएंगे और वह पहिली सख्ता जो ३३ या उससे कम है चुन लेंगे। माना यह सख्ता ३२ है। अब हमारे पास दो चुनों हुई सख्ताएँ ५७ व ३२ क्रमशः लम्बाई व चौड़ाई के लिए हैं।

अब उस कोने से, जहाँ पर खूटी गाड़ी रही थी, ५७ कदम लम्बाई की ओर चलिए और वहाँ से ३२ कदम चौड़ाई की ओर भी चलिए। इस स्थान पर प्लॉट की पहिली सूटी गाड़ी दीजिए। इस सूटी से ३३ फुट लम्बाई गेझ कर दूसरी सूटी गाड़ी दीजिए। दूसरी सूटी से ६० अश का कोण बनाते हुए चौड़ाई की ओर १६२ फुट नापिए। इस बिन्दु पर तीसरी सूटी गाड़ी दीजिए। पहिले बिन्दु से तीसरे बिन्दु तक सीधी दूरी नाप कर देखिए। यह ३६ फीट १० इंच होनी चाहिए। तीसरे बिन्दु से भी ६० अश का कोण बनाते हुए चापियम ३३ फुट लम्बाई नापिए और चौथी सूटी गाड़ी दीजिए। दूसरे बिन्दु से भी चौथे बिन्दु तक की सीधी दूरी ३६ फीट १० इंच होना चाहिए। सूटियों के बारे में रसिया लेपेट दीजिए।

निरिचित तारीख को सांख्यिकीय इन्सर्वेक्शन की देख रेख में इस प्लॉट की कमल को काटकर बोरो में बाष्पकर सुखाया जाना है। पूरा सूखने पर कम्पन वो साफ कर तौल लिया जाता है। इस बजत को द्वितीय से गुणा करने पर यह मनुमान हो जाता है कि कुल कितनी फसल होने की सम्भावना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ( I C A R ) के अतिरिक्त कलकत्ता की भारतीय सांख्यिकीय सख्ता ( Indian Statistical Institute ) भी दैव निदर्शन रीति द्वारा फसल कटाई के प्रतीक्षण करके उपज के मनुमान निकालती है। द्वितीय के समक भी यह सख्ता दैव निदर्शन रीति से ही जान करती है। वैसे तो दोनों सख्ताओं के सर्वे एक से ही नियमों पर आधारित हैं बिन्दु निम्न बातों से भिन्नता है—

( १ ) I C A R में निदर्शन की इकाई एक गांव है जबकि I S I का का विचार है कि भारत में गांव बराबर साइज के नहीं हैं अतः I C A R की रीति से जमीन के प्रत्येक भाग को यादस में चुने जाने का समान अवगत प्राप्त नहीं हो सकता है।

( २ ) I S I दैव निदर्शन रीति से १००० दण इच के चौकोर प्लॉट चुनता है जबकि I C A R वहुग्रह एकड़ वा मायताकार प्लॉट चुनता है।

( ३ ) I. S. I. में विशेष रूप से गिरिजन अनुमानकर्त्ता सर्वे करते हैं जबकि I. C. A. R. में कृषि विभाग के कर्मचारी ही कार्य करते हैं ।

अब हमारे देश में अन्तिम अनुमान प्रस्तुत कराई प्रयोग के द्वारा ही लगाए जाते हैं । अन्य अनुमान परम्परागत रीति से ही लगाए जाते हैं । अब दोनों रीतियों का ही काफी महत्व है । यह निविदाद है कि निर्दर्शन रीति से अनुमान परम्परागत रीति की अपेक्षा अधिक ठीक होते हैं लेकिन अब भी यह रीति सतोषप्रद ढंग में सब जगह नहीं अपनाई जा सकती है ।

जैसा पहले बताया जा चुका है N. S. S. भी दैव निर्दर्शन रीति से कमल त्री उपज के अनुमान लगाता है लेकिन कृषि विभाग और N. S. S. के समझों में काफी अंतर रहता है । उपज समझों को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए इन दोनों सम्पादों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है ।

### फसलों के अनुमान—

#### Crop Estimates

अखिल भारतीय फसल पूर्वानुमान (forecasts) हमारे देश में सर्व प्रथम सन् १९६४ से गेहूँ के सम्बन्ध में चालू किए गए थे । बाद में चावल व अन्य कमलों के भी पूर्वानुमान लगाए जाने लगे । अब Estimates of Area and Production of Principal Crops in India नामक वार्षिक पत्रिका में ३० फसलों के लगभग ७० अनुमान (estimates) प्रकाशित किए जाते हैं । अधिकतम कमलों के तीन अनुमान लगाए जाते हैं लेकिन कुछ का केवल एक ही और कुछ के पांच तक अनुमान लगाए जाते हैं । ये अनुमान प्रत्येक फसल की अलग-प्रलग पत्रिकाओं में एवं दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होते हैं तथा आवासवालों के विभिन्न केन्द्रों में प्रसारित किए जाते हैं ।

पहिला अनुमान बहुधा फसल के बोने के एक मास बाद, दूसरा अनुमान पहिले अनुमान के दो मास बाद व अन्तिम अनुमान कमल कटाई के समय लगाया जाता है ।

३० फसलों के अनुमान जो कि ६ मुख्य वर्गों में विभाजित हैं, निम्न प्रकार हैं-

१. स्वाद्यान्न — चावल, ज्वार वाजरा, मक्का, रागी, गेहूँ व जौ ।

२. दाले — चना, टूर, अन्य स्वरीक एवं रखी की दालें ।

३. तिलहन — मूँगपली, निल, तोरदा, सरसो, अनसी एवं अरडी के बीज ।

४. रेशे — कपास, जूट, सन व मेस्ता ।

५. दागाने — चाय, काफी, खबर ।

६. अन्य :— गना, आलू, तम्बाकू, कालोमिर्च, आदरत व लाल मिर्च ।

कृषि-उत्पादन मूल्यक (Indices of Agricultural Production)—

कृषि-उत्पादन के मूल्यक वही मंस्तानों द्वारा तैयार किए जाते हैं । उनमें से मुख्य नीचे दिए गए हैं—

(१) खाद्य एवं कृषि मंत्रालय—आर्थिक एवं साहित्यिक मानसों के निवेशालय द्वारा तीन प्रकार के सूचक-उपज (yield), क्षेत्रफल (area) और उत्पादकता (productivity)—पर्नि वर्षे तंयार किए जाते हैं। आधार वर्षे कृषि वर्ष (agricultural year) १९४६-५० अथवा जुलाई १९४६ से जून १९५० है। इसमें २८ मुख्य फसलों को शामिल किया जाता है जिन्हे २ वर्षे एवं ६ उपवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीयान्तरिक्त रूप (implicit) से आधार वर्ष में प्रत्येक फसल के चेत्रफल का कुल फसलों के क्षेत्रफल के अनुपात में दिए जाने हैं। शृंखला आधार (chain base) रीति से दिए हुए वर्षे में किसी फसल के क्षेत्रफल का पिछले वर्ष में उसी फसल के क्षेत्रफल के आधार पर शृंखलानुपात (link relatives) निकाले जाने हैं। बाद में इन शृंखलानुपातों को आधार वर्ष १९४६-५० से जोड़ दिया जाता है।

उत्पादकता सूचक ज्ञात करने का विभ्न सूत्र है—

$$\frac{\text{उपज के सूचक}}{\text{क्षेत्रफल के सूचक}} \times 100$$

उत्पादकता सूचक से प्रति एकड़ उपज की उपनति (trend) ज्ञात होती है।

नीचे कृषि-उपज, उत्पादकता (productivity) एवं क्षेत्रफल के कुल महिल भारतीय सूचक दिए गए हैं—

आधार वर्ष १९४६-५०

वर्ष	भारत	उपज	उत्पादकता	क्षेत्रफल
	१९५०-५१	१९६०-६१	१९५०-५१	१९६०-६१
साधाना	५६.३	६०.३	१३५६	६०.८
दाने	८.६	८१.७	१२८.७	६६.८
तिलहन	६.६	६८.५	१३५.४	६२.५
रेते	४.५	१०८.६	१७६.२	६१.४
बाघान	३.६	१०४.०	१३०.५	१०५.०
अन्य	१५.१	११०.३	१३०.५	६८.२
सब वस्तुएँ	१००.१	६५.६	१३६.१	६५.७

दो पंच वर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद हमने कृषि समको में काफी प्रगति करली हैं भूत, ठीक तुलना करने के लिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त सूचक का आधार वर्ष १९४६-५० से बदलकर १९६०-६१ कर दिया जाय।

इसके अतिरिक्त १२ राज्य तरकारे व दो केन्द्र शासित प्रदेश भी कृषि-उपज सूचक प्रति वर्षे तंयार करते हैं। वे राज्य सरकारों द्वारा समानता सूचक (Parity Index Numbers) भी तंयार किए जाने लगे हैं। याशा है तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक सभी सरकारें यह सूचक तंयार करने लगेंगी।

इन सूचकों को निम्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है—

(१) Agricultural Situation in India—मासिक ।

(२) रिजर्व बैंक की ( Currency and Finance ) वार्षिक रिपोर्ट ।

२—अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संस्था ( F. A. O )—भी कई देशों के कृषि-उत्पादन सूचक प्रकाशित करती है। इनका आधार वर्ष १९३४-३५ का औसत है व कुल वस्तुओं को ११ वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। यह सूचक भारित है। इसका आधार वर्ष पुराना है।

३—ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट भी निजी रूप से १९३६-३७ से १९३८-३९ के औसत मूल्यों के आधार पर कृषि उत्पादन सूचक तैयार करता है। इसमें निम्न १४ वस्तुओं को ४ वर्गों में विभाजित किया जाता है—

खाद्यान्न—चावल, गेहूँ, जौ, चना ।

रेशे—जूट व कपास ।

तिलहन—मूँगफली, सरसो, अनसी, तिल ।

चिविध—गला, तम्बाकू, चाय, कॉफी ।

यह सूचक भारित है और भार आधार वर्ष में वस्तुओं के मूल्यों के ग्रन्तिपात्र में है।

इसका आधार वर्ष बहुत ही पुराना है व वस्तुओं की संख्या भी कम है।

५ च वर्षीय योजनाओं में कृषि समको में सुधार —

[कृषि समको में सुधार एवं सम्बन्ध स्थापित करने के लिए समुक्त राष्ट्र की एक सकौनीकी समिति ने सन् १९४६ में कृषि समको में कई क्रियाएँ बनलाई थीं व उनमें सुधार करने के सुझाव भी दिए थे। उसके बाद भी कई समितियों व सम्मेलनों में इस प्रश्न पर विचार विमता दिए गए। भूमि रिकार्ड के सचालकगण ( Directors of Land Records ), कृषि सांख्यिको एवं कृषि-अधिकारीय स्थिरयों के प्रथम सम्मेलन में सन् १९५४ में कृषि समको में सुधार करने के हेतु द्वितीय एवं तृतीय पच-वर्षीय योजनाओं में समन्वय एवं के सुझाव दिए गए।

[कृषि एवं खाद्य मंत्रालय के आधिकारिक एवं सांख्यिकीय मामलों में सलाहकार ने भी कृषि-समको में सुधार करने के हेतु कई प्रयत्न किए हैं। सन् १९६० में हुई भूमि रिकार्ड सचालकगण एवं कृषि-सांख्यिको के द्वारे सम्मेलन में तृतीय पच-वर्षीय योजनाकाल में कृषि-समको में सुधार करने के लिए निम्न उद्दम उठाने वा सुझाव दिया गया है—

( १ ) प्राथमिक प्रतिवेदन अभिकर्ता ( Primary Reporting Agents) के कामों पर विवेचीय ( rational ) जाने ।

( २ ) मिश्रित फसलों के चेत्रफल एकत्रित करने की विधि में सुधार ।

( ३ ) कृषि-समकृत एकत्रित करने के लिए समस्त देश में एक सी मनुसूचियों व फार्मों का प्रयोग की जाने की व्यवस्था ।

( ४ ) सब मुख्य फसलों के अनुमानों में फसल-कटाई-प्रयोगों का प्रसार करना एवं इन प्रयोगों पर पूरी जांच की व्यवस्था करना ।

✓( ५ ) प्रतिवेदन क्षेत्रों ( Reporting areas ) का प्रसार ।

( ६ ) व्यापारिक महत्व की छोटी फसलों की उपज एवं चेत्रफल समकों का अनुमान करने की समुचित व्यवस्था जैसे फल, साग-सब्जी वाले चेत्रादि ।

✓( ७ ) कृषि उत्पादन के मूल्यकाल प्रत्येक राज्य-सरकार द्वारा त्रैयार करवाना ।

कृषि समको में उपरोक्त सुधार करने के लिए ( मुख्य रूप से २ व ३ के लिए ) एक समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष सांख्यिकीय एवं आर्थिक मामलों के सलाहकार हैं । यदि उपरोक्त योजनाएँ कोई भी राज्य सरकार कार्यान्वित करना चाहे तो केन्द्र से उन्हें आधी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है ।

२६ मई १९६२ को राष्ट्र-राज्यीय कृषि-ज्ञान बोर्ड ( The National-State Agricultural Intelligence Board ) ने प्रथमी बैठक में भी प्राथमिक प्रतिवेदन अभिकर्ताओं के कार्य-द्वेष में समुचित सुधार करने की सिफारिश की है । केन्द्र सरकार ने भी उन राज्य-सरकारों को जो त्रुटीय पूछ दर्पण-योजना-काल में इस प्रकार की योजना को कार्यान्वित करेंगी, आर्थिक सहायता देने का वादा किया है । कृषि समको में सुधार करने के हेतु पैमाणश करने वाली राज्य सरकार को भी केन्द्र द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है ।

आर्थिक एवं सांख्यिकीय मामलों के निदेशालय ने मूल्य-नीति निर्धारण करने के लिए १५०० विपणी की जुड़ा है जिनसे प्रति सप्ताह भूम्य, स्टॉक एवं नया माल आने के समकृत एकत्रित किए जाने हैं ।

स्थानान्तर के अन्तर्राज्य व्यापार के ठीक समकृत करना भी आवश्यक हो गया है । आजकल स्थानान्तर व्यापार सड़क द्वारा ट्रकों से लेजाए जाते हैं । अत वहिन वाहन ( संरोधन ) अधिनियम ( Motor Vehicles ) ( Amendment Act ) १९५६ की घास ५६ ( २ ) ( ६ ) में संरोधन करके राज्य सरकार ने प्रत्येक मोटर

द्रान्सपोर एजेंसी का पथाज आवडे प्रस्तुत बरता अनिवार्य कर दिया है। जो एजेंसी नियमितरूप से समक नहीं भेजगी उमका लाइसेन्स रद्द किया जा सकता है।

अत यह बहना अनिश्चयात्ति नहीं हाणी कि पिछले बीस वर्षों में कृषि-समका में काफी सुधार हुआ है लेकिन इसका यह ग्रथ लगाना गलती होगी कि अब कोई कमिया ही नहीं है। भारत सरकार द्वाया नियुक्त कार्यसभा कृषि सुधार समिति (Congress Agrarian Reforms Committee) ने श्री डब्ल्यू आर नाहू की भव्यचत्ता में सन् १९४६ में कृषि समको में निम्न दोष एवं कमिया बतलाई है—

( १ ) परिमाणा एवं बर्गाकरण में अवस्था की तमी ( २ ) दोपूरुण सारणीयन, ( ३ ) दोपूरुण प्रारम्भिक प्रतिवेदन, ( ४ ) दोपूरुण आयोजन एवं समन्वय, ( ५ ) प्रकाशन में विलम्ब ( ६ ) निरीक्षण एवं जाच में दोष, ( ७ ) व्याप्ति में विक्षया आदि ।

केन्द्रीय साम्यकीय समिति ( C S O ) एवं कृषि विभाग के ग्राहिक एवं साम्यकीय मामलों के सलाहकार उपरोक्त दोष एवं कमियों का निवारण करने में प्रयत्नशील है।

### मत्स्य समकं

( Fisheries Statistics )

स्वतंत्रता प्राप्ति तक मत्स्य समक एकत्र करने का हमारे देश में व्यवस्थित रूप ते कोई समझना नहीं या। केवल मद्रास, केरल व मैसूर राज्य की सरकारें ही कुछ समक एवं बरती थी। भारतवर्ष में तटी हुई जनसंस्था आइ जटिल खाद्य समस्या ने सरकार की ध्यान मत्स्य-उद्यान के प्रसार की ओर दिलाया। पिछले दस-पाँच वर्षों में मत्स्य-उद्यान म पर्याप्त वृद्धि हुई है और इस सम्बन्ध में शोध कार्य के लिए कई केन्द्र सोने गए हैं। इन्हि एवं खाद्य मन्त्रालय के विषयन एवं निरीक्षण निदेशालय ने भी १९५१ में मत्स्य विषयन की एवं प्रतिवेदन तंत्रार भी थी। लेकिन उसमें भी कई समाच तो अनुमान मात्र हो थे।

१९५५ में मत्स्य उद्यान केवल ८ लाख टन या लेकिन १९६० में उत्पादन ११४ लाख टन हो गया। मात्स्य और मत्स्य से बनी वस्तुओं के विनेशी व्यापार में भी काफी वृद्धि हुई है। १९६०-६१ में ११५६६ टन मात्र, जिसकी लागत ४६ करोड़ रुपये थी, नियांत्रित निया गया। इसी वर्ष में १६३६६ टन मात्र जिसकी लागत ३५ करोड़ रुपये थी आयात निया गया।

( मत्स्य उद्योग के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके प्रसार के लिए कई बैठक उगाए हैं—

### १. शोधकेन्द्र —

देशी (Inland) मत्स्य में शोध करने के लिए कलवत्ता (बंडेल्हुसुपर) में केन्द्रीय आन्तरिक मत्स्य शोध संस्था स्थापी गई है। समुद्री मत्स्य में शोध करने के लिए मन्डपम में केन्द्रीय समुद्री मत्स्य शोध संस्था कार्य कर रही है। गहरे समुद्र के मत्स्य के लिए बम्बई में और तटीय मत्स्य के लिए तूरीकोरन, कोचीन और विशाखापट्टनम केन्द्रों में शोध-संवेदन किए जाने हैं। मत्स्य के विषय (processing), आरक्षण (preservation) आदि के लिए कीचीन व इर्नाक्कुलम में केन्द्रीय मत्स्य तात्त्विक शोध संस्थाएँ काय कर रही हैं। देश में दस विभिन्न स्थानों में मत्स्य-प्रसार-इकाइया कार्य कर रही है।

२ तृतीय पच वर्षीय योजना में चार लाख टन की उत्पादन में वृद्धि और निर्धारित को दुगना करने का स्वयं निर्धारित किया गया।

३. मत्स्य नावों का यात्रिकरण भी किया जा रहा है। नावों के डिजाइन में भी उपयुक्त सुधार किए जा रहे हैं। हमारे देश में आजकल लगभग १८३० यात्रिकृत नावें हैं।

४. मछली पकड़ने के लिए कुहालोर, वेरावल, करवाड, विजिनधाम, सामून गोदी, काडला, रोपापुरम में बन्दरगाह बनाने का कार्य चालू है।

मत्स्य समक के लिए सरकार को नियमित रूप में एक अलग ही मत्स्य-समक-पत्रिका प्रति वर्ष निकालनी चाहिए।

### वन समक (Forest Statistics)

भारत देश के कुल भौगोलिक देशपर्वत के २२ प्रतिशत में वन फैले हुए हैं। विशेषज्ञों के मनुसार देश के एक-तिहाई भाग में वन होने चाहिए। वन-समक कृषि एवं सांच मन्त्रालय के आदिक एवं सास्थिकी भागों के सलाहकार द्वारा Indian Forest Statistics वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित किए जाते हैं। निजी एवं सरकारी वनों के अलग अलग समक एकत्र किए जाते हैं।

वनों के देशपर्वत समक निम्न तीन वर्गों में विभक्त किए जाने हैं—

१. र. मारक्षित वन

२. सरदित वन

३. अर्थर्गत वन।

वनों को चौड़े पुस्ते वाले और लम्बे एवं नुस्तीले पने वाले वनों के हिसाब से भी विभाजित किया जाता है। चौड़े पने वाले वनों में सान, सागवान और विविध समेक अलग-प्रश्नग दिए जाते हैं।

निम्न तालिका में १६५०-५१ और १६५७-५८ के द्वेषक उत्पादन समक्ष दिए गए हैं—  
वनों का द्वेषकल (हजार वर्ग मील)

	१६५०-५१	१६५७-५८
आरचित वन	१३३	१३२
संरक्षित वन	४५	६४
अवर्गीय वन	६६	४६
योग	२७७	२७५
नुसीली पत्ती वाले वन	१४	१०
चोटी पत्ती वाले वन		
साल	४१	३६
सागवान	१७	१६
विविध	२०५	२०७
योग	२७७	२७५

लकड़ी एवं ईंधन और लघु वन उत्पादों के मूल्य  
वर्ष पूर्ण ( लाख रुपयों में )

	लकड़ी एवं ईंधन	लघु वन-उत्पाद
१६५०-५१	१६०८	६६२
१६५७-५८	२८८३	८५४

हमारे देश में १ जुलाई को प्रति वर्ष वन-दिवस मनाया जाता है। तीसरी पञ्चवर्षीय योजना में भी वनों के विकास के लिए काफ़ी प्रयत्न किये जा रहे हैं। देहरादून में वन शोब संस्था कार्य करती है। लघु वनाने के चार प्रशिद्धण केन्द्र देहरादून, गोहाटी, जबलपुर और कोयम्बूर में ३० लाख रुपयों की लागत पर स्थापित किए जा रहे हैं।

### पशु समर्क

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुओं का बहुत महत्व है। पशुओं की संख्या हमारे देश में सबसे अधिक है लेकिन उनसे उत्पादन बहुत कम है। विदेशों में, मुख्य रूप से योरपीय देशों में, पशुओं की संख्या कम है लेकिन उत्पादन अधिक है। पशु समक हमारे देश में ७५ वर्ष से एकत्र रिये जाते हैं। तब से प्रति वाच वर्ष इन्हें Agricultural Statistics of India में प्रकाशित किया जाता है। लेकिन आकड़े केवल साला मात्र ही थे। विवरणों की उनमें भारी कमी थी। १६२० में सम्पूर्ण भारत की प्रथम पञ्चवर्षीय पशु यणना सम्पन्न हुई। तब से प्रति वाच वर्ष पशु यणना भाल विभाग के अधिकारियों द्वारा करवाई जाती है। स्वतंत्रता के बाद सातवें पशु यणना १६५१ में व

भारतीय पशुपत्र १९५६ में की गई। पिछली पशु गणना (नवी) १९५१ में की गई। गणना के आकड़े कृषि एवं सांख्यिकीय मामलों के आर्थिक एवं सांख्यिकीय मामलों के सलाहकार द्वारा प्रकाशित Indian Livestock Census—एवं वर्षीय और Indian Livestock Statistics—वार्षिक प्रशिकामों में दिये जाते हैं। इन आकड़ों को Agricultural Statistics of India, Abstract of Agricultural Statistics in India और Annual Statistical Abstract में भी प्रकाशित किया जाता है।

निम्न तालिका में पिछली गणनाओं में प्राप्त पशु-समक दिए गए हैं।

पशु गणना (लाखों में)

	१९५१ गणना	१९५६ गणना	१९५१ गणना
बैल गाय भादि (Cattle)			
क-बैल-तीन वर्ष से बड़े	६१८	६४६	७०६
स-गाय—' "	४६६	४६६	५१०
ग-छोटे बच्चे	४३५	४३८	
योग	१५५२	१५८७	
भैस भादि (Buffaloes)			
क-भैस तीन वर्ष से बड़े	६८	६५	
स-भैस—" "	२१८	२२३	२४२
ग-छोटे बच्चे	१४८	१६१	
योग	४३४	४४६	
भेड़			
बकरियाँ	३६०	३६२	
धोड़े और सन्दर	४७९	५५४	
मन्य पशु	१५	१५	
कुल पशु	२६२६	३०६५	३४१४

पशु गणना आकड़ों से ज्ञात हुआ है कि १९५१ में १६५६ की तुलना में ११४४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो गणना १९५० में होने वाली थी उसे १९५१ में किया गया और १९५२ में की जाने वाली गणना १६५६ में की गई। जन गणना प्रति दस वर्ष से होती है। यह प्रति दूसरी पशु गणना को भी जनगणना के साथ ही किया जाएगा। जैसे मण्डली पशु गणना १९५६ में और उससे मण्डली गणना १९७१ में जन व पशु की एक ही साथ की जाएगी।

१९५६ की पशु गणना को भी परिवार ( household ) के हिसाब से किया गया। N.S.S. के निदेशालय ने गणना आकड़ों की जून व जुलाई १९५६ में निर्दर्शन रीति से सत्यापन ( verification ) भी किया था। १९५६ की पशु गणना का सम्बन्ध १५ अप्रैल १९५६ से था। प्रत्येक राज्य के राजस्व बोर्ड ( Revenue Board,) के सांख्यिकी विभाग ने आकड़े सकलित् करके केन्द्रीय कृषि एवं साच भवालय को भेज दिये। सारे देश के आकड़ों को आर्थिक एवं सांख्यिकीय मामलों के सलाहकार ने सकलित् किया।

परन्तु उत्पादों के समक भी Indian Livestock Statistics - वार्षिक प्रकाशित विए जाते हैं। इन आकड़ों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है—

क साथ पशुउत्पाद-( प्रायमिक )-दूध, ग्रेड, मास, मुर्गी प्रादि ।

स शाश्व पशु उत्पाद-( द्वितीयक )-धी, मक्खन, दही, छांच आदि ।

ग अखादा पशु उल्पाद-जन, बाल, चमडा, स्नान, हाथी दान, हड्डिया,  
सींग, गोबर आदि।

नीचे पश्च उत्तादो के कुछ समक्ष दिए गए हैं—

	१६५०	१६५६
( करोड मन में )		
गाय का दूध	२१	२३
भेस का दूध	२५	२६
बकरी का दूध	१	१५
योग	<u>४७</u>	<u>५२५</u>
घो	१० ३ लाख मन	१६ ४ लाख मन
मक्खन	१६ लाख मन	२० लाख मन

पश्च उत्पादे के समक हमारे देश में बहुत ही थोड़े एवं अविश्वसनीय हैं। अशुद्धि

— की मात्रा का अनुमान लगाना भी कठिन होता है। इन समको की व्याप्ति (coverage) बढ़ाने व उन्हें वैज्ञानिक रीति से एकत्र करने को बहुत आवश्यकता है।

## अध्याय ५

# राष्ट्रीय आय संकेत

( National Income Statistics )

प्राचीन काल मे जब तक किसी देश की सरकार ने अपना एक मात्र कल्पना देश मे अपने बैंन रखना समझा तब तक राष्ट्रीय आय के समझो का व्यवहारिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं था। लेकिन ज्यों ज्यों सरकार का कार्य देश बढ़ा और सरकार देशवासियों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए भी स्थित बो उत्तरदायी समझने लगी राष्ट्रीय आय का व्यवहारिक दृष्टि से महत्व बढ़ गया है। किसी भी देश की प्रगति उस देश की राष्ट्रीय आय की वृद्धि मे नापी जाती है। अत राष्ट्रीय आय की परिभाषा एवं अनुमान करने की विधियों मे काफी परिवर्तन हुआ है।

परिभाषा-विभिन्न अर्पणास्त्रियों ने “राष्ट्रीय आय” को परिभाषित किया है। व्यवहारिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का अनुमान करने का मुख्य उद्देश्य जीवन स्तर मे हुई वृद्धि को नापना होता है। अत राष्ट्रीय आय एक निश्चित अवधि मे किसी देश मे उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का बिना दोहरी गणना किए हुए एक मीट्रिक माप है। दोहरी गणना विसी वस्तु के उत्पादन को दो बार गिनते से हो जाती है, जैसे कपास के उत्पादन को भी रामिल कर लिया जावे और वाद मे इसी कपास से इसी देश मे और इसी अवधि मे दोहरे कपड़े को भी गणना कर ली जावे। दोहरी गणना को रोकने के लिए केवल अन्तिम ( final ) वस्तुओं को ही गिनना आवश्यक होता है। १९३४ मे बाउले रॉबर्टसन समिति ने भी राष्ट्रीय आय की निम्न परिभाषा \* बतायी थी। “राष्ट्रीय आय किसी देश वासिया की, एक वर्ष की अवधि मे उपायित वस्तुओं एवं सेवाओं के समस्त वा एक मीट्रिक माप है, जिसमें उनके व्यवितरण या सामूहिक जन मे होने वाली वास्तविक वृद्धि सम्मिलित है और शुद्ध करी निकाल दी गई है।”

राष्ट्रीय आय का अनुमान बाजार मूल्यों ( factor prices, market prices ) या साधन लागत ( factor cost ) पर किया जाता है। बाजार मूल्यों से

\* “The national income is the money measure of the aggregate of goods and services accruing to the inhabitants of a country during a year including net increments to or excluding net decrements from their individual or collective wealth.”

आय का अनुमान उपभोक्ता विविध वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने में जो शोषण करते हैं उसके आधार पर किया जाता है। साधन लागत ( factor cost ) ने आय का अनुमान उत्पादन कर्ताओं को अपने उत्पादित माल एवं सेवाओं के जो मूल्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर किया जाता है। साधन लागत से अनुमान करने में बाजार मूल्यों में से अप्रत्यच्च कर ( indirect taxes ) घटा दिए जाते हैं। परन्तु अर्थ-सहाय्यों ( subsidies ) को इसमें जोड़ा जाता है। भूर्दा राष्ट्रीय आय ( national income ) का अनुमान साधन लागत ( factor cost ) पर किया जाता ही उचित होता है।

### राष्ट्रीय आय का महत्व एवं उपयोग (Importance and Utility)

राष्ट्रीय आय के समक्ष अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते हैं। आजकल इन समंकों का तरह-तरह से विषट्टन ( break up ) करके इनसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कृपि एवं अकृपि देशों में, विकसित एवं अविकसित देशों में, आमील एवं राहरी देशों में आदि कई प्रकार से समकों वा विषट्टन करके तुलना ( comparison ) की जाती है और यह नीति निर्धारित की जाती है कि किन देशों या व्यवसायों पा व्यक्तियों की दशा सुधारने के प्रयत्न किए जाने चाहिए।

एक देश की राष्ट्रीय आय की आय विविध देशों की राष्ट्रीय आय से तुलना करके हम यह अनुमान लगाते हैं कि हमारा विकास अन्तर्राष्ट्रीय तुलना ( international comparison ) के आधार पर कितना हुआ है।

किसी देश की विभिन्न अवधि में राष्ट्रीय आय की तुलना करके यह जात किया जाता है कि हमारा रक्त-सहन के स्तर ( standard of living ) में कितना परिवर्तन हुआ है।

इन समकों से देश की आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो देश प्रगति के पथ पर प्रगति द्वारा होता हुआ सगता है। प्रत्येक देश में आजकल सरकार कल्याण कारी राज्य की स्थापना करने के लिए प्रयत्न करती है। देशवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना भी सुरक्षार का ही काय समझा जाता है। इसके लिए सरकार दो तरक्कर नीति ( fiscal policy ) वर नीति ( taxation policy ) तथा मन्त्र नीतियां राष्ट्रीय आय के आधार पर ही तय करने पड़ती हैं। सरकार का कार्य वैयन राष्ट्रीय आय ही बढ़ाना तभी है वरद उसका समुचित वितरण ( equitable distribution ) करना भी है। यदि बड़ी हुई आय कुछ घोड़े से व्यक्तियों के पास ही एकत्र हो जाए तो सारा प्रयोग्यन बिल्कुल हो जाना है। ऐसे व्यक्तियों पर अधिक वर लगाने होते हैं। बड़ती हुई जनसंख्या इसी देश की प्रगति में बाधक हो सकती है। यदि राष्ट्रीय आय की वृद्धि को बढ़ानी हुई जनसंख्या बढ़ावर वरदे तो

रहने-सहन के स्तर में कोई भी सुधार नहीं हो सकता। प्रत्येक समाजवादी सरकार का कठबूद्धि है कि राज्य वा प्रत्येक भाग बराबर रूप से विकास करे। राष्ट्रीय आय का चेत्रीय अनुभान लगाकर यह आका जा सकता है कि किस भाग में विकास के अधिक प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक विकास ( economic growth ) की विभिन्न समस्याओं जैसे उपभोक्ता व्यय का स्वरूप ( pattern of consumer expenditure ), वचत की दर, पूँजी निर्माण ( capital formation ) आदि में राष्ट्रीय आय के सम कों की आवश्यकता होती है। भावी योजनाएँ बनाने में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के रूप में सब विचार किए जाते हैं। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति विना राष्ट्रीय आय की वृद्धि के रूप में सोचे, नहीं की जा सकती।

**राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की रीतिया ( Methods of estimating national income )**

राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की निम्न मुख्य रीतियाँ हैं—

१. उत्पाद गणना रीति ( Census of products method )
२. आय गणना रीति ( Census of incomes method )
३. व्यय गणना रीति ( Census of expenditure method )
४. सामाजिक लेखा रीति ( Social Accounting method )

१ उत्पाद गणना रीति ( Census of Products Method )—

उत्पाद गणना रीति, जिसे सुची गणना रीति ( Inventory method ), शुद्ध उत्पादन रीति ( Net output method ) या वस्तु-सेवा रीति ( Commodity service method ) भी कहते हैं, में एक निश्चित अवधि में वेश्य के समस्त उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है। यह आय सकल राष्ट्रीय आय (gross national income) कहलाती है। इसमें से ह्रास (depreciation) और पुनर्स्थापन की लागत ( replacement cost ) घटाने से शुद्ध राष्ट्रीय आय ( net national income ) प्राप्त होती है।

इसी रीति में समस्त उत्पादों एवं सेवाओं को विभिन्न व्यवसायों में वर्गीकृत कर दिया जाता है, जैसे कृषि, स्थान, व्यवसाय, यातायात, बन, महली, उद्योग प्रबंध, बीमा, बैंक-आदि। इन व्यवसायों में उत्पादा की गणना दुहरी गणना का व्याप रखे हए, करली जाती है। इस आय में निम्नलिखित आय भी जोड़ी जाती है—

ध—देश में उत्पादित एवं आयान विए गए भान के निए यानायात तथा वित्त सम्पादनों द्वारा की गई सेवाओं का मूल्य।

मा—कुल भायान का मूल्य।

इ—मायान पर सीमा शुल्क (customs duty) एवं देश में उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन वर (excise duty)।

ई—समस्त भवनों के बार्यिक किराएँ चाहे उनमें किराएँ रहते हों या मालिक।

उ—सभी प्रदृष्टि की व्यक्तिगत सेवाओं का मूल्य।

ऋ—विदेश में देश की जमा पूँजी में वृद्धि।

उपरोक्त के कुल योग में से निम्नलिखित को घटाया जाता है—

अ—निर्यात का मूल्य।

आ—विदेशियों की देश में जमा पूँजी में वृद्धि।

इ—देश में उत्पादन विए गए माल में लगाए गए कर्जे माल का मूल्य।

ई—हास एवं प्रति स्थान लागत।

राष्ट्रीय आय का अनुमान करने में यह रीति अधिक प्रचलित है। लेकिन भारत दर्पण में शाक-सब्जी, फल, दूध, कुटीर उदाग एवं स्थानीय बाजार की वस्तुओं के पूरे आकड़े उपलब्ध नहीं होने हैं।

आय गणना रीति (Census of Incomes Method)—

आय गणना रीति वे अलगाव एक निश्चित प्रदर्शि (वप्प) में किसी देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आय की गणना करती जाती है। इस रीति में निम्न आय को जोड़ना आवश्यक है—

अ—देश के प्रत्येक नागरिक की किसी भी स्रोत से प्राप्त दृव्य आय (money income)

आ—देश में उत्पादित उन सब वस्तुओं का बाजार भाव पर मूल्य किन्हे उपयोग के बाय में लेलिया गया है।

इ—वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में ग्रान्त सुविधाओं का मौद्रिक मूल्यांकन, जैसे सहेज या कपड़े की सुविधा, निश्चक मकान, विद्युत, ईंधन आदि की सुविधा।

ई—स्वयं मकान मालिक द्वारा काम में लिए गए भवनों के बार्यिक किराये का मूल्यांकन।

उ—सरकार की सीमा शुल्क कर, उत्पादन वर, टिकटो (Stamps), स्थानीय वर आदि से आय।

ऋ—व्यक्तियों एवं प्रमणहालों की सकल आय (gross income) अर्थात् आय वर देने से पूर्व की आय।

उपरोक्त के योग में से निम्नलिखित को घटाया आवश्यक है—

अ—किसी व्यक्ति ने द्वारा दिया गया व्याज।

आ—सरकारी व्युत्तर पर व्याज एवं कर्मचारियों की पेनशन ।

इस रीति में प्रत्येक व्यक्ति की आपेक्षात् करना कठिन होता है अन्यथा यह रीति भी सरल है। इस रीति में दोहरी गणना का इतना डर नहीं उहता।

### व्यय गणना रीति (Census of Expenditure Method) —

इस रीति में किसी वय में अन्तिम उपभोग (final consumption) पर व्यय एवं बचत (विनियोजित या सत्तित) को जोड़ कर राष्ट्रीय आय का अनुमान निकाला जाता है। निम्न तीन मद्दों को जोड़ा जाता है—

अ—अन्तिम उपभोग पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय

आ—विनियोग (investments) —

(i) देश में (domestic)

(ii) विदेश में (foreign)

ई—संचय (hoarding)

इस रीति में सध्य सम्बन्धी समंक प्राप्त करना कठिन होता है अतः भारत देश में यह रीति आय का ठीक अनुमान करने के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती।

### सामाजिक लेखा रीति (Social Accounting Method)

इस रीति में नागरिकों के लेन-देन (transactions) का एवं लेखाओं का अध्ययन किया जाना है। लेन देनों को कई बारों में विभाजित कर लिया जाता है। प्रत्येक बारे की प्राप्ति एवं शोधन (receipts and payments) को जोड़ कर सारे देश की आय मालूम करली जाती है। भारत जैसे देश में जहाँ साक्षरता केवल २४ प्रतिशत है, आय एवं भुगतान के बारे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नहीं रखे जाते। अतः यह रीति यहाँ सफल नहीं हो सकती। इस रीति के जन्मदाता केम्ब्रिज के प्रोफेसर रिचार्ड स्टोन हैं। राष्ट्रीय आय समिति ने १९४८-४९ में सामाजिक लेखा बनाने वा एक सरल सा प्रयत्न विद्या था। लेकिन समिति ने अपने अन्तिम प्रतिवेदन (१९५४) में राय प्रकट की कि भारत में सामाजिक लेखा रीति से राष्ट्रीय आय अनुमान करने के लिए आवश्यक समक उपलब्ध नहीं है। C. S. O. की राष्ट्रीय आय इकाई (N. I. U.) ने इस दिशा में प्रयत्न करना शुरू कर दिए हैं।

अमेरिका, द्वितीय व यूरोप के कई देशों में समंक उपलब्ध होने के कारण एवं नागरिकों के रिटिट होने के कारण उपरोक्त प्रत्येक रीति से असम-समग्र आय का अनुमान किया जाता है। विशेष रूप से प्रबन्ध दो रीतियों से तो आजानी से वहा आय वा अनुमान अलग-अलग लगा कर प्राप्त आय समझो की तुलना भी जानी है।

## भारत की राष्ट्रीय भाष्य के अनुमान में कठिनाइयाँ —

हमारे देश की राष्ट्रीय भाष्य के अनुमान करने में कई विशेष समस्याएँ हैं—प्रथम, हमारे यहाँ सब प्रकार के बाहिन समक उपलब्ध नहीं हैं। समक अशुद्ध एवं अपुरा है। औद्योगिक एवं कृषि के उत्पादन और विशेष रूप से उत्पादन लागत ( cost of production ) के आकड़ा को तो बहुत ही कमी है। फल, कुटीर उद्योग, दूध, मास, शाकमूली एवं अन्य सावधान पदार्थों के समक संतोषप्रद एवं विश्वसनीय नहीं हैं। १९४६ से औद्योगिक समक एवं १९५० से कृषि समक एकत्र करने के दियाँ में काफी प्रयत्न किए गए हैं। स्थिति में अब सुवार अवश्य हमा है लेकिन अब भी सुद प्रकार के बाहिन समक प्राप्य नहीं हैं।

दूसरे, भारतीय जनता की उदासीनता, अज्ञानता एवं अशिक्षितता ठीक एवं पर्याप्त समक प्राप्त करने में बहुत वाढ़क है। भाष्य सम्बन्धी आँकड़ों को हमारे देश के नागरिक, जिनमें ८२ प्रतिशत ग्रामी में रहते हैं, कई अधिविवासी के कारण ठीक-ठीक नहीं बनते। यहाँ के लोग समको के महत्व को भी नहीं समझते। कई लोग अशिक्षित होने के कारण अपनी भाष्य का ठीक ठीक अनुमान भी नहीं लगा सकते।

तीसरे, भारत की अर्थ व्यवस्था की यह एक विशेषता है कि यहाँ विभिन्न लोगों के व्यवसायों में स्थिरता नहीं है। पेड़ोवार विभाजन नहीं है। कभी कोई एक व्यवसाय करता है तो कुछ समय बाद उसे छोड़ कर दूसरा व्यवसाय करने लगता है। मुख्य रूप से कायशील बग में फसल बुवाइ और कटाई के समय तो मजदूर गावों में मजदूरी करते हैं व कदम न होने पर शहरों में जाकर मिलो या फैक्ट्रियों में अमिकों का कर्म करने लगते हैं जब गाव में मजदूरी मिलने लगती है तो वापिस गावों में आ बसते हैं। राष्ट्रीय भाष्य का विभिन्न व्यवसायों के हिसाब से अनुमान करने में यह समस्या भारी कठिनाई उपस्थित करती है।

चौथे, वस्तु विनिमय व्यवस्था ( barter economy ) भी भाष्य के अनुमान करने में वाधक है। हमारे देश में ७० प्रतिशत जनता कृषि करती है व ८२ प्रतिशत गावों में रहती है। गावों में कई बार वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है न कि नकद। वस्तु के इप में किए हुए मुद्रातान का मोर्दिक मुमकन ठीक-ठीक नहीं हो पाता है।

पाचवें, भारत एक विशाल देश है जिसमें विविधता बहुत अधिक है। बगाल और उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास एवं केरल में खान पान रहन सहन, भूषा, रीति इत्याज भलग अवश्य हैं। इसके कारण समान आधार पर भाष्य का अनुमान बनाना कठिन है। एक देश के एकत्र समक दूसरे देश में प्रयोग में नहीं लाये जा सकते। प्रत्येक देश के लिए वहाँ की विशेषताओं का ध्यान रखकर समक एकत्र करने होते हैं। समस्त देश के लिए

कोई एक औसत लागू नहीं किया जा सकता, जैसे औसत उपज, औसत माय, औसत व्यय भिन्न राज्यों एवं देशों के लिये अलग अलग हैं।

दुष्टे, लोगों वी आय, विनियोग, सब्ज़ी, पूँजी आदि के नियमित शाकड़ों का अभाव है, अतः आवश्यकता होन पर अनुमान ही करना पड़ता है। देश को बहुत सी जलादित वस्तुएँ तो निकटतम बाजार में भी नहीं आती। उनका वही उपभोग हो जाता है या गांव में ही उन्हे बेच दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सेवाप्रदों का समाव एवं उचित आवाह पर मूल्याकृत नहीं होता। विशेष रूप से घरेलू कर्म करने वाले नौकरों की आय ही कई बार छोटे रूप से भोदिक मूल्याकृत नहीं होता है। अक्सर इन नौकरों को पारिश्रमिक प्रकार में दिया जाता है, सम्पूर्ण नकद में नहीं जैसे भोजन, कपड़ा, निवास स्थान आदि।

### भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान

भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान पिछले १०० वर्षों से बिए जा रहे हैं। लेकिन युह के अनुमान तो केवल अनुमान मात्र ही थे। अनुमान कर्ता निजी व्यक्ति द्वाते थे। उनको सरकारी आकड़े, जो कुछ भी उस समय प्राप्त थे, उपलब्ध नहीं होते थे। अतः अनुमानों में भारी पहचानपूर्ण विभ्रम होती थी। त्रिटिश भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहिला अनुमान ददा भाई नौरोजी ने लगाया। नीचे स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व त्रिटिश भारत के कुछ निजी अनुमान दिये जाते हैं—

नाम	वर्ष	प्रति व्यक्ति आय
१. दादा भाई नौरोजी	१८६७-६८	२०
२. ब्रोमर व वारदर	१८८१	२७
३. लाड़ कर्जन	१८६६	३०
४. डिन्ही	१८८६	१८ रु० ६ आने
५. फिल्डले शिराज	१८९१	८०
६. वाडिया और जोरी	१८९४	४४ रु० ५ आने ६ पाई
७. शाह व सम्मठ	१८२१-२२	६७
८. डा० राव	१८२५-२६	७६
९. डा० राव	१८३१-३२	६५
१०. डा० राव	१८४२-४३	११४

उपरोक्त अनुमानों में केवल डा० राव के डारा किये गये अनुमान भूक्तिक वैतानिक, विश्वसनीय एवं सबसे ठीक थे। डा० राव ने उत्पाद गणना रोति एवं भाव गणना रोति

दोनों को ही एक साथ योग करके आय का अनुमान किया। वैसे डा० राव को भी कई स्रोतों से अनुमान करने में, सबधित आकड़े उपलब्ध न होने—के कारण, केवल अनुमान मात्र ही करना पड़ा।

राष्ट्रीय आय का अनुमान करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त बातें रोबर्ट-सन समिति ने १९३४ में निम्न सुझाव दिए थे—

(१) समिति की राय थी कि पूर्ण आकड़े प्राप्त नहीं होने के कारण किसी एक रीत से भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यानि उत्पाद गणना एवं आय गणना, दोनों रीतियों का एक साथ प्रयोग करके राष्ट्रीय आय का अनुमान करना चाहिए।

समिति ने जात के जेत्रों को निम्न दो वर्गों में विभाजित किया—(म)—ग्रामीण मर्वेंचाण एवं (ब) शहरी सर्वेंचाण। ग्रामीण जेत्रों का सर्वेंचाण करने के लिए समिति ने भारत के ५,६०,००० गांवों में से देव निदर्शन बोर्ड से १६५० गांव चुनने वाला सुझाव दिया। शहरी जेत्रों में विश्व विद्यालयों एवं अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा निदर्शन सर्वेंचाण करने को कहा।

समिति की तिकारियों को तत्कालीन भारत सरकार ने कार्य रूप नहीं दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने योजना में राष्ट्रीय आय के महत्त्व वा समझते हुए अगस्त १९४६ में भारतीय सांख्यिकी संस्था, ( Indian Statistical Institute ) कलकत्ता के सचिवालय प्रो० पी० सी० महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति ( National Income Committee ) बनाई जिसके गोपनीय शोध संस्था पूना के सचिवालय प्रो० डी० प्रार० गाडगील व आयोजना आयोग के सदस्य डा० वी० के० आर० वी० राव, अन्य सदस्य थे। इस समिति को निम्न कार्य सौंपा गया—  
(१९४८)

अ. राष्ट्रीय आय से सबधित एक प्रतिवेदन तयार करना।

आ. उपलब्ध समको में सुधार एवं अन्य वाढ़नीय समुको का एकत्र करने वा सुझाव देना।

ई. राष्ट्रीय आय के जेत्र में शोध के उपाय सुझाना।

इस काय के लिए निम्न विदेशी विशेषज्ञों को सनाहकार के रूप में आमन्त्रित विया—

१—प्रोफेसर साईमन कुन्जनेट्स ( Prof Simon Kuznets, Ph. D )  
पर्सिस्नेवेनिया विश्वविद्यालय।

२—श्री स्टोन ( Mr. J. R. N. Stone, C. B. E ), केम्बिज विश्वविद्यालय ।

३—डॉ. डर्कसन ( Dr. J. B. D. Derksen, Ph. D. ) संयुक्त राष्ट्र संस्थिकी विभाग, न्यूयार्क ।

इन दिशेपत्रों ने २६ दिसम्बर १९५० और २३ जनवरी १९५१ के बीच १७ सभाओं में भाग लिया । समिति का प्रारम्भिक ( preliminary ) प्रतिवेदन १५ अप्रैल १९५१ को तैयार किया गया और स्थानिक ( final ) प्रतिवेदन करवरी १९५४ में सख्तार को पेश किया गया ।

✓ समिति ने आय के साधनों को उद्योगानुसार निम्न चार वर्ग एवं १४ उपवर्गों में वर्गीकृत किया—

क—कृषि—

- ( १ ) कृषि, पशुपालन और तत्सम्बन्धी कार्य
- ( २ ) वन उद्योग
- ( ३ ) मत्स्य उद्योग

ख—खनन, निर्माण एवं हस्त शिल्प—

- ( १ ) खनन
- ( २ ) निर्माणिया
- ( ३ ) छोटे उद्योग

ग—वाणिज्य, परिवहन और सचार

- ( १ ) संचार, ( Communications ) डाक, तार व टेलीफोन
- ( २ ) रेलवे
- ( ३ ) सागठित अधिकोपण ( बैंक ) एवं बीमा
- ( ४ ) शन्य वाणिज्य और परिवहन

घ—ग्रन्थ सेवाएँ—

- ( १ ) व्यवसाय एवं संस्कारी कलाएँ ( professions and liberal arts )
- ( २ ) सरकारी सेवाएँ—प्रशासनिक
- ( ३ ) घृह सेवाएँ—( domestic services )
- ( ४ ) घृह सम्पत्ति—( house property )

समिति ने भी राष्ट्रीय आय के अनुमान में दोनों रीतिया—उत्पाद गणना रीति एवं आय गणना रीति—का प्रयोग किया है क्योंकि किसी भी एक रीति से आय का अनुमान करने के लिए आवश्यक समक उपलब्ध नहीं थे। फिर भी राष्ट्रीय न्यादर्श इवी-च्चण ( N. S. S ) के विविध दोरों में एकत्र समक, निदर्शन रीति से एकत्र औद्योगिक समक, प्रथम कृषि-धर्मिक जाति समिति का प्रतिवेदन, जन गणना, १९५१ एवं अम-च्यूरो द्वारा एकत्र समक उपलब्ध होने के कारण आय का अनुमान करना अधिक सहज होगया था। समिति ने उत्पाद-गणना रीति का प्रयोग निम्न उद्योगों से आय प्राप्त करने के लिए निया—

उद्योग, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं बन, खनिज उद्योग। इन उद्योगों का कुल उत्पादन मालूम किया गया।

आय गणना रीति का निम्न साधनों से आय प्राप्त करने के लिए किया गया—

यानायान, व्यापार, सरकारी व प्रशासनिक अन्य सेवाएं, कलाप्रो व मन्त्र व्यवसायों एवं धरेतू सेवाएं।

शहरों में भवनों की आम का अनुमान गृह कर के आधार पर लगाया गया और गावों में औसत किराए योग्य मूल्य के आधार पर। इसमें भवनों ( निवास स्थानों ) की आय को जोड़ा गया। विदेशी में भारत के नागरिकों की आय को भी जोड़ा गया व विदेशियों की मारन में आय को घटाया गया।

इन सबका योग राष्ट्रीय आय होता है।

राष्ट्रीय आय समिति दो भी कृषि की लागत, कुटीर एवं लधु उद्योग, शाक-सब्ज़ी, फल व दूध से आय, कम आमदनी वाले व्यक्तियों की आय वा अनुसान मात्र ही लगाना पड़ा है क्योंकि तत्त्वविधित समक खुल्हे रूप में उपलब्ध नहीं थे। व्यापार में बात करने वाले कुल व्यक्तियों को 'मनाधित करा' ( independent workers ) और नोवर ( employees ) दो थे जिन्होंने बाटा। अनाधित कर्ताओं की १९४८-४९ की औसत आय १९५० रुपये तथा नोकर वी इसी वर्ष की औसत आय ७२५ रुपये माना है। यह पूर्ण समक उपलब्ध होने के अभाव में अनुमान मात्र है।

समिति ने १९४८-४९, १९४९-५० व १९५०-५१ के राष्ट्रीय आद के अनुमान तंथार किए। बाद के अनुमान राष्ट्रीय आय इकाई ( N. I. U. ) जो चब C. S. O. के अधीन है, में द्वारा प्रति वर्ष इवेत पत्र ( White Paper ) वे रूप में निरापेक्ष जाते हैं। निम्न तालिका में राष्ट्रीय आय के अनुमान दिए गए हैं।

## भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान

वर्ष	कुल आय (करोड़ रुपयों में)		प्रति व्यक्ति आय	
	चालू कीमतों के आधार पर	१९४८-४९ की कीमतों के आधार पर	चालू कीमतों के आधार पर	१९४८-४९ की कीमतों के आधार पर
१९४८-४९	८६५० ....	८६५० ....	२४६.६ ....	२४६.६
१९४९-५०	६०१० ....	८८२० ....	२५६.० ....	२५०.६
१९५०-५१	६५३० ....	८८५० ....	२६६.५ ....	२४७.५
१९५१-५२	६६७० ....	६१०० ....	२७४.२ ....	२५०.३
१९५२-५३	६८२० ....	६४६० ....	२६५.४ ....	२५५.७
१९५३-५४	१०४८० ....	१००३० ....	२७८.१ ....	२६६.२
१९५४-५५	६६१० ....	१०२८० ....	२५०.३ ....	२६७.८
१९५५-५६	६६५० ....	१०४८० ....	२५५.० ....	२६७.८
१९५६-५७	११३१० ....	११००० ....	२८३.३ ....	२७५.६
१९५७-५८	११३६० ....	१०८६० ....	२७६.६ ....	२६७.३
१९५८-५९	१२६०० ....	११९५० ....	३०३.० ....	२८०.१
१९५९-६०	१२६५० ....	११८६० ....	३०४.८ ....	२७६.२
१९६०-६१	१४१६० ....	१२७५० ....	३२६.२ ..	२८३.७
१९६१-६२	१४६३० ....	१३०२० ....	३२६.७ ..	२८३.४

प्रथम दो पंच वर्षीय योजनाओं की अवधि में ४०% राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई लेकिन जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण प्रति व्यक्ति आय में केवल १६% की ही वृद्धि हुई। तूतीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कृषि उत्पादन में गिरावट आने के कारण अनुमानित ६% वृद्धि होने के बजाय २.१% ही वृद्धि हुई लेकिन प्रति व्यक्ति आय में ०.३% की गिरावट आगई।

तीन पच वर्षीय योजनाओं के प्रथम वर्ष में औद्योगिक स्रोत के अनुसार राष्ट्रीय आय — — — — —

चालू कीमतों पर ( करोड़ रुपयों में )

	१९५१-५२	१९५६-५७	१९६१-६२
<b>कृषि</b>			
१. कृषि, पशु पालन और तत्सम्बन्धी वार्ष	४६१०	५३८०	६६६०
२. बन उद्योग	७०	८०	१२०
३. मर्यादा उद्योग	८०	६०	७०
<b>कुल</b>	<b>५०२०</b>	<b>५५२०</b>	<b>६८५०</b>
<b>खनन, निर्माण एवं हस्त-शिल्प</b>			
४. खनन	६०	१२०	१७०
५. निर्माणिया	६४०	६००	१४६०
६. छोटे उद्योग	६५०	६५०	११७०
<b>कुल</b>	<b>१६५०</b>	<b>२०००</b>	<b>२८००</b>
<b>वाणिज्य, परिवहन और संचार</b>			
७. सचार	४०	५०	५०
८. रेलवे	२१०	२८०	३८०
९. संगठित अधिकोपण एवं बीमा	८०	११०	१६०
१०. अन्य वाणिज्य और परिवहन	१४६०	१५२०	१८४०
<b>कुल</b>	<b>१७६०</b>	<b>१६६०</b>	<b>२४३०</b>
<b>अन्य सेवाएं</b>			
११. व्यवसाय एवं संस्कारी कलाएं	५००	५८०	७६०
१२. सरकारी सेवाएं-प्रशासनिक	४५०	६१०	१०२०
१३. शृंह सेवाएं	१४०	१५०	२१०
१४. शृंह सम्पत्ति	४१०	४८०	५५०
<b>कुल</b>	<b>१५००</b>	<b>१८३०</b>	<b>२५७०</b>
<b>साधन लागत पर कुल उत्पाद</b>	<b>६६६०</b>	<b>११३००</b>	<b>१४६६०</b>
विदेशों से शुद्ध भरित माय	— २०	+ १०	— ६०
साधन लागत पर कुल आय (राष्ट्रीय आय)	६६७०	११३१०	१४६३०
प्रति व्यक्ति आय (चालू कीमतों पर)	२७४२	२८३३	३२८७

निम्न तालिका में कुछ विकसित देशों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय के आकड़ों को भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय से तुलना करते पर जान होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति एवं रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा है—

देश	वर्ष	प्रति व्यक्ति आय (रु. में)
भारतवर्ष	१९६१-६२	३३०
जापान	१९५७	१,२००
फ्रान्स	१९५८	३,६२६
न्यूजीलैण्ड	१९५८	४,६८८
इंग्लैण्ड	१९५८	४,७११
आस्ट्रेलिया	१९५८	५,०२१
स्विटजरलैण्ड	१९५८	६,१३७
स्वेडन	१९५८	६,८७०
कनाडा	१९५८	७,११२
संयुक्त राज्य अमेरिका	१९५८	१०,६०१

नए अनुमानों के अनुसार अमेरिका की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय २५०० डॉलर या लगभग १२ ५०० रुपए है। लेकिन हमें महं नहीं भूलना चाहिए कि इन देशों में मूल्य स्तर भी हमारे देश से बही कंचा है।

राष्ट्रीय आय के आकड़ों से विभिन्न वर्ष निकालने से पूर्व हमें निम्न सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है—

राष्ट्रीय आय—राष्ट्रीय आय के आकड़ों के साथ-साथ हमें मूल्य के आकड़ों का भी ध्यान करना चाहिए। स्थानी मूल्य-स्तर के आधार पर राष्ट्रीय आय के आकड़ों की दृष्टस्फीति (deflate) करके वास्तविक राष्ट्रीय आय के आकड़े प्राप्त करना आवश्यक है। यदि राष्ट्रीय आय बढ़नी रहे और मूल्य-स्तर भी बढ़ता रहे तो वास्तविक प्रगति नहीं कही जा सकती। उदाहरणार्थ १९३१-३२ में हमारी प्रति-व्यक्ति राष्ट्रीय आय ६५ रुपए थी और १९६१-६२ में यह बढ़कर ३३० रुपए हो गई। इसका यह वर्णन लगाना भ्रामक होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति या रहन-सहन का स्तर पाच गुना अच्छा हो गया। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि मूल्य-स्तर कितना बढ़ा है तथा यह बढ़ी हुई आय सब व्यक्तियों में समान रूप से वितरित हुई है या कुछेक व्यक्तियों के हाथ में ही चली गई है। हमें देखते हैं कि पिछ्ने तीस वर्षों में हमारे देश में मूल्य अोसतन पाच गुने हो गए हैं और जनसंख्या भी २८ करोड़ से बढ़कर ४४ करोड़ हो गई है। वही हुई राष्ट्रीय आय भी कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही चली गई है। वास्तव में देश जाय तो उपरोक्त बारेंगों की बजह से हमारी आर्थिक स्थिति में विरोध परिवर्तन नहीं हुआ है।

प्र० २८७३। अलग अलग देशों में राष्ट्रीय आय को अनुमान करने वाली अलग-अलग विधि होती है। कहीं साधन लायत ( factor cost ) पर आय का अनुमान किया जाता है तो कहीं वाजार मूल्य ( factor prices ) पर भी अनुमान किया जा सकता है। समुक्त राष्ट्र सभ के साहियकी कार्यालय ने विश्व के ३६ विकसित देशों में राष्ट्रीय आय के अनुमान करने की विधियों का सर्वेक्षण किया है। यह प्रतिवेदन विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना करने में बहुत सहायक होता है।

कई अर्द्ध विकसित देशों में आवश्यक समक उपलब्ध नहीं होने के कारण कई सेतों से आय जात करने के लिए केवल मात्र अनुमान ही लगाने पड़ते हैं। हमारे देश में भी डा० राव व राष्ट्रीय आय समिति को अनुमान का छहारा लेना पड़ा था। इस प्रकार से प्राप्त आकड़ों की अन्य विकसित देशों के वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त आकड़ों से ठीक तुलना नहीं की जा सकती है। संख्या को संख्या से तुलना करना तब तक ठीक नहीं है जब तक तुलना का आधार समान नहीं हो।

तुलना करने समय यह भी आवश्यक है कि हम जहाँ तक सम्भव हो सके विश्व देशों की एक ही वर्ष की आय के मांकड़ों की तुलना करें।

३ भारत जैसे देश में मुख्य रूप से विभिन्न वर्षों की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने से पूर्व यह भी आवश्यक है कि देश के देशफल में तो अधिक अन्तर नहीं होता है। अहिले भारतवर्ष में वर्मा, पाकिस्तान, लका सब रासिल थे। घोरे-घोरे थे देश अलग होगए। बाद में भारत में पौंडिनेरी व गोपा के चेत्र मिल गए और पाकिस्तान अधिकृत भाजाद कर्मीर के चेत्र को हम हमारी जनसंख्या की गणना करने में शामिल नहीं कर पाते हैं। इन कारणों की बजह से राष्ट्रीय आय के आकड़ों में समायोजन करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय आय समिति ने राष्ट्रीय आय का ठीक अनुमान लगाने के लिए उपलब्ध पर को में सुधार एवं अन्य वास्तवीय समर्कों के एकत्र करने के निम्न मुख्य सुझाव दिए हैं।

१. लैनफल ( Area ) सब्दी समर्कों में सुधार करने के लिए सब बचे हुए देशों की पैमायश होनी चाहिए और प्राधिक सुधारा संस्थाएँ उन सब देशों में भी स्थापित करने चाहिए जहाँ ऐसा प्रबन्ध मही है। सोमात की राय में यह कार्य माल विभाग ( Revenue department ) के कर्मचारियों के हारा ही किया जाना चाहिए क्योंकि उनके अतिरिक्त किसी दूसरी विभाग के कर्मचारियों को गाव के सम्बन्ध में इतनी जानकारी नहीं होती है। समिति ने सुझाव दिया है कि माल-विभाग के कर्मचारियों पर कार्य मार अधिक होने के कारण उनसे प्रति वर्ष कुछ देश के भाग के लैनफल-समर्क एकत्र करवाए जाए। इस तरह से पाव वर्ष में कुल चेत्र के विस्तृत एवं विस्तृत वास्तवीय

समंक एकत्र हो जाएगे। उपज (yield) के समंकों में सुधार करने के लिए निर्दर्शन रीति से फ़सल-कटाई प्रयोग करके समक एकत्र किए जाने चाहिए।

२. उपभोक्ता मूल्य, वेरोजगारी एवं मजदूरी सम्बन्धी समंक केन्टरियो से थम ब्यूरो (Labour Bureau) को ही स्थायी रूप से एकत्र करने चाहिए।

३. बिक्री कर (sales) सम्बन्धी समंकों में एक रूपता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि यथ्य सरकारों से बिक्री कर के एक से समक प्राप्त करने के लिए सब राज्यों में दुकानों एवं वस्तुओं का एकत्र ही बर्गांकरण किया जाय।

४. आय कर (income tax) के अंकड़ों की व्याप्ति (coverage) और प्रस्तुतीकरण में सुधार करना आवश्यक है। कर बचाने की प्रवृत्ति को कम करने तथा कर निर्धारण करने व शोधन करने में समय विलम्बन (lag) को कम करने के प्रयत्न करने चाहिए। बजाय कर योग्य आय (taxable income) के समंकों के कुल आय (total income) के समक प्रस्तुत करने चाहिए।

५. राष्ट्रीय आय इकाई (N. I. U.) को स्थायी बना देना चाहिए और इंगलैण्ड की तरह इस "इकाई" को राष्ट्रीय आय का प्रति वर्ष एक श्वेत पत्र (White paper) निकालना चाहिए।

६. राष्ट्रीय आय सम्बन्धी तकनीकी मामलों में सलाह देने के लिए एक विरोपण समिति का गठन किया जाना चाहिए जो समय-समय पर आवश्यक सलाह दे सके।

७. राष्ट्रीय आय के अनुमान सम्बन्धी समस्याओं में राष्ट्रीय आय इकाई (N. I. U.) द्वारा निरलत शोब कार्य होना चाहिए। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं, विद्यविद्यालयों में घनुसन्धान एवं गवेषणा कार्य किया जाना चाहिए। एक "राष्ट्रीय आय सभा" (National Income Conference) का तत्काल ही गठन किया जाना चाहिए ताकि समय समय पर विविध शोब कर्ता अपनो राय एवं विचारों का आद्वान प्रदान कर सकें।

उपरोक्त सब सुझावों को कार्य रूप दे दिया गया है। राष्ट्रीय आय के अनुमान सम्बन्धी विविध समस्याओं में तकनीकी मामलों पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन कर दिया है जिसके सदस्य प्रो० महालनोवित, डा० राव व डा० गाड्गील हैं। कृपय उपज, चेतावन, बिक्रीकर, आयकर, मूल्य एवं मजदूरी आदि के समंकों को एकत्र करने में सुधार करने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं।

धन संकेन्द्रण समिति (Wealth Concentration Committee) पीछे दत्तात्रा जा चुका है कि भार्यक प्रगति के भाष्यन के लिए राष्ट्रीय आय

मुचक ( National Income Indicators ) एक महत्व पूर्ण साबंत है। ज्यों-  
ज्यों राष्ट्रीय आय बढ़ती है यह अनुमान लगाया जाता है कि रहन-सहन के स्तर में  
बढ़ि हो उँही है। लेकिन यह आवश्यक है कि वहाँ हर्दि आय का सब बारों में समान  
वितरण हो और जनसंख्या में भी बढ़ि अनुचित न हो। पिछले दो पंच वर्षों योजना  
काल में हमारी आय में ४० % की वृद्धि हुई लेकिन दुध व्यक्तियों की आय में  
इसका समान वितरण नहीं हुआ। प्रवान मर्दों द्वारा नेहरू के लोन सभा में दिये गये  
विश्वास के फलस्वरूप अक्टूबर १९६० में प्रो० महालनोबिस की अध्यतता में घन  
मंकेन्द्रण ( wealth concentration ) का अव्ययन करने के लिए एक समिति  
का गठन किया गया जिसके अन्य सदस्य डा० पी. एस. लोकनाथन, डा० वी. के. आर. वी.  
राव, प्रो० गगुली, श्री विष्णु सहाय, डा० वी. के. मदन, श्री वी. एन. दाता व  
धी वी. सी. मेठू थे।

भमिति ने विविध शोध मस्थानों पर अन्य स्रोतों से विस्तृत आवड़े एकत्र करके प्रारम्भिक प्रतिवेदन १६६२ के मध्य में सरकार को पेश कर दिया है लेकिन अन्तिम प्रतिवेदन कुछ कारणों से अब तक पेश नहीं किया गया है।

समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन के अनुसार नोकरी करने वाली जनसमूहों में १६५१ में १६६१ के बीच दस वर्षों में कुल आय में ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन इस अवधि के बीच सूखों में १६ प्रतिशत की वृद्धि हो जाने के कारण वास्तविक कुल आय केवल २१ प्रतिशत ही बढ़ी। समिति ने विविध वर्गों की आय में वृद्धि का भी अध्ययन किया है और निम्न निष्पत्ति प्राप्त विए हैं—

- |  |    |
|--|----|
| १. कोदले की खानों में बार्य करने वाले श्रमिक                 | ७६ |
| २. बारखानों में बार्य करने वाले श्रमिक                       | २० |
| ३. शिरक बग   | १८ |
| ४. रेलवे कर्मचारी  | ८  |
| ५. कुराल ग्रामीण श्रमिक                                      | १५ |
| ६. कोयले के अतिरिक्त प्रत्य खानों में बार्य करने वाले श्रमिक | १४ |

पिछले दस वर्षों ( १९५१-१९६१ ) की अवधि में वास्तविक आय में सबसे नम वृद्धि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों वी हुई है जो वेवल १ प्रतिशत है ।

गमिनि की राय में भीमेन्ट और इसायनिक ( बारनिश व लेप थोड़वर ) उद्योगों  
में स्थामित्व में जारी सत्रेन्द्रगण हुआ है। भीमेन्ट उद्योग में केवल एक वर्ग बुल देख के  
उत्पादन के ४५ प्रतिशत पद नियन्त्रण करता है। इसायनिक उद्योग में बुद्ध घनी वर्ग बुल

उत्तराधिन के ३० प्रतिशत पर निवंत्रण करने हैं। चीनी और बनस्पति उच्चोग के स्वामित्व में बोई दृष्टि नहीं हुई है।

समिति की राय है कि इन दस वर्षों में जन मध्या के प्रत्येक वर्ष की वास्तविक आय में कुछ न कुछ वृद्धि घटरह दृष्टि हुई है लेकिन दृष्टि-अभिको की आय में १४% प्रतिशत की गिरावट आई है।

प्रामोण केन्द्रों में अब भी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय शहरी केन्द्रों के मुकाबले में बाढ़ों कम है। देश की ८३ प्रतिशत प्रामोण केन्द्रों में रहने वाली जनता कुल राष्ट्रीय आय का ७० प्रतिशत ही प्राप्त करती है जब कि शहरों में रहने वाली १७ प्रतिशत जनता ही कुल आय का ३० प्रतिशत सेव लेती है।

समिति की राय है कि किसी भी देश में जहाँ भारी भौद्योगिकरण करने की योजना चल रही हो शुरू के कुछ वर्षों में कुछ सकेन्द्रण होना स्वाभाविक ही नहीं बल्कि योजनाओं से पूर्ण लाभ उठाने के लिए आवश्यक भी है।

### राष्ट्रीय आय में शोध (Research in National Income) -

रिक्टेले दस वर्षों में, मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय समिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात, राष्ट्रीय आय में दहुन शोध कार्य हुआ है।

१— १९५७ में केन्द्रीय साम्यकीय संगठन (C. S. O.) ने राष्ट्रीय आय के केन्द्र में कार्य करने वाले—सरकारी एवं गैर-सरकारी—कर्ताओं को मिलाकर “राष्ट्रीय आय की भारतीय शोध समा” ( Indian Conference on Research in National Income ) को स्थापना की। इस सभा ने इस तक राष्ट्रीय आय के निम्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया है—

क—राष्ट्रीय आय का भौद्योगिक विषयन (industrial breakup)

ख—विकास (growth)

ग—निजी उपभोग (private consumption)

घ—देशीय आय (regional income)

ड—आय-वर्गों के भनवार राष्ट्रीय आय का विभाजन ('size distribution of income')

२— राष्ट्रीय आय के अनुमानों में सुधार करने की इच्छा से केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, विश्व विद्यालयों, शोध संस्थाओं आदि में राष्ट्रीय आय सम्बंधी प्रकाशित या अप्रकाशित सूचना को एक अग्रह संकलित किया गया। परिणाम स्वरूप C. S. O. ने अपने प्रवारन “National Income Statistics—proposals for a revised series of national income estimates for 1955-56 to

1959-60" मेरे कई एकत्रित पत्र ( Papers ) प्रकाशित किए। इन मुझावों ( patro ) को राष्ट्रीय आय की सलाहकार समिति ने सकलीकी दिन्ह से जांचा। बाम्हई में नदमर १६६१ मेरे "राष्ट्रीय आय भारतीय शोध सभा" के तत्वावधान में हुए विशेष सम्मेलन ( special seminar ) में भी इन पत्रों ( Paper ) पर लम्बे लम्बे विवाद किए गए।

३— N. S. S. के हारा विभिन्न दोरों में एकत्रित सामग्री का प्रयोग करके भारतीय साम्यकी संस्थान ( I. S. I. ), कलकत्ता ने राष्ट्रीय आय के संडीय दोरों के प्राचार पर अनुमान ( sectoral estimates of national income ) करने को दिशा में स्वतन्त्र अध्ययन किया है।

४— सामाजिक लेखा रीति ( Social Accounting method ) के आधार पर राष्ट्रीय आय के लेखे ( national income accounts ) तैयार करने की दिशा मेरे C. S. O. ने कई अध्ययन शुरू किए हैं। हात ही मेरे C. S. O. ने पूँजी निर्भाग पर "Estimates of gross capital formation in India from 1948-49 to 1960-61" नाम का एक विस्तृत पत्र ( Paper ) तैयार किया है। सभीद्वा एवं आलोचना करने के हेतु इस प्रकार के कुल पत्रों ( Papers ) का एक सकलन विशेषज्ञों को व्यक्तिगत रूप से भेजा गया।

५— पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय आय ( regional income ) के अनुमान करने के विषय ने भी बहुत महत्व प्राप्त कर लिया है फलस्वरूप C. S. O. ने राज्यों की आय ( state incomes ) के अनुमान करने मेरे समान व एकसी विविधों को साझा करने के प्रमाप निर्धारित करने के लिए एक अध्ययन समिति बनाई है। इन प्रमापों के प्राप्तार पर विविध राज्य सरकारें स्वतन्त्र रूप से अपने राज्य की वार्षिक आय एवं प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कर सकेंगी।

६— रिजर्व बैंक व National Council of Applied Economic Research ने डा० लोकनाथन की प्रबन्धना में इस सम्बन्ध मेरे कई अध्ययन किए हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होना है कि राष्ट्रीय आय की विविध समस्याओं को सेकर C. S. O. ने काफी शोध कर्य किया है। किसी भी देश को अपनी आर्थिक प्रगति का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए असांग-असांग रीतियोंसे राष्ट्रीय आय का टीका अनुमान बरना प्रावधार्यक है। राष्ट्र की दृष्टिकोणी प्रगति को जानने के लिए राष्ट्रीय आय ना तरह-तरह से-चेतीय ( regional ), संडीय ( sectoral ), शैयोगिक ( industrial ) आदि-अनुमान करना पड़ता है।

## अध्याय ६

# राष्ट्रीय न्यादर्श अधीक्षण

- ( National Sample Survey )

पिछले अध्यायों में हम यह पढ़ सुके हैं कि हमारे देश में समक्क बहुत ही अपर्याप्त, दोष पूर्ण एवं अधूरे थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्, विविध योजनाओं के लिए समक्क के अत्यधिक महत्व को देखते हुए, इस भारी कमी को हटाने के लिए प्रवान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू के सकेत पर बेंद्रीय मन्त्रिमण्डल के सामिकी सलाहकार एवं भारतीय सामिकी भास्थान, कलकत्ता के सचालक प्रो० महालनोबिस ने सम्पूर्ण भारत का निदर्शन रीति से सर्वेक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यादर्श अधीक्षण ( National Sample Survey —N S S ) की योजना बनाई जो भारत सरकार द्वारा जनवरी १९५० में स्वीकृत कर ली गई। तदनुसार विन मन्त्रालय के अन्तर्गत इसी वर्ष एक राष्ट्रीय न्यादर्श अधीक्षण निदेशालय ( Directorate of National Sample Survey ) की स्थापना की गई जिसका मुख्य कार्य निदर्शन रीति के माध्यर पर आधोगिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं सम्बन्धी समक्क सम्प्रभुता करना है।

हम प्रथम अध्याय में पढ़ सुके हैं कि सबसे पहिले १९३४ में बाउले रोबर्ट्सन समिति ने भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निदर्शन रीति से करने का ही मुम्भाव दिया या लेकिन तत्कालीन भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण मुम्भाव को कार्यान्वित करने में कोई रुचि नहीं दिखलाई। स्वतन्त्र भारत की सरकार ने तत्काल ही यह महमुस कर लिया कि भारत जैसे विशाल देश में निदर्शन रीति के आधार पर ही विविध सर्वेक्षण सफलता पूर्वक व आसानी से विए जा सकते हैं। पिछले १३ वर्षों में N S S न बहुत ही महत्वपूर्ण आकड़े एकत्र किए हैं।

अधीक्षण द्वारा मुचको से प्रत्यक्ष रीति के द्वारा सूचना एकत्र की जाती है। प्रत्येक जात करने वाल गणक को घर-घर जाना पड़ता है और मन्मन्यत व्यक्तियों से मुद्द-नाड़ कहनी पड़ती है। फलत हेत्रफल शाहिं के सम्बन्ध में जाक जर्ता आपने प्रत्यक्ष मनुमेव से तथा रेवेन्यू विभाग के व्यवाखियों वी सहजना लकड़ तथ्यकृत एकत्र करता है। अधीक्षण की विशेषता यह है कि इसमें कार्य करने वाले गणक, निरीक्षक एवं अधिकारीगण सरकार के स्वायत्त कर्मानी हैं और वर्ष कार्य करते हैं। १९५३ से N S S को C S O के अधीन कर दिया गया है।

**कार्य ( functions )—**N S S के मुख्य तीन कार्य हैं—

**अ—सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण ( socio-economic survey )**

**आ—प्रौद्योगिक समक एकत्र करना ( To collect industrial statistics )**

**इ—तकनीकी सलाह देना ( To give technical guidance )**

**अ—सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण—**वास्तव में N S S की स्थापना इसी प्रमुख कार्य के लिए हुई थी। N. S. S ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं व सम्बन्धित समक एकत्र करती है। इस सर्वेक्षण में निम्न प्रकार की सूचना संग्रहित की जाती है—

**क—परिवार ( Household )** को इकाई ( unit ) मान कर जन्म-मृत्यु समक (vital statistics), उपभोग का स्वरूप (pattern of consumption), पारिवारिक उद्योग ( household industries ), व्यवसाय ( occupation ) व अन्य इसी प्रकार की बहुत सी समस्याओं के समक एकत्र किए जाते हैं।

**ख—क्षेत्रफल ( field या plot )** को इकाई मान कर विभिन्न खाद्य ( food ) एवं व्यापारिक फसलों ( cash crops ) जैसे जूट, कपास, तिनहन आदि के चेत्र एवं उपज के अन्तिम अनुमान ( estimates ) लगाना।

**ग—गाव को इकाई मानकर फसल के दिनों में मजदूरी व मूल्य सम्बन्धी समक एकत्र करना।**

उपरोक्त सूचना को निम्न अनुसूचियों में इकट्ठा किया जाता है—

**गाव अनुसूची ( village schedule )—**इसके अन्तर्गत भूमि का प्रयोग, विभिन्न वस्तुओं के मूल्य एवं परिमाण, कुशल एवं अकुशल थर्मिकों की मजदूरी आदि के समक एकत्र किए जाते हैं।

**पारिवारिक अनुसूची—( प्रथम भाग )—**इसमें प्रार्थु लिंग, रोजगार, भूमि का विभाजन आदि के समक एकत्र किये जाते हैं।

**पारिवारिक अनुसूची ( द्वितीय भाग )—**इसमें विभिन्न परिवारों को उद्योग सम्बन्धी सूचना एकत्र वी जाती है, जैसे उद्योगों का विवरण, अबल सम्पत्ति, मरीन व भौजार, शक्ति ( power ), कच्चा माल, उत्पादन की भावा एवं मूल्य, पूँजी प्राप्ति के साधन आदि।

**पारिवारिक अनुसूची ( तृतीय भाग )—**इसमें विभिन्न वस्तुओं के उपभोग वी भावा व मूल्य सम्बन्धी सूचना एकत्र वी जाती है, जैसे भोजन, प्रकाश, किरणा, बपडा व अन्य।

न्यादर्श चुनने की रीति — सर्वेक्षण की रीति यह है कि सारा देश १५०

स्तरों (strata) में विभाजित कर दिया जाता है। प्रथम तीन जाचों में तो १००० गाव प्रत्येक रूप से ही चुन लिए गए थे लेकिन बाद की जाचों में प्रत्येक स्तर (stratum) में से २ तहसील (अर्थात् ५०० तहसील) और प्रत्येक तहसील में से २ गाव (अर्थात् १००० गाव) बहु-स्तरीय निकाश (Multi-stage Random Sampling) रीति से चुने जाते हैं।

प्रथम दौर (round) का विवरण—सस्या ने पहिने सर्वेक्षण में विशेष कारण से देश भर में से ११८३ गाव चुने व सर्वे काय अक्टूबर १९५० से मार्च १९५१ (६ माह) तक विधि । जाच के लिये ११८६ गाव तो भारतीय लास्टिकी सस्यान, कनकना (I S I) को और ६४४ गाव पूना के गोखने राजनीति एवं अर्थगास्त्र सस्या (Gokhale Institute of Politics and Economics, Poona) को सौंपे गये। I S I ने पूरे वर्ष भर की अवधि के नमक एकत्र किये लेकिन पूना की सस्या ने एक माह या एक दिन के ही। इसी मुद्द्य कारण पर दोनों सस्याओं के बीच सर्वेक्षण चलाने के आधारमूलत सिद्धान्तों में अन्तर आगया और आगे के सब दौर (rounds) I S I के द्वारा ही किये गये।

✓ सूचना एकत्र करने के लिए प्रत्येक गाव में से ८० परिवारों को चुना गया व इन से व्यवसाय (occupation) सम्बन्धी सूचना प्राप्त की गई। इन ८० परिवारों को कृषीय (agricultural) एवं अकृषीय (non-agricultural) दो उप स्तरों में विभाजित किया गया। दोनों उप-स्तरों में से ८८ परिवारों अर्थात् १६ परिवारों को चुना गया व इनकीटुम्हीय विस्तृत अध्ययन (detailed family study) किया गया। ८८ परिवारों के उप स्तर में से २ व अन्य ८६ अकृषीय परिवारों के उप स्तरों में से ३ परिवारों अर्थात् कुल ५ परिवारों को चुन कर इनमें घरेलू उद्योग घन्धों सम्बन्धी सूचना प्राप्त की गई। बचे हुये ६ कृषीय परिवारों के उप-स्तर में से एक तथा ५ अकृषीय परिवारों के उप-स्तर में से दो अर्थात् कुल तीन परिवारों को चुन कर उपभोक्ता व्यय (consumer expenditure) के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की गई।

दूसरा दौर अप्रैल १९५१ से जून १९५१ तक तथा तीसरा दौर अगस्त १९५१ से नवम्बर १९५१ तक किया गया। तीसरे सर्वेक्षण में नगरों को भी सम्मिलित किया गया। इसके पश्चात् चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, इस प्रकार से १८ दौर समाप्त किए जा चुके हैं। इन दौरों में घरेलू उद्योग, उपभोक्तान्यय, भूमि पारण एवं उपयोगिता, उपज, पर्याय, जन्म-मृत्यु, लघु उद्योग, रोजगारी, कृषि-अधिक (agricultural labour), राष्ट्रीय-पुस्तक ट्रस्ट (प्रायाम)—National Book Trust—प्रादि जीवन के हर पहलू—सामाजिक, आर्थिक, उद्योग, व्यवसाय—से संबंधित विषयों पर नमक सप्रहित किए गए हैं। उन्नीमवा दौर आजवन चाल रहा है।

I. S. I. कलकत्ता के कार्य सर्वेचाण की योजना तथा डिजाइन बनाना, बंगालियों की आदेश देना, अनुसूचिया तैयार करना, समकों वा सारणीयाएँ, बंगालियाएँ, विश्लेषण वरके प्रतिवेदन तैयार करने के थे। N. S. S. को वास्तविक देशीय कार्य व समक सग्रहण का कार्य दिया गया था। इस तरह से दोनों मिशनकर कार्य करते थे। परन्तु हाल ही में N. S. S. का सारा सर्वेचाण कार्य C. S. O. के अधीन वर दिया गया है। N. S. S. के द्वारा तैयार किए हए डिजाइन, अनुसूचिया आदि कार्य शुरू करने में पहले C. S. O. द्वारा जाती जाती है। विसी भी दौर को प्रतिवेदन प्रकाशित की जाने से पहले C. S. O. द्वारा देखी जाती है, अत N. S. S. अब स्वतन्त्र रूप से कोई भी समक एकत्र नहीं कर सकता, जब तक C. S. O. से स्वीकृति प्राप्त न करने।

N. S. S. के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों के साथियों निदेशालय भी मिलने-जुनने ( matching ) समक एकत्र करते थे लेकिन दोहरापन को रोकने के लिए व अन्य कारणों से १९५५ से समक एकत्रीकरण का एकीकृत कार्यक्रम ( Integrated Programme ) चालू किया गया है जिसमें N. S. S. व राज्य सरकार दोनों मिशनकर समक एकत्र करते हैं।

३- नियमित दौरों के प्रतिरिक्षण N. S. S. ने पिछले १३ वर्षों में समय-समय पर नियम तदर्थं सर्वेचाण भी किए हैं—

१-पुनर्वास मन्त्रालय की तथ्य-जात्र समिति के लिए बम्बई व प० बगाल में विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में सर्वेचाण।

२-सूचना मन्त्रालय एवं प्रेस आयोग के लिए अखबार पढ़ने की आदत जानने के लिए किया गया सर्वेचाण।

३-इह नियमण मन्त्रालय के द्वारा पर निवास समस्याओं का अध्ययन।

४-वित मन्त्रालय के कर जांच आयोग ( Taxation Enquiry Commission ) के लिए व्यवस्थाएँ से पारिवारिक उपभोग का सर्वेचाण।

५-योजना आयोग के लिए कलकत्ता म बेरोजगारी का सर्वेचाण।

६-थ्रम मन्त्रालय के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचक ( Consumer Price Index Number ) बनाने हेतु ५० केन्द्रों पर परिवारिक ग्राम-व्यवस्था जान ( Family Budget Enquiry ) भार बटन चित्र ( weighting diagram ) तैयार करने के उद्देश्य से की गई।

७-C. S. O. के लिए मन्त्रम जांग के जीवन सर सूचक तैयार करने के लिए ४५ केन्द्रों में ६००० परिवारों का अध्ययन किया गया।

८-संयुक्त राष्ट्र सभ और स्वारथ्य मन्त्रालय के लिए मैग्नर में जनसंख्या का जिया गया।

सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व N.S.S. निदेशक अध्ययन (pilot studies) भी करना है जिनके प्रतिवेदन I.S.L. द्वारा तैयार किए जाने हैं।

आ-ओद्योगिक समक एकत्र करना—N.S.S. १९५१ से नियर्सेंस पढ़ति पर केस्टरो अविनियम १९४८ के अन्तर्गत प्रबोहृत केस्टरियो के सबसे म-ओद्योगिक समक एकत्र करता है। साथ ही १९४८ में सगणना रोनि से उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्रालय का ओद्योगिक समक नियशालय (Directorate of Industrial Statistics) भी वार्षिक ओद्योगिक समक एकत्र करता था। इन दोनों सम्बन्धों के समको म तुलना का कोई आवार नहीं था व दोहरापन एवं अपन्यय को बचाने के लिए १९५८ में इन दोनों सम्बन्धों द्वारा ओद्योगिक समक संग्रहण का काय बन्द कर दिया गया। १९५९ से C.S.O. की दस रेख में N.S.S. समरणना एवं नियर्सेंस दोनों रिपोर्टों से ही ओद्योगिक समक एकत्र करता है जिन्हे वार्षिक ओद्योगिक सर्वोक्षण (Annual Survey of Industries—A.S.I.) में प्रकाशित किया जाता है। समक द्वारा अनुमूलिक भेजवर एकत्रित किए जाते हैं। अनुमूलिक देशीय कार्यालयों को भेजती जाती है और वे वार्षिक सूचना केस्टरियो से भरताकर सब अनुमूलिक को वापिस मुख्य कार्यालय को भिजवा देते हैं।

एक निदेशक योजना (pilot scheme) के रूप में १९६०-६१ से लघु दबोगों के द्वि-सर्वीस संग्रहण दी योजना भी चालू की गई है। शुरू म भारत के छे दडे शहरों—कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कानपुर व बैंगलार म-समक एकत्र किए जा रहे हैं। इस योजना में उन कारब्लानों की शामिल किया गया है जिनमें ५० से कम व्यक्ति (यदि शक्ति का प्रयोग होता हो) और १०० से कम व्यक्ति (यदि शक्ति का प्रयोग नहीं होता हो) काय करने हो। पुजी संरचना (capital structure), रोजगार (employment), उत्पादन (production) आदि से संबंधित समक एकत्र किए जाते हैं। यदि यह योजना सफल हो जावगी तो इसे सारे देश में लगू कर दिया जावेगा।

### इन्तेक्षणी की सलाह (Technical guidance)—

N.S.S. का तीसरा वार्षिक राज्य सरकारों को कृपि सबसे समक एकत्र करने में तकनीकी सहायता देना है। विभिन्न राज्यों में पहलवूरुण फसलों की पैदावार व सेवपत्र व समक N.S.S. के नियोजनों की देख-रेख में एकत्र किए जाने हैं। N.S.S. "आर्थिक अनुमान उपजाओं" आन्दोलन भी प्रगति का अनुभाव लगाती है तथा सामुदायिक वित्तीय खण्डों द्वारा हाथ म नी गई विभिन्न योजनाओं का अध्ययन करने से सहायता दती है। विभिन्न फसलों के मन्त्रिम अनुमान (estimate) लगाने के लिए नियर्सेंस

रीति से फसल कटाई प्रयोग ( crop cutting experiments ) N.S.S. व राजस्व बोर्ड के सांख्यिकी निरीदारों की देख-रेख में ही किए जाते हैं।

आलोचना ( criticism ) — N.S.S. के बतामान वार्ताएँ का ध्यान करने के पश्चात हम इस निष्पर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि आरम्भ में यह सत्या सारे देश की आविक एव सामाजिक स्थिति जानने के लिए निर्दर्शन रीति से समक एकत्र करने की विशेष एजेन्टी थी, लेकिन अब यह एक बहु-उद्देशीय सत्या बन गई है। यह किसी भी समिति विभाग या मानालय की शार्यना पर वाच्चिन् सूचना एकत्र बरती है। १९५६ म तो यह सत्या ओयोगिक समक एकत्र करने के लिए भी एक मात्र प्रमुख सत्या बन गई है। फसल कटाई प्रयोग भी जो पहिले भारतीय कृषि शोध सत्या ( Indian Council of Agricultural Research ) के देख-रेख में होने थे, अब N.S.S. वे देख-रेख में होते हैं<sup>(१)</sup> सब प्रकार के समक एकत्र करने की सत्या होने के नाते यह सत्या किसी भी एक प्रकार के समक साझह बरने में विरोध जान प्राप्त नहीं कर सकती। यह सत्या बहुत बड़ी हो गई है जिसकी व्यवस्था, रागठन एव शार्य चमता में भी बड़ी आने की आशाका है<sup>(२)</sup> N.S.S. निर्दर्शन पढ़ति द्वारा ही समस्त देश की सूचना प्राप्त बरती है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ सागणा को ही आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में भी N.S.S. को तो निर्दर्शन रीति ही लगानी पड़ती है। यह सत्या ओयोगिक समक एकत्र बरने के लिए अनुसूचियाँ डाक द्वारा प्रेसित कर देती है। डाक द्वारा अनुसूचियाँ भेज कर भरवाने में व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं रहता है। सूचनों के ध्यान में जो भी उत्तर आवा है वही भर कर भेज देते हैं। गलकों द्वारा सूचना प्राप्त बरने में अधिक ठीक तथ्य प्राप्त होते हैं<sup>(३)</sup> N.S.S. वे द्वारा इनने सागव एकत्र बर कर लिए गए हैं जिन्हे समय पर प्रकाशित भी नहीं किया जा सकता। देर में तथ्य उपनवध होने में उनका ऐतिहासिक भूल्ल ही रह जाता है।

लेकिन भारत जैसे विशाल देश में निर्दर्शन रीति में ही समक एकत्र बरना सम्भव नहीं। घनाघाव होने के कारण हम प्रत्येक प्रकार के समक एकत्र बरने के लिए अन्य-अन्य विशिष्ट सत्याएँ नहीं खोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त विस्थान सांख्यिक भार. ए. फिशर की राय में निर्दर्शन रीति से समक एकत्र बरना अनिक वैज्ञानिक है। यदि रीति का प्रयोग ठीक प्रकार से किया गया हो। यिले कुछ वर्गों से N.S.S. का सारा वायं C.S.O. की देख-रेख में होता है अत यह आशा कर सकते हैं कि N.S.S. वे कार्य विभिन्न में पर्याप्त मुखार होगा और यह सत्या योजना वायं का बहुत महत्वपूर्ण दोगदान देगी।

## अध्याय ७

# मूल्य समकं

(Price Statistics)

राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए मूल्य सब्धी समक एकत्र करना अति आवश्यक होता है। अर्थ व्यवस्था के परिवर्तनों का दिग्दर्शन करने में इनका महत्वपूर्ण योग होता है। मूल्य परिवर्तन सब वर्गों के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं—किसी वर्ग के व्यक्तियों को एक प्रकार तो दूसरे वर्ग के व्यक्तियों को दूसरा प्रकार। मूल्य स्तरों के परिवर्तन से देश की आर्थिक क्रियाशीलता का आभास होता है। इस आर्थिक क्रियाशीलता के महत्वपूर्ण दो तक मूल्य घूचक हैं। भारत जैसे देश में जिसने नियोजित अर्थ व्यवस्था के आधार पर अपना आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान करने का इड संकल्प किया है, मूल्य समकों का सकलन तथा अध्ययन और भी अधिक आवश्यक है। नियोजित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत और विशेषत राष्ट्रीय सबट की स्थिति में मूल्य स्तर में वृद्धि को रोकना प्रत्येक नागरिक का बतंध्य है। आसच्चयन और परिकल्पना पर अवरोध लगान के लिए नाना प्रकार के वित्तीय तथा मौद्रिक उपाय प्रयोगान्वित करने पड़ते हैं। दूसरी ओर उपभोग को निरस्ताहत करना पड़ता है। परन्तु यह सब मूल्य समकों की अनुपस्थिति में सम्बद्ध नहीं है। अन मूल्य समकों की आवश्यकता भी अधिक बढ़ जाती है।

भारत में प्राप्य मूल्य समकों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

१. कवित मूल्य (Price Quotations)

२. मूल्य देशनाक (Price index numbers)

मूल्य समक एक व्यापक शब्द है जिसमें मूल्य सम्बन्धी समस्त ग्रांडों का समावेश किया जाता है। मूल्य देशनाक भी इसका ही एक अंग है परन्तु मूल्य देशनाक बनाने की प्रविधि भिन्न होने के कारण इसका अध्ययन अलग से करना ही उपयोगी होता है। पुनरच मूल्य समकों का अध्ययन योक तथा फुटकर मूल्यों के आधार पर भी किया जाता है।

सुगमता के दृष्टिकोण से मूल्य समकों का अध्ययन निम्न आधार पर किया जाना चाहिए—

१. कृषि मूल्य (agricultural prices)

२. वस्तुओं के मूल्य (commodity prices)

३. स्टॉक और सुरक्षा मूल्य (stock and security prices)

### कृषि मूल्य (agricultural prices)

भारत-वर्तमान में भी एक कृषि प्रधान देश है। राष्ट्रीय आप का एक प्रमुख भाग कृषि से प्राप्त किया जाता है। कृषि वस्तुओं के मूल्यों में तोने वाले परिवर्तनों में सारी अर्थ-व्यवस्था प्रभावित होती है। मूल्य नियंत्रण के लिए भी प्रारम्भिक कदम हमें कृषि चेत्र से ही उठाना पड़ता है। कृषि मूल्यों के परिवर्तनों के भानुसार सरकार को भी ध्यापारी के रूप में बाजार में उत्तरना पड़ता है। गत कुछ वर्षों में कृषि मूल्यों में ही आशानीत वृद्धि के परिणाम स्वरूप साधारण में राजकीय व्यापार प्रारम्भ करने के सुनिद दिए गए हैं। ऐसी विषम स्थिति का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि पदार्थों के फसल कटाई काल के मूल्य तथा अन्य सम्बन्धित समक एकत्र किए जाए।

देश में फसल कटाई काल के मूल्य समक काफी पुराने काल से एकत्र किए जाने रहे हैं। देश के आर्थिक तत्र को सुधृढ बनाने के उद्दिष्टकोष में इनमे वर्तमान काल से भ्रातृक सुचार किये गये हैं।

फसल कटाई के मूल्य ( Farm या Harvest prices ) का सही अर्थ उग थोक मूल्य से है जो कृपक द्वारा अपने उत्पादन के बदले फसल कटाई के समय लेत पर प्राप्त किया जाता है। परन्तु भारत में प्राप्त फसल कटाई मूल्य इस परिभाषा से भेल नही खाते क्योंकि विविध राज्यों की प्रणालियों में भिन्नता के कारण कुछ वर्षों में इन मूल्यों के संकलन में अन्तर रहा है। उदाहरणार्थ, भारत में फसल कटाई के मस्य चार मणिडयों के थोक मूल्य जब कि बम्बई में फुटकर मूल्य, लिये जाते थे। केवल पजाब में २ या ३ मूल्य मणिडयों के फुटकर मूल्य लिये जाते थे। केवल पजाब में चेत्र के कुछ जुने हुये गावों में कृपक द्वारा प्राप्त मूल्यों को कानूनगो संकलित करना था। ऐसी स्थिति में उन्हे फसल कटाई मूल्यों के स्थान पर फसल कटाई काल के मूल्य ( Harvest Time Prices ) रहता अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह वास्तव में फसल कटाई वे समय प्रमुख मणिडयों में प्राप्त किये गये थोक मूल्य हैं।

इस प्रकार के समक पटवारियों द्वारा जाकी समय में संकलित किए गए है तथा अर्थ एवं नार्थिकी निदेशालय ( Directorate of Economics & Statistics ) की पत्रिका Indian Agricultural Statistics में १९४६-४७ तक प्रकाशित किए जाने थे। तदर्थं कह समक Indian Agricultural Prices Statistics में वार्षिक प्रकाशित किए गए। १९५०-५१ में इस पत्रिका का नाम Agricultural Prices in India कर दिया गया है। इस पत्रिका में प्रक्षेत्र संकलन काल ( Harvest Price ) मूल्यों के अन्तरिक्त मायालों के प्राप्त कूपयों ( Procurement Prices ), खाद्यालों के अधिकतम थोक विक्रय मूल्य, थोक

बाजार मूल्य, आधाननो के फटकर मूल्य तथा फुटकर बाजा, मूल्य भी दिए जाते हैं। इसल वटाई कान के मूल्य विविध राज्यों द्वारा प्रकाशित (Season and Crop Reports) में भी दिए जाते हैं। ✓

(सम्बन्धित के अभाव को दूर करने की हेतु तथा उपरोक्त दोषों को समाप्त करने के उद्देश्य से १९४६ में तकनीकी समिति (U. N. Technical Committee) ने अपने प्रनिवेदन "Coordination of Agricultural Statistics in India" में वह मूल्य भुक्ताव दिए। इसी आधार पर निदेशालय (D E & S.) ने राज्य सरकारों से विचार-विमल कर १९५० में नई योजना प्रारम्भ की योजना में फसल वटाई मूल्य (Harvest Price) का अर्थ उम औसत याक मूल्य मूल्य से लगाया गया जिस पर गाव में निर्दिष्ट फसल कटाई काल में उत्पादक द्वारा व्यापारी को फसल देकी जाती है। मूल्यों का सम्बन्ध प्रत्येक युक्तवार के सामान्य विभेद (common variety) के लिए हर एक ज़िले के प्रतिनिधि यादों से विद्या जाता है। ज़िले के गांवों के मूल्यों के सख्ल समानतर मात्र से ज़िले का औसत तथा ज़िले के औसत वो उस प्रस्तुत की ज़िले में उत्पादित मान्दा के अनुगत में भार प्रदान कर राज्य के औसत प्रदेश मूल्य प्राप्त किये जाने हैं। इस तरह से राज्यों में १९५०-५१ से समाक एकत्रित किये जा रहे हैं। इनका प्रकाशन राज्यों के Season & Crop Reports में भी विद्या जाता है।

साथ ही फसल वटाई मूल्यों की एक अन्य शृंखला और है जिसका सबलन वारिष्ठ ज्ञान तथा मालिकी विभाग (Department of Commercial Intelligence & Statistics-D G C. I. & S.) द्वारा स्टेट बैंक आव इंडिया वी शाहान्दो से फसल के बाजार में आने के पश्चात् लगभग ८ सप्ताह के कृषि वस्तुओं के प्राप्त मूल्यों के आधार पर किया जाता है। ✓

पहले इन मूल्यों वा प्रकाशन विभागीय पत्रिका Indian Trade Journal में "प्रक्षेत्र मूल्यों (Harvest Prices)" के नाम से विद्या जाना था परन्तु १९४८ के पश्चात् निदेशालय (D E & S.) की पत्रिका Agricultural Situation in India में सबलन काल या फसल-वटाई-काल मूल्य (Harvest Season Prices) के नाम से विद्या जाना है और इनी मूल्यों के आधार पर D E & S Index Numbers of Harvest Prices प्रकाशित करता है।

### योक्त तथा फुटकर कृषि मूल्य

कृषि पदायों के योक्त तथा फुटकर मूल्य समझों की स्थिति सलोपप्रद नहीं है।

केन्द्र मे आर्थिक सलाहकार तथा राज्यो मे विविध स्रोतो द्वारा यह समक एकत्रित किये जाते हैं। एकत्रित समझको मे समस्तपता का अभाव, चेत्र-आस्ति मे घटना, मनिषा का चुनाव सावधानी से नही किया जाना, वस्तु की किस्म मे अन्तर तथा थोक मूल्यो की परिभाषा मे अन्तर होना तुच्छक-दोष है। परन्तु तकनीकी समिति ( Technical Committee ) १९४६, कृषि मूल्य जाँच समिति ( १९५३ ) और राष्ट्रीय आवासनिति ( १९५४ ) वे सुझावो के आधार पर अब कानू सुगार इन समझो मे किया जा चुका है।

कृषि मूल्यो से सम्बन्धित प्रकाशन—कृषि मूल्य समझो के प्रकाशन से सम्बन्धित निम्न मूल्य परिकाए हैं —

१. Bulletin of Agricultural Prices-Weekly—का प्रकाशन साप्ताहिक आधार पर के द्वारा लाभ तथा कृषि मत्रान्वय के अधीनस्थ धर्यं ए। सामियो निदेशालय D. E & S द्वारा किया जाता है जिसमे भारत की चुनी हुई मनिषो मे कृषि पदार्थो के थोक तथा फुटकर मूल्यो के साथ ही विदेशी बाजारो के थोक भाव भी दिये जाते हैं। मूल्य सप्ताह म एक बार अनियार के दिन सत्राहत किये जाते हैं तथा बुर बार के प्रकाशित किये जाते हैं।

## २. Agricultural Situation in India ( Monthly )

यह मासिक पत्रिका भी उपरान्त निदेशालय द्वारा ही प्रकाशित वी जाती है जिसमे Indian Institute of Technology, Kanpur द्वारा सद्गहित गन के मूल्य जो ( अ ) फंकट्री द्वार पर सुपुद्दी के फलस्वरूप मिलते हैं तथा ( ब ) जो वास्तव मे गन्ना-उत्पादको के मिलते हैं, के अतिरिक्त निम्न समक भी सम्मिलित किए जाते हैं

१. देश के चुने हुय केन्द्रो पर कुछ महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओ तथा पशु-पालन उत्पादन के थोक मूल्य,

२. खाद्यानो के थोक मूल्य ( Wholesale ration rates of food grains )

३. विदेशी बाजारो मे कुछ मूल्य कृषि वस्तुओ के मूल्य ( पाकिस्तान के अलग से ),

४. गन तथा तरकारी थोक व फुटकर माय,

५. पशुचन के कुटकर मूल्य तथा पशुदान-उपज के थोक मूल्य,

६. मद्दली, अंडे व तुकुट आदि के थोक व पुटकर मूल्य,

( वर्तमान मास के मूल्यों के साथ-साथ गत मास तथा ऐत वर्ष के सम्पन्नित मास के मूल्य भी प्रकाशित किये जाते हैं। उपरोक्त मूल्य तुक्क चुनी हुई माडियों के दिये जाते हैं। )

### ३. Agricultural Prices in India ( Annual )

( यह एक व्यापक प्रकाशन है जो उपरोक्त निदेशालय द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। १८५०-५१ से पूर्व इसका नाम Indian Agricultural Prices Statistics था। )

इसमें समस्त सूचना पाच भागों में बाटी गई है तथा कमल-वटाई मूल्य, प्राप्त अधिकानम थोक मूल्य, छुते हुए क्लेन्टो पर थोक मूल्य, पुटकर मूल्य आदि के अनियन्त्रित देशनाक तथा तुलनात्मक दिश्व समक भी दिये जाते हैं।

### ४. Indian Trade Journal ( Weekly )

( वार्षिक-ज्ञान तथा साहित्यकी के वार्षिक ( D. C. I. S. ) द्वारा इस साप्ताहिक पत्रिका का १६०६ से प्रकाशन किया जाता है। जिसमें “मूल्य तथा व्यापार गति” के अनुभाग में निम्न वस्तुओं के थोक मूल्य दिये जाते हैं—कपास, पटसन, तिलहन तथा तेल, कामी, खाली तथा चमड़ा और तुक्क अय वग्तव्य। )

५. Index Number of Wholesale Prices in India—आधिक मलाहकार द्वारा प्रकाशित एक वृत्तेटिन “Index Number of Wholesale Prices in India” में मन्य वस्तुओं के अनियन्त्रित साधानों के देशनाक अलग से प्रकाशित किये जाते हैं। ( इमवा विवरण इसी अध्याय में आगे किया गया है )

Index Numbers of Harvest Prices of Principal Crops in India.

( कफल-वटाई-काल मूल्यों के देशनाक अर्थ व साहित्यकी निदेशालय द्वारा संकलित किये जाते हैं। देशनाक का संकलन Inter Departmental Committee on Official Statistics, 1946 की सिफारिश पर किया गया। देशनाक में १५ हजार वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। जिन्हें निम्न लीन वर्गों में रखा गया है—

भार

( अ ) शास्त्रान्वयन — ५६

१ चावल	३३
२ गेहूँ	८
३ जग्गार	६
४ चटा	५
५ जी	२
६ मवका	२
७ बाजरा	२

( व ) तिलहन — १३

१ मूँगफली	६
२ सरसो व राई	२
३ तिली	१
४ अलसी	१

( स ) चिविधि — २८

१ गन्ना	१७
२ तम्बाकू	७
३ कपास	३
४ पटसन	१

१००

आधार वर्ष १९३६-३७ ( जुलाई १९३६ से जून १९३७ ) है तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया की शास्त्राओं के माध्यम द्वारा फ़सल कटाई के समय मुख्य मॉडियो से इन वस्तुओं के औपचारिक सांस्कृतिक मूल्य प्राप्त किये जाते हैं।

( ए ) श्रुति—आधार पद्धति पर प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक राज्य के लिए घोषित मूल्य गुणज्ञता निकाला जाता है। पहले प्रत्येक वस्तु के हर विस्म के मूल्यानुपात और फिर सब विस्मों के मूल्यानुपातों के गुणोत्तर भाव्य द्वारा वस्तु का मूल्यानुपात निकाला जाता है। इसी प्रधार विभिन्न केन्द्रों के मूल्यानुपातों के सरल गुणोत्तर माध्य द्वारा समस्त राज्य के लिए वस्तु का मूल्यानुपात निकाला जाता है और पुनर्व वस्तु का अपिल भारतीय मूल्यानुपात विभिन्न राज्यों के मूल्यानुपातों तथा भारित गुणोत्तर माध्य लेकर प्राप्त किया जाता है। भार राज्यों में वर्तमान वर्ष में वस्तु के उत्पादन के अनुपात में दिये जाते हैं।

अन्त में फसल-कटाई काल मूल्यों का देशनाक इन १५ वस्तुओं के देशनाकों का भारित गुणोत्तर माध्य लेकर प्राप्त किया जाता है। भार ११३८-३६ में समाप्त होने वाले तीन वर्षों के औसत उत्तरादन मूल्य के अनुपात से हैं।

१६५५ से पूर्व वस्तु सूचकों से वर्ग सूचक तथा समस्त वस्तु सूचक बनाने में भारित गुणोत्तर माध्य का प्रयोग होता था परन्तु अब भारित समान्तर माध्य का उपयोग किया जाता है।

इन देशनाकों को Agricultural Prices in India तथा Agricultural Situation In India में प्रकाशित किया जाता है।

फसल कटाई-काल देशनाक कुछ वर्षों के इस प्रकार हैं—  
( आधार वर्ष ११३८-३६ = १०० )

	१६५७-५८	१६५८-५९
अ. खाद्यान्न वर्ग	५५४	५६४
चावल	६२३	६१३
जूमार	४१६	४१०
बाजरा	४१४	४४०
मक्का	४३४	४३०
गेहूँ	५७६	६२२
जौ	३६३	४०५
चना	३६८	४७०
ब. निलहन वर्ग	५१७	५५१
मू. गफली	५५६	५६६
निली	४१८	४१६
सरसो व राई	४३६	४५३
अलसी	४२१	४५०
म. विविध वर्ग	२६०	३२५
गन्ना	२०४	२५६
तम्बाकू	५१५	४३६
कपास	३५१	३३८
पटमन	७१६	६१८
समस्त वस्तु	४७५	४८५

# कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य देशनांक ( अन्तिम शृंखला )

[ आधार १६५०-५१ = १०० ]

Labour Bureau Consumer Price Index Numbers for Agricultural Labourers ( Interim Series )

न्यूनतम मजदूरी अविनियम, १६४६ कृषि रोजगार के निए भी लागू होता है। जिसके अनुसार न्यूनतम मजदूरी को निश्चित रखने के साथ-साथ कृषि श्रमिकों के निवाह लागत देशनांकों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप इसमें संशोधन करना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य से विचार विमर्श के पश्चात् योजना आयोग न यह काय अथ द्वारा रोजगार मन्त्रालय को दिया जो १५ सितम्बर १९५८ से धर्म ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है।

मन्त्रालय द्वारा १६५०-५१ से वी नई प्रथम अंकित भारतीय कृषि श्रम जनन ( Agricultural Labour Enquiry ) के आधार पर प्राप्त मात्र तथा आधार काल मूल्यों पर यह देशनाक आवारित है। राष्ट्रीय न्यादश सर्वेक्षण निवेशालय ने अगस्त १६५६ से अपने भारतव दौर में वर्तमान मूल्य संग्रहण का काय प्राप्त किया जो तेरहव दौर तक लगभग ३०० गांवों में चला। प्रति मास गांव-में परिवर्तन किया जाना रहा। जुलाई १६५८ से चौंहवे दौर में एक मास छोड़कर ( alternate ) उन्ही ४०० गांवों से मूचना प्राप्त की गई। पन्द्रहवे दौर में एकालंतर ( alternate ) मास के आधार पर लगभग ८०० गांवों से मूचना एकव वी गई। जुलाई १६६० से १६ वें दौर में राष्ट्रीय न्यादश सर्वेक्षण निवेशालय द्वारा मूल्य ४२२ रिपर गुणोंसे प्रति मास एकव किये जा रहे हैं।

आधार-बाल-मात्र १६५०-५१वरी १६५१ का वर्ष है जो प्रथम हृषि धर्म जनन ( १६५० ) के तर्मां से मेल खाता है।

आधार-भार-७५ द्वारा तमस्तु रज्यों को विभाजित वरके कृषि धर्म जनन ( A L E ) द्वारा न्यादशिन कृषि धर्म पारिवारों के मासिक अथ १२ महीनों के प्राप्त किये गये। इस आधार पर नये ३६ द्वेषों से सम्बद्धिन प्रति परिवार औमन वार्षिक अथ इस प्रवार प्राप्त किये गये। प्रत्येक द्वेष के कृषि श्रमिक परिवारों वी मन्त्रा का प्रबन्धन लगाया गया तथा प्रति परिवार के औमन वार्षिक अथ को परिवारों वी मन्त्रा में गुण सरके प्रत्येक द्वेष का औसत वार्षिक अथ ज्ञात किया गया और इसी आधार पर भार प्रधान किये गये।

मूल्य संग्रहण-हृषि श्रमिकों द्वारा उपभोग में वी गई प्रमुख वस्तुओं वे आधार-भाल मूल्य बारह महीने के लिये कृषि धर्म जनन के माय ही प्राप्त कर लिये गये। दर्ता-

मान फुटर मूल्य N S S द्वारा न्यादर्तं गाडो मे महीने मे एक वार प्राप्त किये जाने हैं जो या तो महीने का प्रथम बाजार दिन या प्रदूष शक्तिवार होता है। प्राप्त मूल्यों की जात्य-प्रदृशताल अम व्यूरो द्वारा की जाती है। समस्त गाडो के मूल्यों का सरल समान्तर माध्य निकाला जाता है जो उन चेत्र व्यंजन के वनमान प्रोनन मूल्य होते हैं। प्रत्येक चेत्र के प्रति परिवार औसत वार्षिक व्यय मे विभिन्न द्वेषों के मूल्यों को भारित किया जाता है।

वस्तुओं को चार वर्गों मे विभक्त किया गया है—१. खाद्य, २. ईंधन व प्रकाश, ३. दस्त्र, विमान व जूने आदि और ४. सेवाएँ तथा विविध। मकान विरागे के अनुपात की कठिनाइयों और कम व्यय होने के कारण इसे औसत वार्षिक व्यय मे शामिल नहीं किया गया है। विभिन्न वर्गों के वग-व्यय को अनुपात मे भारित किया जाता है।

देशनाक मे तम्भिलित को गई समस्त वस्तुओं के मूल्य प्राप्त करना मात्रात नहीं है। जुनाक ऐसी वस्तुओं का किया गया है (१) जो स्पष्ट परिमापित हो, (२) जिनका मूल्य पता लगाया जा सके और (३) जिनका अभिक परिवार-बजट मे महत्व हो। इस आधार पर शराब (liquor) छोड़ दी गई है क्योंकि कई चेत्रों मे शराब बन्दी लागू है। ऐसी वस्तुओं के भार या तो छोड़ दिये जाने हैं या मिलती जुनती वस्तु मे जोड़ दिये जाने हैं। जौसे रागों को जूवार मे मिला दिया गया है। जाहूरणों की सेवा और बैलनाडी द्वारा यात्रा को मूल्यांकन की अनुपस्थिति मे छोड़ दिया गया है।

देशनाक Lasleyre के सिद्धान्तानुनार तैयार किया जाता है। मूत्र इस प्रकार है।

$$I_n = \frac{\sum P_0 Q_0}{\sum P_0} \frac{P_n}{P_0} = \left( \frac{\sum IV}{\sum V} \right)$$

जिसमे  $P_n$  = राज्य मे वर्तमान औसत मूल्य

$P_0$  = " आधार काल मूल्य

$Q_0$  = " "परिवार द्वारा उपभोग की आधार काल मे मात्रा

प्रत्येक राज्य का देशनाक अलग से तथा अखिल भारतीय देशनाक अलग से रक्षित किये जाने हैं। मद्रास एव जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त शेष १२ राज्यों की स्वीकृति आने से यह देशनाक सकलित किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का देशनाक राज्य के सांस्कृतिक व्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इन राज्यों को स्वोकृति आने पर इनके देशनाक भी प्रकाशित किये जायेंगे। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को पश्चात के साथ तथा मतीपुर और विपुरा आसाम मे लिये गये हैं।

Indian Labour Journal ( भ्रम व्यूरो, शिमला द्वारा प्राप्तिक )  
के फरवरी १९६१ के अंक से इनका प्रकाशन आरम्भ हुआ जो नियमित रूप से प्रकाशित  
किये जाते हैं। १९५६-५७ में की गई द्वितीय अखिल-भारतीय कृषि अम जॉब के आधार  
पर भार पहलि में परिवर्तन किया गया है।

दूसरी अधिक उपभोक्ता मूल्य देशनाक ( अन्तरिम शृङ्खला )  
आगार, १९५०-५१ = १००

राज्य	सामान्य मूल्य	
	१९६२	फरवरी १९६३
१. भ्रम प्रदेश	११४	१११
२. आसाम ( मनोनुर व त्रिपुरा सहित )	११५	११०
३. बिहार	६४	६०
४. उडीसा	१२०	१२४
५. पश्चिम बंगाल	१२२	१२६
६. झारखंड प्रदेश	१२०	११८
७. केरल	११६	११८
८. मैसूर	११७	१२१
९. गुजरात	१२६	१२३
१०. महाराष्ट्र	१०७	११०
११. पंजाब ( दिल्ली व हिमाचल प्रदेश सहित )	१०६	१०४
१२. राजस्थान	६४	६५

+ अन्यायी

### वस्तु मूल्य मर्मक

( COMMODITY PRICES STATISTICS )

देश में मूल्यों के बारे में अद्वायी समक्ष संचित विये जा रहे हैं और वर्तमान-  
काल में इस द्वार दृष्टि मूल्यार विया गया है। योक मूल्यों के सम्बन्ध में स्थिति सनोप्रद  
है तथा फुटकर मूल्यों की स्थिति में बापी मुगर हो रहा है। वस्तु मूल्य मर्मकों का  
विवेचन इस प्रकार किया गया है—

योक मूल्य मर्मक:

ग्र. कथित मूल्य ( quotations )

आ. देशनाक

### फुटकर मूल्य संकेतः

अ. कथित मूल्य

आ. देशनाक

जो वन निर्वाहि या उपभोक्ता मूल्य देशनांक ( Consumer Price Index Numbers )

योक कथित मूल्य ( wholesale price quotations )

विविध वस्तुओं के योक कथित मूल्य केन्द्र मे आर्थिक सलाहकार द्वारा तथा राज्यों पर अर्थ व साम्बिकी निदेशालयों और साम्बिकी व्याप्रो द्वारा संकलित किये जाते हैं। यह इच्छा शासकीय स्रोतों जैसे राज्य सरकारो, सीमात शुल्क अधिकारियो, स्टेट बैंक आफ इंडिया आदि तथा अशासकीय स्रोतों जैसे व्यापार तथा वाणिज्य मंडलो, व्यापारिक संगठनो आदि से प्राप्त की जाती है। अधिकृत तथा अप्रशिकृत ग्राम्यमिक प्रतिवेदन भविरणों ( जैसे पटवारी व चौकीदार ) के स्थान पर अर्थ व साम्बिकी विभाग और विरण विभाग के प्रशिकृत वर्भवारियो द्वारा विभिन्न केन्द्रो का अमण करके मूल्य सम्बन्धित सामग्री संप्रहित बी जाती है। इस तरह अखिल भारतीय स्तर पर सामग्री का सकलन प्रमाप आदेशो के अनुसार एक रूप ढंग से होता है।

भारत में चुने हुए केन्द्रों पर व्यापार की कुछ प्रमुख वस्तुओं के योक मूल्य ( Wholesale Prices of Certain Staple Articles of Trade at Selected Stations in India )—यह योक मूल्य आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रत्येक सप्ताह संप्रहित किये जाते हैं। इस प्रकाशन मे लगभग उन समस्त वस्तुओं के मूल्य दिये जाते हैं जो देश के योक व्यापार मे महत्व रखती हैं।

इसमें ५६ वस्तुओं को स्थान दिया जाता है जिन्हे ५ वर्गों व १६ उप वर्गों मे विभक्त किया जाता है। प्रत्येक वस्तु के मूल्य मुख्य बाजार से लिए जाते हैं तथा कुछेक वस्तुओं की तो कई किसमें भी सम्भिलित की जाती हैं।

वर्ग, उपवर्ग निम्न प्रकार से हैं।

वर्ग	उपवर्ग
१. खाद्य पश्चार्थ	( i ) अन्न ( ii ) अन्य
२. आयोगिक कच्चा माल	( i ) तनु ( Fibres ) ( ii ) खनिज ( iii ) तिलहन ( iv ) अन्य

३. अद्वि' निर्मितिया	( १ ) सून ( ॥ ) चमड़ा ( ॥ ) धानु ( ॥ ) तेल ( वनस्पति ) ( ॥ ) तेज ( सनिंज ) ( ॥ ) अन्य
४ निर्मितिया	( १ ) सूनी तथा जूट ( ॥ ) धानु ( ॥ ) रसायन तथा रग ( ॥ ) अन्य
५ विविध	—

### ६. विविध

इस प्रकार इस प्रकाशन में दिये गये विविध वस्तुओं के थोक मूल्य देश की अर्थ व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का दिम्दासांन कराने में जाकी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं, परं भी इनमें कुछेक दोष पाये जाने हैं। 'खाद्य वर्ग' में दालों को जाता 'बासमी' चावलों के साथ ही चना, जुआर, बाजरा आदि व नमक वो भी सम्मिलित किया जाना इसे अधिक उपादेय बनाया जा सकता है। तम्बाकू तथा काढ़, जो खाद्य पदार्थ है, को 'विविध वर्ग' से हटा कर 'खाद्य वर्ग' में, रखना उचित प्रतीत होगा। भेत के चमडे तथा बकरी की सालों को 'श्रीदोणिक वच्चा माल' तथा 'अद्वि' निर्मितिया' दोनों वर्गों में सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार अस्तुप वस्त्रायस ( Stainless Steel ) के प्राविक तथा प्रिय होने से इसे भी 'निर्मितिया' वर्ग के 'धानु' उप वर्ग में शामिल किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त थोक मूल्य समव उन समस्त १३२ वस्तुओं के सम्बन्ध में मिलते हैं जो अर्थात् सलाहुनार के थोक मूल्य देशनांक में शामिल होनी हैं परं इन साप्ताहिक मूल्यों का प्रकाशन "Index Number of Wholesale Prices in India" नामक पत्रिका द्वारा किया जाता है।

### थोक मूल्य देशनांक

( Wholesale Prices Index Numbers )

थोक मूल्य देशनांक निम्न हैं—

१. अर्थात् सलाहुनार का थोक मूल्य देशनांक—प्रावार वर्ष १९३६ = १०० ( १९४७ में इसे बदल कर दिया गया )

२. आर्थिक मलाहकार का ( संशोधित ) थोक मूल्य देशनांक—आधार वर्ष १९३६ = १००.

३. आर्थिक मलाहकार का ( नवीन संशोधित ) थोक मूल्य देशनांक—आधार वर्ष १९५२-५३ = १००.

४. आर्थिक मलाहकार का प्रमुख वस्तुओं का थोक मूल्य देशनांक—आधार वर्ष १९५२-५३ = १००.

१. आर्थिक सलाहकार का थोक मूल्य देशनांक—आधार वर्ष १९३६ = १०० ( Economic Adviser's Sensitive Index Number of Wholesale Prices—Base year 1939 )

१६ अगस्त १९३६ के दिन सभापति होने वाले सप्ताह के आधार पर १३ वस्तुओं का यह देशनांक जिन्हे चार बाँड़ों में—( अ ) खाद्य पदार्थ व तस्वारू, ( ब ) अन्य कृषि वस्तुएं ( स ) बन्धा माल ( अक्षयीय वस्तुएं ) तथा ( द ) निमित्व स्तुएं—दिभाजित किया गया था, भारत सरकार के सलाहकार द्वारा प्रकाशित किया जाना था। यह बहुत ही sensitive सांख्यिक मूल्क था। अभासित होने के साथ ही कई महत्वपूर्ण वस्तुओं का समावेश नहीं किया जाना तथा कई अमहत्वपूर्ण वस्तुओं का समावेश होना, सरल गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाना, वस्तुओं की संख्या बहुत ही कम होना, आदि कुछेक दोषों से परिपूर्ण था।

उपरोक्त सूचक के प्रथम तीन बाँड़ों की वस्तुओं के आधार पर Primary Commodity Index तथा २३ वस्तुओं में से १२ वस्तुओं के आधार पर अलग से Index of chief articles of exports भी तयार किये जाते थे।

उपरोक्त दोषों के कारण यह देशनांक देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करने में पूर्णरूपेण असमर्पयथा, अन. दिसम्बर १९४७ के बाद में इसका सकलन तथा प्रकाशन बन्द कर दिया गया।

२. आर्थिक सलाहकार का थोक मूल्य देशनांक—आधार वर्ष १९३६ = १०० [ Economic Adviser's Index of Wholesale Prices ( General Purpose Index No. ) Base year ending August, 1930. ]

उपरोक्त देशनाक की तीव्र आलोचना के फलस्वरूप ग्राहित द्वारा १६४४ में एक सामान्य उद्देश्य देशनाक तथ्यार करने की घोजना का सुनिपात किया गया। जिसके अनुगत देशनाक को पाच चरणों में पूरा करना था। घोजना का आरम्भ फरवरी १६४४ में हुआ जब कि प्रथम वर्ग (खाद्य वर्ग) का देशनाक प्रकाशित किया गया और आयोजनानुमार वाय १६४७ के आरम्भ में पूरा हुआ। जब कि अन्तिम वर्ग (विविध वर्ग) का देशनाक प्रकाशित किया गया और पाचों वर्गों के देशनाकों को मिला कर समस्त वस्तु देशनाक भी प्रकाशित किया गया।

इस देशनाक का विस्तृत विवरण इस प्रकार है—

वस्तुओं की चुनाव सख्ता, कथित मूल्य, आदि—देशनाक में उद्देश्य सम्बलित की गई जिन्हे ५ वर्ग तथा १८ उप-वर्गों में विभक्त किया गया। इनके लिए २३० कथित-मूल्य लिए जाते हैं। ग्राहित प्रतिनिधि बनाने के उद्देश्य से कई वस्तुओं की एक से ग्राहित किसी भी ली गई है। मूल्य ग्राहितकर वह लिए गये हैं जो निर्माता या आयातवर्ती द्वारा लिए जाते हैं या जो योक बाजार में पाये जाते हैं। शुक्रवार या उसके पास वाले दिन साप्ताहिक मूल्य एकत्र किये जाते हैं जिनके आवार पर साप्ताहिक देशनाक तैयार किये जाते हैं।

आधार वर्ष — अगस्त १६३६ को समाप्त होने वाला वर्ष।

माध्य का प्रयोग — भारित गुणोत्तर माध्य

भार प्रणाली-भार विविध वस्तुओं को उनके कुल मध्य के अनुपात में प्रदान किये जाते हैं जो १६३६-३७ में विपर्णित मात्रा तथा मूल्यों के आधार पर ज्ञात किया गया है। सुगमता की दृष्टि से उत्पादक द्वारा कृपि वस्तु तथा भूमिक कच्चे माल की रखी गई मात्रा का कोई सेवा नहीं किया गया तथा निर्मित व अद्व-निर्मित वस्तुओं के बारे में यह मान लिया गया कि समस्त उत्पत्ति विपणित कर दी गई।

वर्ग, उपवर्ग व भार निम्न तालिका में दिये गये हैं—

वर्ग Group	उप-भार Group Weight	उप-वर्ग Sub-group	उप-वर्ग भार Sub-group weight
१	२	३	४
१. लाल्य पदार्थ	३१	अ. ग्रन्थ ब. दालें स. अन्य	५६ ८ ३३ <hr/> १००
२. भौद्योगिक कच्चा माल	१८	अ. रेहोदार ब. तिलहन स. खनिज पदार्थ द. अन्य	५३ ३० १० ७ <hr/> १००
३. अद्व-निर्मितिया	१७	अ. चमड़ा ब. खनिज तेल स. वनस्पति तेल द. सूत क. धातु ख. छल ग. अन्य	८ १३ १६ ३५ १८ ५ ५ <hr/> १००
४. निर्मितिया	३०	अ. वस्त्र उत्पादन ब. शाल्वीय उत्पादन स. अन्य निर्मित माल	६४ १७ १६ <hr/> १००
५. विविध	४	—	<hr/> १००
		१००	

बनाने की प्रविधि—सप्ताह में एक दिन शुक्रवार या आमपास के दिन के कथित मूल्य विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निये जाने हैं। विभिन्न वस्तुओं के साप्ताहिक कथित मूल्यों को पहले मूल्यानुपातों में परिणत किया जाता है। विभिन्न कथित मूल्यों के मूल्यानुपातों वा सरल गुणोत्तर माध्य ही वस्तु देशनाक ( commodity index ) होता है। एक उपवर्ग के कई वस्तु देशनाकों ( commodity indices ) का भारित गुणोत्तर माध्य उपवर्ग देशनाक ( subgroup index ) देता है तथा समस्त उप-वर्ग देशनाकों का भारित गुणोत्तर माध्य वर्ग देशनाक ( group index ) देता है। अन्तत इसी प्रकार समस्त वर्गों के देशनाकों का भारित गुणोत्तर माध्य ही समस्त वस्तु देशनाक ( All Commodity Index ) या सामान्य देशनाक ( General Index ) देता है। इसे ही आर्थिक सलाहकार का योक मूल्य देशनाक ( Economic Adviser's Index Number of Wholesale Prices ) बताते हैं।

यह देशनाक साप्ताहिक, मासिक व वार्षिक अवधियों पर प्राप्त है। साप्ताहिक से मासिक व मासिक से वार्षिक देशनाक गुणोत्तर माध्य से बनाय जाते हैं।

देशनाक का प्रकाशन—कुछ मिलाकर ६ देशनाकों का प्रकाशन किया जाता है—पाच विभिन्न वर्गों के और एक सब वर्गों का सामूहिक। रासकीय व अरासकीय समाचार पत्र-प्रतिवार्षी में प्रकाशित करने के अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार की साप्ताहिक पत्रिका (भारत में योक मूल्यों का देशनाक—Index Number of Wholesale Prices in India) में वस्तु, उपवर्ग, वर्ग व सामान्य देशनाकों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही गत सप्ताह के देशनाकों का भी विवरण दिया जाता है।

देशनाक की आलोचना—यह बहुत ही लोकप्रिय देशनाक है जो योक मूल्यों के परिवर्तनों का चित्र प्रस्तुत करता है। गुणोत्तर माध्य के प्रयोग से उत्क्रान्ति नियमों को भी सुषृट्टि करता है परन्तु फिर भी निम्न कारणों से इसकी कापी कटु आलोचना की गई है—

(क) वस्तुओं का वर्गीकरण, संख्या, कथित-मूल्य आदि-

१) वस्तुओं का वर्गीकरण उपयुक्त नहीं है। साधा पद्धति वर्ग सूचक को बहुत हाथ मूचक ही कहा गया है जबकि साधा मूचक में केवल धन ही सम्मिलित किये जाने चाहिए न कि दाल, चाय, दौफी, चीनी, गुड़, नमक आदि। अत 'साधा पद्धति वर्ग देशनाक' ( food articles group index ) के स्थान पर 'धन सूचक' ( cereals index ) ग्रन्ति से बनाया जाना चाहिये।

२) भारत जैसे मिलनावाले देश में केवल ७८ वस्तुओं के आधार पर अनिष्ट भारतीय देशनाक तयार करना भी उचित नहीं है। सामान्य उद्देश्य मूचक होने के नामे वस्तुओं की संख्या में बृद्धि आवश्यक है।

(५) विभिन्न वस्तुओं के कथित मूल्यों वी संस्था भी उचित नहीं प्रतीत होती। चावल के तीन और जूतों के, जो अपेक्षाकृत कम महत्व की वस्तु है, द कथित मूल्य प्राप्त किये जाने हैं। इसी प्रकार ये हैं (भार ३.७%) के तीन कथित मूल्य और टायर व ट्यूब के (भार ०.३%) ६ कथित मूल्य प्राप्त किये जाने हैं।

'तम्बाकू' को 'विविध वर्ग' के स्थान पर वाद्य वर्ग में सम्मिलित किया जाता चाहिये तथा 'गश्त शाला उपज' (Dairy Products) का भी वाद्य वर्ग में समावेश किया जाना चाहिये। इसी प्रकार विविध वर्ग में इन दो की सम्मिलित करके इसे अधिक प्रतिनिवित बनाया जा सकता है।

(ख) भार पद्धति—१९३८-३९ के समय के दिये गये भार आज की अर्थ व्यवस्था में मेल नहीं खाने। जहा भाग पदार्थ तथा औद्योगिक कच्चे माल को ४५% भार प्रदान किया है, निर्मितियों को अपेक्षाकृत बहुत कम जटकि वर्तमान काल में इन्हीं का सबसे अधिक विकास हुआ है। भाग हो भार प्रदान करने का मावार भी दूषित है। भार वस्तुओं के सकन बाजार मूल्य पर आधारित है न कि कुल उत्पत्ति की मात्रा पर। सकन बाजार मूल्य के बारण दोहरी गणना होती है—एक बार वच्चे माल के रूप में तथा दुबार निर्मित माल के रूप में। उदाहरणार्थ कपास तथा पटसन और सूती वस्त्र तथा जूट पदार्थ। पुनर्जन, देश की आयान की गई वस्तुओं और उनकी राशि का भी विचार नहीं किया जाता। निर्पान की वस्तुओं को भार कुन उत्पादन की मात्रा के अनुपात में दिया जाता है तथा निर्पान की मात्रा का ध्यान नहीं रखा जाता।

(ग) आधार वर्ष—प्राप्त १९३६ में समान्त होने वाले वर्ष पर आधारित देशनाक इस काल में कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि इन दो समयों के मूल्यों की तुलना करने में कोई तथ्य प्रबन्ध नहीं होता। परिवर्तित परिवर्तितियों में किसी भी प्रकार इस वर्ष को सामान्य वर्ष नहीं माना जा सकता।

मन इस देशनाक म उपरोक्त कारणों से संशोधन करना आवश्यक हो गया।

### आर्थिक सलाहकार का संशोधित घोक देशनाक

मावार वर्ष १९५२-५३ [Economic Adviser's (Revised) Index Number of Wholesale Prices—Base year 1952-53]

उपरोक्त दोपो को दूर करने के उद्देश्य से देशनाक में संशोधन करना आवश्यक हो गया, यद्यपि पुराने देशनाक को साय ही साय चालू रखा गया है। नये देशनाक में उद्देश्य वस्तुओं के स्थान पर ११२ वस्तुएँ सम्मिलित की गई तथा २३० कथित मूल्यों के स्थान पर ५५५ कथित मूल्य प्राप्त किये गये। जिन निर्मित वस्तुओं का सनावेश इस देशनाक में किया गया वे इस प्रकार हैं—

जो, मक्का, रागी, आलू, प्पाज, नारंगी, केले, दूध, धी, मद्दनी, अडे, मास, गन्ना, सन, विदेशी बपास, चमड़ा बमाने की वस्तुएँ ( running materials ), सिंचन तेल ( lubricating oil ), विमान प्राप्ति तेल ( aviation spirit ), डीजल तेल, विद्युत, बास, अन्यूनीनियम, रेशम, सीसा, जमन सिल्वर, हाथ बर्घा कपड़ा, होब्बियरी-मान, डामर उपज ( cultural products ), इवाए, यत्र, अटरन ( Bobbins ), सार्किल, चमड़े के पट्टे ( leather Belting ), स्टरकाष्ट ( Plywood ), चाय मुरत ( tea chests ), मिट्टी के बतन और छूना ।

वस्तुओं और विपड़ों का चुनाव, कथित मूल्य आदि—

देशनांक को अदिक प्रतिनिधि, बनाने के उद्देश्य से उपरोक्त अतिरिक्त वस्तुओं का समावेश किया गया । विपड़ों का चुनाव इष्टि मूल्य अनुसंधान समिति ( थापर समिति ) १९५३-५४ ( Agricultural Prices Enquiry Committee ) की सिफारिशों के आधार पर किया गया । समिति ने शुल्क के लिए ६६ विपड़ों का सुमाव दिया था और विन्ही के अतिरिक्त समस्त विपड़ों को स्वीकार कर लिया गया । अन्य वस्तुओं के लिए विपड़ों का चुनाव वाणिज्य बड़लो, व्यापार संगठनों, प्रमुख निर्माताओं और केन्द्रीय व राज सरकारों की सलाह से किया गया ।

बुल ५५५ वित्त मूल्य लिए जाते हैं जो शासकीय नया अरणसंबीधि द्वारा प्रदान किये जाते हैं । वस्तुओं, विपड़ों तथा वित्त मूल्यों की संकी इस प्रकार है—

वस्तुओं, विपड़ों तथा वित्त मूल्यों की संख्या

वर्ग	वस्तुओं की विपड़ों की संख्या		कथित मूल्यों की संख्या		
	कुल	शासकीय अरणसंबीधि	शासकीय अरणसंबीधि		
१ खाद्य पदार्थ	३१	१०५	२१६	१८६	२७
२. मदिरा व तम्बाकू	३	५	१०	३	७
३ ईधन, शक्ति, प्रकाश तथा स्लिप्पर ( Lubricants )	८	७	२४	५	१६
४ श्रीदोगिक कच्चा माल	२३	३७	८४	५२	३२
५ निर्मित पदार्थ					
अ अन्तर उत्पादन	१४	७	४४	११	३३
ब. निर्मित उत्पादन	३३	२२	१७७	३५	१८२
कुल	११२	१८३	५५५	२६५	२६०

उपरोक्त शासकीय तथा अशासकीय खोलो से प्राप्त किये गये कथित मूल्यों के अतिरिक्त (Chief Controller of Exports and Imports) के केलकत्ता, दम्बई और मद्रास कार्यालयों से कथित मूल्य प्राप्त किये जाते हैं जिनके आधार पर उपरोक्त प्राप्त कथित मूल्यों की भवित्वता का अनुभव लगाया जाना है।

आधार दर्प—आधार वर्ष के चुनाव के सम्बन्ध में दो मूल्य शर्तें थी—प्रथम, आधार वर्ष विश्व समर के तथा विभाजन के बाद का कम मूल्य परिवर्तन वाला वर्ष हो तथा द्वितीय, प्रथम पृच्छ वर्षीय योजना के प्रारम्भ के विन्दुज समीक्षा हो। विश्व समर के परचात् दो दर्प, अगस्त १९४६ को समाप्त होने वाला वर्ष तथा १९५२-५३ का वित्तीय वर्ष, ऐसे थे जिनमे कम मूल्य परिवर्तन हुये थे। Standing Committee of Departmental Statisticians की Working Party on Base Year of Official Index Numbers, 1952 के अनुसार १९५२-५३ का वर्ष ही उपयुक्त माना गया। इसके अतिरिक्त १९४६ के दर्प के सम्बन्ध में थापर समिति द्वारा प्रस्तावित ६६ विषयों में से कई विषयों के अन्त के मूल्य प्राप्त नहीं न। अत १९५२-५३ का वित्तीय वर्ष ही आधार वर्ष स्वीकार किया गया।

वस्तुओं का वर्गीकरण—भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल यथा सम्भव परिवर्तन करके Standard International Trade Classification को ही अपनाया गया। पूर्व देशनाक वी अपेक्षा इसमे दो नये वर्ग—(i) मन्दिरा और तम्बाकु तथा (ii) ईंधन, शक्ति, विद्युत और स्निग्ध जोड़े गये तथा पुराने देशनाक के 'विविध' वर्ग को समाप्त कर अन्य वर्गों में मिला दिया गया।

भार—विभिन्न वस्तुओं को प्रदत्त भार आन्तरिक उपज के विपणित और आयात (कर सहित) के मूल्य के अनुमानों पर आधारित है। निर्मितियों को भार उत्पादित के सकल मूल्यों पर आधारित है जो Third Census of Indian Manufactures, 1948 से लिए गये हैं। आयात का भी इसमें समावेश किया गया है। मध्य उत्पादित औद्योगिक वस्तुएं (Intermediate Manufacture Products) विकल्प हेतु उत्पादित भाग के आधार पर भारित की गई है। विजली को विजली उत्पादकों द्वारा वेची गई विजली के आधार पर भारित किया गया है तथा मूल्य सामान्य अखिल भारतीय दर के अनुसार अवित किया गया है। पेट्रोल के समक उपभोग पर आधारित है। भार विभाजन के परचात् बाने वर्ष, १९४८-४९ से सम्बन्धित है। इस प्रकार तुलनात्मक आधार १९५२-५३ है जब कि भार आधार १९४८-४९। १९३८-३९ वाली शृंखला में दोनों आधार एक ही थे। परन्तु Working Party के अनुसार दोनों आधार अपन नहीं होने में कोई आपत्ति नहीं है। भार विभिन्न वर्ग, उपवर्गों के इस प्रकार हैं—

भारतीय सांख्यिकी  
वर्ग, वर्गभार, उपवर्ग, उपवर्ग भार

[ अ. ७ ]

वर्ग	वर्गभार	उपवर्ग	उपवर्ग भार
१. खाद्य पदार्थ	५०४	(i) ग्रन्थ (ii) दालें (iii) फल तथा तरकारी (iv) दूध तथा घो (v) खाने वाले तेल (vi) मछली, घंडे व मांस (vii) चीनी व गुड़ (viii) गन्य	१६२ ४३ २३ ८४ ४७ १७ ४८ ५०
२. मंदिर व तम्बाकू	२१	(i) मंदिर (ii) तम्बाकू (निमिति सहित)	
३. ईंधन, शक्ति, प्रकाश व स्थिति	३०	(i) कोयला (ii) खनिज तेल (iii) दिल्ली (iv) ग्रंडी का तेल	
४. औद्योगिक कच्चा भाल	१५५	(i) रेशेदार भाल (ii) तिलहन (iii) खनिज (iv) गन्य	११ ६० २ ३२
५. निमित पदार्थ	२६०	(i) अन्तर उत्पादन (ii) निमित उत्पादन निमित उत्पत्ति— अ. बनावटी भाल ब. धातु उत्पादन स. रसायन द. खली य. मशीन व परिवहन सामाज फ. गन्य	४१ २४६ २६० १४७ १२ २० ६ ३१ ३०
		१०००	

इस प्रकार नई भार व्यवस्था से विभिन्न वर्गों का सापेक्षिक महत्व बदल गया है। मूवं सूचक की अपेक्षा साधा पदार्थ वर्ग का भार  $31\cdot0\%$  से बढ़ाकर  $50\cdot4\%$  कर दिया गया है जबकि अन्तर्वादी पदार्थ वर्ग का भार  $6\cdot6\%$  से घटाकर  $47\cdot6\%$  कर दिया गया है। इसका प्रत्यक्ष कारण साधा पदार्थ वर्ग में कई नवीन वस्तुओं का समावेश किया जाना है।

माध्य-मूवं सूचक की अपेक्षा इस सूचक में भारतीय गुणोत्तर माध्य के स्थान पर भारित समान्तर माध्य प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त देशनाक बनाने की प्रविधि में कोई बद्धन नहीं।

संशोधित देशनाक के साथ ही पुराना देशनाक भी प्रकाशित किया जा रहा है, अत दोनों में पारस्परिक परिवर्तन निम्न सूत्र के आधार पर किया जा सकता है—

१०० संशोधित शृंखला के =  $370\cdot6$  ( $1652-53$  का औसत) पुरानी शृंखला के

प्रकाशन-रिजर्व बैंक भाव इडिया ब्लेटिन के अक्टूबर  $1655$  के अंक से कृषि वस्तुओं के योक मूल्य देशनाक (Index Number of Wholesale Prices of Agricultural Commodities) की एक शृंखला भी प्रकाशित की जा रही है जो संशोधित शृंखला से प्राप्त की गई है। व्युत्पादित शृंखला (Derived Series) संशोधित शृंखला के २६ कृषि वस्तुओं के देशनाकों का भारित माध्य है जिन्हे कुल  $461$  का भार दिया गया है।

आर्थिक सलाहकार द्वारा पुराने देशनाक के साथ ही संशोधित देशनाक भी प्रति सप्ताह प्रकाशित किये जाते हैं जिनमें वर्ग तथा उपवर्ग देशनाकों के साथ ही विविध वस्तुओं के देशनाक भी दिये जाते हैं।

ममालोचना-आर्थिक सलाहकार का संशोधित सूचक एक प्रतिनिधि सूचक है जिसका चेत्र पहले से अधिक वस्तुओं का समावेश करके अधिक व्यापक कर दिया गया है। भार प्रणाली में परिवर्तन कर इसे देश की अर्थव्यवस्था के समरूप बनाया गया है—कथित मूल्यों की सल्ला भी बहुत अधिक है।

गुणोत्तर माध्य के स्थान पर समान्तर माध्य का प्रयुक्त किया जाना और “विविध” वर्ग को समाल किया जाना कुछ समझ में नहीं आता है। किसी भी वर्ग में न आने वाली वस्तुओं को आसानी से “विविध” वर्ग में रखा जा सकता है।

देश की अग्रारिशील अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखने हुए यह कहा जा सकता है आधार वर्ष  $1652-53$  भी अब पुराना पड़ गया है। श्री लाल (Sri K. B. Lal), आर्थिक एवं उद्योग मन्त्रालय के अतिरिक्त सचिव का भी यही मत था कि “दो पच वर्षीय योजनाओं के सफल होने के फलस्वरूप देश का आर्थिक क्लेवर बदल गया है।” अत आधार वर्ष बदल कर  $1660-61$  कर देना भी यस्कर होगा। इसी कारण से वस्तुओं की भव्या भी  $112$  से बढ़कर  $150$  कर देना चाहिए।

निम्न तालिका में वर्ग तथा उपवर्गों के आधार पर योक मूल्य देशनाक दिये गये हैं—

**भारत के योक मूल्यों के देशनाक  
(आधार १९५२-५३=१००)**

वर्ग तथा उपवर्ग	१९५१ (श्रौसत)	१९५२ (श्रौसत)	फरवरी १९५३	२३ मार्च १९५३
समस्त वस्तु	१२५.८	१२७.१	१२६.६	१२६.८
खाद्य पदार्थ	११६.५	१२४.६	१२४.२	१२३.२
ग्रन्थ	१०१.६	१०५.७	१०२.४	१०२.३
दालें	६१.२	१०३.७	१०३.२	६८.३
फल व तरकारी	१३१.२	१३५.७	१३३.२	१३३.४
दूध व धी	११५.१	१२३.१	१२१.६	१२५.१
खाने योग्य तेल	१५८.२	१५४.७	१४६.३	१४०.३
महनी, अरडे व मास	१३१.१	१४३.७	१३४.७	१३७.०
चीनी व गुड़	१२०.७	१३७.५	१४७.८	१४८.०
अन्य	१७२.६	१६८.८	१७८.२	१७२.८
म दिरा व तम्बाकू	१०३.६	६६.५	६६.३	११३.१
ईंधन, शक्ति, प्रकाश, स्निग्ध	१२१.६	१३३.२	१२४.०	१३५.१
श्रीदोगिक वस्त्रा माल	१४७.७	१३७.३	१३३.७	१३५.०
तेशीदार पदार्थ	१५०.०	१३८.०	१३०.३	१३४.२
तिलहन	१५७.८	१५४.०	१४२.१	१४१.६
खनिज	६५.१	६३.६	६३.४	६३.४
अन्य	१२७.६	१२६.५	१२६.७	१२६.१
निर्मित पदार्थ	१२७.२	१२८.१	१२६.१	१२८.८
अन्तर उत्पादन	१३८.४	१३६.८	१३६.३	१३६.६
निर्मित उत्पादन	१२५.४	१२६.२	१२७.६	१२७.७
वस्त्र	१२७.७	१२५.४	१२७.३	१२६.५
धातु	१५१.१	१५७.८	१६१.०	१६१.०
रसायन	१०८.७	११४.५	११५.६	११७.५
खली	१४६.३	१५८.८	१६३.५	१५५.६
मशीन व परिवहन यत्र	११३.६	११७.३	११७.७	११८.६
अन्य	१२०.२	१२४.२	१२५.०	१२७.३

+प्रस्थानी

योक मूल्य के देशनाक-महत्व पूर्ण वस्तुएँ -आधार १९५२-५३

(Index Number of Wholesale Prices-Important Commodities, Base 1952-53)—

### मूल्य संकेत

भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार द्वारा यह देशनाक १६५२-५३ के आधार पर साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक आधार पर सकलिन तथा प्रकाशित किया जाता है। इसमें सम्मिलित की गई २८ वस्तुएँ निम्न तालिका में दी गई हैं। मूल्य प्रत्येक शनिवार को प्राप्त किये जाते हैं और औसत साप्ताहिक देशनाको के आधार पर मासिक तथा वार्षिक देशनाक तम्यार किये जाते हैं।

**योक मूल्य देशनाक—महत्वपूर्ण वस्तुएँ**  
(१६५२-५३=१००)

वस्तुएँ	१६६०-६१	१६६१-३२	फरवरी १६६३
१ चावल	१०८	१०५	१०६
२ रेहू	६०	६१	५६
३ जुबार	१२२	११२	११८
४ बाजरा	१३०	१३२	११७
५ चना	८७	८३	८६
६ अन्य दालें	६६	६७	१११
७ केला	१०६	११६	१३२
८ दूध	११८	११७	१२२
९ घी	१३८	१४४	११६
१० मृगफली का तेल	१६८	१७७	१७८
११ सरसो का तेल	१२७	१२५	१३५
१२ चीनी	१३६	११६	१५६
१३ गुड़	२०६	१८३	१८३
१४ चाय	१२८	१४०	१६५
१५ भसाले	१११	८६	८२
१६ तम्बाकू	१४१	१४२	१५३
१७ कोयला	११२	१०८	११२
१८ कपास	२१०	१७८	१५०
१९ पटसन	१४२	१५५	१२८
२० मृगफली	१६३	१७२	१७१
२१ श्वेत सरसा (Rapeseed)	१०२	१०२	१०२
२२ गला			
२३ लद्दु तथा इमारती लकड़ी (Logs and timber)	१४१	१४२	१५०
२४ सूनी कपड़ा	१२८	१२८	१३४
२५ झट का माल	१३१	१२२	१०५
२६ रेशम तथा रेशम का माल	१०४	१२०	१३६
२७ लोह तथा इस्पात का माल	१४७	१४८	१६१
२८ मरीन	....	११६	१२०

भारत तथा कुछ प्रमुख विदेशी देशों के योक मूल्य देशनाक आधार १९५३  
( Index Numbers of Wholesale Prices in India and Some Principal Foreign Countries—Base 1953 )

संयुक्त राष्ट्र के Monthly Bulletin of Statistics में यह देशनाक मासिक तथा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं जो निम्न तालिका में दिये गये हैं —

	भारत	संयुक्त राज्य अमेरिका	कनाडा	आस्ट्रेलिया
१९५६	१११	१०० स	१०४	१०६
१९६०	११८	१०० स	१०४	११२
१९६१	१२१	१००	१०६	१०८
१९६२ मई	१२१	१००	१०८	१०५

( स-संक्षेपित )

कलकत्ता में योक मूल्य देशनाक ( Index Number of Wholesale Prices in Calcutta—Base 1914 )—

दत्तमान योक मूल्य देशनाकों में उपरोक्त शहर सबसे पुढ़ानी है। पहले यह शहर वाणिज्य-ज्ञान व सांख्यिकी के महासचिव ( Director-General of Commercial Intelligence & Statistics ) द्वारा संकलित की जाती थी तथा Indian Trade Journal में ही प्रकाशित की जाती थी परन्तु अब इसका संकलन परिचमी वगान राज्य के सांख्यिकी व्यूरो द्वारा किया जाता है तथा Indian Trade Journal में ही प्रकाशित की जाती है।

यह देशनाक मासिक है तथा जुलाई १९६४ के आधार पर संकलित विये जाते हैं। प्रारम्भ में ७२ वस्तुओं को १० वर्गों में विभक्ति किया जाता था—परन्तु अब इसमें ५६ वस्तुएं हैं जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है—

वर्ग

वस्तुओं की संख्या

१ अनाज

८

२ दालें

६

३ चीनी

३

४ चाय

१

५ अन्य साधा पदार्थ

६

६ तिनहन

३

७ सरसों का तेल

१

८ पटसन	३
९ पटसन का माल	४
१० वपास	२
११ ऊनी तथा रेशमी वस्त्र	२
१२ खाले तथा चमड़ा	३
१३ धानु	६
१४ अन्य कच्चे तथा निर्मित पदार्थ	८
	—
	५६

कल्कत्ता बाजार के थोक मूल्य लिए जाते हैं और वे भी महीने में एक दिन। अत यह देशनाक मखिल-भारतीय भवित्व के नहीं है। वस्तु सूचक, वर्ग-सूचक और सामान्य सूचक निष्कालन के लिये सरल समालूप माध्य का प्रयोग किया जाता है। वेत्ते नो यह अभारित सूचक है फिर भी भार वस्तुओं की संख्या के बराबर दिया जाते हैं।

### राजस्थान में थोक मूल्य देशनाक, आधार वर्ष १९५२-५३

( Index Number of Wholesale Prices in Rajasthan, Base-1952-53 = 100 )

राज्य के अधीन तथा सालियनी निदेशालय ( Directorate of Economics & Statistics ) द्वारा १९५६ म पुनर्गठन के पश्चात थोक मूल्य देशनाक तैयार करने का कार्यारम्भ किया जो अब प्रकाशित कर दिया गया है।

यह एक सामान्य-उद्देश्य ( General Purpose ) सूचक है जो १९५२-५३ के वित्तीय वर्ष के आधार पर तय्यार किया गया है। इसमें ५६ वस्तुओं का समावेश किया गया है जिनके ६८ कथित मूल्य राज्य के २२ विभाग केन्द्रों से लिये ये हैं। निम्न तालिका वर्गानुसार वस्तुओं तथा कथित मूल्यों की संख्या बतलाती है—

वर्ग	वस्तुओं की संख्या	कथित मूल्यों की संख्या
१. खाद्य	२१	३६
२ ईधन, शक्ति तथा प्रकाश	५	६
३ आद्योगिक कच्चा माल	६	२०
४ निर्मित पदार्थ	२४	३३
अ अन्तर उत्पादन	५	५
आ निर्मित वस्तुएँ	२०	२६

### वस्तुओं का चयन, वर्गीकरण आदि—

वस्तुओं का चयन मुख्यतः राज्य को अपेक्षित वस्तु के महत्व तथा साधा राज्य के कुल उत्पादन में सहयोग के आधार पर किया गया है। नमक, जूल, अम्रक वाल रदा रोलर बीरिंग ( Ball and roller bearing ), यद्यपि मुख्यतः राज्य से बाहर निर्यात के लिये हैं परन्तु राज्य के मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं इन वस्तुओं नी मूल्यी में सम्मिलित किये गये हैं। इसी प्रकार जोहे तथा इस्पात का गान, वस्त्र, ग्रादि यद्यपि पूरणदः या अधिकतर आयान किये जाने हैं परन्तु जिनका यहाँ उपयोग होता है और योक व्यापार होता है, का भी समावेश किया गया है।

हृषि वस्तुओं के सम्बन्ध में किसी तथा बाजारों में घासर समिति के निर्णय के अनुरिक्त मुख्य उत्पादक तथा उपयोग लेत्र के जिला कार्यालय स्थानों वो जहा भड़ी है भी चुना गया। अन्य वस्तुओं के लिए मुख्यतः जयपुर शहर को ही किया गया क्योंकि वही एक बृहत् उपयोग केन्द्र तथा योक बाजार है।

वस्तुओं का वर्गीकरण Standard International Trade Classification के आजार पर किया गया है जो आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रयोग में लिया गया है।

मूल्य-प्राप्ति स्रोत—दोनों स्रोतों, शासकीय तथा अशासकीय, द्वारा मूल्य प्राप्त किये जाने हैं। हृषि वस्तुओं के लिए तथा जिलों में तहसीलदार प्रतिवेदन मिलते हैं। विशेष वस्तुओं के प्रमाणित संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जाता है तथा कई मूल्य वस्तुओं के लिए निजी संस्थाएं भी निदेशालय वो मुचना प्रदान करती हैं। जयपुर में मूल्य संग्रहण का कार्य निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

भारत-विभिन्न वस्तुओं को भारत बाजार में सापेक्षिक विपरिणाम मूल्य के अनुपात में किये जाने हैं। विपरिणाम मूल्य का अनुमान लगाने के लिये आन्तरिक उत्पादन तथा आयान के योग को आधार वर्ष के प्रति इकाई औसत मूल्य से गुणा कर दिया जाता है। हृषि वस्तुओं के आन्तरिक उत्पादन में से उत्पादकों द्वारा खोज और स्वयं के उपयोग आदि के लिए रखी गई मात्रा कम कर दी जाती है। मरालों तथा जूनों का भार राष्ट्रीय न्यायालय सर्वेक्षण ( National Sample Survey ) द्वारा प्रदत्त आकड़ों के आगार पर रखिये गये हैं। मरुन तथा उचरकों को भार आर्थिक सचाहकार के देशनाव के आधार पर रखिये दें।

### प्रयुक्त माध्य—भारित समान्तर माध्य

प्रविधि—प्रति गुहवार साताहिं मूल्य प्राप्त किये जाने हैं तथा आवार का अनुपात में प्रनिशन के रूप में मूल्यानुपान निकाले जाते हैं। वस्तु-मूचक वस्तु की विभिन्न विस्तों के मूल्यानुपानों के सरल समान्तर माध्य के रूप में प्राप्त किया जाता है। और

फिर इनके ( वस्तु-सूचक ) भारित समान्तर माध्य से वर्ग सूचक निकाला जाता है। इसी प्रकार विभिन्न वर्ग सूचकों का भारित समान्तर माध्य ही समस्त वस्तु देशनाक होता है।

राजस्थान में घोक मूल्य देशनाक (  $1652 - 23 = 100$  )

	१६६१	दिसम्बर १६६१	मार्च १६६२
खाद्य पदार्थ	१२६	१२६	१२६
ईंधन तथा शक्ति	११७	११७	११७
ओद्योगिक वस्तु मान	१४४	१४५	१४७
निमित पदार्थ			
अन्तर उत्पादन	११८	११८	११८
निमित वस्तुएँ	११८	११८	११८
समस्त वस्तु	१२५	१२५	१२६

## फुटकर मूल्य समक

### Retail Price Statistics

(विभिन्न द्वाजारों में वर्ड वस्तुओं के फुटकर मूल्यों की सूचना विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है, फिर भी यह सतोषप्रद नहीं है। इनके द्वारा, यांत्रित तथा सूचना प्राप्ति के स्रोतों का भी विवरण प्राप्त नहीं होता है। कई राज्यों के अध व सास्त्रियों निदेशालय द्वारा सम्बन्धित सूचना प्रकाशित की जाती है। परन्तु वस्तुओं के चुनाव में समरूपता का अभाव है। दुष्कृत मूल्य प्रकाशनों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है—

### नमक के फुटकर मूल्य ( Retail Prices of Salt )

बाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के नमक आयुक्त द्वारा नमक के फुटकर मूल्य संक्षिप्त विवेद जाने हैं जिनका प्रकाशन Statistical Abstract of India में किया जाता है। सूचना उत्तरी भारत के केन्द्रों ( सामर, पञ्चमी, डीडवाना तथा मढ़ी ), और भाग, मद्रास, महाराष्ट्र, उडीसा, पश्चिमी बंगाल, गुजरात आदि के लिये मिलती है।

मोने-चादी के फुटकर मूल्य, बम्बई ( Retail Prices of Gold and Silver, Bombay )—जिन्हें वैश द्वारा सोने-चादी के भाव साताहिक, प्राप्ति

व वार्षिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। मूल्य वस्त्रई बुलियन एसोसियेशन, निगेटेड से प्राप्त किये जाते हैं जो हाजिर व वायदे के लिए अनग से दिये जाते हैं। मूल्य अधिकतम न्यूनतम व औसत दिये जाते हैं। मूल्य १ अबट्टवर १६६० से सोने के प्रति १० ग्राम तथा चादी के प्रति किलोग्राम प्रकाशित किये जाते हैं।

### सोने-चादी के फुटकर भाव-वस्त्रई

	१६६०-६१	१६६१-६२	फरवरी १६६३	फरवरी २२ १६६३
	रु०	रु०	रु०	रु०
<b>स्वर्ण —</b>				
हाजिर				
अधिकतम	१२४ ४०	१२६ ००	१०६ ००	१०६ ००
न्यूनतम	१०७ १२	११५ ८५	६५ ००	१०२ ००
औसत	११४ ६१	१२१ २५	१०२ ००	१०३ ५०
<b>वायदा —</b>				
अधिकतम	१२४ ५०	१२६ ४०	—	—
न्यूनतम	१०७ १२	११६ २०	—	—
औसत	११४ ०५	१२१ २५	—	—
<b>चादी —</b>				
हाजिर				
अधिकतम	२०६ ३०	२१६ ६५	२४० ५०	२४० ५०
न्यूनतम	१५१ ००	१६६ ६५	२२५ ००	२३४ ००
औसत	१६३ ६४	२०६ ४६	२३१ ७०	२३७ ७०
<b>वायदा</b>				
अधिकतम	२०६ ३०	२१६ ३५	—	—
न्यूनतम	१५१ २२	१६४ ६५	—	—
औसत	१६१ ७७	२०६ ४१	—	—

इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में भी सूचना प्रकाशित की जाती है परन्तु विशेष महत्व की न ज्ञाने के कारण विवरण नहीं। गंगा है।

फुटकर मूल्य देशनाक भी देश में प्राप्त हैं। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अम व्यूरो द्वारा शामिल तथा शहरी चौंचों में फुटकर मूल्यों की सूचना प्रकाशित की जाती है जिसका प्रयोग फुटकर मूल्य देशनाक बनाने में किया जाता है।

उपभोग की कुछ चुनी हुई वस्तुओं के फुटकर मूल्यों के मूल्यानुपात-१८ शहरी तथा १२ ग्रामीण केन्द्रों के लिए ( Price Relatives of Retail Prices of Certain Selected Articles at 18 Urban and 12 Rural Centres Base-1949 = 100 )—

केन्द्रीय श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अम व्यूरो द्वारा १८ शहरी तथा १२ ग्रामीण केन्द्रों के उपभोग की कुछ चुनी हुई वस्तुओं के फुटकर मूल्यों के मूल्यानुपात १६४६ के आधार पर प्रकाशित विष्ये जाते हैं। यह अभासित देशनाक है। मूल्यानुपात ३४ वस्तुओं के लिए प्राप्त है जिन्हें पांच दण्डों में विभाजित किया जाता है, जो निम्न तालिका में स्पष्ट है। पहले मूल्यानुपातों के साथ अभासित वर्ग देशनाक भी प्रकाशित किये जाते थे।

६ राज्यों में फैले हुए १८ शहरी केन्द्र इस प्रकार हैं—

( अ ) गुजरात—	१—सूरत, २ दोहद
( आ ) बिहार—	१—पटना
( इ ) मंसूर—	१—हुबली
( ई ) पश्चिम—	१—मधूनसर
( उ ) उत्तर प्रदेश—	१—लखनऊ, २. आगरा, ३ वरेली, ४. वाराणसी, ५—मेरठ
( ऊ ) पश्चिमी बंगाल—	१—हावड़ा, २. बंगलवज, ३. कानकिनारा ( Kankinara )
	४. रानीगंज, ५. कलकत्ता, ६. गोरीपुर, ७. सीरामपुर और ८. कंचनपाड़ा ( Kanchanpara )

६ राज्यों में फैले हुए १२ ग्रामीण केन्द्र इस प्रकार हैं—

कुण्डा (आध), मैबंग ( Maibang ) ( अमम ), तेघरा ( बिहार ), लख ( महाराष्ट्र ), मुल्लपी ( Multapi ) और सलामतपुर ( मध्य प्रदेश ), कुडची और मालूर ( मैसूर ), बामडा और मुनीगुडा ( Muniguda ) ( उडीसा ), नाना ( राजस्थान ) तथा शकरगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) ।

४ शहरी तथा १ ग्रामीण केन्द्रों के सिवाय १६६२ के कुछ चुनी हुई वस्तुओं के मूल्यानुपात नीचे दिए गए हैं—

भारतीय ना न्यकी  
(आवार १६४६ = १००)

[ अ ३ ]

वस्तु	कलकत्ता (प०वास)	आगरा (उनरप्रदेश)	मुंबई (गुजरात)	मायाम्पुर (प० वास)	इंडिया (मास)
अन्यान—					
गहू	८८	७३	१२५	८८	८८
चावन	१६०	७१	१०६	१७४	८६
चना	१०७	११८		१२३	
जूबार			१६१		१०५
जी		८८			
मक्का					
चाटू chattoo	१०७			६५	
दाल—					
मूँग	१०३	१११	१०२	१०७	
माया		१६८	१४३		
(mash dal)					
चना	१००	१११	८२	११३	५१
मरहर	११०	१३५	१०३	१३५	७६
अ य माय पदार्थ—					
चोनी	१२२	१२५	११३	१२६	१११
गुड	१०७	१४७		१३६	१३०
बनस्पति धी	१७३	११२			
शुद्ध धी	१०६	१३३	१३६	१०३	१६४
खान याक रन	११२	११६	१०८	११६	६५
चाय	१३८	१४८	१२६	१५८	१०६
नमक	११७	८०	७१	१०६	६२
लाल मिठ	११७		१०२	१०६	२००
हड्डी	११७			१२०	२२८
मास	१२८	१६०	१३३	१२८	१६८
मद्दनी	१३८			१४७	
प्याज	८८	६८	६४	७१	५६
आटू	१२५	१३८	८६	१२४	
दूध	१०८	१०४	१०८	१०६	१३६
ईघन तथा प्रकाश					
उड्डी	८७	१०८	१४१	१०३	
माचिम	१४०	१७७	१२५	१२०	१००
मिट्टी वालन	१००	१०८	१६४	१००	
विविध—					
बीड़ा	१९६	०३३	१००	१३६	१४५
तम्बाकू	१११	१२५	१४१	११८	
धान का दाढ़न	१०५	६३	११६	१००	१०७
तत्त (मिरवा)	१४६		१२२	१४२	६४
पान	१२६	१५८	८६	८२	
सुपारी	२६२	३०२	२८८	२३३	

उपभोक्ता मूल्य देशनाक या निवाह-लागत देशनाक (Consumer Price Index Numbers or Cost of Living Index Numbers)

पिछले पृष्ठों में फुटकर मूल्य देशनाकों का विवरण किया गया है जो फुटकर मूल्यों के परिवर्तनों का माप प्रस्तुत करते हैं। भारत सरकार के अम व्यूरो द्वारा तथा विविध राज्य सरकारों द्वारा निवाह-लागत देशनाक, जिन्हें अब उपभोक्ता मूल्य देशनाक कहा जाता है, तेपार किये जाते हैं। ये भी फुटकर मूल्यों के परिवर्तनों का उचित माप प्रदान करते हैं। वैसे ये देशनाक मूल्य देशनाक नहीं हैं परन्तु यूकि निवाह-लागत के परिवर्तन मूल्यों के परिवर्तन भी बताते हैं, अत. ये देशनाक मूल्य स्तरों के परिवर्तनों के उचित सूचक समझे जाते हैं।

### 'निवाह-लागत (Cost of Living) देशनाक'

'फुटकर मूल्य देशनाक' तथा उपभोक्ता मूल्य देशनाक, पर्याप्तवाची शब्द है और इनके अर्थ, महसूल, चेत्र आदि में कोई अस्तरणही नहीं है। इन देशनाकों का उद्देश्य फुटकर मूल्य स्तरों वे परिवर्तनों को नापने का है त कि मूल्य-स्तर तथा जीवन-स्तर दोनों के परिवर्तनों का। इस बृहिं से पहला International Conference of Labour Statisticians ने सुभाष दिया कि 'निवाह-लागत देशनाक' उपयुक्त परिस्थितियों में 'Price-of-living index', - 'Cost of living price index', या 'Consumer Price Index', शब्दों से प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिये।

भारत में अधिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य देशनाक प्राप्त हैं परन्तु अब अन्य वर्गों के देशनाकों के साकलन का प्रयास भी किया गया है। उपभोक्ता मूल्य देशनाकों का साकलन तथा प्रवालग्न अम व्यूरो द्वारा किया जाता है जो इस प्रकार है—

अम व्यूरो के अधिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य देशनाक (Labour Bureau Consumer Price Index Numbers for Working Class Base Shifted to 1949=100)

२० केन्द्रों के लिए यह देशनाक बनाये जाने हैं—प्रथम १५ केन्द्रों का आधार वर्ष १९४८ या जिसे गणित के आधार पर शृंखित करके  $1648 = 100$  कर दिया गया है। शेष पाँच केन्द्रों (विनिहार #) के आधार वर्ष तात्त्विक के नीचे दिये गये हैं। य देशनाक इन पाँच केन्द्रों के अनिकृत वर्ष १५ के द्वारा के अधिक वर्ग द्वारा किये गये सेवाओं तथा वस्तुओं के फुटकर मूल्यों के परिवर्तनों को १६४६ के आधार पर नापते हैं।

य देशनाक मासिक आधार पर सहनित किये जाने हैं तथा विविध वस्तुओं को निम्न पाँच वर्गों में विभक्त किया गया है—

- १ खाद्य
- २ ईंधन तथा प्रकाश
- ३ मकान किराया
- ४ वस्त्र, बिस्तर और जूते आदि ( Clothing, Bedding & Foot-wear ), और
- ५ विविध ।

उपरोक्त देशनाको ( १९४६=१०० ) के साथ ही अलग स्तम्भ में १९१४ के आधार पर बतानाने मास के देशनाक भी दिये जाते हैं । साथ ही विविध वर्गों के देशनाको को १९४४ से शुल्कलित करने का परिवर्तन गुणक भी ( conversion factor ) तालिका में दिया जाता है । कुल मिला कर ६ देशनाक प्रहोक केन्द्र के तथ्यादि दिये गये हैं । ( ५ विभिन्न वर्ग तथा १ समस्त वस्तु ) भार-निर्वारण १९४३-४५ के परिवर्त बजट अनुमानों पर आधारित हैं । वर्ग देशनाक के लिए विविध वस्तुओं के भार उनके व्यय के अनुपात में दिये गये हैं । इसी प्रकार सामान्य देशनाक में विभिन्न वर्गों को भार वर्गों के अनुपातिक व्यय के आधार पर दिये गये हैं । कुल व्यय का लगभग ६०-७०% व्यय 'खाद्य पदार्थों' पर होता है तथा 'विविध' वर्ग पर व्यय शेष तीनों वर्गों से अधिक होता है । इसका प्रकाशन ( Indian Labour Journal ) में होता है ।

अम व्यूरो के अधिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य देशनाक ( Labour Bureau Consumer Price Index Numbers for Working Class ) नीचे की तालिका में दिए गए हैं ।

## मूल्य समक

७ ]

Base Shifted to 1919=100 except for centres marked\*

केन्द्र Centre	सामाजिक देशनाक (General Index)			उपभोक्ता Moolya Deshanak (प्रावार १६४४= १००) दिसम्बर १६६२
	परिवर्तन गुणक (conversion factor)	दिसम्बर १६६२	जून १६६१	
१	२	३	४	५
१ फ़िल्ही	१३२		१२७	
२ अजमेर	१६१	११२	११३	१६० २१
३ जमशेदपुर	१३८		१२३	
४ मरिया	१५६		१०५	
५ देहरी प्रांत-सोन ( Dehri-on Sone)	१७०	११०	१०६	१६७ २४
६ मुगेर	१७१		१११	२०५ २३
७ कटक	१४७	१४०	१२५	२१५ ६१
८ बरहामपुर	१५४	१४०	१०६	१४७ ७६
९ गोहाटी	१२८	११५	१०७	१५२ २५
१० सिलचर	१३८	११०	११८	१३४ ४४
११ निनमुखिया	११०	१२२	११८	१६० ५८
१२ तुष्णियाना	१६४	११०	१०५	२०५ ६०
१३ मकोला	१६८	१२३	११३	१६६ ६२
१४ जलपुर	१५१	१३२	१११	१७४ २१
१५ खडापुर	१३७	१२८	११७	
१६ मरकारा (Mercuri)			१४१	
१७ रोपनवन केन्द्र (Plan- tation centres)			१३०	
१८ भेषान			११३	
१९ व्यावर		१०८	१०२	
२० मनता		१०८	१०१	

प्रारम्भिक आधार वर्ष पर देशन के प्राप्त करने हेतु उपरोक्त मूल्यक को परिवर्तन गुणक ( conversion factor ) से गुणा करना हीगा ।

चिन्हित ( \* ) के द्वारा के आधार वर्ष इस प्रकार है—

मरकारा = १६५३ = १००

रोप वन केन्द्र ( Plantation Centres ) जिसमें ( Gudalur, Kullakamby, Vayalihalli और Valparai सम्मिलित हैं ) जनवरी-दून १६४६ = १००

भोपाल १६५१ = १००

व्यावर अगस्त १६५१-जुलाई १६५२ = १००

मतना १६५३ = १००

( Price-Relatives of Selected Articles on Base 1949 = 100 for 15 Centres of Labour Bureau Series of Consumer Price Index Numbers )

उपरोक्त उपभोक्ता मूल्य देशनाको के अतिरिक्त २० केन्द्रों में से प्रथम १५ केन्द्रों के मुख्य चुनी हुई वस्तुओं के १६४६ के आधार पर मूल्यानुपात भी प्रकाशित किये जाते हैं जिनके आधार पर उपरोक्त उपभोक्ता मूल्य देशनाक सकलित किये जाते हैं । विभिन्न वस्तुओं को निम्न वर्गों में विभक्त किया जाता है—

१. खाद्य पदार्थ	१६ वस्तुएँ
२ ईधन तथा प्रकाश-	३ , ,
३ वस्त्र तथा सम्बद्धित वस्तुएँ -	६ ,
४ विविध-	७ ,

यह मूल्यानुपात धर्म व्यूरो द्वारा ही मासिक आधार पर सकलित किये जाते हैं तथा Indian Labour Journal में प्रकाशित किये जाते हैं ।

ममालोचना — उपरोक्त २० केन्द्रों में से १५ केन्द्रों का आधार वर्ष बदलार १६४६ कर दिया गया है एवं नु भार १६५३-४५ के बीच वी गई परिवार बजट अनु मधानों पर ही आधारित है । आधार वर्ष का परिवर्तन भी दिनां परिवार बजट प्रति कालाने के ही अवगति के आधार पर कर दिया गया है । इसी एकत्र केन्द्रों का चुनाव भी विभिन्न केन्द्रों में शहरों के औद्योगिक महत्व के आधार पर किया गया है त वि याद्यन प्रणाली के आधार पर । याद्यन का आधार भी एक अप नहीं है । खाद्य, ईधन तथा प्रकाश और विविध वर्ग की वस्तुओं के मूल्य गत मात्राहृतया अन्य वस्तुओं के इति माम के निये जाते हैं । ग्रोमन बजट में दिलाये गय अद्य के आधार पर भार प्रशन किये गये हैं जिसम अद्य पर व्याज, आधिकों वो भेजी गई राशि भादि का उन्नेत्र नहीं है । इसी प्रारंभ बर्तनों

तथा फॉन्डर पर किया गया व्यय भी भार निर्धारण से छोड़ दिया गया है जो किसी भी आधार पर उचित नहीं है। भूरिया, मरकारा, और मद्रास के देशनाको में मकान किराया सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि वहा अमिको को मकान मुफ्त मिलते हैं या उनके स्वयं के हैं। इसी प्रकार रोपन-वन (Plantation) केन्द्रों वी शृंखला में 'ईंधन तथा प्रकाश' वर्गों को छोड़ दिया गया है क्योंकि इन पर भी कोई व्यय अमिको को नहीं करना पड़ता है वास्तव में यह विचार आपत्तिजनक है। सही रूप में ऐसे मदों का अनुमान लगाकर व्यय तथा आप दोनों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

**राज्यों के उपभोक्ता मूल्य देशनाक ( १४ केन्द्रों के लिए )**

(States' Consumer Price Index Numbers for 14 Centres—

विभिन्न राज्यों द्वारा उपभोक्ता मूल्य देशनाक संकलित किये जाते हैं जिनका प्रकाशन Indian Labour Journal में किया जाता है तथा राज्यों के अम राजपत्र या बुलेटिनों में भी प्रकाशित किए जाते हैं।

जिन १४ केन्द्रों के देशनाक Indian Labour Journal में प्रकाशित किये जाते हैं उनके नाम तथा प्रारम्भिक आधार काल निम्न तालिका में दिये हैं। आधार काल एक साल से सेकर एक वर्ष तक का है। यद्य सदका आधार काल बदल कर १६४६= १०० कर दिया गया है। भार भी प्रारम्भिक आधार-काल में वी गई परिवार-बजट खोजों के आधार पर दिये गये हैं।

विभिन्न वस्तुओं को निम्न ५ वर्गों में विभाजित किया गया है—

ग्र. स्थाय पदार्थ

आ. ईंधन तथा प्रकाश

इ. वस्त्र

ई. मकान किराया

उ. विविध

हैदराबाद सिटी के देशनाक में ढाठ वर्ग 'मादक पदार्थ' (intoxicants) का भी सम्मिलित किया जाता है। क्यिंत मूल्यों वी धावति में भी एकल्पना का भाव है—कहीं सामाजिक तो कहीं भासिक। यही स्थिति वस्तुओं वी व्याप्ति वी है।

देशनाक बनाने वी सामान्य प्रविधि इस प्रकार है। उपरोक्त पांचों वर्गों के प्रयक मूलक तथ्यार किये जाने हैं। विभिन्न वस्तुओं के मूल्यानुपातों के भारती समान्तर साध्य के रूप में वर्ग देशनाक प्राप्त किये जाते हैं। विविध वस्तुओं वी भार उस वर्ग के कुल व्यय के अनुपात में दिये जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न वर्गों को कुल व्यय के सम्बन्ध में उनके निजी व्ययों के अनुपात में भार प्रदान कर समान्तर साध्य द्वारा सामान्य देशनाक प्राप्त किया जाता है।

अमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य देशनाक थम व्यूरो श्वस्त्रा के अतिरिक्त<sup>१</sup>  
 (आगर १९४६=१००)  
 Consumer Price Index Numbers for Working Class  
 (Excluding Labour Bureau Series)  
 (Base shifted 1949=100)

१. राज्य टदा केन्द्र	प्रारम्भिक आवार	परिवर्तन गुणक conversion factor	सामान्य देशनाक			
			२	३	४	५
१. झार्घ प्रदेश						
हैदराबाद सिटी	आगस्त १९४६ से जुलाई ४४	१.५४	१३७	१३८	१३३	
२. गुजरात—						
अहमदाबाद	आगस्त १९२६ से जुलाई १९२७	२.४८	१२१	१२२	११७	
३. मद्रास—						
मद्रास	जुलाई १९३५ से जून १९३६	३.२३	१४८	१४६	१५१	
४. महाराष्ट्र—						
बंबई	जुलाई १९३३ से जून १९३४	३.०७	१४०	१४२	१४३	
शोलापुर	फरवरी १९२७ से जनवरी १९२८	२.६६	११८	११६	१२६	
जलगाव	आगस्त १९३६	४.२५	११४	११६	१२३	
नागपुर	"	३.७७	१३१	१३१	१३६	
५. गोमूर—						
बगलोर	जुलाई १९३५ से जून १९३६	३.०१	१५०	१५१	१५४	
मौमूर	"	३.०३	१५१	१५१	१५२	
कोलार स्वामिनाने	"	३.१६	१५१	१५२	१५२	
६. केरल—						
धरताकुलम	आगस्त १९३६	३.६८	१३४	१३५	१२३	
त्रिचूर	"	३.५८	१३५	१३७	१३६	
७. उत्तरप्रदेश—						
कानपुर	"	४.७८	१०२	१०४	१०५	
८. पृथिवीबगलू कलकड़ा	१९४८	१.३४	११४	११७	१२१	

परिवर्तन गुणक से दी गई सम्भाला को गुणा करन से प्रारम्भिक आगर काल पर देशनाक प्राप्त होते ।

उपरोक्त १५ केन्द्रों के अन्तिरिक्ष भी राज्य तथा द्वारा आय बेन्द्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य देशनाकों का सकलन तथा प्रकाशन किया जाता है जिनका सदित विवरण नीदि दिया गया है। नगमण सभी राज्य शृङ्खलाओं में एक जैसे दोष पाये जाते हैं। इन देशनाकों के माधार-वर्ष अन्य हैं पर्याप्त अत्र तब का आधार वर्ष बदलकर १६४६-१०० कर दिया गया है परन्तु भार प्रारम्भिक आधार वर्ष पर ही माधारित है। कस्तुप्रो के चुनाव, मूल्यों के संग्रह और प्रविधि म एक स्वतंत्र का अभाव होने से इन्हे मानित भार-तीय महत्व का स्वीकार नहीं किया जा सकता। परिवार-बजट अनुसंधान भी मानित नहीं किया जाता है। इन दोपों वो दूर बरते के उद्देश्य से प्रद केन्द्रीय सरकार के अम व्यूरो द्वारा ५० केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य देशनाक बनाये गये हैं जिनका विवरण आये दिया गया है।

ये राज्य शृङ्खलाए राज्यों द्वारा अपनी अम पत्रिकाओं में मासिक तथा वार्षिक स्प से प्रकाशित किये जाते हैं। जिन अन्तिरिक्ष केन्द्रों के सम्बन्ध में यह देशनाक संकलित हिस्प जा रहे हैं, वह शर प्रकार हैं।

उपभोक्ता मूल्य देशनाको की ग्रमिनव शृंखला (थप व्यूहे शृंखला के अतिरिक्त)

Recent Series of Consumer Price Index Numbers  
(Excluding Labour Bureau Series)

राज्य शृंखला	आवार काल	सामान्य सूचक	
		१६६१	१६६२
<b>१. आसाम—</b>			
आसाम की घाटी चाय कार्यकर्ता (Tea workers in Assam Valley)	प्रत्रेत १६५१-		
१. कमचारी तथा शिल्पी (Staff and Artisans)	भार्व १६५२	११५	१२०
२ श्रमिक (Labourers) कछुर जिले के चाय कार्यकर्ता—	"	११६	१२१
१. कमचारी तथा शिल्पी	"	११८	१२३
२ श्रमिक श	"	१०७	१११
गाँवो मे चावल तथा आटा मिल कार्यकर्ता (Rice and flour mill workers in urban areas)			
१ प्रबन्धक तथा यान्त्रिक वर्ग (Managerial and Mechanic class)	१६५०	१०४	१११
२ श्रमिक	"	१०३	१११
गाँवो मे चावल तथा आटा मिल कार्यकर्ता			
१ प्रबन्धक तथा यान्त्रिक वर्ग	"	१०१	१०५
२ श्रमिक	"	१००	१०६
३ आसाम के मैदानी जिलो मे ग्रामीण जनसंख्या (Rural population in Assam plains Districts)	१६४४	१६३	१७२
<b>२. मध्य प्रदेश—</b>			
१ खालियर	१६५१	११८	१२८
२. इन्दौर	"	११६	१२६
<b>३. पंजाब—</b>			
१ पटियाला	१६५२ ५३	१२६	१३६
२ सुराजपुर	१६५५ ५६	१३०	१२६
<b>४ पर्यावरण वंगाल—</b>			
१ ग्रामसोल तथा रानीगंग चैत्र	१६५१	१०६	जनवरी
२. बाकुरा तथा मिदनापुर चैत्र	"	१०६	१५६२
३ बीरभूम चैत्र	"	११४	से बढ़
४ मालदाह-पश्चिमी दिलाजपुर चैत्र	"	६०	"
५ नादिया मुशीदाबाद चैत्र	"	८१	"

साप ही मध्यम वर्ग कम वेतन वाले वर्षवारी और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में निम्न केन्द्री के देशनाव का सक्षित किये जाते हैं जिनका आवार काल १६४४=१०० है।

कुछ राज्यों में मध्यम वर्ग, कम-वेतन वाले कर्मचारी  
और ग्रामीण जनसमुद्धय के उपभोक्ता मूल्य देशनाक

( प्राधार १९४९ म परिवर्तित = १०० )

Consumer Price Index Numbers for Middle Class Low paid  
Employees and Rural Population in Certain States  
( Base shifted to 1949=100 )

केन्द्र का नाम	१९६१	१९६२ अक्टूबर
मध्यम वर्ग		
१ कलकत्ता	११६	१२१+
२ आसनसोन	११६	११७+
कम वेतन वाले कर्मचारी		
३ विश्वापटनम (आन्ध्र)	१२६	१३३
४ एलुरु (Eluru) ( "	१३८	१४०
५ कुडालोर (Cuddalore) ( महाराष्ट्र )	१३३	१३५
६ तिळचिरापल्ली ( "	१२५	१३१
७ मदुराई ( "	१३०	१३४
८ वोदम्बद्दर ( "	१२६	१३६
९ कोक्किकोड ( केरल )	१२२	१२६
१० बेलारी (Bellary) ( मेसूर )	१२४	१२५
ग्रामीण जनसमुद्धय		
१ अदविवारम (Adavivarum)	१३१	१४१
२ थेटगी (Thetangi)	१५०	१४६
३ अलामुरु (Alamuru)	१२५	१३५
४ माधवारम (Madhavarum)	१३२	१४१
५ पुलियूर (Puliyur)	१२८	१३३
६ अगरम् (Agaram)	१३१	१३०
७ तुलायानाथम् (Thulayanantham)	१०६	११२
८ इरीयोदू (Eriodu)	१३८	१४०
९ गोक्किलापुरिम (Gokkilapurim)	११०	१२३
१० किनारुकुदवु (Kinarukuduvu)	१२६	१३३
११ गुदुवानचेरी (Guduvancheri)	१२१	१२६
१२ कुन्नारुर (Kunnarur)	१२८	१३४

+ जुलाई १९६२

राज्यों द्वारा सकलित तथा प्रकाशित उपरोक्त उपभोक्ता मूल्य देशनाको मे से कुछेक महत्वपूर्ण केन्द्रों के देशनाको वा विवरण इसे प्रकार है—

**बम्बई थ्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य देशनाक ( Bombay Working Class Consumer Price Index )**

बम्बई शहर के थ्रमजीवियों के सम्बन्ध मे उपभोक्ता मूल्य देशनाक सब प्रथम १९२१ मे राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया। परिवार बजट अनुमधानों की अनुरूप स्थिति मे विभिन्न वस्तुओं को भी आदित करना सम्भव नहीं है, अतः कुल उपभोग पद्धति ( aggregate consumption ) के आधार पर तथा र किया गया। बम्बई थ्रम कार्यालय द्वारा प्रथम परिवार-बजट सर्वेक्षण मई १९२१ प्रब्रेल १९२२ और द्वितीय सर्वेक्षण मई १९२२-जून १९२३ मे किये गये। दूसरे सर्वेक्षण के परिणामों पर देशनाक को आधारित किया गया। सर्वेक्षण ३% व्यादश के आधार पर किया गया और यादवी मकान ( sampled tenement ) खाली आवं पर अगले मकान को ममिलित किया गया। थ्रम कार्यालय के कम्बेचारियों द्वारा घर घर थ्रमण करके साक्षात्कार पद्धति मे विविध वस्तुओं के व्यय की मूल्यना प्राप्त की गई।

वस्तुओं को पाच वर्गों मे बोटा गया है और उन्हे इस प्रकार भारित किया गया है—

१ खाद्य	२८ वस्तुएं	भार ४७
२ ई घन व प्रकाश	४ "	" ७
३ वस्त्र	६ "	" ८
४ मकान किराया	१ "	" १३
	५ "	" १४
५ विविध	<u>४६</u> "	<u>८६</u>

थ्रम कार्यालय द्वारा वस्तुओं के मूल्य बारह विभिन्न थ्रीलीयिक देशों मे दो दुकानों मे साक्षात्कार किये जाने हैं तथा वस्त्रों के मूल्य चार वस्त्र मिलों से लिए जाने हैं और मछली, बैंगन और कद् ( pumpkins ) के मूल्य नगर निगम से प्राप्त किये जाते हैं।

देशनाक तथ्यार करने की पद्धति ब्रिटिश थ्रम मंत्रालय से मिलती जुनती है। देशनाक को दो बार भारित किया जाता है। वर्तमान गास के कथित मूल्यों को आवारणी ( जुलाई १९२३-जून-१९२४ ) के आसत मूल्यों के प्रतिशत के स्पष्ट मे वर्तमान जाना है और इन प्रतिशतों को वर्ग के अन्तर्गत वस्तु विशेष के प्रतिशत व्यय मे भारित किया जाकर गुणनकल प्राप्त किया जाता है और १०० से विभाजित करने पर प्रत्येक वर्ग का आदित माध्य देशनाक निकाला जाता है।

अब थ्रम व्यूरो द्वारा इसका आवारण काल १९४६ = १०० कर दिया गया है तथा इसका प्रवाशन ( Indian Labour Journal ) मे किया जाता है।

सिस्टम १९५८ में बम्बई सरकार ने प्रोफेनर डी टी लकड़वाला की अवधाना में दृष्टि देशनाक के स्थान पर नये देशनाक तथ्यार करने की सम्भावनाएँ पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की परन्तु जैसा कि आपे लिखा गया है श्रीद्यामिक श्रमिकों के उपभोक्ता मन्त्र देशनाक के बन जाने से ऐसे देशनाक की मावशपक्षना नहीं रही।

कानपुर उपमोक्ता मत्य देशनाक- (Kanpur Working Class Consumer Price Index) —

दनमान में यह देशानक उत्तर प्रदेश के अम ग्राम्यक द्वारा तथ्यार किया जाता है। वास्तव में यह दशानक १६३८ त्रै में उत्तर प्रदेश के ( Economic Intelligence Bureau ) द्वारा किय गये काल्पुर मिल मजदूरों के १४२२ परिवार इन्हें अनुसन्धान पर आधारित है। इससे पूर्व कि इनका विश्लेषण वाय समाज हो द्वितीय महा समर के कारण दशरा महाराष्ट्र भूत का प्रश्न उठ चड़ा हुआ और काल्पुर के केवल जुही वस्ती में सम्बद्ध द३०० परिवार वर्गों के सकनन पर ही देशनक नव्यार किया गया।

वर्ग	वस्त्रे	भार
१ साथ	११	४२
२ इधन व प्रकाश	२	६
३ वस्त्र	२	८
४ मकान किरणा	९	३७
५ विविद	५	२५
	—	—
	२१	१०८

कानपुर की मजदूर दस्तियों की दस दुकानों से प्रति शनिवार मूल्य प्राप्त किये जाते हैं जिनमें वे सब कर सम्भिलित होते हैं जो उपभोक्ता को चुकाने होते हैं। भारित समाजात्मक माध्य वे आधार पर देशनाक प्राप्त किये जाने हैं। पटमासिक सूचना प्राप्त करके मकान किराया देशनाक को आदोपान्त रखा जाता है। आधार कान आगत, १६३६ है जिसे अम व्यूरो द्वारा १६३६ कर दिया गया है।

**ग्वालियर तथा इन्दौर श्रमिक-वर्ग उपभोक्ता मूल्य देशनाक (Gwalior and Indore Working Class Consumer Price Index Numbers) —**

मध्य प्रदेश के अन आयुक्त द्वारा ग्वालियर और इन्दौर के देशनाक १६५१ के प्राप्तार पर तथ्यार किये जाते हैं जिनका प्रकाशन नियमित रूप से Monthly Review & Economic Situation in Madhya Pradesh में किया जाता है। ४६ वस्तुओं को पाच सामान्य बागों में विभक्त किया जाता है। दोनों केन्द्रों के भार अन्तर्गत हैं।

**श्रमिक-वर्ग के अविल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य देशनाको की अन्तरिम शृङ्खला (Interim Series of All-India Average Consumer Price Index Numbers for Working Class-Base 1949=100) —**

अम व्यूरो द्वारा प्रकाशित २० केन्द्रों के देशनाक पिछले पृष्ठों पर दिये जा चुके हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों द्वारा भिन्न-भिन्न आधारकाल पर सकलित किये गये देशनाको का भी विवरण पीछे दिया जा चुका है। परन्तु अविल भारतीय आधार पर एक संयुक्त उपभोक्ता मूल्य देशनाक की आवश्यका काषी लम्बे समय से महमूस की जाती रही है। वैसे तो यह वर्षन सही प्रतीत होता है कि अविल भारतीय उपभोक्ता मूल्य देशनाक की एक भाव शृङ्खला भारत जैसे उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में मूल्य तथा परिवारों की उपभोग हिस्से में भारी अन्तर होने से महत्वहीन हो जाती है किंतु भी अविल भारतीय स्तर की दृष्टि ऐसी समस्याएं हैं जो किमी विशेष भाग से सम्बन्धित नहीं। ऐसी आवश्यकता की दूरी के लिए अम व्यूरो द्वारा भारत में प्रकाशित विभिन्न श्रमिक-वर्ग उपभोक्ता मूल्य देशनाको को मिलाकर एक अविल-भारतीय सूचक प्रकाशित करने की सम्भावना पर हटिपात किया गया और दिसम्बर १६५२ में सर्व प्रथम १६४४ के आधार पर अविल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य देशनाको की अन्तरिम शृङ्खला प्रकाशित की गई। अम व्यूरो द्वारा विभिन्न केन्द्रों के लिए ऐसे देशनाक १६४४ के आधार पर पहले ही प्रकाशित किये जा रहे थे और विभिन्न राज्य शृङ्खलाओं को १६४४ के आधार पर परिवर्तित बर दिया गया। माझे चतुर्वर्ष यह आधार बाज १६४६ किया गया।

इस शृंखला में २४ बैन्ड सम्मिलित किये गये हैं—अम व्यूरो शृंखला के प्रथम १५ केन्द्र तथा राज्य शृंखला के ६ केन्द्र-जितके नाम इस प्रकार हैं—

आसाम—१. गौहाटी २. मिलचर. ३. तिनसुकिया

विहार—१. जमशेदपुर २. देहरी-आन-सौन ३. मुधिर

महाराष्ट्र—१. बम्बई २. शोलायुर ३. नागपुर ४. जलगाव

गुजरात—१. अहमदाबाद

मध्यप्रदेश—१. आसोला. २. जबलपुर. ३. वरहामपुर

भद्रास—१. भद्रास.

मैसूर—१. वालीर

उड़ीसा—१. कटक.

पंजाब—१. लुधियाना.

उत्तर प्रदेश—१. कानपुर.

पश्चिम बंगाल—१. कलकत्ता. २. हावड़ा. ३. सडगम्पुर

राजस्थान—१. अजमेर

दिल्ली—१. दिल्ली

इस प्रकार यह शृंखला उपरोक्त २४ शृंखलाओं का सम्मिश्रण मात्र है। प्रत्येक शृंखला के अन्तिम देशनाओं के भारित माध्य के आधार पर अखिल-भारतीय देशनाक सम्मिलित किया गया है। जिन राज्यों के एक से अधिक केन्द्र सम्मिलित किए गये, पहले उन केन्द्रों के देशनाओं का औसत लेकर राज्य सूचक तया पुनः समस्त राज्य सूचकों के औसत के रूप में अखिल-भारतीय औसत देशनांक (All India Average Index) प्राप्त किया जाता है।

राज्यों के विभिन्न केन्द्रों के भार उन्हीं केन्द्रों के कारखानों में रोजगार (factory-employment) के आधार पर दिये गये हैं तथा factory employment की गणना केवटरी अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत पजीकृत कारखानों में १९४४ में कुल श्रमिकों की संख्या पर किया गया है। विभाजन के प्रतिस्वरूप इन संख्याओं में सुधार कर दिया गया है।

शृंखला में केन्द्रों का चुनाव भौद्योगिक महत्व के आधार पर न किया जाकर आकस्मिक किया गया है। अतः देशनाक तथ्यार करने में Blown-up employment weights का प्रयोग किया गया है अर्थात् राज्य के समस्त श्रमिकों को चुने गए केन्द्रों में श्रमिकों की संख्या के भनुपात्र में बाट दिया गया है।

शृंखला उन यौद्योगिक श्रमिकों से ही सम्बन्धित है जो कारखानों में कार्य करते हैं।

निम्न तालिका में ब्रह्मेक वर्षों के देशनाक दिए गए हैं—

**श्रमिक वर्ग के लिए अखिल-भारतीय श्रौत उपभोक्ता  
मूल्य देशनांक की अन्तरिम शृंखला  
( आधार: १९४६=१०० )**

वर्ष	सामान्य		साध सूचक
	सूचक	सूचक	
१९५६	१२१	१२५	
१९६०	१२४	१२६	
१९६१	१२६	१२६	
१९६२	१३०	१३०	
१९६३— जनवरी	१३० म	१३० म	

**प्रथम—प्रस्थायी**

श्रीद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य देशनांक की नवीन शृंखला  
आधार १९६०=१००

( New Series of Consumer Price Index Numbers for  
Industrial Workers—Base 1960=100 )

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में यह प्रस्तावित विया गया था कि विभिन्न केन्द्रों के  
लिए प्रवासित वर्तमान उपभोक्ता मूल्य देशनांक में सशोधन करने के लिए नये परिवार  
बजट अनुसंधान दिये जायें। वर्तमान सूचक १९४६ के उपभोग-स्तर पर आधारित है जो  
भाज के समय में जीवन-निवाह सागत के परिवर्तनों का सही प्रदर्शन करने में असमर्थ है।  
कृत उद्योगों में तथा व्यापारिक संस्थानों में श्रमिकों को दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता  
जीवन निवाह सागत पर निर्भर करता है। उपयुक्त मात्र वी अनुपस्थिति में वर्तमान सूचक  
के आधार पर मंहगाई भत्ते में समय नुकसान परिवर्तन कर दिया जाता है तथा Pay Com  
mission द्वारा भी योजना बार्य के लिए भी इसी सामग्री का प्रयोग दिया गया है।

पार्टम International Conference of Labour Statisticians  
ने इस प्ररन पर विचार कर प्रस्तावित विया कि उपभोक्ता मूल्य देशनांक का आधार काल  
पार्षे नवीन होना चाहिये तथा उपयुक्त भार के लिए कमानग प्रत्येक दस वर्ष में एक बार  
परिवार-बजट सर्वेदण किया जाना चाहिये।

इस विष्टिकोण से सिनम्बर १९५८ से अगस्त १९५६ के बीच देश के अमजीवी परिवारों का सर्वेक्षण ५० मुख्य कारबानों, सनिज तथा रोप-बन केन्द्रों (factory mining and plantation centres) के सम्बन्ध में किया गया ।

सर्वेक्षण कार्य राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey) द्वारा भारत सरकार द्वारा नियुक्त Technical Advisory Committee on Cost of living Index Numbers के तान्त्रिक नियन्त्रण में किया गया तथा सर्वजन का कार्य अम ब्लूरो द्वारा किया गया है ।

समस्त देशनाको के लिए १९६० का वर्ष आवार काल स्वीकार किया गया है जिसकी पुष्टि Central Technical Advisory Council on Statistics ने भी की है ।

जिन केन्द्रों के सम्बन्ध में यह नवीन देशनाक संकलित किये गये हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—

राज्य	कारखाना के द्र Factory Centres	खनिज के द्र Mining Centres	रोप-बन केन्द्र Plantation Centres
आसाम	डिग्वोई		लबाक ( Labac ) रंगपाड़ा ( Rangpara ) मरियानी ( Mariani ) दुमदूमा ( Doon Dooma )
बिहार	जमशेदपुर मु गेर-जमालपुर	झारिया कोदर्मा ( Kodarma ) नोआमढी Noamundi	
महाराष्ट्र	बम्बई शोलापुर नागपुर		
गुजरात	भाव नगर अहमदाबाद		
मध्यप्रदेश	मोपाल इदोर म्बालियर	बलिघाठ	
मद्रास	मद्रास मदुराई कोयम्बटूर	—	कनूर ( Coonoor )
आंध्र प्रदेश	गुदूर हैदराबाद	गुदूर ( Gudur )	
उडीसा	सम्बलपुर	वारबिल	
उत्तर प्रदेश	कानपुर वाराणसी		
पश्चिम बंगाल	सहारनपुर कलकत्ता हायडा	रानीगंज	दार्जिनिंग जलपायगुडी
मैसूर केरल	आसानसोल बगलोर अलवाई ( Alwaye )	कोलार स्वर्ण खाने	चिकमगालुर Chikmagalur अम्माथी ( Ammathi )
एजाव	अल्लेप्पी Alleppey		मु डकायम ( Mundakayam )
यमत्यान	यमुनानगर जयपुर		
दिल्ली	प्रज्ञेद		
जम्मू व कश्मीर	दिल्ली श्रीनगर		
केन्द्रों की संख्या	३२	८	१० =१०

सम्मिलित की गई वस्तुओं का वर्गीकरण इस प्रकार है—

### १. खाद्य—

अ. अनाज तथा उसकी वस्तुएँ

आ. दालें तथा उनकी वस्तुएँ

इ. तेल तथा चर्बी

ई. मास, मच्छरी तथा अ डे

उ. दूध तथा उसकी वस्तुएँ

ऊ. मिर्चादि तथा मसाले ( Condiments and Spices )

ए. तरकारी तथा फल

ऐ. अन्य खाद्य पदार्थ

२. पान, मुपारी, तम्बाकू तथा मादक पदार्थ

३. ईंधन तथा प्रकाश

४. मकान

५. वस्त्र, विस्तर तथा जूने आदि

### ६. विविध—

अ. भेदजिक औवेज़ा ( Medical Care )

आ. रिहा तथा आमोद-प्रमोद

इ. यातायात तथा परिवहन

ई. व्यक्तिगत वस्तुएँ ( Personal care & effects )

उ. अन्य

**भार—** देशनाक की प्रत्येक नई शृंखला के भार परिवारो ( एक व्यक्ति परिवार सहित ) के औसत व्यय स्तर पर आधारित है। परिवार सर्वेदारण के प्रावार पर प्राप्त किये गये समस्त व्यय को ( गैर-उपभोग व्यय जैसे कर, व्याज, विप्रणाली ( remittances ) और मुश्ह्मास-सम्बन्धी व्यय भी ऐसे व्यय जिनको वीमत ही नहीं हुआ करते हैं जैसे चन्दा, भेंड आदि जैसे ढोड़ कर ) भार व्याय के लिए स्वीकार किया है।

इस प्रकार प्रत्येक शृंखला में सम्मिलित की गई वस्तुओं की सम्पूर्ण लगभग १०० है।

**प्रविधि—** Laspeyres के सिद्धान्त के अनुसार मूल्यानुपात के भारी माध्य के रूप में देशनाक प्राप्त किये जाने हैं, भार व्यय के अनुगात में प्रदान किये गये हैं।

**मूल्य प्राप्ति—** प्रत्येक केन्द्र के निए प्रतिनिधि बाजारों से नियमित रूप से मूल्य माप लिए जाते हैं। प्रत्येक चुने गये बाजार से प्रति सप्ताह दो दुकानों से मूल्य प्राप्त किये जाते हैं। बुद्ध वस्तुओं, जैसे चाय वी पती, सिगरेट, हजामत का खर्चा, चावन,

आदि के लिए प्रति मास में एक बार मूल्य प्राप्त किये जाते हैं। राज्य सरकारों के श्रम या साम्यकी वार्षिक वर्तमान के वर्षचारियों द्वारा टूकानों बाजारों का अप्रण कर मूल्य प्राप्त किये जाते हैं।

कारखाना-केन्द्रों में मकान किराये में घटमासिक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए सामयिक किराया सर्वेक्षण किया जाता है तथा जनवरी व जुलाई में मकान किराया देशनाक में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किए जाते हैं। इनिज तथा रोप-दन केन्द्रों में जहा अधिकार मकान विनां किराया मिलते हैं या स्वयं के होते हैं, उन केन्द्रों के लिए देशनाक वो १०० के बराबर स्थिर माना गया है।

फल तथा तरकारी के उपभोग और मूल्यों में भीसमानुहृत परिवर्तन Technical Advisory Committee द्वारा स्वीकृत विशेष तात्रिक प्रणाली के अन्तर्गत किये जाते हैं जिसमें pricing varying seasonal baskets के सिद्धान्त पर देशनाक प्राप्त किये जाते हैं।

जनवरी १९६३ तक लगभग सभी केन्द्रों के देशनाक सकलित किये जा चुके हैं। इन ५० औद्योगिक केन्द्रों के देशनाकों के आधार पर अखिल-भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचने खून, १९६३ तक सकलित तथा प्रकाशित किया जायगा। विभिन्न केन्द्रों की वर्द्धक सूचना प्रकाशित होने पर पुरानी शृंखला यदि हो तो, का प्रकाशन बन्द कर दिया जायगा।

पुराने केन्द्रों के सम्बन्ध में परिवर्तन गुणक (conversion factor) भी दिया गया है जिससे वर्तमान देशनाकों को गुणा करने से पुरानी शृंखला के देशनाक ज्ञात किये जा सकते हैं।

धर्म व्यूसो की ओपीयोगिक अभिको के उपभोक्ता मूल्य देशनाको  
की नई शह्वला  
( आपार १६६० १०० )

केन्द्र	सामान्य देशनाक			परिवर्तन गुणक (conversion factor)
	१६६१	१६६२	दिसम्बर १६६२	
१ श्रीनगर	१०४	१०५	११३	
२ शिल्ही	१०३	१०७	१०७	१५८
३ यमुनानगर	—	१०४	१०४	१११
४ बाराणसी	१०३	१०८	१०६	
५ जलपाईगुड़ी	१०१	१०५	१०४	
६ रानीगढ़	६८	१०३	१०३	
७ मावनगर	१०३	—	१०३	
८ महमदाबाद	१०२	—	१०४	
९ चिकमागलुर	१०२	१०२	१०३	
१० कोलार स्वरुप लेट्र	१०२	—	—	
११ भूमतसर	—	१०६	१०८	
१२ गलवाई	—	१०६	१०४	
१३ मुडकायम	—	१०७	१०४	
१४ अमराठी	—	११४	११५	
१५ डिग्डोई	१०४	१०७	१०६	
१६ भरियानी	६६	१०१	१०४	
१७ लदाक	१०२	१२१	१२२	
१८ हम्मामा	१०२	१०४	१०४	
१९ रणपारा	१०५	१०६	१०८	
२० दार्जिलिङ	६६	१०३	१०३	११६
२१ कलकत्ता	१०१	१०८	१०६	१५१
२२ सम्बलपुर	१००	१०५	१०६	
२३ हैदराबाद	१०४	१०६	११०	१०४
२४ भोपाल	१०८	११२	१११	१११
२५ पालियर	१०६	१०६	१०५	११२
२६ जमशेहुर	१०१	१०५	१०५	१६६
२७ भरिया	१००	१०३	१०५	१६७
२८ मुमेर्जनमालपुर	१०४	१०४	१०६	१७१
२९ नोमामराडी	६६	१००	१०५	
३० कोर्मा	१०६	—	—	
३१ बालाघाट	१०५	११२	११६	
३२ इन्दौर	१०६	१११	१११	१०७
३३ गुल्मुर	१०५	११२	१११	
३४ बारविल	६८	—	—	
३५ हावडा	१००	१०६	१०६	१४३
३६ अल्लीपी	१०२	१०५	१०५	

## प्रतिभूतियों के मूल्य देशनांक Index Numbers of Security Prices

भारत में प्रतिभूतियों के मूल्य देशनांकों का सबंं प्रथम प्रकाशन के द्वाय दाइग्राम  
और उद्योग मंत्रालय के आधिक सलाहकार द्वारा १६२७-२८ के आधार काल पर तात्परा-  
भग १५० प्रतिभूतियों के कथित मूल्यों पर आधारित किया गया जिसे दिसम्बर १६४६ में  
बन्द कर दिया गया। पुनः प्रयास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जनवरी १६५० में  
किया गया। जबकि जनवरी १६४६ से १६३८ के आधार-काल पर ऐसे देशनांक प्रकाशित किये गये। यह शृंखला अप्रैल १६५३ में संशोधित करके १६४६-५० के आधार काल पर प्रकाशित की गई जो गई १६३८ में पुनः संशोधित रूप में १६५२-५३ के आधार काल पर जुलाई १६५७ से प्रकाशित की गई। इस प्रकार १६३८ वाली शृंखला जनवरी १६४६ से जुलाई १६५३ तक, १६४६-५० वाली शृंखला अप्रैल १६५३ से मई १६५८ तक तथा १६५२-५३ वाली शृंखला जुलाई १६५७ से मिलती है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी शृंखला ( १६३८ = १०० )

जनवरी १६५० में प्रकाशित यह शृंखला जनवरी १६४६ से जुलाई १६५३ तक  
प्राप्त है। प्रत्येक उद्योग वी मूल्य प्रतिभूतियों का एक व्यापक और प्रतिनिधि भावादर्थ सेवा  
प्रति सम्पाद्य है उस उद्योग ( उप-वर्ग ) के मूल्यानुपातों के अभासित गुणोत्तर माध्य के रूप  
में उप-वर्ग सूचक प्राप्त किया जाना या और पुनः समस्त उप-वर्गों के देशनांकों के  
भासित समान्तर माध्य के रूप में वर्ग सूचक शाप्त किया गया। इसमें शृंखलापद्धति वा  
प्रयोग किया गया। भारत सब कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी के अनुपात में थे—।

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के सम्बन्ध वाजारों से ३६८ प्रतिभूतियों के मूल्य प्राप्त किये जाते थे। जिन्हे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया—

वर्ग	उपवर्ग
------	--------

१. सरकारी और ग्राम्ड सरकारी प्रतिभूतिया	..	३
२. निश्चित लाभाश वाली ओद्योगिक प्रतिभूतिया	..	६
३. परिवर्तनशील ( Variable ) लाभाश वाली ओद्योगिक प्रतिभूतिया	१६	

उप-वर्ग-शृंखला मूल्यानुपात ( Sub-group-link-relatives ) तीनों देशों के निवासे जाते थे जिनके आधार पर दो प्रकार के देशनांक तयार किये जाते थे—आदेशिक तथा अखिल भारतीय। इनका प्रकाशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुनेटिन में किया गया।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संशोधित शृंखला ( आधार. १६४६-५० = १०० )

विश्व युद्ध के पूर्व वा आधार-काल, भारत सरकार द्वारा नये शृंखला निर्गमित करना और नये ओद्योगिक सम्पाद्य वा जन्म, आदि कुछ प्रमुख घटणाएँ जिसमें पुणी शृंखला में संशोधन घरमा मनिवार्य हो गया।

मुख्य सशोधन निम्न देखा—(१) १६४६-५० के आधार काल पर यह श्रृंखला अप्रैल १६५३ में सशोधित की गई जो निर्यामित स्थप से मई १६५८ तक रिंजर्व बैंक आँव इंडिया कूलेटिन में प्रकाशित की गई ।

(२) वर्ड नई प्रतिभूतिया समिलित की गई और कई को निकाला गया । परिवर्तनशील लाभाश वाली औद्योगिक प्रतिभूतियों के कथित मूल्य बम्बई, कलकत्ता व मद्रास के प्रतिरिक्त दिल्ली से भी लिए जाने लगे । प्रतिभूतियों की संख्या ३६८ से बढ़ा कर ४६८ बर दी गई ।

(३) पुरानी श्रृंखला में तीन वर्ग और ३१ उपवर्गों के स्थान पर चार वर्ग और २५ उप वर्गों में प्रतिभूतियों को विभक्त किया गया । ऊण पत्रों ( Debentures ) का नये सिरे से समावेश किया गया । वर्गों के बारे में इस प्रकार था—

वर्ग	उप वर्ग
१. सरकारी और अद्वैत सरकारी प्रतिभूतिया	३
२. औद्योगिक संस्थानों के ऊण पत्र	८
३. पूर्वाधिकारी अ शपत्र	६
४. परिवर्तनशील लाभाश वाली औद्योगिक प्रतिभूतिया	५

(४) समस्त औद्योगिक प्रतिभूतियों को भार उनकी प्रदत्त-मूल्यों के अनुपात की प्रेदा आधार काल में उनके अ शो के बाजार मूल्यों ( market value of the shares ) के अनुपात के अनुसार दिये गये ।

(५) अधिलाभाश ( bonus ) अ श पत्रों के या नये अ शपत्रों के निर्गमन के प्रतिस्वरूप प्रतिभूतियों के मूल्यों में होने वाली हानि के लिए भी समायोजन किये गये ।

(६) पहले विनियन उप-वर्गों के श्रृंखला-मूल्यानुग्रहों ( link relatives ) को देशनाक प्राप्ति के लिए भारित किया जाता था परन्तु अब, पहले श्रृंखला-मूल्यानुग्रहों को आधार-काल से श्रृंखलित ( chained ) कर लिया जाना है तथा फिर उप-वर्ग श्रृंखलित देशनाकों को भारित किया जाना है ।

रिंजर्व बैंक आँव इंडिया की नई सशोधित श्रृंखला ( आधार १६५२-५३ = १०० )

उपरोक्त श्रृंखला ( १६४६-५० आधार काल ) की अपेक्षा इस नवीन श्रृंखला में निम्न मुख्य सशोधन हैं—

१. आधार काल १६५२-५३ का वित्तीय वर्ष रखा गया जबकि भार-आधार वर्ष १६५६-५७ था ।

२. प्रतिमूलियों की संख्या ४६८ से बढ़ाकर ५१२ की गई।

३. International Standard Industrial Classification के अनुसार दर्गाँकरण में परिवर्तन किया गया जो इस प्रकार है-

वर्ग	अधिकृत भारतीय	उपवर्ग
	देशनाक में प्रयुक्त	
	प्रतिमूलियों की संख्या	

अ. सरकारी और अट्ठ-सरकारी प्रतिमूलिया	४१	३
आ. संयुक्त स्वन्य प्रमडलो के ऋणपत्र	३८	८
इ. पूर्वाधिकारी घर	११६	४
ई. परिवर्तनशील लाभाश वाली औद्योगिक प्रतिमूलिया	३१७	७

उपरोक्त वर्गों के फिर अन्य छोटे वर्ग किये गये हैं।

पहली श्रृंखला जुलाई १९५७ के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ है। देशनाक अधिकृत-भारतीय स्तर और प्रादेशिक स्तर पर वर्द्धी, व्यक्ति व मद्रास के लिए सकलित किये जाते हैं। परिवर्तनशील लाभाश वाली प्रतिमूलियों के प्रादेशिक देशनाक दिल्ली के लिए भी सकलित किये जाते हैं। इन देशनाकों का प्रकाशन साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन में नियमित रूप से किया जाता है।

इसके प्रतिरिक्त विभिन्न स्वन्य वाजारों में विपणित परिवर्तनशील लाभाश वाली औद्योगिक प्रतिमूलियों के मूल्य साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं।

प्रतिमूलियों के मूल्य देशनाक—अधिकृत भारतीय

(आवार १९५२-५३=१००)

	१९५१-५२	फरवरी १९५३	६ मप्रत १९५३
सरकारी और अट्ठ-सरकारी प्रतिमूलिया	१००·६	६६·२	६६·०
संयुक्त स्वन्य प्रमडलो के ऋण-पत्र	१०१·१	६८·६	६७·६
पूर्वाधिकारी घर	८३·२	८०·४	८०·२
परिवर्तनशील लाभाश वाली औद्योगिक प्रतिमूलिया	१५३·७	१६६·६	१५६·६

फरवरी १९६३ में प्रतिमूलियों के मूल्य देशनाक—प्रादेशिक

[आधार १९५२-५३=१००]

	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास	दिल्ली
सरकारी और अद्वय सरकारी प्रतिमूलिया	६८.५	६८.३	१००.५	
संयुक्त स्वन्य प्रमाणाङ्कों के ऋण-पत्र	६७.४	१०१.१	६६.२	
पूर्वाधिकारी अशा	७६.६	८१.८	७६.५	
परिवर्तनशील लाभांश वाली अद्योगिक प्रतिमूलियाँ	१६६.२	१५७.८	१८१.८	२१६.७

### भारत में प्राप्त मूल्य-समकों की समालोचना

देश में प्राप्त मूल्य समकों का विवेचन पिछले पृष्ठा में किया गया है। मूल्य समकों का सही, शीघ्र तथा व्यापक मात्रा में प्राप्त होना आविक नियोजन के लिए अनिवार्य हो जाता है। मूल्य समकों की स्थिति काढ़ी सतोपाद है। कृपि मूल्य जात्त समिति (पापर समिति) १९५३ ने मूल्य समकों की स्थिति में सुधार के लिए सामान्य और कृपि मूल्यों के लिए विशेष मुझाव दिये हैं जिनसे बहुमान स्थिति में काढ़ी सुधार दिया जा सका है। मूल्य सबलन में एकरूपता लाने का बापौर प्रयास किया गया है तथा कवित मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रशिद्धि तथा निर्धारित कर्मचारियों वी सेवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। परन्तु फिर भी सुधार के लिये कापौर प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

विभिन्न केन्द्रों के लिए हायार दिये जाने वाले सूचनाओं में वस्तुओं और कथित मूल्यों की सह्या में भन्तर है। साय ही जिस दिन मूल्य प्राप्त किये जाते हैं, वह भी एकरूप नहीं है। फलस्वरूप तुलना के लिये बीते नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में वस्तुओं की किसी का प्रभावीकरण करना अनिवार्य हो जाता है। भैट्टिक प्रणाली के प्रयोग में नाप-सौल में प्रभावीकरण थोरे थोरे पूरा किया जा रहा है। कृपि वस्तुओं के निए एग्मर्क ( Ag Mark ) की तरह भन्य वस्तुओं की किसी का भी प्रभावीकरण मावश्यक है।

विभिन्न केन्द्रों में मूल्यान्तर ( price spread ) के बारे में भी सूचना प्राप्त की जानी चाहिए। योक्त और पुटकर व्यापारियों द्वारा लिये गये लाभ के सम्बन्ध में भी मध्यक एवं त्रिन करना चाहिए।

उपभोक्ता मूल्य देशनाको तथा अन्य देशनाको को और अधिक प्रतिनिधि बनाने के लिए केन्द्रों की स्थापना में वृद्धि करना चाहिये तथा भारत वर्तमान उपभोग-स्तर के आधार पर प्रदान करने हेतु नये सिरे से परिवार-बज़ुट-अनुसाधान किये जाने चाहिये। विविध देशनाको के आधार काल नवीनतम करने चाहिये। आखिल-भारतीय उपभोक्ता मूल्य देशनाक-१६६० = १०० करना इस ओर प्रगति कदम होगा। तुलना-आधार तथा भारत आधार यथा सम्भव एक ही होना चाहिए वैसे, अब दोनों अलग होने में (Technical Advisory Committee) के अनुसार कोई बुराई भी नहीं है। सबलन तथा प्रकाशन के कार्य में सुधार करके समको को यथा शीघ्र प्रस्तुत करने की प्रावश्यकता पर अधिक बल देना चाहिये।

---

## अध्याय ८

# व्यापार समंक

( Trade Statistics )

व्यापार समंको को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है — १ विदेशी व्यापार, और २ देशी व्यापार। विदेशी व्यापार में बायु, जल, एवं यह मार्गों से विदेशों से किया गया व्यापार सम्मिलित होता है। देशी व्यापार में तटीय व्यापार, रेल, सड़क या नदी द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य का व्यापार, एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह का व्यापार तथा राज्य से बन्दरगाह का व्यापार सम्मिलित किया जाता है। नीचे हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे।

### विदेशी व्यापार ( Foreign Trade )—

प्राचीनकाल में भी भारत विदेशों से व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। हमारे देश में कभी मलमल, भस्त्र, आदि अपगानिस्तान, ईरान, फारस, मिश्र, भरब, तुर्की आदि देशों को भेजे जाते थे। १५ वीं शताब्दी में पुतगाल, फास, डच व ब्रिटिश देशों के साथ हमारा व्यापार होता था। ईस्ट इंडिया कम्पनी के साथ और मुख्य रूप से १८६६ में स्वेज नहर के बन जाने के बाद योरप के देशों के साथ हमारा व्यापार अधिक बढ़ गया। विदेशी व्यापार के आवडे हमारे देश में पूर्ण खेत्र उपलब्ध है। ईस्ट इंडिया कम्पनी को ब्रिटिश सरकार को पूरे आवडे भेजने होते थे। १८०५ में D. G. C. I & S के द्वारा व्यापार के पूरे आंकड़े एकत्र किए जाते थे। ये समक्ष अधिकतर शासन के सह-उत्पाद ( by product ) के रूप में ही एकत्र किये जाते थे। आयात-निर्यात के प्रतिवर्षों के कारण मा रेलवे कम्पनी के द्वारा नियमित प्रपत्र ( returns ) भेजे जाने के कारण तथा अय बारणों की वजह से व्यापार समक्ष स्वतं ही एकत्र हो जाते थे। १८५२ तक वैदेशिक व्यापार के सम्बन्ध में निम्न दो पत्रिकाएं D. G. C. I. & S. द्वारा प्रकाशित की जाती थीं—

१— Accounts Relating to the Foreign trade ( Sea & Air-borne) and Navigation of India

२. Accounts Relating to Trade of India by land with foreign countries

उपरोक्त पत्रिका ( न० २ ) में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा व ईरान से यह पार से होने वाले विदेशी व्यापार के समक्ष छापे जाते थे।

मंग्रेज १८५२ मे उपरोक्त दोनो पत्रिकाओ को मिला कर एक कर दिया व इस पत्रिका का नाम निम्ननिलिखित होगया—

( Accounts Relating to the Foreign Trade ( Air, Sea & Land ) and Navigation of India.

विदेशी से व्यापार बरते के तीन ही भाग हैं—दायु, जल व थल। यन १८५६ मे पत्रिका के नाम मे मे “Air, Sea & Land” शब्दो वो हटा कर निम्न नाम तप पर दिया—

Accounts Relating to the Foreign Trade and Navigation of India.

१८५७ मे विदेशी व्यापार सम्बन्धित समको के प्रस्तुतीकरण मे आमूल परिवर्तन विए गए। उनमे मे मुख्य का नीचे वर्णन दिया गया है—

( १ ) पत्रिका के पुराने नाम को बदलकर निम्ननिलिखित नया नाम कर दिया गया—

“Monthly Statistics of the Foteign Trade of India”.  
Vol I & II

यह पत्रिका D.G.C.I & S के द्वारा प्रकाशित की जाती है। पत्रिका दो भागो में प्रकाशित होती है। प्रथम भाग मे निर्यात व पुन निर्यात ( re-exports ) के आंकडे द्याये जाने हैं। इन दो भागो के अनावा एक सहायक पुस्तिका Supplement भी निकाली जाती है जिसम निम्न मुख्य आंकडे प्रकाशित दिए जाने हैं।

अ—विदेशी व्यापार का मूल्य

ब—व्यापार संतुलन

ग—विदेशी व्यापार के सूचक

घ—जोय ( treasure ) का विदेशी व्यापार

ड—चुने हुए देशो के साथ विदेशी व्यापार

च—मुख्य वस्तुओ के आयात एवं नियात का मूल्य

झ—प्रत्येक देश एवं मुद्रा-चेत्र ( Currency area ) के साथ विदेशी व्यापार

( ii ) १८५६ तक आंकडे वित्तीय वर्ष ( financial year ) ( मंग्रेज म मार्च ) के आधार पर द्याये जाने थे जिन्ह १८५३ मे अन्तर्राष्ट्रीय तुलना को सरल बनाने के लिए जनवरी मे दिसम्बर तक का बनेएडर वर्ष अपना दिया गया ।

(iii) विदेशी व्यापार मे पहिने १७१७ वस्तुओं के ही व्यापार समंक प्रकाशित किये जाते थे विन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे वृद्धि होने के कारण सन् १९५७ से ४८५० वस्तुओं के व्यापार समंक प्रकाशित किए जाने हैं। इन वस्तुओं को भारतीय-व्यापार वर्गीकरण (Indian Trade Classification-I. T. C.) के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण सदृश सभ की आर्थिक एव सामाजिक सत्त्वा (U. N. Economic and Social Council) द्वारा किये गये अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाण व्यापार वर्गीकरण (Standard International Trade Classification-S. I. T. C.) के आधार पर किया गया है।

(iv) प्रब्र वायु, जल और अन्य तीनो मार्गों से होने वाले विदेशी व्यापार के समक एक ही पत्रिका मे प्रकाशित किये जाते हैं बर्मा, ईरान पाकिस्तान एव अफगानिस्तान से यह मार्ग से किया गया व्यापार तथा नेपाल से वायु मार्ग से किया गया व्यापार विदेशी व्यापार मे शामिल किया जाता है लेकिन नेपाल से धल-मार्ग से किया गया व्यापार और सिक्किम, भूटान, तिब्बत, पूर्वी द्वीप समूह (आण्डमान और नीकोवार), पश्चिमी द्वीप (लक्ष्मीनारायण द्वीप, मिनीकोय) से किया गया व्यापार देशी व्यापार (inland trade) मे ही शामिल किया जाना है। Indian Trade Journal नामक साप्ताहिक पत्रिका मे देशी व्यापार से सम्बन्धित समंक प्रकाशित किये जाते हैं।

(v) विदेशी व्यापार के समंक Monthly Statistics of the Foreign Trade of India मे निम्न प्रकार से प्रस्तुत किये जाते हैं—

अ—सम्बन्धित माह का कुल विदेशी व्यापार-भायात व निर्यात की मात्रा एव अर्थ ।

आ—सम्बन्धित माह तक उस साल मे बिया गया कुल विदेशी व्यापार ।

इ—कुलनार्थी पिछले दो वर्षों के उसी माह का विदेशी व्यापार ।

(vi) ४८५० वस्तुओं को निम्न ६ वर्गों (sections) मे विभाजित किया जाता है—

फ—भोज्य पदार्थ (Food)

ख—देय पदार्थ एव तम्बाकू (Beverage and tobacco)

ग—वस्त्वा भाल (भवाच्य पदार्थ सिवाय ईंधन के)—Crude Materials (inedible except fuels)

घ—संग्रज पदार्थ, ईंधन एव स्तिथ पदार्थ भाल (Minerals, fuels and lubricants etc.)

ड—पशु एवं वनस्पति जनित तेल एवं चिकनाई ( Animal and Vegetable oils and fats )

च—रसायनिक पदार्थ—Chemicals )

छ—निर्मित माल—( Manufactured goods )

ज—मशीनें एवं यातायात संस्थाएँ ( Machinery and Transport Equipment )

झ—विविध निर्मित वस्तुएँ ( Miscellaneous Manufactured Articles )

प्रत्येक बगं को कई भागों ( divisions ) में, प्रत्येक भाग को कई समूहों ( groups ) में, प्रत्येक समूह को उप-समूह ( sub-sub-group ) में और प्रत्येक उप समूह को उप-उप समूह ( sub-group ) में विभाजित किया जाता है। इस तरह से विभिन्न सूचना प्रकाशित की जाती है।

व्यापार समको में केवल वासिण्य वस्तुओं ( merchandise ) [ दृष्ट माल ( visible goods ) ] के ही आयात, निर्यात व पुन निर्यात सम्बन्धी आकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। आयात, जिस देश से माल वास्तव में भेजा गया हो, उसी देश से माल जाता है चाहे रास्ते में कही भी जहाज बदल दिया गया हो। इसी प्रकार निर्यात भी गन्तव्य स्थान को ही माना जाना है। आयातों का रिकार्ड सीमा शुल्क विभाग के ग्रधिकारियों से स्वीकृत प्रविष्ट पत्रों ( Bills of Entry ) व निर्यात का रिकार्ड जहाजी बिन्टी ( Shipping Bills ) से किया जाता है। आयात और निर्यात दोनों की मात्रा एवं अध का रिकार्ड किया जाता है। मात्रा के निए शुद्ध वजन ( net weight ) अर्थात् सबल मार ( gross weight ) में से बारदाना व अन्य आवरण का मार घटा कर समक एकत्र किए जाते हैं। निर्यात अधीं में निर्यात शुल्क ( यदि कोई हो तो ) तथा उच्चरों को भी शामिल किया जाता है अर्थात् नोटल पर्यंत निशुल्क अर्थं ( F. O. B Value ) के आधार पर व आयात के अधीं में लागत, बोमा एवं भाड़ा ( C. I. F. ) समिलित करके समक प्रस्तुत किए जाते हैं। आयात सम्बन्धी समको में मरकार के नाम पर होने वाला आयात समिलित नहीं है वयोंकि मरकारी स्टोरों की निट्कारण की प्रणाली ( Note Pass system ) भिन है।

विदेशी व्यापार के समक Monthly Statistics of the Foreign Trade of India के अनावा निम्न मुख्य पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होने हैं।

१—Journal of Industry and Trade मालिक

२—Annual Commercial Abstract

अ. ८ ]

३—Foreign Trade of India—Annual

४—Reserve Bank of India Bulletin.

"Monthly Statistics of the Foreign Trade of India"

में निम्न सूचना सारणियों के रूप में दी जाती है—

१. भारत के विदेशी व्यापार का सारांश ( Summary )

२—प्रत्येक देश के साथ भारत का व्यापार

३—निर्यात

४—पुनर्नियात

५—आयात

निम्न तालिका में वर्गानुसार ( Section wise ) भारत के विदेशी व्यापार का सारांश दिया गया है।

Summary of India's Foreign Trade—( १९६१-६२ )

करोड रुपयों में

	निर्यात	आयात
क — भोज्य पदार्थ	२१४.२५	१२६.४४
ख — पेय पदार्थ एवं तम्बाकू	१४.६७	१.५८
ग — कच्चा माल	११८.१६	१२६.५३
घ — स्थानिक पदार्थ, ईधन एवं स्थानिक पदार्थ	५.६१	६५.८५
ङ — पशु एवं वनस्पति जनित तेल एवं चिकनाई	६.५१	८.५३
च — रसायनिक पदार्थ	७.८६	८८.८०
छ — निर्मित माल	२७१.४५	२१३.१३
ज — मशीनें एवं यांत्रियान समव्य	४.७६	३४८.६१
झ — विविध निर्मित वस्तुएं	—	२०.१६
कुल ( पुनर्नियात सहित )	६६१.६६	१०३८.६२

Source : Reserve Bank of India Bulletin—March  
1963—Pages 417-419

व्यापार संतुलन—निम्न तालिका भारत के व्यापार संतुलन को विभिन्न दरों में दर्शाती है—

## India's Overall Balance of Trade

करोड रुपयों में

आयात	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०	१९६०-६१	१९६१-६२	आप्रैल से दि. १९६२
	१०३४.६	६०६.१	६५६.३	१०३६.२	१००१.२	८०३.३
निर्यात	५५४.५	५६४.६	६२६.६	६३४.८	६५६.८	५०५.२
पुनर्नियात	६.६	८.२	६.६	६.६	५.४	५.७
कुल निर्यात	५६१.१	५७२.८	६३६.७	६४४.७	६६५.२	५१०.६
व्यापार संतुलन	-५४३.८	-३३३.३	-३१६.६	-३६१.५	-३३६.०	-२६२.४

Source Journal of Industry &amp; Trade-March 1963-Page 517

विदेशी व्यापार के सूचक ( Index Numbers of the Foreign

Trade )

D. G. C. I. & S के कार्यालय द्वारा १९५८ को आधार वर्ष मान कर, अब विदेशी व्यापार सूचक की नई शुल्कता तैयार की जाती है। पहिले आधार वर्ष १९५२-५३ था लेकिन १९५७ में किये गये पुनर्विकरण के पश्चात्वरूप आधार वर्ष बदलना आवश्यक हो गया। ये सूचक निम्न पात्र प्रकार के बनाये जाते हैं—

क— आयात की मात्रा ( Volume ) के सूचक

ख— आयात की प्रति इकाई अर्थ के सूचक ( Unit value of Index Numbers of Imports )

ग— निर्यात की मात्रा के सूचक

घ— निर्यात की प्रति इकाई अर्थ के सूचक ( Unit Value of Index Numbers of Exports )

— छ— शुद्ध व्यापार के सूचक ( Index numbers of the net terms of trade )

शुद्ध व्यापार का सूचक निर्यात अर्थ सूचक और आयात अर्थ सूचक का अनुशासन है। इसके लिए निम्न सूत्र काम में लिया जाता है—

$$\frac{\text{निर्यात अर्थ सूचक}}{\text{आयात अर्थ सूचक}} \times 100$$

ये सब सूचक प्रति मास तैयार किये जाते हैं, और इनको वाणिक आधार पर भी तैयार किया जाता है। इन्हे Monthly Statistics of the Foreign Trade of India और Reserve Bank of India की मासिक पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। निर्यात के सूचक तैयार करने के लिए पुर्णर्यात के शॉकडों को नहीं जोड़ा जाता। ६ वर्गों के सूचक अलग-अलग तैयार किये जाते हैं और इनके आधार पर एक सामान्य सूचक भी तैयार किया जाता है।

नीचे आयात व निर्यात की मात्रा एवं अर्थ के १९६१ के वाणिक सूचक दिए गए हैं—

वस्तुओं का वर्ग	आयात		निर्यात	
	मात्रा	अर्थ	मात्रा	अर्थ
भोज्य पदार्थ	४३	६६	१०६	१०२
पेय पदार्थ एवं तम्बाकू	६८	६८	८५	१००
वस्त्रा माल	१८८	६३	१३१	१०५
स्थानिज पदार्थ, ईंधन आदि	११५	६३	६६	६१
पशु एवं बनस्पति जनित तेल	१२६	६६	६६	१०४
एवं स्त्रिय				
रसायनिक पदार्थ	१६१	८६	६२	२०८
निर्मित माल	१०८	१०१	१०६	१२३
मशीनें एवं यातायात समग्र	१३१	१०६	२३६	६२
विधिष्ठ निर्मित वस्तुएँ	१०५	१०६	१३३	६५
सामान्य	१३१	६६	१०५	१११
	१९५६	१९६०	१९६१	

शुद्ध व्यापार के सूचक

Net Terms of Trade I. Nos. १०७ १११ ११२

देशी व्यापार (Inland Trade) —

देशी व्यापार में तटीय (coastal) व्यापार, रेल, नदी व सड़क द्वारा किया गया व्यापार सम्मिलित किया जाता है। इनका नीचे विस्तृत वर्णन किया गया है—

तटीय व्यापार (Coastal trade) - तटीय व्यापार के समक D. G. C I & S. द्वारा प्रकाशित गासिक पत्रिका Accounts Relating to Coasting Trade and Navigation of India में दिए जाते हैं। तटीय व्यापार सम्बन्धी समक सार्वह करने के लिए सारे तटीय चेत्रों (Blochs) में बाया गया है।

१- पश्चिमी बगाल

२- उडीसा

३- आनन्द प्रदेश

४- मद्रास राज्य

५- केरल राज्य

६- मैसूर राज्य

७- बम्बई चेत्र

८- पूर्वी द्वीप समूह (अण्डमान एवं नीकोबार)

९- पश्चिमी द्वीप समूह (लक्कादीव, मिनीकोय, ममिनदीव)

इस पत्रिका में आन्तरिक (internal) एवं बाह्य (external) व्यापार के समक अलग-अलग प्रकाशित किए जाते हैं। एक ही चेत्र में बन्दरगाहों के बीच में होने वाले व्यापार को आन्तरिक व्यापार कहा जाता है यह एक चेत्र से अन्य चेत्रों के बीच होने वाले व्यापार को बाह्य व्यापार कहा जाता है। व्यापार समक मात्रा एवं अवधि दोनों के सम्बन्ध में दिए जाते हैं। इन समकों को प्रतिवर्ष Annual Statistical Abstract में भी प्रकाशित किया जाता है।

रेल, नदी, सड़क से व्यापार (Trade by rail, road and river) नदी एवं रेल से किए जाने वाले व्यापार के समक D. G. C. I & S. की गासिक पत्रिका Accounts Relating to the Inland (Rail and River-borne) Trade of India में प्रकाशित किए जाते हैं। समस्त देश को ग्रन्त ३६ चेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। १९५५ से पहले इन चेत्रों की संख्या केवल ३० ही थी। साथारणतया प्रदेशी राज्य वा एक चेत्र बनाया गया है जिसमें जहाजरानी राज्यों के तीन चेत्र तक भी बनाए गए हैं। मुख्य बन्दरगाह वाले शहरों को अलग ही एक-एक चेत्र माना है। विदेशी व्यापार के समकों की सरह देशी व्यापार के समक इसने विभिन्न दो टेंव पूर्ण नहीं है। पत्रिका में विभिन्न चेत्रों में व्यापार के समक इस प्रकार से दिए जाने हैं कि एक चेत्र से रोप चेत्रों वा किया गया व्यापार तलाल ही जात हो सके। एक सम वा अन्य राज्यों से किया गया व्यापार एक बन्दरगाह वा अन्य बन्दरगाहों से किया गया

वी गार्डिन प्रगति के लिए वह योजनाएँ तथ्यार वी बम्बई योजना (टाटा-बिहाना योजना), जन योजना (Peoples Plan), गांधी योजना (Gandhian plan)-जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था। परन्तु वित्त अभाव, सरकार की उदासीनता और अधिकृत समको के अभाव में ये सब कल्पना मात्र ही रह गई। यहाँ तक कि प्रोफेसर बी० पी० अदारकर की स्वास्थ्य बीमा योजना (Health Insurance Scheme) जो वित्तीय आधार से सुनिश्चित होते हुए भी समको के अभाव में प्रयोगान्वित न दी जा सकी।

राजनीतिक परतन्त्रता से मुक्त होने ही राष्ट्रीय सरकार ने ६ अप्रैल १९४८ को ओद्योगिक नीति की घोषणा की तथा समक एकत्र करने का प्रयास किया। फलस्वरूप समक संग्रहण अधिनियम (Collection of Statistics Act) १९५३ पारित किया गया और बाद के समय में राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण निदेशालय (N.S.S.), राष्ट्रीय आय इकाई (N. I. U.) मधीमएडल सञ्चिवालय, वेन्ट्रीय साल्विकीय संगठन (C. S. O.) और योजना आयोग इस ओर उठाये गये कदमों की एक भलक हैं जो देश की सरकार की समको के प्रति जागरूकता का प्रमाण है।

### विदेशो में ओद्योगिक समक —

इसका अध्ययन करने में पूर्व कि भारतवर्ष में ब्रिटिश शामनकाल से पूर्व तथा स्वाधीनता की प्राप्ति के पश्चात् समको का संकलन तथा प्रकाशन किस प्रकार का किया जा रहा था, यह जान लेना आवश्यक है कि अन्य विदेशी राष्ट्रों में ओद्योगिक समको के संकलन तथा प्रकाशन की स्थिति क्या है। विदेशो में विस्तृत ओद्योगिक समक पर्याप्त मात्रा में एकत्रित किए जाते हैं जो उत्पत्ति, लागत, पूँजी का ढाढ़ा, रोजगार, वितरण 'आदि से सम्बन्धित होते हैं।

पूँजी विनियोग—के मन्तर्मत स्थाई तथा कार्यशील पूँजी को घलग घलग बताया जाता है। पूँजी का वर्गीकरण अधिकृत, निर्गमित तथा प्रदत्त के अतिरिक्त भूमि, भवन यत्त्रादि तथा अन्य स्थाई मध्यतियों में विनियोग की राशि का भी विवरण दिया जाता है। साथ ही इन पर वृद्धि या प्रतिस्थापन और ह्रास तथा भरम्मत की राशियों का उल्लेख द्वारा से दिया जाता है। कार्यशील पूँजी का विवरण, कच्चेमाल, ईंधन, निर्मित तथा अर्द्धनिर्मित माल, नवद आदि के रूप में किया जाता है। विदेशी पूँजी विनियोग तथा पूँजी प्राप्ति के मात्रिक खोजों (अश, छह फौ, छह तथा लाभों का विनियोग) का भी उल्लेख किया जाता है।

आदा (Inputs)—ये काफी विस्तृत होती हैं तथा वन्चे मान वी लागत, वन्चे माल वा मूल्य तथा मात्रा, ईंधन और शक्ति, रसायन तथा अन्य उपभोग में ली गई वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त वी जानी है।

**उत्पत्ति ( Outputs )**—मुख्य तथा गोण उत्पत्ति और उत्तोत्पादक की प्रमाण तथा मूल्य के समक।

**रोजगार**—श्रमिकों की संख्या तथा उन्हें दी गई मजदूरी तथा वेतन, वर्ष पर्यंत चालू रहने वाले तथा कालिक उद्योगों के लिए अलग से, श्रमिकों का वर्गीकरण-कुशल, अकुशल, तात्त्विक, अवानिक, लिपिक वर्ग, निरीक्षक तथा प्रशासकीय, कुल मनुष्य घटे कार्य, प्रति दिन औसत रोजगार, अधिलाभाश, अन्य लाभ, हड्डनाल व तालाबन्दी, लाभ विभाजन योजना, उद्योगों में वैज्ञानिकता ( rationalization ) का आरम्भ आदि।

**शक्ति का उपभोग**—उत्पादन के समय शक्ति के उपभोग की किस्म ( ईंधन, कोयला, पानी, विद्युत, परमाणु शक्ति आदि ) तथा मूल्य।

**अन्य**—रोजगार, उत्पत्ति आदि के हानिकोण से औद्योगिक इकाइयों में विस्तार की सम्भावनाएँ तथा उनकी अधिकतम कार्यक्षमता।

अपर भोटे तार पर यह बताया गया है कि विदेशों में किस प्रकार के औद्योगिक समक उपलब्ध हैं तथा भारत में इस प्रकार के समकों के संचलन की अति आवश्यकता है।

### भारत में प्राप्य औद्योगिक समकं

देश में १९१६ में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति से आज तक औद्योगिक समक के संचलन तथा प्रकाशन के सम्बन्ध में बहुत प्रयास किये गये हैं परन्तु फिर भी विश्व के औद्योगिक चित्र में भारत का बोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं। प्रथम विश्वयुद्ध तक भारत में सही अर्थ में कोई उद्योग प्रारम्भ नहीं किया गया था परन्तु युद्धकाल में आयात रुक जाने से तथा देश के आन्तरिक उत्पादन के स्थानों का टीक पता न होने से संत्य आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाइया उपस्थित हुई। उस समय तक देश में छोटे उद्योगों का ही प्रादुर्भाव था। Moral and Material Progress of India के वार्षिक खंडों में औद्योगिक उत्पादन के समकों का थोड़ा सा विवेचन मिलता है। सचेप में यह कहा जा सकता है कि राज्य में समकं संवलन के साथनों के अभाव और औद्योगिकरण के अविकसित होने से पर्याप्त समकं उपलब्ध नहीं थे अतः या तो औद्योगिक समक उपलब्ध नहीं थे या सरकार उन्हें प्रबाधित नहीं करती थी।

उद्योगों की लागत तथा उत्पत्ति सम्बन्धी समकं काफी दीर्घ काल से सकलित नहीं किये जा सके यद्यपि १९२० से भूती वस्त्र तथा चीनी उत्पादन सम्बन्धी समकं प्राप्त हैं। १९३० में लगभग एक दर्जन उद्योगों से समकं एकत्रित करने के लिए सरकार ने एक ऐनिक प्रयास किया जो भूती वस्त्र तथा पटसन उद्योग और चीनी से सम्बन्धित अनिवार्य योजना के अनिरक्त थी। परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध काल में सरकार को ऐसे समकों वी अधिक आवश्यकता प्रतीत हुई जो व्यापार — गृहों द्वारा विद्यान की मनुपरिदृष्टि में

स्वेच्छा से नहीं दिये गये । सर्वेष में इस बाल तक के समक अपूर्ण, अपर्याप्त तथा अविश्वसनीय थे ।

उपरोक्त दोषों को दूर करने तथा अनिवार्य रूप से सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से १९४२ में श्रीद्योगिक समक अधिनियम ( Industrial Statistics Act ) पारित किया गया । इसी के अन्तर्गत उद्योगों की प्रथम गणना १९४६ में बी जा सकी । १९५३ में समक सम्प्रदान अधिनियम ( Collection of Statistics Act ) पारित किया गया तथा १९६० में वार्षिक उद्योगों का सर्वेक्षण ( Annual Survey of Industries ) प्रारम्भ किया गया ।

अध्ययन के हिटिंगोण से भारत में प्राप्य समको को दो भागों में बाटा गया है—

- ( अ ) स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व तथा
- ( आ ) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्

इसी प्रकार वृहत उद्योगों से सम्बन्धित समक तथा कुटीर और लघु उद्योगों से सम्बन्धित समको का विवरण भी अलग से किया गया है ।

स्वतन्त्रता से पूर्व श्रीद्योगिक समक—स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में श्रीद्योगिक समको की स्थिति सतोषप्रद नहीं रही । यद्यपि श्रीद्योगिक समक अधिनियम १९४२ में पारित किया गया परन्तु निर्माण उद्योगों की प्रथम गणना ( Census of Manufactures ) १९४६ में ही सम्पन्न हुई । इसमें पूर्व शक्ति वा प्रयोग करते हुए २० या इससे अधिक श्रमिकों को कार्य प्रदान करने वाले उद्योगों से ऐच्छिक आधार पर सूचना प्राप्त की जाती थी । यह समक विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किये जाते थे ।

१९४७ तक प्राप्य समको को निम्न आधार पर वर्णित किया जा सकता है—

- १ सामान्य समक,
- २ उत्तित तथा लागत सम्बन्धी समक,
- ३ शक्ति के उपयोग सम्बन्धी समक,
- ४ कुटीर उद्योगों से सम्बन्धी समक ।

नामान्य श्रीद्योगिक समक—इसमें निर्माणशालाओं की तथा उनमें श्रमिकों को सूखा तथा विनियोजित पूँजी की मात्रा से सम्बन्धित समक सम्मिलित हैं । इन समको का प्रकाशन निम्न पत्रिकाओं में किया जाना था —

१ Large Industrial Establishments in India—जिसका प्रकाशन पहले वाणिज्य ज्ञान तथा सास्थिती कार्यालय, कलकत्ता ( Dept. of Commercial Intelligence & Statistics ) द्वारा किया जाता था तथा १९४६-४७ से इसके बदलन तथा प्रकाशन का काम थम तथा रोजगार मञ्चालय के थम ब्लूरो ( Labour Bureau ) द्वारा किया जा रहा है ।

यह वायिक पत्रिका है जिसमें भारतीय केकटी अधिनियम ( Indian Factories Act ) १८३४ द्वारा प्रभागित भारत में निर्माणशालाओं से सम्बन्धित सूचना दी जाती है। अधिनियम के अनुसार एक निर्माणी का अर्थ एक उत्पादन इकाई से है जिसमें प्रतिदिन २० श्रमिकों से कम को वार्षिक प्रदान नहीं किया जाता।

इसके लिए समस्त उद्योगों को १० वर्गों में विभक्त किया गया—(१) बस्त, (२) इन्जीनियरी, (३) खनिज तथा धानुए, (४) खाद्य, पेय तथा तम्बाकू, (५) रसायन तथा रग, (६) कागज तथा छपाई, (७) लकड़ी पत्थर तथा काच से सम्बन्धित विधि ( Processes relating to wood, stone and glass ), (८) सानों तथा चमड़े से सम्बन्धित विधि, (९) औटनेवाली तथा पीड़नी निर्माणिया ( gins and presses ) और (१०) विविध जिसमें अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त टक्कार, मुरदा उद्योग, रसों तथा रबर उद्योग सम्मिलित किये गये।

इसमें प्रत्येक जिसे तथा राज्य में निर्माणियों की सूच्या के साथ वर्णन के अनुसार निर्माणियों के नाम भी दिये जाते हैं। औटने वाली निर्माणियों ( ginning factories ) के नाम तथा सूच्या अलग से दी जाती है। कालिक तथा 'वर्ष' पद्धति वाले उद्योगों की सूचना पृष्ठक तालिकाओं में दी जाती है। कालिक उद्योग का प्रथम वर्ष में १८० दिन से कम चलने वाले उद्योग से हैं। कालिक उद्योगों में प्रमुख, खाद्य, पेय, तम्बाकू, औटने वाले तथा पीड़नी निर्माणिया ( gins and presses ) हैं। यह समक्ष राज्यों के केकटी विभागों तथा संघरण स्कंच प्रमणडलों के पश्चीकारों ( रजिस्टर ) द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सम्मिलित किये जाते हैं।

प्रतिदिन श्रमिकों की सूच्या का औसत श्रमिकों की सब दिनों की उपस्थिति में कार्यशील दिनों की सूच्या का भाग देकर प्राप्त किया जाता है। प्रत्यक्ष उद्योग के श्रमिकों की सूच्या पृष्ठक दी जाती है जिसको प्रीढ़, वयस्क तथा बच्चों से बाटा जाता है। प्रथम दो वर्गों को स्त्री व पुरुष में भी विभक्त किया जाता है।

कुछ सूचना विभिन्न निर्माणियों में विनियोजित पूँजी-अधिकृत व प्रदत्त पूँजी व अद्यु-पत्र-के सम्बन्ध में दी जाती है परन्तु अबल तथा चल पूँजी और भूमि, भवन, गत्रादि तथा अन्य सम्पत्तियों में विनियोजित राशि का विवरण पृष्ठक से नहीं दिया जाता।

इस प्रकार इसमें काफी व्यापक साहियकीय सूचनाएँ प्रदान दी जाती हैं फिर भी इनका प्रयोग विना सावधानी के नहीं किया जा सकता। निर्माणी के अन्तर्गत वे समस्त व्यक्तिगत इकाइयां सम्मिलित दी गई हैं जिनमें प्रति दिन २० व्यक्तियों से कम काम नहीं बरते। निर्माणियों का वर्गीकरण भी उचित नहीं था। जो उद्योग वर्दि विधियों ( Processes ) में काम करते हैं उन्हें प्रमुख विधि में सम्मिलित किया गया है।

२. Statistical Abstract of India—यह वार्षिक पत्रिका अब केन्द्रीय सांख्यिकीय समिति द्वारा प्रकाशित ही जाती है। अन्य सूचना के साथ इसमें ओद्योगिक अर्थ व्यवरथा के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। ओद्योगिक समको के खण्ड में स्वतन्त्रना पूर्वं तक इसमें ब्रिटिश भारत में निर्माणियों की संख्या तथा प्रतिदिन थमिकों की औसत संख्या का विवरण दिया जता था। राज्य सरकार तथा स्थानीय निकाय (local bodies) की निर्माणियों की सूचना पृथक् से दी जाती थी। निर्माणियों का बर्गीकरण (Large Industrial Establishments in India) बाला ही था। सूचना प्राप्ति का स्रोत दोनों प्रकाशनों का एक ही होने हुए भी दोनों की सह्यायों में अन्तर था क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा भारतीय फेस्टरी अधिनियम १९३४ के अन्तर्गत प्राप्त सूचना के आधार पर इस प्रकाशन में समक प्रकाशित किये जाते थे। और इस अधिनियम में कुछ ऐने भी उद्योग सम्मिलित किए गये थे जो २० थमिकों से कम को रोजगार प्रदान करते थे। Large Industrial Establishments in India में इनका समावेश नहीं किया जाता था।

इस प्रकार थमिकों के बारे में सूचना भी उपरोक्त पत्रिका के अनुसार ही दी जाती थी। अतिरिक्त सूचना अवकाश के दिनों की संख्या, प्रतिवेदित दुर्घटनाओं की संख्या तथा सरकार द्वारा की गई कार्रवाईयों की संख्या, के सम्बन्ध में दी जाती थी। देशी रियासतों में निर्माणियों की तथा थमिकों की संख्या भी दी जाती थी।

ऊनी, मूनी तथा कागज मिलों की संख्या तथा इसमें विनियोजित पूँजी की राशि वी पृथक् सूचना दी जाती थी। मिलों में पट्टसन की आपत, सूती, जूट, तथा यवासवनी (breweries) मिलों के उत्पादन का मूल्य भी दिया जाता था। उत्पादन के समक तुलनात्मक नहीं थे तथा प्रतिवेदन की व्याप्ति में भी भिन्नता होती थी।

३. Statistics of Factories—यह एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें निर्माणियों से सम्बन्धित सूचना, थमिकों की संख्या तथा उनके बत्याएं कार्यों का विवेचन किया जाता है। इसमें ब्रिटिश भारत से सम्बन्धित सूचना दी जाती है तथा प्रत्येक प्राप्त के मूनी वस्त्र तथा जूट मिलों में थमिकों की संख्या—पूरुष व स्त्री के आधार पर—दी गई है। निर्माणियों का बर्गीकरण वालिक तथा वर्ष पवन्त कार्यशील में किया गया है। प्रति सप्ताह कार्य के घन्टों के अतिरिक्त श्रम-बत्याएं की विवेदन घटनाओं वा भी उन्नेक किया गया है।

(\*) Report on the Working of Joint Stock Companies — मासिक पत्रिका — इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन पहले वाणिज्य ज्ञान तथा सांख्यिकी कार्यालय (DCI&S) द्वारा किया जाता था। १९४७ से यह कार्य वित्त मन्त्रालय के अधीन 'कम्पनी विधि विनियोग तथा प्रशासन' कार्यालय द्वारा किया

गया तथा १९५५ में पुन यह विभाग वित्त मंत्रालय से वासिंज्य व उद्योग मंत्रालय को 'कृष्णी-विधि प्रशासन' कार्यालय के नाम से कर दिया गया।

इस पत्रिका में भारत में कार्य करने वाली कम्पनियों की सूच्या, स्थिति तथा विस्तृत सांख्यिकीय सूचनाएँ दी जाती है। प्रान्तों तथा देशी राज्यों की सूचना पृष्ठक-पृष्ठक में दी जाती है। नई पजीकृत तथा समाप्त होने वाली कम्पनियों की सूच्या, अधिकृत तथा प्रदत्त पूँजी की राशि वी सूचना भी दी जाती है। पत्रिका में विद्यमान कम्पनियों की अशपूँजी के उच्चावचनों की सूचना भी दी जाती है। साथ ही विदेशी में पजीकृत परन्तु भारत में कार्य करने वाली कम्पनियों की सूच्या आदि की सूचना तथा ऐसी कम्पनियों के पजीकरण और समाप्त का विवरण तथा सांख्यिकीय सूचना भी प्रदान दी जाती है।

वासिंज्य जान तथा सांख्यिकी कार्यालय ( D. C. I. & S. ) द्वारा उपरोक्त मासिक पत्रिका के साथ ही वार्षिक पत्रिका भी इसी नाम से प्रकाशित की गई जिसमें भारत में कम्पनियों से सम्बन्धित सूचना दी गई। समस्त कम्पनियों के नाम वर्णन क्रमानुसार, अधिकृत पूँजी तथा भारत में पजीकृत कार्यालय का स्थान भी दिया रहता था।

यद्यपि इन प्रकाशनों में बहुत ही व्यापक सूचना का समावेश किया गया था परन्तु किसी भी प्रकाशन में विविध उद्योगों में विविधोंजित कुल पूँजी तथा अचल व चल सम्पत्तियों में उनके प्रदोषक की सूचना नहीं दी गई थी।

उत्पत्ति तथा लागत मध्यवन्धी ममक—जहा तक उल्तति तथा लागत सबौंधी का प्रश्न है, इस प्रकार की सामग्री १९४६ से पूर्व नगरण ही थी। उल्तति के कुछ ममक किर भी उपलब्ध थे परन्तु लागत के ममकों का तो पूर्ण अभाव ही था। श्रीद्योगिक सम्पादनों को विधानानुसार लागत तथा उत्पत्ति के ममक देने का कोई नियम नहीं था, अत जो कुछ भी सूचन उपलब्ध है वह प्रैचिक सूच में द्राजन की जाती थी। इस प्रकार सम्बन्धित ममक दोषपूरण, अपर्याप्ति तथा अनुलनीय थे। १९४२ में श्रीद्योगिक सम्पक अधिनियम के पासिन बरने तथा १९४६ में प्रयत्न वार्षिक निर्माण उद्योग गणना के किए जाने पर स्थिति में मुगर हड़ा। सूती वस्त्र मिलों के सम्बन्ध में स्थिति कुछ अच्छी थी क्योंकि ममक ( Cotton industry (statistics) Act १९४२ के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने ये जिम्मे अनुसार प्रत्येक सूती वस्त्र मिल को सांख्यिकीय सूचना देनी होती थी। इन ममकों वा प्रकाशन निम्न पत्रिकाओं में किया जाता था—

(१) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills—मूली वस्त्र मिलों में सम्बन्धित गमकों को प्रदाशित किया जाता था। सूचना ममक वस्त्र उद्यादन, सूत वा किसी तथा भारत, ओटी गई कपास वी मात्रा तथा भारतीय मिलों तथा भारतीय कपास के खपत में सम्बन्धित थी जिनका प्रकाशन उपरोक्त मासिक पत्रिका में किया गया था।

(२) Monthly Statistics of the Production of Certain Selected Industries in India—वारिंग्य ज्ञान तथा साध्यवी कार्यालय (DCI&S) द्वारा प्रकाशित इस मासिक पत्रिका में झूट, कागज, लौह और इस्पात (पाच उपचरों में), पेट्रोल, मिट्टी का तेल, चीनी, माचिस, सीमेट, रग तथा भारी रसायन, आसन्नी तथा गेहू़ आदि के उत्पादन सम्बन्धी सूचना दी जाती है। यह सूचना ऐच्छिक अध्यार पर दी जानी थी अत समस्त उद्योगों से प्राप्त नहीं होती थी। चीनी तथा माचिस में सम्बन्धित सूचना Sugar and Match (Excise Duty) Act, 1934 के अन्तर्गत प्राप्त रिपोर्टों में ली जाती थी।

(३) Indian Trade Journal—का प्रकाशन वारिंग्य ज्ञान तथा साध्यवी कार्यालय (DCI&S) द्वारा सद १९०६ से किया जाता है जिसमें चीनों की ज्ञान प्राप्त तथा रियासतों के भावार पर दी जानी है। सूती वस्त्र मिलों द्वारा भारतीय रुई की खात के समको के साथ भारतीय पीड़नी (presses) द्वारा रुई की गाठों की सूचना दिए गये थे भारत तथा देशी रियासतों के सम्बन्ध में अलग-अलग दी जाती थी।

इसके अतिरिक्त यह सूचना Statistical Abstract of India तथा Monthly Survey of Business Conditions in India में दी गई थी। प्रथम पत्रिका में श्रमिकों की सूख्या तथा विनियोजित पूँजी के साथ स्त्री वस्त्र मिलों में उत्पाद तथा वस्त्र उत्पादन तथा कुछ चुने हुए उद्योगों के समक भी प्रकाशित किये गये। साथ ही द्वितीय पत्रिका में सूती वस्त्र, झूट, लौह और इस्पात तथा चीनी मिलों के उत्पादन समक प्रकाशित किये गये।

शक्ति उपभोग सम्बन्धी नगरक—सम्बन्धित समको को Chief Inspector of Mines, Dhanbad द्वारा प्रकाशित पत्रिका, Monthly Survey of Business Conditions in India (१९५१ से इसे उद्योग-व्यापार पत्रिका (Journal of Industry and trade) में सम्मिलित कर दिया गया है) में प्रकाशित किया गया जिसमें भारत में शक्ति-उपभोग की सूचना के अतिरिक्त सूती वस्त्र, झूट, लौह व इस्पात तथा चीनी के माह से मम्बन्धित उत्पादन समक भी सम्मिलित किये गये। शक्ति समको के अन्तर्गत कुल उत्पादित शक्ति (total energy generated) तथा उपभोग के लिए बिक्रिया (sold for consumption) की सूचना दी गई। उपभोग को ७ बागों में विभक्त किया गया—परेत्र, वाणिज्यिक, ग्रीष्मिक, द्रामे, विद्युत रेल, सड़कों पर विजलिया तथा विविध। इसमें सार्वजनिक निर्भाग विभाग द्वारा रेल स्टेशनों तथा सड़कों पर लगाने के लिए उत्पादित विद्युत का समावेश नहीं किया गया। इसी प्रकार समको में ग्रीष्मिक संस्थानों द्वारा अपने यकादि से स्वर्य के उपभोग के लिए उत्पादित शक्ति को भी सम्मिलित नहीं किया गया। प्रदूस्त १९५२ तक उपरोक्त विद्युत सूचना

दी गई परन्तु नवम्बर १९४२ से उत्पादित तथा विक्रित शक्ति के योग को ही दिया गया। १९४३ तक यह सूचना आर्थिक सलाहकार द्वारा दी जाती थी और जनवरी, १९४४ से भारत सरकार के विद्युत आयुक्त द्वारा प्रारम्भ की गई है।

उपरोक्त शक्ति उपयोग के सम्बन्ध में दी गई सूचना अतुलनीय, अपूर्ण तथा दोष-पूर्ण थी। समस्त उत्पादन इकाइयों द्वारा सूचना न देना, सूचना देने वाली इकाइयों की संख्या में भिन्नता होना आदि बुद्धिमत्ता कारण है। साथ ही शक्ति के मन्य साधनों को यात्रा, चाल, जल विद्युत-में सम्बन्धित सूचना का पूर्ण अभाव था।

### कुटीर तथा लघु उद्योगों में सम्बन्धित समक

बहुत उद्योगों की तुलना में कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित समकों की दशा बहुत शोधनीय रही क्योंकि यह उद्योग प्रसारित होता है। ऐसी परिस्थितियां में कोई उत्साहित कार्य नहीं किया जा सका। हाव-करण उद्योग के अखिल भारतीय उत्पादन समक एकत्रित करने का प्रयास २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में किया गया और परिणाम १९२१ की जनगणना में प्रकाशित किये गये जिसमें विभिन्न प्रातों में करघों की संख्या की सूचना दी गई। इसी प्रकार Indian Tariff Boards के १९३२ के प्रतिवेदन में १९२६-२७ से १९३१-३२ तक के सूती वस्त्र मिल उद्योग के उत्पादन आकड़े दिये गये जो उद्योग को सरकारी प्रदान करने के लिए प्रकाशित किये गये। परन्तु इस प्रकार के समक अपर्याप्त एवं अनुलनीय तथा अविश्वसनीय थे।

### स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् औद्योगिक समक

#### (Post Independence Period Industrial Statistics)

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व औद्योगिक समकों की स्थिति सोयप्रद नहीं रही क्योंकि सरकार द्वारा किसी को विधानानुसार समक प्रदान करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता था। अत १९४२ में औद्योगिक समक अधिनियम पारित किया गया तथा समक एकत्रित करने के लिए १९४४ में औद्योगिक समक निदेशालय ( Directorate of Industrial statistics ) की स्थापना की गई। निर्माणी उद्योगों की गणना बरने हेतु १९४५ में नियम ( Census of Manufacturing Rules ) बनाये गये जिनके अन्तर्गत प्रथम गणना १९४६ में की गई। १९४८ में औद्योगिक नीति की घोषणा के अनुसार उद्योगों के नियोजित विभाग वा एवं मात्र दायित्व सरकार वा रहा। देश के उद्योगों का विकास तथा सवानन राष्ट्रीय हित तथा योजनावाद किये जाने के लिए १९५१ में ( विकास तथा नियमन ) अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार समस्त नये तथा विद्यमान उद्योगों को विकास हेतु लाभमें मेना होता है। १९५७ में नियोजित का उद्देश्य 'समाजवादी दाने वे समाज की स्पाना' रवीवार निया गया और फलत प्रत्येक १९५६ में औद्योगिक नीति की पुत्र घोषणा की

व्यापार तथा एक राज्य से किसी भी बन्दरगाह को किया गया व्यापार पत्रिका से आसानी से मालूम किया जा सकता है। इस पत्रिका में वाद्य व्यापार ( External trade ) के समंक ही प्रकाशित किए जाते हैं। आन्तरिक व्यापार ( Internal Trade ) अर्थात् किसी देश के अन्दर ही किये गए व्यापार के समक एकत्र नहीं किए जाते। केवल आयात के समक ही दिए जाते हैं। निर्यात के समक देने की आवश्यकता समझी भी नहीं जाती क्योंकि एक देश में विभिन्न देशों से आयात किया हुआ व्यापार उतना ही होगा जिनका विभिन्न देशों से अमुक देश को निर्यात किया हुआ व्यापार। व्यापार के समक शुद्ध मात्रा में ही दिए जाते हैं, अर्थ में नहीं। इसका कारण यह है कि रेल की बिल्टी में मात्रा ही दी जाती है, अर्थ नहीं। प्रत्येक रेलवे व स्टीमर कम्पनी अपने औबडो को एकत्र करके D. G. C. I. & S. के पास भेज देती है जो सब समकों का संकलन करके उपरोक्त पत्रिका में प्रकाशित कर देती है। कुल वस्तुएँ जिनके व्यापार के समक प्रकाशित किए जाते हैं, ३१ दर्गों में विभाजित हैं जिनमें से मुख्य वपास, कच्चा-पद्धति कोयला, पशु, फल, कपड़ा, अनाज, दाल, आटा, चमड़ा, तेल, चौनी, चाय आदि हैं।

नदी के मार्ग से किये गए व्यापार में अब जहाजों ( steamers ) से भेजा गया भाल ही शामिल किया जाता है। निम्न दो जहाजों कम्पनियाँ देशी व्यापार के पूरे आंकड़े D. G. C. I. & S. को भेजती हैं—

1. India General Navigation and Railway Co. Ltd..

2. Rivers Steam Navigation Company Ltd.

नदी द्वारा दिया जाने वाले व्यापार के निम्न पात्र देश बनाए गए हैं—कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल ( कलकत्ता के अलावा ), आसाम, बिहार एवं उत्तर प्रदेश।

पहिले नावों से किये गए व्यापार के समक भी एकत्र किए जाते ये लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाईयों के उपस्थित हो जाने के कारण इन्हे एकत्र करना बन्द कर दिया।

सेंडक — में किए गए व्यापार के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई पत्रिका प्रकाशित नहीं की जाती है। यह छोट जनक दात है। पिछले दस वर्षों में सेंडक द्वारा किये जाने वाले व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कई मोटर ट्रान्सपोर्ट कम्पनियाँ दब गई हैं और इन्होंने रेल के भाग से होने वाले व्यापार से भारी प्रतियोगिता की है। मोटर-ट्रक के द्वारा भाल सुरक्षित ढंग से सीधा गोदाम पर पहुँचाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने इस कमी को पहचाना है और कृषि एवं खाद्य मंडलय के आधिक एवं सांस्थिकी मामलों के सलाहकार ने इस सम्बन्ध में सब राज्य सरकारों से समक एकत्र करने के लिए उचित

कदम उठाने को कहा है। मोटर ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों को लाइसेंस देने का अधिकार राज्य सरकारों को है। अत १९२६ के वहिन-चाहन ( सशोषित ) अधिनियम की धारा ५६ ( २ ) ( vi ) के अनुसार राज्य सरकारों को यह अधिकार मिल गया है कि प्रत्येक मोटर-ट्रान्सपोर्ट कम्पनी से उसके द्वारा ढोये गए माल की सम्पूण सूचना नियमित रूप से प्राप्त करें। यदि सूचना देने में इनकारों या देर होते तो उचित कायवाही के बाद लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। सड़क द्वारा किए गए व्यापार के सम्बाध में समक एकद करने के दिशा में यह एक महत्वपूण कदम है। राजस्थान एवं मध्यप्रदेश की राज्य सरकारों ने तो इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। यह आशा की जाती है कि भारत सरकार जल्दी ही सड़क द्वारा किए गए व्यापार के समक भी प्रकाशित करना शुरू कर देयी।

देशी व्यापार के समक उपरोक्त पत्रिकाओं के अलावा निम्न पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होते हैं—

- १ Indian Trade Journal—सांख्यिक
- २ उद्योग व्यापार पत्रिका—मासिक
- ३ Raw Cotton Trade Statistics—मासिक
- ४ Annual Statistical Abstract of India
- ५ Review of Trade of India—वार्षिक

देशी व्यापार में कमिया एवं उनमे सुधार के सुझाव—

१ नदी द्वारा किए गए व्यापार में हम केवल जहाजों ( steamers ) द्वारा किए जाने वाले व्यापार को ही शामिल करते हैं, नावों द्वारा किए गए व्यापार को नहीं। परन्तु उत्तरप्रदेश में गन्ने का अधिकतर व्यापार नावों द्वारा ही होता है। इसे शामिल करना आवश्यक है।

२ — अभी तक हमारे देश में सड़क के द्वारा किए गए समक उपलब्ध नहीं हैं। यह एक भारी कमी है, इसे दूर करना आवश्यक है।

३ — रेल एवं नदी द्वारा आयात की वस्तुओं को ३१ घण्टों में ही विमाजित कर रखा है। पिछले दस वर्षों में व्यापार में अधिक प्रसार हुआ है। अत वस्तुओं की साझ्या बढ़ानी चाहिए और उनका पुन वर्गीकरण करना चाहिए। इसके लिए नियन्त्रिति पर एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

४ — हमारे देश में विदेशी व्यापार के तो सूचक तैयार किए जाते हैं लेकिन देशी व्यापार के नहीं। इस कमी को भी दूर करना हमारे निए आवश्यक है।

५— विदेशी व्यापार में हम भाल की मात्रा एवं भर्ज दोनों के ही समक एकत्र करते हैं किन्तु देशी व्यापार में केवल मात्रा के समक ही एकत्र किए जाते हैं। यत भर्ज के समक भी एकत्र किए जाने चाहिए ।

६—देशी व्यापार में भी सरकारी एवं निजी देश में किए गए व्यापार समको को अलग-अलग प्रकाशित करना चाहिए ताकि दोनों की प्रगति की तुलना की जा सके ।

७— निब्बन घब चीन में है। नेपाल भी विदेशी राज्य है। इन देशों से किए जाने वाले व्यापार के समक देशी व्यापार में शामिल नहीं किए जाने चाहिए। इहें विदेशी व्यापार के समको का भाग मानना चाहिए ।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि देशी व्यापार के समकों को भी पूर्ण, विश्वसनीय एवं त्रुटि रहित बनाने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करने की आवश्यकता है ।

---

## अध्याय ६

# ओद्योगिक समंक

( Industrial Statistics )

भारत एक कृषि-प्रधान देश है : फलस्वरूप देश की अर्थ-व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई तथा स्थिर है और बेरोजगारी मुँह बायें लड़ी रहती है। पचवर्षीय योजनाओं द्वारा हम देश की अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन लाकर नागरिकों को पर्याप्त खुशहाली प्रदान करना चाहते हैं तथा आधुनिक प्रतियोगिता की दौड़ में अन्य राष्ट्रों से कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने की ज़मना प्राप्त करना चाहते हैं। यह सब देश के चतुमुँखी विकास के दिना सम्भव नहीं है।

आधुनिक पढ़ति पर देश के ओद्योगिकरण का प्रयास भूतकाल में कभी नहीं किया गया इतिहास के पृष्ठ इस तथ्य के साक्षी हैं कि ब्रिटिश शासन ने देश के ओद्योगिकरण के सम्बन्ध में उदासीनता पूर्ण व्यवहार ही नहीं किया अपितु उसके कुचलने के भी प्रयास दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश ने एक करबट ली तथा राष्ट्र के कर्णधारी ने भूतकाल की त्रुटि को समझा और वे आधुनिक ढंग से देश को ओद्योगिक विकास को चरम सीमा पर पहुँचाने के लिए कार्यरत ही गये। इन पन्द्रह वर्षों में राष्ट्र में ओद्योगिक क्रान्ति की लहर आई है जो भविष्य में एक तूफान का रूप लेगी। नये नये उद्योग घरों का सूक्ष्मपात हुआ और अर्थ व्यवस्था में एक नया मोड़ आया। हमारी योजनाओं में कृषि की प्रयोग उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया। प्रथम पचवर्षीय योजना की प्रयोग द्वितीय योजना में उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया गया और उसी प्रयाप को तृतीय योजना में चालू रखा गया।

ओद्योगिकरण की गति ल्हीटे उद्योगों की ओदेश वृहत् उद्योगों के अधिकर पर तीव्र होती है। परिणामत व्यापक मात्रा में समको के संकलन की प्रावश्यकता भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ओद्योगिक समको के संग्रह की ओर विदेशियों द्वारा बोई ध्यान नहीं दिया गया था। कारण स्पष्ट या कि ओद्योगिक उत्पादन कम या तथा इन समको को प्रकाशित बरा के विदेशी शासन भारत के ओद्योगिक विकास में उनकी शक्ति न होने वी प्रशाशना नहीं देना चाहते थे। इसलिये पह कोई प्रारंभ जनव नहीं कि भारत में ओद्योगिक समंक अत्यधि उपलब्ध हैं। जो भी थोड़े समझ उपराख है उनका संकलन निजी संस्थानों द्वारा किया गया था। जिसका उद्देश्य विदेशी नियर्तिको, मुख्यत सशास्त्राधर वे वस्त्र निर्माताओं को सूचना देना था। द्वितीय विश्व समर में एर्यांत समको के अभाव में युद्ध संवालन में दानाएं उपहित हुई और फुटबूल प्रयाप इस सम्बन्ध में किए गए। स्मतत्रता प्राप्ति से पूर्व भी राष्ट्र के नेताओं ने तथा उद्योगपतियों ने मिलकर

गई। साथ ही ग्रांद्योगिक समक अधिनियम १९४२ के दोषों को दूर करने की हटि से समक सम्महण अधिनियम (Collection of Statistics Act), १९५३ पारित किया गया। निर्माणी उद्योगों की गणना के स्थान पर अब १९५६ से उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण की योजना प्रारम्भ की गई है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्राप्य ग्रांद्योगिक समकों का अध्ययन इस प्रकार किया गया है—

- अ. ग्रांद्योगिक समक अधिनियम, १९४२
- आ. निर्माणी उद्योग गणना, नियम १९५५  
(निर्माणी उद्योग गणना—१९४४—१९५८)
- इ. निर्माणी उद्योगों का न्यायालय सर्वेक्षण (१९५१—१९५८)
- ई. ग्रांद्योगिक समक निदेशालय की ऐनिक योजना
- उ. समक सम्महण अधिनियम, १९५३
- ऊ. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (१९५६ से प्रारम्भ)

#### अ—ग्रांद्योगिक समक अधिनियम, १९४२—

इस अधिनियम के पारित करने से पूर्व सरकार को निजी उद्योगों से समक प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इस दोष को दूर करने के लिए १९४२ में यह अधिनियम पारित हुआ जिसे समस्त द्वितीय भारत में लागू किया गया। धारा ३ के अनुसार प्रातीय सरकारों को निम्न तथ्यों से सम्बन्धित समक एकत्रित करने का अधिकार दिया गया—

१. निर्माणी शाला से सम्बन्धित कोई भी तथ्य,
२. निम्न तथ्य जो धर्म कल्याण तथा धर्म दशा में सम्बन्धित हैं—  
क. वस्तुओं के मूल्य,  
ख. श्रमिकों की उपस्थिति,
- ग. रहने की दशाएँ, जैसे मशान, पानी की उपलब्धि तथा स्वच्छना-प्रबन्ध,
- घ. अद्यता-प्रस्तुता,
- ड. मकान किराया,
- च. मजदूरी तथा अन्य आय,
- घ. प्रोविडेट फर्हड़,
- ज. श्रमिकों को प्रदत्त लाभ तथा सुविधाएँ,
- झ. वायं के घन्टे, त्र. रोडगार तथा वेरोजगार,
- ट. ग्रांद्योगिक तथा धर्म विवाद।

प्रातीय सरकारों को इस सम्बन्ध में नियम बनाने के अधिकार दिए गए तथा  
इस सम्बन्ध में राज पत्र में सूचना प्रकाशित की जानी यो अधिनियम के द्वेष में वे गम-

## अध्याय ६

# ओद्योगिक समंक

( Industrial Statistics )

भारत एक कृषि-प्रधान देश है। फलस्वरूप देश की अर्थ-व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई तथा स्थिर है और बेरोजगारी मुँह बायें लड़ी रहती है। पवर्याय योजनाओं द्वारा हम देश की अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन लाकर नागरिकों को पर्याप्त भूशहाली प्रदान करना चाहते हैं तथा आधुनिक प्रतियोगिता की दौड़ में अन्य राष्ट्रों से कब्जे से कब्जा मिलाकर चलों की दृमता प्राप्त करना चाहते हैं। यह सब देश के चतुमुँखी विकास के विना सम्भव नहीं है।

आधुनिक पद्धति पर देश के ओद्योगिकरण का प्रयास भूतकाल में कभी नहीं किया गया इतिहास के पृष्ठ इस तथ्य के साक्षी हैं कि निटिंग शासन ने देश के ओद्योगिकरण के सम्बन्ध में उदासीनता पूर्ण व्यवहार ही नहीं किया अपितु उसको कुचलने के भी प्रयास किय। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश ने एक करबट ली तथा राष्ट्र के कर्णधारों ने भू तकाल की त्रुटि को समझा और वे आधुनिक ढंग से देश को ओद्योगिक विकास की चरम सीमा पर पहुँचाने के लिए कार्यरत हो गये। इन पन्द्रह वर्षों में राष्ट्र में ओद्योगिक क्रान्ति की लहर माई है जो भविष्य में एक तूकड़ा स्पृश्यता नये नये उद्योग धरों का सूत्रपात द्वारा और अर्थ व्यवस्था में एक नया मोड़ आया। हमारी योजनाओं में कृषि की अपेक्षा उद्योगों के विकास पर दिशें बल दिया गया। प्रथम पवर्याय योजना की अपेक्षा द्वितीय योजना में उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया गया और उसी प्रवाप को तृतीय योजना में चालू रखा गया।

ओद्योगिकरण की गति छोटे उद्योगों की अपेक्षा बहुत उद्योगों के आधार पर तीव्र होती है। परिणामत व्यापक मात्रा में समकों के संकलन की आवश्यकता भी उनकी ही अधिक बढ़ जाती है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति में पूर्व ओद्योगिक समकों के मंश्रह की ओर विदेशियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया था। कारण स्पष्ट था कि ओद्योगिक उत्पादन कम था तथा इन समकों को प्रकाशित करना के विदेशी शासन भारत के ओद्योगिक विकास में उनकी रुचि न होने की प्रकाशना नहीं देना चाहते थे। इसलिये यह कोई आश्चर्य जनक नहीं कि भारत में ओद्योगिक समंक अत्यन्त उपलब्ध है। जो भी थोड़े समक उपलब्ध है उनका संकलन निजों सत्यानों द्वारा किया गया था। जिसका उद्देश्य विदेशी नियतिको, मुख्यत लवाशायर वे वस्त्र निर्माताओं को सूचना देना था। द्वितीय विश्व संघर में पर्याप्त समंकों के प्रभाव में युद्ध संचालन में दाखाए उपरित हुई और फुटकर प्रयाप इस सम्बन्ध में किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी राष्ट्र के नेताओं ने तथा उद्योगपतियों ने मिलकर

गई। साथ ही ओद्योगिक समक अधिनियम १९४२ के दोषों को दूर करने की विधि से समक सप्रहण अधिनियम (Collection of Statistics Act), १९५३ पारित किया गया। निर्माणी उद्योगों वी गणना के स्थान पर अब १९५६ से उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण की योजना प्रारम्भ की गई है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्राप्त ओद्योगिक समकों का अध्ययन इस प्रकार किया गया है—

अ. ओद्योगिक समक अधिनियम, १९४२

आ. निर्माणी उद्योग गणना, नियम १९५५

(निर्माणी उद्योग गणना—१९४४—१९५८)

इ. निर्माणी उद्योगों का न्यायालय सर्वेक्षण (१९५१—१९५८)

ई. ओद्योगिक समक निदेशालय की एकिकृत योजना

उ. समक सप्रहण अधिनियम, १९५३

ऊ. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (१९५६ से प्रारम्भ)

#### अ-ओद्योगिक समक अधिनियम, १९४२—

इस अधिनियम के पारित करने से पूर्व सरकार को निजी उद्योगों से समक प्राप्त वरने का अधिकार नहीं था। इस दोष को दूर करने के लिए १९४२ में यह अधिनियम पारित हुआ जिस समस्त द्वितीय भारत में लागू किया गया। धारा ३ के अनुसार प्रतीय सरकारों को निम्न तथ्यों से सम्बन्धित समक एकत्रित करने का अधिकार दिया गया—

१. निर्माण शाला से सम्बन्धित कोई भी तथ्य,

२. निम्न तथ्य जो श्रम कल्याण तथा श्रम दशा से सम्बन्धित हैं—

क. वस्तुओं के मूल्य,

ख. धमिकों की उपस्थिति,

ग. रहने की दशाएँ जैसे मकान, पानी की उपलब्धि तथा स्वच्छता प्रबन्ध,

घ. ऋणप्रस्तता,

ड. मकान किराया,

च. मजदूरी तथा अन्य आय,

छ. प्रोविडेट फरेड,

ज. धमिकों को प्रदत्त लाभ तथा सुविधाएँ,

झ. वार्ष के पन्दे, ज. रोजगार तथा वेरोजगार,

ट. ओद्योगिक तथा श्रम विवाद।

आन्तीय सरकारों को इस सम्बन्ध में नियम बनाने के अधिकार दिए गए तथा इस सम्बन्ध में राज पत्र में सचिव प्रभारी जानी थी अधिनियम के तेज में वे गम

स्त्री औद्योगिक इकाइयाँ जो भारतीय फैक्ट्री अधिनियम, १९३४ से नियमित होनी हैं अर्थात् वे सब उद्योग निर्माणिया जिन में २० या इसने अधिक व्यक्ति काम करते हैं और जो शविन से चलती हैं, समिलन की गई। ये औद्योगिक संस्थान सूचना देने के लिए विधि बाध्य हैं।

(१) धारा ४ के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को समक संग्रह करने के लिए सात्यवीर अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया जिसे समक संग्रह से सम्बन्धित किसी तथ्य के बारे में विहित विवरण सहित सूचना प्रदान करने के लिए जिसी भी व्यक्ति या अधिकारी को सूचित करने का अधिकार दिया गया। साथ ही धारा २ के अनुसार समक संग्रह हेतु इस अधिकारी द्वारा प्रलेखों तक पहुँच तथा भवन में जहां प्रलेख आदि रखे हो प्रवेश का अधिकार भी दिया गया है।

प्राप्त की गई सूचना गुप्त रखी गई तथा व्यक्तिगत संस्था के तथ्य बिना सम्बन्धित व्यक्तियों की अनुमति के अन्य से प्रकाशित नहीं किये जाते। इसी प्रकार प्राप्त की गई सूचना न्यायालय तथा संग्रह-अधिकारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को नहीं बताई जाती।

सही सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से धारा ८ के अनुसार असत्य सूचना देने वाले या सूचना न देनेवाले व्यक्तियों के लिए आदिक दरड वा प्रबन्ध है। यदि सूचना देने वाला व्यक्ति जान-बूझकर सूचना नहीं देता है या देने में लापरवाही करता है या जानते हुए असत्य सूचना देता है या दिलवाता है या सूचना प्राप्ति के लिए पूछे गये प्रश्न का उत्तर असत्य देता है या नहीं देता है या यदि कोई व्यक्ति अधिकारी को प्रलेखों तक पहुँचाने तथा भवन में प्रवेश करने पर रक्कावट ढालता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक जुर्म के लिए ५०० रुपये तक का आदिक दरड दिया जा सकता है तथा निरन्तर जुर्म करने पर २०० रुपये तक प्रतिदिन वी दर से अतिरिक्त दरड भी दिया जा सकता है। साथ ही अनुचित रूप से प्राप्त समझों को प्रकट करने पर भी अधिकारियों के लिए १००० रुपये तक के आदिक दरड या ६ मास का कारावास या दोनों का प्रबन्ध किया गया।

### आ- निर्माणी उद्योग गणना नियम, १९४५—

उपरोक्त अनिनियम के अन्तर्गत समक संग्रह करने का अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दिया गया था। अन सब प्रान्तीय सरकारों को उद्योगों की सूचना करने के लिए नियम बनाने वी वहां गया परन्तु व्यवर्द्ध सरकार के अनिरिक्त जिसी भी प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में नियम नहीं बनाये। फलस्वरूप १९४४ में औद्योगिक समक निदेशालय की स्थापना वी गई और समस्त प्रान्तों में वी जाने काली गणना में एक स्थापना लाने के अभिन्न से इसी वर्ष निदेशालय द्वारा नियम बनाये गये जो सब प्रान्तों को स्थीकृत तथा प्रयोग के लिए भेजे गये। यद्यपि यह नियम निदेशालय द्वारा बनाये गये थे परन्तु यह

प्रत्तीय सरकार के नियम ये जिनके आवार पर उन्हें गणना कर्वना था तथा संकलन, विस्तृत और प्रकरण कार्य निर्देशान्वय को करना था।

सूचना प्राप्त करने की विधि — नियमों की धारा ३ व ४ के अनुसार समक्ष एकविन करने की विधि इस प्रकार थी—

प्रथम अनुमूल्य में इए गए उद्योगों से सम्बन्धित प्रत्येक निर्माण के अभिधारक ( Occupant of the factory ) को दिसम्बर की समाप्ति से पूर्व मार्गी गई सूचना देने को लिखा जाता था। इस सूचना-पत्र के साथ ही तीन विहित प्रपत्र भी भेजे जाते थे जिनमें सूचना दी जानी थी । विट्ठि प्रपत्र में सूचना समाप्त हुए वर्ष में सम्बन्धित होनी थी तथा चीजों उद्योग को सूचना-पत्र जून की समाप्ति से पूर्व भेजा जाना था तथा विहित प्रपत्र में सूचना जुलाई १ से जून ३० तक की दी जानी थी। अभिधारक को प्रपत्र की दो प्रतिलिपियां सूचना भर कर साल्विकीय अधिकारी को लौटानी होती थी। तृतीय प्रपत्र में प्रतिलिपि अभिधारक द्वारा रखी जानी थी। साथ ही प्राप्त के बाहर ( दिट्ठि भारत में ) पंजीकृत निर्माणों को लाभान्वत् स्वातः, वार्षिक चिट्ठा और सचालक प्रनिवेदन की दो प्रतिलिपियां भी भेजनी होती थी।

उपरोक्त सूचना अभिधारक द्वारा दो परनों में साल्विकीय अधिकारी को सूचना से सम्बन्धित काल की समाप्ति के दो मास के अन्दर-अन्दर दी जानी थी। उपरुक्त परिस्थितियों में समय में वृद्धि भी अधिकारी द्वारा दी जा सकती थी।

अमम्बन्धित प्रपत्र की प्राप्ति के सात दिन के अन्दर अन्दर अभिधारक को अपने उद्योग में सम्बन्धित प्रपत्र मध्यवाने के निए अधिकारी को निष्पत्ता होना था। अभिधारकों द्वारा प्रदत्त समस्त सूचना आगल भाषा में होती थी जिसे अधिकारियों द्वारा मुफ्त रखा जाना था।

निर्माणी उद्योगों की गणना के निम्न उद्देश्य थे—

१. राष्ट्रीय आय में समस्त रूप से निर्माण उद्योगों के तथा प्रत्येक इकाई के अदादान वा अनुमान।

२. समस्त निर्माण उद्योग की, प्रत्येक उद्योग की और प्रत्येक इकाई की सूचना ( structure ) का मुद्रवस्थित अध्ययन।

३. देश में उद्योगों को प्रमाणित करने वाले विभिन्न कारकों ( factors ) का विस्तृत।

४. राज्य नीति निधारण के लिए व्यवहार के तथा सुधारन्ति आगर प्रदान करना।

नियमान्वयत् क्षमत राष्ट्र के ओद्योगिक वर्गवरणों का अनुभरण करने हुए उद्योगों को ६३ तस्फूहों में रखा गया जिसमें ने प्रधम अनुमूल्य में दिया गया २६ उद्योगों

के सम्बन्ध में गणना की गई। शेष ३४ उद्योगों को वाद में गणना करने के लिए द्वेष दिया गया। २६ उद्योग इस प्रकार हैं—

१. गेहूं का आटा, २. चावल तिर्माण ( Rice Milling ), ३. बिस्कुट,  
४. फन तथा तरकारी विचायन ( processing ), ५. चीनी, ६. यवामबनी तथा  
आमकनी ( Breweries and Distilleries ), ७. माड ( Starch ), ८.  
बनस्पति तेल, ९. राग तथा बारिश, १०. साबुन, ११. चमड़ा पक्काला, १२. सीमेट,  
१३. काँच तथा काच के सामान, १४. मिट्टी के बत्तन ( Ceramics ), १५. स्नरकाल  
तथा चाव रक्क ( Plywood and Tea Chests ), १६. चागब तथा पुड़ा,  
१७. भाजिम, १८. मूत्री बस्त्र ( कनाई व दुनाई ), १९. छोटे बस्त्र, २०. जूट वस्त्र,  
२१. रसायन, २२. अन्यूनीतियम, ताता तथा पील, २३. सौह तथा इस्पात, २४.  
साईकिल, २५. सिलाई की मधीन, २६. सजंक वाति यन्त्र ( producer gas pla-  
mms ), २७. विजली के लैम्प, २८. विजली के पद्धे, २९ सामान्य इतिनियमी तथा  
विजली का इतिनियमी सामान।

उपरोक्त २६ उद्योगों में से १६५२ में सजंक वाति उद्योग ( producer gas-industry ) नहीं थी। बनस्पति तेल को १६५२ से दो भागों में विभक्त कर दिया गया—तिलहन को पेलना तथा बनस्पति तेलों का विचायन और लाने योग्य उद्जनित तेल बनाना। इसी प्रकार १६५२ के गणना प्रतिवेदन में गुड के समंज भी दिये गये। प्रति-  
रक्षा मकालय के नियवण वाले उद्योगों को गणना में सम्मिलित नहीं किया गया।

गणना के बहुमाली उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिक से अधिक सूचना एकत्र करने  
का प्रयास किया गया और प्रात्तीय सरकार उद्योग के प्रानिनियों से विचार विभार्ता  
के पश्चात् विहित प्रपत्र तथ्यात् किये गये। ये प्रपत्र मुख्यतः अमरीका और ब्रिटेन के प्रवर्ती  
के आधार पर तथ्यात् किये गये। प्रपत्र को ६ भागों में बाटा गया त्रिसमें से प्रथम चार  
भाग सब उद्योगों के लिए एवं जैसे थे तथा शेष दो भाग—स्थानीय गया तथा प्रयोग में  
लिया गया भाग और उन्नादन तथा उत्तोत्तादन की भागता व रायि-सब उद्योगों के  
मिल थे।

ये ६ भाग इस प्रकार थे—

१. भाग ( अ )—सामान्य सूचना — निर्माणी का नाम, पता, व्यवसाय  
त्विनि, अभिगारक का नाम, प्रवन्ध अभिवृत्ति का नाम आदि

२. भाग ( ब )—पूँजी सरचना ३१ दिसम्बर को—प्रदत्त पूँजी-स्टर्टों में पा अन्य  
विदेशी मुद्रा में—उत्पादक पूँजी, अवन पूँजी, कार्यशील पूँजी आदि

३. भाग ( च )—वाप में संग्रह व्यक्ति, वेतन व मजदूरी की राखा तथा अन्य  
अभिशान, अभिको को प्रोड तथा वस्त्रों में तथा पुन. इन्ह फुस्य, स्त्री, बालक व बालिकामों

में दर्शाकृत किया गया, मनुष्य पन्डी में काम, प्रतिविन औतत अभिको की सह्या, दण्ड, अनुपस्थिति के लिए कटौती, भर्मौद्रिक साम, उद्योग द्वारा काम पर लगाये गये अभिको तथा टेकेजारो द्वारा काम पर लगाये गये अभिको का विवरण

४. भाग ( द ) प्रयुक्त शक्ति की राशि अवधि धन, बिजली, कोयना, गेस उत्स्तेहत पदार्थ ( lubricating materials ), पानी आदि-जो खरीद गया तथा चर्च में प्रयोग किया गया ।

५. भाग ( इ ) — विक्रयार्थ उत्पत्ति तथा उपोत्पादक के निर्माण हेतु कभी भी खरीद गया माल विसका उपभोग वर्ष के मन्दर किया गया है, आवार भूत माल, रक्षाल, अन्य माल की मात्रा तथा अर्थ

६. भाग ( फ ) — उत्पादों तथा सह— उत्पादों (उपोत्पाद) की राशि तथा अर्थ जिसमें चालू वर्ष में निर्माण के प्रत्यन्दरूप परिवर्तन अर्थ भी सम्मिलित है ।

इन प्रदक्षी के आधार पर प्राप्त सूचना को जाच राज्य के सालिनीय मदिकारी द्वारा की जानी है । स्पूर्ण तथा दूषित श्रृङ्खलों का शुद्धि के लिये पुनः अभिधारकों को लोटा दिया जाता है । तत्पश्चात् इस प्रमाण पत्र के साथ कि प्रपत्र ठीक तथा पूर्ण है वे निरेशालय को भेजे जाने हैं, जहा उनकी पुनः जाच की जानी है और अन्त में उनका सकलन किया जाता है । प्रतिवर्ष इन समको का प्रकाशन Census of Indian Manufactures से किया गया । सामग्री राज्यों के अनुसार, उद्योगों के अनुसार, स्वभित्व के प्रकार के अनुसार तथा निर्माण के परिमाण के अनुसार प्राप्त हैं । संक्लिन सामग्री संचेर में निम्न समूहों में रखी जा सकती है—

१. निर्माणियों की सत्त्वा ।

२. उत्पादक पू. चौ-अचन व कार्यशील ।

३. ऐजगार-भजदूरी तथा वेनन प्रस्तवतां, काम के दिनों की घोषन सह्या, मनुष्य-धटो की सत्त्वा ।

४. भजदूरी तथा वेनन ( भर्मौद्रिक साम सहित ) ।

५. उपमुक्त पदार्थों की राशि ( कच्चे माल व ईंधन सहित ) ।

६. निमित्त उत्पादन का अर्थ ।

७. निर्माण द्वारा परिवर्तन अर्थ ( ३-५ )

इस प्रकार इन नियमों के अन्तर्गत प्रथम गणना १६४६ में की गई । एकवित सूचना अमरीका व ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों की तुलना में बहुत ही अनेक सूर्य है । विवाना-नुसार गणना १६४६ से १६५६ तक की गई । किर भी ऐच्चिक आधार पर ओद्योगिक संस्थानों से १६४४ व १६४५ से सम्बन्धित सूचना प्राप्त की गई जिनका न सारालीयन किया गया और न प्रकाशन ही क्योंकि इन नियमों के अन्तर्गत जाने वाली निर्माणियों

में से केवल ३७% निर्माणियों द्वारा ही सूचना प्रदान की गई। १९५४ में समक्ष मण्डल अधिनियम पासित किया गया जो १० नवम्बर १९५६ से लागू किया गया। इसने श्रौतोग्निक समक्ष अधिनियम १९४२ तथा निर्माण उद्योग गणना नियम १९४५ को प्रतिस्थापित कर दिया। नये अधिनियम के अन्तर्गत सूचना एकत्र करने के नियम १९५६ में बनाये गये अतः १९५७ व १९५८ की वार्षिक गणना भी ऐच्छिक आधार पर ही की गई। १९५६ से पुनः विवानानुभार समक्ष सश्वत् का कार्य प्रारम्भ किया गया।

### निर्माण उद्योग गणना के दोष—

(१) इस गणना के अन्तर्गत प्राप्त सामग्री बहुत व्यापक है तथा राष्ट्रीय नियोजन व विकास में इसका महत्व योग रहा है। इस ओर उद्योग गण यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा है परन्तु फिर भी इस गणना में कुछ दोष व सीमाएँ हैं जिसके कारण इसकी उपयोगिता पूरी नहीं प्राप्त की जा सकी।

प्रथम-व्याप्ति में रिक्ति — गणना कार्य के लिए उद्योगी को ६३ समूहों में बांटा गया परन्तु केवल २६ उद्योगों ( १९५२ से केवल २८ उद्योग ) के सम्बन्ध में ही गणना की गई। पुनः इन २६ उद्योगों की समस्त इकाईयों द्वारा सूचना नहीं दी गई। यद्यपि यह काय विधि वाध्य था। अनुभान है कि ७-८% श्रौतोग्निक संस्थानों द्वारा सूचना नहीं दी जाती थी। इन्हें दरिंडत किया जाता था परन्तु फिर भी स्थिति में सुधार नहीं। इसके अनियन्त्रित देश की समस्त श्रौतोग्निक क्रिया को ६३ समूहों में सम्मिलित नहीं जूँ सका।

(२) द्वितीय — जिन विहित प्रणयों के आधार पर सूचना एकत्र की गई वे भारतीय उद्योगों के लिए अशान अनुपयुक्त थे। प्रयत्न अमरीका व ब्रिटिश जैसे श्रौतोग्निक दूष से विकसित देशों पर आधारित थे। यहाँ इतनी व्यापक सूचना एकत्र नहीं की जाती जो प्रणयों में पूछी गई थी। विभिन्न तत्वों की विचारधारा के अन्तर्मेंद को स्पष्ट करने के लिए तात्रिक कर्मचारियों का अभाव, लागू लेखों का अभाव, वित्तीय स्थिति का ठीक न होना आदि कारणों से व्यापक सूचना नहीं प्रदान की जा सकती। इसी प्रकार सरकारी निर्माणियों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं से लगी हुई निर्माणियों के लिए भी ये प्रणय अनुपयुक्त थे।

तृतीय — प्रणयों में सूचना आमत भाषा में ही जाती थी।

चतुर्थ — प्रणयों में लोच का प्रभाव था क्योंकि ये गणना नियमों की द्वितीय अनुमूलि में दिए गए थे जिनमें सरकार के लिए परिवर्तन करना आसान कार्य नहीं था। इन दोष को १९५६ के नियमों में दूर किया जा चुका है।

पचम — प्रकाशित सामग्री में लगभग एक दर्प की दौरी हो जाती थी, जिसकी मात्र अनियासिक उपयोगिता रह जाती थी।

अन्त में यह बहा जा सकता है कि बहुत बड़े परिमाण में निर्माणियों से समक प्राप्त करने के पश्चात भी गणना अपूर्ण थी और समंक सनोपजनक नहीं थे ।

३ निर्माण उद्योगों का न्यादर्श सर्वेक्षण ( Sample Survey of Manufacturing Industries—SSMI ) १९५१ से १९५८ तक—

राज्य सरकारों द्वारा की गई निर्माण उद्योगों की गणना के अतिरिक्त राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण निदेशालय ने इस ओर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है । १९५१ से अप्रैल १९५८ दौरे में निर्माण उद्योग का न्यादर्श सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जो १९५८ में समाप्त कर दिया गया । इसके अन्तर्गत समक न्यादर्श के आगार पर प्राप्त किये गये । इस सर्वेक्षण की व्याप्ति काफ़ी विस्तृत थी । इसमें वे सभी ओद्योगिक संस्थान सम्मिलित किये गये जो फैक्ट्री अधिनियम, १९५८ की धारा २ म ( १ ) और २ म ( २ ) के अन्तर्गत पंजीकृत थे अर्थात् जो शक्ति के प्रयोग में १० या इससे अधिक थमिकों वो तथा शक्ति के अभाव में २० या इससे अधिक थमिकों वो काय प्रशान्त करते थे । सब ही इसमें उद्योग ( विकास तथा नियमन ) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत पंजीकृत या अनुज्ञात संस्थानों को सम्मिलित कर इसके द्वेष को और भी अधिक व्यापक बर दिया गया । ऐसा चतुर्थ दौर में किया गया जो १९५४ में सम्पन्न हुआ । मण्डमान तथा निकोशार द्वैप के अतिरिक्त यह समस्त देश में लागू किया गया परन्तु प्रतिरक्षा तथा रेल मन्त्रालय के उद्योगों को इसमें मुक्त रखा गया । सर्वेक्षण में उद्योगों के समस्त ६३ समूहों वो सम्मिलित किया गया । न्यादर्श में लगभग १० प्रतिशत निर्माणियों वो लिया गया । थीरे थोरे १९५८ के आठवें दौर में लगभग १६२ प्रकार के उद्योग इस सर्वेक्षण में सम्मिलित किये गये । इस दौर में समक १९५७ व १९५८ के सम्बन्ध में एकत्र किए गए ।

न्यादर्श सर्वेक्षण की प्रश्नावली में निम्न मुख्य तथ्य ४—

अ. पूँजी सरचना—१. मूलि, भवन, यन्त्रादि स्थाई सम्पत्ति का मूल्य ।

२. कार्यशील पंजी का मूल्य जिसमें ई धन, कच्चा माल,  
उत्पाद, व सह उत्पाद, अद्विभिन्न उत्पाद का स्वत्व  
और रोकड़ आदि ।

३. पट्टे पर प्राप्त स्थाई सम्पत्ति का किरणा ।

४. कार्य कार की अवधि ।

आ. रोजगार तथा मजदूरी-विभिन्न प्रकार के थमिकों वो दी गई मजदूरी तथा बेन ।

इ. धारा ( Inputs )—उन्मुक्त ई धन, कच्चे माल, रमायन आदि की मात्रा तथा अर्थ ।

ई. उत्पत्ति — ( Output )—उत्पाद तथा सह-उत्पाद की मात्रा व अर्थ ।

प्रत्येक निर्माण उद्योग की गणना और व्यादशं सर्वेक्षण में कुछ मूलभूत भवत है। प्रत्येक प्रथम, गणना चेत्र तथा परिणाम संकुचित वी जबकि सर्वेक्षण का चेत्र व्यापक या। गणना के प्रत्यन्तर्मन ऐसी निर्माणियों को समिलित किया गया जो शक्ति का प्रयोग करते हुए वर्ष के किसी भी दिन २० या अधिक शक्तियों को वाध्य प्रदान करते हों जब कि सर्वेक्षण में १० या अधिक अधिकी वाली निर्माणियों को भी समिलित किया गया। साथ ही भौगोलिक द्वेष भी व्यापक हैं। यही कारण है कि सर्वेक्षण के परिणाम गणना से छूचे हैं। प्रत्येक द्वितीय, गणना में केवल २५ उद्योगों के बारे में समक्ष एकत्रित किये गये जब कि सर्वेक्षण में इनकी स ह्या कही अधिक थी। परिणामतः दोनों के परिणामों वी तुलना करके सर्वेक्षण के परिणामों की सत्यता का पता नहीं लगाया जा सकता वर्षोंकि जैसा कि ऊपर लिखा गया है दोनों में निर्माणियों के प्रकार में भेद है।

प्रत्येक भवित्वात् द्वितीय, सर्वेक्षण के परिणाम अधिक विस्तृत द्वेष से प्राप्त किये जाने से अधिक प्रतिनिधि है। प्रत्येक गणना के समको से सर्वेक्षण में मूलतः प्रियांकित अनुमंशनकर्ताओं द्वारा एकत्र वी गई। इन कारणों से राष्ट्रीय आय के प्रकाशन में राष्ट्रीय आय समिति ने सर्वेक्षण के परिणामों का प्रयोग करना गणना के समको के प्रयोग से कही प्रच्छा समझा। चतुर्थ, गणना के परिणामों वा प्रकाशन वर्ष की समाप्ति के लगभग ६-१० माह परिवार होना या जबकि सर्वेक्षण के परिणामों वा प्रकाशन वर्ष बहुत समय बाद हो पाता था, उदाहरणार्थ, १९५४ से समन्वित आकड़े १९६० में प्रकाशित किये गये।

उपरोक्त अन्तभेद का यह वर्णन नहीं है कि गणना कार्य से समय, वर्ष तथा व्यवस्था किया गया। नवेक्षण के आकड़े प्राकाशन जैसे व्यापक कार्यों के लिए प्रयोग लिये जाने हैं जबकि राष्ट्रीय नीतियों के विवरण में जिनमें विस्तृत समको की आवश्यकता होती है न्यादशं के परिणामों वा प्रयोग नहीं किया जा सकता साथ ही न्यादशं के परिणाम गणना के समको की शुद्धना बनाये रखने का कार्य करते रहे।

### इ. शौधोर्धिक समक्ष संग्रह की ऐच्छिक योजना—

उपरोक्त निर्माण उद्योग गणना तथा न्यादशं सर्वेक्षण दोनों में उद्योगों के उत्पादन राष्ट्रीय आधार पर दिये जाते थे तथा मामपी का प्रकाशन लगभग ६ मास प्रधान होने से रोजगार और उत्पादन में आपकालीन प्रवृत्तियों के अध्ययन के लिए उपयोगी तर्ही थे, यद्यपि दीर्घकालीन नीति-निर्धारण के लिए ऐसे समक बहुत ही लाभप्रद थे। इस कमी की पूर्ति हेतु शौधोर्धिक समक निवेशात्मक ने कुछ तुलने हुये उद्योगों की उत्पत्ति और उत्पादन-दमता के समक शौधोर्धिक संस्थानों के सहयोग से ऐच्छिक आधार पर प्रति मास एकल किये जाते हैं। यह समक स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भी एकत्रित किये जाते थे जिन्हे बाणिज्य ज्ञान व साहित्यकी कार्यालय, कलकत्ता वी प्रतिका Monthly Statistics of Production of Selected Industries in India में प्रकाशित किया जाता था

जिसका विवरण पिछले पृष्ठों पर किया जाचुका है। बाद में इस पत्रिका का प्रकाशन श्रीद्योगिक समंक निदेशालय द्वारा किया जाने लगा। अब इसका प्रकाशन केन्द्रीय सास्थिकीय संगठन (C. S. O) द्वारा किया जाता है। विभिन्न संस्थाओं से सूचना एकत्र करने के ग्रति-रिक्त कोपला आयुक्त, खानों के मुख्य निरीक्षक, वनस्पति तेज उत्पाद नियन्त्रक, चाव बोर्ड, कार्षी बोर्ड, नमक आयुक्त, वान आयुक्त (Textile Commissioner), लोह व इस्पात नियन्त्रक, भूगम सर्वेजण, भारतीय केन्द्रीय जूट समिति, योजना आयोग, राज्य सास्थिकी विभाग आदि द्वारा सम्प्रदी का भी प्रयोग किया जाता है।

यह ऐच्छिक योजना लगभग ६० उद्योग में लागू है जिन्हे तीन बगों में विभक्त किया जाता है—

### १ खनन व उत्पन्न (Mining & Quarrying)

#### २ निर्माण

#### ३ विद्युत प्रकाश व शक्ति

समझो के लिए (कोयना, चीनी, वनस्पति तेज, भूती वस्त्र और लोह व इस्पात के अतिरिक्त) निदेशालय को संस्थानों के स्वेच्छिक सहयोग पर निर्भर रहता पड़ता है। परिणामतः समन्वय इकाई से समक्ष प्राप्त नहीं होने और व्याप्ति प्रति मास बदलती होती है।

उत्पत्ति समको के अनिरिक्त उत्पादन द्वारा भी सूचना भी इसमें सम्मिलित की जाती है। कुछ उद्योगों में इसका अनुमान उत्पत्ति के आधार पर लगाया जाता है। वस्त्र-उत्पादन द्वारा का अनुमान करवे वन कुप्य के आधार पर किया जाता है। उत्पादन द्वारा के समक्ष विविध संग्रह प्रभिकरणों द्वारा अनुमानित किय जाते हैं परन्तु कुछ जैसे चीजों की उत्पादन द्वारा का अनुमान निदेशालय द्वारा ही किया जाता है। उपरोक्त सूचना के अतिरिक्त इस पत्रिका में श्रीद्योगिक उत्पादन के देशनाक भी प्रकाशित किये जाते हैं।

उपरोक्त समक्ष ऐच्छिक आधार पर एकत्रित किये जाने से सही, पूर्ण और सब इकाईयों से प्राप्त नहीं होने। ये विश्वसनीय तथा प्रतिनिधि भी नहीं हम्मा करते क्योंकि व्याप्ति प्रति मास बदलती है। ऐसी स्थिति में ये समक्ष किसी प्रकार के निष्पत्ति निवालने के अनुपयुक्त हैं और कभी कभी भास्कर भी होने हैं।

#### (उ) समक्ष संश्लेषण अधिनियम, १९४३

जैसा कि ऊपर लिखा गया है श्रीद्योगिक समको वा संग्रह श्रीद्योगिक समक्ष अधिनियम १९४२ के अधीन बनाये गये निर्माणों उद्योग गणना नियम १९४५ के अनुमान १९४६ से प्रारम्भ किया गया। अधिनियम तथा नियमों का द्वारा सीमित था और मरकार प्रथम अनुमूली में उल्लेखित उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योग तथा निर्माणों अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाले संस्थानों से सूचना प्राप्त नहीं कर पाती थी। इसी प्रकार भारत

के बाहर निर्गमित कपनियों को अपने चिट्ठे, लाभालाभ खाता तथा सचालक प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां भी नहीं देना होता था। ऐसी कपनिया केवल विहित प्रपत्रों में दी गई सूचना ही प्रदान करती थी। ऐसी स्थिति में सरकार को ओद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थानों के स्वेच्छक सहयोग पर निभर करता होता था। स्थिति की गम्भीरता और भी बढ़ गई जब १९५२ में भारत सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा भारत में समस्त विदेशी स्वामित्व तथा नियन्त्रित संस्थाओं को अपने भारतीय तथा विदेशी कमचालियों के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए कहा और प्रत्युत्तर संतोषप्रद नहीं हुआ। अत समक्ष संग्रहण अधिनियम, १९५३ ( १९५३ का ३२ वा ) पारित विया।

इस अधिनियम ने ओद्योगिक समक्ष अधिनियम १९४२ को प्रतिस्वापित किया तथा इसके समस्त उपबन्धों का समावेशन कर लिया गया। वर्तमान में सर्वक इसी अधिनियम के अनुसार एकत्र किये जाते हैं। यह जम्मू तथा कश्मीर राज्य के अतिरिक्त समस्त भारत संघ में १० नवम्बर १९५६ से लागू किया गया। इसके अन्तर्गत अब केंद्रीय तथा राज्य, दोनों सरकारों को समक्ष एकत्रित करने का अधिकार है। संविधान की अनुमूली में दी गई केंद्रीय सूची ( Union List ) के लिये केंद्रीय सरकार, राज्य सूची ( State List ) के लिए राज्य सरकार तथा समवर्ती सूची ( Concurrent List ) के लिए दोनों, केंद्रीय तथा राज्य, सरकारों को समक्ष एकत्रित करने का अधिकार दिया गया है।

ओद्योगिक समक्ष अधिनियम के अन्तर्गत निर्माणी उद्योगों से सूचना प्राप्त की जाती थी, व्यवसायिक तथा वाणिज्यिक संस्थानों से नहीं। इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार निम्न कार्यों में लगी हुई संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने की अधिकारी है—

१. विदेशों से व्यापार और वाणिज्य,
२. अन्तरराज्य व्यापार और वाणिज्य,
३. भारत में निर्गमित पंजीकृत या अन्य प्रकार से अनुमति प्राप्त नियम जिनमें वैक, बीमा और अन्य वित्तीय नियम भी सम्मिलित हैं,
४. स्कॉट डिपार्टमेंट।

इस प्रकार यह समस्त वाणिज्यिक और ओद्योगिक संस्थाओं तथा निर्माणियों ( निर्माणी अधिनियम १९४८ की धारा २ ( म ) द्वारा व्याप्तित ) पर लागू है। 'वाणिज्यिक सूचा' का अर्थ एक सावजनिक सीमित प्रमदल या सहकारी समिति या व्यापार व वाणिज्य में लगी हुई साय ( firm ), व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जिसमें वैक, बीमा, नोवेल्टी और नौपरिवहन ( shipping and navigation ), सड़क तथा वायु यातायात, रेल, जाय, कॉफी, सिनकोना ( Cinchona ), लघु रेल ( light railway ), विज्ञापन कार्य, स्वध, घरेलू तथा वस्तुओं की दलाली से

सम्बन्धित सत्या तथा वह सत्या जो केन्द्रीय सरकार वीराय में वाणिज्यिक सत्या है, समिलित इये जाने हैं। इसी प्रकार 'ओद्योगिक सत्यान' का अर्थ एक सार्वजनिक सीमित प्रमणडल या सहकारी समिति या वस्तुओं के निर्माण सप्रहण, संवेष्टन ( बाधना ), परिरक्षण या विचारण या स्वनन या विद्युत या अन्य शक्ति के उत्पादन या विवरण से सम्बन्धित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है।

धारा ३ के अनुसार भारत सरकार को निम्न समक मागने का अधिकार दिया गया है —

अ किसी उद्योग या उद्योगों के किसी वर्ग से सम्बन्धित कोई सूचना।

ब किमी वाणिज्य या ओद्योगिक सत्या या सत्याओं के किसी वर्ग और विशेषता निर्माणों से सम्बन्धित कोई सूचना।

म. अम बल्यारा और अम दशाओं से सम्बन्धित कोई भी सूचना, मुख्यतः—

१. वस्तुओं के मूल्य, २. उपस्थिति,

३. रहने वी दशाएं, ४. करणग्रसना,

५. मकानों के किराये ६. मजदूरी तथा अन्य आय,

७. भविष्य निवि और अन्य निवि, ८. प्रदत्त लाभ व सुविधायें

९. वाम के घटे, १०. रोजगारी-बेरोजगारी

११. विवाद और १२. अधिक सब,

समक सप्रह हेतु साहियकी अधिकारी की नियुक्ति, उसके अधिकार आदि तथा मिथ्या सूचना देने व सूचना न देने की स्थिति में आर्थिक दागड आदि से सम्बन्धित उपदत्त्व वही है जो ओद्योगिक समक अधिनियम १९४२ के अन्तर्गत है।

अधिनियम में उपरोक्त निहित समकों को एकत्र करने के लिए १९५६ में समक सप्रह नियम बनाये गये और वर्तमान में समकों वो इन्ही नियमों के अनुसार इकट्ठा किया जाता है।

समक सप्रह ( केन्द्रीय ) नियम, १९५६

( Collection of Statistics (Central) Rules, 1959 )

समक सप्रह अधिनियम १९५३, जो १० नवम्बर १९५६ से लागू किया गया, के अन्तर्गत सूचना एकत्र करने के लिए समक सप्रह ( केन्द्रीय ) नियम १९५६ में बनाये गए जिहे २ जनवरी १९६० को राजात्रित किया गया। धारा ३ में सूचना प्राप्त करने वी विधि तथा धारा ४ म सूचना का विवरण दिया गया है।

धारा ३—सूचना प्राप्त करने की विधि—साहियकीय अधिकारी निर्माणी, ओद्योगिक सम्पादन या रोपणोद्योग के स्वामी वो सूचना-पत्र में दी गई तारीख से पहले

(जो सूचना के सम्बन्धित वाल की समाप्ति से तीन मास से पूर्व नहीं होती) निम्न सूचना देने के लिए कहता है—

(अ) एक या अधिक प्रत्यावर्तन जो सूचना-पत्र में दिए गए तरीके के अनुमार हो रथा जिसमें सूचना-पत्र में उल्लेखित विवरण हो,

(ब) यदि निर्माणी, ओद्योगिक संस्थान या रोपणोद्योग का स्वामी कम्पनी अधिनियम १९५६ के द्वारा परिभासित कोई कम्पनी हो, तो सर्वेक्षण वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक चिट्ठा, लाभालाभ खाता और सचालक प्रतिवेदन की प्रतिलिपि (यदि कोई हो)। यदि कम्पनी का लेखा वर्ष सर्वेक्षण वर्ष से मेल नहीं खाता हो तो सर्वेक्षण वर्ष से मिलने वाले लेखा वर्ष जो समाप्त हो चुका हो, से सम्बन्धित उपरोक्त प्रपत्र।

सांख्यिकीय अधिकारी एक से अधिक प्रत्यावर्तन की प्रतिलिपि या अन्य प्रपत्र या अलग-अलग तारीखों पर भिन्न-भिन्न प्रत्यावर्तन या प्रपत्र या निर्माण, ओद्योगिक संस्था या रोपणोद्योग के विभिन्न वार्षों से सम्बन्धित प्रथक् सूचना प्राप्त कर सकता है।

धारा ४—प्रदत्त विवरण—सूचना पत्र में निहित समस्त या निम्न में से कोई भी विवरण उच्चोग के स्वामी को प्रत्यावर्तन में भर कर देना होता है जो इस प्रकार है—

१. परिचयात्मक विवरण, २. स्वामित्व तथा प्रबन्ध का स्वरूप, ३. अचल पूँजी के विभिन्न भागों, पर व्यवहार अर्थ, ४. कार्यशील पूँजी के विभिन्न भागों से सम्बन्धित सौदे व अर्ध, ५. रोजगार का विवरण-कर्मचारियों की संख्या, विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के काम के घटे तथा भुगतान, ६. विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले अग्रीदिक लाभ का अर्ध, ७. विभिन्न प्रकार के प्रथम चालकों (prime movers) की संख्या तथा शक्ति, ८. वहिंगों (motors) की संख्या तथा शक्ति, ९. अधिकारित दृष्टना, १०. ईघन, बिजली और उपस्नेहक (Lubricants) के उपयोग का विवरण, उनकी मात्रा तथा अर्ध, ११. अन्य उपभुक्त माल तथा सेवायें—कच्चा माल, रसायन, अन्य सामग्री आदि, १२. विक्रयार्थ उत्पादन का अर्ध तथा मात्रा जिसमें निर्माणोंद्वारा अन्य संस्थानों के लिए किए गए कार्यों के लिए प्राप्त रकम भी सम्मिलित है, १३. विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को विज्ञी, १४. ईघन वच्चे मान तथा उत्पाद का स्वरूप, १५. उपकरणों की तालिका (शक्ति उपकरणों के अन्तरिक्त), १६. भवन, यत्र ग्रीष्म मशीनों की वर्तमान आयु, अवस्था तथा सेवाकाल, और १७. अन्य विवरण जिसके सम्बन्ध में स्वामी की इच्छानुमार सूचना दी जा सकती है।

धारा ८ के अनुसार सूचना-निवंहण (service of notice) की प्रणाली इस प्रकार है। इसी भी निर्माणी आदि के स्वामी वो सूचना या ग्रादेश प्राय स्वीकृति पंजीयित पत्र (registered post A. D.) से डाक द्वारा या सांख्यिकीय अधिकारी से

अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वामी के व्यापार स्थान पर भेजकर तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त कर दी जानी है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि पूर्ण नियम निर्माणी उद्योग मण्डना नियम १९४५ के ही प्रकार के हैं परन्तु किर भी दोनों में कुछक मूलभूत अन्तर हैं। १९४५ के नियमों के अन्तर्गत एकत्रित की गई सामग्री विभिन्न प्रत्यावर्तनों, प्रपत्रों तथा अनुसूचियों में दी गई थी जब कि १९५६ के नियमों के अनुसार जिन तथ्यों के सम्बन्ध में वैधानिक तौर पर समक एवं वित्त किए जा सकते हैं, उनका विवरण धारा ४ में किया गया है। इस प्रकार पुराने नियमों के अनुसार समक केवल उन्हीं तथ्यों से सम्बन्धित एकत्र किए जा सकते थे जो प्रपत्र तथा प्रश्नावलियों में थे। इस प्रकार समक-सञ्चयन में काफी कठोरता का पालन किया गया। २६ उद्योगों में से प्रत्येक उद्योग के लिए यद्यपि विशेष प्रपत्रों का प्रयोग किया गया था परन्तु किर भी इनमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता थी और वैधानिक परेशानियों के कारण इनमें परिवर्तन करना कठिन था। उन्मान नियम इस सम्बन्ध में लक्षीले हैं और परिवर्तित परिस्थितियों में विना वैधानिक परेशानियों के अनुसूचियों में यथा सम्भव परिवर्तन किया जा सकता है।

सास्त्यकीय अधिकारी की नियुक्ति तथा सूचना प्रदान करने वाले संस्थानों के सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल सचिवालय के १८ फरवरी १९६० के आदेश द्वारा भारत सरकार राजनय में २७ फरवरी १९६० को प्रकाशित किया गया।

इस विज्ञाप्ति (S. O. 462) के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने समक सम्बूहण अधिनियम १९५३ की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्माणियों ओद्योगिक संस्थाओं और उपरोक्त अधिनियम की धारा २ (ब) (६) द्वारा परिभाषित वास्तिक्यिक संस्थाओं से सम्बन्धित समस्त तथ्यों के सम्बन्ध में समक एकत्रित करने वा आदेश दिया और धारा ४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त तथ्यों से सम्बन्धित समक एकत्रित करने के लिए मन्त्रिमण्डल सचिवालय के अग्रीन राष्ट्रीय न्यायालय सर्वेक्षण के मुख्य सचालक को सास्त्यकीय अभिभावी नियुक्त किया गया।

राज्य स्तर पर राज्य के अयं व सास्त्यकीय सचालक समक सदृश के लिए राष्ट्रीय न्यायालय सर्वेक्षण सचालक का प्रनिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार राज्यों द्वारा समक पहले ही प्राप्त हो जाते हैं। अन्यथा ये बहुत समय परचान् प्राप्त होते बोकि विधानानुसार समक राष्ट्रीय न्यायालय सर्वेक्षण निदेशालय के अनिरिक्त या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारों के अनिरिक्त किसी द्वारा भी नहीं दिये जाते। इस प्रकार समकों के सम्बूह तथा विविध वा पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशालय पर ही है।

निदेशालय द्वारा समक सम्बूह के लिए प्रनिवर्य जो सर्वेक्षण दिया जा रहा है उसका नाम 'उद्योगों वा वार्षिक सर्वेक्षण' Annual Survey of Industries-A.S.I. है।

( ऊ ) उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण ( Annual Survey of Industries-ASI) —

उद्योगों के इस वार्षिक सर्वेक्षण में दो प्रकार की जांच की जाती है।

( १ ) उन समस्त निर्माणियों के सम्बन्ध में गणना ( census ) जहाँ किसी भी दिन शक्ति के प्रयोग की अवस्था में ५० या अधिक शक्ति और शक्ति प्रयोग के अभाव में १०० या अधिक शक्तिकार्य करते हैं, तथा

( २ ) उन निर्माणियों के सम्बन्ध में जहाँ शक्ति के प्रयोग की अवस्था में १० से ४६ अधिक तक और शक्ति के प्रयोग के अभाव में ४० से ६६ तक अधिक कार्य करते हैं तथा औद्योगिक संस्था के सम्बन्ध में न्यादश ( sample ) जांच की जाती है। न्यादश में २५% रास्थानों का चुनाव किया जाता है। निम्न तालिका से उपरोक्त सूचना अधिक प्रच्छी तरह समझी जा सकती है—

	शक्ति सहित	शक्ति रहित
न्यादश	१० से ४६	२० से ६६
गणना	५० या अधिक	१०० या अधिक

क्षेत्र तथा व्याप्ति-१९४८ के फेलटरी अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञात तथा प्रौद्योगिक संस्थाएँ और समक सम्बन्ध अधिनियम १९५३ की धारा २ ( ३ ) द्वारा परिभासित समस्त औद्योगिक संस्थान, निम्न लिखित के अन्तर्गत इसके द्वारा मात्र हैं—

१. कल्चा लौह-खनन २. धातु खनन, ३. पत्थर उत्खनन, मिट्टी तथा बाल के गहड़े ४. नमक खनन तथा उत्पन्न ५. रसायन उत्पादक, खनिज खनन और ६. अधातु खनन और उद्कलन। इसी प्रकार CMI और SSMI की तरह ASI से भी प्रतिरक्षा और ऐन मन्त्रालय के स्वामित्व, प्रबन्ध का नियमण वाले संस्थान तथा प्रशिक्षण से सम्बन्धित निर्माण शालाओं को भी इसके द्वारा में अनुग रखा गया है।

समक सम्बन्ध अधिनियम १९५३ की धारा १ की उम्मीद वह सर्वेक्षण जम्मू तथा कश्मीर के अन्तर्गत, जिसके बारे में इतेहिक आगार पर समक एकत्रित किये जा रहे हैं समस्त भारत सत्र में व्याप्त है।

एकीकृत प्रश्नत्र- जैसा कि पहले लिखा जा चुका है CMI और SSMI में औद्योगिक समकों के साथ ही किए विभिन्न अनुसूचियों और प्रक्रियों का प्रयोग किया गया था, परन्तु A.S.I. में गणना और न्यादश, दोनों जांच के लिए प्रत्यावरन का एक ही प्रपत्र तयार किया गया है जिसे दो भागों में बाटा गया है। उन समस्त इकाइयों के लिए जिनकी गणना जांच की जाती है जागा खानों और लदानों (Mines and quarries) के लिए जिनका चुनाव न्यादश में हो जाता है, के लिए दोनों भागों का प्रयोग किया जाता

है। जबकि न्यादर्श जाच के लिए प्रत्यावर्तन के प्रथम भाग का ही प्रयोग किया जाता है। द्वितीय भाग में कुछ अतिरिक्त सूचना दी गई है जो उद्योग ( विकास तथा नियमन ) अविनियम १६५१ की प्रथम अनुमूल्यी में दी हुई वस्तुओं के निर्माण तथा उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों से प्राप्त की जाती है। यह अतिरिक्त सूचना कच्चे माल का उपभोग ( इवन, विद्युत और उपस्थेत आदि के अतिरिक्त )-खड २२-वर्ष के अन्दर विक्रयात्मक उत्पाद तथा सह-उत्पाद ( अन्तस्थ उत्पाद के अतिरिक्त ) वा निर्माण-खड २३-और वर्ष पर्यंत ईंधन, कच्चे माल और उत्पाद के स्वद-खड २८-से सम्बन्धित होती हैं।

सामग्री तथा उत्पाद की वर्गीकृत नूची, जिसके बारे में उपभोग, उत्पादन और स्वन्ध से सम्बन्धित सूचना देनी होती है, सबोव ( concept ), परिभाषा और प्रक्रिया के स्मारण पत्र के पचम परिशिष्ट में दी गई है जो प्रत्यावर्तन तथा सूचनापत्र का एक अंग है।

नई सामग्री-नियमाक्रिया नवोन सूचना जो आभी तक निर्माण उद्योग की गणना तथा न्यादर्श जाच में एकवित नहीं की गई प्रथम बार इस वार्षिक संशोधन में एकत्र की जा रही है-

१. शक्ति उपकरणों के अतिरिक्त अन्य अधिकारित उपकरण।

२. निर्माणियों तथा औद्योगिक संस्थानों के सम्बन्ध में श्रमिकों का कुशल, अद्वितीय तथा अनुश्लेष्म समूहों में वर्गीकरण।

३. उत्पादन की अविष्यापित दृष्टिकोण।

४. विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को वर्ष भर में माल की विक्री।

५. प्रवन्ध तथा अम सम्बन्ध।

६. निर्माणी द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण सुविधाएँ।

७. औद्योगिक खोज सम्बन्धी विवरण।

संग्रहित सामग्री ASI में संग्रहित सामग्री नियन्त्रित से सम्बन्धित है-

( क ) पूजी सरचना-अचल तथा कार्य शीत पूजी का विवरण, अचल पूजी से सम्बन्धित सौदे ( प्रनियापन, वृद्धि, सुगार आदि )

( ख ) रोजगार तथा मजदूरी-आसन रोजगार तथा वर्ष में दी गई मजदूरी आदि, रोजगार हें वर्गीकरण।

( ग ) उत्पत्ति में प्रयुक्त वस्तुएँ-कच्चा, माल, रसायन, सेवेटन ( Packing ) सामग्री, उपभोग्य वस्तुओं आदि का वर्ष में उपभोग्य

ईंधन तथा उपस्थेतक।

सामग्री, ईंधन तथा उपस्थेतक के अतिरिक्त व्यय,

( घ ) उत्पत्ति-वर्ष में नियन्त्रित उत्पाद, सह उत्पाद तथा अन्तस्थ उत्पाद का भर्त तथा

मात्रा मरम्भत तथा निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य संस्थाओं के लिए किया गया था, प्रदृश निर्मित तथा चारू तान का थर्ड

( द ) स्वन्देश्वा माल, ई बन, उत्तराद तथा महाराष्ट्राद का वर्ष के अनु में स्वन्देश्वा

( च ) अविद्युपित वायं देश्वा-वर्ष में उत्तराद की अनियन्त्रित देश्वा, इसके अनुचान का आगार, अतिरिक्त देश्वा, अनेक अतिरिक्त उत्तराद

( छ ) यक्ति उत्तराद-प्रधन चारू ( prime movers ), वायं ई जन, अन्दराद यन्त्र ( internal combustion engine ) तथा अन्य प्रधन चारू ( ) तथा विद्युत वहित

उद्योगों के वार्षिक नवेशण ( A S I ) की समाप्तिचत्वा—

१. उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यह गणना पूर्व C M I और SSMI ने वायं दिस्तृत चारूप्रदान करती है और आधोगिक उमड़ों के सम्बन्ध की ओर उत्तराद गया एवं महाद्वयां बदल है किंतु नीचे उद्देश्वा दोषरहित नहीं नहीं पाया।

२. संबोध, परिनामाद्वयों और उन्होंका प्रयोग CMI और SSMI से नियम उत्तराद है। निम्न परिनामाद्वय निर्माणी अविनियम १६४८ तथा वृत्त शोक्त अविनियम १६३६ से ली गई है—

अ. निर्माणी अविनियम—

१. निर्माण विधि ( manufacturing process )

२. निर्माणी

३. अभिक

४. नियवण, प्रदन या सोनीय पदों पर नियुक्त व्यक्ति

आ. नृति शोक्त अविनियम—

१. मजदूरी,

१. उत्तराद परिनामाद्वयों विधेयक वालों के प्रतिक्रिया हैं यह आधोगिक उन्हों के लिए उन्होंका परिनामाद्वयों और उन्होंको जी आवश्यकता है। उत्तराद नियमित विधि की परिनामाद्वय निर्माणी अविनियम की धारा २ ( क ) के अनुचार सी गर्द है। यह अविनियम मुख्यत एक सानाकिक विधेयक है जिन्हा प्रत्यक्ष उद्देश्य अविकाश अविकाश व कर्मचारियों को विनियन उन्होंका बा लान पहुंचाना है। अतः इसमें कई व्यवह के उद्देश नी सम्मिलित कर लिए गए हैं जिन्हे सामान्य 'निर्माण' में नहीं रखा जा सकता। ऐसे उद्योग जो ASI में सम्मिलित विधे गये हैं निम्न हैं—

१. सूर्य उत्तराद, जहां को दीनना नदा दान इमाना,

२. विकानी उत्तराद तथा सामान्य,

३. पानी उद्दन्वन स्थान ( water pumping stations )

४. वर्स-बुलाई घर,

५. छवि गृह और

६. शीत संग्रहण संयन्त्र ( cold storage plant )

इन उद्योगों को ASI में समिलित करने का अर्थ हुआ कि यह factory industries का सर्वेक्षण हुआ न कि manufacturing industries का ।

(७) युन 'स्ट्यान' का सबोप जो समुक्त राष्ट्र के साल्विकी आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया है निर्माणी अधिनियम, १९४८ के मुत्तर्गत पंजीकृत तथा अधिष्ठापित स्थान के सबोध से मिलता जुना है। इस तथ्य के अनियन्त्रित केटरे अधिनियम १९४८ में उन सम्यानों को समिलित किया गया है जो कि International Standard Industrial Classification के अन्तर्गत निर्माण कार्य में समिलित नहीं किये जाते। अधिनियम को धारा ४ के अनुसार राज्य सरकार को अधिकार है कि एक निर्माणी के विभिन्न विभागों या शाखाओं को प्रथम निर्माणिया या दो या अधिक निर्माणियों को एक ही निर्माणी घोषित किया जा सकता है।

(८) अभिक की परिभाषा में भी मनमेद है। यह परिभाषा केवल अधिनियम १९४८ की धारा २ ( १ ) में ली गई है परन्तु समक संग्रह के लिए इस परिभाषा में एक उपलब्ध जोड़कर विभिन्न राज्य सरकारों ने नियम ६४ के अन्तर्गत उन समस्त व्यवित्रियों को जो नियवण या प्रबन्ध कार्य या गोपनीय पदों पर कार्य करते हैं, 'अभिक' की परिभाषा से पृथक कर दिया है। युन विभिन्न राज्यों में उपरोक्त प्रकार के कमंचारियों का बर्गीकरण एक प्रकार में नहीं किया जाता और यह समस्या उठ खड़ी होती है कि किसे नियवण व प्रबन्ध कार्य से सम्बन्धित माना जाये और किसे नहीं। कई सम्यानों में लिपिक तथा सुरक्षा कमंचारियों को समिलित किया जाता है और अन्य सम्यानों में नहीं। इस प्रकार के कमंचारियों के बर्गीकरण में विभिन्न राज्यों में समरूपना का अभाव है। उदाहरणायं निम्न प्रकार के कमंचारियों को बर्गीकरण निर्माणी नियम १९५० के अन्तर्गत नियवण, प्रबन्ध या गोपनीय कार्य से सम्बन्धित माना गया है पर अन्य राज्यों में ऐसा नहीं—

१. सहायक अभियन्ता, २. संग्रहालारिक (store-keeper) ३. निरोक्तक, ४. अधम अधिकारी, ५. पान्त्रिक, ६. कायदिक (chargeman), ७ निर्माणशाला अधिदर्शक (Overseer), ८. बायिन्ड सारंग और उपस्थानक (boiler sarang and attendants) और ९. मध्यस्थ तथा मुकादम।

मद्रास और बिहार में भी अधम अधिकारियों को इनी धोखी में रखा गया है पर अन्य राज्यों में नहीं। इसके अतिरिक्त निर्माणियों के मध्य निरोक्तकों को निसी वर्ग के व्यक्तियों को नियवण, प्रबन्ध या गोपनीय कार्य में सम्बन्धित व्यक्ति घोषित करने का

अधिकार दिया गया है। साथ ही इस सम्बन्ध में बनाए गये नियम तोन क्षेत्र से अधिक लागू नहीं रहते और प्राप्त अनुमति तथा वठिनाइयों के आधार पर मुश्वार किया जाता है। इन सब विभिन्नताओं के कारण गणना या न्यादर्श के जाच का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। इससे अच्छा तो यह होता कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके कार्यों के आधार पर निम्न प्रकार से कर्तव्यता किया जाता।

१. प्रशासकीय सेवा वग़

२. तात्त्विक

३. लिपिक तथा कार्यालय सेवावर्ग

४. विशिष्ट कमचारी

५. वाणिज्यिक सेवा-वग़

६. निर्देशक अधिकारी वग़

७. स्वामी जो निरन्तर नोकरी करते हैं।

(६) इसी तरह से 'मजदूरी' की परिभाषा भौति शौष्ठव अधिनियम १९३६ से लौ गई है जिसके अधिकारा उपबन्धों का उद्देश्य मजदूरी का शीघ्र भुगतान तथा दण्ड और कटौतियों का नियन्त्रण है। परिभाषा ओदोगिक गणना या न्यादर्श जाच के अनुकूल नहीं है। मजदूरी से अभिप्राय कार्य के परिमाण या अवधि के बदले दिये गये भुगतान से नहीं है क्योंकि मजदूरी में अतिरिक्त पारिवर्त्तक तथा नोकरी के परिवार के बदले दी गई चतुर्पूर्ण भी इसमें सम्मिलित है। इसमें केवल वही भुगतान सम्मिलित दिये गये हैं जो प्रसविदे के अन्तर्गत प्राप्य हो। इस प्रकार इसमें प्रसविदे के अतिरिक्त दिये गये भुगतान जैसे लाभ-विभाजन अविलाभाश सम्मिलित नहीं है।

(७) दूसरे सबोर्ड के अनुसार मजदूरी में वे सब भुगतान सम्मिलित हैं जो प्रसविदे की शर्तों के अनुसार या अलावा दिये जाते हैं। इसमें लाभ-विभाजन अविलाभाश सम्मिलित है। प्रत्यावर्तन के प्रथम भाग में सूचना द्वितीय सबोर्ड के अनुसार तथा द्वितीय भाग में सूचना प्रथम सबोर्ड के अनुसार एकत्र की जाती है। इस प्रकार एक ही प्रपत्र में दो विभिन्न संबोधों के अनुसार सूचना एकत्र की जाती है।

(८) इसी प्रकार कुशल, अद्वा-कुशल और अकुशल वर्गों में क्षमिकों को विभक्त किया गया है जो ठीक नहीं बन पड़ा। स्मरण-पत्र में इस सम्बन्ध में प्रयोगात्मक परिभाषायें दी गई हैं परन्तु पूर्ण स्पष्टता के अभाव में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इनका भिन्न प्रयोग किया जाता है।

(९) स्मरण-पत्र में दिये गये निर्देशों द्वारा निर्मित उत्पाद तथा सह-उत्पाद की निर्माणी बाह्य शुद्ध विक्रय अर्थ (ex-factory net selling value) के गणना की विधि समझाई गई है परन्तु इन निर्देशों से यह स्पष्ट नहीं होता कि निर्माणी-बाह्य अर्थ की

गणना साधन लागत (factor Cost) पर की जाय या बाजार मूल्य (factor prices) पर, परन्तु उत्पादन शृंखला को उत्पादन अवधि से प्रयुक्त करना यह प्रदर्शित करता है निर्माणी बाइ शुद्ध वित्तीय अधि' की गणना साधन लागत पर की जानी चाहिये । यदि ऐसा है तो राज्य-सहायता (Subsidy) को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए । भयुक्त राष्ट्र साम्यकीय आयोग के मतानुसार “विभिन्न प्रकार के उत्पादों की गणना वर्तमान निर्माणी-बाइ कीमतों पर की जानी चाहिये जिसमें उत्पादन शृंखला को प्रयुक्त किया जाय तथा उत्पादन पर प्राप्त राज्य सहायता को सम्मिलित किया जाय ।” इन प्रकार निर्देशों में हेरे केर की आवश्यकता है ।

① सहायक सत्याभ्यो द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रयोग की गणना की प्रक्रिया बहुत श्रेष्ठ भाषण है ।

खान से निकाले गये माल की गणना दूरांत खान तथा निर्माणी सत्यान के आपसी सम्बन्ध पर आधारित है । यदि खान को निर्माणी सत्यान का अविद्युत अग माना जाता है तो खान से माल को निकालने के समस्त व्यय अलग-अलग शीर्षकों में दिखाने हते हैं । यदि खान को सम्बन्धित सत्यान समझा जाता है तो उद्योगों के वार्षिक संरक्षण के अन्तर्गत निर्माणी सत्यान में, खान से निकाले गये माल को बाजार कीमतों पर दृस्तान्तरित करना होता है जैसे कि माल को खरीदा गया हा । इस प्रकार निर्देशों के अनुसार निर्माणी द्वेष में अधि' का अव्यागणन तथा खदान द्वेष में इम्बा अवागणन होता है ।

निर्माण द्वारा अधि' में होने वाली वृद्धि का छोक अनुमान लगाने के लिए अन्तस्थ-उत्पादों की स्पष्ट व्याख्या का अभाव है ।

प्रपत्र के द्वितीय भाग में यत्र, मरीनो और औजारो पर वर्ष में दिये गये पूँजी व्यय के विवरण (नये, द्विनीय स्रोत, स्वदेशी तथा आयात की हुई के लिए पृथक-पृथक) सम्बन्धी सूचना दी जाती है । मुख्य वृद्धि, परिवर्तन, स्वार, आदि जिनसे मरीनो का जीवन बहुता जाता है, के सम्बन्ध में भी सूचना दी जाती है । परन्तु सत्यान द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिए निर्मित व उत्पादित वस्तु में माल, ईषन, अम आदि की लागत का विवरण नहीं दिया जाता । इसके विपरीत प्रपत्र में यह और स्पष्ट किया गया है कि पूँजी स्थान पर माल आदि के प्रयोग का उल्लेख खड ८ या खड ११ में नहीं किया जाय । परन्तु उद्योग द्वारा उत्पादित अधि' के सही भूत्याकृत के लिए इस प्रकार की सूचना भावश्यक है ।

निर्देशित दण्ड' के प्रारम्भ व झन्त में आदा (Input) तथा प्रदा (Output) स्थानों में अद्य-निर्मित वस्तुओं के स्वन्ध या निर्माण प्रक्रिया में वस्तुओं के अधि' का विवरण भी नहीं दिया जाता । यह समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की सूचना के अभाव में विस प्रकार सत्यान द्वारा दिये गये वायु' का सही अनुमान लग सकता है ।

इसी प्रकार 'निर्माणी के स्वामित्व के प्रवार' को संकेतवद्ध किया गया है विस

कारण सरकारी सामित्र वाले प्रमङ्गों के वर्गीकरण में परेशानी होती है। फलत 'श्रीद्योगिक वर्गीकरण' से सुधार तथा विस्तार वी आवश्यकता है।

उपरोक्त तथा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उद्योगों का वार्षिक सबै द्वारा समक सम्बन्ध की एक सफल और व्यापक योजना है परन्तु उपरोक्त दोषों की दूर किया जावार इसे भी अधिक व्यापक तथा उपयोगी बनाने की आवश्यकता है।

श्रीद्योगिक समक से सम्बन्धित देशनाक

देश में प्राप्त श्रीद्योगिक समव से सम्बन्धित देशनाक निम्न है—

ग श्रीद्योगिक उत्पादन

१ केंद्रीय साहियकीय संगठन का देशनाक

२ ईस्टन इकोनोमिस्ट का देशनाक

द श्रीद्योगिक क्रिया —

३ कपिटल का श्रीद्योगिक क्रियाशीलता देशनाक

स श्रीद्योगिक लाभ —

१ प्रमङ्ग विधि प्रशासन का ( रिजिस्ट्रेशन आफ इडिया द्वारा संचोरित ) श्रीद्योगिक लाभ देशनाक

केंद्रीय साहियकीय संगठन ( C S O ) का श्रीद्योगिक उत्पादन देशनाक-आधार १९५६ — १००

केंद्रीय साहियकीय संगठन द्वारा प्रति मास श्रीद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी समको का सबलन किया जाता है और इनका प्रकाशन Monthly Statistics of the Production of Selected Industries in India में किया जाता है। इसी सामग्री के आधार पर C S O द्वारा उत्पादन का देशनाक भी तय्यार किया जाता है। पहले इसमें २० उद्योग सम्मिलित किए गए और निर्माणी उद्योगों की गणना ( C M I ) द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर भार प्राप्त किये गये। आधार वर्ष १९४६ का तथा भारत समान्तर माध्य का प्रयोग किया गया। भार विविध उद्योगों द्वारा निर्माण गये अध के आधार पर प्रदान किए गए तथा देश एक निम्न सूच द्वारा निकाला गया —

$$I = \frac{P_1 W_1}{\Sigma W_1}$$

जहाँ  $P_1$  = सम्बन्धित मास का उत्पादन और

$W_1$  = उद्योग को प्रदत्त भार,

वाद में देशनाक का आधार वर्ष १९५१ किया गया और इसमें ३७ उद्योगों को सम्मिलित किया गया तथा भार वी गणना और दिवारण पुन किया गया। वार्षिक देशनाक भासिक देशनाको पर आवारित है।

अब केन्द्रीय सांख्यिकीय समिति द्वारा १९५६ के आवार पर श्रीद्योगिक उत्पादन देशनाको को नई शृंखला प्रारम्भ की गई है। १९५६ को आवार चुनने का कारण यह कि इस वर्ष से आगे के वर्षों के लिए कई नये उद्योगों के सम्बन्ध में समंक प्राप्त हैं तथा इस वर्ष में श्रीद्योगिक और आर्थिक क्रिया में भी स्थिरता रही और द्विनीय योजना का प्रारम्भ हुआ। सशोधित देशनाक में उत्पादन की २०१ वस्तुओं को लिया गया है जबकि पुराने देशनाक में इनकी संख्या केवल ८८ ही थी। इसी प्रकार इसकी व्याप्ति भी विस्तृत है। २०१ वस्तुओं द्वारा उत्पादित अर्थ में वृद्धि समस्त निर्माणी सत्याग्रो और खदान केवल द्वारा १९५६-५७ में उत्पादित अर्थ का ६०% आता है जबकि पुराने देशनाक में ८८ वस्तुओं का योग कुल उत्पादित अर्थ का नगमग ७०% था। पुराने देशनाक में विविध उद्योगों दी प्रदत्त भार १९५१ में उनके द्वारा उत्पादित अर्थ के अनुपात में जबकि नई शृंखला में १९५६ में उत्पादित अर्थ के अनुपातानुसार भार दिए गए हैं। इन प्रारूप नई शृंखला श्रीद्योगिक उत्पादन की दिशा का सही दिर्दर्शन करती है।

निम्न तालिका में पुरानी और नई शृंखलाओं में विविध उद्योगों को दिये गये भार दिखाये गये हैं—

## उद्योगों के समूहों को प्रदत्त भार

	पुराने (१६५६=१००)	नये (२१६५६-१००)
१. खनन तथा उत्खनन	७१६	७४७
( i ) नोयना	६६६	७०६
२. निर्माण	६०६६	६८६५
अन्न निर्माण	११८५	१३६६
( i ) चीनी	४२७	४५२
( ii ) चाय	५६४	७४२
पेय तथा तम्बाकू (सिगरेट)	१५०	१४६
वस्त्र	४८०१	४१७६
( i ) सूतो	३६१०	३२१०
( ii ) जूट	११६१	५६२
जूने आदि	०८५	०२८
कागज तथा कागज-उत्पाद	१.५७	१३६
खर उत्पाद	३०३५	३०४
रसायन तथा रसायन उत्पाद	४१६	३५८
पेट्रोल उत्पाद	...	३७६
अधारु खनिज उत्पाद	३३१	२४७
( i ) सीमेट	१८५	१२४
आगारभूत धारु उद्योग	५०४	६२५
( i ) लौह और इस्पात	५६२	७४८
धारु उत्पाद, मशीन व यातायात	२५७	०६६
उपकरणों के अतिरिक्त	१४६	२४१
विद्युत मशीनादि निर्माण	२६२	२८६
यातायात उपकरण	२६६	१२८
( i ) वहिन (automobile)	२१६	३८८
३. विद्युत्	१०० ००	१०० ००

\*इसमें कृत्रिम रेशम ( rayon ), वस्त्र ( भार-८५८ ), ऊनी वस्त्र ( भार-११० ) और अन्य ( भार-०३६ ) मस्तिष्ठित हैं।

## २ 'ईस्टर्न इकोनोमिस्ट' का श्रीद्योगिक उत्पादन देशनाक

यह देशनाक दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका 'ईस्टर्न इकोनोमिस्ट' द्वारा १६४८ में प्रारम्भ किया गया था जो सब प्रथम अगस्त १६४८ में प्रकाशित हुआ। देशनाक का आधार वर्ष अगस्त १६३६ को समाप्त होने वाला वर्ष था। देशनाक मासिक तथ्यार किए जाते थे तथा वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक देशनाक भी तथ्यार किये जाने थे जिनका प्रकाशन पत्रिका के वार्षिक विशेषाक में किया गया।

यह भारित देशनाम था और भार आधार वर्ष में सकल उत्पादन अर्थ के आधार पर प्रदान किए गए हैं। इसमें ११ वस्तुओं का समावेश किया गया जिन्हे तीन वर्गों में विभक्त किया जाता था—

उद्योग	मूल उत्पादन अर्थ (करोड रुपयों में)	भार
I. वस्त्र		
१. भारत में रुई उपभोग	७६०	४०
२. जूट निर्मतिया	३३०	१७
	योग (वस्त्र)	१०९०
II. ईंधन और शक्ति	२००	१०
III. अन्य		
१. इस्पात पिण्डिक	१५०	८
२. करचा लोहा	१३०	७
३. कागज	२५	१
४. दियासलाई	४०	२
५. रंगलेप ( paints )	१६	१
६. राघव का तेजाव	१०	१
७. सीमेंट	५०	३
८. चीनी	१८०	१०
	योग (अन्य)	६०४
कुल योग	१८६४	१००

देशनाक तथ्यार करने में भारित गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। महले प्रत्येक उद्योग का देशनाक प्रथक से फिर वग देशनाक तथा बाद में सबके सम्मिश्रण से सामान्य देशनाक तथ्यार किया गया आज वे विकासशील श्रीद्योगिक युग में इस सूचक का विशेष महत्व नहीं रहा।

**३. 'कैपिटल' का आर्थिक क्रिया ( economic activity )  
देशनाक—**

शौदोगिक क्रियाशीलता देशनाक अभी तक निसी भी शासकीय अधिकरण द्वारा मुक्लित नहीं किया गया। इस ओर बलवत्ता से प्रकाशित सामाजिक भाविक, भाविता 'कैपिटल' का प्रयास प्रदानकरीय है जिसके द्वारा इस प्रकार का देशनाक मार्च १९३६ में १६३५ के आधार पर स्वतंत्रता की विशेषता दिया गया।

प्लो और उनको दिये गये भार निम्न तालिका में दिए गए हैं परन्तु प्रार्थित अवस्था की अपेक्षा इसमें बहुत हेर-फेर हो गया है जिसका उल्लेख भी तालिका में दिया गया है।

शौदोगिक क्रियाशीलता	भार	विशेष कथन
( अ ) शौदोगिक उत्पादन		
१. कपास निर्मितिया	६	
२. छूट निर्मितिया	६	
३. इस्पात पिराइक ( ingots )	५	
४. बच्चा लोहा	५	
५. सीमेट	५	सीमेट का देशनाक १९३८-३९ और १९४६-४७ के बीच अप्रकाशित तथा पुन जनरी, १९४८ को आगर मानकर, फरवरी १९४८ से प्रकाशित
६. बागज	३	
( आ ) खनिय उत्पादन		
१. बोम्बला	७	
( इ ) रेल और नदी द्वारा व्यापार	२४	यह पहले 'रेल अड्डन' द्वारा प्रति-स्थापित किया गया और यद्वेष १९४२ में 'रेल अड्डन' को भी 'भारित नैगनो की सम्या' में प्रति-स्थापित किया गया। भार में वोई हेर केर नहीं

## ( ई ) वित्तीय समंकः

१. घनादेश मसारोधन  
(cheque clearance) .. २०

## ( उ ) व्यापार विदेशी और तटीय

१. नियति ४

२. आयात ३

मार्च १९४१ से 'परिचलन में पंत्र-  
मुद्रा' हारा ६ भारदेवर प्रनिष्ठापित  
आधार वर्ष अप्रैल १९३५ से मार्च  
१९३६

## ( ऊ ) नौवहन-विदेशी और तटीय

१. प्रविष्ट टन भार ३

(Tonnage entered)

२. निष्कासित (cleared) टन-भार ३

मार्च १९४१ से 'विद्युत उपभोग'  
हारा भार ७ देवर प्रनिष्ठापित

शृंखला में समावेशित विभिन्न मदो के लिए पृथक् देशनाक तथार किए जाते थे तथा भारित गुणोत्तर माध्य के प्रयोग हारा सबके सम्मिश्रण से सानान्द सूचक प्राप्त किया जाना था। यह देशनाक मार्गिक प्रवाशित होता था। इत्यु उच्चावचनो को वारह मार्गिक बन माध्य लेकर दूर किया जाना था। साथ ही वार्षिक देशनाक भी तथार किये जाने थे।

उपरोक्त सम्बन्ध में यह एक आश्वर्यजनक बान है कि सरनार देश में ओद्योगिक प्रगति के लिए नाना प्रकार के प्रयास कर रही है पुरन्तु इस प्रगति के मूल्यावन की ओर शासन हारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। शासकीय स्रोतों द्वारा ओद्योगिक क्रियारोलता देशनाक के सबलन तथा प्रकाशन की आवश्यकता है। इसी प्रकार सरकार को व्यवसायिक क्रियारोलता ( Business Activity ) का मूल्य भी चानू करना चाहिए।

४. प्रमडल विधि प्रशासन ( रिजर्व बैंक आव इंडिया हारा संशोधित ) का ओद्योगिक लाभ देशनाक

वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के आर्थिक सलाहकार हारा ओद्योगिक लाभ अप्रैल, १९५१ तक प्रकाशित किये गये। बाद में वित् मन्त्रालय के धर्मीन प्रमन्डल विधि शासा को यह कायं हस्तान्तरित कर दिया गया। अब यह कायं वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के प्रमडल विधि प्रशासन हारा किया जाना है।

इस देशनाक के आधार वर्षों में बहुत हीर केर हुआ। मूल आधार वर्ष १९२८ था। बाद में इने १९३८ किया गया। इस देशनाक में ८ उद्योग (मूनो वस्त्र, जूट निर्मितिया, सोमेन्ट, चाप, लौह और इस्पात, बागज, चीनी और कोयला ) सम्मिलित किए गए थे

तथा १९३६ में विभिन्न उद्योगों की प्रदत्त पूँजी के अनुपात में भार दिये गये थे। विनियोगियों की वार्षिक पुस्तक (Investors' Year Book) में से विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित प्रमङ्गलों का चुनाव दिया जाता था। यह शृङ्खला काफी दोषपूर्ण थी अन्त में विभिन्न विविध प्रशासन कार्यालय के सहयोग से इसको रिजर्व बैंक आव इंडिया के साहियकी विभाग द्वारा इसको संशोधित किया गया।

संशोधित शृङ्खला का आधार वर्षे पहले १९५० लिया गया तथा १९५१ से १९५६ तक के वर्षों के देशनाक संकलन किये गये। बाद में आधार वर्षे १९५५ लिया गया। प्रमुख वर्षे तथा सामान्य देशनावों के संकलन के लिए मार्च १९५६ के अन में प्रदत्त पूँजी के अनुपात में भार प्रदान किए गए और इस आधार पर १९५६ से १९५८ तक के संशोधित देशनाक संकलन किये गये।

लाभ दो प्रकार के लिए गए हैं—(१) 'संबल लाभ' जो कर से पूर्व के लाभ, प्रबन्ध अभिकर्ता पारिथमिक, व्याज और हास प्रबन्ध का योग है तथा (२) कर से पूर्व के लाभ जो कर प्रबन्ध, विनिरित लाभार्थी और प्रतिष्ठृत (retained) लाभ का योग है। लाभ देशनावों के अनियक्त लाभदायकता (profitability) देशनाक भी जो तुल प्रयोगान्वित पूँजी से संबल लाभ (हास के अतिरिक्त) के अनुपात पर आधारित है, तथ्यार किए गए हैं और पृथक से प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रमङ्गलों का समूहीकरण भारत सरकार द्वारा अपनाए गए समस्त आर्थिक क्रियाशीलता के अन्तर्गतीय प्रमाप ग्रोद्योगिक वर्गीकरण (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) के अनुसार दिया गया है।

इस वार्षे के लिए १९०१ सार्वजनिक सीमित प्रमङ्गलों का न्यायालय लिया गया है। वर्गीकरण इन प्रकार है—

(अ) सार्वजनिक सीमित प्रमङ्गल (समस्त उद्योग):

(i) वृष्टि तथा सम्बद्ध वर्ग—

१. चाय
२. काफी
३. रबर

(ii) लठन तथा उत्पन्न —

४. कोयला

(iii) विधायन तथा नियंत्रण —

५. बन्धनति तेल
६. चीनी

७. सूती वस्त्र

८. जूट वस्त्र

९. रेशमी व ऊनी वस्त्र

( २४ ) विधायन तथा निर्माण ( धानु, रसायन व वस्तुओं का ) —

१०. लौह और इस्पात

११. इंजीनियरी

१२. रसायन

१३. माचिस

( २५ ) विधायन तथा निर्माण ( अन्यत्र अवर्गकृत ) —

१४. सनिज तेल

१५. सीमेट

१६. कागज

( २६ ) अन्य उद्योग —

१७. विद्युत

१८. व्यापार

१९. नौवहन

( २ ) ३३३ चुने हुये निजी सीमित प्रमडल

प्रत्येक उद्योग के लिए प्रथक से 'सकल लाभ' और 'कर से पूर्व लाभ' के देशनाक प्रत्येक वर्ष के ( १६५६ से १६५६ ) कुल लाभों को १६५५ के लाभ से विभाजित करके निकाले गए। इसी प्रकार लाभदायकता ( profitability ) देशनाक भी तय्यार किए गए।

उपरोक्त देशनाक सार्वजनिक प्रमडलों के लाभ का तो प्रतिनिधि घोनक है परन्तु निजी प्रमडलों के सम्बन्ध में इसका अभाव है क्योंकि न्यादर्दों में समस्त निजी प्रमडलों के केवल ३०% को ही सम्प्रसित किया गया है।

रिजर्व बैंक आँव इंडिया द्वारा भणोधित ओद्योगिक लाभ देशनाक के अतिरिक्त अन्य विस्तृत सामग्री रिजर्व बैंक के १००१ सार्वजनिक सीमित प्रमडलों के सर्वेक्षण से भी मिलती है जिस पर कि उपरोक्त देशनाक आधारित है। इस अध्ययन में प्रमडलों की पूर्जी सरचना, लाभ और लाभाशा के सम्बन्ध में काफी विस्तृत जानकारी दी गई है जिसे उद्योगों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न वर्गों के लाभ की राशि तथा कर राशि की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम के बारण से इन राशियों में भिन्नता आती रहती है। इस अध्ययन के पश्चात् रिजर्व बैंक द्वारा ५०१ छोटे सार्वजनिक सीमित प्रमडलों का तथा बुद्ध चुने हुये निजी प्रमडलों का अध्ययन भी किया गया जिसमें भी काफी महत्वपूर्ण और विस्तृत मूल्यना इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई है।

प्रकाशन-संचित में श्रोदोगिक समझों से सम्बन्धित मुख्य लीन प्रकाशन नि  
है जिनका विस्तृत विवरण पिछे शृङ्खों में किया जा चुका है-

१. भारतीय निर्माणी गणना ( CMI )—१९४६ से १९५८ तक

२. निर्माणी उद्योगों का न्यादशं सर्वेषण—१९५१ से १९५८ तक

३. उद्योगों का वार्षिक सर्वेषण—१९५६ से

उपरोक्त प्रकाशनों के अनिवार्य निम्न प्रकाशनों में भी श्रोदोगिक समझ मिलते हैं

१. Monthly Abstract of Statistics-C.S.O.

२. Statistical Abstract of India ( वार्षिक ) वेन्ट्रीय साहित्यी

सम्बन्ध द्वारा प्रकाशित

३. उद्योग व्यापार परिवार ( मासिक )—श्रोदोगिक समझ निरेशालय द्वारा  
प्रकाशित,

४. रिजर्व बैंक आवृद्धि डिया बुलेटिन—( मासिक )

५. कपास तथा जट बुलेटिन ( मासिक )—बान ( Textile ) आयुक्त द्वारा  
प्रकाशित,

६. लौह और इमारत उद्योग और व्यापार नियन्त्रण समझ ( वार्षिक )—लौह  
और इमारत आयुक्त द्वारा प्रकाशित,

अन्य प्रकाशनों का विवरण अध्यव दिया जा चुका है

### कुटीर तथा लघु-उद्योग समझ

भारत में कुटीर तथा लघु- उद्योगों के सम्बन्ध में पर्याप्त साहित्यीय सामग्री की  
प्रत्यावर्यता है क्योंकि राष्ट्र के आविक ब्लेवर में इन उद्योगों का महत्वपूर्ण योग है।  
भारतीय राष्ट्रीय कार्पोरेस के आवाही अधिकारीन में जोना के उद्देश्य के सम्बन्ध में पारित  
प्रस्तावों के मूल स्थिरान्वयों का सनुष्टीवरण कुटीर और लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्याहित  
करके किया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार “जोना कार्य देश में समाजवादी ढंगे के  
समाज की स्थापना की हाई से किया जाना चाहिये जहाँ उत्तापन के प्रभुत्व साधन  
समाज के स्वामित्व या नियन्त्रण में है। उत्तापन प्रमाण बढ़ाव रहे और राष्ट्रीय सम्पदा  
वा साम्यवृत्ति विवरण हो।” कम पूँजी की आवश्यकता तथा रोजगार की अधिक  
सम्भावना, इन उद्योगों के मुख्य लाभ हैं। दो नरोड से कही अधिक व्यक्तियों की जीविता  
इन उद्योगों पर प्राप्ति है। अद्वैत हाय-करण उद्योग द्वारा ही समस्त समृद्धि  
उद्योगों से अधिक रोजगार प्रदान किया जाता है। याज के सधर्वमय युग में उद्योगों का  
विवेन्द्रीहृत होना बहुत ही अच्छी बात है। पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इन उद्योगों  
के विकास पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह और भी आवश्यक हो  
जाता है कि पर्याप्त और विवरमनीय समझ इन उद्योगों के सम्बन्ध में मिलने चाहिये ताकि  
इनके विकास की सम्भावनाओं की खोज की जा सके।

कुटीर तथा लघु उद्योगों सम्बन्धी समक की अपर्याप्तता के पीछे एक प्रमुख कारण इनके प्रमाणित सम्बोधों का अभाव है। विभिन्न आयोगों तथा समितियों ने मित्र-भारतीय ओद्योगिक आयोग ( १९५६-१८ ), समुक्त प्रान्त ओद्योगिक समठन समिति, राष्ट्रीय योजना समिति, बमई आयिक व ओद्योगिक सर्वेक्षण समिति, ( १९३६-४० ) महत्वपूर्ण परिभाषा ( Economic Commission for Asia and Far East-ECAFE ) के तृतीय अधिवेशन में अपनाई गई जिसे राजकोपीय आयोग ( Fiscal Commission ) ने भी स्वीकार किया है। इसके अनुसार “कुटीर उद्योग वह है जो पूर्णकालीन या अशक्तालीन धर्म के रूप में पूर्णत मुख्यत परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाया जाता है। दूसरी ओर लघु उद्योग वह है जो मुख्यत १० से ५० अमिकों की सहायता से चलाया जाता है।” ( राजकोपीय आयोग, १९४६-५० )। वास्तव में देखा जाय तो उपरोक्त विभाजन ठीक नहीं। दोनों का मन्तर मुख्यत अक्षर तथा मानिक और कार्यकर्त्ता के आपसी सम्बन्धों के आशार पर होता है। इसी आवार पर राष्ट्रीय ओद्योगिक विकास निगम ने ५ साल रप्ते तक की पूँजी बाले उद्योगों को लघु उद्योग बताया है। अब इसकी सीमा बढ़ाकर दस लाख रुपये करदी गई है।

कुटीर तथा लघु उद्योगों से सम्बन्धित समक लगभग वही चाहिये जो कि वृहत् उद्योगों के सम्बन्ध में एकदित किये जाते हैं। पूँजी विनियोग, रोजगार, आदा-प्रदा ( Input and Output ), अमिकों द्वारा प्राप्त मजदूरी आदि। इन उद्योगों में कई व्यक्तियों द्वारा अदा-काल के लिए ही कार्य किया जाता है। अन समय तथा उत्पादन के समक भी एकदित किये जाते हैं।

विस्तृत सूचना निम्न प्रकार की प्राप्त होनी चाहिये—

( अ ) पूँजी विनियोग—

१. विनियोजित पूँजी की बुल राशि
२. मरीन आदि का प्रयोग तथा उनका प्रकार,

( ब ) आदा-प्रदा—(input-output )

१. सम्पुर्ण कच्चे माल की अर्ध तथा मात्रा,
२. शक्ति ( यदि वाम में ली गई हो ) की अर्ध तथा मात्रा,
३. विभिन्न प्रकार की उत्पादित वस्तुओं की सकन उत्पत्ति की मात्रा, अर्द तथा किस्म,

४. सह-उत्पाद की मात्रा तथा अध

( स ) रोजगार—

१. अमिकों की संख्या—
- म. पूँण कालीन
- मा. अश कालीन

२. अधिकों की संख्या का वर्गोंकरण निम्न आधार पर ही हो—

अ. मालिक तथा उनके आधिक

आ. मजदूरी पर लगाये गये अधिक

३. अधिकों को प्राप्त होने वाली मजदूरी तथा आय

मर्मव्यक्ति प्राप्त्यता—भारत को स्वतन्त्र हुये आज १५ वर्ष हो चुके हैं। इस बाल में सरकार ने इस विकेन्द्रित देश को विकसित करने के भ्रष्टक प्रबल विषय हैं परन्तु किर भी प्राप्त समको की स्थिति, गुण तथा प्रमाणा दोनों, अवैतोदप्रद हैं। तृतीय पच दर्पण योजना में भी आधार मूल सामग्री के अभाव का उत्सेष निम्न शब्दों में किया है, “यद्यपि मूलवाल में विभिन्न अधिकरणों और सगठनों द्वारा कई उद्योगों और विरिएट देशों के सर्वेषण दिये गये हैं, किर भी समूर्ख देश के लिए लघु उद्योगों के सम्बन्ध प्रागार मूल साम्बिकीय सामग्री, जो योजना के विविध कार्यक्रमों की प्रगति के भावात्मक निर्धारण तथा नई योजना बनाने के लिए आवश्यक है, का अभाव है।”

इस देश के सम्बन्ध में समक एकत्रित करने का आरम्भ १६२३ की जन रणनी में हुआ जबकि एक प्रतार की ओरोगिक गणना की गई थी और कुनीर उद्योगों से सम्बन्धित सामग्री एकत्रित की गई थी। जांच के देश म १० या अधिक वमचारी बाले सत्यानों का समावेश किया गया और निर्माणी की तरह के समस्त सत्याना की, चाहे शक्ति का प्रयोग करते हो या नहीं, समिलित करने तथा घरेनू उद्योगों को जहा बाल घर में किया जाता या तथा लाभ परिवार द्वारा विभक्त कर लिया जाना या पृथक करने का उद्देश्य था। अन्य सूचना के अतिरिक्त, कुनीर उद्योगों के सम्बन्ध में वेतन हाव वर्षों की मस्त्रा की मूलना प्राप्त की गई। यह मूलना बहुत ही अपूर्ण तथा अप्रयोग थी क्योंकि घरेनू उद्योगों को, जिनकी बहुनायत है, समिलित नहीं किया गया तथा सुरक्षा प्रान, प्रध्य प्रान और वर्षाई जैसे प्रमुख प्राप्तों को छोड़ दिया गया।

भारतीय प्रशुत्त बोर्ड ( Indian Tariff Board ) के सूनो वस्त्र उद्योग सरकार प्रतिवेदन ( १६३२ ) में भी हाव वर्षा उद्योग के १६२६-२७ से १६३१-३२ तक की उत्पत्ति के आवडे दिये गये हैं। यह बहुत ही अपूर्ण अनुमान है जो कई मात्र्य-तात्रों पर आधारित है। उत्पाद सून ने उपभोग पर आधारित है। दरमें उत्पाद सून तथा आयान निये गये मूल में से मिलो द्वारा उपशुत्त सून की कम कर दिया गया है। हाव द्वारा बाले गये मूल का ध्यान नहीं रखा गया तथा उत्पादन की गणना एक पौंड सून में चार गज क्षपड़े के आधार पर की गई है।

इसके अतिरिक्त कई ग्राम सर्वेषण भी इस सम्बन्ध में लिये गये हैं। राष्ट्रीय आय समिति ने भी १६५१ की जनगणना के आधार पर लघु उद्योगों में रोजगार का अनुमान लगाया है।

प्रदम बार १६६१ की जन गणना में ममस्त देश में एक जना के आगर पर

गृह उद्योग के बारे में सूचना एकत्रित नहीं गई। सूचना विविध उद्योगों में रोजगार से सम्बन्धित है। गृह उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति के बारे में निम्न सूचना प्राप्त की गई—

- ( अ ) गृह उद्योग में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का विवरण,
- ( ब ) गृह उद्योग का विवरण जिसमें ऐसे व्यक्ति कार्य करने हैं।

यामोण तथा शहरी द्वे त्रों के सम्बन्ध में गृह उद्योग की पृष्ठक परिभाषा दी गई है। यामोण द्वेत्र में गृह उद्योग का अर्थ ऐसे उद्योग से है जो परिवार के सदस्यों द्वारा मुख्यतः अपने निवास स्थान पर उस लाल में कही भी जहाँ परिवार निवास करता है, चलाया जाता है। शहरी द्वेत्रों में केवल ऐसे उद्योग सम्मिलित किये गये जो परिवार के सदस्यों द्वारा मुख्यतः परिवार के मुखिया के निवास स्थान पर चलाए जाते हैं। गृह उद्योग की इकाइयाँ पजीकृत निर्माणियों के आकार से छोटी होती हैं। इसमें निर्माण इकाइयों के अतिरिक्त वे सब इकाइयाँ भी सम्मिलित की गईं जो तेल देने, सफाई, सुवराई, और निर्मित वस्तुओं की विक्री से सम्बन्धित हैं परन्तु बड़ील, डाक्टर, नाई, ज्योतिप आदि पेशों को इसमें शामिल नहीं किया गया।

( स ) यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के गृह उद्योग में कार्य करने के बजाय दूसरे के उद्योग में मजदूरी पर कार्य करता है, तो इसके कार्य का विवरण तथा इस प्रकार के उद्योग का विवरण भी पृष्ठक से प्राप्त किया याए।

उपरोक्त प्रकार से एकत्रित सामग्री भावी न्यायर्थ सर्वोदारण के लिए आधार का कार्य करेगी क्योंकि अब पटभासिक सर्वोदारण किया जा रहा है जिसमें प्रारम्भिक अवस्था में उन सब इकाइयों का समावेश किया गया है जहाँ १० या अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं ( शक्ति का प्रयोग हो या नहीं ) और ५ लाल ( अब दस लाल ) रुपये से अधिक का पूँजी विनियोग न हो।

आद्योगिक उपक्रम ( Undertaking ) ( सूचना तथा समंक संग्रह ) नियम, १६५५

आद्योगिक ( विवास और नियमन ) अधिनियम, १६५१ की धारा ३० द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त नियम बनाये तथा केन्द्रीय राज पत्र में १ घारेल, १६६० को प्रकाशित किये।

यह नियम उन समस्त उपक्रमों पर साधा होते हैं जो उद्योग ( विवास और नियमन ) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दिये गये शीर्षकों व अनुशीर्षों में बनाये गये किन्ही वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन से सम्बन्धित हैं और जिनमें १० या अधिक ( परन्तु ४६ से अधिक नहीं ) व्यक्तियों को काम दिया जाता है।

प्रत्येक उपक्रम के स्वामी को अपने राज्य के उद्योग संचालक को ३१ घार्च, ३० जून, ३० सितम्बर और ३१ दिसम्बर को समाप्त होने वाले तीन महीनों के लिए विहित प्रधान में एक प्रत्यावर्त्तन देना होता है। यह प्रत्यावर्त्तन तिमाही की समाप्ति के ३० दिन के अन्दर अन्दर पहुँचना चाहिये।

इन नियमों के अन्तर्गत निम्न सामग्री एकत्रित की जा रही है—

१. उपक्रम का नाम

२. पता

३. निर्मित उत्पादों का विवरण

४. वाधिक अधिकारित कार्य चमता ( ए घटे की पाली के आगार पर )

५. उत्पादन की इकाई अर्थात् सस्था, ग्राम या विटल

६. वैमास में उत्पादन

मात्रा—

अर्ध—

७. श्रमिकों की सस्था

( भ्र ) नियन्त्रण कार्य

( व ) अन्य

८. विशेष क्षयन

उपर्युक्त प्रत्यावर्तन की तीन प्रतिया भेजनी होती है। एक प्रति राज्य के नयु-उद्योग सेवा संस्थान ( Small Scale Industries Service Institute ) के सचालक को ३० दिन के अन्दर अन्दर भेजनी होती है। प्रत्यावर्तन पहले ज़िला उद्योग अधिकारी को भेजा जाता है जो ज़ाच के बाद उन्हे संयुक्त सचालक, औद्योगिक समक को भेज देता है। यह प्रत्यावर्तन अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड तथा केन्द्रीय औद्योगिक सलाहकार परिषद की सिफारिशों पर तयार किया गया है।

लघु उद्योग इकाइयों का पटमासिक सर्वेक्षण

B1 Annual Survey of Small Industrial Units

वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के लिये राष्ट्रीय न्यादश सर्वेक्षण निदेशालय द्वारा

१ अप्रैल १९६१ से लघु औद्योगिक इकाइयों का पटमासिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। उद्योगों की वार्षिक गणना ( ASI ) के दोहरा यह सर्वेक्षण कार्य के बहु कलकत्ता, बम्बई बंगलौर, दिल्ली, कानपुर और मद्रास में किया जा रहा है। प्रारम्भ में प्रत्येक केंद्र के लिए केवल २५ प्रपत्र ही भर गए।

सर्वेक्षण शक्ति के प्रयोग में ५० श्रमिकों से कम और शक्ति के अमात में १०० से कम बाली निर्माणियों के सम्बन्ध में किया जा रहा है तथा पूँजी सरचना, रोबगार, उत्पादन और कच्चे माल के उपभोग के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

राष्ट्रीय न्यादश सर्वेक्षण निदेशालय ( NSS ) द्वारा निम्न सूचना प्राप्त की जा रही है—

मामान्य—उद्योग का नाम, स्वापना दर, काम के सम्बन्ध महोने, स्वामित्व की निस्म, स्थिति स्थान, प्रयुक्त शक्ति।

पूँजी—सरचना पूँजी ( अ ) स्वयं की, ( व ) व्याज पर कार्यशील पूँजी

**अदत्त श्रुणा—**उद्योग विभाग से, राज्य वित्त निगम, सहकारी बैंक, दूसरे बैंक तथा अन्य से ।

**प्रयुक्त शक्ति—**खरोंदी गई तथा पेंदा की गई शक्ति की मात्रा तथा अध ।

**कच्चे माल का उपभोग—**स्वदेशी तथा आयात विषे गये उपभुक्त कच्चे माल की मात्रा तथा अर्थ, अन्य उपभुक्त वस्तुओं का अर्थ, कच्चे माल की मुख्य पात्र वस्तुओं की सह्या पृष्ठक से तथा शेष का योग ।

**उत्पादन, विक्री तथा स्कन्ध—**६ महीनों में उत्पादन तथा विक्री तथा यटमास के अन्त में स्थन्य की मात्रा और अध ।

**रोजगार—**प्रतिदिन आसन श्रमिकों की सह्या तथा अन्य कर्मचारिया की सह्या ।

इस सर्वेक्षण में प्राप्त सूचना के आधार पर यह निश्चय किया जायगा कि भारी सर्वेक्षण में विस्त्र प्रकार की सूचना एकत्र की जाय तथा किन इकाइयों का इसमें समावेश किया जाय ।

### समक्ष प्राप्ति के अन्य स्रोत—

देश में विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति, विकास, विपणन, नियमन तथा नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए अखिल भारतीय तथा राज्य स्तर पर विभिन्न बोर्डों की स्थापना की गई है । इन संस्थाओं द्वारा वस्तु विशेष के उत्पादन, नियन्त्रण तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित समक्ष एकत्र विषे जाते हैं । वर्तमान में निम्न संस्थाएँ इस सम्बंध में काय कर रही हैं—

१. अखिल भारतीय खादी तथा आयोगों ग्रामोयोग—फरवरी १९५३ में बोर्ड के रूप में स्थापित तथा अप्रैल १९५७ से आयोग के रूप में काय कर रहा है ।

२. अखिल-भारतीय हाथ-करथा बोर्ड—अक्टूबर १९५८ में स्थापित ।

३. अखिल-भारतीय हस्तकला बोर्ड—नवम्बर १९५२ में स्थापित ।

४. केंद्रीय रेशम बोर्ड (Silk Board) —१९४६ में स्थापित तथा १९५२ में पुनर्गठित ।

५. कोयर बोर्ड (Coir Board) —जुलाई १९५४ में स्थापित ।

६. लघु उद्योग बोर्ड (Small-Scale Industries Board) —नवम्बर १९५४ में स्थापित ।

७. भारतीय हस्तकला विकास निगम (Indian Handicrafts Development Corporation (Private) Limited) अप्रैल १९५८ में स्थापित ।

८. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation Private Limited) —४ फरवरी १९५५ को स्थापित ।

९. प्रादेशिक लघु उद्योग सेवा संस्थान—(Regional Small Industries Service Institutes)

१०. आईडीगिक सम्पदा (Industrial Estates).

## अध्याय १०

### थ्रम समंक

(Labour Statistics)

'थ्रम' एक व्यापक शब्द है जिसमें समस्त प्रकार के थ्रमिक जो उत्थोग, वारिंग, व्यापार और कृषि कार्य करते हैं, सम्मिलित है। पवर्द्धीय योजनाओं के अन्तर्भूत योजनावद्ध कार्यक्रम को तुचाह रूप से चलाने के लिए थ्रम का काफी महत्व है। देश औद्योगिक विकास की ओर इन गति से बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक विकास निरन्तर गति से आगे बढ़ता रहे इसके लिए थ्रमिक-उद्योगपति सम्बन्ध मैंशी पूर्ण होने चाहिये तथा औद्योगिक शान्ति रहनी चाहिये। मैंशीपूर्ण सम्बन्ध तथा औद्योगिक शान्ति बनाये रखने हेतु थ्रमिकों के रोजगार, भजदूरी, रहन-सहन का स्तर, औद्योगिक सम्बन्ध तथा थ्रम-कल्याण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। बढ़ती हुई थ्रम-उत्पादकता औद्योगिक विकास के लिये परमावश्यक है और यह थ्रमिकों की कुशलता तथा कार्यक्रमता पर निर्भर करती है जो स्वयं भी उपरोक्त तथ्यों पर आधारित है।

थ्रम समन्वय रूप से थ्रम घूरो (Labour Bureau) द्वारा निम्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाते हैं—

१—भारतीय थ्रम पत्रिका (Indian Labour Journal) मासिक

२—भारतीय थ्रम वार्षिक पुस्तक (Indian Labour Year Book)

३—निम्न अधिनियमों की काय प्रगति पर वार्षिक प्रतिवेदन—

क—थ्रमिक सघ अधिनियम (Trade Union Act)

ख—थ्रमिक दातिपूर्ति अधिनियम (Workmen's Compensation Act)

ग—कारखना अधिनियम (Factories Act)

घ—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (Employee's State Insurance Act)

इ—खानों के मुख्य निरीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदन

C. S. O द्वारा भी Annual Statistical Abstract में नियमित इप से थ्रम समक प्रकाशित किए जाते हैं।

प्रस्तुत अध्याय में मुख्यत औद्योगिक थ्रम समको का विवेचन किया गया है फिर भी मन्त्र द्वारा से सम्बन्धी समको का अध्ययन भी यद्य-वदा किया है।

सुगमना की वृद्धि से श्रम समक का अवयव निम्न वर्गों के प्रावार पर किया गया है—

- अ. रोजगार ( Employment )
- ब. मजदूरी ( Wages )
- म. जीवन निवाहि स्तर ( cost of living )
- द. आईडीओगिक सम्बन्ध ( Industrial Relations )
  - १. अधिक सद
  - २. आईडीओगिक विवाद

### य. सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कल्याण

भारत में उपरोक्त तथ्यों से सम्बन्धित समक वास्ति समय से श्रम विधेयकों के अन्तर्गत एकत्रित किये जाते रहे हैं जिनमें (फैक्ट्री) कारखाना अधिनियम, भूति शोधन अधिनियम, अधिक दक्षिणार्थी अधिनियम, प्रसूति-मुविधा अधिनियम, आईडीओगिक विवाद और अधिक सध अधिनियम उल्लेखनीय हैं। प्राप्त समक आर्थिक विश्लेषण के योग्य नहीं ये वयोःकि उस समय ये विधेयक सामाजिक विधेयक थे और अधिकों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए प्रारम्भ किये गये थे। इनके क्षेत्र तथा व्याप्ति में एकलूपता का असाव था, समक अपूरण गणनाओं पर आधारित थे तथा इनका स यह मुख्यतः प्रशासकीय कार्यों के लिये किया गया था। परन्तु अब स्थिति में काफी मुगार हो चुका है, फिर भी परिवायाएँ तथा मर्दों इन्हीं विधेयकों से लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में कुछ नये अधिनियम भी पारित किये गये हैं।

श्रम बल तथा कार्यशील बल (Labour Force and Working Force)—'

१९५१ के जन गणना प्रतिवेदन की (Census Economic Tables) में जनसंख्या को दो जीविका वर्गों में विभक्त किया गया था कृषि तथा अकृषि—और दोनों वर्गों को पुन चार उपवर्गों में बाटा गया था। १९६१ की जनगणना में जनसंख्या को कार्यकर्ता तथा भकार्यकर्ता में विभक्त किया गया है। कार्यकर्ता का योग ही कार्यशील बल है जो किसी न किसी प्रकार का आर्थिक कार्य किया करते हैं। देश के कुल श्रम बल का अनुमान भी लगाया जाना अति आवश्यक है जो 'कार्यशील बल' (working force) और बिरोजगार जो रोजगार के लिए तत्पर हों वा योग होता है। रोजगार चाहने वाले बेरोजगार व्यक्तियों वा अनुमान गात्रों के सम्बन्ध में कृषि श्रम जात्र और शहरी के लिए सेवा योजनाओं से प्राप्त होते हैं। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय न्यायार्दात सर्वेक्षण (N. S. S.) का कार्य मी सराहनीय है।

१९६१ के जन-गणना प्रतिवेदन में कार्यकर्ता को ६ भागों में विभाजित किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है—

१९६१ व १९५१ की जनगणना के अनुसार कार्यकर्ता ( Workers ) ( ने औद्योगिक घरों में विभाजित ) व अ-कार्यकर्ता—

	संख्या (लाखों में)	प्रतिशत	संख्या (लाखों में)	प्रतिशत
कुल जनसंख्या *	४३,८३	१०० ००	३५६६	१०० ००
कुल कार्यकर्ता	१८,८४	४२ ६८	१३६५	३६ १०
१. कृषक	६,६५	२२ ७०	६६८	१६ ५६
२. कृषि थार्मिक	३,१५	७ १८	२७५	७७ १
३. खनन उत्खनन, पशु घन घन मत्स्य, शिकार, बागान तथा सम्बंधित कार्य	५२	१ १८	४१	१ १५
४. गृह उद्योग	१,२०	२ ७४		
५. गृह उद्योग के प्रतिरक्ति निर्माण कार्य	५०	१ ८२	१२५	३ ५२
६. भवन-निर्माण	२१	० ४७	१५	० ४६
७. व्यापार व वाणिज्य	७६	१ ७४	७३	२ ०५
८. यातापात परिवहन व संग्रह	३०	० ६६	२१	० ६४
९. अन्य सेवा	१६५	४ ४६	१४६	४ १०
अकार्यकर्ता	२४ ६१	५७ ०२	२१७४	६० ६०

\* जनसंख्या १९६२ का पत्र १-पृष्ठ ३६५ और ३६६ के अनुसार  
औद्योगिक रोजगार समकालीन स्रोतों से प्राप्त हैं—

अ अम ब्यूरो-(Labour Bureau)

ब निर्माणी उद्योग गणना ( C M )

स निर्माणी उद्योग व्यावर्षिक सर्वेक्षण ( S S M I )

द. उद्योगों का व्यावर्षिक सर्वेक्षण ( A. S I )

### थम व्यूरो रोजगार समक—

यह समक उन कारखानों से सम्बन्धित हैं जो प्रत्यावर्तन ( returns ) प्रस्तुत करते हैं तथा अन्य कारखानों के लिए जांच-प्रतिवेदन, गत वर्ष की सामग्री, पूँजीकरण तथा अनुज्ञाप्ति-प्रतिवेदन पत्र के आधार पर अनुमानित किये जाते हैं। समकों के द्वेष में वे सब कारखाने आते हैं जो कारखाना अधिनियम के अधीन हैं और जो राज्य सरकार की विशेषज्ञ द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत लिए गये हैं।

कारखाना अधिनियम के अनुसार 'अभिक' का अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष या अभिकर्ता द्वारा, मजदूरी या दिना उसके, किसी निर्माण क्रिया या मशीन या भवन के किसी भाग की सफाई जो निर्माण कार्य के लिए प्रयुक्त होता है या किसी अन्य कार्य जो निर्माण क्रिया से सम्बन्धित हो, के लिए सेवायुक्त किया जाता है। इसमें इस प्रकार लिखित तथा निरीक्षण कार्य से सम्बन्धित कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

यह समक कारखानों के मुख्य निगेशक द्वारा पट्टमासिक तथा वार्षिक आधार पर सकलित किए जाते हैं और थम व्यूरो द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं।

थम व्यूरो द्वारा निम्न रोजगार समक प्रकाशित जाते हैं—

१. कार्यशील निर्माणियों की संख्या तथा श्रीसत दैनिक रोजगार—

अभिको वी कुल उपरिक्ति को कारखानों के कार्यशील दिनों की संख्या से विभक्त करके श्रीसत रोजगार प्राप्त किया जाता है। यह समक राज्य तथा उद्योगों के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं।

सम्बन्धित समक छानों तथा बागानों के लिए भी सकलित किए जाते हैं। भारतीय थम वार्षिक पुस्तक ( Indian Labour Year Book ) में रेल, डाक व तार, बन्दरगाह, दुकानों तथा वाणिज्यिक संस्थानों, केन्द्रीय सरकार के संस्थानों और कृषि में रोजगार के आकड़े भी प्रकाशित किए जाते हैं। १९६१ के पूर्वार्द्ध में ४८,६२७ कारखानों में श्रीसत दैनिक रोजगार ३७,६०,६०६ या लबकि १९६० के इसी काल में ४६,२८५ कारखानों में यह संख्या ३६,०४,८१० थी।

२. सेवायोजनालय समक ( Employment Exchange Statistics )—विभिन्न राज्यों में माह के मन्त्र में सेवायोजनालयों की संख्या, माह में पढ़ी-करण की संख्या, काम पर लगाए गए आवेदकों की संख्या, काम प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या, सेवायोजनालयों का प्रयोग करने वाले सेवायोजकों की संख्या तथा माह में पद-रिक्तियों की सूचना के बारे में समक रोजगार तथा प्रशिक्षण के महानिदेशक द्वारा संप्रहित किए जाते हैं।

विश्वविद्यालय सेवायोजना व्यूरो के समक इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते। रोजगार चाहाँ वाले व्यक्तियों वो सात भागों में बाटा जाता है—१. प्रौद्योगिक निय वग्ज

२. कुराल तथा अह्म-कुराल, ३. लिपिक, ४. शिल्पक, ५. परेल्स, ६. अकुशल, तथा ७. अन्य ।

३. प्रशिक्षण समंक—रोजगार तथा प्रशिक्षण समक महानिवेशक द्वारा सञ्चालित किये जाते हैं और अब अबूरो द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं। विभिन्न राज्यों में माह के अन्त में शिल्पकार, शिशिरा प्रशिक्षण केन्द्रों व आद्योगिक अधिकों के लिये रात्रि-दिन केन्द्रों की संख्या का विवरण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को घार सभूहों में विभक्त किया जाता है।

( अ ) अ—अभियात्रिक कार्य ( Non Engineering Trades ), ( ब ) अभियात्रिक कार्य ( स ) शिशिरा, व ( द ) आद्योगिक अधिकों के लिए यात्रि कदाए ।

शिक्षित वेरोजगारों के लिए काय तथा अनुसन्धितिज्ञान<sup>१</sup> योजना केन्द्रों द्वे १ करवारी १६६२ से समाप्त कर दिया गया तथा उन्हे शिल्पकार प्रशिक्षण केन्द्रों में सम्मिलित कर दिया गया है ।

४. अधिक अनुपस्थिति—अब अबूरो अपने भाष्मिक प्रत्यावर्तनों तथा खान मुख्य निरीक्षक के प्रतिवेदनों के आवार पर यह सूचना एकत्रित करता है। सूचना 'कार्य के लिये अनुसूचित मनुष्य पाली के प्रतिशत के रूप में मनुष्य पाली की दरति' ( Percentage of man-shifts Lost to man-Shirts Scheduled to work ) के रूप में दी जाती है तथा अनुपस्थिति का कारण भी दिये जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के लिये निम्न केन्द्रों से सम्बन्धित सूचना दी जाती है—

मूर्ती वस्त्र उद्योग—बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, मैसूर, कानपुर, मद्रास, मदुराई, कोयम्बटूर, निरुलेलदेली ।

उनी वस्त्र उद्योग — कानपुर, घारीबान

ईंजीनियरी उद्योग — बम्बई, पश्चिम बंगाल, मैसूर

लौह व इस्पात उद्योग — पश्चिम बंगाल, बिहार, मद्रास

आगुव निर्माणी — Ordnance factories—

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य — प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मद्रास

सीमेन्ट उद्योग — आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास,

पश्चिम बंगाल, बिहार

माचिस उद्योग — महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश,

ग्राम, मद्रास

चमं उद्योग — कानपुर

कोयला खनन — कोयला चेत्र

स्वरुप स्वतन्त्र — मैसूर

बागान — मैसूर

द्राम निर्माण शाला — बम्बई, दिल्ली, बलकन्ता

टेली शाक निर्माण शाला — बम्बई, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश

मनुष्य पाली द्वाति के प्रतिपादन में हड्डाल, तालाबन्दी, बीमारी, अवकाश आदि के कारण एक घटना का अभाव है।

५. अम प्रतिस्थापिन समक ( Labour turn over )—अम प्रतिस्थापित का अर्थ उस सोमा से है जिस तक एक निश्चित समय में पुराने कर्मचारी नोकरी छोड़ते हैं तथा संस्थान में नये कर्मचारी नोकरी प्राप्त करते हैं। यह समक बहुत ही सीमित मात्रा में पाये जाते हैं। बम्बई के सूती वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में यह सूचना १९५० से प्राप्त की जा रही है जो पृथक्करण ( separation ) और प्रवेश ( accession ) के सम्बन्ध में प्राप्त है।

निर्माणी उद्योग गणना भमक ( CMI Data )—१९४६ से १९५८ तक

निर्माणी उद्योग गणना के दौरान विभिन्न निर्माणी उद्योगों में अम रोजगार के समक भी एकत्रित किये गये। पहले यह २६ उद्योगों के लिए एकत्र किये गये थे परन्तु बाद में केवल २८ उद्योगों के लिये ही एकत्र किये जा सके। CMI में वही कारखाने सम्मिलित किये गये थे जो कारखानों अधिनियम १९४८ के अधीन आने थे और इन्हीं कारखानों से सम्बन्धित सूचना अम ब्यूरो द्वारा भी एकत्र की जाती थी परन्तु फिर भी CMI की सूचना उन समावेशित उद्योगों के लिये भी पर्याप्त नहीं थी क्योंकि कई कारखाने सूचना देने में असमर्थ रहते थे। १९५६ में ७ प्रतिशत कारखानों से प्रत्यावर्तन नहीं प्राप्त हुये और १९५७ में लगभग १६ प्रतिशत इकाइयों से मूल्यना प्राप्त नहीं हुई क्योंकि १९५७ व १९५८ में गणना स्वेच्छिक आवार पर की गई थी।

CMI में 'अमिक' वी परिभाषा कारखाना अधिनियम से ली गई है परन्तु अन्य कर्मचारियों के बारे में भी सूचना साप्रहित की गई। यहां तक कि इसमें उत्पादन हेतु नियुक्त कर्मचारी जैसे निदेशन, पश्चिम व्यवहार, सेवा तथा सुरक्षा कार्य से सम्बन्धित कर्मचारियों के बारे में भी सूचना शास्त्र की गई परन्तु केवल वितरण कार्य से सम्बन्धित कर्मचारियों-विवरण तथा विज्ञापन—को इससे पृथक रखा गया।

एकमिति की गई सूचना इस प्रकार है—

३१ दिसम्बर १९ को समाप्त होने वाले  
वर्ष में सेवायोजित अम

	कार्य शील मनुष्य घटों की सत्या	प्रतिदिन सेवायोजित व्यक्तियों की श्रौतसत् सत्या	कुल बेतन, मजदूरी, बोनस और प्रत्येक मौद्रिक लाभ
१—अ कारखाना अधिनियम द्वारा परिभासित अभिक (नियन्त्रण, प्रबन्ध या गोपनीय पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त) —			(रुपय)
(१) प्रत्यक्ष सेवायोजित —			
पुरुष स्त्री बच्चे			
योग			
(२) डेंडारो के माध्यम द्वारा मेवायोजित			
कुल सेवायोजित अभिक [१-अ(१)+१म(२)]			
३—व नियन्त्रण या प्रबन्ध या गोपनीय पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति			
४—कारखाना अधिनियम के अधीन नहीं आने वाले कम चारों जो उत्पादन कार्य के लिये जैसे निदेशन, पत्र- व्यवहार, लेखा, मुरछा आदि वार्यों के लिये सेवायोजित किये गये हो (केवल वित रण कार्य के लिये नियुक्त कमचारियों के अतिरिक्त जैसे विक्रय तथा विज्ञापन),		*	
कुल सेवायोजित व्यक्ति (४+३)			
५ परिहार (Privileges) तथा साम आदि का मौद्रिक अध		योग	

इस प्रकार अम रोज़ार के सम्बन्ध में CMI द्वारा निम्न सामग्री संश्लिष्ट है—

१. अ. सेवायोजित धर्मियों की संख्या

(१) प्रत्यक्ष सेवायोजित

पुरुष

स्त्री

बच्चे

(ii) टेक्सारो के माध्यम द्वारा सेवायोजित

(व) धर्मियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी

२. कर्य पर्यंत कार्यशील मनुष्य पटों की संख्या

३. प्रतिदिन सेवायोजित व्यक्तियों की श्रीमत संख्या

अम बूरो तथा निर्माणी उद्योग गणना के अन्तर्गत संश्लिष्ट सामग्री का आवार एकत्र होने हुये भी समझो में बहुत अन्तर है क्योंकि जैवा पहले निचा जा चुका है दोनों में उद्योगों का वर्णन एक समान नहीं है। अतः निर्माणी उद्योग गणना के समझों के योग को विविध निमाणी प्रक्रिया इकाइयों के रोज़ार समझों का प्रतिनिवित नहीं माना जा सकता।

निर्माणी उद्योग न्यादर्द सर्वेक्षण समक्ष (SSMII) १६५१ से १६५८ तक—

गणना वी भवेदा सर्वेक्षण वा द्वेष विस्तृत था। इसमें उद्योगों के समस्त ६३ समूहों को सम्मिलित किया गया तथा जो राज्य गणना में परे थे, वहां पर भी सर्वेक्षण किया गया। संश्लिष्ट सामग्री इस प्रकार है—

१. सेवायोजित अम—

अ. प्रत्यक्ष सेवायोजित

ब. टेक्सारो के माध्यम द्वारा सेवायोजित

२. अन्य कर्मचारी—

पुरुष

स्त्री

बच्चे

३. प्रतिदिन धर्मियों की श्रीमत संख्या

४. धर्मियों तथा कर्मचारियों को दिये गये देनां, भक्तुरी और अन्य दुआरां

५. वस्तुगत व्यक्तिगत लाभ

### ६. सामूहिक लाभ

७. निधियों में अ शदान (भविष्य निधि, सामाजिक बीमा, प्रादि)

८. वर्ष के चार चतुर्थांशों में रोजगार की मात्रा में परिवर्तन

९ जनवरी, १ अप्रैल, १ जुलाई और १ अक्टूबर को रोजगार सम क एकत्रित किये गये।

### उद्योग वार्षिक सर्वेक्षण समक (ASI)-१९५६ से

निर्माणी उद्योग गणना की अपेक्षा वार्षिक सर्वेक्षण का चेत्र व्यापक है। जैसा कि अन्यत्र लिखा जा चुका है वार्षिक सर्वेक्षण के चेत्र में निम्न प्रकार की निर्माणी इकाइया सम्मिलित की गई है—

१. समस्त कारखाने जहां शक्ति के प्रयोग में किसी भी दिन ५० या अधिक थमिक और शक्ति के अभाव में १०० या अधिक थमिक कार्य करते हो, तथा

२. समस्त कारखाने जहां शक्ति के प्रयोग की अवस्था १० से ४६ तक थमिक तथा शक्ति के अभाव में २० से ६६ तक थमिक कार्य करते हैं।

प्रथम वर्ग के कारखानों से रोजगार समक गणना जान्च द्वारा तथा द्वितीय वर्ग के कारखानों से देविक (random) न्यादर्श के माधार पर प्राप्त किये जाने हैं।

वार्षिक सर्वेक्षण में गणना जैसे ही समक एकत्रित किये जा रहे हैं किर भी इनमें बुद्धि विशेषता है—

( अ ) प्रथम वार थमिकों को कुशल, अद्वैत-कुशल तथा अकुशल वर्गों में बाटा गया है। प्रत्यक्ष रूप से तथा टेक्नेशरों द्वारा सेवायोजित थमिकों की अन्त से सूचना संग्रहित की जाती है। नियश्रृणु तथा प्रवन्ध कर्मचारी वर्ग ( तकनीकी तथा मन-तकनीकी ), लिपिक तथा अन्य कर्मचारी वर्ग की सूचना भी अलग से प्राप्त की जाती है।

( ब ) निर्माणीयों द्वारा दी गई प्रशिदण सुविधाओं ( Training Within Industry-TWI ) का भी उन्नेश्व प्रदम बार किया गया है। इसमें समस्त कारखानों का समावेश दिया जाता है उचिक थम घूरों द्वारा बुद्धि चुने हुये बैन्डों से ही प्रशिदण समक प्राप्त किये जाते हैं।

( स ) वर्ष के प्रत्येक चतुर्थांश के प्रथम सप्ताह में प्रत्यक्ष रूप से या टेक्नेशरों द्वारा सेवायोजित थमिकों की औसत सल्या पुस्त, स्त्री और बच्चों के लिए एकत्र की जाती है जिसका वर्णन रणनीति, अद्वैत कुशल और अकुशल वर्गों में किया जाता है।

उपरोक्त समकों में एक भारी दोष है कि यद्यपि 'थमिक' की परिभाषा कारखाना अधिनियम से ली गई है किर भी एक अनुबन्ध द्वारा नियश्रृणु, प्रवन्ध या गोपनीय पदों पर काय करने वालों को इसमें पृथक बर दिया गया है। विभिन्न घट्यों और विभिन्न उद्योगों में नियश्रृणु कर्मचारियों में अलग अन्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना है।

साथ ही वारखाना अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कारखाना मुख्य नियोजन किसी भी प्रकार के कमचारी को नियन्त्रण या प्रबन्ध शेरी म घोषित कर सकता है और यह आज्ञा तीन बप तक लागू रहती है। ऐसी परिस्थिति में सम्राहित समक्ष मनुलनात्मक हो जाते हैं। इस प्रकार के कमचारियों को स्पष्ट विभिन्न बगों में विभाजित करना ठीक होता।

उपरोक्त चार स्रोतों के अतिरिक्त अन्य रोजगार समक्ष निम्न प्रकार में प्राप्त किये जाते हैं—

#### १. सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बगों में रोजगार—

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार समक्ष एकत्रित किये जाने हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को बैद्यीय सरकार राज्य सरकार, अद्वैत-सरकारी ( Semi-Govt ) और स्थानीय निकाय ( Local bodies ) बगों में बाटा याया है। यह समक्ष असेनिक कमचारियों में ही सम्बन्धित है तथा अशकालीत और ठेकेदारा द्वारा नभायोजित कमचारियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। इसका प्रकाशन थम व्यूरो द्वारा किया जाता है।

२. सूती वस्त्र मिलों में रोजगार-भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय के स्थीत बान आयुक्त ( Textile Commissioner ) द्वारा विभिन्न राज्यों की सूती वस्त्र मिलों में रोजगार के समक्ष सम्राहित किये जाते हैं तथा थम व्यूरो द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पाली में औसत दैनिक श्रमिकों की संख्या का उल्लेख किया जाता है।

३. कोयला खानों में रोजगार तथा कार्बशील मनुष्य-पाली की कुल संख्या ( Total Number of Man-Shifts Worked )—

इस सम्बन्ध में समक्ष मुख्य नियोजन, खान ( घनवाद ) द्वारा एकत्रित किये जाने हैं तथा थम व्यूरो द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं। सेवायोजित औसत दैनिक श्रमिक संख्या तथा कार्बशील मनुष्य पाली की कुल संख्या की सूचना प्रकाशित की जाती है।

साथ ही अब्रक, लोटक ( मैरनीज ), लौह और खनिजों से सम्बद्धि सामग्री भी मन्त्रालय की जानी है। अलग तालिका में कोयला खानों और अब्र खनिज उद्योग में रोजगार देशनाक भी दिया जाता है।

४. बागानों में औसत दैनिक रोजगार-व्याप्ति तथा कृषि मन्त्रालय के अधीन अब्र और समक्ष निदेशालय द्वारा चाय, कार्पी और रबर बागानों में औसत दैनिक रोजगार और १९५१ के आधार पर उमी तालिका में देशनाक भी प्रकाशित किया जाता है। यह समक्ष 'बागान थम अधिनियम १९५१' के अन्तर्गत एकत्र किये जाने हैं।

५. रेल तथा डाक व तार विभाग मेरोजगार-रेल कार्यालय, रेल-पटरी तथा निर्माण मेरो समायोजित अधिक, जिसमेरो राजपत्रित कार्डचारी और अधरित ( subordinate ) कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, के बारे मेरो सूचना बोर्ड द्वारा दी जाती है। डाक व तार विभाग सम्बन्धी सूचना डाक व तार महासंचालक द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों के बारे मेरो प्रदान की जाती है। साथ ही १९५१ के आधार पर रोजगार देशनाक भी उपलब्ध हैं।

६. दुकानों तथा वाणिज्यिक सास्थानो मेरोजगार-उन केन्द्रो के बारे मेरो जहा 'दुकान तथा वाणिज्यिक सस्थान अधिनियम' लागू है, दुकानो, वाणिज्यिक सस्थानो और उपहार-गृहो और रगमधो की सख्ता तथा इन तीन वर्गो मेरो कर्मचारियों की सख्ता के बारे मेरो सूचना प्राप्त की जाती है। उत्तर प्रदेश मेरो इस सम्बन्ध मेरो कोई अधिनियम नहीं है। विभिन्न राज्यो के दुकान तथा वाणिज्यिक सास्थान अधिनियमो और केन्द्रीय 'साप्ताहिक ग्रवकाश अधिनियम, १९४२' के अन्तर्गत सूचना एकत्र की जाती है।

७. चुने हुये स्थानो पर निजी क्षेत्र मेरोजगार देशनाक (आधार-भावं १९६१=१००) विभिन्न राज्यो तथा केन्द्रीय प्रदेशो के कुछ चुने हुए केन्द्रो के सम्बन्ध मेरो यह देशनाक भावं १९६१ के आधार पर तैयार किये गये हैं। १४ राज्यो और ३ केन्द्रीय प्रदेशो से ४८ केन्द्रो का चुनाव किया गया है। वैमास के सम्बन्ध मेरो निजी क्षेत्र मेरोजगार देशनाको का सकलन किया जाता है। राजस्थान मेरो अजमेर, जयपुर, जोधपुर और कोटा तथा उत्तरप्रदेश मेरो आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और मेरठ केन्द्र सम्मिलित किये गये हैं।

## मजदूरी समक

( Wages Statistics )

मजदूरी समको वो दो भागो मेरो विभाजित विद्या जा सकता है—

अ - औद्योगिक ( Industrial ) मजदूरी समक

आ - कृषि ( agricultural ) मजदूरी समक

औद्योगिक मजदूरी समक —

हमारे देश मेरो मजदूरी समक बहुत ही अविश्वसनीय एवं अपर्याप्त है। सन् १९७३ मेरो Prices and Wages नामक द्य माही पत्रिका मेरो कुछ मजदूरी समक प्रकाशित किए जाते थे लेकिन वे अधूरे एवं अविश्वसनीय थे। अत सन् १९७५ मेरो उपरोक्त पत्रिका को दब्द कर दिया गया। पहले मजदूरी समक नियमित रूप से एकत्र करने के लिए कोई सारण्य नहीं थी। जो भी समक एकत्र किए गए थे वे विशेष सर्वे या तदर्थी वर्षेटी या वर्षोशन द्वारा। बम्बई, विहार आदि राज्यो ने औद्योगिक मजदूरी की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वे करवाए थे। अम जाव सनिति ( Labour Investigation

Committee ) ने जिसे रेगे ( Rege ) समिति भी कहते हैं, तदर्थ रूप से कुछ मजदूरी समंक एवं वित किए थे।

भृति शोषन अधिनियम ( Payment of Wages Act ) १९३६ के अन्तर्गत प्रत्येक फैक्ट्री को जो भारतीय फैक्ट्री अधिनियम १९३४ के अन्तर्गत पंजीकृत है, नियमित रूप से राज्य के श्रम विभागों को वार्षिक श्रम-समंक भेजना होता है। ये समंक केन्द्रीय श्रम-ब्यूरो प्रकाशित करता है। अत इस यह कह सकते हैं कि नियमित रूप से भृति-समंक एकत्रित करने की दिशा में यह पहला कदम था।

अब श्रम ब्यूरो के अतिरिक्त वार्षिक नियमितियों की संगणना ( Annual Census of Manufactures ) एवं S. S. M. I. नामक पत्रिकाओं में भी घोषणाग्रन्थ श्रम समंक प्रकाशित होने लगे थे। इन दोनों पत्रिकाओं को बन्द करके सन् १९५६ से वार्षिक उद्योगों वा सर्वेन्द्रण ( Annual Survey of Industries ) नामक पत्रिका में श्रम-समंक प्रकाशित किए जाने लगे हैं।

श्रम-ब्यूरो अपने मासिक श्रम पत्रिका ( Labour Journal ) में निम्न भृति समंक प्रकाशित करता है —

( १ ) भृति शोषन अधिनियम १९३६ के अन्तर्गत फैक्ट्रीयों में २०० रुपए से कम आय वाले कर्मचारियों की “प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय” ( per capita average annual earnings )। उपरोक्त अधिनियम में सन् १९५८ में संशोधन करके २०० रुपयों की सीमा बोबढ़ा कर ४०० रुपये कर दिया गया है। अब ४०० रुपये से अम आय वाले कर्मचारियों की “प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय” भी प्रकाशित की जानी है। दोनों प्रकार वी यूचना राज्य के हिसाब से और उद्योग के हिसाब से दी जाती है। “मजदूरी” में असली भृति, बोनस, बकाया भृति, नकदी अधिदेव आदि सम्मिलित किए जाते हैं लेकिन नोकरी छूटने पर ये चुट्टी, मकान किराया वा प्रोविडेन्ट फ़ल्ड में मालिक के द्वारा दिया हुआ भाग शामिल नहीं किए जाते हैं।

( २ ) साल अधिनियम के अन्तर्गत साल के मुख्य निरीक्षक द्वारा अभिको की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय।

( ३ ) अमजदीवी पत्रकारों ( Working Journalists ) की भृति।

( ४ ) वागानों में कार्य करने वाले अभिको की आय।

( ५ ) रेलो, गोदी ( docks ) एवं भोटर यातायात में कार्य करने वाले अभिको की औसत वार्षिक आय।

( ६ ) न्यूनतम भृति अधिनियम ( Minimum Wages Act ), १९५८ के मन्तर्गत निर्धारित की गई विविध राज्यों में न्यूनतम भृति।

( ७ ) आकमिसर हुपि-थमिकों की ओरन भूति ।

वापिक निमित्यों की सगणा — पणणा रीति से सद् १६४४ ने सद् १६५८ तक प्रति वर्ष २६ प्रकार के उद्योग के समक एकत्रित किए जाने थे । उपरात पत्रिका में “थमिको” व “अन्य कर्मचारियो” वे निम्न भूति समक प्रकाशित किए जाते थे—

( अ ) नवद में दिये गए कुल बेतन एव मजदूरी समक ( अनुपस्थित, तोड़-पोड़ में हाति व जुर्माना वी राशि घटान के बाद ) ।

( आ ) वोई रियायत जो नवद में नहीं दी गई हो उसका मौद्रिक मूल्यांक ।

राष्ट्रीय न्यादर्थ अपोक्षण ( N. S. S. ) न भी ६३ वर्ग के उद्योगों के मम्बन्य में निःर्दन रीति ( S. S. M. I. ) से प्रति वर्ष सद् १६५१ से सद् १६५८ तक औद्योगिक भूति-समक एकत्रित किए हैं ।

जैसे पहले दराया जा चुका है कि सद् १६५६ से औद्योगिक भूति समंक एव वर्गों का मारा कार्य N. S. S. को दे दिया गया है जो C.S.O. की देख-रेख में सगणा एव निःर्दन, दोनों रीतियों से ही समक एकत्रित करता है । उद्योगों के वापिक सर्वेषण ( Annual Survey of Industries-A. S. I. ) में समकों के लिए फेक्टरियों को दो भागों में बाट दिया गया है । प्रथम प्रकार की फेक्टरिया को फार्म का पहिला भाग भरना होता है और द्वितीय प्रकार की फेक्टरियों को फार्म का दूसरा भाग ।

पहिला भाग वे फेक्टरिया भरती हैं जो तैं की हुई शर्तों के अनुसार भूति शोधन तौं करती हैं लेस्टिन माम विभाजन बोनस ( profit-sharing-bonus ) आदि प्रकार के अनुश्वास ( ex-gratia ) शोधन नहीं करती हैं । दूसरा भाग वे फेक्टरिया भरती हैं जो तैं की हुई शर्तों के अनुसार भूति शोधन भी करती हैं और लाम विभाजन-बोनस आदि अनुश्वास ( ex grata ) शोधन भी ।

मत्र थमिकों को कुशल, अर्धकुशल एव अकुशल तीन बर्गों में विभाजित करते प्रत्येक वर्ग के थमिकों को दी हुई मजदूरी के समक प्रकाशित किए जाते हैं ।

### मूचक ( Index Numbers )—

धर्म व्यूरो ( Labour Bureau ) फेक्टरिया में वार्ष करने वाले थमिकों की आय के अद्वितीय भारतीय मूचक तैयार करता है । आचार वर्ष सद् १६४६ है । मूचक तीन प्रकार से तैयार किए जाते हैं—

( अ ) राज्य के अनुसार ( state wise )

( आ ) उद्योगानुसार ( industry wise )

( ग ) अखिल भारतीय ( all industries for all states )

'क' में एक राज्य में आने वाले सब उद्योगों को शामिल किया जाता है, 'ब' में सभी राज्यों में एक उद्योग को शामिल किया जाता है और 'स' में सब राज्यों में सब उद्योगों को शामिल किया जाता है।

श्रम-व्ययों अधिकल भारतीय श्रमिक ग्रीमेटा मूल्य सूचक (All-India Average Working Class Consumer Price Index Number) भी सन् १९४६ के आधार पर तैयार करता है। उपरोक्त दोनों सूचकों में सन् १९४६ के आधार पर ही अधिकल भारतीय श्रमिकों की वास्तविक आय के सूचक (All-India Index of Real Earnings of Working Class) भी थम संस्थान द्वारा तैयार किया जाता है।

### कृषि मजदूरी समक (Agricultural Wages Statistics)

कृषि समिति की हालत तो और भी शोचनीय थी। केवल थोड़े समक (Prices and Wages) में अर्ध वार्षिक रूप से प्रकाशित किये जाने थे। यह पत्रिका भी सन् १९०५ के बाद से बन्द कर दी गई। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस समन्वय में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। केवल कुछ राज्यों द्वारा पचवर्षीय मजदूरी सर्वे करवाए गए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कृषि मजदूरी समिकों में सुधार करने के लिए सन् १९४६ में तकनीकी समिति ने दृष्टमूल्य सुभाव दिए। इन सुझावों को भारत सरकार ने मान लिया और कृषि मध्यालय के आर्थिक एवं साहित्यीय मामलों के सलाहकार इन्हे कार्यान्वित कर रहे हैं। उपरोक्त समिति के सुझावों के अनुसार कृषि मजदूरों को निम्न चार मूल्य वर्गों में विभाजित किया गया है।

#### क—कुशल मजदूर—

- (i) लुटार
- (ii) भोजी
- (iii) खाती

#### ख—खेतिहार मजदूर (field labour)

- (i) हन छलाने वाले मजदूर (plough men),
- (ii) बीज बोने वाले मजदूर (sowers)
- (iii) पौधे लगाने वाले मजदूर (transplanters)
- (iv) घास-मूल्य हटाने वाले मजदूर (weeders)
- (v) फल बाटने वाले मजदूर (reapers)

#### ग—प्रत्येकिहार मजदूर (Other agricultural labourers)

### १ कुनी ( Coolies )

ii माल दोरे वाले मजदूर ( load-carriers )

iii कुए खोने वाले मजदूर ( well diggers )

घ-गड़िये ( Herdsman )

समस्त कृषि मजदूरों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है—( १ ) पुल्प ( २ ) स्त्री ( ३ ) बच्चे। मजदूरी समझ नकद ( cash ) में प्रकाशित किए जाते हैं। यदि मजदूरी प्रकार ( kind ) में दी जाती है तो उसका मौखिक मूल्यांकन वरके नकद ( cash ) में परिवर्तन वर किया जाता है। प्रत्येक जिले की मजदूरी ज्ञात करने के लिए हर एक जिले में से एक प्रतिनिधि गांव चुन लिया जाता है। उस गाव की मजदूरी ही समस्त जिले की मजदूरी मानी जाती है।

कृषि समक निम्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किये जाते हैं—

( १ ) Agricultural Situation in India—ग्रामिक

( २ ) Agricultural Wages in India—बाधिक

जैसा कि पहले बताया जा चुका है थम ब्यूरो ( Labour Bureau ) द्वारा यूनिटम भवित अधिनियम १९४८ के आवश्यक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिटम भूमि के समक एवं अस्थायी कृषि-थमिकों की आसन भूमि के समक अपने मासिक थम पत्रिका ( Labour Journal ) म प्रकाशित किए जाने हैं।

कृषि थमिक जाच समिति ( Agricultural Labour Enquiry Committee ) ने भी तीन जाचे ( Enquiries ) सम्पन्न करके पर्याप्त समक एकत्र किए हैं। प्रथम जाच सन् १९५०-५१ में कृषि मवालय वे आधिक एवं साहियकीय भागों के स्वाल्हकार द्वारा दी गई थीं, कुल ८०० गाव एवं ११००० कृषि थमिक परिवारों को स्तरित-द्वेष निदान ( Stratified Random Sampling ) रीति द्वारा चुना गया। द्वितीय जाच सन् १९५६-५७ में सम्पन्न की गई। उसमें कृषि मवालय ने राष्ट्रीय यादान अधीक्षण ( N S S ) की सहायता लेवर अक सक्सन करवाया। इस जाच में २६०० गाव एवं २८५६० कृषि थमिक परिवार चुने गये।

उपरोक्त दोनों जाचों से वे ही दृष्टि-थमिक-परिवार चुने गये जो भूमिहीन थे। लेकिन तीसरी जाच जो सन् १९६२-६३ में शुरू की गई है प्रथम दो जाचों से भिन्न है। इस जाच में वे कृषि-थमिक-परिवार भी शमिल किए गए जिनके पास कुछ भूमि थी या जिनके द्वारा कोई घरेलू उथों भी बलाया जाता हो और साथ ही वे थमिक वा कर्ये भी करते हों।

सन् १९६१ में की गई जन गणना में भी गणानापत्रों के प्रश्न ८ के द्वारा दृष्टि-थमिकों की संख्या प्राप्त की गई है।

अन हम कह सकते हैं कि पिछ्ले १५ वर्षों में कुपि भज्यूरो-समंक एवं इन जिए जाने से पर्याप्त अध्याय ७ में दिया जा चुका है।

जीवन-निर्वाह के समक का विवरण अध्याय ७ में दिया जा चुका है।

### ओद्योगिक सम्बन्ध समंक

इन शीर्षक के अन्तर्गत धर्मिक सभ (Tride Union) ओद्योगिक विवाद और विवादों को रोकने तथा सुलभाने के क्षेत्र का बहुत लक्ष्य किया गया है।

धर्मिक संघ समक—भारतीय धर्मिक सभ अधिनियम, १९२६ के अन्तर्गत भारत सरकार के थम तथा रोकार मकाल के अधीन थम ब्यूरो द्वारा सम्बन्धित समक एकत्रित तथा प्रकाशित किये जाते हैं।

समको की व्याप्ति तथा देश सीमित है क्योंकि विभानानुभार समस्त सधों का पजीवरण अनिवार्य नहीं है। समक वेवल पंजीकृत सधा के बारे म प्राप्त है। पजीकृत सधों से भी राज्य सरकार को समय पर सूचना नहीं मिल पाती है। अन व्याप्ति में एक व्यक्ति का अभाव है तथा समक अनुचनीय है। साथ ही ओद्योगिक वर्गोंवरण भी अपरिवर्तनीय नहीं रह पाया है तथा १९५४-५५ से इसमें परिवर्तन किया जा चुका है। प्रशासनीय द्वाचा भी बदलता रहा है। पहले 'भ', 'व' व 'स' शब्दों के राज्य थ, अब 'राज्य' और केन्द्रीय शासित प्रदेश हैं। किंतु भी इस सम्बन्ध म निम्न प्रवार की सामग्री प्राप्त है—

१. पजीकृत धर्मिक सधों की भव्या और प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने वाले सधों की सदस्यता—

पजीकृत सधों की स्वत्ता, प्रत्यावर्तन प्रस्तुत वरने वाले सधों की स्वत्ता और इनकी सदस्यता भव्या ( लिंग अनुभार ), प्रत्येक सध अधिकार सदस्यता। धर्मिक सभ तथा नियोक्ता सधों की सूचना राज्यानुभार अलग तालिका में दी जाती है जो उद्योगों के अनुसार कर्णीकृत भी जाती है। उद्योगों को ६ वर्गों और ४१ उप-वर्गों में वाना गया है।

२. धर्मिक सभ वित्त-व्यवस्था पजीकृत सधों के आय के स्रोत और व्यय के विभिन्न मद।

३. सवालों की स्वत्ता, उनमें सम्बद्ध धर्मिक सधों ( federations ) की स्वत्ता तथा सदस्यता।

### ओद्योगिक विवाद समंक—

थम ब्यूरो द्वारा उन ओद्योगिक विवादों की सूचना साप्रहित भी जाती है जिनके परिणामस्वरूप काम रक्ता है तथा वस में कम १० धर्मिक प्रसादिन होते हैं। हड्डताल तथा

तालावन्दी इनमें सम्मिलित है परन्तु यज्ञनीतिक हड्डान, कहानुमूर्ति हड्डान आदि इनमें नहीं आते ।

समस्त यज्ञों के निम्न मूचना राज्य के शम विनाग द्वाय एकत्रित की जाती है । मूचना स्वैच्छिक आवाह पर प्राप्त भी जाती है ।

एकत्रित मूचना निम्न प्रकार की है—

१. प्रथम या अप्रथम इन में सल्लिहित श्रमिकों की सम्याकाम बन्द होन के दोरान जिसी भी दिन अधिकतम सल्लिहित श्रमिकों की सम्या इनमें की जाती है ।

२. विवादों की सम्या

३. मनुष्य दिनों की इति की सम्या (Man-days lost)

द्वयोक्तव्य मूचना यज्ञानुसार और उद्योगानुसार भी दी जाती है । प्रौद्योगिक वर्गोंकरण समय समय पर बदलता रहा है । वर्तमान में उद्योगों को २८ दिने वर्गों और वई दरम्बगों में विभक्त किया गया है ।

४. विवादों का वारणों के अनुसार वर्गोंकरण—

५. विवादों के परिणाम तथा उनकी प्रवर्ति-उत्तर, प्रश्न सरन, अप्रश्न, प्रनिष्ठन, अक्षात्—

६. कुद्द सेत्रों में भौतिकित अवान्ति देखाना ( १६५१=१०० )

७. विवादों का नालानुसार वर्गोंकरण

८. विवादों का उद्योगानुसार वर्गोंकरण

९. वेन्द्रीय सम्पादनों में विवाद

१०. विभिन्न उद्योगों में विवाद स्वतन्त्र मन्त्रदूरी तथा उन्नादन की दर्ति ।

## अम संक

० ]

निम्न तालिकामो मे ग्रौवोगिक विवाद समूहो की भनक मिलती है—

विभिन्न राज्यों मे १९६१ मे विवादो की सरया, संनिहित अभिक,  
मनुष्य-दिन क्षति आदि की संख्या

राज्य	विवादो की सख्ती	संनिहित अभिक	मनुष्य दिनों की चति	लोकता दर Severity Rate ( कार्य के लिये प्राप्त प्रति एक लाख मनुष्य दिन के पीछे मनुष्य दिनों की चति )	
				१	२
आन्ध्र प्रदेश	६८	३५,१५७	२,०२,४६५	५०८	
असम	२८	१२,०८१	७२,००६	४३८	
बिहार	७५	२५,८१५	१,५८,६५४	२३८	
गुजरात	३०	७,८६७	५२,११२	—	
जम्मू व कश्मीर	१	४५	४५	अप्राप्त	
केरल	१४६	३५,५०६	३,६५,३१५	३६८	
मध्य प्रदेश	८३	२२,७२४	२,१५,६२०	३२२	
मद्रास	१२४	३२,६५४	१,७५,७८६	६३०	
महाराष्ट्र	२७६	८८,६१४	५,८०,११०	१५४ #	
मैसूर	७१	३०,५८२	८०,८६५	३३	
उडीसा	७	१५,७८७	२,३६,८०१	८६०	
बंगाल	८	५७४	७,२०६	१७१	
राजस्थान	११	३,२६४	५१,३५६	८४८	
उत्तर प्रदेश	६२	४४,१२२	५,१६,६७२	५८	
पश्चिम बंगाल	२७५	१,५२,१२३	२१,४३,५३८	१,१२५	
झड़पान व निकोबार प्रायद्वीप	३	२७३	७६७	६,५५४	
दिल्ली	५५	४,६४२	२६,७६५	४४	
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	
निमुरा	—	—	—	—	
योग	१,३५७	५,११,८६०	४६,१८,७५५	५३३	

महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के लिये सम्युक्त ।

## कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक अशान्ति देशनाक

वर्ष	मनुष्य दिनों की चतुर्भुक्ति की सत्त्वा	बुल कार्य लिये गये मनुष्य दिनों की सत्त्वा ( हजार में )	तीव्रता दर	औद्योगिक अशान्ति देशनाक ( अभाव दिनों के पीछे मनुष्य दिनों की चतुर्भुक्ति )
			Severity Rate ( कार्य के लिये प्राप्त प्रति एक सरल मनुष्य दिनों के पीछे मनुष्य दिनों की चतुर्भुक्ति )	
१	२	३	४	५
निर्माणी क्षेत्र				
१६५६	४,३१४	१०,२१ *	४२१	६६
१६६०	४,६१३	६,२२	५३३	१२६
१६६१	३,७६६	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य
बागान				
१६५६	१३६	३,८८ अ	३५	२१६ +
१६६०	१६८	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य
१६६१	२१०	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य
कोयला खान				
१६५६	३२८	१,१२	२६२	६१
१६६०	१२६	१,१७	११०	३४
१६६१	२०१	१,२२	१६५	५१
बन्दरगाह				
१६५६	२६	१७ पु	१५३	५६ +
१६६०	३०	१७ पु	१७७	६५ +
१६६१	३६	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य

\* मैसूर और जम्मू व कश्मीर के नायशील मनुष्य दिनों के अभाव में अनुमानित कर सम्मिलित की गई है।

अ अस्थाई अत परिवर्तन की सम्भावना ( Provisional )

+ अनुमानित अत अस्थाई

पु १६५६ व १६६० की सत्त्वाओं की उपलब्धि के अभाव में १६५८ की सत्त्वाओं की पुनरावृत्ति

## श्रम समक

१० ]

समस्त क्षेत्रों, वागाने, खानो और निर्माणी उद्योगों में १६६०  
और १६६१ में प्रति विवाद श्रीसत् समय-क्षात्, श्रीसत्  
सनिहित अभिक सत्या और विवाद की  
श्रीसत् अवधि

	१६६०			१६६१			
	समस्त चेत्र	वागान	खान	निर्माणी उद्योग	समस्त चेत्र	वागा। खान	निर्माणी उद्योग
प्रति विवाद श्रीसत्							
समय क्षति							
(मनुष्य-दिन)	४,१६७	१,३०४	२,३०३	५,१६६	३,६२५	१,७३२	३,००३
प्रति विवाद सनिहित							
अभिक सत्या	६३२	३५७	४८३	७०२	३७७	३५०	५२३
विवादों की श्रीसत्							
अवधि (दिन)	६०६	३७	४८	७४	६०६	४८	५७
							१२०

## विवादों का कारणानुसार वर्गीकरण

कारण	१६६०			१६६१			मनुष्य-दिन क्षति (हजार में)
	विवादों की सत्या	सनिहित अभिक (हजार में)	मनुष्य दिन क्षति (हजार में)	विवादों की सत्या	सनिहित अभिक (हजार में)	मनुष्य दिन क्षति (हजार में)	
मजदूरी व भत्ते	५५६	४५५	२५६३	३६६	१२४	१०६५	
प्रदायश (Bonus)	१५६	५२	४२७	६१	४६	१००४	
सेवि वग (Personnel)	३३१	१२०	१२७६	३६१	१५१	१३६२	
अवक्षतन (Retrenchment)	४०	१२	८६	२४	४	३८	
अवक्षण तथा काय के घटे	३६	१६	२३	३६	३५	४०६	
अन्य	३८१	२१०	२०८६	४००	१३७	६८३	
अन्यात	५०	१५	४६	४३	१२	३०	
योग	१,५५६	६८३	६५१५	१,३५७	५१२	४६११	

ओद्योगिक विवाद रोकने तथा उनको सुनभाने के सम्बन्ध में यत्रतत्र विवादों को रोकने तथा सुनभाने के लिये विभिन्न उद्योगों में कर्मचारी समितियाँ, उत्पादन समितियाँ, संयुक्त प्रबन्ध परिषद, संयुक्त समितियाँ आदि गठित ही गई हैं जिसके बारे में सूचना थम ब्यूरो द्वारा उद्योग तथा राज्य आधार पर प्रकाशित की जाती है।

### सामाजिक सुरक्षा तथा थम कल्याण समव-सामाजिक सुरक्षा समर्क

सामाजिक सुरक्षा एक प्रगतिशील विचार धारा है जिसे निर्धनता, भक्तिहीनता और बीमारी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम वा एक अमोष साधन माना जाता है। साधारणतया इसे ओद्योगिक श्रमिकों के लिए ही अपनाया जाता है परन्तु बत्याएँ कार्य राज्य में समाज के विभिन्न वर्गों के लिये भी इस योजना का प्रयोग किया जाता है। इस सम्बन्ध में निम्न अधिनियम पारित किये गये हैं जिनके अन्तर्गत सम्बन्धित सूचना एकत्र की जाती है—

१. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८—Employee's State Insurance Act—यह अधिनियम उन समस्त कारखानों पर लागू है जो वर्षं पर्यंत कार्य करते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हूये २० या अधिक कर्मचारियों को कार्य प्रदान करते हैं तथा इसके अन्तर्गत प्रदत्त लाभों के अधिकारी ४०० रुपये तक पाने वाले कर्मचारी हैं। इसका प्रशासन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाया जाता है।

योजनानगर कर्मचारियों को बीमारी, प्रसूति, अयोग्यता, आधिनता और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्न सामग्री प्राप्त होती है—

२. निगम नियम के आपाधालयों ( dispensaries ) में उपस्थिति, चिकित्सा-लयों में भर्ती तथा घास-गमन ( domiciliary visits )

३. कर्मचारियों का साप्ताहिक अवशादन

४. विभिन्न प्रकार की अयोग्यताओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभों की दर

५. विभिन्न प्रकार के दिये गये लाभों की राशि तथा प्राप्तकर्ताओं की सम्प्ति

६. अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की सम्प्ति तथा द्वेष

७. निगम-कोष की आय का साधन तथा व्यय का विवरण।

उपरोक्त प्रकार की सूचना 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्य' नामक वार्षिक प्रतिवेदन में दी जाती है तथा वार्षिक आधार पर 'अम वार्षिक पुस्तक' में प्रकाशित की जाती है।

१६६-६३ के प्रतिवेदन के अनुसार इस योजना के त्रोत्र में १८७४ लाख कर्मचारी ये जबकि १६६३ ६४ तक अनिरिक्त ४३१ लाख कर्मचारी तथा अनेक परिवारों को इसमें सम्मिलित दिया जायगा।

२ कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम, १९५२, ( Employee's Provident Fund Act )—प्रारम्भ मे यह योजना ६ उद्योगों मे लागू की गई थी परन्तु अब इसके चेत्र मे धीरे धीरे कई उद्योगों का समावेश किया जा चुका है । अधिनियम के अनुमार सम्बन्धित उद्योग मे कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि तथ्यार करने अनुबन्ध किया गया है । सशोधन अधिनियम १९३२ के अनुसार चार उद्योगों मे अधिकान ६५% से बढ़ाकर ८% कर दिया गया है ।

सम्बन्धित सूचना 'कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कार्य' नामक प्रतिवेदन मे दी जाती है और श्रम व्यूरो द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है ।

३. श्रमिक क्षतिपूर्ति अधि नयम १९२३—Workmen's Compensation Act—यह अधिनियम श्रमिकों की ऐसी औद्योगिक दुष्टनाओं और व्यवसायिक बीमारियों से नियोजिता द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान करवाकर रक्खा करता है जिसके कारण या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या वे ३ दिन से अधिक के लिए अपोष्य हो जाते हैं ।

यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर के अतिरिक्त समस्त भारत मे लागू है तथा इसके चेत्र मे कुछ रेल श्रमिक तथा अनुभूची २ मे दिये गये कार्य करने वाले व्यक्ति जो ४०० रुपये तक मासिक मजदूरी प्राप्त करते हैं, सम्मिलित विये गये हैं । आकस्मिक (casual) श्रमिक तथा नियोजिता के व्यापार के अतिरिक्त कार्य के लिए तिदृक्त श्रमिक और सेनाखर्मचारी इसके चेत्र मे अलग रखे गये हैं । जो कर्मचारी, राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आने हैं, उन्हें इसमे सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि उन्हे दुष्टना ग्रादि के लिये उस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होने हैं । रेल, डाक व तार और केन्द्रीय भवन व निर्माण विभाग के कर्मचारी भी इसके चेत्र मे आने हैं । सशोधन अधिनियम, १९६२ के अनुसार विभिन्न अनुबन्धों का चेत्र विस्तृत कर दिया गया है ।

धारा १६ के अनुसार नियोजिता द्वारा राज्य सरकार को  
१ पूरित चंडि दुष्टनाओं की स्था, और  
२ क्षतिपूर्ति की राशि

से सम्बन्धित सूचना दी जाती है । यह सूचना श्रम व्यूरो द्वारा प्रकाशित की जाती है । उपरोक्त सूचना सही स्थिति वा दिमदान करने म असमर्थ है, क्योंकि (१) छोटी दुष्टनाओं, जिनसे अधोन्दना तीन रुपये से कम की होती है, वो सम्मिलित नहीं किया जाता, (२) उन दुष्टनाओं को जिनमे दर्दापि क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना होता है परन्तु नियोजिता नहीं चाहते, घन सम्मिलित नहीं किया जाना और (३) कई संस्थान प्रचालन प्रलूब करने मे असमर्थ रहते हैं । साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा योजना का चेत्र विस्तृत हो रहा है तथा क्षतिपूर्ति अधिनियम का चेत्र संकुचित होता जा रहा है घन सूचना तुलनीय नहीं है ।

मूचना वर्पानुमार, उद्योगानुमार तथा राज्यानुमार दी जाती है। साव ही तुलनात्मक दुर्घटना दर, दुर्घटनाओं का आय-वर्गों में वर्पाइरण, आदि की मूचना भी दी जाती है।

प्रातः सूचना के अनुमार १६५६ की अपेक्षा १६६० में पूरित चतु दुर्घटनाओं की संख्या ७६,२२७ से बढ़कर ८८, ६५५ थी तथा चतुर्वृत्ति राशि क्रमशः ७१,४३,६५४ रुपये और ६४,६३,३०४ रुपये थी। प्रति एक हवार श्रमिकों के पीछे दुर्घटना दर क्रमशः १६,६७ और १६,२१ थी तथा औसत चतुर्वृत्ति राशि ६४ रुपये और १०३ रुपये थी।

४ कोयला खान भविष्य-निधि और अध्यश योजना अधिनियम, १९४८ ( Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 )—

कोयला खान श्रमिकों को भविष्य में पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने तथा दबाव को प्रोत्साहित करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया जो कई बार संशोधित किया जा चुका है।

भविष्य-निधि अ शदान, अध्यश प्राप्त करने वाले श्रमिकों को साथा तथा राशि आदि मूचना थम व्यूरो द्वारा प्रकाशित ही जाती है।

इस अधिनियम के अधीन राजस्थान, असम, आनंद और विहार म भविष्य-निधि और अध्यश योजना कार्य कर रही है।

५ प्रसूति लाभ अधिनियम-Maternity Benefits — विभिन्न राज्यों में अपने-अपने प्रसूति-लाभ अधिनियम कार्य कर रहे हैं और थम व्यूरो द्वारा राज्यानुमार स्थियों की संख्या

अ. जो प्रसूति लाभ का दाता करती है,  
ब जिन्ह शुरूएन या अ शन लाभ दिय जाने हैं, और  
स दो गई लाभ-राशि के धारडे प्रकाशित किये जाने हैं।

उपरोक्त विभिन्न अधिनियमों के अतिरिक्त देश में कई थम अधिनियम भी हैं जिनके अन्तर्गत थम व्यूरो द्वारा समक्ष प्रकाशित किये जाने हैं।

### थम कल्याण समक

थम कल्याण के सबोर ( concept ) का ग्राह विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न लगाया जाता है। भारतीय थम वर्पिक पुस्तक के अनुमार थम कल्याण में ऐसी नेवाएं और सुविधाएं समिलित हैं जो सास्थान में या पडोन में श्रमिकों को अपना वार्य स्वम्य और सुखद चाहावरण में बरने के योग्य बनाने हैं। इस प्रकार थम कल्याण में प्राराम

व आनोद-प्रभोद मुविवा, यातायात सुविधा, अल्पाहार गृह, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधा, आदि सम्मिलित हैं। स्त्री-धर्मिकों के सम्बन्ध में बाल-गृह (creches) भी प्रावश्यक हैं।

कल्याण कार्य केन्द्रीय तथा राज्य भरकारों के अतिरिक्त, नियोक्ता तथा कर्मचारी सभों द्वारा भी किया जाता है। साथ ही कई वैज्ञानिक कल्याणकारों कोष भी इस सम्बन्ध में बनाए गए हैं। अभ्रक, खान घम कल्याण कोष आद्य, राजस्थान और विहार में बनाए जा चुके हैं। लौह खानों के लिए भी एक कोष है।

सम्बन्धित सामग्री का प्रबालान 'भारतीय थ्रम वार्षिक पुस्तक' में किया जाता है।

### समक सग्रह अधिनियम, १९५३ और

#### नये थ्रम समक

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत थ्रम समक एकत्रित करने के लिये थ्रम आंतर रोजगार मन्त्रालय द्वारा निम्न नये नियम बनाये गये हैं—

अ. समक सग्रह (थ्रम) केन्द्रीय नियम, १९५६ और

ब. समक सग्रह (थ्रम) राज्य नियम

इन नियमों के अन्तर्गत निम्न तथ्यों से सम्बन्धित समक एकत्रित किये जाने हैं—

१. बस्तु मूल्य, २. उत्स्थिति, ३. रहने की दशाएँ—मकान, पानी व स्वच्छता सहित, ४. छृणुप्रभत्ता, ५. मकान किराया, ६. भजदूरी तथा अन्य आद्य, ७. धर्मिकों के लिये भविष्य-निधि और अन्य निधि, ८. धर्मिकों के लिए प्रयुक्त नाम तथा सुविधाएँ, ९. काम के घटे, १०. रोजगार तथा वेतोजगार, ११. श्रीदीगिक व थ्रम विवाद, १२. थ्रम प्रस्तिथापिता, १३. धर्मिक साध।

केन्द्रीय नियमों के अन्तर्गत उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम द्वी प्रयम अनुनूचों के उद्योगों में भेदायोर्जित धर्मिकों के सम्बन्ध में वैमानिक समक एकत्र किये जाने हैं तथा उपरोक्त उद्योगों के अतिरिक्त उद्योगों से सम्बन्धित समक राज्य नियमों के अधीन एकत्र किये जाने हैं।

आर्यिक शिया के समस्त देशों से सम्बन्धित श्रीदीगिक विवाद समक एकत्रित बरते हेतु अन्य नियम, समक संग्रह (श्रीदीगिक और थ्रम विवाद) नियम तथ्यार किये गये हैं।

#### थ्रम समक का आलोचनात्मक मूल्यांकन

उपरोक्त पृष्ठों में थ्रम समकों के द्वेष और व्याप्ति का विस्तृत विवरण किया गया है। साथ ही साथ व्याप्ति वा भी उल्लेख किया गया है। विवेचन से रपट है कि प्रत्येक वर्ष के समक अनुलनीय है क्योंकि द्वेष और व्याप्ति तथा श्रीदीगिक वर्गीकरण में भिन्नता रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय थम सागठन ने कुछ मूल भूत आधारों पर थम समझौते एकत्रित बताने की सिफारिश की है। साय ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि समक सश्रह विविध व्याप्ति और उनके प्रत्युत्तीवरण में विशेष परिस्थितियों और देश की आवश्यकतानुनाम परिवर्तन किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाष निरिचत करने का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि समस्त राष्ट्रों के समझों का अन्तर्राष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।

देश में प्राप्त थम समझों में निम्न विभिन्न पाइ जानी हैं—

१. रोजगार के आकड़ों की व्याप्ति और तेज में सुधार की आवश्यकता है। वृत्ति हीनता के सम्बन्ध में विश्वसनीय समझों का अभाव है। कारखानों, खानों और राज सम्पादनों के अतिरिक्त रोजगार के समझों की स्थिति दृष्टिनीय है। छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में इस प्रकार के समक एकत्र नहीं लिये जा रहे हैं। वृत्ति हीनता की स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है क्योंकि अधिकाश वृत्ति हीन व्यक्ति सेवा योजनानामों में पढ़ी बरए नहीं बरवाने।

२. प्रकाशन में देरी—वई प्रकार के समक तो लगभग दो वर्ष बाद तक प्रकाशित हो पाते हैं परन्तु अब स्थिति में वापसी सुगर हो रहा है।

३. मजदूरी समक बहुत ही प्रयोगी है—मजदूरी के अतिरिक्त अभिन्नों को अन्य प्रकार की सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं जिनकी सूचना एकत्र नहीं की जा रही है।

४. थम उत्पादकता के आकड़ों का पूर्ण अभाव है यद्यपि कोयला खाने अभिन्नों की उत्पादकता के समक एकत्रित किय जा रहे हैं।

५. समक तुलनात्मक नहीं है क्योंकि समय पर सब राज्यों से मूचना नहीं मिलने के साथ ही औद्योगिक वर्गों के भी समय-समय पर बदलता रहता है और विभिन्न अधिनियमों का द्वेष और व्याप्ति बदलती रहती है। उदाहरणार्थ प्रति वर्ष कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का द्वेष व्यापक होता जा रहा है और अमिक द्वितीय अधिनियम का द्वेष उसी तरह सकुचित हो रहा है।

थम व्यूरो और केन्द्रीय सास्थितीय सागठन का प्रयास इस सम्बन्ध में सराहनीय है और समझों की स्थिति में वापसी सुधार हो रहा है।

## अध्याय ११

### वित्त समंक

( Financial Statistics )

देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से बताने के लिये वित्त का समयालुक्त प्रबन्ध आवश्यक है। इसके अल्टर्नेट अधिकोपण, सावंजनिक वित्त, निजी वित्त, दीमा, विदेशी विनियम, स्कन्ध विपणन, आय, बचत और विनियोग आदि समस्त पहलू आ जाने हैं। वर्तमान काल में वित्त की महत्ता पर अधिक प्रकाश ढालना चाहिए है क्योंकि इसी पर आज की अर्थ व्यवस्था आधारित है। वित्त को 'मुद्रा का विज्ञान' सही कहा गया है। मुद्रा चाहे साथ द्वारा प्राप्त की जाय या अन्य प्रकार से, वर्तमान विनियम अर्थ-व्यवस्था में घन उत्पादन और विनरण के लिए मुद्रा का प्रयोग वाक्तीप है। यह सही है कि मुद्रा का अनुत्पादक तथा परिकल्पी कार्यों के लिये प्रयोग अर्थ व्यवस्था के लिये धातक सिद्ध होता है। अतः स्कन्ध विपण आदि के परिकल्पित कार्यों का सदैव अध्ययन करना अनिवार्य है।

इसी प्रकार वित्त समंक राज्य के आय और व्यय का व्योरा बताते हैं तथा देश की अर्थ व्यवस्था के भोड़ की मौके प्रस्तुत करते हैं। योजना की सफलता साधनों की गतिशीलता पर निर्भर करती है और सावंजनिक वित्त इसमें महत्व प्रदान करता है। कर-व्यवस्था, सावंजनिक व्यष्टि, साथ नियन्त्रण, सौदिक नीति आदि द्वारा राज्य देश के साधनों की गतिशीलता को भोड़ दिया जाता है तथा राष्ट्रीय धन का उचित वितरण करते में भी महयोग प्रदान करता है। अतः यह आवश्यक हो जाना है कि वित्तीय समझों वा अध्ययन कर राज्य नीति इन प्रकार से निर्धारित की जाय कि राष्ट्रीय साधनों का पूर्ण प्रयोग हो, उत्पादन तीव्र गति से बढ़े तथा देश के धन का समाज में समुचित वितरण हो।

वित्त समंकों का अध्ययन निम्न आधार पर किया जाता है—

( अ ) सावंजनिक वित्त

१. केन्द्रीय सरकार ( i ) केन्द्रीय बजट—केन्द्रीय बजट का आयिक वर्गीकरण—  
( ii ) रेल बजट

२. राज्य सरकार

३. स्थानीय निकाय नगरपालिका, जिला बोर्ड, पचायन

४. सावंजनिक व्यष्टि

( ब ) अन्य वित्तीय समंक .

१. अधिकोपण

## २. चलार्थ ( Currency )

३. बीमा

४. विदेशी विनियम तथा विदेशी पूँजी

५. अन्य वित्तीय निगम

६. शोधन-शेष ( Balance of Payments )

## सार्वजनिक वित्त संकेत ( Public Finance Statistics )

सार्वजनिक वित्त संकेत का अर्थ राज्य की आय और व्यय से है। सरकार के द्वाया प्राप्ति के साधन कहीं हैं और इसी प्रकार व्यय की मर्दें भी अनेक हैं। अत्याएकारी राज्य में साधारणतया आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है, और राज्य को इसका प्रबन्ध देश में या बाहर से करण प्राप्त करके करना होता है। लगभग सभी देशों में सार्वजनिक आय और व्यय के साथ-साथ सार्वजनिक करण की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी है। १९६२-६३ में आय और व्यय की संशोधित राशि क्रमशः १५०००२५ करोड़ रु० और १५२२३१ करोड़ रु० है जबकि १९६३-६४ के बजट अनुमान क्रमशः १५८५७३ करोड़ रु० और १६५२४ करोड़ रु० है।

बत्तमान में भारत की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था सधानीय वित्त व्यवस्था है। भूगोल में यहा ऐकिक प्रशासन पद्धति थी तथा राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से अपने अधिकार प्राप्त करती थीं। उनके स्वतंत्र अधिकार नहीं थे। धीरे-धीरे प्रान्तीय स्वायत्त शासन पद्धति प्रयोग में लाई गई। १९१२ से पूर्व केन्द्र तथा राज्यों का कार्य वितरण अद्वैत्यादी-सा था जिसे इस वर्ष ( १९१२ ) स्वार्ड किया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् २६ जनवरी १९५० से भारत गणतंत्र घोषित किया गया और संविधान लागू हुआ। संविधान द्वी संतम अनुसूची में तीन सूचिया सध, राज्य और समवर्ती-दी गई हैं तथा संविधान के अनुच्छेद २४६ के अनुसार सध सूची में दिये गये किसी विषय से सम्बन्धित नियम बनाने का संसद वो एकाधिकार है, राज्य सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में विधान सभा को एकाधिकार है तथा समवर्ती ( Concurrent ) सूची के विषयों के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार संसद तथा विधान सभा, दोनों को है। इन तीनों सूचियों में क्रमशः ६७, ६६ और ४७ विषय हैं। संकट की अवस्था में राज्य सूची के विषयों के सम्बन्ध में संसद द्वारा भी अनुच्छेद २५० के अनुसार नियम बनाये जा सकते हैं।

संविधानानुसार सध और राज्य की आय के स्रोत स्पष्ट कर दिये जाते हैं। अनुच्छेद २६८ के अनुसार सध सूची से सम्बन्धित कुछ दिवयों पर मुद्राक ( Stamp ) द्वाया उत्पादन शुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाते हैं परन्तु केंद्र प्रशासित प्रदेशों में इनका संप्रह वेन्द्रीय सरकार द्वारा तथा अन्य स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है।

इसी प्रकार कुछ शुल्क तथा कर अनुच्छेद २६६ के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये तथा संग्रह किये जाने हैं परन्तु वे राज्यों को बाट दिये जाते हैं। अनुच्छेद २७१ के अनुसार कृषि आय के अतिरिक्त आय कर के द्वारा लगाये तथा संग्रहित किये जाने हैं और संघ तथा राज्यों के बीच बाट लिये जाते हैं। अनुच्छेद २७१ के अनुसार संसद अनुच्छेद २६६ और २३० के अधीन शुल्क तथा करों में वृद्धि अधिभार (Surcharge) लगाकर करती है जिसका संघ कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है तथा भारत की 'संघनित निधि' (Consolidated Fund of India) का अग्र होता है। संविधान द्वारा स्थानीय निवाय जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड, पवायतों के आय के संघन स्पष्ट नहीं किये गये हैं और राज्य भवनी राज्य सूची के विषयों से संघनित कर पूर्णतया घटात, स्थानीय निवाय को देने में स्वतंत्र है।

केन्द्र के आय और व्यय निम्न भागों में बाटे गये हैं—

(१) भारत की संघनित निधि (Consolidated Fund of India) अनुच्छेद २६६ के अनुसार केन्द्र द्वारा प्राप्त समस्त आय, कोषगार विपत्र (Treasury Bills) या अचल नियमित करके या मर्थोनाय अग्रिम (ways and means advances) द्वारा प्राप्त अचल तथा अचलों के भुगतान के लिये प्राप्त राशि एक संघनित निधि का अग्र होती है जो 'भारत की संघनित निधि' कहलाती है। इसी प्रभार की निधि उपरोक्त कार्यों के लिये राज्य सरकार द्वारा भी रखी जाती है जो 'राज्य संघनित निधि' (Consolidated Fund of the State) कहलाती है।

उपरोक्त निधि में से द्रव्य केवल मसदू के विवेक द्वारा ही निकाला जा सकता है तथा संविधान में सनिहित वार्ताओं के लिये ही इसका प्रयोग किया जा सकता है।

(२) सार्वजनिक खाता (Public Account)—केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अन्य सार्वजनिक राशि 'भारत के सार्वजनिक खाते' (Public Account of India) या 'राज्य के सार्वजनिक खाते' (Public Account of the State) में जमा की जाती है।

(३) सम्भाव्यता निधि (Contingency Fund)—अनुच्छेद २६७ के अनुसार सत्रद् विशान के अनुसार एक सम्भाव्यता निधि जो 'भारत की सम्भाव्यता निधि' कहलाती है, इतनी है जिसमें समयन्याय पर विवादानुसार निर्धारण की गई राशि जमा की जाती है। यह निधि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद ११६ या ११६ के अनुसार संसद की स्वीकृति के विचाराधीन होने के समय अनुमति (unforeseen) व्यय के लिए अग्रिम के रूप में दी जाने के बाहर में ली जाती है।

इसी प्रकार की निधि प्रत्येक राज्य में भी रखी जाती है जो राज्य सम्भाव्यता निधि कहलाती है तथा जो राज्य के राज्यपाल के अधिकार में रहती है।

अग्रे केन्द्रीय वित्त समक्ता के संविस्तार बर्णन किया गया है।

मंधीय वित्त सम क  
( UNION FINANCE STATISTICS )

बेन्द्रीय सरकार से समन्वित वित्त समक या राष्ट्रीय वित्त समक ( Annual Financial Statement ) या बेन्द्रीय बजट में मिलते हैं। रेल वित्त समक रेल बजट में दिये जाते हैं जिसका प्राप्तिक्षय ( surplus ) बेन्द्रीय बजट में दिखाया जाता है। ये समक केन्द्र, राज्य सरकारों और कई ग्रदृश सरकारों प्रवाशनों में भी प्रकाशित किये जाते हैं। प्रथम थोगी में उपरोक्त प्रकाशनों के अतिरिक्त बेन्द्रीय साम्बिकीय सुगत द्वारा प्रकाशित of Statistical Abstract of India और Abstract of Statistics हैं तथा दूसरी थोगी में रिजर्व बैंक आव इडिया द्वारा प्रकाशित Reserve Bank of India Bulletin ( मासिक ) तथा Currency and Finance पर वार्षिक प्रतिवेदन है।

बेन्द्रीय सरकार के बजट में आय और व्यय के समक निम्न दो शीर्षकों में दिये जाते हैं—

( अ ) आगम लेना ( Revenue Account ).

( ब ) पूँजी लाना ( Capital Account )

आगम लेने में बेन्द्रीय सरकार वे विभिन्न भावानया तथा अन्य विभागों के चाहूं आय और व्यय की सूचना तथा पूँजी लाने में ऋण से आय, पूँजी विनियोग आदि और पूँजी उद्दय ( capital outlay ), सरकार द्वारा दिये गये ऋण, ऋण के मुगनान पर व्यय, नोपालार विपत्र ( Treasury Bills ), तथा अर्थोंपाय अधिक्षम ( ways and means advances ) की सूचना दी जाती है।

फृंग तालिका में बेन्द्रीय सरकार के सघनित ( consolidated ) प्राप्ति और मुगनान ( आगम तथा पूँजी लाने में ) की सूचना भी गई है —

## भारत सरकार की आयव्ययक स्थिति

(Budgetary Position of the Govt. of India)

(करोड रुपये)

प्रथम पचवर्षीय योजना काल का योग (१९५१-५२ से १९५५-५६)	द्वितीय पचवर्षीय योजनाकाल का योग (१९५६-५७ से १९६०-६१)	१९६२-६३ (संशोधित)	१९६३-६४ (बजट)
---	--	----------------------	------------------

## १. आगम लेखा(Revenue Account)

अ. आगम	२,२३२.४५	३,५६२.८७	१,३४२.३२	१,६१६.६१
ब. व्यय	१,६८२.६७	३,३४२.८७	१,३६४.३८	१,६६७.६८
स. आधिकार्य(+)/या वमी(-)	+२४६.४८	+२२०.००	-२२.०६	-०.७७

## २. पूँजी खाता

अ. प्राप्ति	१,०५३.५८	३,०७५.८२	१,२३३.७०	१,६१८.६२
ब. मुग्धान	१,६६९.०६	४,२३१.८२	१,५१५.६२	१,७७८.२७
स. आधिकार्य(+)/या वमी(-)	-६४४.४८	-११५६.००	-२७६.२२	-१५६.६५

## ३. विविध (शुद्ध)

	-८.११	+१८.००	+६.५०	+६.३७
--	-------	--------	-------	-------

## ४. समस्त आधिकार्य(+)/या

वमी(-)				
(१८+२८+३) " "	-४०३.११	-६१८.००	-२८८.७८	-१५१.०५
निम्न के द्वारा वित्त-व्यवस्था करना				
अ. कोषागार विषय (वृद्धि (-))			२६०.००	-१५१.००
ब. रोकड़ शेष (वमी (-))			+१.२२	-०.०५
(१) प्रारम्भिक शेष	....	..	४६.४०	५०.६२
(२) अन्तिम शेष			५०.६२	५०.५७

केन्द्रीय सरकार के आय और व्यय (आगम लेखा) —

केन्द्रीय सरकार के (आगम लेखे में) आय के निम्न लिखे हैं —

## १. आय और व्यय पर कर .

(१) आप पर कर के अतिरिक्त, राज्यों के हिस्से को कम करने  
हुए, अर्थात् विशुद्ध प्राप्ति

- (२) निगम कर  
 (३) व्यय कर (१ अप्रैल १९६२ से समाप्त)
२. सम्पत्ति तथा पूँजीगत सौदों पर कर :
- (१) सम्पत्ति शुल्क (Estate Duty) राज्यों के हिस्से को कम करते हुये अर्थात् विशुद्ध प्राप्ति
  - (२) धन पर कर
  - (३) उपहार कर
  - (४) मुद्राक तथा प्रबोकरण (Monetary and Registration)
  - (५) भू-राजस्व
३. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर .
- (१) सीमा शुल्क  
 आयात पर  
 नियंत्रित पर
  - (२) अन्य राजस्व, प्रत्यर्पण (refund) कम करते हुये अर्थात् विशुद्ध प्राप्ति ।
  - (३) संघीय उत्पादन शुल्क राज्यों के हिस्से को कम करते हुये अर्थात् विशुद्ध प्राप्ति
  - (४) रेल यात्री भाड़े पर कर, राज्यों के हिस्से को कम करते हुये-अर्थात् विशुद्ध प्राप्ति
  - (५) अन्य कर तथा शुल्क
- उपरोक्त तीनों मदों का योग कुन कर राजस्व होता है ।
४. प्रशासकीय प्राप्ति
५. सार्वजनिक स्थानों का विशुद्ध ग्र शदान .
- (१) रेल
  - (२) डाक व तार
  - (३) चलार्थ और टक्का (Currency and mint)—  
 (रिजर्व बैंक आव इ डिया का लाभ)
  - (४) अन्य (वन, इफेम, सिंचाई, विद्युत, सड़क तथा जल यानायात्र योजनाएँ, १९६२-६३ में वाणिज्यिक तथा अन्य स स्थानों से लाभारा)
६. अन्य राजस्व
- केन्द्रीय सरकार के (ग्राम लेसे में) व्यय के निम्न मद हैं—
१. कर, शुल्क और अन्य मुद्य राजस्व का स ग्रह

२. असेंनिक प्रशासन (सामान्य प्रशासन, अंकेढण, न्याय, जेल, पुलिस, वनजाति देश और विदेश विभाग का प्रशासन)
३. प्रतिरक्षा सेवाएं
४. क्रहण सेवाएं (Debt Services)
५. निवृत्ति देनन (Pensions), अधिवापिकी (Superannuation) और निजी धनी (Privy Purse)-भत्ते सहित
६. असाचारण प्रभरण (charges)-(ग्राहिक-ग्रान्ट-उपजाप्रो योजना, प्राकृतिक संकट में सहायता)
७. विविध
८. सामाजिक और विकासात्मक सेवाएं (मिचाई और बहुदेशीय नदी योजनाएं, दब्दरामाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आम विकास, पशुपालन, सहवारिता, उद्योग, प्रसारण, सामुदायिक योजना आदि)
९. अशदान और संघ तथा राज्य सरकारों के द्वीच विविध समायोजन
१०. अन्य व्यय (अकाल, लेखन-सामग्री तथा दूसाई, नागरिक सुरक्षा, विभाजन-पूर्व के भुगतान)

निम्न तालिका में केन्द्रीय सरकार के राजस्व और व्यय (आगम लेखा में) के समेकित (consolidated) समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं—

### भारत सरकार के राजस्व और व्यय (आगम लेखा)

(करोड़ रुपयों में)

प्रथम पचवर्षीय द्वितीय पच योजनाकाल वर्षीय योजना १९६२-६३ का योग काल का योग (संयोधित) (१९५१-५२ (१९५६-५७ से १९५५-५६) से १९६०-६१	१९६३-६४ (वजट)
--	------------------

### राजस्व

१. माय और व्यय पर कर	५८६६५	८१०६०	२६४६३	३४७०१५
माय पर कर, निगम कर				
के घटिरिकन	६६४०७	८०३६८	१७२०५०	२१८००
कम-राज्यों का हिस्सा	२७८२४	३७४६७	६५२७	६७०६५
विशुद्ध प्राप्ति	३८५८३	४२६०१	७७२३	१२००५
निगम कर	२०११२	३७६२५	१६७०५०	२२७००
व्यय कर	...	२३४	०२०	०१०

२ सम्पत्ति तथा पूँजीगत सौदो

पर कर	१३ ६६	५८ ४४	१५ ४०	१६ ०४
सम्पत्ति शुल्क	२ ६२	१३ १२	४ ००	४ ००
कम-राज्यों का हिस्सा	२ ४३	१२ ८६	३ ८८	३ ८८
विशुद्ध प्राप्ति	० १६	० २६	० १२	० १२
घन पर कर		३६ ६७	६ ००	६ ४०
उपहार कर		२ ६८	० ६५	० ६५
मुद्राक तथा पूँजीकरण	८ १०	१५ ६२	४ ६४	४ ८७
भू राजस्व	५ ४०	२ ६१	० ६६	० ७०
३ वस्तुओं और सेवाओं पर				
कर	१,३७२ ६३	२,१२५ ६६	६७२ ८५	८८१ ३६
सीमा शुल्क				
आयात पर	६४८ ३०	६६८ ४२	२२४ ३२	३०६ ६४
निर्यात पर	२६४ ३७	१०४ ३५	६ ३३	३ ८५
आय राजस्व	२१ ८८	३७ ७७	६ ५०	६ ५०
कम प्रत्यापण Refunds	१८ ८४	२२ ८६	८ ५०	८ ५०
विशुद्ध प्राप्ति	६१५ ७१	८१७ ६५	२३१ ६५	३०८ ५६
शाषीय उत्पादन शुल्क	५१७ २६	१५५३ ६६	५५३ ६६	७०० १७
कम-राज्यों का हिस्सा	६४ ०६	२८१ २३	१२४ ६१	१३७ ६७
विशुद्ध प्राप्ति	४५३ २०	१२७२ ७६	४२८ ७८	५६२ ५०
रेल यात्री भाडा कर		४४ ६२		
कम-राज्यों का हिस्सा		४२ १६		
विशुद्ध प्राप्ति		४ ४६		
आय कर तथा शुल्क	४ २	३२ ८२	१२ ४२	१४ ३०
४ कुल कर राजस्व (१+२+३)	१६७२ ५७	२६६४ ७३	६५३ १८	१२४८ ५८
५ प्रशासकीय प्राप्ति	६६ ५८	२२६ ०५	५६ ५३	४८ ६४
६ सार्वजनिक सहायता का				
विशुद्ध अर्था दान	११५ ०६	२१० ६३	७३ ३७	८६ ०५
रेल	३३ ४७	२८ ८१	२० ७१	२४ १५
डाक और तार	१३ ७७	२२ ०४	० ७६	१ ११

## वित्त मंत्रक

अ. ११ ]

चलाये और टक्के	६६.३१	१५६.८६	४७.६०	५६.४३
(रिजर्व बैंक का लाभ)	(६५.८४)	(१६०.००)	(४३.५०)	(४४.५०)
अन्य	१.५१	०.२२	४.३०	४.३६
७. अन्य राजस्व	७४.२४	१३१.१६	२५६.२४	३१३.६४
८. कुल राजस्व (४+५+६+७)	२२३२.४५	३५६२.८८	१३४२.३२	१६६६.६१

## व्यय

१. कर, शुल्क और अन्य प्रमुख राजस्व का सम्बह	५८.४१	६३.७२	२३.०७	२३.८३
२. अद्वैतिक प्रशासन ...	१३८.३४	२३८.८८	७६.३६	८८.२८
३. प्रतिरक्षा नेतायाँ ...	८६५.६७	११७८.२१	४५१.८१	७०८.५१
४. क्रष्ण सेवायाँ	१६६.१८	२७६.२४	२४६.०३	२८०.२४
(Debt Services)				
५. निवृत्ति बेतन, अधिवार्पणी की और निवृत्ति धनी (भते सहित)	४२.८३	४७.७३	१०.६४	१०.६८
६. असाधारण प्रभरण	३८.६२	३.६८	६४.३६	८५.६७
७. विविध	१८१.२४	३८४.६५	८५.४५	८६.२६
८. सामाजिक और विकासी-त्वक सेवायाँ	२७६.३२	८८४.४६	१८८.६६	१८६.०१
९. अशादान और साप तथा राज्य सरकारों के द्वीप विविध समायोजन	१३१.६८	२१७.६०	२१३.५६	२२०.६७
१०. अन्य व्यय	२०.६८	१७.४०	४.०५	३.६३
११. कुल व्यय	१६८२.८७	२३४२.८७	१३६४.३८	१६६६.६८
आधिकार्य (+) या कमी (-)	+२४६.४८	+२२०.००	-२२.०६	-०.७७

भारत सरकार का पूँजी बजट

भारत सरकार वी प्राप्तिय तथा भुगतान आगम लेखे तक ही समिति नहीं रखे जा सकते क्योंकि कई ऐसे पद हैं जिन्हें बजट के आगम लेखे में सम्मिलित नहीं किया जा

सकता। केन्द्रीय सरकार आन्तरिक और बाह्य भोतों से ऋण प्राप्त करती है तथा रेत द्वारा भी पूँजीगत प्राप्ति की जाती है। इसी प्रकार से रेल, डाक और तार, नदी गाड़ी पौजनाएं आदि पदों पर पूँजीगत भुगतान भी किये जाते हैं। पूँजी घरते में सम्मिलित किये जाने वाले मद्द इस प्रकार हैं —

अ — प्राप्ति

१. ऋण ( आन्तरिक-बाह्य विशेष अन्तर्काल ऋण, अन्तर्राज्य ऋण समझौते)
  २. कोपागार निकेत प्राप्ति ( Treasury Deposit receipts )
  ३. इताम्बी बांड
  ४. स्वर्ण बांड
  ५. अल्प बचत
  ६. अन्य अन्तर्कालीन ऋण ( Unfunded Debts )
  ७. अनिवार्य जमा ( Compulsory Deposit )
  ८. समुक्त-राज्य सरकार की प्रतिस्थप जमा निवि का विनियोग ( Investment of U S Government )
  ९. रेल निवि
  १०. अन्य सचिन निवि
  ११. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत जमा
  १२. राज्य द्वारा ऋण का प्रतिशेषवत
  १३. विशेष विकास निवि
  १४. सम्भाव्यता निवि ( Contingency Fund )
  १५. अन्य पद
- १ से १५ नंबरों का योग कोपागार विषय के अतिरिक्त कुल प्राप्ति होती है।

ब — भुगतान

पूँजी लागत ( Capital Outlay )

अदिकासात्मक

१. प्रतिरक्षा

२. निवृति बेनत की संराशि का भुगतान ( Payment of Commuted values of pensions )—

३. राज्य-व्यापार योजनाएँ

४. चलार्थ, टकन और प्रतिभूति मूद्रणालय

( Currency, Mint and Security Printing Press )

५. अन्य ( अमरीकी ऋण ) गेहूं की विक्रय राशि वा हस्तान्तरण, सम्भाव्यता निधि, विस्थापित व्यक्तियों को भुगतान आदि )

दिकासात्मक.

१. रेज़

२. डाक और तार

३. असैनिक विमान बहन

४. तिचाई और बहुदेशीय नदी योजनाएँ

५. असैनिक कार्य

६. ग्रोथोगिक विकास

७. अन्य ( विकास कार्यों के लिए राज्यों को अनुदान )

उपरोक्त विकासात्मक और अदिकासात्मक पदों का योग बुल पूँजी लागत होती है।

भुगतान के अन्य मद, राज्यों को दिये गये ऋणों और अधिक के विमोचन आदि से सम्बन्धित निम्न हैं—

१. स्वायी ऋण का उन्मोचन ( discharge )

( आन्तरिक-दाहा )

२. विशेष अन्पकालीन ऋण ( Special Floating Debt ) का उन्मोचन

३. अन्तर्राज्ञ ऋण भुगतान

४. राज्यों को अधिक

५. अन्य ऋण तथा अधिक

बुल पूँजी धारा और उपरोक्त भुगतानों के योग की राशि केन्द्रीय सरकार के पूँजी सारे के बुल भुगतान होते हैं।

निम्न तालिका में केन्द्रीय सरकार का पूँजी बजट दिया गया है—

भारतीय सांख्यिकी  
भारत सरकार का पूँजी बजट

[ अ ११ ]

( करोड रुपयों में )

	प्रथम वचन- वर्पीय योजना का योग	द्वितीय वचन- वर्पीय योजना का योग	१९६२-६३ (संशोधित)	१९६३-६४ (बजट)
<b>प्राप्ति</b>				
ऋण				
आन्तरिक	३८७.५२	६३०.६८	२७६.८७	३६३.००
बाह्य	६६.३८	६६२.२५	३७६.५०	४६२.४३
विशेष अन्यकालीन (Floating) ऋण	—	७४.८८	३.४५	३.४५
अन्तर्राज्य ऋण समझौते	१५.४२	१.५५	१.७६	—
इनामी बांड	—	१५.६३	५.००	६.००
स्वर्ण बांड	—	—	७.००	१.००
अन्य वचत	२३८.१२	३६३.३०	—	—
अन्य अन्यकालीन (unfunded) ऋण	६६.६७	१२६.४६	४४.७०	४६.६२
अनिवार्य जमा	—	—	—	४०.००
संयुक्त राज्य सरकार की प्रति- रूप जमा निवि का विनियोग	—	२४०.४१	६०.००	६०.००
रेल निधि	३.६६	-७०.६७	१.७७	२२.०४
अन्य सञ्चित निधि	२.६७	१२.२०	८.१८	१४.०६
आप कर अविनियम के अन्त- र्गत जमा	-६८.७०	-१७.६२	-०.३८	-०.१६
राज्यो हारा ऋणो का प्रति- शोधन	८१.६२	३३४.२६	१७०.६६	१६४.८३
विशेष विकास निधि	१५७.३७	२६६.६६	२६४.७८	१२६.१५
सम्भाव्यता निवि	—	२.००	—	—
अन्य पद	८१.०५	१८.७६	२६.०८	१०५.८८
कुल प्राप्ति (नोयागार विषय के अन्तरिक्त)	१०५३.५८	३०७५.८२	१२३६.७०	१६१८.६२

## भुगतान

प्रतिरक्षा	४२३५	१४००१	४२७५	१५८७२
निवृत्ति बेतन की सराई का				
भुगतान	-३६६४	-६५४८	-३६०	-३५६
राज्य व्यापार योजनाएँ	२६४	११६०१	१२६६	४६६६
चलाई, टकन और प्रतिभूति				
मुद्रणालय	८८८	८७४०	१३७६	११६२
रेल	१२१८८	५४६२७	२०३००	२१८१०
बाक और तार	३७५१	५०४७	१४६२	२८००
शरीनिक विमान बहन	८६६	१५५७	३१५	३६६
सिनाइ और बहुउद्दीपन नदी				
योजनाएँ	१५८०	१४८५	४५८	१०६८
शरीनिक नदी	७७७१	१२०७१	६३५२	७५४६
श्रीलोमिक विवास	३८२६	५५०६७	१७६६८	२२४००
अन्य मद	१२४८०	२७२२७	१२८४०	११०२८
बुत पूजी लालन	४७६२५	१८२५०५	६७२८५	८८७३७
स्थायी क्षण उन्मोचन				
आतंरिक	३१३२६	३६४६५	१८३००	१८०००
वाह्य	१७६५	४५०७	४७४६	५१२७
दिरोप अलंपवालीन क्षण				
उन्मोचन	—	१२१३०	—	३४३
अन्तर्राम्य क्षण उन्मोचने	१७८	१७३	—	०६०
राज्यों को अधिन	८०८५४	१४२०६४	५२३१५	५४३०८
मन क्षण और अधिन	७६५८	५०१३८	८८४६	११४२२
बुत भुगतान	१६६८०६	४२३१८२	१५१५६२	१७७८२७
अधिनय (+) या कमी (-)	-६१४८८	-११५६००	-२७६२२	-१५८६५

केन्द्रीय सरकार के राजन्व और पूँजी बजट के अनिवार्य भारत सरकार के द्विमुद्दायी सूचना निम्न है—

१. नीमा शुल्क राजन्व और व्यय—बिलमें आकात और नियंत्रण पर न्यूनी नीमा शुल्क का विवरण दिया जाता है। आकात का तीन समूहोंमें वर्गीकरण दिया जाता है। मध्यन्वीका शुल्क और चापु सीमा शुल्क वी सूचना अलग से दी जाती है। दीनांशु व संदर्भ व्यय का विवरण आठ नदोंमें दिया जाता है।

२. नंदीय उपादान शुल्क के अन्तर्गत प्राप्ति और व्यय—

( Receipts and Expenditure under Union Excise Duties )—जिनमें कुन जथा विशुद्ध प्राप्ति, प्राप्तिरंग ( Refunds ) तथा प्रदर्हण ( Drawbacks ), और संदर्भ व्यय की सूचना दी जाती है। उत्तरात शुल्क दस्तों औं प्रदाता तथा गौण दस्तोंमें दाता जाता है तथा विभिन्न दस्तोंवीं द्वारा पूर्व दिए जाती है।

३. नियम कर के अन्तर्गत प्राप्ति तथा व्यय बिलमें प्राप्ति निम्न नदोंके अनुसार दिवार्द गई है—

१. नियम कर

२. अनियम कर

४. आय पर कर ( नियम करके अनिवार्य ) के अन्तर्गत प्राप्ति तथा व्यय—प्राप्ति निम्न नदोंके अन्तर्गत दिवार्द जाती है—

अ. आय कर

ब. अविकर कर

म. आधिकार ( Surcharge )

द. अनियम कर

५. अर्फीम का राजन्व व्यय—

केन्द्रीय बजट का आर्फीम वरण

केन्द्रीय बजट एवं ऐन न्य में प्रस्तुत विया जाता है विसमें वर्ण न्य नम्बिन्त राजन्व और व्यय का नियवण एवं आदिकरण सुगम होता है। वह रूप बहुत भनद के अनुनव के दाइ प्राप्त हो पाया है तथा सतीयप्रद है। फिर भी बजट में प्रस्तुत विये गये अम्बव आर्फीम विवेषण के योग्य नहीं हैं वर्षेवि ये दश वीं अध्येत्वम्या पर बजट प्रभावों का प्रभाव देनाने में असमर्थ रहते हैं।

दर्शनान वर्गिकरण में उपर्योग व्यय को चाहू व्यवहारों ( transactions ) में जो व्यक्तियों और सम्बानों की आय की अनुरूपि ( supplement ) करते हैं, वृषक दिवाया जाता है। सरकार द्वारा पूँजी संगठनों की इसी बारें हेतु अन्य प्रविधानों में प्राप्त

वित्तीय महायता में अलग दिखाया जाना है तथा दोनों को पूँजी लेते से अलग दिखाया जाता है। केन्द्रीय सरकार के सम्पत्ति तथा देय धनों में वृद्धि से सम्बद्धित व्यवहारों को पृष्ठक से प्रस्तुत विषय जाता है।

वर्गीकरण में ६ लेखे प्रस्तुत किये जाते हैं—

१. वस्तुओं और सेवाओं के व्यवहार तथा हस्तानरण सरकारी प्रशासन का चालू लेखा

२. वस्तुओं और सेवाओं के व्यवहार तथा हस्तानरण विभागीय वाणिज्यक संस्थानों का चालू लेखा

३. वस्तुओं और सेवाओं के व्यवहार तथा हस्तानरण सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यक संस्थानों (समुक्त) का पूँजी लेखा।

४. वित्तीय सम्पत्ति में परिवर्तन सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यक संस्थानों का पूँजी लेखा।

५. वित्तीय देय धनों में परिवर्तन सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यक संस्थानों का पूँजी लेखा।

६. सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यक संस्थानों का रोकड़ तथा पूँजी समाधान लेखा।

### रेल वित्त

#### Railway Finances

१९२४ तक रेल वित्त भी सधानीय (Federal) वित्त में सम्मिलित थिए जाने वे परन्तु Retrenchment Committee वो सिफारिशानुमार उसी वर्ष से ऐन वित्त को पृष्ठक कर दिया गया। केन्द्रीय बजट से कुछ दिन पूर्व ऐन बजट प्रस्तुत किया जाता है तथा इस बजट का आर्थिक वेन्ड्रीय बजट में दिखाया जाता है। ऐन बजट में भी व्यय को दत्तमत (voted) और अदत्तमत (Non-voted) आधार पर नाया जाना है तथा बजट अनुमानों को स्थायी बजट (Standing budget) भी नये मद्दों (new items) में प्रस्तुत किया जाता है। बजट अनुमानों की जावे ऐन बोइं द्वारा दी जाती है तथा नये पदों का परीक्षण ऐन स्थाई वित्त समीक्षा द्वारा किया जाता है।

ऐन बजट में राजस्व और व्यय के निम्न मुख्य भाग हैं—

(१) सकल यात्रामात्र प्राप्ति (Gross Traffic Receipts)

अ. यात्री

ब. ग्रन्थ परिकादि यातायात

स. माल

द. ग्रन्थ प्राप्त

( २ ) कुल व्यय

१. सामान्य प्रवन्ध व्यय

अ. प्रशासनीय

ब. मरम्मत तथा संधारण ( Maintenance )

स. कार्य कर्मचारी ( Operating Staff )

द. चालन ( ईधन ) Operation

य. चालन ( कर्मचारी तथा ईधन के अतिरिक्त )

फ. विविध

ग. अम कल्याण

ह. निलम्बन ( Suspense )

२. हास विनियोजन

३. चालित लाइन के लिए भुगतान ( Payment to worked Lines )

४. शुद्ध विविध व्यय

कुल यातायात प्राप्ति में से कुल व्यय को घटाने से शुद्ध रेल राजस्व ( Net Railway Revenue ) शेष रहता है। शुद्ध राजस्व में से सामान्य राजस्व ( General Revenues ) को कुछ राशि रेल पूँजी पर प्रतिशत के रूप में हस्तान्तरित की जानी है तथा शेष अधिक रहता है जिसे

( अ ) विकास निधि, और

( ब ) राजस्व सचित निधि

में विनियोजित कर दिया जाता है।

उपरोक्त राजस्व और व्यय से सम्बन्धित सूचना के अतिरिक्त ग्रन्थ सूचना भी प्रदान की जाती है। पूँजी प्राप्ति और पूँजी-व्यय की सूचना ग्रन्थ से दी जाती है। विकास निधि तथा राजस्व सचित निधि के विनियोजन ( appropriations ) ग्रन्थ तालिका में प्रस्तुत किये जाते हैं।

निम्न तालिका में रेल वित्त समको की भजक प्रस्तुत की गई है—

**रेल बजट**  
**( करोड रुपयों में )**

	१९६१-६२ वास्तविक	१९६२-६३ संशोधित अनुदान	१९६३-६४ बजट
सकल यातायात प्राप्ति	५०० ५०	५४६ ६२	५६६ ६६
विशुद्ध प्रबन्ध व्यय	३२५ ५१	३६३ २८	३७६ १८
विशुद्ध विविध व्यय	१०२४	१४ ६१	१६ ४०
हास सीचन निवि में			
राजस्व में से विनियोग	६५ ००	६७ ००	८० ००
कुल	४०० ७५	४४५ १६	४७५ ५८
विशुद्ध रेल राजस्व	६६ ७५	१०४ ४३	१२४ ११
सामान्य राजस्व को भुगतान	७५ ३०	८१ २३	९३ ११
विशुद्ध आविक्षण	२४ ४०	२३ २०	३१ ००

**राज्य वित्त**  
**State Finances**

राज्य सरकारों के आय के मुख्य स्रोत राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये कर और शुल्क, असीनक विभागों और कारों से आय, राज्य सम्पदों से आय, केंद्रीय कारों में अ श और केन्द्र से प्राप्त अनुदान हैं। व्यय के मुख्य मद सामाजिक तथा विकास सेवाओं पर व्यय, करों तथा शुल्क संग्रह व्यय आदि हैं। राज्य वित्त सम्बन्धी समक्ष प्रायः उसी प्रकार से प्राप्त हैं जैसे कि केंद्रीय वित्त समक्ष। राज्य बजटों में गठ वर्ष की वास्तविक संख्याएँ चालू वर्ष के बजट और संशोधित अनुमान तथा आगामी वर्ष के बजट अनुमान प्रस्तुत किये जाते हैं। प्राप्ति और व्यय तथा पूँजी लेखे में प्राप्ति और भुगतान उसी प्रकार प्रस्तुत किये जाते हैं जैसे कि केंद्रीय सरकार के।

आगम लेखे में राजस्व और व्यय के मुख्य मद इस प्रकार हैं—

### १ राजस्व

( म ) कर राजस्व ( Tax Revenue )

( १ ) प्राप्ति पर कर ( पाय-वर का हिस्सा, कृषि प्राप्ति कर, व्यवसाय कर )

( २ ) सम्पति तथा पूँजीगत व्यवहारों पर कर ( सम्पति शुल्क, भू-राजस्व, मुशाक, तथा पजोकरण, शाही प्रचल सम्पति कर )

( ३ ) वस्तुओं और सेवाओं पर कर ( केंद्रीय तथा राज्य उपादान कर, विक्री कर, वहिन वाहन (Motor vehicles) कर, रेल भाड़ा कर, प्रमोट (Entertainment) कर, विद्युत शुल्क तथा अन्य कर और शुल्क )

- (३) कर रहित (Non-tax) राजस्व  
 (४) प्रशासनीय प्राप्ति ( रिदा, स्वाम्य, कृषि, ग्राम विकास, सहारिता,  
 न्याय, जैन, पुलिस प्राप्ति )  
 (५) सार्वजनिक संस्थानों का अंशदान ( बन, तिकारी, विभिन्नों योजनाएँ,  
 सड़क तथा जल यात्रायात्रा, उद्योग और अन्य )  
 (६) अन्य राजस्व प्राप्ति  
 (७) केन्द्रीय सरकार का अनुदान तथा अंशदान

## २. व्यय .

- (१) समाज विकास व्यय ( रिदा, स्वाम्य, कृषि, पशुपत्तिविका,  
 सहारिता, ग्राम उपर्युक्त सामुदायिक विकास, तिकारी, विभिन्नों  
 योजनाएँ, उद्योग, नागरिक रक्षण तथा अन्य )

- (२) अ-विकास व्यय ( कर, शुल्क तथा अन्य मुक्त राजस्व सहाय्य,  
 नाशक्रिय प्रशासन, नागरिक कार्य, अवाल, अन्य इन्डिपेन्डेंट हुए )

राज्य के पूर्ण जी लेखे में प्राप्ति तथा मुग्धतान के मुच्च मद इस प्रकार होते हैं—  
**अ—प्राप्ति—**

स्थायी ऋण, अन्यकानीक ऋण, केन्द्र में ऋण, राज्य सरकारों द्वारा  
 दुन. दिये गये ऋण द्वारा प्रतिम, जमा तथा अग्रिम आदि

**ब—मुग्धतान—**

- (१) पूर्ण लागत ( विकास-अ-विकास )

- (२) स्थायी ऋण का मुग्धतान, केन्द्रीय तथा अन्य ऋणों का मुग्धतान  
 निम्न तालिका में उदाहरण रद्दत राजस्व राज्य का ब्रेट प्रमुख विद्या  
 गया है—

## वित्त समकां

राजस्थान राज्य राजस्व (Revenue) आयव्ययक (Budget)  
(लाख रुपयों में)

अ ११ ]

राजस्व आय (Revenue Income)	लेखे Accounts १९६१-६२	राजीवित अनुमान Revised estimates १९६२-६३	आयव्ययक अनुमान Budget estimates १९६३-६४
----------------------------	-----------------------------	--	---

१. महसूल कर व अन्य राजस्व— (भू राजस्व, भू-सम्पत्ति कर, उत्पत्ति शुल्क, बाहनों पर कर, बिक्री कर, मुद्राक (stamps) तथा पजीयन, आय वर (निगम कर के अतिरिक्त) अन्य कर तथा शुल्क)	२५१७	२८०२	२६४७
२. छह सेवाए—(ब्याज)	७४	४२२	३६७
३. प्रशासकीय सेवाए—(न्याय, जेल, पुलिस आदि)	५६	५०	५२
४. सामाजिक तथा विकास सेवाए—(शिक्षा, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, कृषि, ग्राम विकास, पशुपालन, सहकारिता, उद्योग, सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय विस्तार सेवा विविध सामाजिक तथा विकास रागठन)	२८५	३२६	३१४
५. वह प्रयोजन नदी योजनाए, पिचाई तथा विद्युत योजनाए	७०	११५	१२०
६. सावंजनिक निर्माण वायं और विभिन्न सार्वजनिक सुधारों की योजनाए (परिवहन, साचार, सड़क, जल, अन्य सार्वजनिक कार्य)	४५	१२६	१६८
७. विविध—(वन, लेखन सामग्री, मुद्रण आदि)	१०१	१६८	१५४
८. भरा दान तथा विविध समायोजन—केन्द्र द्वारा लगाए गए करों में हिस्सा केन्द्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान वाणिज्य तथा अन्य उपकरणों से लाभार्थी आदि	३१३	६०६	६२८
९. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के मध्य विविध समायोजना असाधारण प्राप्तिवा	२	२	२
	१६६	१६३	२१७
	४६२०	६०६१	६३१६

राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)	लेखे १९६१-६२	संशोधित अनुमान १९६२-६३	आवश्यक अनुमान १९६३-६४
१. कर महसूल तथा अन्य राजस्व— (भू-राजस्व, उत्पत्ति शुल्क, वाहन-कर, बिन्दी कर, मुद्राक एवं पज्जीयत शुल्क, अन्य कर तथा शुल्क)	२८६	३१०	३१०
२. कहण सेवाए	५६३	६१०	६१०
३. प्रशासकीय सेवाए—(न्याय, जेल, सामान्य प्रशासन, सासद एवं राज्य विधान सभाए, पुलिस आदि)	६४१	६६४	१००१
४. सामाजिक तथा विकास सेवाए—(शिक्षा, वैज्ञानिक विभाग, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, कृषि, ग्राम विकास, पशु- पालन, सहकारिता, उद्योग, अम और नियोजन, सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, विविध सामाजिक तथा विकास सम्बन्ध)	२५१४	२७२०	२६६१
५. बहु प्रयोजन नदी योजनाए, निवान तथा विद्युत योजनाए	१२८	१५६	३४८
६. सार्वजनिक निर्माण कार्य और विभिन्न सार्वजनिक सुधारों की योजनाए— (परिवहन, सचार, सड़क, जल, अन्य सार्वजनिक कार्य)	२५८	४१०	४२३
७. विविध—(वन, लेखन सम्बन्धी, मुद्रण, भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते, निवृत्ति वेतन)	४६४	४२८	४४७
८. अन्य—(असाधारण मंद, राष्ट्रीय आम- काल में संबंधित व्यय आदि)	४३	७६	१७५
	५२००	५६६६	६६१३
आधिकार +) या कमी (-)	-५८०	+६५	-२६७

## स्थानीय वित्त

### LOCAL FINANCES

प्राचीन काल में केन्द्र और स्थानीय वित्त में अन्तर करना सम्भव नहीं था यदोंकि राज्य के कार्य सीमित थे और प्रशासकीय इकाइया छोटी थी। राज्य के कार्यों में बृद्धि के परिणामस्वरूप समस्त कार्य केन्द्र के क्षेत्र में नहीं रहे और राज्य सरकारों को कई अधिकार दिये जो स्थानीय निकायों द्वारा भी पूरे किये गये। स्थानीय निकाय में जिला बोर्ड, नगरपालिकाएं आदि आती हैं। प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में जिला परिषदें, पचायत संगितिया और ग्राम पचायनों और न्याय पचायनों की स्थापना की गईं। इन सब संस्थाओं के आय के अपने साधन हैं तथा व्यय के मद भी पृथक हैं यद्यपि इन्हे राज्य सरकारों से सहायता तथा अनुदान मिलता है और यह राज्यों के अधीन है।

भारत जैसे देश में जो गाव में निवास करता है, स्थानीय वित्त समको की महत्ता बहुत है। आये दिन यही सुनाई देता है कि इन संस्थाओं का प्रशासन बहुत ही अमतोपजनक है तथा विनोद साधन अपर्याप्त है। इनके आय के मुख्य स्रोत सीमा कर, चुगी, पथ कर (toll tax), सम्पत्ति कर, यात्री कर, वाहन तथा पशुओं पर कर, गृह कर, अनुचित (licence) शुल्क, पानी तथा विज्ञनी शुल्क, साइकिल, रिया आदि पर कर, पशु अवरोग (cattle pounds) से प्राप्ति, सरकार से अनुदान आदि हैं।

इसी प्रकार व्यय के मुख्य मद सामान्य प्रशासन तथा संप्रह लागत, जन सुखदा (रोशनी, पुलिस, धानि आदि), जन स्वास्थ्य तथा सुविधा [जल-प्रदान (water supply), जलोत्सारण (drainage)], प्रौद्योगिक, पशुव्यवस्था, स्वच्छता, आदि], सार्वजनिक कार्य (सड़क, भवन, आदि), सावंजनिक विद्युत, सामान्य उद्देश्यों के लिये अंशदान और विविध (झुणा पर व्याज तथा अन्य व्यय) हैं।

स्थानीय निकाय के आय-व्यय अनुमान उसके सभापति या नियोजन (executive) अधिकारी द्वारा तैयार दिये जाते हैं जो कई विभागों से प्राप्त सूचना पर आधारित रहते हैं। कई जिला बोर्ड भी नगर निगमों में वित उपमितिया होनी हैं जो इन अनुमानों के जाच बढ़ाती हैं। स्वीकृति के पश्चात ये अनुमान राज्य के स्वायत्त शासन विभाग को भेज दिये जाते हैं।

## सार्वजनिक ऋण समंक

### PUBLIC DEBT STATISTICS

सार्वजनिक ऋण वा प्राकृतिक राज्य के बड़े हुये दायित्व के फलस्वरूप होता है। निछले दस वर्षों में भारत वा सार्वजनिक ऋण भी बहुत बढ़ चुका है। अन्य क्षरणों के प्रतिरक्त घाटे की अर्थ-व्यवस्था इसका एक मुख्य कारण है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के क्रहण समक Finance and Revenue Account of the Central and the State Governments में प्रकाशित किये जाते हैं। Monthly Abstract of Statistics और रिजव' वेक आव इंडिया वी Report on Currency and Finance में भी इनका प्रकाशन किया जाता है। क्रहण केन्द्र तथा राज्यों के बीच बाटा जाता है अत प्रत्येक राज्य और केन्द्र की सूचना अन्वग से दी जाती है। देश में सार्वजनिक क्रहण का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है—

१. स्थायी या निधिवद्ध क्रहण (Permanent or Funded)
२. अस्थायी या अल्पकाल क्रहण (Temporary or Floating)
३. अनिधिवद्ध (Unfunded)

४. केन्द्रीय सरकार से क्रहण

क्रहण स्वयों, पॉइंट-स्टॉलिंग या अन्य मुद्रा में होता है जो क्रमशः भारत संघवागम राज्य (U. K.) या अन्य देशों में निर्गमित किया जाता है।

सार्वजनिक क्रहण से सम्बन्धित निम्न सूचना (संयुक्त) (Combined Finance and Revenue Account of the Central and State Governments) में प्रकाशित की जाती है—

ब्याज वाले दायित्व .

(व) भारत में :

१. क्रहण,
२. कोपागार विपत्र, अर्थोपाय अग्रिम और कोपागार जमा प्राप्ति,
३. अन्य बचन,
४. हानि और संचित निधि,
५. संयुक्त-राज्य सरकार की प्रतिरूप जमा निधि का विनियोग,
६. अन्य

(छ) इंग्लैंड में

१. क्रहण
२. अन्य

(ग) अन्य देशों से क्रहण :

१. डालर क्रहण,
२. रूप से क्रहण,
३. पश्चिमी जमनी से,
४. अन्य विदेशी भावनी से

इसी प्रकार ब्याज प्राप्त करने वाली सम्पत्ति की सूचना भी दी जानी है जिसमें रेल तथा अन्य वाणिज्यिक विभागों को भी की गई पूँजी नथा अन्य सम्बलित की जाती है।

भारत सरकार की ऋण स्थिति  
( करोड हजारों में )

	मार्च की समाप्ति पर		
	१९६०	१९६१	१९६२
रुपया ऋण	२४३८ २३ ( ४७.५ )	२५७१ ३३ ( ४६.६ )	२६८८ ४५ ( ४६.० )
कोपागार विपत्र	१२६७ ६० ( २५३ )	११०६ ३० ( २०२ )	११७४ ६८ ( २०१ )
अन्य वचन	८६६ ६८ ( १६६ )	६७४८३ ( १७८ )	१०५२ १७ ( १८० )
अन्य दायित्व	५३० ६६ ( १०३ )	८२५ ७७ ( १५१ )	६३१ ३८ ( १५६ )
योग	५१३६ ५०	५४७८ २३	५८४७ ७८
बाह्य ऋण	६३० ५०	८४६ २२	१११० ५५
कुल	३७० ६८	५२१ ४०	६५० ६५
डालर			

टिप्पणी—कोषक में कुल ऋण की प्रतिशत दी गई है।

रुपया ऋण और कोपागार विपत्र राशि के अतिरिक्त अन्य साम्याएँ अस्थायी हैं।

राज्यों की ऋण स्थिति

( करोड हजारों में )

	घर्ष के अन्त में		
	१९५८-६०	१९६०-६१	१९६१-६२
१. सहवंजनिक ऋण			
अ. स्थायी ऋण	५१६०१७	४६३ १२	५६८८८७
ब. अन्य कालीन (floating) ऋण	१६०७	४१७४	२०२८
स. केन्द्रीय सरकार से ऋण	१७८००५२	१६४८००	२२७६ ३३
द. अन्य ऋण ?	४२५५	४६५७	६२४१
२. अनिविद्ध ( unfunded ) ऋण	३१६०२६	१३००५२	१४४००६
कुल सकल ऋण	२,३८०५७	२,६६२ ६६	३,०३२६५

टिप्पणी—उपरोक्त तालिका से स्वयाए राज्यों ( कुछ बो छोड़ कर ) द्वाय प्रस्तुत वास्तविक प्रत्यावर्तनों पर आवारित हैं तथा अन्य के लिये बजट पत्रों वा प्रयोग किया गया है।

(?) राष्ट्रीय कृषि साख ( दीर्घनालीन वार्ष ) नियि, राष्ट्रीय सहवारी विभाग और गोदाम बोर्ड, खादी और प्रामोश्योग आयोग, कर्मचारी राज्य बीमा नियम, जीवन बीमा नियम, आदि के लक्षण सहित।

#### (\*) संघोक्ति अनुमान

#### सार्वजनिक वित्त मर्मक-एक हार्ट में—

भारत में वित्त सम्बन्धी सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है परन्तु फिर भी कई कारणों से यह ममुचित वैज्ञानिक विश्लेषण और अन्तर्राष्ट्रीय तुलना के अभाव है।

भारतीय बजट में राजस्व और व्यय का वर्गीकरण टीक प्रकार से नहीं किया गया है। यद्यपि प्राप्ति और भुगतान का एकस्त वर्गीकरण सम्भव नहीं है फिर भी जो वर्गीकरण है वह वहून समय के अनुभव के पश्चात् स्वीकार किया गया है। इनना होने हूये भी यह समुक्त राष्ट्र वर्गीकरण के अनुमार नहीं हो पाया है। यही स्थिति राजस्व और व्यय के वर्गीकरण की है। व्यय का वर्गीकरण विभागानुसार किया जाना है न कि कार्यानुमार।

राज्य और केन्द्र के ग्रामगम और पूजी सेवे पर राजस्व और व्यय तथा प्राप्ति और भुगतान के आकड़े पृथक प्रस्तुत किये जाने हैं परन्तु विभिन्न राज्यों के वर्गीकरण में एक समान व्यय की अभाव है।

सरकारी लेखे रोकड़ पढ़ति पर रो जाने हैं अन इनमें केवल यह पता लगता है कि अमुक राशि वित्तीय वर्ष में प्राप्त नहीं हुई। यह पता नहीं लगता कि वित्तीय राशि राज्यों में वकाया है।

इसी प्रकार राजस्व और व्यय, दोनों ओर, कुछ पद सहल और कुछ विशुद्ध बनाये जाने हैं तथा उनके सम्बन्ध व्यय आदि व्यय पक्ष की ओर बताये जाने हैं, जो अनात्मक हैं। अन समस्त पद विशुद्ध रूप में बताये जाएं चाहिये।

जनना के कर-भार का तथा व्यय में प्राप्त होने वाले लाभों का ठीक अनुमान नहीं लग पाता। भारत में कर-राजस्व राष्ट्रीय आय के प्रनिशत के रूप में सम्बोधित की जाती है, प्रति वर्षता नहीं। इस सम्बन्ध में समक्त उपरब्य अवश्य है परन्तु उनका निशेष भूल्त नहीं। बजट के विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह पता लगता चाहिये कि कर-भार किस वर्ग पर अधिक है, कर बचत और विनियोग बो निररमाहित तो नहीं करते हैं

और क्या वर पूँजी में से अद्दा किये जाते हैं या आय में से ? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

बैन्ड्रीम बजट की तरह राज्य बजटों का आधिक बर्गांकरण भी समस्याता के आधार पर किया जाना चाहिये तथा दिभिल पदों को उचित मदों में रखा जाना चाहिये ।

सार्वजनिक निगमों को सार्वजनिक सम्पत्तियों के समष्टि नहीं माना गया है जैसे जोदन दीमा निगम का आदिक्य रेल और डाक तथा तार विभाग की तरह बैन्ड्रीय बजट में सम्मिलित नहीं किया जाना है । बास्तव में सरकारी वित्त की सही स्थिति प्रबंध बरने के लिये यह कदम आवश्यक है ।

### अन्य प्रितीय ममक

सार्वजनिक दित्त के अन्तर्गत पिछले पृष्ठों में बैन्ड्री तथा राज्य बजट, रेल बजट, और स्वास्थ्य निकायों की वित्त समग्री का व्याप्तियन किया गया । इसके अतिरिक्त शेष वित्तीय सामग्री का व्याप्तियन विविध शैदियों के अन्तर्गत अगले पृष्ठों में किया गया है । जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, इस वर्ग के अधीन, अधिकोपण, टकन तथा चलाई, दीमा, विदेशी विनियम और विदेशी पूँजी तथा अन्य वित्तीय निगमों के साथ शोधन-शेष समक्ष का विवरण किया गया है ।

### अधिकोपण (Bulking) समक

देश के मुनियोजिन आर्दिक विकास में अधिकोपो का महत्वपूर्ण योग होता है । देश के अधिकोपो का जाल उम्मी आधिक प्रगति का मूलक है और इनका अभाव देश के पिछड़ेगत का प्रतीक है । यद्यपि भारत में अधिकोप पद्धति का जन्म उद्योगों के विकास के साथ हुआ है परन्तु फिर भी एक समर्पित पद्धति का चलन नहीं है । भारत में विदेशी वी तुलना में अधिकोपो का जाल और अदिक गहन करने की आवश्यकता है । बैन्ड्रीय अधिकोप के अभाव की पूर्ण १६३५ में रिजर्व बैंक आव इंडिया की स्टापना द्वारा भी गई । इससे पूर्व वार्ल्ड ज्ञान और सास्थिकी विभाग (D. G. C. I. & S.) द्वारा घोषी द्वारा सामग्री का प्रकाशन (Statistical Tables relating to Banks in India) में किया जाता था जो अपर्याप्त होने के साथ ही अविवक्तीय भी थी । १६३५ से रिजर्व बैंक द्वारा प्रयाप्त सामग्री का प्रकाशन नियमित रूप में किया जा रहा है ।

भारत में इस समय निम्न प्रकार के अधिकोप पाये जाने हैं—

रिजर्व बैंक आव इंडिया,

स्टेट बैंक आव इंडिया, और उन्हें नहायद देश,

वार्ल्ड अधिकोप,

विनियम अधिकोप,  
 सहकारी अधिकोप,  
 भू-दब्दन्धक अधिकोप,  
 श्रोद्योगिक अधिकोप,  
 स्वदेशीय अधिकोप।  
 प्राप्त अधिकोपण समक्ष इस प्रवार है—

रिजर्व बैंक

रिजर्व बैंक द्वारा प्रति सप्ताह व्यवस्था विवरण-पत्र (Statement of Affairs) प्रकाशित किया जाता है। जिसमें अधिकोप विभाग और नियंत्रण विभाग के देय घन तथा सम्पत्ति का पृष्ठक से विवरण दिया जाता है। निम्न तालिका में केवल अधिकोप विभाग के देयधन और सम्पत्ति का विवरण किया गया है—

रिजर्व बैंक आव इंडिया

वित्त समकालीन  
रिजर्व बँक ऑफ इण्डिया  
अधिकोप विभाग के देव घन तथा सम्पत्ति का व्यौरा  
( करोड रुपयों में )

	अन्तिम शुक्रवार			शुक्रवार १२ अप्रैल १९६३
	१९६०-६१	१९६१-६२	जनवरी १९६३	
<b>देय-घन</b>				
१ जमा				
अ. सरकार				
१. केन्द्रीय	७६.४६	७१.३०	६१.७४	६४.०२
२ राज्य	२८.६६	१५.८६	२०.०१	४.७४
ब. अधिकोप	७०.८५	७२.७३		
१. भनुस्थिति			७५.७७	८५.६०
२ राज्य सहकारी अधिकोप			१.६६	२.७४
३ अन्य अधिकोप			०.०२	०.०२
स. ग्रन्थ	८७.६६	१५२.३६	१९१.१०	१६८.७२
२ अन्य देय घन				
अ. प्रदत्त पूँजी	५.००	५.००	५.००	५.००
ब. सचिव निधि	८०.००	८०.००	८०.००	८०.००
स. १ राष्ट्रीय कृषि साल (दीर्घकालीन वाय) निधि			६१.००	६१.००
द. २ राष्ट्रीय कृषि साल (स्थायिकरण) निधि	१३६.३६	१४६.८४	७.००	७.००
य. अन्य देय-घन (देय विषय सहित)				६४.७८
<b>योग</b>	४८५.६४	५४४.१२	५६३.५०	६०३.६२
<b>सम्पत्ति</b>				
भव-पत्र तथा सिक्के (Notes & Coins)	७.६४	२५.४२	२०.६२	८.२५
विदेश में शेष <sup>१</sup> (Balances held abroad)	१३.२४	१५.८४	७.३८	६.०६
करण तथा अद्यिग्र				
सरकार <sup>२</sup>	३६.०२	८०.८६	४३.५५	८०.०५
भनुस्थिति अधिकोप			२३.५७	४७.८१
राज्य सहकारी अधिकोप <sup>३</sup>	१८५.५०	१७७.६६	१४६.१४	१२३.७१
अन्य			१.३७	२.००
खरीद देय तथा मुद्राये देय विषय विनियोग	३८.१७	४६.६०	४७.७३	६४.०६
अन्य सम्पत्ति	१००.६५	१६३.४६	२३६.४०	२०३.०२
	१६.८२	३४.२४	३३.३६	३५.८६
<b>योग</b>	४८२.६४	५४४.१२	५६३.५०	६०३.६२

<sup>१</sup> राष्ट्रीय कृपि साल ( दीर्घकालीन कार्य ) निधि की राशि १ जुलाई १९६० से ४० करोड़ रुपये, ३० जून १९६१ से ५० करोड़ रुपये तथा ६ जुलाई १९६२ से ६१ करोड़ रुपये थी

<sup>२</sup> राष्ट्रीय कृपि साल ( स्थायिकरण ) निधि राशि ३ जुलाई १९७६ से ४ करोड़ रुपये, १ जुलाई १९६० से ५ करोड़ रुपये, ३० जून १९६१ से ६ करोड़ रुपये तथा ६ जुलाई १९६२ से ७ करोड़ रुपये थी ।

<sup>३</sup> रोकड़ तथा अप-कालीन प्रतिभूतियों सहित

<sup>४</sup> राष्ट्रीय कृपि माल ( दीर्घ कालीन कार्य ) निधि में से दिये गये अरण तथा राज्यों को दिये गये अस्थायी अधिविकर्य ( overdrafts ) सहित

<sup>५</sup> राष्ट्रीय कृपि साल ( दीर्घ कालीन कार्य ) निधि तथा राष्ट्रीय कृपि साल ( स्थायिकरण ) निधि में से दिये गये अरण तथा अग्रिम सहित

उपरोक्त स्थिति विवरण के अतिरिक्त रिजर्व बैंक द्वारा अपने विभिन्न कार्यों की गति विधियों के सम्बन्ध में निम्न मूच्चना प्रकाशित भी जानी है —

१—रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित अधिकोपो तथा राज्य महकारी अधिकोपो को अरण नया अग्रिम

२—रिजर्व बैंक के माध्य द्वारा विप्रेदण ( Remittances ) — बथर्ड, ब्लकज़ नई दिल्ली, बानपुर, मद्रास, बग्नोर और नागपुर के द्वारा से नियमित और शोबित दूर लेख स्थानान्तर ( telegraphic transfers ) भी मूच्चना दी जानी है । बगलीर कार्यालय जुलाई १९५३ से हथा नागपुर कार्यालय सितम्बर १९५६ से कार्य बर रहे हैं ।

३—समाशोधन गृह समक ( Clearing House ) — इसमें रिजर्व बैंक की शाखाओं तथा १४ अन्य केंद्रों पर समाशोधन धनादेशो ( Cheque clearances ) की सभ्या तथा राशि भी मूच्चना दी जानी है ।

४—जनता में मुद्रा-प्रदाय ( Money Supply with the public) — इसमें जनता के पास चलाय तथा जमा की राशि तथा मुद्रा-प्रदाय में परिवर्तनों का विवरण दिया जाता है । जनता के पास चलाय को परिचलन म अध-पत्र ( notes ), अप्यास-सिक्का, छोटे सिदक तथा बोपागार-शेष और अधिकोपो के पास हस्तागत रोकड़ के मद्दे में दिखाया जाता है ।

५—मुद्रा दर ( Money-rates ) — इसमें बैंक-दर ( Bank rate ) तथा रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित और राज्य सहारी बैंकों को दिये जाने वाले अरणों की दरों की मूच्चना दी जाती है । अनुसूचित बैंकों को अरण ( १ ) मामाय अग्रिमोप

कार्यों [ धारा १७ ( ४ ) ( अ ), तथा ( २ ) वास्तविक वाणिज्यिक या व्यापारिक कार्यों के वित्तीय प्रबन्ध के लिये [ धारा १७ ( ४ ) ( स ) तथा राज्य सहकारी बैंकों को ऋण ( १ ) — सामान्य अधिकोप वार्ष [ धारा १७ ( ४ ) ( अ ) ]. ( २ )— वास्तविक वाणिज्यिक या व्यापार कार्यों के वित्तीय प्रबन्ध [ धारा १७ ( २ ) ( अ ) या ( ४ ) ( स ) ], ( ३ ) — सामर्थिक कृपि वार्ष और फसलों के विपणन [ धारा १७ ( ४ ) ( अ ), ( २ ) ( ब ) या ( ४ ) ( स ) ], ४ — सहकारी चीनी मिलों के वित्त-प्रबन्ध [ धारा १७ ( २ ) ( ब ) या ( ४ ) ( स ) ], ५ — कुटीर उद्योगों ( हाथ करथा ) के वित्त प्रबन्ध [ धारा १७ ( २ ) ( बव ) या ( ४ ) ( स ) ], और ६— कृपि कार्यों के लिये समय-काल ऋण [ धारा १७ ( ४ अ ) ] दिये जाते हैं। इन कार्यों के लिये दिये गये ऋणों की व्याज दर भी भिन्न होती है।

६—रिजर्व बैंक के स्टॉलिंग व्यवहार ( transactions )—अग्रे ( forwards ) सेविंग तथा उत्तमान प्रदान ( Spot delivery ) के बीच और वित्तीय की राशि वी सूचना दी जाती है। यह सब सामग्री रिजर्व बैंक बुलेटन ( मासिक ) में प्रकाशित की जाती है।

७ जनता में मुद्रा-प्रदाय ( Money Supply ) में परिवर्तन वर्ष के अनुसार तथा सामर्थिक परिवर्तनों वा तथा कारणों वा विवेचन किया जाता है।

### स्टेट बैंक आव इंडिया

स्टेट बैंक द्वारा खोने गई शाहांगों की सत्या तथा उसको समति और देय धन की सूचना समय-समय पर रिजर्व बैंक तथा स्वय स्टेट बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। स्टेट बैंक द्वारा दिये गये ऋणों ( लघु उद्योग तथा सहकारी अधिकोपों को ) की राशि तथा विभिन्न प्रकार के ऋणों की व्याज दर की सूचना तथा अपने सहायक अधिकोपों से सम्बन्धित सूचना भी प्रकाशित की जाती है।

स्टेट बैंक के विभिन्न कार्यालयों के बीच विप्रेपण ( remittances ) की सूचना भी दी जाती है।

स्टेट बैंक का सामाजिक अदस्त्रा विदरण भी निर्दिष्ट रूप से प्रकाशित किया जाता है—

स्टेट बैंक आव इ डिया

१२ अप्रैल १९६३ को समाप्त होने वाले सप्ताह का अवस्था निवरण

( लाख रुपया में )

## पू जो तथा दायित्व

पूजी

अधिकृत

१०० रुपये के २०, ००, ००० अश २०, ००

निर्गमित तथा प्रदत्त

१०० रुपये के ५,६२,५०० अश

मचित निधि तथा अय संचितियाँ

५,६२ ५०

८,७५ ००

बमा तथा अय लेखे

५६३ ५६ ३०

अय अधिकोया, अभिकरणा आदि से अहण

४६ ००

देय विष्व

१५,२७ ५१

सप्त्रह के लिए विष्व जो दूसरी ओर प्राप्य विष्व है

४,७८ ५८

स्वीकृतिया, पृष्ठाक्षनाएं तथा अय दायित्व

७,७३ ८३

अन्य देय-पत्र

५,३८ १७

योग ६१०,६१ ६३

## मम्पत्ति तथा परिमम्पत्ति

हम्पगत तथा रिज्व बैंक के पाम रोकड़

१५६६ ६७

आय बैंको के पाम रोकड़-शेय

३,७३ २८

याचना और अन्यकान मूचना पर देय राशि

३,४० ००

विनियोग—

सरकारी तथा अन्य प्रयासी प्रनिवृत्तिया

२१४,२२ १७

अन्य अधिकृत विनियोग

७ ८३ ६४

२२२,०३ ११

अग्रिम

अहण, रोक-अहण (cash credit) अधिवित्य आदि ३००,२७ ७१

मुनाये ये तथा सरीदे गये विष्व

१६,०८ ८६

३१६,३६ ५७

प्राप्य विष्व जो दूसरी ओर सप्त्रह के लिए  
विष्व है

४,१६ ५८

स्वीकृतिया, पृष्ठाक्षनाएं और अन्य दायित्वों

के लिए संघटकों का दायित्व	....	७,७३०८७
मवन ( बाद हास )	..	१६६४४
उपस्कर और स्थायक ( furniture and fixtures ) ( बाद हास )		१५७६२
अन्य परिसम्पत्		३०,१०४८
	योग	६१०,६१०६३

### वाणिज्य अधिकोप

ये अधिकोप दो प्रकार के होते हैं—अनुसूचित तथा अनुसूचित। दोनों प्रकार के अधिकोप से सम्बन्धित निम्न सूचना रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है—

१. समस्त अनुसूचित अधिकोप—भारत में व्यापार
२. भारतीय अनुसूचित अधिकोप—भारत में व्यापार
३. विदेशी अधिकोप—भारत में व्यापार

समस्त अनुसूचित, भारतीय अनुसूचित और विदेशी अधिकोपों के भारत में व्यापार से सम्बन्धित निम्न पृष्ठक सूचना प्राप्त है—

(अ) प्रतिवेदित अधिकोपों की सूच्या

(आ) अभियाचन तथा समय देयना (Demand and Time Liabilities)

(१) अभियाचनदेयता :

जमा (अन्य अधिकोप तथा अन्य)

अधिकोपों से उधार

अन्य

(२) समय देयता (Time Liabilities)—

अभियाचन देयना जैसी सूचना

(इ) रिजर्व बैंक से उधार (अवधि विपत्र (Usance)

या वचन—पत्र (Promissory Note) के दस्ते और अन्य)

(ई) स्टेट बैंक या/और अधिसूचित बैंक से उधार—

अभियाचना पर या अवधि पर

(उ) परिसम्पतः :

(१) हस्तगत रोकड़ और रिजर्व बैंक के पास शेइ

(हस्तगत और रिजर्व बैंक के पास)

(२) चानू खाने में अन्य अधिकोपों के पास शेइ

(३) सरकारी प्रणिभूतियों में वित्तियोग

(४) याचना और मन्त्रकाल सूचना पर देय राशि

(५) अधिकोप सात—

## (क) अधिकोप

ऋण, रोक ऋण ( cash credits ) और  
अधिविवर्द्ध ( Overdrafts )  
अधिकोपो से बकाया

## (ल) खरीदे तथा भुनाये गये विपत्र—( आन्तरिक-विदेशी )

हस्तगत रोकड़ और रिजर्व बैंक के पास शेष, सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग और अधिकोप साख की निरपेक्ष सख्त्याओं के साथ कुल जमा के प्रतिशत के रूप में भी इनकी सूचना दी जाती है। जनवरी १९६३ में प्रतिवेदित समस्त अनुसूचित अधिकोपों की सख्त्या ७६ थी जिसमें से ६५ भारतीय और १४ विदेशी थ।

४ समस्त अनुसूचित अधिकोप-भारत में परिसम्पद तथा देयघन

५. भारतीय अनुसूचित अधिकोप-भारत में परिसम्पद तथा देयघन

६ अननुसूचित अधिकोप-भारत में परिसम्पद तथा देयघन

७ विदेशी अधिकोप—

उपरोक्त चारों प्रकार के, अर्थात् समस्त अनुसूचित, भारतीय अनुसूचित, अनुसूचित और विदेशी अधिकोपों के भारत में देय घन तथा परिसम्पदों के सम्बन्ध में किसी सूचना प्राप्त है—

अ प्रतिवेदित अधिकोपों की सख्त्या

ब. देयघन :

(१) पूँजी और सचिति (प्रदत्त पूँजी-सचिति)

(२) जमा—

अभियाचन (अन्त बैंक और अन्य)

समय (अन्त बैंक और अन्य)

(३) अन्य अधिकोपों की बकाया

(४) अन्य देय-घन

## स. परिसम्पद :

[१] हस्तगत रोकड़ तथा रिजर्व बैंक के पास शेष,

[२] रिजर्व बैंक के अभिकर्ताओं और अन्य अधिकोपों के चालू खाने में शेष,

[३] याचना और अल्प-काल सूचना पर देय राशि,

[४] अधिकोप साख—

अग्रिम और खरीदे तथा भुनाये गये विपत्र

[५] अधिकोपों से बकाया

## [६] विनियोग—

केन्द्रीय सरकार

राज्य सरकार

अन्य

## [७] अन्य परिम्पद

उपरोक्त मूच्चना की निर्पेक्ष राशि के अनिरिक्त हस्तागत रोकड़ तथा रिजर्व बैंक के पास रोप, अधिकोप साथ प्रांतीय विनियोग की राशि को कुल जमा के प्रतिशत के रूप में भी दिया जाता है।

८. अनुसूचित अधिकोपो के ऋण-सुरक्षा के अनुमार—जिन विविध प्रतिभूतियों के बदले अनुसूचित अधिकोपो द्वारा ऋण प्रदान किये जाते हैं, उन्हे निम्न पाच वर्गों में विभक्त विया जाता है—

क—खाद्य पदार्थ

ख—ग्रोद्योगिक कस्ता माल

ग—बागान उत्पाद

घ—निर्मितिया तथा स्थिर

ट—अन्य,

मुरदिन करणों की राशि के साथ अमुरदिन करण राशि भी दी जाती है। दोनों का योग कुल अधिकोप साथ होती है। प्रतिवेदित कार्यालयों की सब्वा भी बताई जाती है। जनवरी २५, १९६३ को कुल मुरदिन करणों की राशि १,२६८८४ करोड़ ८० पी जबकि अमुरदिन करण राशि की मात्रा २०६०६ करोड़ ८० थी। इस प्रकार उस दिन कुल अधिकोप साथ राशि १,४७५०३ करोड़ ८० थी। प्रतिवेदित कार्यालयों की संख्या ४,५३४ थी।

९. अनुसूचित अधिकोपो की रिजर्व बैंक के पास सचिति—समस्त, भारतीय और विदेशी अधिकोपो की रिजर्व बैंक के पास सचिति की राशि दी जाती है। परिनियत न्यूनतम राशि और आधिकार राशि की सूचना पृष्ठ—पृष्ठ दी जाती है। २२ फरवरी १९६३ नो परिनियत न्यूनतम राशि ६६६० करोड़ ८० पी जिसमें भारतीय अधिकोपो का हिस्सा ५७ ७२ करोड़ ८० था और आधिकार सचिति १०४८ करोड़ ८० थी जिसमें भारतीय अधिकोपो का योग ८ ३६ करोड़ ८० था।

१०. अनुसूचित अधिकोपो के पास बचत जमा—भारतीय तथा विदेशी अनुसूचित अधिकोपो की बचत-जमा की सूचना अलग अलग दी जाती है। फरवरी १९६३ में यह राशि ३८५ ८५ करोड़ ८० थी जबकि फरवरी १९६२ में ३२६९१ करोड़ ८०। भारतीय अधिकोपो का योग कम्शा ३४६१६ करोड़ ८० और २६८८८ करोड़ ८०।

११. अनुसूचित अधिकोपो द्वारा रिजर्व बैंक से उधार—उधार राशि का विवरण विभिन्न व्याज दरों के अनुमार किया जाना है। उदाहरणान्या २२ फरवरी १९५३ को ४·५% पर २२·०६ करोड़ ₹०, ६% पर ₹६·१५ करोड़ ₹० और ६·५% पर ₹७·४० करोड़ ₹० उधार था।

१२. मुद्रा दर Money Rates — कुछ चुने हुये बड़े अनुसूचित अधिकोपो के लिये—बम्बई, बलैट्टा और मद्रास केन्द्रों के कुछ चुने हुये बड़े अधिकोपो की मुद्रा दरें—याचना मुद्रा, सात दिन की सूचना पर जमा, स्थायी जमा—एक, दो, तीन, छ और १२ मास के लिये—के सम्बन्ध में प्रकाशित की जाती है।

१३. अनुसूचित अधिकोपो की कुल जमा—(अमरीका के सार्वजनिक नियम P. L. ४८० और ६६५ जमा के अतिरिक्त)—मासिक सूचना अन्तिम शुक्रवार के दिन की प्रकाशित जाती है।

१४ अनुसूचित अधिकोपो के चालू जमाओं खातों से विकलन तथा जमा प्रतिस्थापिता (Debits to Current Deposit Accounts with Scheduled Banks and Deposit Turnover)—इस तालिका में रिजर्व बैंक के विभिन्न केन्द्रानुमार चालू जमा, चालू जमा खातों से विकलन, अधिकृत रौप छह और अधिविकर्त दीमा-राशि, कुल बकाया साथ तथा प्रतिस्थापिता (turnover) वार्षिक दर की सूचना दी जाती है। यह सूचना राज्यानुमार भी दी जानी है।

#### १५. भारतीय अधिकोपो का विदेशी व्यापार

१६. भारत में अधिकोप कार्यालयों की सूच्या—विभिन्न प्रकार के अधिकोप कार्यालयों की सूच्या इस प्रकार दी जानी है—

व—समस्त वाणिजिक अधिकोप

ख—समस्त अनुमूचित अधिकोप

ग—भारतीय अनुमूचित अधिकोप

घ—विदेशी अधिकोप

ड—ग्रान्टमूचित अधिकोप

#### विनिमय अधिकोप

विनिमय अधिकोपों से सम्बन्धित समक्त स्थिति १९५३ से पूर्वे दर्यों थी क्योंकि विधिनुमार ये प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने के लिए वाल्य नहीं थे। १९५३ के समक्त संग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत स्थिति में सुधार हो गया है तथा रिजर्व बैंक द्वारा सम्बन्धित सामग्री का प्रकाशन किया जाता है। भारत में इन अधिकोपों के परिसम्पद तथा देयता की सूचना भी प्रकाशित की जाती है।

### सहकारी अधिकोप—

भारत सरकार सहकारिता पर बहुत ध्यान दे रही है तथा इस सम्बन्ध में काफी सामग्री भी उपलब्ध है। रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी अधिकोपों के बावजूद प्रकाशित सामग्री इस प्रकार है—

१. रिजर्व बैंक से खाता रखने वाले सहकारी अधिकोपों के परिसम्पद संथा देयता—इस सम्बन्ध में निम्न सूचना प्रकाशित भी जाती है—

अ—प्रतिवेदित अधिकोपों की संख्या

आ—अभियाचन तथा समय देयता—जना (अन्न अधिकोप और अन्य)

अधिकोपों से उधार

अन्य

इ—रिजर्व बैंक से उधार

ई—स्टेट बैंक और/या अधिकूचित अधिकोप से उधार

उ—उद्योग पुनर्वित निगम (Re-finance Corporation for Industry) से उधार

क—परिसम्पद—

(१) हस्तगत रोकड़ और रिजर्व बैंक के पास शेयर

(२) अन्य अधिकोपों के पास चानू खानों में शेयर

(३) सरकारी प्रणिभूतियों में विनियोग

(४) याचना और अन्य—काल सूचना पर देय राशि

(५) अधिकोप माल (क्षण, रोकड़—क्षण और अधिविकर्ष, अधिकोपों से बकाया और खरोदे तथा मुनाये गये विपत्र )

२. रिजर्व बैंक के पास राज्य सहकारी अधिकोपों की संचिति—इस तालिका में परिनियन न्यूनतम राशि और अधिक संचिति भी सूचना दी जाती है। २२ फरवरी १९६३ को यह राशि क्रमशः १०६ करोड़ ८० मीटर ६८ लाख ८० थी।

३. सहकारी अधिकोपों के परिसम्पद और देय धन—इसमें प्रदृष्ट पूँजी, संचिति, जमा, क्षण, विनियोग, रोकड़ राशि तथा अन्य सम्पत्तियों की सूचना दी जाती है।

४. रिजर्व बैंक और सहकारी संस्था—इस तालिका में सहकारी अधिकोपों को भन्य कान व सम्बन्धीय कारणों के लिए व्योरा रहना है।

अधिकोप समझों के सम्बन्ध में उन्नेश्वरीय प्रकाशन इस प्रकार है—

### रिजर्व बैंक

१. रिजर्व बैंक अवस्था विवरण (Statement of Affairs)~  
साप्ताहिक

२. अनुसूचित अधिकोपो का अवस्था-विवरण-साप्ताहिक
३. रिजर्व बैंक आँव इंडिया ब्लेटिन-मासिक
४. भारत में अधिकोपण की प्रवृत्ति और प्रगति-वार्षिक
५. चलार्थ तथा वित्त प्रतिवेदन-वार्षिक
६. भारत में अधिकोपो से सम्बन्धित सांख्यिकीय लालिकाएँ-वार्षिक
७. भारत में सहकारिता आन्दोलन से सम्बन्धित सांख्यिकीय विवरण-वार्षिक
८. भारत के अधिकोपण तथा मोद्रिक समान ( १९०६-१९५२ ) Banking and Monetary Statistics of India-Tatadarsh
९. अखिल भारतीय ग्रामीण साल सर्वेक्षण प्रतिवेदन १९५१-५२-तदर्थ
१०. अखिल भारतीय ग्रामीण साल सर्वेक्षण प्रतिवेदन ( अनुवर्ती )-तदर्थ

अन्य

### Abstract of Statistics-सांख्यिकीय सारांश

#### चलार्थ समान-

#### CURRENCY STATISTICS

भारत में इस समय नियन्त्रित पत्र-चलार्थी है जो अनुपाती सचिति पढ़ति पर आधारित है जिसके अनुसार रिजर्व बैंक को विधानानुसार निर्गमित अर्थ-पत्रों के 'पीछे स्वरण' तथा विदेशी विनियम का कुछ प्रतिशत संचिति के रूप में रखता होता है। पहले यह धारा ३३ (२) के अनुसार निर्गमन विभाग के कुल दायित्वों के ४० प्रतिशत से कम नहीं होनी थी जो स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण पिरेड या स्टलिंग-प्रतिभूतियों में हुआ करता थी तथा किसी भी समय स्वर्ण सिक्कों तथा स्वर्ण पिरेड की राशि ४० करोड़ रुपये से कम नहीं हो सकती थी। इसमें अधिक लोक प्रदान करने हेतु समय समय पर अधिनियम में सशोधन हुये। १९५६ के सशोधित अधिनियम के अनुसार स्वर्ण तथा स्वर्ण सिक्कों की राशि ११५ करोड़ रुपये और विदेशी प्रतिभूतियों की राशि ४०० करोड़ रुपये कर दी गई परन्तु बैंक को इसे ३०० करोड़ रुपये तक घटाने का अधिकार प्रदान किया गया। बाद में रिजर्व बैंक आंक ईंडिया ( सशोधन ) अध्यादेश, १९५७ के द्वारा मह सचिति ४०० करोड़ रुपये से पटाकर २०० करोड़ रुपये कर दी गई जिसमें ११५ करोड़ रुपये का स्वर्ण सम्मिलित था।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप का सदस्य है तथा रुपये का समता-मूल्य कोप और रिजर्व बैंक द्वारा तय निया जाता है।

इस पृष्ठ भूमि में चलार्थ सम्बन्धी प्राप्य समंकों की समझने में सुविधा रहेगी।

चलार्थ तथा सोना-चौदी के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक और भारत सरकार के वित्त-संचालन द्वारा निम्न सूचना प्रकाशित की जाती है-

१. सार्वाहिक अवस्था विवरण ( Statement of Affairs ) निर्गमन विभाग-इसमें दायित्व तथा परिसम्पदों का विवरण इस प्रकार किया जाता है—

### रिजर्व बैंक और इंडिया

निर्गमन विभाग के देय-धन तथा परिसम्पदों का व्योरा ( करोड़ रुपये में )

	वर्षित शुक्रवार			शुक्रवार १२ अप्रैल, १९६३
	१९६०-६१	१९६१-६२	जनवरी १९६३	
<b>देय धन</b>				
अधिकोष विभाग में रखे हुये अर्थ-पत्र	७८४	२५०३७	२०८८	८९१
चलन में अर्थ-पत्र .....	११८४७४	२०७००३०	२१६४८५	२३२८०२२
कुल विर्गमित अर्थ-पत्र अर्थात्				
कुल देय-धन .....	१९६२०५६	२०६५०६७	२१८५०७३	२३३६०४३
<b>परिसम्पद</b>				
स्वर्ण सिक्के तथा सोन-चौदी-				
१. भारत में .....	११७०७६	११७०७६	११७०७६	११७०७६
२. भारत के बाहर .....	.....	.....	.....	.....
विदेशी प्रविमूलियाँ .....	१२३०१	११३०८६	८८०८	१०५०८
कुल .....	२४००७७	२३१०६२	२०९०८४	२२२०८४
रुपये सिक्के ( एक रुपये के नोट सहित )	११६०८२	११६०६१	१२१०४६	११७०१७
भारत सरकार रुपया प्रतिमूलियाँ	१६३२०२०	१७४७०१४	१८५८०४३	१६६६०४२
आन्तरिक प्राप्य विषय और				
अन्य वाणिज्य-पत्र	.....	.....	.....	.....
कुल परिसम्पद .....	१९६२०५६	२०६५०६७	२१८५०७३	२३३६०४३

२. चलन में भारतीय चलार्थ—चलन में अर्थ-पत्र ( Notes ) रुपया सिक्का तथा छोटे सिक्कों की राशि तथा गत माह और वर्ष की अपेक्षा बुद्धि या कमों की राशि की सूचना भी दी जाती है। निम्न तालिका से यह स्पष्ट होगा—

चलन से भारतीय चलाव  
( करोड़ रुपयों में )

मानिस शुक्रावर	चलन से			चलन से बढ़ि (+) या कमी (-)		
	अर्थ पद	समय सिक्का दोटे सिक्के	कुल	अर्थ पद	समय सिक्का दोटे सिक्के	कुल
१६५६०-६५०	१८५००.११.११	२३२२२	६२५६२	२००९१०	३६३२४	५०६४६६४
१६५५०-५५०	१८५४२.१५.१२	२०२०२	७०२५६	२२५४२५	४२३२४	५११३०५५५
१६५५१-५५१	१८५००.१७.१८	२०२१२	७०२५६	२२५६२६	४२३२४	५११३०५५५

३. कुछ निर्गमित अर्थ-पत्र राशि के अनुसार ( Denomination-wise )—दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये, सौ रुपये, एक हजार रुपये पाव हजार रुपये और दस हजार रुपये की राशि वाले निर्गमित अर्थ-पत्रों की राशि तथा कुल के प्रनिशत अंश की सूचना का भी विवरण किया जाता है। १०००, ५००० और १०००० रुपये वाले अर्थ-पत्र अप्रैल १६५४ से निर्गमित किये गये हैं। १, २३, २०, ५० और ५०० रुपये वाले अर्थ-पत्र समय-समय पर समाप्त कर दिये गये।

#### ४ भारतीय छोटे मिक्को के चलन में गति—

आठ-आना, चार आना, दो आना, एक आना, आधा आना, एक पैसा, आधा-पैसा के सिक्कों की वापसी की तथा ५०, २५, १०, ५, २ और १ नये पैसे वाले सिक्कों की वृद्धि की सूचना ( अ ) राशि के अनुसार ( ब ) धातु के अनुसार और ( स ) चेतानुसार दी जाती है।

राशि के आधार पर वर्गीकरण उपरोक्त है। धातु के अनुसार ( १ ) चतुर्थांशुक सिक्के—( Quarternary Silver Coins )—आठ आना—चार आना, ( २ ) रूपक सिक्के ( nickel coins ), ( अ ) शुद्ध रूपक—आठ आना, चार आना, ५० नये पैसे, २५ नये पैसे ( ब ) रूपक मिश्रित—चार, दो, एक व आधा आना और १०, ५, और २ नये पैसे वाले और ( स ) ताङ्र-पैसा, आधा पैसा, पाई और एक नया पैसा। चेतानुसार वर्गीकरण—बगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली।

५. नुस्त, नाट और विकृत अर्थ-पत्र—इसमें नुस्त या पूर्णतया नाट, आये, विकृत, पजीकृत ( रु १०० से अधिक वाले ), अपजीकृत ( हर १ से १०० तक की राशि वाले ) और भारत सरकार के १ रुपये वाले अर्थ-पत्रों के बारे में स्वीकृत दावों की सूच्या, दुकड़ों की सूच्या, स्वीकृत दावों की राशि तथा वित्तीय वर्ष में चुकाये गये दावों की राशि की सूचना दी जाती है।

६. अर्थ-पत्रों में जालसाजी—विभिन्न राशि वाले अर्थ-पत्रों में जालसाजी की सूच्या तथा राशि का विवरण दिया जाता है।

७. अर्थ-पत्रों में जालसाजी के मम्बन्ध में अभियोग-नये अभियोग, यन वर्ष की समिति पर लम्बित अभियोग, कुल अन्वेषा ( trials ), विमुक्त, दोष मिहि तथा लम्बित भागलों के बारे में सूचना प्राप्त है।

८ भारतीय रुपये और छोटे सिक्को का टंकन—यह सूचना टंकन बैन्डो ( बम्बई, हेदराबाद और इलोपुर ) और इन बैन्डो पर विविध राशि के सिक्कों की सूच्या और राशि के बारे में ही जानी है। १६१—६२ में कुल १४४,३३,२६,०००

विभिन्न राशि के सिक्को का टकन हुआ। जिनकी कुल राशि ८,७७,२२,००० रु० थी। बम्बई, हैदराबाद और श्रीलंका पर यह राशि क्रमशः ३,५४,५२ लाख रु०, ४२ रु० लाख और ४७६८२ लाख रु० थी।

**६. चांदी, ताम्र-रूपक ( cupro-nickel ), और ताम्र सिक्को का प्रत्याहरण ( withdrawal ) —**

अ प्रचलित तथा प्रचलित सिक्को के प्रत्याहरण की सूचना विविध प्रकार के सिक्को की राशि के रूप में दी जाती है। १९६१-६२ में सब प्रकार के सिक्के ३१६,४०, ५७६,६५ रु० की राशि का प्रत्याहरण किया गया जिसमें अप्रचलित सिक्के २,६३, ७४,६४३,४२ रु० के थे।

**१०. कोपागारो और रेल स्टेशनो पर कूट ( counterfeit ) सिक्को की संख्या —** की सूचना विभिन्न राशि के सिक्को के अनुसार दी जाती है।

**११. वास्तविक चलन में सिक्को का विवरण —** विभिन्न प्रकार के सिक्को का मकल भार, बनावट ( धातु का अनुपात ), व्यास, बिनारा ( edge ) और आकर के सम्बन्ध में यह सूचना प्राप्त है।

उपरोक्त प्रकार की समस्त सूचना रिजर्व बैंक के चलार्थ तथा वित प्रतिवेदन में प्रकाशित की जाती है।

### सोना-चादी समंक —

चलार्थ के अतिरिक्त सोना-चादी के सम्बन्ध में भी कुछ महत्वपूर्ण समक एकत्रित किये जाते हैं जो इस प्रकार हैं —

१. सोना-चादी के मूल्य

२. चादी का व्यव और वित्रय

३. सोना और चादी का अनुपात और नियन्त्रण

४. टक्कालो में प्राप्त तथा सिवने-दलाये में प्रयुक्त सोना और चादी का मूल्य

५. टक्कालो में सोना और चादी का परीक्षण तथा शुद्धता

### बीमा समक

भारत में जीवन और अन्य प्रकार के बीमा के सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इस समय जीवन बीमा नियम, वित मन्त्रालय के मध्यन बीमा विभाग, राज्य बीमा विभागों और डाक तथा तार विभाग से सूचना प्राप्त होती है। सूचना प्राप्ति का सौन बीमा वार्दिक पुस्तक भी है। सामग्री का वर्णन इस प्रकार दिया गया है—

### १. जीवन बीमा :

जीवन बीमा निगम

राज्य बीमा

डाक जीवन बीमा

२. अन्य बीमा

प्राप्त सामग्री इस प्रकार है—

जीवन बीमा :

१. भारतीय जीवन बीमा की आय, और बहिर्गमन ( outgo ) की राशि —

विस्तृत विवरण इस प्रकार है —

आय :

१. जीवन बीमा और वार्षिकी पर प्रव्याजि ( premium )

प्रदम वर्ष

नवीकरण

२. शुद्ध व्याज, लाभांश और किराया

३. अन्य प्राप्ति

बहिर्गमन ( outgo ) :

१. मृत्यु के कारण दावे

२. अतिजीविता के कारण दावे

३. समर्पण ( रोकड़ तथा प्रव्याजि की कमी के रूप में घाम्फी सहित )

४. वार्षिकी तथा निवृत्ति वेतन

५. लाभांश

६. प्रबन्ध शय

७. ह्रास, विनियोग घट-घट साते में हस्तान्तरण, आदि,

८. विविध

९. जीवन बीमा निधि में वृद्धि

१०. नया व्यापार तथा समाप्त व्यापार ( business at close )—

निम्न सम्बन्ध में समक्ष प्राप्त हैं :—

१. निर्गमित बीमा-पत्रों की संख्या —

भारत में व बाहर

२. बीमित राशि —

अ— बीमा

पा — वार्षिक

**३. प्रव्याजि ( Premiums ) —**

अ — प्रथम वर्ष

आ — नवीकरण

**३. भारतीय बीमिको की जीवन बीमा निधि, अन्य बीमा निधि, प्रदत्त पूँजी और कुल परिसम्पद —**

**४. लाभाश दर, मूल्यांकन परिणाम आदि**

**५. राज्य बीमा — राजस्थान, केरल तथा अन्य कुछ राज्यों में राज्य बीमा योजना चालू है जिसके सम्बन्ध में भी सूचना प्रकाशित की जाती है।**

**६. डाक घर जीवन बीमा व्यापार-विविध विवरणों में इससे सम्बन्धित निम्न प्रकार की सूचना प्राप्त है—**

( अ )—डाकघर बीमा निधि

( ब )—डाकघर जीवन बीमा और बन्दोबस्ती बीमा

( स )—डाकघर बीमा निधि की आय और व्यय

**अन्य बीमा—भारत में मूल्यत. अम्नि, सामुद्रिक, दुर्घटना, मोटर, चोरी, ढकेली आदि बीमा प्रचलित हैं। भारत पर चीन के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिसम्बर १९६२ में संसद् द्वारा दो अधिनियम ग्राह किये हैं—आपात जोखम (माल)-Emergency Risks ( Goods ) और आपात जोखम ( नियाएँ ) बीमा अधिनियम जो १ जनवरी १९६३ से लागू हो चुके हैं। अन्य बीमा के सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री भारतीय बीमा वार्षिक पुस्तक में उपलब्ध है।**

निर्यात जोखम बीमा नियम द्वारा भी कुछ सूचना प्रकाशित की जाती है। नियम ने १९६१ में ४२६ बीमा-पत्र निर्गमित किये जिनका दायित्व १३०२ करोड़ ३० रु.।

**विदेशी विनियम तथा विदेशी पूँजी समंक**

भारतीय विदेशी विनियम संचिति की सूचना रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन और अलायं तथा वित्त के वार्षिक प्रतिवेदन में दी जाती है। संचिति राशि के साथ-पाथ गत माह की अपेक्षा संचिति राशि में परिवर्तन की सूचना भी दी जाती है जो इस प्रकार है—

भारत की विदेशी विनियम सचिति  
[ करोड़ रुपयों में ]

अन्त में	परिसम्बद्ध (अ)	परिवर्तन—जल वर्ष या मास की तुलना में
१९५०-५१	६५१.४१	+ २८.५५
१९५५-५६	८२४.६१	+ १०.४७
१९६०-६१	३०३.६१	- ५६.२५
१९६१-६२	२६७.३१	- ६.३०
जनवरी, १९६३	... २५४.२७	+ १०.६७

(अ) इसमें निम्न सम्मिलित हैं—

(१) रिजर्व बैंक के पास रखा हुआ ७१ लाख औंस स्वरूप जो ५ अक्टूबर १९५६ तक २१.२४ रु. प्रति तोला और बाद में ६२.५० रु. प्रति तोला मूल्यांकित किया गया,

(२) रिजर्व बैंक के विदेशी परिसम्बद्ध, और

(३) सरकार के विदेशी में शेयर।

भारतीय रुपया १९४६ से पूर्व स्टॉलिंग से सम्बद्ध था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोण की सदस्यता के परिणामस्वरूप अब भारतीय रुपया स्वतंत्र रूप से विदेशी की मुद्रा में परिणत होता है। इस विभिन्न राष्ट्रों की मुद्रा में स्पष्टीय का मूल्य बतलाया जाता है। तालिका में विदेशी विनियम दर राष्ट्रों की अपनी मुद्रा में बताई जाती है जो कनाडा से मुक्त राज्य, हागकाग, मलाया, बेलजियम, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नोर्वे, स्वीडन, जापान, स्विटज़रलैंड, पश्चिमी जर्मनी, लादन, बर्मा, न्यूक्लियन, संयुक्त अधिकार गणराज्य, इराक, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका के सम्बन्ध में दी जाती है।

विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में मूलनां का प्रकाशन रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर किया जाता है और यह मासिक बुनेटिन में प्रकाशित की जाती है। यह उद्योगानुसार और राष्ट्रानुसार दी जाती है। प्राप्त मूलना के मनुसार स्थिति इस प्रकार थी—

**विदेशी व्यवसायिक विनियोग (उद्योगानुसार)**  
**( करोड रुपयों में )**

	१९५८	१९५९
पेट्रोल	११८ ४	१२० ७
निर्माणी	२१८ ६	२५० ७
व्यापार	३० ०	२८ ४
उपयोगिता और यानायात	५० ०	५२ ६
खनन	१२ ४	१३ ०
वित्त	२२ ६	२५ १
बागान	६६ ०	६५ १
विविध	२४ ३	२५ १
	५७२ ६	६१० ७

**विदेशी व्यवसायक विनियोग (राष्ट्रानुसार)**  
**करोड रुपयों में**

	१९५८	१९५९
संयुक्त अधिकारी राज्य (U K)	३६८ ८	४०० १
संयुक्त राज्य अमरीका	६० ०	८२ ०
पश्चिमी जर्मनी	३ ८	५ ४
जापान	० ६	१ ४
स्विटजरलैंड	६ ८	७ ६
पाकिस्तान	४ २	४ २
विश्व कोष	७२ २	८३ ०
अन्य	२६ २	२७ ०
	५७२ ६	६१० ७

इसी प्रकार विदेशी सहायता के समक्ष भी चतुराय और वित्त प्रतिवेदन में प्रभावित किये जाते हैं। विदेशी सहायता फूल अनुदान और अव रूप में मिलती है जो सावजनिक

और निजी देशों के लिए दी जाती है। अधिकृत और उपयोजित यशि का उन्नेस्ह किया जाता है। विवरण इस प्रकार है—

	करोड रुपये			
	ऋण	अनुदान	अन्य	गोल
१. प्रथम योजना के अन्त तक अधिकृत सहायता	२३६.३	१६४.१	१६.६	४२०.३
२. प्रथम योजना के अन्त तक उपयोजित सहायता	१२६.४	६६.३	५.१	२२७.८
३. प्रथम योजना के अन्त तक असवितीर्ण (undisbursed) (१ - २)	११२.६	६७.८	११.८	१६२.५
४. द्वितीय योजना में अधिकृत ....	१२७८.६	१५६.३	११३०.८	२५६६.०
५. ३१ मार्च १९५६ के पश्चात् उपयोग में लेने योग्य (३+४)	१३६१.८	२२७.१	११४२.६	२७६१.५
६. द्वितीय योजना में अनुमानित उपयोग ..	७२४.३	१६७.३	५४४.८	१४६६.४
७. मार्च १९६१ के अन्त में असवितीर्ण (५-६)	६६७.५	२६.८	५६७.८	१२६५.१
८. १९६१-६२ में अधिकृत ..	४०३.६	३२.०	—	४३५.६
९. द्वितीय योजना में उपयोग लेने योग्य (७+८)	१०७१.१	६१.८	५६७.८	१७३०.७
१०. १९६१-६२ में उपयोग ...	२२७.०	३०.८	८६.६	३४४.४
११. मार्च १९६२ के अन्त में असवितीर्ण (६-१०)	८४४.१	३१.०	५२१.२	१३८६.३

### अन्य वित्तीय समंक

नीचे श्रीयोगिक वित्त के विभिन्न स्रोतों का विवरण दिया गया है—

#### १. वित्तीय निगम :

भारत का श्रीयोगिक वित्त निगम (I.F.C.I.)

(Industrial Finance Corporation of India)

राज्य वित्त निगम (S.F.Cs.)

राष्ट्रीय श्रीयोगिक विकास निगम (NIDC)

(National Industrial Development Corp.)

भारत का श्रीयोगिक साउथ ऐर विनियोग निगम (ICICI)

(Industrial Credit and Investment Corporation of India)

उद्योग के लिए पुनर्वित निगम—Refinance Corporation for Industry

राष्ट्रीय उधु उद्योग निगम

२. संयुक्त स्वन्य फ्रेंचन

३. अधिकोप (पहले बर्णन किया जा चुका है)

### ओद्योगिक वित्त निगम (IFCI)

ओद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ के अधीन स्थापित यह निगम निम्न प्रकार से उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता देता है—

१. ओद्योगिक सम्यांगों द्वारा निर्गमित ऋण, जो २५ वर्ष में वापस किया जाने वाला हो तथा सार्वजनिक बाजार में निर्गमित किया गया हो, को प्रत्याशूत बरके,

२. ओद्योगिक सम्यांगों के स्वन्य, अंश, बाड़ या ऋणपत्रों के निर्गमन को अभियोगन करके, परन्तु ऐसी प्रतिभूतियों को मात्र वर्ष के अन्दर-अन्दर बेच दिया जाना चाहिये,

३. ओद्योगिक सम्यांगों को ऋण या अग्रिम स्वीकृत करके या उनके ऋणपत्रों को अरीदकर जो अधिकतम २५ वर्षों में चुकाये जाने वाले हों,

निगम द्वारा उपरोक्त सूचियाँ बेचल सार्वजनिक सीमित प्रमदलों और ओद्योगिक महकारी सम्यांगों को ही उपलब्ध की जाती हैं। निजी प्रमदल और सामाजिक व्यापार इस सेवा में नहीं आते।

निगम अपना पूँजी-धन अरा पूँजी, बाड़ और ऋण-पत्र, जमा, रिजर्व बैंक में ऋण, विदेशी मुद्रा में ऋण और केन्द्रीय सरकार से ऋण के रूप में प्राप्त करता है।

निगम द्वारा ३० जून को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में वापिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है जिसमें निम्न सामग्री सम्मिलित की जाती है—

#### १. ऋणों का विवरण

उद्योगानुमार

राज्यानुमार

नवे और पुराने सम्यांगों के अनुमार

स्वीकृत राशि के अनुमार

#### २. सहायता के लिए आवेदन पत्रों का व्यौरा

#### ३. परिस्पर तंत्र देय-पत्र

निगम द्वारा १६६१-६२ में १६ उद्योगों के ४१ प्रारंभना-पत्र स्वीकार किये गये जिसके फलस्वरूप २४.४५ करोड़ रु का क्रहण स्वीकार किया गया। प्रारम्भ से इस तिथि तक निगम द्वारा २६७ संस्थाओं को १३०.२७ करोड़ रु का क्रहण स्वीकृत किया गया जिसमें से ७३.८१ करोड़ रु नवे कारखाने प्रारम्भ करने हेतु ५०.६७ करोड़ रु बहार हेतु, ३.८२ करोड़ रु आवृत्तिकरण हेतु और १.६८ करोड़ रु अन्य कार्यों जैसे कार्यशील पूँजी के लिए थे। इसमें से ६८.१४ करोड़ रु वास्तव में दिये गये और ४८.६२ करोड़ रु बचाया थे।

१६६३-६२ में सबसे अधिक ज्ञात चीनी उद्योग को दिया गया ( ७.५२ करोड़ रु० ) और दूसरे स्थान पर रमायन उद्योग ( ६.३८ करोड़ रु० ) रहा। छालर ज्ञात भी २.७५ करोड़ रु० का ६ सस्याओं को दिया गया। पश्चिमी जर्मनी मुद्रा में दो संस्थाओं को २.२०.२ लाख रु० का ज्ञात दिया गया। वर्ष में ११ प्रत्ताव अभियोपन के स्वीकृत किये जिसमें ६२ लाख रु० के साथारण अंश और १०.५ लाख रु० के मूर्वर्धिकारी अंश निहित थे।

निगम के परिसम्पद औट-देव-जैत का ब्लोर-इस प्रकार है—

( लाख रुपयों में )

मार्च का अन्तिम शुक्रवार

१९६२-६३

१. निर्ममित तथा प्रदत्त अश पूजी	"	५,००	६,८४
२ सचिति निधि—			
भ—विशेष [ धारा ३२ अ (१)			
के प्रमुख ]	"	—	४१
आ—अन्य	"	१	१,३४
३. असदिग्य कहणों के लिये संचिति	"	—	१४
४. कर—प्रबन्ध	"	—	५६
५. दाढ़ और कहण—पत्र	....	५,३०	२२,८४
६. रिजर्व बैंक से कहण	....	—	—
७. सरकार से कहण	....	—	१७,७५
८. अन्य दायित्व	....	३७	१२,०३
		<u>कुल</u>	<u>१०,६८</u> <u>६१,३४</u>

परिसम्पद			
१. हस्तगत तथा अधिकोपो के पास रोकड़	४७	२,६१	
२. सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग	४,५८	—	
३. ऋण और अग्रिम	५,२१	४५,४८	
४. ऋण-पत्र	—	—	
५. अन्य परिसम्पद	४१	१२६५	
कुल	१०,६८	६१,३४	

### राज्यवित्त निगम

शोधोगिक वित्त निगम के अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों में १५ राज्य वित्त निगम कार्य कर रहे हैं। इन निगमों के भी वही उद्देश्य हैं जो शोधोगिक वित्त निगम के हैं परन्तु इनके हारा दिये गये ऋण आदि की अवधि अपेक्षाकृत कम है तथा केवल व्यापक है।

इन निगमों के परिसम्पदों और देय धन की तथा कार्यवाही के बारे में निम्न सूचना प्रकाशित की जाती है।

**राज्य वित्त निगमी की धार्यवाही (लाल शरणों में)**

राज्य वित्त निवारण	निगम	माह १६६२									
		माह के प्रति में	के ग्रात में	माह के प्रति में	के ग्रात में	माह के प्रति में	के ग्रात में	माह के प्रति में	के ग्रात में	माह के प्रति में	के ग्रात में
१. मासाम		२,००	२,६०	३,३३	३,०३	३,३३	३,१२	३,१२	३,३५	३,३५	४०,५५
२. आनंद		३,५०	५,५५	३,६६	५,५५	३,६६	३,२४	३,२४	३,३५	३,३५	
३. उत्तर प्रदेश		२,००	२,०५	३,६६	२,७३	३,६६	३,२४	३,२४	३,३६	३,३६	
४. उडीसा		५०	—	२,७०	२,७०	२,७०	२,४९	२,४९	२,०४	२,०४	
५. विहार		२,००	२,००	१,००	१,००	१,००	१,०४	१,०४	१,०४	१,०४	
६. गुजरात		५०	—	—	—	—	२,३६	२,३६	३,३५	३,३५	
७. झज्जू और राजस्थान		५०	३,५०	३,५०	३,५०	३,५०	३,१२	३,१२	३,१२	३,१२	
८. झज्जू		१,००	१,००	१,००	१,००	१,००	१,०४	१,०४	१,०४	१,०४	
९. एनआर		१,००	१,००	१,००	१,००	१,००	१,०४	१,०४	१,०४	१,०४	
१०. साहियग बगाल		१,००	१,००	१,००	१,००	१,००	१,०४	१,०४	१,०४	१,०४	
११. बाहुद		१,००	१,००	१,००	१,००	१,००	१,०४	१,०४	१,०४	१,०४	
१२. गिरहर		१,००	१,००	१,००	१,००	१,००	१,०४	१,०४	१,०४	१,०४	
१३. मद्रासा		१,००	१,००	१,००	१,००	१,००	१,०४	१,०४	१,०४	१,०४	
१४. मध्य प्रदेश		१,००	१,००	१,००	१,००	१,००	१,०४	१,०४	१,०४	१,०४	
१५. मेहरू		१,००	१,००	१,००	१,००	१,००	१,०४	१,०४	१,०४	१,०४	
१६. राजस्थान		१,००	१,००	१,००	१,००	१,००	१,०४	१,०४	१,०४	१,०४	
							२३,२८	२३,२८	२३,२८	२३,२८	४०,५५

यह सूचना इन नियमों के वार्षिक प्रतिवेदनों में दी जाती है तथा वही सूचना प्राप्त हीती है जैसी कि ओद्योगिक वित्त नियम द्वारा प्रकाशित की जाती है।

### राष्ट्रीय ओद्योगिक विकास नियम

यह नियम उद्योगों की स्थापना और विवास की सहायता हेतु और मुख्यतः उन उद्योगों के लिये जो देश के ओद्योगिक ढांचे की कमी को पूरा करने का कार्य करते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया जिसकी पूँजी भी सरकार द्वारा ही प्रदान की गई। प्रमुख्यतः यह नियम सूती वस्त्र उद्योग और लूट उद्योग को आधुनिकरण और पुनर्वास के लिये विशेष ऋण देने के लिये प्रारम्भ किया गया था परन्तु प्रब्र मशीन यन्म सस्थान भी इसके चेत्र में सम्मिलित बर दिये गये हैं। मार्च १९६० के अन्त तक नियम द्वारा इन उद्योगों को १४ ७६ करोड़ रु० के करण स्वीकृत किये जा चुके हैं।

**ओद्योगिक साख और विनियोग नियम ( Industrial Credit and Investment Corporation of India )**—यह नियम निजी चेत्र के उद्योगों को १५ वर्ष के लिये ऋण प्रदान बरता है। ऋण देने में सत्याघो की अपेक्षा व्यक्ति विनियोजकों को प्राथमिकता दी जाती है। इसकी पूँजी भारतीय अधिकोष, बीमा कम्पनियों और तिजी व्यक्तियों ने तथा क्रिटेन और अमरीका के विनियोजकों ने प्रदान की है।

नियम ने १९६० में १३ ४३ रु० करोड़ की सहायता प्रदान की जो ४४ प्रमाणदलों को दी गई। इसमें में स्पष्टो में सहायता ३४ प्रमाणदलों को ऋण, और साधारण और दूर्वाधिकारी अशा खरीद कर तथा अभियोपन करके ५८१ करोड़ रु० की सहायता दी गई। विदेशी मुद्रा में २७ प्रमाणदलों को ७६२ करोड़ रु० की सहायता दी गई। १९६१ में ११३० करोड़ रु० स्पष्टो की कुल सहायता ३८ प्रमाणदलों को दी गई जिसमें में ६७६ करोड़ रु० विदेशी मुद्रा ऋण और शेष रूपया ऋण ( ३६६ करोड़ रु० ), अशों का अभियोपन ( ५५ लाख रु० ) और अशो तथा ऋण पक्षा में प्रत्यक्ष अभिदान ३० लाख रु० ) था। नियम द्वारा ऋणों का भुगतान ५६५ करोड़ रु० का किया गया जब कि १९६० में यह राशि ३११ करोड़ रु० थी। वर्ष में ५ अभियोपन कार्य ७८ लाख स्पष्टो के लिये जिसमें से ४१ लाख रु० नियम को लेने पड़े। यह सूचना तात्कालिका के रूप में नीचे प्रस्तुत की जाती है—

	१९५६	१९६०	१९६१
	( साल स्पष्टो में )		
स्पष्टो मुद्रा में ऋण	३५२	४२६	३६६
विदेशी मुद्रा में ऋण	६७४	७६२	६७६
अशो का अभियोपन	८३०	१७२	५५
अशा पूँजी में प्रत्यक्ष अभिदान	१८६	—	३०
कुल स्वीकृत सहायता	१३४३	११३०	

\* इसमें अशा पूँजी में प्रत्यक्ष अभिदान की राशि भी सम्मिलित है।

निगम द्वारा कुल स्वीकृत सहायता का भुगतान कई कारणवश नहीं हो पाता है। १९५५ से १९६१ तक स्वीकृत सहायता की राशि ८२७१ करोड रु० थी जिसमें से १८४१ करोड रु० (४३%) का ही भुगतान किया जा सका।

### उद्योग के लिये पुन वित्त निगम (Refinance Corporation for Industry Ltd.)

निजी वेत्र में मध्य प्राकार के संस्थानों को ज्ञाण उपलब्ध कराने हेतु इस निगम की स्थापना ५ जून १९५० की गई। निगम प्रत्यक्ष संस्थाओं को ज्ञाण न देकर अधिकोषों को इस कार्य के लिए सहायता प्रदान करता है। इन अधिकोषों और वित्तीय संस्थाओं को इस कार्य के लिये निगम का सदस्य बनता अनिवार्य नहीं है। यह पचवर्षीय योजना के अधीन प्राप्त वाले उद्योगों को ही सहायता प्रदान करता है तथा सहायता १५ वर्ष तक के लिये दी जाती है।

स्थापना से १९६२ के अन्त तक निगम ने २७१२ करोड रु० की सहायता स्वीकृत की जिसके लिए २२ वित्तीय संस्थानों से १६५ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये। इस वर्ष में निगम ने ७६६ करोड रु० की सहायता का २० वित्तीय संस्थानों को भुगतान किया जिससे यह राशि प्रारम्भ से १९६२ तक १४६२ करोड रु० हो गई।

### राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम—

यह निगम सरकार से लघु उद्योगों के लिये क्रय आदेश प्राप्त करता है, उन्हे वित्तीय सहायता और क्रयावक्य (Hire-purchase) योजना के अन्तर्गत यत्र प्रदान करता है। १९६१ के अन्त तक निगम ने १५०१ करोड रु० की राशि के ४५८५ आदेश प्राप्त किये तथा ८८७५ करोड रु० की राशि की २६,३८५ मरीनों के लिये ७११७ आवेदन पत्र स्वीकृत किये जिसमें से ५५६ करोड रु० राशि की ५७११ मरीने दी गई।

इसी आधार पर लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु कई राज्यों ने सघु उद्योग निगम स्थापित किये हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, मैसूर, केरल, आन्ध्र, उडीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य हैं।

### संयुक्त स्वन्य अमंडल

संयुक्त स्वन्य मढ़लों के बारे में दो प्रकार की सूचना शाम्ल है। प्रमङ्गल विधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रमङ्गलों की कार्यवाही के बारे में तथा पूजी निगम नियन्त्रक (Controller of Capital Issues) द्वारा नये तथा विद्यमान प्रमङ्गलों द्वारा नियंत्रित मरी के बारे में सूचना एकत्रित भी जानी है।

प्रमङ्गल विधि प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष में प्रमङ्गलों की सूच्या तथा पूजी के बारे में सूचना निम्न प्रकाशनों में मिलती है-

१ Monthly Blue Book of Joint Stock Companies in India

२ Joint Stock Companies in India ( Annual )

इसके प्रतिरिक्त Monthly Abstract of Statistics और Statistical Abstract of India ( Annual ) में भी यह सूचना प्रकाशित की जाती है। अधिकृत निर्गमित, याचित और प्रदत्त पूँजी के अतिरिक्त याचना, अदत्त और हृत ( Forfeited ) अशो के बारे में सूचना दी जाती है। प्रमडलो के नये पंजीकरण और समापनो की सत्या भी दी जाती है। यह सूचना राज्यानुसार और ओद्योगानुसार प्रकाशित की जाती है।

पूँजी निगम नियन्त्रक द्वारा नये तथा विद्यमान प्रमडलो द्वारा निर्गमन के लिए स्वीकृत पूँजी के आकड़ों का प्रकाशन Quarterly Statistics on the Working of Capital Issues Control नामक पत्रिका में किया जाता है। सूचना सरकारी और अ-सरकारी प्रमडलो के बारे में दी जाती है जिन्हे पुन ओद्योगिक और ओद्योगिक वर्गों में बांटा जाता है। आवेदन पत्रों की सत्या और सनिहित राशि हथा स्वीकृति की सत्या और सनिहित राशि की सूचना दी जाती है। अलग तालिका में सूचना विभिन्न प्रकार के पूँजी निगमों के आधार पर प्रदान की जाती है जो सरकारी और अ-सरकारी प्रमडलो के निए अलग दी जाती है। प्रत्यावर्तन प्रस्तुत न करने वाले प्रमडलो की सूचना इसमें सम्मिलित नहीं की जाती। निम्न तालिका में यह सूचना प्रस्तुत की गई है।

[ राजि ग्रोड यांगी मे ]

स्वीकृति

पूँजी निर्गम को स्वीकृति

शासेद्वय पद्म निविल (disposse)	स्वीकृति			स्वीकृति			स्वीकृति		
	संख्या	चापि	प्राप्ति						
प्राप्तिशील	२६३	२७६	१६६१२३	५२३७३	५३०३८	५३०३८	२६०१७	२६०१७	२६०१७
द-सोलोगित	५०	५६	५०६	५६	५६	५६	५२५	५२५	५२५
क. दुलि तथा याद्यायक वर्ग	२२	६६	५०३	६६	६६	६६	०३०	०३०	०३०
प. वित्तीय	२०	५६४	६५	५६४	५६४	५६४	—	—	—
प. व्यापार यातायात ..	३०	१४४८०	७७	१४४८०	१४४८०	१४४८०	००५	००५	००५
प. मन्त्र	८	२८४	८	२८४	२८४	२८४	२०	२०	२०
	—	२०२१६	—	२०२१६	२०२१६	२०२१६	५४६	५४६	५४६
१६६० पा योग ..	—	३६६६	—	३६६६	३६६६	३६६६	३६६६	३६६६	३६६६
१६६० पा योग ..	२६०	२५२१६	७७७	१२०११३	१२०११३	१२०११३	५०	५०	५०
१६६० पा योग ..	२६४	१५२१६	१५२१६	१५२१६	१५२१६	१५२१६	५३३७	५३३७	५३३७

(२) सारकारी प्रमण्डल													
प्रौद्योगिक श्रृंखलागत	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९
(क) युवा तथा सहायक कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ल) वितरण	२७५	२८५	२९५	२१७	२१७	२१७	२१७	२१७	२१७	२१७	२१७	२१७	२१७
(ग) व्यापार या यातायात (ए) प्रनय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
१६६१ का योग	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३
१६६० का योग	३७	३७	३७	३७	३७	३७	३७	३७	३७	३७	३७	३७	३७
१६६५ का योग	२२	२२	२२	२२	२२	२२	२२	२२	२२	२२	२२	२२	२२

उपरोक्त तालिका में दी गई सूचना नियमित पूँजी धन का सही रूप प्रस्तुत नहीं करती क्योंकि यह केवल पूँजी नियंत्रण स्थिरकृति की राशि है न कि वार्षिक नियंत्रण है। इसी प्रकार चाही दू जी मुक्ति धारेया के प्रत्यगत नियंत्रण की जाती है जिसका इसमें विवरण नहीं दिया जाता। इस सम्बन्ध में सूचना नियम लालिका में प्रकृतु की गई है, किंतु यह कुल नियंत्रण नहीं बहुत ज्ञान वालों के लिये उपयोगिक एवं प्रभावको से प्रत्यक्षतर ग्राहक नहीं हो पाते हैं।

सरकारी और अ-सरकारी प्रमङ्गलों द्वारा एकत्रित पूँजी (Capital raised)

कुल एकत्रित पूँजी अर्थात् प्रदर्शन  
(करोड़ स्पयों में)

१६५६ (पुनर्संचयित)	१६६० (संशोधित)	१६६१ (प्रारम्भिक)
--------------------	----------------	-------------------

( १ ) अ-सरकारी प्रमङ्गल

प्रारम्भिक

(नये प्रमङ्गलों के निर्गम : )

साधारण यथा	२६०८२	२७००८	३२०२१
पूर्वाधिकारी	०८२	०४७	१०६

विविध (Further) विद्यमान प्रमङ्गलों के निर्गम :

साधारण	२६०६५	४३०३०	४२०३२
पूर्वाधिकारी	३०६३	७०३१	३०७४
क्रहणपत्र	१०००४	६०३६	८०७६
अम्यवा	४०३२	०५२	६०७५
विविध (क्रहणादि)	१३०३३	२१२७	१००४
योग	८६०२१	१०६०३४	१६०५२

( २ ) सरकारी प्रमङ्गल

प्रारम्भिक

साधारण	१५०४३	१६००७	४०३
पूर्वाधिकारी	००२	—	—

शाधिक

साधारण	७५६६	४७०३०	५२०४
पूर्वाधिकारी	००५०	—	—

क्रहण पत्र

—	—	—	—
अम्यवा	—	००६३	—

विविध (क्रहणादि)

—	००१	००३०	०२०
योग	६४०६५	६४०३०	५६०२७

शोधन शेष-Balance of Payments

शोधन शेष वा शर्यं एक निश्चिन्त अवधि में प्रनिवेदित राष्ट्र के समस्त निवासियों और अन्य राष्ट्रों के निवासियों, जिन्हें मुगमता की हाल्ट से विदेशी बहा जाता है, के बीच समस्त आर्थिक व्यवहारों का मुद्रावस्थिति लेता है।

भल्लार्प्पोय मुद्रा कोष की शोधन-शेष नियमावली में 'निकासी' और 'विदेशी' को परिभ्रान्ति किया गया है तथा अन्येद का आधार उनकी देश में 'हचि' है। नियमावली के अनुसार आर्थिक व्यवहार निम्न प्रकार के होते हैं—

१. वस्तु विक्रय या मुद्रा या अन्य साख सलेल या विनियोगे पर अधिकार के बदले सेवा करना,
२. वस्तु-विनियम,
३. पूँजीगत वस्तुओं का अन्तः परिवर्तन जैसे—प्रतिभूतियों का मुद्रा के बदले, एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में, आदि
४. वस्तु उपहार, और
५. मुद्रा और पूँजीगत वस्तु उपहार

देश के निवासियों और विदेशियों के बीच सब प्रकार के आर्थिक व्यवहार सम्बलित किये जाते हैं परन्तु स्वर्ण व्यवहार और ग्रल्पकालीन पूँजी परिवर्तन छोड़ दिये जाते हैं।

शोधन-शेष समंको को एकरूप स्तर पर एकत्र करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा को परन्तु समस्त सदस्य देशों के लिये एक प्रमाण अनुमूल्यी तथार की है और भारत इस अनुमूल्यी के अनुसार समक सकलित करता है। शोधन शेष लेखा दो भागों में विभक्त है—चालू खाता और पूँजी खाता।

चालू खाते में उन व्यवहारों के अतिरिक्त जो प्रतिवेदित देश की अन्तर्राष्ट्रीय ऋणी-ऋणदाता स्थिति और उसकी मौद्रिक स्वर्ण धारण ( monetary gold holdings ) में परिवर्तन लाते हैं, समस्त व्यवहारों का उल्लेख किया जाना है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के हस्तान्तरण व्यवहार और दान सम्बलित किये जाते हैं।

पूँजी खाते में इस प्रकार प्रतिवेदित देश की अन्तर्राष्ट्रीय ऋणी-ऋणदाता ( creditor-debtor ) स्थिति और उसकी मौद्रिक स्वर्ण धारण में परिवर्तन लाने वाले व्यवहारों का उल्लेख किया जाता है।

सदैय में, बाह्य परिसम्पद और देवता में परिवर्तन स्वरूप देश की अन्तर्राष्ट्रीय ऋणग्रस्तता को प्रभावित करने वाले समस्त व्यवहारों का उल्लेख पूँजी खाते में किया जाता है।

शोधन शेष का विश्लेषण करके देश की वित्तीय और आर्थिक नीति निर्धारित की जाती है। भारत में वर्तमान काल में इन समको का महत्व महसूस किया गया और १९४८ से रिजर्व बैंक नियमित रूप से इस प्रकार के समक प्रकाशित कर रहा है। प्रकाशित मूल्य सामग्री इस प्रकार है—

१. भारत का समस्त शोधन शेष ( चालू खाता )
२. भारत का समस्त शोधन-शेष ( पूँजी खाता )
३. चालू खाते में शोधन-शेष का प्रादेशिक सारांश—समस्त चेत्र, स्टालिङ्ग चेत्र, पूर्व दूरोपीय देश ( O. E. E. C. ) डॉलर चेत्र, बाकी अ-स्टालिङ्ग चेत्र,
४. चुने हुए देशों से चालू खाते में शोधन शेष

अ. ११ ]

## भारत का ममस्त शोधन शेप

अ. चाल खाता

(करोड रुपये)

	१९६०-६१ (सशीर्विन)			१९६१-६२ (प्रारम्भिक)		
	जमा	नाम	शुद्ध	जमा	नाम	शुद्ध
१. वाणिज्य (Merchandise) [नियर्वात f.o.b., आयन c.i.f.]						
(१) निजी	६२४.३	६२१.७	+२.६	६६०.४	६००.०	+६०.४
(२) सरकारी	६.२	४७८.५	-४७२.३	७.१	३७८.०	-३७०.६
२. यात्रा*	१६.४	१२.१	+४.३	४.६	११.५	-६.६
३. यानापात्र	४४.१	२४.६	+१६.५	४७.४	२६.६	+२०.८
४. बीमा	८.१	५.८	+२.३	७.४	५.५	+१.६
५. वित्तियोग आय	१४.३	६०.३	-४६.०	११.८	६६.६	-५८.१
६. सरकार, जो कहीं सम्मिलित न किया हो	५१.३	२१.०	+३०.१	३०.८	२४.२	+६.६
७. विविध	३१.३	३२.६	-१.६	३८.७	४०.३	-१.६
८. दाता:						
सरकारी	४६.४	-	+४६.४	४४.४	-	४४.४
निजी	४८.४	१६.८	+२७.६	४१.४	१६.२	+२५.२
९. कुल चाल व्यवहार	८८६.३	१२७३.७	-३८७.२	८८४.०	११७२.२	-२७८.२
१०. भूल चूक			-१०.७			+४.५

\* प्राप्ति के समक्ष अपूर्ण हैं।

भारत का समस्त शोधन शेष, १९६१-६२ ( प्रारम्भिक )

ब—पूँजी खाता

शुद्ध जमा ( + ), शुद्ध नाम ( - )

( वरोड रपये )

	जमा	नाम	शुद्ध
१. निजी ( अधिकोपण रहित )			
अ. दीघ—काल	२१४	२२६	-१५
ब. अल्प—काल	४२	७६	-३७
२. अधिकोपण ( रिजर्व बैंक रहित )	२८३	४१६	-१३३
३. सरकारी ( रिजर्व बैंक सहित )			
अ. ग्रहण	३८४१	६०७	+३२३४
ब. प्रव्युत्सर्जन (Amortisation)	२०	५८५	-५६५
स. विविध	१२६६	११०६	+ १६०
द. सचिति	८६१	७६८	+ ६३
४. कुल पूँजी और मौद्रिक स्वरूप	६५५७	३८२०	+२७३७

रिजर्व बैंक ने एक पुस्तक “भारत का शोधन-शेष, १९५८-५९ से १९६१-६२” प्रकाशित की है जो पहले प्रकाशित दो बुलेटिन, ( १९५३ और १९५७ में ) से कानून विस्तृत सामग्री प्रदान करती है। इसमें भारत से सम्बन्धित शोधन शेष के संदर्भ और प्रक्रिया के साथ देश के अन्तर्राष्ट्रीय लेखों की प्रदृष्टियों का गहन विश्लेषण दिया गया है। साथ ही विदेशी सहायता, विदेशी विनियोग और व्यापार नीति का मूल्यांकन भी दिया गया है। प्रार्देशिक आकड़ों में यूरोपीय सामा बाजार देश, पूर्व यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य और संयुक्त राज्य अमरीका से शोधन शेष की सामग्री उपलब्ध है।

इस प्रकाशन के कलस्वरूप शोधन शेष समको में जो कमिया पाई जाती थी, उन्हें दूर बर दिया गया है।

## अध्याय १२

# जनगणना समंक

( Population Census Statistics )

जनगणना रीति से किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की एक निश्चिन्ति तिथि को गणना करना तथा उनके पेरो, व्यवसाय, आदिक स्थिति, उम्र, लिंग, शिक्षा, भाषा आदि के सबथ में तथ्य एकत्र करने को जन गणना ( census ) कहा जा सकता है। आज के समय में प्रत्येक सरकार, जो जनना की प्रतिनिधि होनी है, कल्याणकारी राज्य स्थापित करना अपना प्रमुख कानून समझती है। किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए, उस देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या की जानकारी होना आवश्यक है।

प्राचीन काल में भी भारत में जनगणना की प्रथा प्रचलित थी। इसा मसीह से ३०० वर्ष पूर्वी कौटिल्य ने व्यवसाय एवं उत्पादन की व्यक्तिगत परिणामों की प्रणाली का उल्लेख किया है। मैगस्यनीज भी जब इस देश में घाया तो उसकी जनगणना अधिकारियों से भेंट हुई थी। मौर्य काल में स्थानीय सम्प्रभों द्वारा नियमित रूप से जनना की परिणामों का आम विधान था। गुप्त काल में भारत में स्थायी और अविरल रूप से जनगणना का प्रबंध था। अत भारत के लिए जनगणना कोई नई बात नहीं है बल्कि यह एक प्राचीन प्रथा है। आधुनिक काल में भारत में प्रथम जनगणना १८७२ में हुई थी, जेविन यह विश्वास करने के कही कारण हैं कि इससे पूर्व मुगलकाल में भी उसके पश्चात भी जनगणना के आकस्मिक प्रयत्न होने रहे थे।

जनगणना की उपयोगिता—

( १ ) भारत जैसे देश में जो आवोगिकरण के द्वारा पर खड़ा है, जन संख्या आकारों का बहुत महत्व है। जन गणना के द्वारा राज्य शासन के नियमित राष्ट्र की आवादी के समकों का प्रावधान होता है और आदिक एवं सामाजिक योजनाओं की अनेक विचार धाराओं के लिए सूचना की आवश्यक सामग्री एकत्र हो जाती है। जनगणना के द्वारा उन सारभूत तथ्यों का सम्ब्रह होता है जिनके आधार पर राज्य संचालन की नीति का निर्माण होता है और राज्य शासन का कार्य चलता है। सम्पूर्ण एवं राज्य विधान सभाओं द्वारा आवादी और उसके जीवन यापन की दराए के बारे में जनगणना के माध्यम के द्वारा ही विश्वासीय तथ्यों की जानकारी होने की वजह से आदिक एवं सामाजिक योजनाओं, शिक्षा के प्रसार, व्यवसाय, जन समूहों के स्थानान्तरण, शृंह निर्माण, जन स्वास्थ्य तथा कल्याण और राज प्रबंध के कार्यकालप से सम्बन्ध रखने वाली अनेक समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता है। हाल ही में निर्बंधन देशों का पुन विभाजन आवादी के माकड़ा पर ही किया गया है।

(२) जन गणना के द्वारा आवादी की बनावट, उसके विभाजन एवं वृद्धि के विलेपण तथा मूल्यांकन के लिए प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है। शामिल या शहरी द्वेषों के बढ़ने हुए स्वरूप, मार्गिक द्वेषों के विकास, मिल मिल मूल्यों (variables) के प्रनुसार आवादी का भाँगोलिक विभाजन भादि तथ्य जनगणना के आवडों द्वारा स्पष्ट रूप से हटिगोचर होने लगते हैं।

(३) जन गणना की सामग्री विविध समस्याओं का सामिक्षीय निदान ( sampling ) एवं अध्ययन करने के हेतु एक सामिक्षीय दाँचे के रूप में प्रयोग की जाती है। एक बैंद बाद दूसरों जन गणना में आवादी के समकों का मूलभूत महत्व इद्द होता जा रहा है। उसका द्वेष ग्राहिक व्यापक बनाने, जनगणना की सामग्री का राष्ट्रीय मूल्य बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय तुलना के लिए उसम सुधार करने के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं।

(४) सब अविवसित एवं अर्ध विवसित देशों में आवादी एवं उसके रहन-सहन की दशा के बार में विश्वगनीय मूल्य बनाना हाथहू बरने के काय वो सबसे अधिक महत्व रिया जाता है। ताकि उन देशों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाई जा सकें।

मरकारी एवं राष्ट्रीय समस्याओं में महत्वपूर्ण योगदान देने के अतिरिक्त जनसंख्या में आवडे अध्ययनशिक्षियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं समाज सुधारकों के लिए भी प्रत्यन्त नामदायक सिद्ध होने हैं।

(५) अर्द्धशास्त्रियों के लिए आवडों के महत्व को बताते हुए विश्वात अध्यशास्त्री एल्फे ड मार्शल ( A Marshall ) ने कहा था कि हमें उस बच्चे माल के समान है, जिसे भूमि, आय अध्यशास्त्रियों की भाति, पक्का मान तैयार करना पड़ता है। आवादी के आवडों के आधार पर अर्थात् विकास की उपनिति ( trend ), व्यवसायिक दावा, शामिल एवं नगरी जनसंख्या में वृद्धि की दर, परिवार नियोगन, खाद्य समस्या, विदेशी-करण, विविध वर्गों पर वर-प्रभार आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन रिया जाता है। (६) समाजवादी सरकार को राज्य के प्रत्येक द्वेष वा संतुलित विकास करने के लिए आवादी के आवडे बहुत लाभदायक मिल होते हैं। प्रति वर्ष राष्ट्रीय-माय का अध्ययन विना जनसंख्या के टीक आवडों के नहीं हो सकता है। कोई भी सरकार विना टीक आम-व्ययक तैयार किए शामन सुचार हर से नहीं चला सकती।

(७) व्यापारी के लिए जनसंख्या के आवडों की जानकारी बहुत उपयोगी तिद होती है। बौडिंगटन ( Boddington ) ने कहा है कि एक सफल व्यापारी वह है जिसका अनुमान यद्यनिता के अनु निकट हो। माल की मांग का टीक अनुमान आवादी के आधार पर ही संगता जा सकता है। उपभोक्ताओं का उनकी आय के अनुमान बनाइरण, उनकी आवश्यकताएं एवं स्थानीय स्थिति का अध्ययन करना एवं वडे व्यापारी के निए आव-स्थन होता है।

<sup>हृष्ट</sup> ४ समाज सुधारक सामाजिक वृत्तियों, जैसे बाल विवाह, महामारी, विधवा समस्या, मद्यपान, असनोपजनक स्वास्थ्य परिस्थितिया आदि का समाचार करने में आवादी के आकड़ा का ही योग लेता है। सामाजिक मुरद्दा, बेरोजगारी, ग्रामों एवं नगरों में कल्याणकारी योजनाएँ जनसत्त्वा के समको पर ही आवाहित होती हैं।

५ एक बड़े निर्माणकर्ता एवं उद्योगपति को अपनी भावी आवश्यकताओं के अनुसार यथानुसार वृत्तियों का अधिक व्याप्त रखना चाहता है। उद्योग ऐसे स्थानों पर ही चालू किए गए जाने हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में श्रमिक प्राप्त होते हैं। जनसत्त्वा के आकड़े इसमें बहुत मदद करते हैं। अधिकोपण एवं बोमा प्रमरण भी अपना कार्य केन्द्र व्यक्तियों की आप, स्वभाव, प्रकार आदि का अध्ययन करते के बाद निश्चित करते हैं। जीवन की प्रत्याशा (Expectation of Life) को सारणिया भी इन्हीं आवार पर बनती है। जनसत्त्वा के घनत्व का अध्ययन करने के बाद ही मोटर-यात्रायात कम्पनियां यह तथ करती हैं दिन देशों में उन्हें व्यवसाय करना निश्चित लाभ प्रदान होता है।

६ वैज्ञानिक एवं शोकर्ता अपने विविध प्रयोगों को सफल करने के लिए जनसत्त्वा सम्बन्धी समको वी सहायता लेते हैं। ऐपज विज्ञान, प्रारंभिक विज्ञान आदि में आवादी के आकड़ों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है।

### विदेशों में जनगणना —

ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जन-गणना चीन, रोम मिथ्र, वेदोंनिया आदि देशों में ईसा से ३००० से ४००० वर्ष पूर्व भी वी जाती थी लेकिन उनका उद्देश्य फौज के लिए सैनिक तैयार करना भी करना आदि की सत्त्वा ज्ञान करना होता था। “Census” शब्द आग्र भाषा में रोम से लिया याता है जहाँ क्रीबी शासन, राजनीति एवं कर-निधारण आदि के लिए पुकार नामिकों का एक रजिस्टर रखता जाता था। रोम में वही वर्षों तक पच-वर्षीय गणना भी की जाती थी।

७ आधुनिक अर्थ के अनुसार प्रथम पूर्ण जनगणना १६४८ में न्यूरेम्बर्ग में की गई। पूर्प के अन्य देशों — इटली, स्पेन, सिसली आदि — में सोलहवीं, सतह्दी और अठारहवीं शताब्दि में जनसत्त्वा सबौदी समक एकत्र किए गए। १६६६ में वनाडा के शूद्रेक प्राप्त में प्रथम पद्धतिपूर्ण (systematic) जनगणना की गई। पूर्प में प्रथम आधुनिक जनगणना १७४६ में स्वेडन में की गई। समुक्त राज्य अमेरिका में सब प्रान्तों में — प्रथम बार दस-वर्षीय गणना १८६० में की गई। इगलेंड में प्रथम जनगणना १८०१ में की गई। भारत वर्ष में प्रथम जन गणना १८७२ में की गई। आजकल प्रत्येक देश में दस-वर्षीय जन गणना वी जाती है।

### जन गणना करने वी प्रणालिया —

जन गणना करने वी, १८७२ में सेन्ट पोर्टर्स्बर्ग में हुई अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यीय कांग्रेस ने निम्न दो प्रणालिया बनाई थीं —

१ — एक रात्रि प्रणाली ( Date system )

२ — कालावधि प्रणाली ( Period system )

एकरात्रि प्रणाली—इसे one nights system भी कहते हैं। इस प्रणाली में जन गणना एक निश्चित दिवस या रात्रि को की जाती है। इसमें सत्तासिद्ध जनसंख्या (de facto population) की गणना की जाती है। वास्तविक या सत्तासिद्ध जनसंख्या से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनकी गणना निश्चित दिवस या रात्रि को जिस स्थान पर वे उपस्थित हो वही की जाए। उदाहरणार्थं मानिए कि जन गणना १ मार्च को की जाने वाली है। १ मार्च की रात्रि को जो भी व्यक्ति जिस स्थान पर उपस्थित होगा उसे उसी स्थान का वासिन्दा या निवासी (resident) मान लिया जायगा चाहे वह व्यक्ति सामाजिक रूप से अन्य राज्य या प्रान्त में रहता हो। जैसे, यदि सदा आसाम राज्य में रहना वाला व्यक्ति जन गणना दिवस के दिन राजस्थान में है तो उसे राजस्थान राज्य का ही निवासी माना जायगा।

२५ इस प्रणाली में निश्चित रात्रि या दिवस को सारे देश में एक साथ जन गणना की जाती है। यह प्रणाली बड़ी सरल है<sup>(१)</sup>—इसमें शब्दों की विस्तृत परिभाषा नहीं करनी पड़ती। यूरोप के कई देशों में इस प्रणाली से भी जनसंख्या जात की जाती है<sup>(२)</sup>। ध्यापारी, स्वास्थ्य, पुलिस एवं यातायात अधिकारियों को वास्तविक जनसंख्या के आधार ही अपनी समस्याओं का हल करना पड़ता है। एक रात्रि प्रणाली से एकत्र किए गये जन संख्या के आकड़े उनके लिए अधिक हित करते हैं।

यह प्रणाली सरल होने हुए भी निम्न दोषों से युक्त है। इस प्रणाली में अशुद्धता की मत्रा अधिक होती है। एक ही रात में समस्त आकड़े एकत्र किये जाने के बारे उनकी शुद्धता बीचार में जात नहीं भी जा सकती। यदि कर्ता जानकर कम या अधिक व्यक्तियों की संख्या अपने अपने परिवार में बता द तो उनका सत्यापन (verification) सम्भव नहीं है<sup>(३)</sup>। भारतवर्ष में पहले जातीय आवार पर ही राज्य सभाओं में प्रतिनिधित्व होता था। जन गणना के समय हिंदू व मुसलमानों में अपने अपने परिवारों में अधिक व्यक्ति बताने की होड़ रहती थी। परिणाम स्वरूप अभिनव विश्रम (biased error) होने की आशका रहती थी। जो जनता जनगणना की जाने वाली रात्रि को रेख, बस, हवाई जहाज, नाव, स्टीमर आदि में यात्रा करती थी, उसे ठीक टीक नोट करना भी सम्भव नहीं होता था। कई व्यक्ति, अनपढ़ होने के कारण व जेल में जाने के डर से अपने नाम दो-दो बार गणना अधिकारियों को लिखा देते थे। गाड़ी लुहार, सदा फिरने वाले बबीले व दिना पर बार बाले साथु, भिद्दको आदि की भी पूरी गणना नहीं हो पाती थी।

इस प्रणाली से, विशेष रूप में भारत में जन गणना बरने में, रात्रि को छुनने में बड़ी धाना का ध्यान रखना पड़ता था। भारत के प्रधिकार मण्डों में विजली की घटवस्था नहीं

(१) है प्रति रात्रि सारी रात चादनी रहने वाली जुनी जाती थी क्योंकि लगभग २० लाख प्रगणकों को रात भर कार्य करना पड़ता था। रात्रि ऐसी होती थी जो न अधिक शीन और न अधिक उपरा हो। उन दिनों में, व्योहार या पर्वादि न हो ताकि अधिकतर जनसंख्या परने घरों पर ही लिख सके। जन गणना रात्रि में की जाती थी ताकि सब व्यक्ति अपने घरों पर ही मिलें। समय ऐसा चुना जाना था जब विसानों को न तो फसल दुवार्ड और न फसल कटाई के काम में व्यापून (busy) रहना पड़े। इसी बारण अकसर जनगणना फरवरी के मास में की जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति को जिसका नाम दर्ज कर लिया जाना था, एक पर्वा दे दी जाती थी। अन्य प्रगणक उम पर्वा को देखकर अमुक व्यक्तिजु का नाम दुवारा दर्ज नहीं करते थे। रात्रि को ही प्रगणक रेल्वे लेट फॉर्म पर प्रश्न। जो थे और प्रत्येक दिन पर्वा वाले यात्री का नाम दर्ज करते थे। रेलों में भी चढ़कर ये प्रगणक यात्रियों के नाम दर्ज करते थे। प्रत्येक स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की भी पर्वा देखी जाती थी। रात भर यह काम करने के बाद प्रात् ६ बजे सब रेलें स्थवा दी जाती थी और प्रत्येक यात्री जिसका नाम अब भी दर्ज करने से रह गया हो तो, उसका नाम दर्ज किया जाना था। इन्हीं सावधानी करने पर भी इस प्रणाली में संरचना की मात्रा अधिक होती थी।

### कालावधि प्रणाली—

इस प्रणाली को (period enumeration system) भी कहते हैं। इस प्रणाली में जन गणना एक निश्चित काल या अवधि—एक, दो या तीन सत्राह—में की जाती है। इसमें विष्णु सिद्ध जनसंख्या (dejure population) की गणना की जाती है अर्थात् व्यक्तियों को उस स्थान या राज्य का निवासी माना जाता है जहा वे सामाज्य रूप से रहते हैं। अस्थायी रूप से यदि कोई व्यक्ति दूसरे स्थान पर जनगणना की अवधि में चला गया हो तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरणात्मक, यदि कोई व्यक्ति सामाज्य रूप से आसाम में रहता हो और किसी भी कार्यवश अस्थायी रूप से कलवता, दिल्ली या बम्बई आगया हो तो उसकी आसाम में ही गणना की जाएगी। यथाल, दिल्ली और भारतारण्ड के प्रगणक उसका नाम अपने यहाँ दर्ज नहीं करते गे।

इस प्रणाली में सब से बड़ा लाभ यह है कि छोड़के गणना कार्य एक निश्चिन अवधि तक चलना रहता है, अर्थात् वो मात्रा असिक नहीं हो पाती है। इस प्रणाली में गणना तिथि के लगभग १५—२० दिन पूर्व प्रगणक घर-घर जाकर व्यक्तियों की स्थान दर्ज कर लेते हैं। बाद में ४-५ दिन तक दुवारा घर-घर जाकर दिर्दर दर्ज किए हुए आठठों का सत्यापन करते हैं। जो व्यक्ति मर जाता है जिसका नाम काट दिया जाता है और जो रिश्ता जन्म ले लेता है उसका नाम लिख दिया जाता है। इस तरह से प्रत्येक परिवार के भारडा को विन्कुल ठीक कर लिया जाता है।

८५८ इस प्रणाली में सी रात चलने की कठिनाई भी नहीं होती है जो चादनी रात हो। इसमें जातीय आधार पर परिवारों में व्यक्तियों की अपिक स्थानांकने की प्रवृत्ति

भी नहीं होती है। जनगणना फरवरी-मार्च के महीने में वी जाती है जब कि न तो कोई पर्व होता है, न बड़ा खौहार या मेला। जिसनो को भी अपने कार्य से अवकाश रहता है। दुआई का काम समाप्त हो जाता है और कटाई का काम मार्च के अन्त या अप्रैल में शुरू किया जाता है।

(३) इस रीति से आवादी के विविध देशों में वितरण के ठीक-ठीक आँकड़े प्राप्त हो जाते हैं जिससे सब देशों का सनुलित विज्ञास करने में तथा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं का उचित हल निकालने में सहायता मिलती है। यह निर्माण एवं विद्या प्रसार की मोजनाओं में कालावधि प्रणाली से की गई जन-गणना के समक्ष अधिक सहायक होते हैं।

(४) चलिष्ट (mobile) आवादी तो इस प्रणाली में भी ठीक-ठीक समंक प्राप्त करने में काफी कठिनाई उपस्थित करती है। माथ ही इस प्रणाली में विविध शब्दों जैसे भवन, घृह, परिवार, “कार्य नहीं करने वाला” आदि की बड़ी विस्तृत एवं ठीक परिभाषाएं निर्धारित करनी पड़ती हैं।

दुनिया के भिन्न-भिन्न देशों द्वारा ये प्रणालिया प्रयोग में लाई जाती है। सबुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रारम्भ से ही “कालावधि प्रणाली” काम में लाई जाती है। इगलेंड व भारत में १६३२ तक तो “एक रात्रि प्रणाली” व १६५१ से “कालावधि प्रणाली” का प्रयोग किया जाता है। यूरोप के कई देशों में, जैसे फ्रान्स, बेल्जियम, इटली, जर्मनी आदि में दोनों प्रणालियों वा ही प्रयोग किया जाता है। वहाँ के निवासी समंकों का पूर्ण महत्व समझते हैं तथा वे देश भारत की तुलना में छोटे भी हैं। संयुक्त राष्ट्र संस्था के जन संख्या (Population) विभाग ने ५३ देशों का सर्वेक्षण करके ज्ञात किया कि इनमें से ३१ देश ऐसे हैं जो दोनों प्रणालियों का प्रयोग करते हैं और ११ देशों में “कालावधि” प्रणाली तथा शेष २१ देशों में “एक-रात्रि प्रणाली” का प्रयोग होता है।

(५) जन संख्या के आँकड़े भी दो रीतियों से एकत्र किए जा सकते हैं—१. डाक द्वारा प्रश्नावलियाँ भेजकर और २. प्रगणक द्वारा व्यक्तिगत स्वयं में घर-घर जाकर मनुसूचिया भरकर। यूरोप और ब्रिटेन राष्ट्र देशों में भारत व कनाडा को छोड़, डाक द्वारा प्रश्नावलियों से ही जनसंख्या सबभी आकड़े एकत्र किए जाते हैं। यह प्रणाली वहाँ ही समझृत है जहाँ के सूचक (informants) स्वतः ही वाक्तव्य सूचना भेज देते हो। अमेरिका, कनाडा, भारत, पाकिस्तान में प्रगणक स्वयं घर-घर जाकर सूचना प्राप्त करते हैं और अपने आप प्रश्नान् सूचिया (enumeration slips) भरते हैं। यह बात स्पष्ट ही है कि द्वितीय रीति से प्राप्त समक्ष मारत, पाकिस्तान जैसे अर्थ विकलित देशों में ग्राहिक शुद्ध होते हैं। ऐसा मनुमान है कि डाक प्रणाली से भेजी हुई प्रश्नावलियों इन देशों में १०० में से केवल ३०-४० प्रतिशत ही वापिस लौटाई जाती है और जो जी पूरी भरी हुई

नहीं। अत भारत में जब तक शिक्षित वर्ग की सऱ्या नहीं बढ़ जाती और महा की जनना प्राकृदी का पूरा महत्व नहीं सफलता डाक प्रणाली सफलता से प्रयोग में नहीं लाई जा सकती।

### भारत में जनगणना—

आधुनिक अथ में भारत में प्रथम जनगणना १८७२ में की गई थी। किन्तु यह गणना सफल नहीं हुई क्योंकि सारे देश में वाय पढ़ति में एक रूपता नहीं थी। अपूर्व तथा एकत्र किए गए व भौगोलिक ज्ञेयों में व्याप्ति सीमित थी। दूसरी जनगणना, जिसे प्रथम पूरा और नियमित गणना कहा जाता है, १७ फरवरी १८८१ को की गई। पहली बार देश के प्रत्येक भाग में जनगणना की गई। हीसरी जनगणना २६ फरवरी १८६१ को की गई। उपरोक्त दोनों गणनाओं में निम्न मुख्य तथा एकत्र किए गए—

१—जनसऱ्या का प्रति मील घनत्व (density), शहरी एवं ग्रामीण जनसऱ्या का वितरण (distribution), शहरों में मकानों की दशा, प्रत्येक मकान में श्रोतु व्यक्तियों की सऱ्या।

२—जनना का प्रवृत्त (migration) और इसमें होने वाली उनकी आर्यिक दशा मुद्दावार।

३—पेशा (occupation)

४—जनसऱ्या का जातिवृत्त (ethnographic) वितरण

५—साहस्रता और धर्म

६—उम्र, लिंग और जाति के अनुसार विशेष शारीरिक कमिया

७—लिंग

८—विवाहित, अविवाहित आदि

९—उम्र के अनुसार जनना का वच्चो, पुरुषो आदि में वितरण।

१८०१ में की गई रणनीति में उपरोक्त सूचना को ही घटिक विस्तृत रूप में पूछा गया। पेरो एवं जीविका सबधी प्रश्न भी पूछे गए। १८११ में प्रथम बार भौगोलिक रणनीति भी की गई। एक नया आर्यिक वर्गीकरण भी किया गया जिसमें शहरी और ग्रामीण पेरो, पारिवारिक पेरो, वच्चे माल के उत्पादन आदि सबधी सूचना भी एकत्र की गई। पाँचवीं नियमित जनगणना १८२१ में की गई जिसमें जनता के भौगोलिक एवं आर्यिक जीवन के सबध में भी सूचना एकत्र की गई। १८३१ की रणनीति में सूचना के क्षेत्र में विस्तार किया गया और विशेष रूप से पेरो, साहस्रता, जाति, धर्म, वर्ण, आदि पर समक एवं विद्ये गए।

१८३१ तक की गई रणनीति में निम्न विवेचनाएँ थीं जो व्याज देने योग्य हैं—

१—प्रत्येक दस वर्षों गणना की जाने के दो-तीन वर्ष पहले भारतीय केन्द्रीय विधान सभा में अस्थायी रूप से जनगणना अधिनियम पारित किया जाता था और गवर्नर जनरल से उस पट स्वीकृति प्राप्त कर लो जाती थी। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को गणना सम्पन्न करने के लिए सरकारी, गैर सरकारी व्यक्तियों को गणना-कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। उस अधिनियम के आधार पर किसी भी परिवार, उसके बर्ता या संस्था से जन-गणना संबंधी कोई भी सूचना प्राप्त की जा सकती थी। अधिनियम में सूचना न देने वालों को या गवर्नर सूचना देने वालों को दड़ दिए जाने की व्यवस्था रहती थी। ऐसे व्यक्तियों पर जुर्माना किया जा सकता था या इन्हें जेल भिजाया जा सकता था। समक्ष सूचना गोपनीय रखती जाती थी। कोई भी गणना-कर्मचारी प्रत्येक सूचना देने पर दृष्टि किया जा सकता था।

२—अधिनियम के अन्तर्गत अस्थाई रूप से गणना कार्य के लिए निम्न संगठन का निर्माण किया जाता था।

अ—समस्त भारत के लिए जनगणना आयुक्त (Census Commissioner)

आ—प्रत्येक राज्य के लिए जन गणना अधीक्षक (Superintendent)

इ—प्रत्येक जिले के लिए एक जिला गणना अधिकारी

ई—प्रत्येक चार्ज (Charge) के लिए एक चार्ज अधीक्षक (Superintendent)

उ—प्रत्येक वृत्त (Circle) के लिए एक वृत्त निरीक्षक (Supervisor)

ऊ—प्रत्येक खड़ (Block) के लिए एक खड़ प्रगणक (Enumerator)

प्रत्येक रियासत भी जन गणना करने के लिए इसी स्तर के कर्मचारी नियुक्त कर लेती थी। सारी जनगणना का कार्य पटवारी, शिक्षक, कानूनगो, तहमोलदार, तगर पालिका के कर्मचारी सम्पन्न करने थे।

३—प्रशिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद जन गणना करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रगणकों को वास्तविक गणना करने एवं गणना सूची भरने का शिक्षण दिया जाता था। उनमें ऊपर के कर्मचारियों को व्यवहारिक (practical) एवं सेदानिक (theoretical) दोनों प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता था। उनको परिगणना पुस्तिकाल (census manuals) एवं प्रत्येक पुस्तक एवं पुस्तिकाल भी पढ़नी होती थी। सब गणना कर्मचारियों को कृत्रिम गणना में भाग लेना होता था। नमूने के लिए कुछ अनुसूचियों (schedules) तथा अन्य प्रपत्रों (returns) को भरना पड़ता था जिन्हें बड़े अधिकारी जांचते थे।

४—प्रत्येक जनगणना के कुछ महीनों पहले मकानों पर संख्या अंकित करने (house numbering) तथा मकानों की सूची (house list) बनाने का कार्य किया जाता था। यह कार्य भी अस्थायी रूप से किया जाना था। बरसान के बाद किया जाता था। यह कार्य भी अस्थायी रूप से किया जाना था। बरसान के बाद दिवानी पर जब भकानों की पुनाई हो जाती थी तब वे संख्याएँ प्रक्रिया की जाती थीं।

अ. १२ ]

ताकि गणना कार्य तक ये मिटाई नहीं जा सकें। सत्या गेह से अकिन की जानी थी। जनगणना करने के लिए गणना घर (census house) का विशेष अर्थ होना था। "गणना घर" का अर्थ एक बड़े से लगाया जाना था जहाँ पर एक परिवार के सदस्य मिल-जुल कर साना साने हो। घर का अर्थ भवन से नहीं था। एक भवन में कई "गणना घर" हो सकते हैं।

५—गणना कार्य-भकानों वो सूच्या अनित करने के बाद एक प्रारम्भिक (preliminary) गणना वी जानी थी। यह वास्तविक गणना नियम के कुछ सत्ताह पहले ही जानी थी। प्रणाल अनुमूली (schedule) को लेकर घर-घर जाते थे व सूचना एकत्र करते थे। बाद में इन अनुसूचियों से सूचना प्रगणन-चर्चा (Enumerator slip) पर उदारी जानी थी। वास्तविक गणना "एक रात्रि गणना" [date system] या [one night theory] पर निरिचन रात्रि को सत्तासिद्ध (de facto) आवार पर वी जानी थी। पूर्ण रात्रि चाँदनी वाली होना आवश्यक था। इस तरह से गणना करने के लिए लगभग २० लाख कर्मचारी कार्य-व्यस्त हो जाने थे।

गणना-रात्रि से बाद अगले दिन प्रगणन अनुसूचियों को पूरा करके वृत्त निरीक्षक को डे देने थे। प्रत्येक वृत्त निरीक्षक अपने वृत्त के आकड़े तैयार करके चार्ज के अधीक्षक को पहुँचा देता था। प्रत्येक चार्ज का प्रधीक्षक अपने चार्ज के आकड़े जिला अधिकारी के पास भिजवा देता था। प्रत्येक जिला अधिकारी अपने जिले के आकड़े तार द्वारा राज्य के गणना अधीक्षक व भारत के जनगणना आयुक्त, दोनों वो भिजवा देता था। यह सब कार्य लगभग एक सप्ताह में सम्पन्न करना होता था।

१६३१ की जन संख्या के आकड़ों की विवरणीयना में कुछ व्यक्ति सदैह प्रकट करने हैं। उनका बहना है कि १६३१ में सत्याप्रह मानोलन हुआ था और भारत के प्रत्येक नागरिक से वह अनुरोद किया गया था कि वह जनगणना कार्य में योग न दे। कई घरों से इस कारण कोई संकेत नहीं दी गई थी। तेकिन यह थीक रूप से नहीं कहा जा सकता कि ग्रन्ति वी मात्रा किनी थी।

१६४१ की जनगणना

१६४१ की जनगणना भी द्वितीय महायुद्ध के दीव में हुई है। सरकार वो यह मार्गा ही नहीं थी कि वह गणना कार्य सम्पन्न भी कैसे सकेगी। अत मकान सूची (house list) तैयार करवाने समय ही कुछ प्रश्न उझ, लिय, व्यक्तियों वो सूच्या ग्राम पर भी पूछ लिए थे ताकि गणना न होने वी परिस्थिति में इन प्रश्नों के साचार पर ही जन संख्या संख्यों कन्वे घनमान तो लगाए जा सकें। लेकिन गणना वार्षि क्रम के अनुसार हुई और वायित सूचना सब एकत्र वी गई। १६४१ की जनगणना वी तिओं घनामान, मुझ एवं भव्य वारणों से केवल एवं ही जिन्द में निकाली गई।

१६४१ में की गई जन गणना में निम्न महत्वपूर्ण परिवर्तन दलेखनीय हैं—

१.—“एक रात्रि प्रणाली” से जन गणना की जाने वाली पढ़नि को दरम दिया गया। इसके स्थान पर “कानावरि प्रणाली” का प्रयोग किया गया। इंग्लैण्ड में भी १६४१ से सत्तासिद्ध [de facto] जन संख्या ज्ञात बरते के बजाय विधिसिद्ध (de jure) जन संख्या ज्ञात की जात लगी। भारत जैसे देश में, जहाँ साक्षरता की बहुत बड़ी थी, कानावरि प्रणाली अधिक उपयुक्त थी। १६३१ तक एक ही रात में जनगणना कार्य सम्पन्न बरते की बजह से विषम [error] की मात्रा ना होइ जान नहीं हो पाना था। कानावरि प्रणाली में तथ्य-सत्यापन का विशेष कार्य क्रम निर्वाचित किया जाता है। एक रात्रि ने गणना बरते के लिए लगभग १५ से २० लाख प्रणालीओं की आवश्यकता होनी थी। कानावरि प्रणाली में ८-९ साल प्रणाली ही सम्पूर्ण गणना कार्य सम्पन्न कर सकते हैं। हमारे देश में पूर्ण रिक्विट व समझों के महत्व को समझते वाले प्रणाली का धृद भी अमाद रहता है।

१६४१ में सामान्य निवास स्थान (normal residence basis) पर गणना की गई। यदि बोई व्यक्ति अस्थाई रूप से गणना अवधि के द्वीच में प्रवन्न सामान्य निवास स्थान से बाहर चला भी गया हो तो भी उसकी गणना उसी बजह पर हुई जहा वह सामान्य रूप में रहता हो। गणना की अवधि एक रात्रि के बजाय एक सत्राह(६ दिन) कर दी गई।

२—गृही वार १६४१ की जनगणना में प्रणालन पर्ची (enumeration-slip) का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया गया। इसमें पहली जनगणनाप्रो में सूचना अनुमूलियों (schedules) में भरो जानी थी। बाद में अनुमूलियों से सूचना प्रणालन पर्ची पर उतारी जानी थी। इस विवि में समय बहुत नष्ट होता था और अनुमूलियों से पर्ची पर सूचना की नक्ल बरते में असुरुचिया होने की भाँशका बढ़ जाती थी। अब सारी सूचना पर्चियों पर ही एकत्र की जाने लाई।

३—मुद्र के बारत मरकार को आशका थी कि १६४१ का जनगणना कार्य सामान्य रूप में सम्पन्न न हो सकेगा अन मकान-मूकी में वृद्धि बरके लिंग, शायु, परिवार के सदस्यों की घोसन संख्या, स्त्री-पुरुषों की संख्या वा अनुणन, व्यक्तियों का आयु-वर्गों में विवरण आदि सूचनाएँ भी मकान-मूकी लैवार करते समय ही एकत्र कर ली गई।

४—गणना पर्चियों में व्यक्तियों से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सकेतों (symbols) में लिखा गया। जैसे यदि निम्नी व्यक्ति का गाँव में जन्म हुया हो तो “ग” लिखा गया, यदि जन्म नगर में हुया हो तो “न” लिखा गया, यदि विवाहित हो तो “वि” लिखा गया और अविवाहित व्यक्तियों के लिये “गवि” सकेत का प्रयोग किया गया। सकेतों

के प्रयोग से मूचना लिपने में सखता एवं समय का अव्यय न हुआ तथा सारणीयन में भी सहायता मिली।

५— जनगणना कार्य में सर्व प्रयम यांत्रिक सारणीयन (mechanical tabulation) किया गया। मर्योनो से सारणीयन करने में समय की बचत होती है और शुद्धता बढ़ जाती है।

६— विविध फार्म, प्रनुसूचियाँ, प्रपत्र प्रादि की घटाई के प्रबन्ध का केंद्रीयकरण (centralisation) किया गया।

७— इस जनगणना में दैव निर्दारित रीति से दो प्रतिरित प्रदर्शन प्रदर्शन प्रत्येक प्रकास में से एक पर्ची का चयन करके गणना की शुद्धता का परीक्षण करने की योजना बनाई गई। निर्वारित पर्चियों को परीक्षण के लिए निवाला भी गया लेकिन युद्ध के कारण बाद में इस योजना को बार्य हर नहीं दिया जा सका। लेकिन राष्ट्रीय भाष्य समिति के लिए भारतीय साहित्यी सम्मेलन, कलशता ने इस पर्चियों का वित्तीयण किया।

८— जनसंख्या बृद्धि की दर का अव्ययन करने के लिए स्त्री के पैदा हुए बच्चों की कुन संख्या और प्रथम बच्चा पैदा होने के समय स्त्री की उम्र सबसी मूचना भी एकत्र की गई।

९— इस गणना में पहली बार उन व्यक्तियों की संख्या, जो पह सबने हो लेकिन जिस नहीं सहते हैं, भी जान दी गई। पेशेवर वर्गोंकरण में भी मुश्किल किया गया लेकिन युद्ध के कारण आपत्तिजाल होने की वजह से इनका वर्गोंकरण या विशेषण नहीं किया जा सका।

१६४१ के जनसंख्या समझो से १६४७ में प्रजाव व व्याल का विनाशन करने में थी रेडफिल्ड को जनना निर्णय (Radcliffe Award) देने में बहुत सहायता मिली।

१६४१ तक की जनगणना निर्णिय रासन काल में हुई। तत्कालीन सरकार ने आकड़े एवं त्रै बरने से धर्म और जाति को प्राथमिकता दी। बैन्द्रीय विभान सभा में धर्म के आधार पर ही प्रतिनिधि ढाटे जाने थे। सलाल की नीति भी दो मुख्य बांगों में विशेष भेत्र-मिलाप करने की नहीं थी। इत्तम कुल जनगणना वार्य अस्थायी रूप से होना था। गणना अधिनियम अस्थायी रूप में गणना विशेष के लिए पालित किया जाना था। कम्बोरों अस्थायी रूप में इस कार्य के लिए नियुक्त लिए जाने थे, मजानों की संख्या ऐसे अवित की जानी थी जो धारों पुनाई के बाद पिट जानी थी।

जनगणना नी दिन की बादनी के समान थी। जनगणना के दो वर्ष पहिले बड़े जोर-रोर से तैयारी की जानी थी, लगभग २० लाख अवित गणना कार्य में व्यस्त हो जाते थे, वई टन वागज और कई पीले स्थानी काम में आनी थी, सारा कार्य विशेष महत्व देकर किया जाता था, लेकिन गणना के एक वर्ष उपरान्त सब वर्मचारियों का

कार्य समाप्त कर दिया जाता था, सब दफ्तर बन्द कर दिये जाते थे । ऐसा लगता था मानो गणना सबची कोई विद्या ही नहीं हुई । अगली गणना के पहिले फिर इसी प्रकार से तीयारी करके काम एक दम समाप्त कर दिया जाता था । एक गणना में प्राप्त विए हुए अनुभव का अगली गणना में कोई लाभ नहीं उठाया जाता था ।

शारी गणना एक पुच्छल तारे ( comet ) के समान थी जो प्रति दस वर्ष प्रवट होने पर तो सबका ध्यान आकर्षित करता है लेकिन कब विलोम हो जाता है इसका पता तक भी नहीं लगता । जन गणना को एक कान्यनिक चिडिया-झमरपदो- ( phoe-nix ) के समान भी माना है । ऐसी किंवदन्ती है कि यह चिडिया प्रपत्त जीवनकाल समाप्त होने के बाद अपने आप को जननी चिता में डाल देती है और जल कर नष्ट हो जाती है । बाद में उस भूमि में से वह फिर नव स्फूर्ति पाकर नया जीवन प्राप्त करती है, जीवन भर कार्य करती है और जीवन कान समाप्त होने पर भूमि में से पुनः स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए अपने को चिता में जला डालती है । यीक यही हालत १६५१ तक भारतीय जन गणना की थी ।

१६५१ में स्वतंत्र भारत की प्रथम जन गणना हुई । यह गणना अन्य गणनाओं से भिन्न थी । इसमें धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण आदि पर इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना शारिक आकड़े एकत्र करने पर । जब तक हमें जात न हो कि हमारी वस्तु स्थिति क्या है, हम सुधार के लिए भावी योजनाएँ नहीं बना सकते । दस वर्षीय जन गणना जो सम्झना रीति से होती है इस सबध में बहुमूल्य आकड़े एकत्र करने में सहायक सिद्ध होती है ।

जन संख्या समको के अर्थ, महत्व व प्रयोग में घीरे घीरे परिवर्तन हुआ है । जैसा कि हमें भलौ-भाति विदित है प्राचीन काल में जन संख्या आकड़े फौज तैयार करने, शासन मुकाह रूप से चलाने व कर-निर्धारण के लिए एकत्र किए जाते थे । आज की सरकार ने अमन-चैन बनाए रखने के अनिवार्य अर्थ शास्त्रियों, समाज-मुदारकों, आयोजन-कर्त्ताओं आदि का कार्य भी स्वयं सभाल लिया है । यह स्पष्ट ही है कि इन सब कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए सरकार के पास आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो और पर्याप्त समक प्राप्त हो । आवश्यक धन वर लगाने से प्राप्त होता है । इसके लिए भी कर-प्रभार ग्राहिक आय बाते वर्गों पर अधिक होता है । दस वर्षीय जन गणना इन सब समस्याओं का हल करने एवं विकिध प्रयोजना को सफल बनाने के लिए बहुमूल्य समक उपलब्ध करती है ।

१६५१ की जनगणना कालावधि प्रणाली ( period system of enumeration ) पर ६ परवरी १६५१ से १ मार्च, १६५१ तक २१ दिनों में बीं गई । इस गणना में लगभग ६ लाख प्रगणनों, ८०,००० निरीक्षकों ( supervisors ) तथा

१०,००० चार्ज अपमरों ने भाग लिया। इस गणना में लाभग १५० लाख रुपये व्यव हुए। यहाँको ने ६ करोड़ ४४ लाख धरों में जाकर लगभग ७ करोड़ बर्ताओं से ३५ करोड़ ६६ लाख परियों पर सूचना एकत्र की। सारणीयन के लिए ४२ केन्द्र थोने गए। सारणीयन कार्य में पश्चिमों का उपयोग किया गया। जन-गणना वी रिपोर्ट १७ फिल्मों ( ४०-volumes ) में प्रकाशित हुई जो ६३ माहों में विभाजित थी। इनके प्रतिरिक्ष ३०७ जिलों की गणना पुस्तकें भी प्रकाशित की गईं जिनमें ब्रिटेन-वार विस्तृत व्योरा दिया गया। इस जन गणना की निम्न महत्व पूर्ण विशेषताएं थी—

१. स्थायी प्रधिनियम ( Permanent Act )—१९११ की जन गणना तक एक स्थायी रूप से गणना विशेष के लिए प्रधिनियम पारित किया जाना था। १९५१ एवं भारी जन गणनाओं के लिए १९४८ में भारतीय जनगणना प्रधिनियम ( १९४८ का ३७ वा ) स्थायी रूप से पास किया गया। इस प्रधिनियम में कुल १८ धाराएँ हैं। धारा ८ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें जन गणना सदृशी मूलना पूछ्ये जावे प्रपनी जानकारी के अनुसार पूरी सूचना देने के लिए कानून नन वाध्य है। लेकिन वोई शादी से परिवार की किसी स्त्री का नाम नहीं पूछ्या जा सकता और किसी स्त्री से अपने पति का मृतक पति या घ्राण पूछ्य, जिसका नाम रीति रिवाज के अनुसार उस स्त्री द्वारा बनाना चाहित है, वा नाम नहीं पूछ्या जा सकता। धारा ११ के अनुसार धारा ८ के व्यवधान पूछ्ये गये प्रानों का छोटे एवं पूर्ण उत्तर न देने पर या भिष्या सूचना देने पर ६ महीने की सजा या १००० हॉ का जुर्माना या दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।

## २—स्थायी संगठन ( Permanent Organization )—

१९४८ के स्थायी जनगणना प्रधिनियम से प्रिव्वार पाकर सरकार ने एक जन गणना आयुक्त एवं रजिस्टर अनरल ( Census Commissioner and Registrar General ) का एक मुख्य कार्यालय दिल्ली में खोला है। यह कार्यालय दस वर्षीय जन गणना करवाता है और दस वर्षों के बीच के काल ( Intercensal period ) के लिए जन-एव मृत्यु के आकड़े एकत्र बरके प्रत्येक वर्ष जो जनगणना का अनुमान लगाता है। जनसंख्या सम्बन्धी विविध समस्याओं जैसे स्त्रियों की उर्बंता ( fertility ) का स्वरूप, सकल एवं शुद्ध पुनरुत्पत्ति दर ( reproduction rate ), मृत्यु एवं जन्म के सम्बन्ध में संबंधित करना भी इस कार्यालय ने शुरू किया है। जन गणना संगठन का प्रकार व्यव गणनाओं की ही भाँति था।

३—एक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( National Register of citizens ) इस गणना में पहली बार तैयार किया गया। व्यक्तिगत परिणाम वर्ची ( enumeration slip ) की सहायता से प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बा व प्रत्येक शहर का एक रजिस्टर तैयार किया गया जिसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का ही भाग समझा गया। वेवत

प्रधिकृत व्यक्ति ही इस रजिस्टर का प्रयोग कर सकते थे। सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा प्रशासनिक एवं प्रार्थिक व सामाजिक अनुसन्धानों के लिए इस रजिस्टर से सहायता ली जाती थी। रजिस्ट्रार जनरल इस रजिस्टर में मृत्यु एवं जन्म की प्रवृद्धि करवाकर इसे पूरा रखते थे। इस तरह से प्रत्येक वय की जनसंख्या ठोक ठोक जाती जा सकती थी। इस रजिस्टर से निवाचन सूचिया तैयार करने में भी सहायता मिली।

४—प्रथम बार १६५१ की जनगणना में “घर” ( House ) और “परिवार” ( Household ) में अन्तर स्पष्ट किया गया। “घर” से तात्पर्य निवास स्थान से या जिसका द्वार अलग हो। “परिवार” से तात्पर्य उम सब व्यक्तियों के समूह से या जो साथ रहते हों तथा एक चूल्हे में तैयार किया गया जाना जाते हों। इस स्पष्ट परिभाषा से “मोसत परिवार” के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात हुए। १६५१ की जनगणना से ज्ञात हुआ कि हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली का द्रुत गति से विघटन हो रहा है। एक छोटे परिवार में तीन, मोसत प्रकार के परिवार में ४ से ६ व बड़े परिवार में ७ से ९ तक सदस्य पाए गए।

५—सामाजिक दशा ( civil condition ) वाले प्रश्न में विवाहितों और अविवाहितों आदि की संख्या के साथ साथ विवाह-विच्छेद या तलाक ( divorce ) के समक भी एकत्र किये गये।

देश का विभाजन ( partition ) होने के कारण विस्थापितों ( displaced persons ) की संख्या भी ज्ञात की गई।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ( article ) १५ के अनुसार जाति, धर्म, वर्ण, वय आदि के आधार पर भेद नियेष है। अत प्रशिल्पीन एवं पिछड़ी जातियों के अतिरिक्त जाति, धर्म आदि पर कोई मूल्यना एकत्र नहीं की गई।

६—प्रार्थिक समर्कों पर ज़रूरिक बल दिया गया। समस्त जनसंख्या का जीविको-पानीन ( means of livelihood ) के मुख्य साधन के अनुसार दो भोटे वर्गों में विभाजन निया—१. कृषीय वर्ग और २. अकृषीय वर्ग। प्रत्येक वर्ग की निम्न चार उपवर्गों में किर से विभाजित किया।

### कृषीय वर्ग [ agricultural class ]

अ. ऐसे कृषक जो अपनी निजी भूमि पर खेती करते हैं।

आ. ऐसे कृषक जो दूसरे भूमि पतियों की भूमि पर खेती करते हैं।

इ. कृषि कर्त्त्व करने वाले श्रमिक।

ई. भूमि पति ( owners of land ) जो स्वयं कृषि नहीं करते हैं।

### अकृषीय वर्ग ( Non agricultural class )

अ. कृषि के ग्रलाला अन्य उत्पादन कार्य में लगे हुये व्यक्ति।

मा. व्यापार में लगे हुए व्यक्ति ।

इ. यातायात में लगे हुये व्यक्ति ।

ई. अन्य घन्थों तथा सेवामो में लगे हुए व्यक्ति ।

जीविकोपार्जन के मूल्य एवं गोड साधनों पर भी मूचना एकत्र की गई ।

३-प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक स्थिति ( economic status) के सम्बन्ध में निम्न सूचना एकत्र की गई ।

म. स्वयं निर्भार ( self-supporting )

मा. वे कभाऊ प्राप्ति ( non-earning dependent )

ई. कभाऊ प्राप्ति ( earning dependent )

१६८१ की जन गणना में निम्न-१५ प्रालोक उत्तर प्राप्त किए गए ।

१३ वा प्रश्न प्रत्येक राज्य सरकार की इच्छा पर पूछा जाना था । उत्तर प्रदेश में वृत्ति हीनता (unemployment) पर, वर्षद्वारा अन्य दुद्ध राज्यों में जिनसी कुल जनसंख्या ७ करोड थी, उत्तरता (fertility) पर, राजस्थान में अधा, बहरा, गुंगा, प्रागल, फोड़ी पर और मध्यमेर में दुनके अनियुक्त तपेदिक, राजयद्वारा, मधुमेह की बीमालियों पर भी मूचना एकत्र की गई ।

१. नाम और परिवार के कर्ता में सम्बन्ध

२. क. राष्ट्रीयता ल. धर्म

ग. विशेष वर्ग

३. देवाधिक दशा ( civil condition )

४. आयु

५. जन्म स्थान

६. क. विस्थापितो के भारत में आने की हिति

ख. पांचिस्तान में रहने के बिषे वा नाम

७. मातृभाषा

८. दूसरी भाषा

९. आर्थिक स्थिति :

क. कमाने वाला, दुद्ध कमाने वाला, भहो कमाने वाला

ख. ( i ) पन्च मे नोकर रखकर रोजगार चलाने वाला

( ii ) नोकरी कर रोजगार चलाने वाला

( iii ) स्वयं मुख्लियाई से धन्वा करने वाला

१०. जीविका के मुख्य साधन

११. जीविका के गोड साधन

१२. सादरता और शिक्षा

१३. अंधा, बहरा, मूगा, पागल, कोडी आदि

१४. पुण्य या स्त्री ।

१९५१ की जनगणना के प्रावार पर जनसंख्या के आविक वितरण की तिन लालिका से भत्तक मिलती है —

( साथोंमें )

	कृपीय	%	अकृपीय	%	कुल	%
स्वयं निर्भर (self supporting)	७११	२६	३३४	३१	१०४५	२६
वे कमाऊ आधित (non-earning dependents)	१४६६	५६	६७३	६३	२१४२	५०
कमाऊ आधित (earning dependents)	३१०	१२	६६	६	३७६	११
कुल	२४८०	१००	१०७६	१००	३५६५	१००

१९५१ की जनगणना से ज्ञात हुआ कि (१९४१-१९५१) दस वर्षीय आविक में जन्म दर ४० वर्ष मूल्य दर २७ थी । यह इन दस वर्षों में हमारी जनगणना में १३ अधिक प्रति हजार की दर से बढ़ि हुई । १९५१ से पहले की जनगणनाओं से प्रतिशत परिवर्तन ( Percentage change ) निकाला जाता था लेकिन १९५१ में दस वर्षीय औसत वृद्धि दर ( Mean-decennial growth rate ) ज्ञात की गई । १९५१ में २ प्रतिशत गणना-नियम देव निदर्शन रीति से निकाल कर उनकी जांच करने पर ज्ञात हुआ कि ११ प्रति हजार व्यक्तियों का अत्य-प्रशंसन ( under estimate ) हुआ । १९५१ के जन गणना प्रायुक्त श्री गोपालस्वामी ने बताया कि अद्वैरदर्शी भावूल्य ( improvident maternity ) की भारत में दर ४५% से घटाकर ५% पर ते आनी चाहिए और खाद्यान का उत्पादन ७०० लाख टन से बढ़ाकर ८४० लाख टन बरता चाहिए ।

## १९६१ की जनगणना—

१९६१ की जनगणना स्वतन्त्र भारत की द्वितीय जन गणना थी। प्रथम जनगणना और दो पचवर्षीय योजनाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर भारतीयों योजनाओं में समर्पित वी आवश्यकता का ध्यान रखने हुये १९६१ की जन गणना वी गई। १९६१ की जन गणना कालावधि प्रणाली से १० फरवरी १९६१ से २८ फरवरी १९६१ के बीच १६ दिन में वी गई। जनगणना का सम्बन्ध १ मार्च १९६१ के मूर्योदय से रहा। १ मार्च १९६१ से ५ मार्च १९६१ तक ५ दिनों में प्रगणने ने फिर से पर-पर जाकर तथ्यों की जाच वी। २७ मार्च १९६१ को भृस्यायी मूर्द से १९६१ की जन गणना में एकत्र प्राप्त डो वी जन गणना मायुक्त ने घोषणा वर दी।

जन गणना की विधि — जनगणना वी संयारो निम्न चार भाषों में वी गई—

अ जनगणना कार्य करने वालों की नियुक्ति—

आ क्लैशीय समाचार

इ कम्बियारियो का प्रशिद्धण

ई वास्तविक गणना कार्य

जनगणना वा आयोजन जनगणना अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत विया जाता है। इसे अधिनियम से अधिकार प्राप्त कर सरकार सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी व्यक्तियों वी गणना कार्य करने के लिए नियुक्त करती है। १९६१ की जन गणना में निम्न अधिकारियों वी नियुक्ति वी गई—

१. समस्त भारत के लिए जन गणना मायुक्त ( Census Commissioner )

२. प्रत्येक राज्य के लिए एक-एक जनगणना मार्गीकर ( Census Superintendent ) जो मफतर I. A. S. वी एली का अधिकारी होता है।

३. प्रत्येक जिले के लिए जिलाधीश ( Collector ) जिला जनगणना अधिकारी होता है।

४. प्रत्येक सद-डिवीजन के लिए सद-डिवीजनल अधिकारी ( S. D. O. ) गणना कार्य देखता है।

५. उपरोक्त ( न० ४ ) के पाय प्रदर्शन से त्रृट्टोलो और मूर्नीसिपल नगरो में चार्ज अधिकारी ( Charge officer ) गणना कार्य करने हैं।

६. प्रत्येक तहमील व नगर को वी वृत्तो ( circles ) में विभक्त विया जाता है और प्रत्येक वृत्त के लिए एक-एक निरीक्षक ( supervisor ) वी नियुक्ति वी जाती है।

७— प्रत्येक वित को वी दलडो ( blocks ) में विभक्त करके हर एक छोड़ के लिए एक-एक प्रगणक ( enumerator ) नियुक्त विया जाता है।

प्रगणक ही वह व्यक्ति होता है जिसकी योग्यता एवं कुशलता पर जन गणना कार्य को सफलता निर्भर रहती है।

जन गणना आवादी का नगर और ग्रामीण देशों के लिए अलग-अलग सकलत और प्रकाशन किया जाता है। अतः १९५६ में हुई अधिन भारतीय जन गणना सम्मेलन में नागरिक देश तथ करने के लिए निम्न नियम बनाए गए—

१—वे सब देश जिनका प्रबन्ध १९५१ से नगर पालिकाओं द्वारा होता-गा रहा है, नागरिक देश माने जाएँ।

२—नए देश को नागरिक देश में वर्गीकरण करने के लिए निम्न तीन विशेषताएँ पूरी होनी चाहिए—

अ. आवादी कम से कम ५००० हो,

ब. आवादी के वयस्क ( major ) पुरुषों में से कम से कम तीन—चौथाई पुरुष अकृपीय घड़ों में लगे हों,

स. आवादी का घनत्व ( density ) प्रति वर्गमील १००० व्यक्तियों के लगभग हो।

प्रत्येक प्रगणक स्ट्रेट ( enumeration block ) नागरिक देशों में भाग १२० परिवार या ६०० व्यक्ति और ग्रामीण देशों में ३५० परिवार या ७४० व्यक्ति के आवाद पर बनाया गया।

प्रत्येक पांच या छँटा आवादी का चार्ज निरीक्षण करने के लिए एक वृत्त ( circle ) बनाया गया जिसके अधिकारी को नियुक्त ( Supervisor ) का नाम दिया गया।

प्रत्येक तहसील को एक प्रयुक्त “चार्ज” ( charge ) का रूप दिया गया और तहसीलदार को चार्ज अधिकारी बनाया गया। यदि तहसील में नायब तहसीलदार भी हो तो उसे उप-चार्ज अधिकारी बनाया गया जिसका चार्ज तहसीलदार को गणना कार्य में सहायता देना था। नगरपालिका वाले नगरों में वर्गपालिका आयुक्त या प्रबन्ध अधिकारी या सचिव को चार्ज अधिकारी नियुक्त किया गया।

फोजी सुरक्षा संस्थानों, रेल्वे बहिर्या, विद्याल औद्योगिक संस्थानों जिन में अमिकों की वस्तिया हो, विद्याल सरकारी परियोजन ( projects ) जिनमें अमिकों के लिए रहने के लिए स्थानीय कम्पनी हो, जेन हाने, बडे अस्पताल जिनमें अन्तर्रोमी कक्ष ( indoor ward ) हो, शाही में उनके प्रबन्ध अधिकारियों की सहायता से जिला जन-गणना अधिकारियों ने लगभग ६०० की आवादी के हिताव से विशेष परिमाण घाँड़ और विशेष वृत्त या चार्ज बनाए।

जिला जन गणना अधिकारी व चार्ज अधिकारियों ने सुनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रगणकों और निरोक्तकों को गणना कार्य का प्रशिक्षण दिया। जनगणना के नमूने

का प्रशिक्षण ( Training Sample Census ) दिसम्बर १९६० से जनवरी १९६१ तक दिया गया।

१९६१ की जनगणना में निम्न तीन विपरों ( forms ) पर सूचना एकत्र की गई। इससे पिछली गणनाओं में दो ही प्रकार के विपर ( forms ) रहते थे।

क. घृह सूची ( House List )

ख. परिवार भनुमूची ( Household Schedule )

ग. व्यक्तिगत प्रगणना पर्ची ( Individual Enumeration Slip )

मवानो पर सत्या अकित करने और मवानो की सूची बनाने का कार्य नवम्बर १९६० में किया गया। मवानो पर सत्या अकित करने का ममला निम्न भनुपात्र में बनाया गया—

सेह—एक सेर, तिन्ती वर तेल-चार छटाक, देरी गोद—५ छटाक

✓ घृह सूची ( House List ) वास्तविक जन गणना से ६ से ६ मास पहिले तैयार करनी गई। प्रथम बार समस्त भारत में एक सी घृह सूची का प्रयोग नियम गया। गणना सम्बन्धी विविध प्रपत्रों को अलग-अलग भाषाओं में छपाया गया। घृह सूची में निम्न प्रत्येक पर सूचना एकत्र की गई।

१. भवन नम्बर ( मूलीसिपल, स्थानीय शासन या जनगणना नम्बर यदि कोई हो तो )

२. भवन नम्बर ( प्रत्येक गणना-घृह ( census house ) के नम्बर के साथ )

३. गणना घृह का उपयोग किस कार्य के लिए होता है, जैसे निवास, दुकान, दुकान व निवास, व्यापार, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल या अन्य सत्या चेल, होस्टल, होटल इत्यादि।

यदि गणना घृह कारखाना, फैक्ट्री, कारोबार या दुकान हो तो ( प्रश्न ४ से ७ )

४. कारोबार या भालिक का नाम।

५. वस्तुओं का नाम जो तैयार होती हो अथवा मरम्मत, सफाई व देखभाल ( servicing ) होती हो।

६. पिछले सत्ताहू में प्रतिदिन काम पर लगाए हुए व्यक्तियों की प्रीसत सत्या ( मालिक या परिवार के सदस्य सहित, यदि काम करते हो )

७. यदि मरीन से काले किया जाता हो तो इधन या शक्ति साधन का व्यूह।

गणना घृह का विवरण ( प्रश्न ८ व ९ )

८. विस पुङ्खों से दीवार बनी है।

९. विस पदार्थ से छत का लम्परी भाग बनाया गया।

१० परिवार के कर्ता का नाम।

११ परिवार के कुल कमरों की संख्या।

१२ क्या परिवार अपने या किराये के भवान में रहता है।

१३ भेट के दिन परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या-  
का पृष्ठ

ख स्त्रिया

ग जोड़

प्रश्न नं० ८ वं० म सूचना राष्ट्रीय भवन संगठन (National Building Organization) के अनुरोध पर व प्रश्न नं० १० से १३ म सूचना आवास भवनालय के अनुरोध पर गृह-समस्या की जानकारी करने के लिए एकत्र की गई।

'कमरे से आशय है वह स्थान जो चार दीवारी से घिरा हुआ हो, जिसके ऊरे दूर हो और निकाल के लिए ढार हो, और इन्हा लक्ष्य चौड़ा हो कि उसमें एक व्यक्ति सो सके अर्थात् जिसको लम्बाई कम से कम ६ फुट हो।'

परिवार अनुसूची—१९६१ की जनगणना म पहिली बार परिवार अनु-  
सूची ( Household Schedule ) पर पारिवारिक आर्थिक गतिविधियों के सबध  
में निम्न सूचना एकत्र की गई—

परिवार क कर्ता का नाम  
क—खेती

देश पन एकड़ी में

१ परिवार की जीत की भूमि

अ अपनी या सरकार से प्राप्त

आ अन्य लोगों या भूत्याओं से

नक्ती जिस या बटाई पर प्राप्त

२ अन्य लोगों को सेनी के लिए नगदी,

जिस या बटाई पर दी गई जमीन

ख—पारिवारिक उद्योग

उद्योग का व्यौरा

साल में कितने  
महीने बलता है

पारिवारिक उद्योग\*

(क)

(ख)

\* पारिवारिक उद्योग उसे कहते हैं जो रजिस्टड फैक्ट्री के परिमाण का न हो और जो स्वयं परिवार के कर्ता और/या मुख्यतया सदस्यों द्वारा देहात में घर पर या गवानी में और शहरी ज़ेशन में केवल घर पर ही किया जाता है।

## ग—खेती या पारिवारिक उद्योग मे काम करने वाले

परिवार के काम करने वाले (कर्ता सहित) और मजदूरी पर रखे गये श्रमिक (यदि कोई हो) जो चानू या पिछले मौसम मे पूरे समय के लिये रखे गये हो ।	परिवार के काम करने वाले सदस्य	श्रमिक		
कर्ता	अन्य	अन्य	जोड़	मजदूरी पर
१. केवल पारिवारिक खेती मे				
२. केवल पारिवारिक उद्योग मे				
३. पारिवारिक खेती और पारिवारिक उद्योग दोनों मे				

उपरोक्त अनुमूली मे परिवार, जो किसी भी सर्वेदण की ईकाई ( unit ) होता है, के घन्डे—कृषि एव उद्योग के सम्बन्ध मे पर्याप्त सूचना प्राप्त हुई है ।

उक्त अनुमूली के पृष्ठ भाग म निम्न जनगणना रिकॉर्ड ( Census Population Record ) भी दर्ज किया गया—

१. नाम
२. लिंग—पुरुष, स्त्री
३. कर्ता स सम्बन्ध
४. उम्र
५. वैशाहिक स्थिति
६. नाम करने वाले हो तो उनका ... . . .

उपरोक्त विवरण परिवार के प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध म दर्ज किया गया ।

✓ व्यक्तिगत प्रगणना पर्ची ( Individual Enumeration Slip ) मे इम बार १३ प्रश्न ही पूछे गए । संयुक्त राष्ट्र के जनगणना विशेषज्ञों की समिति ने प्रश्नों की एक अन्तर्राष्ट्रीय सूची तैयार की है । हमारे प्रश्न इस सूची से मिलने जुनते हैं । केवल उर्जाता ( fertility ) के प्रश्न पर हमने इस बार भी सूचना एकत्र नहीं की । पर्ची का आकार  $4\frac{1}{2}'' \times 6\frac{1}{2}''$  रखा गया । इस पर्ची मे तीन प्रकार के प्रश्न पूछे गए—

प्रश्न १, २, ३, ४ व १३ मे जनाकिवीय ( demographic ) सूचना एकत्र की गई ।

प्रश्न ५, ६ व ७ मे सामाजिक एव सास्कृतिक सूचना एकत्र की गई ।

प्रश्न ८ से १२ मे आर्थिक सूचना एकत्र की गई । इस गणना मे आर्थिक सूचना एकत्र करने पर आर्थिक बल दिया गया । वृत्तिगणना की समस्या हल करने के लिए घरेलू ( पारिवारिक ) उद्योगों के सम्बन्ध मे दिशेप हप से सूचना एकत्र की गई । पर्ची मे निम्न प्रश्न पूछे गए—

( १ ) वालक या विद्यार्थी  
 ( २ ) घरेलू काम मे लगी हुई स्त्री या स्त्रिया  
 ( ३ ) आश्रित एवं रोग और वृद्धावस्था के कारण सदा के लिए अशास्त्र व्यक्ति  
 ( ४ ) अवकाश प्राप्ति ( retired ) व्यक्ति ( जिसने दुशारा नौकरी नहीं की हो ) लगान बसूल करने वाला, कृपि सम्बन्धी या गैर कृपि सम्बन्धी शुल्क ( royalty ) लगान या मुनाफे पर निर्वाह करने वाला व्यक्ति

( ५ ) भिज्युक, प्रहिन्डक ( vagrant ), स्वतन्त्र स्त्री ( independent woman ) जिसकी आमदानी का कोई निश्चिन्त साधन न हो ।

( ६ ) सजा प्राप्त केंद्री जो कारबास में हो, पाण्डलाने या घर्मायं सस्था में रहने वाला व्यक्ति ।

( ७ ) जिस व्यक्ति ने वभी रोजगार नहीं किया हो, और जो पहिसी बार रोजगार की तलाश में हो ।

( ८ ) जो व्यक्ति पहिले काम करता हो किन्तु यदि देवार बैठा हो और रोजगार की तलाश में हो ।

उपरोक्त तीन प्रपत्रों पर सूचना एकत्र बरने के अनिवार्य निम्न सहायक ( auxiliary ) सूचना भी एकत्र की गई—

१. भावी आद्योगीकरण का ध्याल रखने हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त ( technically trained ) व्यक्तियों की सूचना एकत्र बरने के लिए व्यापारिक जवाबी कार्ड भेजे गए । २,५०,००० कार्ड भर वर वापिस लौटाए गए ।

२. ८०० से अधिक गांवों वा सामाजिक-आर्थिक ( socio-economic ) सर्वेक्षण भी किया गया । राजस्थान में ३६ गांव चुने गए थे ।

३. २०० से अधिक चुनी हुई हस्तकलाओं के सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण किया गया । राजस्थान में १६ हस्त कलाएं चुनी गई थीं ।

४. प्रत्येक राज्य में अनुमूलित जाति एवं अनुमूलित जन जाति पर विशेष सूचना एकत्र की गई ।

५. भागा सम्बन्धी विपत्रों ( returns ) की विशेष परीक्षा की गई है ।

६. जन गणना के नक्काशों को नक्काशों ( maps ) द्वारा व्यक्त किया जाएगा । इसकी एक एटलस ( Atlas ) तैयार की जाएगी । यह एक नई योजना है ।

१६६१ की जनगणना की विशेषताएँ—

१६६१ की जनगणना में लगभग १० लाख व्यक्तियों ने साडे आठ करोड़ पर्यावारों से सूचना एकत्र की । अनुमान है कि कुल व्यय दो करोड़ रुपयों के लगभग होगा । इस गणना में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं—

१-१६६१ की जनगणना में आर्थिक समक्ष एकत्र करने में “कमाऊ और देकमाऊ” पर भल दिया गया था लेकिन दृतिहोन्ता की समस्या को हल करने के लिए “काम करने वाला और काम नहीं करने वाला” पर सूचना एकत्र की गई । इसमें यह ज्ञान हो गया कि इन्हें व्यक्ति काम करने योग्य हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं ।

२. प्रश्न ४ व व य दूष्कर आमोदा और नगरी प्रद्वन्न ( migration ) पर सूचना एकत्र की गई ।

३. विस्थापितो (displaced) की कोई समस्या नहीं रहने के कारण इससे सम्बन्धित प्रश्न नहीं पूछा गया। भावात्मक एवता की हास्ति से जाति, वर्ण के आधार पर कोई प्रश्न इस बार भी नहीं पूछा गया। वंधानिक प्रत्याशुति (constitutional guarantee) होने के कारण केवल अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) पर सूचना एकत्र की गई।

४. प्रथम बार भवन (building), जनगणना मकान (census house), और परिवार (household) में अन्तर किया गया। 'भवन' में प्राशाय है धर्ती पर खड़ी हुई सम्पूर्ण इमारत। ऐसी इमारतों को जो यद्यपि एक दूसरे से भिन्न हिल मालूम न होती हो या शामिल न हो (सावं दीवार से जुड़ी हुई हो किन्तु जो अलग-अलग पहिचान में आ दके उनको अलग अलग भवन मान कर भिन्न भिन्न सम्पाद्यों से अकितु किया गया। यदि किसी बन्द या खुले हुए घटाते में एक से अधिक इमारत हो और वे एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के कब्जे में हैं, जैसे मुख्य मकान, नौकरों का निवास स्थान, मोटर-बाजार इत्यादि, तो ऐसी सब इमारतों को एक ही 'भवन' माना गया।

'जनगणना मकान' का आशाय उस इमारत या इमारत के भाग से है जो निवास के हेतु काम में लिए जाते हो अथवा खाली हो या दूकान, दूकान मय निवास-स्थान या कारोबार की जगह, कारबाना, पाठ्याला इत्यादि हो जिनके अलग अलग मुख्य द्वार हो। यदि किसी भवन में कई खण्ड (flat या blocks) हो जिनके अपने अलग अलग द्वार हों और जो एक दूसरे से अलग अर्थात् स्वतन्त्र (independent) हों, और उनका निकास सड़क पर हो या सामें की नाल में हो या शामिल भट्टाचारी भट्टाते में हो और वह मुख्य द्वार पर मिलता हो तो ऐसी इमारतें भिन्न 'जनगणना मकान' समझे गए। जनगणना परिवार (Census Household) से आशाय है व्यक्तियों का वह समूह जो शामिल रहते हों और एक ही चौके में भोजन करते हों। इस प्रकार से होस्टल, अस्पताल, जैल आदि भी 'जनगणना परिवार' माने जा सकते हैं यदि उपरोक्त शर्त पूरी होती हो।

५. १९६१ की जनगणना में प्रथम बार व्यक्तियों के लिए और परिवारों के लिए विस्तृत सूचना एकत्र करने के उद्देश्य से अलग अलग प्रपत्र प्रयोग में लाए गए।

६. "मकान सूची" में इस बार अन्यान्य प्रश्न पूछकर मकानों की दशा, गृह-समस्या आदि के बारे में भी सूचना एकत्र की गई। सारे देश के लिए सूची एक सी ही बनाई गई।

७. इस बार तलाक दिए हुए (divorced) व्यक्तियों की श्रेणी में उन व्यक्तियों को भी शामिल कर लिया गया जिन्हें तलाक तो नहीं दिया गया है लेकिन वे अलग होगए हैं। अत "अलग हुए अथवा तलाक दिए हुए व्यक्तियों" का एक ही वर्ग बनाया गया।

### जनगणना में सुधार करने के सुभाव—

१. पेरोवर वर्गीकरण में वार-वार परिवर्तन नहीं करना चाहिये। एक बार ही स्थायी रूप से वर्गीकरण कर लेना चाहिये। वर्गीकरण में हमें भारतीय परिस्थितियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिये लेकिन अनराष्ट्रीय तुलना के बिन्दु भी कम महत्व नहीं देना चाहिये। दोनों में सम्बन्ध करना आवश्यक है।

२. एक बार वी जनगणना से प्राप्त प्रनुभव का भावी गणनाप्रो में लाभ उठाना चाहिये। इसके लिये प्रगणकों की एक सूची तैयार करना चाहिये और जहाँ तक सम्भव हो सके अनुभव प्राप्त प्रगणको को गणना वार्य के लिये नियुक्त करना चाहिये। प्रगणको के लिये समय-समय पर प्रशिद्धण कैम्पो का आयोजन करना चाहिये तथा उनसे भी उनके अनुभव के आधार पर सुझब आमतित करना चाहिये। प्रगणको को परिरक्षित के रूप में अद्यती आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये ताकि रिक्ति समुदाय में से विशेष रूप से विद्यालयों एवं कौलेजों के कामसं, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के विद्यार्थियों में से काफी व्यक्ति इस वार्य को बरतने के लिये तत्पर हो। इस तरह से प्रगणकों की विभिन्निय में वृद्धि होगी, वार्य अन्दर होगा और फलस्वरूप शुद्धता की मात्रा भी बढ़ेगी।

३. जैन केन्द्र में रजिस्टर जनरल का कार्यालय स्थायी बना दिया गया है इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में भी जनगणना सम्बन्धी एक छोटा-सा कार्यालय स्थायी बना देना चाहिये जिसका मुख्य वार्य दो गणना के बीच के बर्पों में भी गणना के आकड़ों को पूरा रखना हो। जन्म व मृत्यु के आकड़ों की सहायता में समायोजन करके प्रत्येक राज्य के हर वर्ष के जनगणना आकड़े भी पूरे रखने जा सकते हैं। इसमें विविध योजनाप्रो वी ठीक-ठीक बनाने व उनकी प्रगति आकर्षण में बहुत सहायता मिलेगी।

४. जनगणना सचालन करवाना विद्यान के अनुसार केन्द्र सरकार का कार्य है। लेकिन इन आकड़ों से राज्य सरकार भी पूरी लाभ उठाती है। अतः राज्य सरकार के नियोजक, सांस्थिक, प्रगणक आदि भी अपने-अपने राज्य में जनगणना वार्य में बहुत सहायता दे सकते हैं। ये तकनीकी शिक्षा प्राप्त एवं अनुभवी कर्मचारी इस महत्व वार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके लिये जनगणना आयुक्त एवं विभिन्न राज्यीय साहित्यी निदेशालयों में समन्वय स्थापित करने के प्रयत्न करने चाहियें।

५. गणना प्रश्नावली तैयार करने के पहिले संयुक्त राज्य अमेरिका का जनगणना विभाग ( U. S. A. Census Bureau ) प्रति दृष्टि वर्ष नये-नये प्रश्न पूछे जाने के सम्बन्ध में हजारों सुझाव प्राप्त करता है। इनमें से अव्यवहारिक एवं बेकार प्रश्नों को अलग करके वारी प्रश्नों को सांस्थिकों, दैत्यानिकों, व्यापारियों, अमिकों एवं सामाज्य जनता के प्रतिनिधियों की एक नागरिक-मलाहकार-समिति ( Citizen's Advisory Committee ) के सम्मुख रखता जाता है। इनके सुमन्वयों के बाद प्रश्नों पर अंतिम निराय अमेरिकी समिति ( U. S. Congress ) द्वारा लिया जाता है।

ठीक इतनी ही सावधानी प्रणाली के चयन एवं प्रशिद्धण में ली जाती है।

प्रणाली को पक्का प्रशिद्धण दिया जाता है व गोपनीयता की सौगंध दिलाई जाती है।

बाद में ये प्रणाली विविध दौर करते हैं और प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य से मिलकर सूचना संग्रह करते हैं। संग्रहित सूचना को जिला मुख्य कार्यालयों में संकलित करके सूचना विभाग के मुख्य कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाता है। वहाँ समस्त सूचना को तरह-तरह की मरीनों पर चढ़ाकर बाहिन तथ्य प्राप्त कर लिये जाते हैं जिन्हें पहिले पुस्तिकाओं में घोट बाद में बड़ी-बड़ी जिलों में प्रकाशित कर दिया जाता है।

हमारे देश में भी जनगणना विभाग को एक उत्त प्रकार की सलाहकार समिति बनाना चाहिये और जीवन के विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से सुझाव मांगने चाहिये। विश्वविद्यालय, व्यापारिक संस्थायें एवं शोध संस्थायें कई छान्दों सुझाव दे सकती हैं। हमारे यहाँ भी आयोजना आयोग के द्वारा अनुमोदन प्राप्त प्रश्नावली पर सदृश को अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिये।

६. बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या का ठीक हल करने के लिये दसवर्षीय जनगणना में उत्तरता (fertility) पर भी संगणना रीति से सूचना एकत्र करनी चाहिये। केवल निदान रीति से तथ्य एकत्र करने से यह विकट समस्या सुलझाई नहीं जा सकती।

७. जनगणना पुरिवार की अनुमूलिक के पृष्ठ भाग में जनगणना रिकार्ड के निये ६ खाने हैं। इनका बएंन इस अव्याय में ग्रन्थन् दिया जा चुका है। यदि इन ६ खानों में दो खाने (columns) — एक मृत्यु का और दूसरा जन्म का — और बढ़ा दिये जायें तो प्रत्येक परिवार के सम्बन्ध में पूरी-पूरी सूचना सदा उपलब्ध हो सकेगी। मृत्यु व जन्म की सूचना देने का उत्तरदायित्व, अन्य विकसित देशों की भाँति, वैधानिक रूप से परिवारों का ही होना चाहिये।

उपरोक्त सुझावों को कार्यस्पृष्ट देने पर हमारे जनगणना समको में काफी सुधार हो सकता है।

द्वितीय खण्ड  
व्यवहारिक सांख्यिकी  
( Applied Statistics )

## अध्याय १३

# जन्म-मृत्यु आदि समंक

( Vital Statistics )

मोटे रूप से जन्म-मृत्यु आदि समंक ( Vital Statistics ) के अन्तर्गत हम जन्म, मृत्यु, बोमारी, विवाह, तलाक आदि से सम्बन्धित समंकों को शामिल करते हैं। इन समंकों द्वारा जन-संख्या की वृद्धि के विविधमापों ( measures of population growth ) जैसे उत्तरता (fertility), प्रजनन या पुनरुत्थान ( reproduction ), जन्म, मरण ( mortality ) आदि का विरतार से अध्ययन किया जाता है। जन्म-मृत्यु आदि समंक निम्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं —

१—जन गणना ( Census of Population )

२—जन्म-मृत्यु रजिस्टर

३—विशेष रूप से लिए गए जनातिकीय ( demographic ) सर्वेक्षण।

जन्म-आदि समंकों को हम दर ( rate ) में व्यक्त करते हैं। दर बहुत प्रति हजार व्यक्तियों के हिसाब से ज्ञात की जाती है, उदाहरणार्थ किसी रहर में ४०,००० व्यक्तियों में से ५०० की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु दर २० प्रति हजार होगी।

जन गणना प्रत्येक देश में नियमित रूप से प्रति दस वर्षों के बाद होती है। दीच की प्रवासी में जन-संख्या ज्ञात करने के लिए जन्म-मृत्यु के आकड़ों की ही सहायता लेनी पड़ती है। भारतवर्ष में विवाह और तलाक सम्बन्धी आकड़ों को एकत्र करने के लिए प्रबल तक कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हिन्दुओं और मुसलमानों में रजिस्ट्री करवा कर विवाह करने की प्रथा नहीं है। तलाक की संख्या भी प्रबल तक सो सीमित ही थी।

विदेशों में तो जन्म, मृत्यु, विवाह आदि की सूचना वैधानिक रूप से अधिकारियों को देनी होती है। भारतवर्ष में जन्म-मृत्यु के समंक अविश्वसनीय, दोषपूरण एवं अभालमक हैं। अभी तक जन्म मृत्यु के समंक जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्री अधिनियम १८८६ ( १८८६ का ६ ठा ) के अन्तर्गत एकत्र लिए जाते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत जन्म-मृत्यु की सूचना देना लैगिंग है। प्रत्येक व्यक्ति को इस सम्बन्ध में सूचना देना वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। गद्दास और परिचारी वगाल इस सम्बन्ध में उपचार है उहा वैधानिक रूप से सूचना देना अनिवार्य है। मरनाया अधिनियम तैयार किया जा रहा है।

जन्म मृत्यु समंक एकत्र करने की व्यवस्था हमारे देश में बहुत ही दोषपूरण रही

है। गांद में चौकीदार को जन्म-मृत्यु की सूचना देने का कार्य करना पड़ा है। जन्म और मृत्यु को दर्ज करने के लिए वह दो अलग-अलग पुस्तिकाएं रखता है। नियमित रूप से— सास्ताहिक या अधं मासिक—वह अपने देश के पुलिस के याने में इस प्रकार की सूचना देता है। चौकीदार के द्वारा यह काम ठीक रूप से नहीं किए जाने की पाप शिकायत है। काफी समय तक मृत्यु और जन्म वी सूचना चौकीदार अपने पास ही रखे रहता है। जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वह उसकी एवं दम सूचना नहीं देता। कुछ दिन वह इन्तजार करता है। उसे यह शक रहता है कि कहीं वह शिशु मर जाए तो उसे फिर से सूचना देने के लिए पुलिस याने जाना पड़ेगा। पुलिस यानों से जन्म-मृत्यु का व्यौरा प्रत्येक गाव के हिसाब से तीव्रार करके पुलिस के सुपरिनेंटेन्ट के द्वारा सारी सूचना जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास भेज दी जाती है।

शहरों में जन्म-मृत्यु की सूचना नगर पालिकाएं एकत्र करती हैं। प्रत्येक जन्म व मृत्यु की सूचना नगर पालिका के पास अंकित करवाती होती है लेकिन यदि किसी परिवार से सूचना न भी दी गई हो तो मामूली जुर्माना के अलावा और कोई दण्ड नहीं दिया जाता। कई जगह रजिस्ट्री के कार्यालय दूर होने के कारण भी सूचना अंकित नहीं करवायी जाती। पारचालय देशों की भाँति यहां भी नि शुल्क कार्ड की व्यवस्था की जाती चाहिए। गावों में भी पचायों को यह कार्य सौंपा जाना चाहिए।

नगरपालिका वा स्वास्थ्य अधिकारी सब आकड़ों को एकत्र कर उन्हें जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास भिजवा देता है। प्रत्येक जिले के स्वास्थ्य अधिकारी गांवों और नगरों के आकड़े एकत्र कर इन्हे राज्य के स्वास्थ्य सेवाएं के सचालक के पास भिजवा देते हैं। बाद में इन सब आकड़ों को राज्यानुसार सकलित करके भ्रष्टिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के सचालक द्वारा अपनी वापिक प्रतिवेदन में प्रकाशित करवा दिया जाता है। विविध राज्य सरकारें अपने राज पत्रों (gazettes) में भी समक्ष प्रकाशित करती हैं। ये प्रतिवेदन भी बहुत विलम्ब से प्रकाशित होते हैं। उदाहरणार्थ १९५० के आकड़े १९५५ में प्रकाशित किए गए।

इन आकड़ों में अन्यविश्वास, उदासीनता एवं दमना से कार्य न करने के कारण अब तक इतना अत्यधिक अल्प प्रगणन हुआ है कि विभ्रम की भाँति का अनुमान लगाना भी कठिन है। अभी तक जन्म-मृत्यु के समक्ष स्वास्थ्य भवालय के सचालक द्वारा अपनी वापिक प्रतिवेदन में प्रकाशित किए जाते थे लेकिन यह मध्यालय के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल का स्थायी कार्यालय बनजाने के बाद ये समरु उक्त कार्यालय के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। अब इन समको में प्रदर्शित सुगर हो जाने की आराम है। अब नये विवान के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए जन्म-मृत्यु सम्बन्धी सूचना देना वैश्वानिक रूप से अनिवार्य हो जाएगा। नियम के भाग करने वाले को कड़ा दण्ड दिया जाएगा।

१९५१ की जन गणना में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register of Citizens) भी बनाया गया था जिसमें प्रत्येक शाव के प्रत्येक परिवार के संबंध में पूर्ण सूचना एकत्र भी जाती है। १९६१ की जन गणना में प्रत्येक परिवार के लिए एक अनुमूल्यों का प्रयोग किया गया जिसके दृढ़ भाग में परिवार के प्रत्येक सदस्य का पूर्ण विवरण है। यदि इसी दृढ़ पर ही दो द्वारे भी—एक जन्म के लिए और एक मृत्यु के लिए—दो द्वारा जाए तो जन्म-मृत्यु के सम्बन्ध में पूरी सूचना एकत्र नहीं का कार्य प्राप्त पोचायती हो दें दिया जाय हो इस सम्बन्ध में काफी सुधार हो सकता है।

रजिस्ट्रार जनरल के वार्षिक रिपोर्ट ने पिछले १० वर्षों में कई जनाकिवीय (demographic) सर्वेक्षण किए हैं। १९५२-५३ और १९५३-५४ में भारत में स्थियों की उर्वरक्ता के स्वरूप पर निर्दर्शन रीति से सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों को १९५५ का भारतीय जन गणना पर न १ (उत्तर प्रदेश की निर्दर्शन गणना पर) और पर न ० २ (दूसरे राज्यों सम्बन्धी) में प्रकाशित कर दिया गया है। विशेष उर्वरक्ता दर \* (Specific Fertility Rate)—S. F. R. पर इन सर्वेक्षणों में कई लक्ष्य जान हुए। हमारे देश में जातान और प्रतियोदी देशों की तुलना में प्रत्येक घायु दर्द में विशेष उर्वरक्ता दर अधिक है। यहाँ (१५-१६) घायु दर्द में उर्वरक्ता की दर कम है लेकिन (२०-२४) घायु दर्द में पहले एक दम बड़नी है। (२५-२६) घायु दर में भी योदों बृद्धि होती है। अमेरिका में भी (२०-२४) घायु दर्द में उर्वरक्ता दर सबसे अधिक है। २६ वर्ष की घायु के बाद तभी देशों में उर्वरक्ता दर पटने लगती है।

उपरोक्त सर्वेक्षण रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जनसंख्या भारतों में सुधार करने के लिए बनाई गई योजना वा एक भाग है। सापेह ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एवं निर्वाचन सूचियों को भी जन्म या मृत्यु का समायोजन करके पूरा रखने की योजना है। दिसंबर १९६२ और जनवरी १९६३ में भी निर्दर्शन रीति से जनसंख्या सर्वेक्षण किए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि का समुचित अध्ययन करने के लिए जन्म-मृत्यु और उर्वरक्ता सबैकी सर्वेक्षण करना बहुत आवश्यक है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा निर्देशन रीति से जन्म-मृत्यु सम्बन्धी किए गए सर्वेक्षण से ज्ञान हुआ कि भारतवर्ष में श्रीतान प्रत्येक स्त्री के ६ से ७ बच्चे दौदा होते हैं जिनमें से लगभग २५ प्रतिशत शिशु मरणी माताओं वी मृत्यु के पहिले ही पर जाने हैं। हमारे यहाँ शिशु मरण दर सब देशों से अधिक है। १९६१ की गणना के आठों से अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में मृत्यु दर (११३०-१६०) दस वर्षों में २६ प्रति हजार से घटकर १८ प्रति हजार रह गई है। इसने जात होता है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सबजों योजनाओं में काफी कफलता मिली है।

\* विशेष उर्वरक्ता दर का मार्य इसी अध्ययन में मापे समझाया गया है।

जन संख्या वृद्धि के माप (measures of population growth)—

जन संख्या की वृद्धि को नापने के लिए हमें इस समस्या का विभिन्न हाईकोलोगी से प्रध्ययन करना पड़ता है। अतः जन्म दर ( birth rate ), मृत्यु दर ( mortality rate ), उर्बरता दर ( fertility rate ), शिशु-मृत्यु दर, चतुप्रजता दर ( fecundity rate ), प्रजनन दर ( reproduction rate ) आदि की जानकारी करना आवश्यक है। नीचे विभिन्न दरों का आकलन करना समझाया गया है—

उर्बरता को मापने की सरल विधि जन्म दर ज्ञात करना है। जन्म दर ( और मृत्यु दर ) अशोधित ( crude ) या शोधित ( standardized ) हो सकती है।

अशोधित जन्म दर (crude birth rate) निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है—

किसी शहर या स्थान में कुल जन्मे हुए शिशुओं की संख्या

$\times \frac{1}{1000}$

उसी शहर या स्थान में कुल जनसंख्या

इसी प्रकार से अशोधित मृत्यु दर या अशोधित रोजगारी दर ज्ञात की जा सकती

है। लेकिन अशोधित दर एक निरपेक्ष माप है। सारी सांख्यिकीय रीतियों का उद्देश्य सामग्री को तुलनात्मक बनाना होता है। निरपेक्ष ( absolute ) माप से तुलना करने पर ठीक निष्पत्ति प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि तुलना का आधार समान नहीं होता है ( भार अलग-अलग होते हैं )। दो स्थानों की अशोधित जन्म दर समान होने पर भी उनमें उर्बरता का स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है। दो शहरों की अशोधित मृत्यु दर समान होने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि वे दोनों स्वारूप की हाईट से समान हो। सामग्री को तुलनीय बनाने के लिए एक शहर को ( किसी एक को ) प्रमाण शहर मान लिया जाता है। दूसरा या अन्य शहर स्थानीय ( local ) या सामान्य ( general ) माना जाता है। प्रमाण शहर ( Standard town ) की अशोधित दर की तुलना सामान्य या स्थानीय शहर की प्रमापित दर ( standardized rate ) से की जाती है। प्रमापित दर निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है।

प्रमाण शहर की विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या का भार (  $W'$  ) मानिये और स्थानीय शहर की दर ( rate ) को मूल्य (  $X'$  ) मानिये। बाद में निम्न सूत्र से प्रमापित दर निकाल सकियें—

$$\frac{\Sigma W' X'}{\Sigma W'}$$

निम्न उदाहरण से प्रमापित दर ( standardized rate ) निकालना आमनी से समझा जा सकता है—

## जनगणना समंक

प्र. १२ ]

c. तरुनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के प्रलग समक्त एकत्र किए गए।

१६६१ की जनगणना में निम्न तथ्य ज्ञात हुए— (आसानी से तुलना करने की हासिल से इनके साथ १६५१ के आइडे भी दिए गए हैं)

	१६६१	१६५१
कुल जन संख्या	४३३६२ करोड़	३६१३ करोड़
ग्रामीण जनसंख्या	३५३६४ करोड़ (८२०३%)	२६४५ करोड़ (८२०६५%)
नगरी जनसंख्या	७८८८ करोड़ (१७ ६७%)	६११६ करोड़ (१७ ३५%)
पुरुष	२२३६२ करोड़	१८३३ करोड़
स्त्री	२१२६ करोड़	१७४४ करोड़
वार्षिक वृद्धि	२ १५ %	१ ३६ %
प्रति एक हजार पुलियो पर		
स्त्रियों की संख्या	६४१	६४७
साक्षरता	२४० %	१६० %
जीवन प्रत्याशा	४५ वर्ष	३२ वर्ष
जनगणना कार्यकर्ताओं की संख्या	१० लाख	७ लाख
गणना काय में कुल व्यय (ह० मे)	२ करोड़ (लगभग)	१४६ करोड़
प्रति मील जनसंख्या घनत्व	३७० व्यक्ति	३१२ व्यक्ति
जन्म दर	४० %	४० %
मृत्यु दर	१८ %	२७ %

१६०१ से १६६१ तक की जनगणनाओं में भारत की जनसंख्या और दस-वर्षीय प्रतिशत परिवर्तन

वर्ष	जनसंख्या	दसवर्षीय परिवर्तन प्रतिशत में
१६०१	२३६,२८३,२४५	—
१६११	२५२,१२२,४१०	५.७३
१६२१	२५१,३५२,२६१	० ३१
१६३१	२७६,०१५,४६८	११.०१
१६४१	३१८,७०१,०१२	१४.२२
१६५१	३६१,१२६,६२२	१३.३१
१६६१	४३६,२३५,०८२	२१.५०

१६६१ की जनगणना की वास्तविक संख्या ने निम्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं के अनुमानों को भी अन्य-प्रगणित (under estimated) कर दिया—

	१९६१ की अनुमानित जन संख्या (करोड़)
१. किंग्सले-डेवीस (Kingsley Davis)	४०.२
२. जनगणना आयुक्त (Census Commissioner)	४०.७
३. कोल और हूवर और चेलास्वामी (Coale and Hoover and T. Chelashwami)	४२.४
४. प्रायोजना प्रायोग (Planning Commission)	४३.१

२२ मार्च १९६१ को न्यादर्शी रीति से जनगणना आकड़ों का सत्यापन (verification) किया गया। यह भान हुआ कि प्रत्येक १००० व्यक्तियों में ७ का अल्प प्रगणन (under estimate) हुआ। १९५१ की गणना में प्रत्येक १००० व्यक्तियों में ११ का अल्प-प्रगणन हुआ था। इससे जात होता है कि जनगणना समको की शुद्धता में काफी सुधार हुआ है। १० जुलाई १९६२ को १९६१ की जनगणना का प्रथम पत्र (Census of India—Paper No. 1) निकाल कर जनगणना आयुक्त (Census Commissioner) थी अशोक मिश्र ने राय प्रकट नी है कि इस बार जनगणना के प्रतिम प्राविष्टि प्रकाशित करने में सबसे कम दिसम्बर हुआ है। १९६१ की प्रकाशित जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत का दोषफल ११,७८,६६५ बर्ग मील और वर्षे हुए गांवों की संख्या ५,६४,७१८ है।

१९६० की संयुक्त-राष्ट्र जनाकिकीय वार्षिक पुस्तक (The U. N. Demographic Year Book) के अनुसार १९५६ में विश्व की आवादी २६१ करोड़ थी। यह अनुमान किया जा सकता है कि १९६१ में विश्व की आवादी ३०० करोड़ होगी। निवासित (inhabited) दोषफल भी १३,५१६ करोड़ बर्ग किलोमीटर था। इस प्रकार से भारत की जनसंख्या विश्व की जन संख्या की १४.६ प्रतिशत और दोषफल २.४ प्रतिशत है।

१९६१ की जनसंख्या प्रतिवेदन १३ जिल्डों(volumes) में प्रकाशित की जाएगी। अन्य पत्रों (papers) के प्रकाशित होने पर हमें और भी बहुमूल्य तथ्य जात होगे।

१९६२ में जनसंख्या जात करने के लिए दिसम्बर १९६२ के महीने में निदर्शन सदैचण (sample survey) भी किया गया है।

भारतीय जनगणना में दोष एवं कमियाँ—

१८७२ की जनगणना को गिनते हुए १९६१ तक दस जन गणनाओं की जा चुकी है लेकिन अब भी तुच्छ मूल भूत कारणों के कारण हमारी जन गणना में निम्न कमिया एवं दोष विद्यमान हैं—

१. पेशेवर वर्गीकरण में समता की कमी—हालांकि पेशे के सम्बन्ध में १९५१ से सूचना एकत्र की जा रही है लेकिन सूचना में एकरूपता नहीं है। 'वाम करने वाला' (worker) की परिभाषा में प्रत्येक गणना में परिवर्तन कर दिया जाता है। फचस्व-स्पृष्ट एक वर्ष के आंकड़ों को दूसरे वर्ष के आंकड़ों से बिना समायोजन किये तुलना नहीं की जा सकती। स्वतन्त्रता के बाद अब तक केवल दो जन गणनायें हुई हैं लेकिन पेशे सम्बन्धी सूचना एकत्र करने में १९५१ में "कमाऊं और वे कमाऊं" के हिसाब से समझ एकत्रित किए गए थे जब कि १९६१ में "काम करने वाला और काम नहीं करने वाला" के आधार पर सूचना संभव थी गई। थी. बी. कालरा (B. L. Kalra) रिसर्च फफलर रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने १९०१ से १९६१ तक "काम करने वालों की संख्या" (working force) पर विविध गणना प्रक्रीया में समायोजन वरके एक पत्र (paper) तैयार किया है। समुद्र राष्ट्र के द्वारा तैयार थी हुई वर्गीकरण योजना (International Standard Industrial Classification-I S. I. C.) को हमने १९५१ में प्रयोग किया लेकिन हमारे देश में परिस्थितिया निम्न होने के कारण १९६१ में इस वर्गीकरण को बदलना पड़ा। बार बार वर्गीकरण को बदलना तुलना की हाईट से ठीक नहीं है।

पिछली चार गणनाओं में हमें 'गणना मनन', 'भवन', 'गणना परिवार' की परिभाषाओं में भी अन्तर मिलता है।

२. अशुद्धता—हमारी गणनाओं में विभ्रम की मात्रा अधिक रहती है। १९४१ की गणना तक तो विभ्रम का अनुमान ही नहीं लगाया गया। १९५१ में ११ प्रति हजार और १९६१ में ७ प्रति हजार का अन्य प्रगणन था। १९३१ के गणना आंकड़े सत्याप्त हमान्दोलन के बारण शुद्ध नहीं कहे जा सकते। १९४१ की जनगणना पर युद्ध आपत्ति काल का असर था। सारी जन गणना में प्रगणकों का कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि वे आंकड़ों का महत्व समझ और अपना काय इच्छा से करें तो विभ्रम की मात्रा और भी कम हो जाएगी।

३. प्रगणकों से ठीक कार्य करवाने के लिए आवश्यक है कि उनको ठीक से प्रशिक्षण दिया जाय और समकों के महत्व को उन्हे समझाया जाय। लंबे से काम करना एक बात है और सरकारी दबाव से कार्य करना अन्य बात है। यदि उनसे अच्छा कार्य करवाना है तो उन्हे पर्याप्त पारिश्रमिक (remuneration) देना चाहिये। १९६१ की गणना में थोड़ा सा पारिश्रमिक दिया गया था लेकिन होल्डर, निव, स्याही के पैड, रोशनाई, स्याही सोब इत्यादि स्टेशनरी की वस्तुयें पारिश्रमिक की रकम में से ही सहीदी थीं। साथ ही प्रगणकों को यह हिदायत थी कि कार्मों को भरने के लिए वे बढ़िया और टिकाऊ नीसी काली (blue-black) रोशनाई का प्रयोग करें। इससे स्पष्ट होना है कि प्रगणकों को आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध बरते के लिए ही पारिश्रमिक दिया गया था। इस सेवा करने

के लिए उन्हे और कुछ रकम के रूप में नहीं दिया गया था। उत्तम सेवाओं के लिए जिना जनगणना अधिकारियों की सिफारिश करने पर रजत व कासे के पदक दिए गए हैं। केवल पदक देने से प्रगणणों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होने चाला है। प्रगणण को गाव के पटवारी या प्राईमरी स्कूल में शिक्षक होते हैं आर्थिक सहायता देने से ज्यादा अच्छा काय बरेंगे न कि पदक देने से)। अमेरिका में प्रति हजार व्यक्तियों पर गणना कार्य में ६०० डॉलर अर्थात् ३ हजार रुपये व्यय होते हैं जब कि भारत में प्रति हजार व्यक्तियों पर लगभग ५० रुपए। अमेरिका में जनगणना पर ६० गुना व्यय किया जाता है। परिणाम स्वरूप वहां प्रगणण एवं अवय गणना कार्य करने के लिए शिक्षित व्यक्ति तैयार रहते हैं।

राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद हमारे देश के सामने एक मात्र व्यय आर्थिक निर्भरता प्राप्त करने का है। जनतानीय प्रथा में प्रत्येक पात्र वर्ष के बाद चुनाव रखें जाते हैं और बीच में कई उप चुनाव भी। गत १९६२ के चुनावों में माझे पाँच करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। दस वर्षों की अवधि में दो बार चुनाव होने और कुल व्यय ११ करोड़ रुपए होगा। दस वर्ष के बाद एक जनगणना में लगभग दो करोड़ रुपये व्यय होते हैं। हमें चाहिये कि हम जनगणना पर भी दस करोड़ रुपये व्यय करके अधिक विश्वसनीय अक्ष एकत्र करें। प्रगणणों को उचित आर्थिक प्रबोधन देना अति आवश्यक है।

४ उम्र के आकड़ों में अब भी शुद्धता की मात्रा कम ही है। सूचना देने वालों में ७६ प्रतिशत बिन्कुल भी साक्षर नहीं हैं। साक्षर में वे भी शामिल हैं जो चार पक्षों का एक छोटा सा पत्र पढ़ व लिख सकते हैं। परिणाम स्वरूप गांवों में उम्र के आकड़े कई बार अनुमान मात्र होने हैं। वहां कोई भी व्यक्ति जरा सा दुड़ापा प्राप्त करने पर अपने आपको १०० वर्ष का बताने लगता है। पिछली जनगणना में तो पड़े लिखे एवं शिक्षित व्यक्तियों ने भी सूचना देने में उदासीनता दिलाई। वे समझते थे कि प्रगणण उनका समय व्यर्थ ही नप्त कर देगा। अन्धविद्याम अब भी हमारे देश में काफी है। महिलाएं यह समझती हैं कि यदि उन्होंने उनके बच्चों की ठीक ठीक सल्या बतलादी तो शायद विसों की मृत्यु हो जाय या उम्र कम हो जाय। यदि वे ठीक आर्थ बतलादें तो उनकी आय में कमी हो जायगी।

५ हमारे देश की राजनीतिक सीमा में भी कई परिवर्तन हुए हैं। वर्मा, लक्ष्मण पाकिस्तान अलग हो गए। जम्मू व कश्मीर भी अब शामिल किया जाने लगा है। दादरा और नगर हवेली बाद में मिल गए। अब पौड़ीचेरी, गोआ, डामन और डृग्यु भी मिल गए हैं। जनसंख्या के पिछले वर्षों के आकड़ों को बिना समायोजन विए तुलनीय नहीं बनाया जा सकता।

६ शारदा अधिनियम के कारण वैद्यालिक स्थिति के आकड़े भी ठीक प्राप्त नहीं होते। गांवों में अब भी कई जगह बाल विवाह की पृथा है। जल्दी शादी कर देने पर भी उक्त अधिनियम के कारण लड़के व सड़कियों की उम्र अधिक बढ़ाई जाती है।

## उदाहरण १३१

आयु वर्ग वर्ष	'अ' शहर-प्रमाण		'ब' शहर-सामान्य			'W' X' (२×६)
	जनसंख्या मृत्यु संख्या	W'	जनसंख्या मृत्यु संख्या	मृत्यु दर (एक हजार में)	X'	
१	२	३	४	५	६	७
१० से नीचे	२,०००	६०	१,२००	३७	३०८	६१,६००
१०-२०	१,२००	२४	३,०००	६६	२२०	२६,४००
२०-४०	५,०००	१२५	६,२००	१६०	२५८	१,२६,०००
४०-६०	३,०००	१०५	१,५००	५३	३५३	१,०५,६००
६० से क्षेत्र	१,०००	५०	३००	१८	६०	६०,०००
योग	१२,२००	३६४	१२,२००	३३४		३,८२,६००
						$\Sigma W'X'$

उपरोक्त तालिका में 'अ' और 'ब' शहर की विविध आयु वर्गों में जनसंख्या एवं मृत्यु संख्या दी गई है। हमें यह जात करना है कि नित शहर में स्वास्थ्य को दर्शा अन्धी है। तुलना के लिये हम 'अ' शहर की प्रमाण शहर मान सेते हैं। अब 'अ' शहर की अशोधित मृत्यु दर ( C. D. R. ) की 'ब' अर्थात् सामान्य शहर की प्रमाणित मृत्यु दर ( S. D. R. ) से तुलना करनी होगी।

$$\text{'अ' शहर की अशोधित मृत्यु दर} = \frac{\text{मृत्यु संख्या}}{\text{कुल संख्या}} \times 1000 \quad (1)$$

$$= \frac{364}{12,200} \times 1000 \\ = 3\text{६}4\% \\ = 29.6\%$$

$$\text{'ब' शहर की अशोधित मृत्यु दर} = \frac{334}{12,200} \times 1000 \quad (2)$$

$$= 3\text{३}4\% \\ = 27.4\%$$

$$\text{'ब' शहर की प्रमाणित मृत्यु दर} = \frac{\frac{W'X'}{W'}}{\frac{W'}{W}} = \frac{3,82,600}{12,200} \quad (3)$$

$$= 31.4\%$$

न० (1) की न० (3) से तुलना करने पर जात होता है कि 'अ' शहर की स्वास्थ्य दरा अधिक अन्धी है। यदि (1) की (2) से तुलना कर लेने तो ऐसा लगता कि दोनों शहरों में दरा लगभग एक सी ही है। ठीक तुलना करने के लिये दो अशोधित दरों की तुलना कभी नहीं बरती चाहिये।

भृत्य उदाहरण १३-२

आयु वर्ग वर्ष	मृत्यु दर (Death rate) प्रति हजार		प्रमाप जनसंख्या (लाख में)	W X <sub>1</sub>	W X <sub>2</sub>
	प्रदेश X <sub>1</sub>	व देश X <sub>2</sub>			
०—४	१८·८७०	४·३४८	१२०	२,२६४·४००	५२१·७६०
५—१४	०·७५६	०·४६५	२०७	१५७·११३	६६·२५५
१५—२४	१·३८५	०·७६७	१८३	२५३·४५५	१४०·३६१
२५—३४	२·०४८	१·०७५	१४८	३०३·१०४	१५६·१००
३५—४४	३·३२६	१·८८२	१२०	३६६·१२०	२१५·८४०
४५—५४	५·००६	४·६६६	६४	६५८·५६४	४३८·८८६
५५—६४	१८·१११	१२·४७७	७१	१,२८५·८८१	८८५·८६७
६५—७४	४५·७६५	३४·०६०	४१	१,८८७·५६५	१,३६६·४६०
७५ और बायर	१२४·२५८	११६·४३३	१६	१,६६८·१२८	१,५६२·६१८
			१०००	$\frac{1}{\Sigma W}$	$\frac{६,१८७·३६०}{\Sigma W X_1}$
			$\Sigma W$	$\frac{६,१८७·३६०}{\Sigma W X_2}$	$\frac{५,७२७·४५७}{\Sigma W X_2}$

$$\text{'अ' देश की प्रमापित मृत्यु दर} = \frac{\Sigma W X_1}{\Sigma W} = \frac{६,१८७·३६०}{१,०००}$$

$$= ६·१८७३६ \text{ या } ६·२\%$$

$$\text{'ब' देश की प्रमापित मृत्यु दर} = \frac{\Sigma W X_2}{\Sigma W} = \frac{५,७२७·४५७}{१,०००}$$

$$= ५·७२७४५७ \text{ या } ५·७३\%$$

इसी प्रकार अशोधित एवं प्रमापित जन्म दर भी जात की जा सकती है। जन्म संख्या वृद्धि को आकर्ते का सरलतम तरीका अशोधित जन्म दर को अशोधित मृत्यु दर में से पटा कर अशोधित वास्तविक वृद्धि या अशोधित अतिजीविता दर (survival rate) जात करना है जिसे १९५१ में जन्म दर ४० और मृत्युदर २३ थी। अतः अतिजीविता दर ( $40 - 23$ ) = १७ हुई। १९६१ में जन्मदर ४० और मृत्युदर १८ थी, अतः अतिजीविता दर ( $40 - 18$ ) = २२ हुई।

भृत्य अशोधित एवं प्रमापित दर से सम्बन्धित अन्य उदाहरण लेखक की दूसरी पुस्तक (सांख्यिकी by यादव, पोखराल और शर्मा) में पृष्ठ २२३ से २२६ पर देखिए।

फिरी कभी जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात निकाल कर उसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसे जन्म-मृत्यु सूचक (vital index) कहते हैं, जैसे १६६१ में जन्म दर ४० और मृत्यु दर १८ थी, तो जन्म मृत्यु सूचक  $\frac{40}{18} \times 100 = 220$  हुआ। यदि सूचक १०० से अधिक है तो जन संस्था बड़ रही है, और यदि सूचक १०० से कम है तो जन संस्था घट रही है।

लेकिन इन सूचकों में भी वे ही कमिया है जो अरोग्य जन्म और मृत्यु दर में होती है।

अरोग्य दर में यह बहुत बड़ी कमिया है कि वह जनसंख्या के आयु वर्गों की बनावट और लिंग अनुपात का कोई ध्यान नहीं रखती। प्रमाणित दर में पहिली कमी को दूर कर दिया जाता है। इसमें दोनों ग्रहणी या देशों के आयु वर्गों में विनियत जनसंख्या की समान ही मात्रा जाता है। लेकिन यहाँ भी लिंग अनुपात को कोई ध्यान नहीं रखता जाता है। वास्तव में जनसंख्या की वृद्धि का उचित स्वरूप जानने के लिए इन दोनों कारणों का अध्ययन करना पड़ता है। यदि दो जनसंख्याओं की जन्म दर समान हो और उनके लिंग अनुपात भी समान हो तो यह आसानी से तय किया जा सकता है कि उनकी उर्वरता-दर में अनिन्दा है।

उपरोक्त अनिन्दा को दूर करने के लिए उर्वरता दर (fertility rate) का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। 'उर्वरता' का अर्थ है स्त्रियों के वास्तव में पैदा हुए शिशुओं की संख्या। उर्वरता और बहुप्रजता (fecundity) में अन्तर समझना आवश्यक है। वहु प्रजता का अर्थ है स्त्रियों के प्रायिकतम् शिशु पैदा होने की ग्राहिशास्त्रीय दृष्टिकोण। उर्वरता दर का अध्ययन तीन प्रकार से किया जा सकता है।

१. सामान्य उर्वरता दर (General Fertility Rate—G. F. R.)
२. विशेष उर्वरता दर (Specific Fertility Rate—S. F. R.)
३. कुल उर्वरता दर (Total Fertility Rate—T. F. R.)

यह हमें ज्ञात ही है कि स्त्रियों की प्रजनन (reproduction) प्रवधि उनकी लगभग १५ वर्ष की आयु से लेकर लगभग ५० वर्ष तक आयु तक होती है। १५ वर्ष से पूर्व और ५० वर्ष के बाद बहुत कम स्त्रियों के शिशु पैदा होते हैं।

सामान्य उर्वरता दर प्रजनन योग्य अवधि (child bearing age) में पैदा हुये शिशुओं और प्रजनन उम्र को कुल स्त्रियों का अनुपात है। उर्वरता दर सदा १००० में अक्त की जाती है भन. सामान्य उर्वरता दर का निम्न सूत्र है—

$$G.F.R. = \frac{(15-50) \text{ आयु वर्ग के बीच में स्त्रियों के कुल पैदा हुए शिशुओं की संख्या}}{(15-50) \text{ आयु वर्ग के बीच में कुल स्त्रियों की संख्या}} \times 1000$$

अत इन्हें देखा कि उर्वरक्ता दर के आकलन में उम्र और लिंग दोनों का प्रयोग किया जाता है।

विशेष, यहाँ या विस्तृत अध्ययन करने के लिए विशेष उर्वरक्ता दर (Specific Fertility Rate—S.F.R.) निकाली जाती है। विशेष उर्वरक्ता दर किसी आयु-वर्ग विशेष की उर्वरक्ता दर है। जैसे (१५-१६), (२०-२४), (२५-२६), (३०-३४), (४०-४४), (४५-४६) आयु वर्ग ५-५ के वर्गान्तर (class interval) पर बनाए जा सकते हैं। अन्य वर्गान्तर पर भी आयु-वर्गों की बनावट की जा सकती है। (२०-२४) या (२५-२६) या विशेष अन्य आयु वर्ग में उर्वरक्ता की दर को ही विशेष उर्वरक्ता दर कहते हैं। इसके लिए निम्न सूत्र नाम में लिया जा सकता है—

$$S.F.R = \frac{(२५-२६) \text{ आयु वर्ग के बीच में स्थियों के कुल पैदा हुए शिशुओं की संख्या} \times १०००}{(२५-२६) \text{ आयु वर्ग के बीच में स्थियों की युल संख्या}$$

इसी प्रकार से (२०-२४) या (३०-३४) या (४०-४४) या किसी अन्य वर्ग की विशेष उर्वरक्ता दर ज्ञात की जा सकती है।

यदि प्रत्येक वर्ग की विशेष उर्वरक्ता दर को जोड़ दिया जाय तो योग कुल उर्वरक्ता दर (Total Fertility Rate—T. F. R.) के बराबर होगा।

निम्न उदाहरण से विविध प्रकार की उर्वरक्ता दरें ज्ञात करना आसानी से समझ में आजाएगा—

उदाहरण नं. १३-३

आयु वर्ग वर्ष	उर्वरक्ता दर (प्रति हजार स्थिया)
१	२
१५-१६	१५
२०-२४	१८
२५-२६	२०
३०-३४	१५
३५-३६	१०
४०-४४	५
४५-४६	२
	८५

उपरोक्त प्रश्न में हमें सामान्य उर्वरता दरें जान करनी हैं। प्रश्न में यह बात व्याप्त देने योग्य है कि आयु वर्ग का वर्गान्तर ५ वर्ष है। अत प्रत्येक आयु वर्ग में पैदा हुए शिशुओं की कुल सख्ता जात करने के लिए प्रत्येक वर्ग की उर्वरता दर को ५ से गुणा करना आवश्यक है या उर्वरता सम्भ के योग को ५ से गुणा करन पर भी वही सख्ता प्राप्त होगी।

$$\text{मन } 15 \times 5 = 75$$

$$15 \times 5 = 60$$

$$20 \times 5 = 100 \quad (\text{या } 5 \times 5 = 25)$$

$$15 \times 5 = 75$$

$$10 \times 5 = 50$$

$$5 \times 5 = 25$$

$$2 \times 5 = 10$$

४२५ - कुल शिशुओं की संख्या

$$\therefore \text{G. F. R.} = \frac{425}{1000} = 425 \quad (\text{प्रत्येक स्त्री के अनुशास में}) \quad \text{यदि}$$

इसे प्रति हजार स्त्रियों के अनुशास में जात करना है तो  $425 \times 1000 = 425$  सामान्य उर्वरता दर होगी।

उदाहरण १३४

आयु वर्ग	प्रति हजार उर्वरता दर
१	२
१६-२०	१६
२१-२५	१७३
२६-३०	२५३
३१-३५	२०१
३६-४०	१५७
४१-४५	६७
४६-५०	६

मामान्य उर्वरता दर ज्ञात करने के लिए दूसरे स्तम्भ के योग ८७६ से ५ से घटा करने पर (१६-५) आयु वर्ग में १००० स्त्रियों के पैदा हुए कुल शिशुओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी ।

$$\therefore ८७६ \times ५ = ४३८५$$

$$\therefore G. F. R. = \frac{४३८५}{१०००} = ४३८५ \text{ प्रति स्त्री या } ४३८५ \text{ प्रति हजार स्त्रिया}$$

विशेष उर्वरता दर ज्ञात करने के लिए प्रत्येक आयु वर्ग में पैदा हुए कुल शिशुओं की संख्या ज्ञान की जाएगी ।

$$\therefore (१६-२०) आयु वर्ग में पैदा हुए कुल शिशु १६ \times ५ = ८०$$

$$\therefore \text{इस वर्ग में कुल स्त्रियों की संख्या} = १०००$$

$$\therefore \text{विशेष उर्वरता दर (S. F. R.)} = \frac{८०}{१०००} = ००८० \text{ प्रति स्त्री}$$

$$\text{और ( २१-२५ ) आयु वर्ग में S. F. R.} = \frac{१७३५}{१०००} = १७३५ \text{ प्रति स्त्री}$$

इसी प्रकार प्रत्येक आयु वर्ग के प्रत्येक वर्ष की S.F.R. ज्ञात की जा सकती है ।

उदाहरण १३५

आयु वर्ग १	स्त्रियों की संख्या ( हजार में ) २	विभिन्न आयु वर्गों में पैदा हुए शिशुओं की संख्या ३	
		१	२
१५-१६	८४-८६	२,३४३	
२०-२४	५०-५१	१४,५४१	
२५-२६	८२-८६	१६,७३६	
३०-३४	७५-८२	१०,२१८	
३५-३६	७५-१०	५,१३४	
४०-४४	७१-६२	१,४२३	
४५-४६	६६-६६	६३	
योग	५१६-७६	५०,४८७	

देश की कुल जन संख्या २२६५८ हजार थी। C. B. R., G. F. R., S. F. R. पर T. F. R. ज्ञान करना है।

$$\text{C. B. R.} = \frac{\text{कुल देश हुए शिशुओं की संख्या}}{\text{कुल जन संख्या}} \times 1000 \\ = \frac{५०४८७}{२२६५८००} \times 100 = २२\cdot ३ \text{ प्रति हजार}$$

$$\text{G. F. R.} = \frac{(१५-४६) \text{ आयु वर्ग में पैदा हुए शुप्रों की संख्या}}{(१५-४६) \text{ आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या}} \times 1000 \\ = \frac{५०४८७}{५१६७६०} \times 1000 = ८७\cdot ७ \text{ प्रति हजार}$$

$$\text{S. F. R.} = (१५-१६) = \frac{२३४३}{८४७६०} \times 1000 = २७\cdot ६$$

$$(२०-२४) = \frac{१४५४१}{७००१०} \times 1000 = २०७\cdot ७$$

इसी प्रकार (२०-२६) =	.....	= २३०\cdot ३
(३०-३४) =	.... "	= १३४\cdot ६
(३५-३६) =	.... " "	= ६८\cdot ४
(४०-४४) =	" " "	= १६\cdot ६
(४५-४६) =	" " "	= १४
	पोग	<u>६८६\cdot ६</u>

$$\text{T. F. R.} = \text{S. F. R. का योग} \times ५$$

$$६८६\cdot ६ \times ५ = ३४३३\cdot ५$$

नोट.—T. F. R. ज्ञान करने के लिए S. F. R. के योग को वर्गान्तर (५) से गुणा करना आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक आयु वर्ग में S. F. R. ५ की इकाई में ज्ञान की मई है।

उपरोक्त उद्दरता दर का अध्ययन भी हमें जन वृद्धि की सब समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं होता है। उद्दरता में विभिन्न आयु वर्गों में पैदा हुए शिशुओं की संख्या ज्ञान की जाती है। शिशुओं में बच्चे व बचियां दोनों ही सकते हैं। वास्तव में जनसंख्या में वृद्धि बचियों की संख्या पर निर्भर वरती है। इसके प्रतिरिक्ष मरण-दर (mortality rate) भी ज्ञान होना आवश्यक है। अत प्रजनन दर (reproduction rate) ज्ञान करने के लिए स्त्रियों और बचियों की संख्या ज्ञान की जाती है। प्रजनन

दर सामान्य स्तर से तो विद्यों की ही जाति की जाती है कर्त्तव्य वाले शिक्षणों का प्रजनन करती है। विस्तृत अध्ययन करने के लिए आउक्यन विकास देशों में पुरुषों की प्रजनन दर ( male reproduction rate ), विद्यों व पुरुषों की मिलिन प्रजनन दर ( combined reproduction rate ) भी जान की जाती है। विद्यों की प्रजनन दर ( female reproduction rate ) भी दो प्रकार की होती है—१. मक्कल प्रजनन दर ( Gross Reproduction Rate—G. R. R. ) और २. शुद्ध प्रजनन दर ( Net Reproduction Rate—N. R. R. )। सबसे प्रजनन दर में मरण दर ( mortality rate ) का घातन नहीं दिया जाता है। प्रजनन दर निवालने में यह भी मान्यता करनी पड़ती है कि चानू उत्तरता दर ( current fertility rates ) विद्यों की प्रजनन योग्य अवधि में अपरिवर्तित रहती है। विद्यों की सकल प्रजनन दर [ female gross reproduction rate ] का अर्थ है—१००० नव जात विद्यों के पौरुष बनने पर १५ से ५० वर्ष की अवधि वे दोनों में पैदा होते वाली कुल विद्यों की संख्या। इसमें निम्न मान्यताएँ होती हैं—

१—१००० नव जात विद्यों जो मानुषाएँ बनती हैं उनमें से प्रत्येक प्रजनन अवधि की ऊपरी सीमा (५० वर्ष की उम्र) तक जीवित रहती अर्थात् विसी भी माता की मृत्यु नहीं होती।

२—चानू उत्तरता दर इस प्रजनन अवधि (१५ से ५० वर्ष) में अपरिवर्तित रहती।

स्त्री सकल प्रजनन दर जात करने के लिए निम्न सूत्र प्रयोग में लाना चाहिए—

१००० नवजात विद्यों के उनकी प्रजनन अवधि में विना विसी भी मृत्यु हुए और चानू उत्तरता दर कुल अवधि में अपरिवर्तित रहते हुए कुल पैदा हुई विद्यों की संख्या

Female G R R.=

१०००

सकल प्रजनन दर में एक मान्यता यह है कि १५ से ५० वर्ष उम्र तक की अवधि में १००० नव जात विद्यों में से किसी भी भी मृत्यु नहीं होती। यह मान्यता वास्तविकता से बहुत दूर है। इस मान्यता का घातन रखने के लिए शुद्ध प्रजनन दर ( N. R. R. ) ज्ञात की जाती है। N. R. R. में जिन मानवों को १५ से ५० वर्ष उम्र तक की अवधि में मृत्यु हो जाती है उनका समायोजन किया जाता है। ऐसिल चानू उत्तरता दर तो शुद्ध प्रजनन दर निवालने में भी अपरिवर्तित ही मानवी पड़ती है। शुद्ध प्रजनन दर सकल प्रजनन दर से सदा कम होती है। प्रजनन दर सदा एक के हिसाब से ही व्यक्त की जानी है। यदि शुद्ध प्रजनन दर १ से अधिक है तो हम बहुते कि जनसंख्या बढ़ रही है और यदि शुद्ध प्रजनन दर १ से कम है तो हम बहुते कि जनसंख्या वास्तव में घट रही है।

“शेष रही स्त्रियों की सम्बा जिसके द्वारा वर्तमान स्त्री-जनसन्धा असे भारको किस भाग में पुतेस्थापित ( replace ) करती है”-यही अवधियन शुद्ध प्रजनन दर निकाल कर किया जाता है। यह एक सत्य ही है कि १००० नव जान वच्चियों १५ वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक सभी जीवित नहीं रह सकती। भारत जैसे देश में जहाँ शिशु-मरण दर ( infantile mortality rate ) बहुत अधिक है कुल १००० वच्चियों का १५ वर्ष तक जीवित रहना प्रस्तुमन्द है। उदाहरण के लिए मानिए कि १००० वच्चियों में से १५ वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक १०० वच्चियाँ मर जाती हैं। अब १५ वर्ष की उम्र पर केवल ६०० मानाए ही वच्चे-वच्चियों को जन्म दे सकती हैं। यह भी मान लीजिए की १५ वर्ष पर चालू उर्वरता दर २० प्रति हजार है और निग अनुपात ५० ५० है। १५ वर्ष की उम्र पर ६०० मानायों के बास्तव में १८ शिशु पैदा होने न कि २०। निग अनुपात ५० ५० होने के बारण ६ ही वच्चिया पैदा होगी। सकल प्रजनन दर में १० वच्चिया मानी जाती।

२० वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर यदि इन ६०० मानायों में से १०० भी मर जाती हैं और इस उम्र पर चालू उर्वरता दर ७०० प्रति हजार है तो बास्तव में ८०० मानायों के ५६० शिशु ही पैदा होने न कि ७००। निग अनुपात ५० ५० होने से २५० वच्चियों पैदा होंगी। इसी प्रकार प्रत्येक उम्र या उम्र वर्ग पर मृत्यु का समायोजन करके शुद्ध प्रजनन दर जात की जाती है। स्त्री शुद्ध प्रजनन दर ( female net reproduction rate ) ज्ञान करते के लिए निम्न सूत्र प्रयोग में लाना चाहिए-

१००० नव जान वच्चियों के उनकी प्रजनन अवधि में मृत्यु का  
समायोजन करते हुए और उर्वरता दर कुल अवधि में अपरिवर्तित  
रहते हुए कुल पैदा हुई वच्चियों की संख्या

female N R.R. =

१०००

निम्न उदाहरणों में सकल एवं शुद्ध प्रजनन दर निकालना समझाया गया है—

उदाहरण १३३ में यदि वच्चों व वच्चियों का अनुपात ५५ ४५ हो तो सकल प्रजनन दर निम्न प्रकार से जात की जायेगी—

कुल शिशुयों की संख्या = ४२५

५५ ४५ के अनुपात में अर्थात् १०० में से ४५ वच्चियों की संख्या होने पर

४२५ में  $\left(\frac{425 \times 45}{100}\right) = 161$  वच्चिया होंगी।

अब G R R =  $\frac{161}{1000} = 161$  प्रति स्त्री होगी।

इसी प्रकार उदाहरण १३'४ में यदि वन्नों व बच्चियों का अनुपात ५१'८ ४८ २ हो तो कुल ४३६५ शिशुओं में बच्चियों की संख्या  $\frac{५१'८\times४८'२}{१००} = २१४४'७६$  होगी।

$$\text{परं } G.R.R. = \frac{२१४४'७६}{१०००} = २'१४४'७६ \text{ प्रति स्थी होगी।}$$

### उदाहरण १३'६

आयु वर्ग	प्रत्येक आयु वर्ग में से गुजराते हुए १००० शिश्यों के पंदा हुई बच्चियों की संख्या	प्रति हजार बच्चियों में से जीवित बच्चियों की संख्या प्रतिजीविता दर (survival rate per thousand)	शेष रही शिश्यों की संख्या जिसके द्वारा वर्तमान स्थिति संख्या घपने आएको पुनर्स्थापित करती है
१	२	३	४
१५-१६	५०	६५०	$\left( \frac{५०\times६५०}{१०००} \right) = ४२'५०$
२०-२४	२००	८००	$\left( \frac{२००\times८००}{१०००} \right) = १६०'००$
२५-२९	६००	७५०	४५०'००
३०-३४	५००	७००	३५०'००
३५-३९	४५०	६५०	२६२'५०
४०-४४	१५०	६००	६०'००
४५-४९	४०	५००	२०'००
<b>सकल</b>			<b>१५०५'००</b>

### सकल प्रजनन दर—

(१५-४६) वर्ग में १००० शिश्यों के पंदा हुई बच्चियों की संख्या (विता मृतु का समाप्तोजन किये हुए) = १६६०

$$\therefore G.R.R. = \frac{१६६०}{१०००} = १'६६ \text{ प्रति स्थी}$$

## शुद्ध प्रजनन दर—

(१५-४६) वर्ग में मृत्यु का समायोजन करते हुए पैदा हुई बच्चियों की संख्या  
= १४०५

$$\therefore N.R.R. = \frac{1405}{1000} = 1.405 \text{ प्रति स्त्री}$$

अतः १ स्त्री १४०५ स्त्रियों द्वारा प्रतिस्थापित होती है।

## उदाहरण १३०७

आयु वर्ग १	प्रत्येक आयु वर्ग में से गुजरते हुए १००० स्त्रियों के पैदा हुए शिशुओं की संख्या २	१ २ ३ ४	प्रति हजार बच्चियों में से जीवित बच्चियों की संख्या ५	शेष रही बच्चियों की संख्या जिसने द्वारा बताना स्त्री- जनसंख्या अपने आपकी पुनर्स्थापित करती है ५
१५-२०	१००	५०	८५०	$\left( \frac{850}{1000} \right) = 82\frac{1}{2}$
२०-२५	४००	२००	८००	१६०%
२५-३०	१२००	६००	७५०	४५०%
३०-३५	१०००	५००	७००	३५०%
३५-४०	६००	३५०	६५०	२६२५%
४०-४५	३००	१५०	६००	६०%
४५-५०	८०	४०	५००	२०%
		११६०		१४०५%

यदि बच्चे-बच्चियों का अनुपात ५० : ५० हो तो शुद्ध प्रजनन दर ज्ञात करना है। उदाहरण १३०६ में तो दूसरे स्तम्भ में बच्चियों की संख्या दी गई थी लेकिन उपरोक्त उदाहरण के दूसरे स्तम्भ में शिशुओं की संख्या दी गई है। अतः कुल १०० शिशुओं में ५० बच्चियों के अनुपात में प्रत्येक आयु वर्ग में बच्चियों की संख्या स्तम्भ ३ में निकाली गई है।

$$\therefore \text{शुद्ध प्रजनन दर (N.R.R.)} = \frac{1405}{1000}$$

= १.४०५ प्रति स्त्री

### जन्म मृत्यु आदि के समंक में सुधार करने के सुझाव—

हमारे देश में जैसा कि पहिले बताया जा चुका है जन्म-मृत्यु के समक मृत्युएँ एवं शृंदि मृत्युएँ हैं। अभी तक गाव के चौकीदार या शहर की नगर पालिका ही इन आकड़ों को एकत्र करती है। प्रत्येक जन्म मृत्यु की घटना का अधिकृत करवाना वैधानिक आवश्यकता होनी चाहिए। विदेशों में रिश्यु के उत्पन्न होने पर संबन्धित अधिकारी के पास शिशु की माता की उम्र, माता-पिता का धर्म आदि इंजं करवाना पड़ता है। इसी प्रकार मृत्यु होने पर भी सम्बन्धित अधिकारी से शव को जलाने से पहिले मृत्यु प्रमाण पत्र (death certificate) प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जन्म-मृत्यु के आकड़ों के पूर्ण रहने पर ही हम जनसंख्या के टीक आकड़े भनुमानित कर सकते हैं। आज दल लग-भग प्रत्येक योजना जनसंख्या के आधार पर ही तैयार की जाती है।

हमारे देश में विवाह की रस्म भी भिन्न है। विदेशों में तो प्रत्येक विवाह के तथ्य रजिस्टर में अधिकृत कारणाएँ जाते हैं लेकिन हमारे पदा विवाह की अधिकारियों को सूधना देना आवश्यक नहीं है। स्थियों की किस उम्र में शादी होती है, इसके आकड़े, फल-स्वरूप, प्राप्त नहीं होते हैं। शारदा अधिनियम (Sharda Act) के कारण विवाह के समय की उम्र के आकड़े भी ठीक प्रकार से नहीं बनलाए जाते। गावों में बाल विवाह के कारण अक्षर विवाह के समय वी उम्र अधिक ही बनलाई जाती है।

अब शहरी भै देर से विवाह करने की रीति चालू हो गई है। हम बहुत यह समझ लेते हैं कि १५ वर्ष की उम्र की स्त्रियां प्रजनन कार्य शुरू कर देती हैं लेकिन इसमें कई वाधाए आसकती हैं। कोई स्त्री, हो सकता है, उम्र भर शादी ही न करे पाए प्रजनन काल ही में विश्वा हो जाय या शारीरिक कमी या किसी अन्य कारण से प्रजनन बन्द ही होजाय। इस सम्बन्ध में पर्याप्त आकड़े प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है, तब ही हमारे जीवन मृत्यु-समंक मूर्ख हो सकेंगे और जन-वृद्धि का ठीक ठीक अव्ययन हो सकेगा।

प्रत्येक प्रकार की सूचना देने के लिए नि शुल्क काड़े की व्यवस्था होनी चाहिए। गावों में यह कार्य पचायतें ग्राम सेवकों (Village Level Worker-V.L.W.) के द्वारा करवा सकती हैं।

### नई योजना—

हाल ही में भारत सरकार ने जन्म मृत्यु आकड़ों को पर्याप्त रूप में एकत्र करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। केन्द्रीय शुल्क मंत्री ने एक पत्र में सब राज्य सरकारों से कहा है कि वे जन्म मृत्यु समक एकत्र करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक प्रबन्ध करें। मंत्री-महोदय का विवार है कि सफल राष्ट्रीय आयोजन, जन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि पूर्ण एवं विश्वसनीय जन्म मृत्यु समकों की उपलब्धि पर ही सम्भव है।

भारत में जन्म मृत्यु आदि की समस्या का हाल ही में भंपुक्त राज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य समक्ष केन्द्र के सचालक डा० लिन्डर ( Dr. F. E. Linder ) ने विस्तृत अध्ययन किया है। डा० लिन्डर का विचार है कि प्रत्येक राज्य के साहित्यकीय निरेशालयों या स्वास्थ्य विभागों द्वारा जन्म मृत्यु समकों की व्यवस्था करने के लिए एक भलग प्रणालीकीय इकाई स्थापित करती चाहिए।

जन्म मृत्यु समंक एकत्र करने में मुश्वर करने के लिए हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ने एक दैर्घ्य कार्यक्रम तैयार किया है जिसे १९६३-६४ से १९६८-६९ तक कार्यान्वयन करने का विचार है। कार्यक्रम दो प्रकार का निश्चिन्त किया गया है—दीघंकालीन और लघुकालीन। दीघंकालीन वार्ष क्रम को कार्यान्वयन करने के लिए पादयोजनाएँ तैयार की गई हैं।

लघुकालीन कार्यक्रम में चुने हुए प्रामीण छेत्रों में न्यायालय रोनि से जन्म मृत्यु समकों के एकत्र करने का विचार है।

योजना वा विस्तृत अध्ययन करने के लिए आयोजना आयोग ने यह मन्त्रालय के सचिव, रजिस्ट्रार जनरल नया C. S. O., आयोजना आयोग, वित एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों की एक अध्ययन समिति का गठन किया है।

केन्द्रीय विधि मन्त्रालय ने जन्म मृत्यु समक पर एक विस्तृत अधिनियम का प्रारूप तैयार किया है जिसे, शीघ्र ही समय द्वारा पारित करवाकर लागू किया जाएगा।

## अध्याय १४

# सांख्यिकीय किस्म नियंत्रण एवं बजट नियंत्रण

( Statistical Quality Control & Budgetary Control )

विश्व में कोई भी दो वस्तुएँ एक रूप नहीं होती हैं। प्रकृति में भी विचरणता ( variability ) प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। दो एक ही साथ पैदा हुए बच्चों में भी पर्याप्त अंतरपना होते हुए निहीं बातों में विचरणता गिल ही जाती है। कोई भी मरीच, चाहे वह कितनी ही मुनाफ़ता से बनी हुई हो, दो वस्तुएँ एकसी तैयार नहीं करती। यह ही सकता है कि विचरणता इतनी मूल्य ही कि नम आँखों से देखी न जा सके। यह जानते हुए कि विचरणता अवश्यम्भावी है, निर्माणकर्ता एवं व्यवसायी भाल को तैयार करने में कुछ प्रभाव निर्भारित कर लेते हैं। यदि तैयार किया हुआ भाल प्रभाव के आस-पास है तो वे भाल को व्यापार की दृष्टि से सरोप्रद भाल लेते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि उहे प्रभाव भी तथ करता है और विचरणता की घटन नियंत्रण सीमा ( Upper control limit of variability ) और विचरणता की अधर नियंत्रण सीमा ( Lower control limit of variability ) को भी तथ करता पड़ता है।

प्राचीन काल में तो कोई भी वस्तु शुरू से अन्त तक एक ही वर्तिं ढारा बनाई जाती थी। लेकिन आज थम का पूर्ण विभाजन है। एक छोटी सी सार की मुई ६० हाथों में होकर गुजरती है। राष्ट्रीय एवं देश के रक्षा के महत्व की वस्तुओं के तो हिस्से अलग-अलग स्थानों पर बनते हैं। यदि कल-मूर्जे एक जगह बनते हों, तो लाका दूसरे स्थान पर बनता है, उसका इजल तीसरे लालान पर तैयार किया जाता है और इहें जोड़कर वस्तु को अनियंत्रित किसी चौंये स्थान पर दिया जाता है। थमिक को कभी-कभी यह जात नहीं होता है कि वास्तव में वह किस वस्तु के हिस्से तैयार कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में जबकि एक ही वस्तु के अलग-अलग भाग का अन्याय स्थानों में निर्माण होता हो तो प्रभाव निर्भारित कर। और विचरणता को अपर एवं अधर नियंत्रण सीमा तथ करता अर्थात् आवश्यक हो जाना है क्योंकि एक स्थान पर निर्मित की हुई वस्तुएँ दूसरी जगह भेजी जाती हैं और दूसरी जगह तैयार किये हुए भाग तीसरी जगह। यदि विविध हिस्से ठीक प्रकार से नहीं बनेंगे तो वस्तु का अन्तिम रूप ठीक नहीं होगा।

प्रत्येक निर्माणकर्ता यह चाहता है कि उसकी वस्तुओं की विविध निर्माण विधियों ( process ) पर इस प्रकार का नियंत्रण हो कि असलोप्रद एवं बराबर वस्तुओं की स्थान कम से कम हो। इसके लिये विधि नियंत्रण ( process control ) करना स्थान कम से कम हो।

पड़ता है। साथ ही निर्माणकर्ता यह भी चाहना है कि वह ऐसा माल निर्यात नहीं करे जिसमें खराब वस्तुओं की संख्या अधिक हो। इसके लिये निर्माणकर्ता को नियंत्रण करने के लिये प्रचय स्वीकृति निर्दर्शन ( lot acceptance sampling ) करना पड़ता है।

बोई भी देख, जहाँ तक अपने योजने ग्रौटोग्राफ हाई से बलयाली न बनाले, आधुनिक समस्याओं का सफलतापूर्वक हल नहीं कर सकता। भारतवर्ष ने भी द्वितीय और तृतीय पचवर्षीय योजनाओं में ग्रौटोग्राफरण की प्रोट बहुत ध्यान दिया है। भारी ग्रौटोग्राफरण का अर्थ है बड़े-बड़े और विस्तृत पैमाने पर निर्माण एवं व्यवसायी संस्थानों का स्थापित होना। इन संस्थानों द्वारा निर्मित वस्तुओं में भारी प्रतियोगिता होगी। परिणामस्वरूप वह संस्थान सफल सिद्ध होगा जिसकी निर्मित वस्तुएँ कम दाम की और अच्छी ग्रिस्म की हों। अच्छी वस्तुओं का निर्माण करने के लिये विस्म नियंत्रण ( Quality Control ) गति-ग्रावश्यक है।

किसी भी विस्तृत पैमाने पर व्यवसाय करने वाली संस्थान के निम्न तीन मुख्य कार्यों में सांस्थिकीय रीतिया बहुत सहायक मिल होती हैं—

१. कर्मों की योजना ( Planning of operations )—योजना किसी आयोजन विशेष की हो सकती है या निश्चिन घटविधि में किसी संस्थान द्वारा बार-बार एक सी वस्तु उत्पादन या निर्माण की। उदाहरण के लिये यदि बोई संस्थान टेलीफोन का निर्माण करती है और प्रत्येक प्रचय ( lot ) में १०० टेलीफोन तैयार होते हैं। विविध प्रचयों ( lots ) के लिये योजना बनाई जा सकती है।

२. प्रमापों का निर्धारण ( Establishment of standards )—किसी भी क्रिया ( operation ) के प्रमाप का निर्धारण किया जा सकता है। निर्माणकर्ता अपनी निर्माण की हूई वस्तुओं का विस्म के हिसाब से प्रमाप निर्धारित कर सकता है या प्रत्येक दिन में वस्तु अनुमुक भाग्या या संख्या में उत्पादन या निर्माण करने का प्रमाप तय कर सकता है या वह किसी वस्तु ( इवाई ) के उत्पादन या निर्माण करने में लागत का प्रमाप तय कर सकता है।

३. नियंत्रण ( Control )—योजना या प्रमाप का वस्तु स्थिति ( actual position ) से तुलना करने पर और दोनों में विशेष अन्तर होने पर उचित कदम उठाने को नियंत्रण कहते हैं। उचित कदम से तात्पर्य है दोनों में अन्तर का कारण ज्ञात करना और उसे छोक करना। उदाहरण के लिये मानिये कि किसी निर्माणकर्ता ने विशेष प्रमाप के टेलीफोन बनाने की योजना बना रखी है। वह यह चाहेगा कि टेलीफोनों का उत्पादन उसी प्रमाप के अनुमान हो। यदि बारतवर्ष में निर्मित टेलीफोन प्रमाप की सहन सीमाओं से भी दूर है तो टेलीफोन बनाने की मशीह में कोई सरावी हो सकती है। यदि

मरीन चालन मरीन में बुटि पाना है तो उसे एक दम ठीक करने का प्रयत्न किया जाता है ताकि अन्य उत्पादित माल प्रमाण की सहन मीमांशों के अन्दर ही हो। वर्मी-जमी यह भी हो सकता है कि मरीन तो ठीक माल उत्पादन कर रही है लेकिन प्रमाण इन्हा कहा या नीचा है कि उम मरीन से वैसा माल तैयार हो नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में प्रमाण को बदलना आवश्यक हो जाता है।

आज कल निदर्शन रीति इन्हीं वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग में लाई जाती है कि इसमें नियन्त्रक प्रत्येक उत्पादित या निर्मित माल की प्रमाण से तुलना नहीं करता। इसमें निरीक्षण यकावट ( inspection fugue ) होने की आशा रहती है। साथ ही प्रत्येक इकाई की जांच करने में उन्हीं दमता नहीं रहती। कुछ चुने हुए न्यायिकों का गहन अध्ययन करके इसमें नियन्त्रण भली भांति आपनाया जा सकता है। यदि नियन्त्रक प्रत्येक इकाई दी जाते वरे तो वह उसका गूदमता से निरीक्षण नहीं कर सकता।

वैसे तो योजना बनाना, प्रमाण तथा बरना और नियन्त्रण बरना अलग अन्य कार्य हैं लेकिन वास्तव में व्यवहारिक हाईटि से वे एक दूसरे से गुण हुए हैं।

पहिले और तीसरे कार्य को मिला दिया जाय तो बजट नियन्त्रण ( Budgetary Control ) होगा। बजट नियन्त्रण में योजना बनाई जाती है और लक्षणों की प्राप्ति के लिये नियन्त्रण किया जाता है। उदाहरण के लिये किसी भी संस्थान के प्रत्येक विभाग का वार्षिक विस्तृत आय-व्ययक ( Budget ) तैयार किया जाता है और सात भर आय और मुन्द्र रूप से व्यय का नियन्त्रण आय व्ययक वे अनुसार किया जाता है।

दूसरे और तीसरे कार्य को मिलाते पर किसम नियन्त्रण ( Quality Control ) होगा है। किसम नियन्त्रण में पहिले प्रमाण ( standards ) तथा किये जाने हैं, और बाद में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं की मात्रा एवं विस्त का नियन्त्रण प्रमाणों के अनुसार किया जाता है।

योजना, प्रमाण तथा बरना और नियन्त्रण करना आजबल सम्पूर्ण संस्थान में ही नहीं बरन संस्थान के प्रत्येक विभाग ( department ) में भी लागू करना आवश्यक समझा जाता है जैसे कार्यकर्ता ( Personnel ), अर्थ ( finance ), उत्पादन ( production ), विपणन ( marketing ), लेखा ( Accounting ) आदि। दीमा एवं विनियोग व्यवसायी में भी सख्तिकीय रीनियों का भली भांति उपयोग किया जा सकता है।

**बजट नियन्त्रण—** जिसी भी व्यवसाय के सब कर्मों ( operations ) की योजना बनाना और योजनाओं को कार्य रूप देने में पूर्ण नियन्त्रण करने की विधि को ही बजट नियन्त्रण कहते हैं। बजट नियन्त्रण में निम्न कार्य करने होते हैं—

I—१—बजट की अवधि-वार्षिक या अधि वार्षिक-द विक्री योजना का आयाजन।

२—दिव्री योजना के आपार पर निर्माण कार्य में वाचित वस्तुओं की वार्षिक

सूची तैयार करना एवं निर्भाग-कार्यक्रम तैयार करना ।

३—भरीनो एवं सायन्त्रो के प्रसार एवं नवीनीकरण का कार्यक्रम तय करना ।

II—४—उपरोक्त योजनाओं में वादित प्राप्ति एवं व्यय का अनुमान लगाना । साथ ही ग्रथ प्राप्ति का भी आयोजन करना ।

III—५—चालू वर्ष से एक वर्ष आगे का अनुमानित चिट्ठा एवं लाभ-हानि साता तैयार करना ।

IV—६—बजट की योजनाओं को कार्यनित करने की नियमित रूप से साक्षात्कार, अर्द्ध मासिक या मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना । वास्तविक स्थिति की योजनाओं से तुलना करके कोई बड़े विचलन का, यदि हो तो, कारण ज्ञात करना और यदि सम्भव हो तो ठीक करना ।

७—प्रगति रिपोर्टों से मानूम हुए परिवर्तनों एवं विचलनों के आधार पर विविध बजट योजनाओं में आवश्यक संशोधन करना ।

### किस्म नियन्त्रण (Quality control)

यह हम भली भांति जानते हैं कि एक सामान्य (normal) या निकट सामान्य वक्र (near normal curve) में आवृत्ति का वितरण इस प्रकार से होता है कि ( $\bar{X} \pm 3\sigma$ ) में ६८.२३ प्रतिशत मद इस वक्र के अन्दर ही आते हैं। इसी प्रकार ( $\bar{X} \pm 2\sigma$ ) में ६४.४५ प्रतिशत, ( $\bar{X} \pm 1.९६\sigma$ ) में ६५ प्रतिशत और ( $\bar{X} \pm 1\sigma$ ) में ६८.२७ प्रतिशत मद सामान्य वक्र की सीमाओं के अन्दर ही आते हैं।

इसी प्रकार से यदि समग्र (universe) के मूल्य (parameter) हमें ज्ञात नहीं हो तो न्यादर्श (sample) मूल्य (statistic) के आधार पर निर्दर्शन विभ्रम (sampling error) या (standard error) की सहायता से ऐसी अन्तर व अंतर सीमाएँ ज्ञात की जा सकती हैं जिनके अन्दर ही समग्र के मूल्य हों। निर्दर्शन सिद्धान्त (sampling theory) का विकास होने के कारण हमें समग्र के मूल्य ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आजकल किसी भी समग्र में से वैज्ञानिक रीति से भी न्यादर्श चुनकर उसका मात्र्य ज्ञान कर लिया जाना है और उसकी निर्दर्शन विभ्रम के नियुने को मात्र्य में घटा कर और जोड़ कर ( $\bar{X} \pm 3\sigma$ ) दो प्रपर व अपर ऐसी सीमाएँ ज्ञात करतीं जाती हैं जिनमें पूर्ण समग्र के मूल्य होते हैं। ये दो सीमाएँ इसलिए ज्ञात की जानी हैं कि समग्र के व्याय केवल न्यादर्श के आधार पर ही विविध मूल्य ज्ञात करने में निर्दर्शन विभ्रम (sampling error) हो जानी है।

यदि किसी न्यादर्श के आधार पर प्राप्त मूल्य दोनों सीमाओं के अन्दर ही होता है तो हम अन्तर को निर्दर्शन की वजह से मानकर ध्यान न देने योग्य तथ्य कर लेने हैं। यदि अन्तर दोनों सीमाओं से परे होता है तो हम अन्तर को महत्वपूर्ण व ध्यान देने योग्य

मानते हैं व उसका कारण ज्ञात बरने का प्रयत्न बरते हैं। उपरोक्त आधार पर ही किस्म नियन्त्रण किया जाता है।

एक बड़े औद्योगिक संस्थान में सांख्यिकीय किस्म नियन्त्रण निम्न तीन कार्यों के लिए किया जाना है—

१—निर्धारित वस्तुओं के लिए किस्म सम्बन्धी प्रमाप ( standard ) निर्धारित करना। इसे वस्तु नियन्त्रण ( product control ) कहते हैं।

२—विभिन्न निर्माण—विधियों ( manufacturing processes ) का नियन्त्रण करना ताकि किस्म का प्रमाप स्थायी रह सके। इसे विधि नियन्त्रण ( process control ) कहते हैं।

३—जहाँ माल प्रचय ( lot ) में तैयार होता है वहाँ किस्म नियन्त्रण होने से यह विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्तिगत प्रचय ( individual lot ) वेचे या खरीदे जाते हैं वे स्वीकृति योग्य किस्म ( acceptable quality ) के हैं। इसे प्रचय स्वीकृति नियन्त्रण ( Lot Acceptance Sampling ) कहते हैं।

वैसे तो किस्म नियन्त्रण का सम्बन्ध उत्पादन से है लेकिन माल बेचने, खरीदने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।

१. किस्म प्रमाप निर्धारित करना—किसी भी कारखाने में जो भी कोई वस्तु तैयार की जाती है उसका किस्म प्रमाप ( Quality Standard ) अनुभवी अभियन्ता ( Engineer ) तय करते हैं। वे प्रमाप के साथ साथ दो सीमाएँ—अपर व अधर—भी तय कर देते हैं। यदि तैयार की हुई वस्तु इन सीमाओं के बीच में है तो वस्तु को स्वीकार कर लिया जाता है और सीमाओं के परे होने पर उस वस्तु को रद्द कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए किसी कारखाने में सिलाई की मशीन का चक्का तैयार किया जाता है। औसत रूप से, मान लीजिए यह तय किया गया कि चक्के का व्यास ५ सेन्टीमीटर होना चाहिए और यह भी तय किया गया यदि चक्का ००१ सेन्टीमीटर बड़ा या छोटा हुआ तो भी वह मशीन बनाने के काम में आसकेगा। अब चक्के का व्यास ५ ± ००१ सेन्टीमीटर अर्थात् कम से कम ४.९६ सेन्टीमीटर और अधिक से अधिक ५.०१ सेन्टीमीटर होगा तो उसे मशीन बनाने के लिए प्रयोग में लेलिया जाएगा। जिस चक्के का व्यास इन सीमाओं से परे होगा उसे रद्द कर दिया जाएगा। किस्म नियन्त्रण का एक कार्य यह भी है कि सांख्यिकीय हृष्टि से यह तय किया जाय कि क्या वस्तु बनाने की विधि ऐसी है जिसमें वस्तुएँ तय की हुई सीमाओं के अन्दर बनती जाएंगी। यदि विधि ऐसी है कि रद्द की जाने वाली इकाइयों की प्रतिशत संख्या १० या १५ प्रतिशत हो तो या तो निर्माण विधि में सुधार करना आवश्यक है या अपर व अधर सीमाओं को बढ़ाना। वैसे यह मानना भी निराधार है कि प्रत्येक इकाई सीमाओं के अन्दर ही होगी। लेकिन १०० या २०० इकाइयों में एक खराब हो तो उसे रद्द किया जा सकता है।

२. निर्माण विधियों का नियन्त्रण (control of manufacturing process)—जिस सास्थिकीय उपादान के द्वारा निर्माण विधियों वा नियन्त्रण होता है उसे नियन्त्रण चार्ट (control chart) कहते हैं। नियन्त्रण चार्ट सभाविता सिद्धान्त के आधार पर तंदार दिया जाता है। इस चार्ट में एक केन्द्रीय रेखा होती है जिसके इन्हेंगिर्ड चार्ट पर बिन्दु अरित होते रहते हैं। इस केन्द्रीय रेखा के ऊपर और नीचे दो नियन्त्रण सीमायें होती हैं। जब विधि (process) नियन्त्रण (control) में होती है तो सब बिन्दु इन सीमायों के अन्दर ही अरित होते रहते हैं। योड़े योड़े समायान्तर (एफ-एक घटे) बाद निमित्त माल में से ग्यार्हा लेकर उनके एन्टीदण्ड परिणाम नियन्त्रण चार्ट पर प्रक्षिप्त किए जाते हैं। यदि कोई बिन्दु चार्ट की सीमायों के परे होता है तो उसका मर्यादा है कोई सरट। इस सरट की तुरन्त ठीक करने वा प्रयत्न दिया जाता है ताकि माल निर्धारित किस्म का बनता रहे।

	<u>अपर नियन्त्रण रेखा <math>\bar{X} + 3\sigma</math></u>
	माध्य (Mean) $\bar{X}$
०	<u>अचर नियन्त्रण रेखा <math>\bar{X}-3\sigma</math></u>

### २५ नियन्त्रण चार्ट (Control Chart)

बहुधा दो नियन्त्रण चार्ट तंदार किए जाते हैं। एक तो माध्य (mean) नियन्त्रण के लिए और दूसरा विस्तार (range) नियन्त्रण के लिए। माध्य नियन्त्रण चार्ट वस्तुओं की किस्म (quality) में औसत स्तर (average level) बनाए रखने के लिए होता है और विस्तार नियन्त्रण चार्ट वस्तुओं की किस्म में एकत्रिता (uniformity) के लिए। उदाहरण के लिए सिलाई की मशीन का चक्का ही लीजिए। माध्य नियन्त्रण का उद्देश्य है कि योड़े योड़े समयान्तर बाद (पटे-घटे बाद) बनाए गए चक्कों वा औसत ५ सेव्टी मीटर हो। यदि औसत ५ सेव्टीमीटर न हो तो माध्य नियन्त्रण ठीक नहीं है या मशीन में स्वरात्री है। विस्तार नियन्त्रण वा उद्देश्य है विचरणता की बनाना यदि विचरणता ( $\bar{X} \pm 3\sigma$ ) भवत व भवत सीमाओं के अन्दर है तो यह अन्तर निर्दर्शन के बारण ही सकता है और इसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। यदि विचरणता सीमाओं से अपर बढ़ती है तो अन्तर का बारण जानता और उसका नियन्त्रण करता बाबरण करता है। जैसे औसत ५ सेव्टीमीटर हो और निर्दर्शन विभ्रम ०.१ तो ( $\bar{X} \pm 3\sigma$ ) के अनुसार अपर सीमा  $5+(3\times 0.1)=5.03$  से. मी. और भवत सीमा  $5-(3\times 0.1)=4.97$  से. मी. होगी। जब तक अंकित बिन्दु इन दो सीमाओं ( $5.03$  और  $4.97$ ) के अन्दर हैं भवत को निर्दर्शन के बारण मान लिया जाता है जो कि महत्वपूर्ण नहीं होता है। अंकित बिन्दु इन सीमाओं से परे बढ़ते ही सरट का दौड़क हो जाता है।

X नियन्त्रण चार्ट सम्बन्धित तथ्यों (quantitative data या variables) के लिए प्रयोग में लाया जाता है। गुणात्मक तथ्यों (qualitative data या Attributes) के लिए P नियन्त्रण चार्ट का प्रयोग किया जाता है, जहाँ P का अर्थ खराब इकाइयों का अनुपात (proportion of defectives) है। उदाहरण के लिए मानिए कि कोई मशीन कान्व की बोतलें बनानी है। बोतल में कोई हिस्से में खराब हो या कोई हिस्सा टीक शब्द का नहीं हो या उसका मुह टीक न बना हो या कोई हिस्सा कटा हुआ हो आदि प्रकार की कई खराबियाँ हो सकती हैं। बोतल में खराबी है लेकिन कितनी खराबी है इसको सख्ती के रूप में नहीं मापा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में किसी का स्तर (quality level) नापने के लिए P चार्ट का प्रयोग किया जाता है।

३ प्रचय स्वीकृति निर्दर्शन (Lot Acceptance Sampling)—कई कारखानों में इकाई में न्यादर्श लेने के बजाय प्रचय (lot) में न्यादर्श लिया जाता है। जैसे कोई कारखाना किसी मशीन के पेच (screw) बनाता है। प्रत्येक पेच को देखने के बजाय १० या १०० पेच के प्रचय (lot) का निरीक्षण करना सुगम होता है। खरीदने व बेचने वाले भी ऐसे मात्र को प्रचय में ही देखते हैं, एक एक इकाई पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए मानिए कि कारखाने में पेच १००० के प्रचय में बनते हैं और प्रत्येक प्रचय में से १०० पेच का न्यादर्श लिया जाता है। सभाविता मिदान्त के आधार पर नीकृति सख्ती (acceptance number) और रद्द संख्या (rejection number) तय कर ली जाती है। मान सीजिए कि ५ तो स्वीकृति सख्ती है और ६ रद्द सख्ती। यदि १०० पेच के न्यादर्श में से ५ या इससे कम खराब पेच होंगे तो पूरा १००० पेचों का प्रचय स्वीकृत कर लिया जाएगा। यदि खराब पेचों की सख्ती ६ या इससे अधिक है तो सारा १००० पेचों का प्रचय रद्द कर दिया जाएगा। यदि रद्द संख्या, स्वीकृति सख्ती से अंगूठी ही सख्ती हो, जैसे ५ स्वीकृति सख्ती और ६ रद्द सख्ती, तो ऐसे न्यादर्श लेने को एकल निर्दर्शन (single sampling) कहते हैं। एकल निर्दर्शन में प्रचय अधिक मात्रा में रद्द होते हैं। यह बड़ा बड़ा नियन्त्रण करने की रीति है।

कभी कभी रद्द सख्ती और स्वीकृति सख्ती में एक से अधिक अन्तर हो सकता है। है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में रद्द सख्ती ७ और स्वीकृति सख्ती ५ है। यदि १०० पेचों के न्यादर्श में ५ या इससे कम खराब पेच हैं तो प्रचय एक दम स्वीकृत कर लिया जाएगा, यदि ७ या इससे अधिक खराब पेच हैं तो प्रचय एक दम रद्द कर दिया जाएगा। यदि खराब पेचों की सख्ती स्वीकृत सख्ती से अधिक और रद्द सख्ती से कम है, जैसे ६ हो, तो प्रचय को न तो स्वीकृत किया जा सकता है और न रद्द। ऐसी परिस्थिति में प्रचय में से दूसरा न्यादर्श लेने का अवसर मिलता है। दूसरे न्यादर्श में भी ऐसी प्रकार से निरीक्षण किया जाता है। यदि दूसरे प्रचय में भी खराब पेचों की सख्ती ७ से अधिक हो तो प्रचय

को रद्द करना पड़ता है लेकिन यदि सत्या ५ या इससे कम हो तो दूसरे न्यादर्श के अनुभार प्रचय को स्वीकार करना चाहिए, जबकि प्रथम न्यादर्श के अनुसार प्रचय को रद्द करना चाहिये था। ऐसी परिस्थितियों में दोनों निष्पत्तों का एक साथ मध्ययन करके निर्णय लिया जाता है। जहाँ इस प्रकार से दो न्यादर्श लिये जाने हैं तो उस रीति को दोहरा निर्दर्शन (double sampling) कहते हैं। इस रीति में प्रचय को रद्द करने से पहले दो अवसर मिलते हैं।

इसी प्रकार, जहाँ प्रचय को रद्द करने से पहले तीन या अधिक न्यादर्श लेने के अवसर मिलते हैं, उसे बहुल निर्दर्शन (multiple sampling) या अनुक्रमिक निर्दर्शन (sequential sampling) कहते हैं।

दोहरे और बहुल निर्दर्शन में जुने जाने वाले मदों की सत्या तय करने में औसत न्यादर्श मंस्या (Average Sample Number) का ध्यान रखता जाता है। यदि प्रचय में अच्छी विस्त का माल होता है तो औसत न्यादर्श सत्या कम होती है क्योंकि अच्छा माल होने के कारण एक दम स्वीकार कर लिया जाता है। यदि प्रचय में माल घटिया विस्त का हो तो भी औसत न्यादर्श सत्या कम होती है क्योंकि घटिया माल एक दम रद्द कर दिया जाता है। मध्यम श्रेणी के माल में औसत न्यादर्श सत्या अधिक होती है क्योंकि माल को स्वीकार या रद्द करने के पहले अच्छी जांच होना आवश्यक है। इसके लिए न्यादर्श-सत्या ज्यादा रखती जाती है।

प्रचय स्वीकृति निर्दर्शन योजना अच्छे और घटिया विस्त के माल में अन्तर जानने की विधि है। इसके लिए प्राक पर एक किया लक्षण वक्र (operating characteristics curve) बनाया जाता है। यह वक्र बतलाता है कि विसी प्रचय में घटिया माल की अमुक प्रतिशतता होने पर माल स्वीकार किया जायगा या रद्द। परिणाम सभाविता के रूप में प्राप्त होता है। इस वक्र के प्राप्तार पर यह सभाविता ज्ञान करनी जाती है कि प्रचय में कितने प्रतिशत माल खराब होने तक समूर्ण प्रचय स्वीकार कर लिया जाएगा।

विधि नियन्त्रण के निम्न लाभ हैं—

१—खराबी एक दम मानूम हो जाती है, और उसे जल्दी ही ठीक कर लिया जाता है।

२—यदि विचरण (variation) अपर और अपर नियन्त्रण सीमा के अन्दर होना है तो उसकी चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह विचरण तो बहुधा निर्दर्शन (sampling) की बजह से होता है। इस खराबी को ठीक करने का कोई प्रयास भी नहीं किया जाता।

३—प्रत्येक विधि (process) पर नियन्त्रण होने से पूर्ण-निर्मित (finished) वस्तुओं को क्रेता या निरीक्षण द्वारा (एक भी इकाई को) रद्द करने

का अवसर नहीं आता । प्रत्येक इकाई की प्रयोग विवि पर नियन्त्रण रखने से ही यह समव होता है । इससे स्थानि बढ़ती है और माल को भी किस्म में अन्तर होने के कारण सन्त भाव पर बेचने की नीति नहीं आती ।



४—नियन्त्रण चार्ट की सहायता से मात्र नियन्त्रित प्रभासों के अनुसार तो तंदार होना ही है लेकिन मरीन ठीक होन पर भी यदि माल प्रभास के अनुसार नहीं बनाता है तो प्रभास बदलने के लिए आवश्यक कदम लिए जाते हैं । माल की ओसत विस्त के प्रभास को बदाया या घटाया जा सकता है ताकि उसी लागत या कम लागत में अच्छी विस्त का माल तेवर किया जा सके । इसमें निम्न शृङ्खला प्रम्य चलता रहता है—

प्रभास—उत्पादन—नियन्त्रण

नियन्त्रण चार्ट के द्वारा वास्तविक या भावी संकट की आगे वा वा निम्न प्रकार से पता लग जाता है—

५—यदि काई विन्दु नियन्त्रण सीमाओं में परे हैं तो कोई महत्वपूर्ण कारण सन्त कर उसका पता लगाया जाता है और यदि मरीन में खरादी होती है तो उसे ठीक किया जाता है ।

६—यदि नियन्त्रण सीमा के निकट कई विन्दु एक के बाद दूसरे प्रक्रिया होते जा रहे हों तो भावी संकट की सूचना मानवा चाहिए ।




ग—माध्य रेखा के ऊपर या नीचे कई विन्दुओं की मात्री भीड़ या माध्य रेखा के निकट ही विन्दुओं की एक अभावारण लम्बी रेखा भी संकट का लोक है ।

घ—यदि विन्दु किसी उपतनि (trend)—बढ़ती हुई या घटती हुई—में अविन हो रहे हों तो उसे भी संकट वा कारण मानवा चाहिए ।

जब इन्हे गए चिन्हों से प्रत्येक प्रकार की परिव्यनि समझ में आजाएगी ।

यदि मरीन भे कोई सकट नहीं हो और नियन्त्रण सीमाएँ भी साहित्यकीय दृष्टि से निश्चित बी गई हो तो सकट रहिन प्रवस्था म निम्न प्रकार का चार्ट बनेगा ।



साहित्यकीय किस्म नियन्त्रण पर इनीय महापुढ़ के बाद से काफी शोभाप्राप्त हो रहा है । विकसित देशों में तो विस्म नियन्त्रण के लिए मरीनों वा प्रयोग हित जाता है । उत्तापन बी प्रयेक इकाई वा विन्दु मरीन द्वारा ग्राफ कागज पर स्तूप हो गिन होता रहता है । यदि कोई भी विन्दु सीमाओं से परे गिन होता है तो मरीन म लाल रंग का प्रकाश दिखने लगता है जिससे जान हो जाता है कि उत्तापन मरीन म सकट आगता है या ग्राने की आशा का है । हमारे दृष्टि में भी शोधोगित्रण बड़वा जा रहा है और हमें भी अच्छी ही किस्म नियन्त्रण के आधुनिक तरीकों को अपनाना होगा ।

अध्याय १५

## व्यापारिक पूर्वानुमान

( BUSINESS FORECASTING )

भविष्य में उन्नति के लिए आशा की ग्राहात विरण ही मनुष्य को कार्य करने की सथा आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। उज्जबल भविष्य की प्रतीक्षा में ही जन समुदाय वर्तमान में दुख, धीड़ा और वेदना उठाते हैं। आज पूर्वानुमान मानव अवहार का एक अङ्ग बन गया है? प्रश्न उठता है, यह कैसे? भविष्य में घटने वाली घटनाओं का आधार क्या है। स्पष्ट है कि यह बहुधा भूतकाल में पठित घटनाओं के अनुभव पर साधारित है।

ज्योतिष के आधार पर को जाने वाली भविष्यवाणियों बहुधा अनुमानों पर ही आधारित होती हैं। व्यापार भी उस्तुत पूर्वानुमानों पर आधारित है। व्यापारी जोखिम इसलिए उठाता है कि भविष्य में उसके अनुमान सही होंगे और उसे लाभ प्राप्ति होगी। इसमें असफलता मिलने की सम्भावना बनी रहती है परन्तु असफलता के पीछे असत्य सामग्री का प्रयोग या दोषपूर्ण रक्कं हुआ करते हैं। यदि पूर्वानुमान में हानि उठानी पड़ती है तो इसका यह अर्थ नहीं कि पूर्वानुमान लगाने ही नहीं चाहिए। पूर्वानुमान व्यापारी, उद्योगपति आदि को अनिवार्य रूप से करने होते हैं। उहे वास्तव में पूर्वानुमान करने या न करने के बीच चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है। आगे से सचेत करना अग्रिम तैयारी करना है। प्रत्येक पग पर व्यापारी को सचेत होकर चलना होता है। व्यापार वास्तव में जोखिम का व्यापार है और जोखिम ज्योतिष की भविष्यवाणी, अन्य विश्वास या गण के आधार पर नहीं उठाई जाती, प्रपितृ भूतकालीन घटनाओं पर आधारित पूर्वानुमानों के आधार पर उठाई जाती है। व्यापारिक पूर्वानुमानों के लिए सतत वाला की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यापारी की बुद्धि कुशाग्र और अनुभव परिपक्व नहीं होता फिर भी कुछ व्यापारी विना साखिकीय प्रणालियों का प्रयोग किये ही शुद्ध पूर्वानुमान लगा लिया करते हैं। ऐसे व्यक्ति उन मानियों की तरह हैं जो आसमान की ओर देखकर ही अहत दशाओं का सही अनुमान लगा लिये करते हैं। परन्तु ऐसे व्यक्ति गिने जूने ही हैं। आज व्यापारिक पूर्वानुमान, जहा तक सम्भव हो, वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है।

अर्थ—

व्यापारिक पूर्वानुमान साक्षिकोय तथ्यों पर आधारित है। इसके अन्तर्गत भूत कालीन व्यापारिक दशाओं का विश्लेषण करने भावी दशाओं का अनुमान लगाने का प्रयास

किया जाता है। इस विश्लेषण के आधार पर घटनाओं की भवी प्रवृत्ति जानी जाती है। प्रोफेसर नेटर द वामरमैन के अनुसार 'व्यापारिक पूर्वानुमान' किसी कान थेरॉ के भूत तथा वर्तमान की घटनाओं की गति के उप विश्लेषण को कहते हैं जिसमें उस थेरॉ के भविष्य की गति का स्वरूप जाना जा सके ॥ परन्तु फिर भी पूर्वानुमान और सम्भाविता के सिद्धान्तों में अन्तर है। स्पष्ट है कि सम्भाविता सिद्धान्त दैव प्रवरण पर आधारित है परन्तु पूर्वानुमान में ऐसा नहीं। विशाल समग्र से दैव प्रवरण आधार पर चुने गये पदों का निष्पर्य सम्बूर्ध समग्र के निष्पक्षों की भाँति होने की सम्भावना रहती है। पूर्वानुमान में ऐसा बुद्ध नहीं। इसी प्रकार, सम्भाविता सिद्धान्त केवल भूतकालीन घटनाओं पर आधारित रहता है जबकि पूर्वानुमान में भूत तथा वर्तमान, दोनों की घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूर्वानुमान के दो पहलू (aspects) हैं—

१. भूतकालीन व्यापारिक दशाओं का विश्लेषण या ऐतिहासिक विश्लेषण (Analysis of past business conditions or Historical Analysis)
- २ वर्तमान आर्थिक दशाओं का भवी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में विश्लेषण (Analysis of current economic data in relation to a probable future tendency)

### ऐतिहासिक विश्लेषण—

यह स्वभावत्व है कि इतिहास मरणे को देहराता है और इसी तथ्य पर ऐतिहासिक विश्लेषण आधारित है। इस प्रकार के विश्लेषण से यह जान होता है कि भूतकाल में घटनाओं की कला प्रवृत्ति रही और इस प्रवृत्ति के शेषों कोड़ी-कोड़ी से तब्दी थे। इसमें समस्या की दीवालीन, मौसी, चत्रीय तथा अनियमित प्रवृत्ति का अव्ययन किया जाता है। व्यापारिक चक्रों (trade cycles) की घ्रवति का अनुमान लगाया जाता है। वालिक थेरॉ में सहसम्बन्ध का अव्ययन कर लिनमदता (lag), यदि नोई हो, का पता लगाया जाता है, घटनाओं की भवी गति का अनुमान लगाने में इसका बहुत लाभ होता है तथा भवी प्रवृत्ति का सामना करने की योजना बनाई जाती है।

\* "Business forecasting refers to the statistical analysis to the past and current movements in a given time series so as to obtain clues about the future pattern of these movements"—Neter & Wasserman

## वर्तमान विश्लेषण—

भावी सम्भाव्य प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यह विश्लेषण किया जाता है। ऐतिहासिक विश्लेषण के साथ-साथ वर्तमान घटनाओं का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। ऐतिहासिक प्रनुक्रम को प्रभावित करने वाले वर्तमान तत्वों का अध्ययन करके सही भावी प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जाता है। प्रभावित करने वाले तत्वों में नवीन खोज और अनुसंधान, जन शृंचि तथा सज-शृंचि (fashion) में परिवर्तन, सरकार की आर्द्धिक तथा राजनीतिक नीति में परिवर्तन, मुद्रा मूल्यन में परिवर्तन आदि हैं। ऐतिहासिक अनुक्रम के अनुसार मदि व्यापारिक चक्र की अवधि ७ या ८ वर्ष है तो वर्तमान घटनाओं के विश्लेषण से यह पता लग सकता है कि यह चक्र ७ या ८ वर्ष में ही होगा या। अधिक या कम समय में। इस प्रकार आने वाली घटनाओं की प्रवृत्ति का अनुमान लगाकर उसके प्रभाव से बचा जा सकता है।

व्यापारिक पूर्वानुमान के लिए दोनों पहलू बराबर महत्व के हैं। व्यापारिक क्रिया में निरन्तर उत्थान और पतन आते रहते हैं और ऐतिहासिक विश्लेषण से इसका पूरा लगता रहता है। व्यापारिक चक्र नियमित प्रत्यारुप से नहीं आते, उनकी तीव्रता तथा अवधि में भी अन्तर रहता है क्योंकि ये कई कारणों से प्रभावित होते हैं। अतः एक जैसी परिस्थितियों के प्रभाव पर ही यह पूर्वानुमान किया जाता है।

## व्यापारिक पूर्वानुमान के विभिन्न सिद्धान्त—

वर्तमान काल में व्यापारिक पूर्वानुमान भूतकाल की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक तथा सही हो गया है यद्यपि यह ज्ञान अभी भी यद्यादेव विज्ञान का हृष्ट धारणा नहीं कर पाया है। वैज्ञानिक आधार पर पूर्वानुमान करने से सम्बन्धित जॉखिम क्रम हो गई है तथा सुतथ्यता बढ़ गई है। आर्द्धिक उन्नत देशों में इस सम्बन्ध में काफी खोज हो रही है तथा साहित्यकीय प्रनुमानों का यह विशिष्ट कार्य बहुत ही अनुभवी व्यक्तियों के हाथों में है। अभी तक व्यापारिक पूर्वानुमान लगाने के बड़े मिद्दान्त प्रतिपादित किये जा चुके हैं और योंके नये सिद्धान्तों के विश्व के समक्ष आने की समावना है। इस सम्बन्ध में सम्मुख राज्य अमेरिका की Harvard Economic Society, Brookmire Economic Service और Babson Statistical Organisation, सयुक्तान्त्र राज्य के London and Cambridge Economic Service और Economist's Organisation तथा स्वीडन का Board of Trade प्रमुख संस्थाएँ हैं जो व्यापारिक पूर्वानुमान का कार्य करती हैं।

विभिन्न प्रतिपादित सिद्धान्तों की व्याख्या इस प्रकार है—

१. कालिक विलम्बन या अनुक्रम सिद्धान्त (Time Lag or Sequence Theory)

२. क्रिया और प्रतिक्रिया सिद्धात ( Action and Reaction Theory )
३. निर्दिष्ट ऐतिहासिक समानता सिद्धान्त ( Specific Historical Analogy Theory )
४. प्रतिकूल काट विश्लेषण सिद्धान्त ( Cross Cut Analysis )

### कालिक विलम्बन या अनुक्रम सिद्धान्त

यह व्यापारिक पूर्वानुमानों का सबसे प्रचलित और पहल्यपूर्ण सिद्धान्त है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि विभिन्न व्यापारों में एक जैसी गति होती है, परन्तु यह एक साथ ( simultaneous ) नहीं होकर क्रमिक ( successive ) या अनुक्रमानुसार (sequential) होती है। व्यापारिक पूर्वानुमान से पहले हीमें इस सिद्धान्त में कालिक विलम्बना ( Time Lag ) का पता लगाना होता है क्योंकि एक गति का प्रभाव शीघ्र न होकर कुछ समयोपरान्त होता है। यदि कालिक विलम्बना का पता ठीक लगा लिया जाय तो पूर्वानुमान सही होता है और उस पर विश्वास भी लिया जा सकता है। कालिक विलम्बना का पता लगाने हेतु दोनों पद मालाओं को देखनाको में परिवर्तित किया जाता है। तत्पश्चात् दोनों पर मालाओं के चब्रीय प्रतिरित पदमाला के चब्रीय परिवर्तनों को उसके प्रभाव विवरण से विभाजित करके ज्ञात किये जाते हैं। एक पदमाला का चब्रीय प्रतिरित वक्र दूसरी पदमाला के वक्र पर अद्यारोपित करके कालिक विलम्बना का पता लगाया जाता है। सहसम्बन्ध के आधार पर भी कालिक विलम्बना का अध्ययन किया जाता है।

उदाहरणार्थ, मुद्रा स्कीति से, क्रम से, विनियम दर, थोक मूल्य, फुटकर मूल्य, निर्वाह लागत और भौतिक मजदूरी बढ़ती हैं। इसके विपरीत, मुद्रा सकुचन से ऊपरुक्त मदों में कमी ठीक इसी क्रम से होती है। थोक मूल्यों में वृद्धि या कमी का प्रभाव उत्पादन और वाणिज्यिक क्रिया पर पड़ता है। इसी प्रकार सट्टे की प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर एक साथ न होकर एक क्रमिक गति से होता है। सट्टे की वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यापारिक क्रियाओं में वृद्धि-मुक्त दरों में वृद्धि होती है। सट्टे की कमी से परिणाम इसी अनुक्रम से विपरीत और होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गति का परिणाम अनुक्रमानुसार होता है परन्तु इसमें कालिक विलम्बना का महत्व रहता है।

सट्टा, व्यापार और मुक्त के बीच कालिक विलम्बना और अनुक्रम के अध्ययन के आधार पर ही हावड़े समिति ने अपनी पूर्वानुमान सेवा प्रारम्भ की। इस समिति के अतिरिक्त लन्दन और केम्ब्रिज आधिक सेवा ( समूकतात्त्व चार्च ) और स्वीडन व्यापार भड़क के पूर्वानुमान भी इस सिद्धान्त पर आधारित हैं।

उपरोक्त विवरण से यह प्रतीत होता है कि इस सिद्धान्त में केवल ऐतिहासिक अध्ययन ही महत्वपूर्ण होता है परन्तु वर्तमान आधिक दशाओं और मन्य विशेष तत्वों के लिये भी समाजोजन किये जाते हैं। सट्टे में वृद्धि के समय केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की मात्रा भी वृद्धि करने से मुद्रा दर को बढ़ने से रोका जा सकता है। देश में गेन्डे की उत्पात कम होने से चौनी के बढ़ो हुये भावे को लकड़ा द्वारा वितरण और मूल्य पर नियन्त्रण लगाकर रोका जा सकता है। इस प्रकार ऐतिहासिक विश्लेषण के साथ साथ वर्तमान और विशेष कारकों का अध्ययन पूर्वानुमानों को सही और विश्वसनीय बनाने में योग देता है।

### क्रिया और प्रतिक्रिया सिद्धान्त—

यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक क्रिया कि प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया की तीव्रता तथा अवधि क्रिया की तीव्रता और अवधि के अनुसार होती है। मूल्य का सिद्धान्त है कि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के बराबर रहने की प्रवृत्ति रखता है। यदि विस्तृत समय बहुत के मूल्य सामान्य मूल्य से बढ़ जाते हैं तो यह सम्भावना रहती है कि यह मूल्य सामान्य स्तर से नीचे गिर जायेगे। ऐसा बहुत की पूर्ति बढ़ने से होता है। इसके विपरीत स्थिति भी ठीक है। स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त में तथ्यों के सामान्य स्तर (normal level of the phenomena) को भव्यतापूर्ण स्थान दिया गया है। यह साधारण ज्ञान की बात है कि अभिवृद्धि (boom) के पश्चात, मर्दी और मन्दी के पश्चात अभिवृद्धि आती है। व्यापार चक्र इसी क्रम से चलता रहता है। प्रत्येक क्रिया के लिये एक सम परन्तु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह सत्य है कि व्यापार अधिक समय तक सामान्य स्तर से ऊपर या नीचे नहीं रह सकता। यह सामान्य स्तर भी सर्वकाल के लिये स्थिर नहीं रहता क्योंकि यह स्वयं गतिशील विचारधारा है। प्रतिक्रिया की तीव्रता और अवधि का ज्ञान ऐतिहासिक विश्लेषण के साथ वर्तमान तथ्यों का अध्ययन करके प्राप्त किया जाता है। अत व्यापारिक पूर्वानुमान का मौलिक तथ्य सब सिद्धान्तों में एक सा ही रहता है— ऐतिहासिक और वर्तमान विश्लेषण।

संयुक्त राज्य अमरीका के Babson Statistical Organisation के पूर्वानुमान इसी सिद्धान्त पर आधारित होते हैं। इस सिद्धान्त में सामान्य स्तर के सम्बन्ध में तथ्यों के वास्तविक स्तर के आधार पर पूर्वानुमान किये जाते हैं।

### निर्दिष्ट ऐतिहासिक समानता सिद्धान्त—

इस सिद्धान्त के अनुसार व्यापारिक पूर्वानुमान अभिकरण द्वारा वर्तमान काल से मिलते जुनते भूतकाल का पूर्वानुमान वे लिए जाता है। यह इतिहास की दुनियावृत्ति पर आधारित है जहा मह मानकर चला जाता है कि इतिहास स्वयं को बिल्कुल उसी रूप में बार-बार दोहराता है इसमें सम्बन्धित तथ्यों की काल और एकी का परिनिरीक्षण

करके ऐसे समय का चुनाव किया जाता है जिसमें पूर्वानुमान किये जाने वाले समय से मिलती-जुननी स्थिति रही हो। समान परिस्थितियों में भूतकाल में घटनाओं का जो रूप रहा, उसका अध्ययन करके भविष्य में घटनाओं के रूप का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरणार्थं यदि यद्यने कई वर्षों का अध्ययन करके एक ऐसे वर्ष का चुनाव किया जिसमें बर्फान वर्ष के समान वर्षों तथा अन्य तरल रहे हैं तो उस वर्ष दी उत्पत्ति के बराबर ही उत्पत्ति इस वर्ष में होती। परन्तु इस सिद्धान्त के अन्तर्गत भी बर्फान दशाओं के अध्ययन के आधार पर अनुमानों में सशोधन किया जाता है।

### प्रतिकूल का विश्लेषण सिद्धान्त—

उपर्योक्त तीन सिद्धान्त इस तथ्य पर आधारित हैं कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है परन्तु यह सिद्धान्त इस तथ्य पर आधारित है कि इतिहास अपने को पुनः कभी नहीं दोहराता। अन्तिम सिद्धान्त में व्यापारिक पूर्वानुमान भूतकालीन घटनाओं के विश्लेषण पर आधारित होते हैं और बर्फान में विशेष परिस्थितियों के अनुसार सशोधन किया जाता है। प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। इस सिद्धान्त में विभिन्न कारकों के समुक्त प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जाता परन्तु प्रत्येक कारक के प्रभाव का स्वतन्त्र अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसमें ऐतिहासिक समीक्षा नहीं की जाती। इसमें बर्फान कारकों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और जहाँ तक सम्भव हो। प्रत्येक कारक के प्रभाव का पृथक् अध्ययन किया जाता है।

यद्यपि इस सिद्धान्त में सत्यता अवश्य है कि सारे कारण व्यापार पर अपना अलग-अलग प्रभाव डालते हैं, सामूहिक रूप से नहीं फिर भी व्यवहारिक जीवन में यह सर्वांगी अनुपयुक्त है क्योंकि काल श्रेणी को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के पृथक् पृथक् प्रभाव का ज्ञान प्राप्त करना असम्भव है।

### सिद्धान्तों में अन्तर्निहित मान्यता

प्रतिकूल काट विश्लेषण सिद्धान्त के अनिरिक्त व्यापारिक पूर्वानुमान के शेष सभी सिद्धान्तों में अन्तर्निहित एक मान्यता है जिसे 'सभी की साथारणा का बढ़ा' ( general orderliness of data ) कहते हैं। इसका अर्थ है कि व्यापारिक दशाओं में होने वाले परिवर्तन अनुकूल, बोरे-नीरे और नियम पूर्वक होते हैं। अन्य राष्ट्रों में असाधारण परिवर्तन नहीं होते। यही मान्यता अन्तरगता और बाहर गणना ( Interpolation and Extrapolation ) में भी होती है। घटनाओं का अनुक्रम धन्तवत नहीं होता है, इसमें नये कारकों के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। प्रतिकूल काट विश्लेषण सिद्धान्त के अन्तर्गत बर्फान घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है।

### व्यापारिक पूर्वानुमान की उपयोगिता-

(1) व्यापारिक चक्रों को नियन्त्रित करने में-व्यापारिक पूर्वानुमान की उपयोगिता

① वेवल व्यापारी और अर्थशास्त्री को ही नहीं, परितु समस्त समाज को है। व्यापार चक्रों का प्रभाव बहुत ही घातक होता है और सारी अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित कर देता है। मूल्य स्तर में सहसा घटनाएँ समाज के सभी शमों पर अपना असर ढालती हैं। १६२६ की ग्राहिक मादी के परिणामों से सब परिवर्तित हैं। उद्योग, व्यापार, कृषि, सभी देश इसके शिकार होते हैं। परिणामत उद्योग में जो सम बढ़ जाती है, व्यापार को ठेस पहुचती है। वेरोत्रारे में वृद्धि होती है, सट्टे को प्रोत्ताहन मिलता है, पूजी सायंटन में रुकावट होती है तथा अनन्तरादीय व्यापार और वित्त सम्बन्धों को दृष्टि पहुचती है।

② व्यापारिक पूर्वानुमान से सनिहित जोखम से बचा जा सकता है। आने वाली मादी या वृद्धि के चलते मन आने के लिये योखनावद कार्य किया जा सकता है। पूर्वानुमान द्वारा आने वाले इकट्ठ से सचेत होकर व्यापारी अपने जोखम को कम कर लेता है और ग्राहिक उत्तर-पुण्य पर काढ़ा पा लेता है। अन व्यापारिक पूर्वानुमान व्यापारिक चक्रों को नियन्त्रित करने में बहुत साधेक होते हैं।

### (३) लाभ कराने में—

भावी मूल्य और सम्भावित मान का अनुमान लगाकर व्यापारी अपनी उत्पादन लागत और उत्पादन व स्टॉक की मात्रा निश्चित कर सकता है। व्यापार में सफलता की कुमो है पूर्वानुमान। सही पूर्वानुमान सफलता का और बृद्धि पूर्ण अनुमान असफलता का द्योगक है। व्यापारी को आर्थिक उत्तर-पुण्य, मांग, जनसमुदाय की रुचि और फैसले के परिवर्तनों का सूचना से अध्ययन करना होता है। व्यापारी को पूर्वानुमान करने या न करने में चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है। व्यापारिक पूर्वानुमान व्यापार का आर्थिक्यन अग है।

③ प्रशासन की उपयोगिता-जिस प्रकार व्यापारी के लिये पूर्वानुमान के आधार पर व्यापारिक चक्रों के घातक परिणामों से बचने में सहायता मिलती है, उसी प्रकार पूर्वानुमान प्रशासन को मुख्यविस्तृत दण में चलाने में भी सहायता करता है। यदि पूर्वानुमान के आधार पर प्रशासनों को यह ज्ञान हो जाये कि भविष्य में किस प्रकार की घटनाओं के घटित होने वी आशका है, तो वे मुद्रा दर, मुद्रा की मात्रा, वित्तीय तथा आर्थिक नीतियों आदि में आवश्यक सशोधन करके व्यापारिक चक्रों के कुप्रभावों से बच सकते हैं। १६६३ के प्रारम्भ में भारत में चीनी के बड़े हुये भावों का यदि पूर्वानुमान लगाया गया होता तो भावों का नियन्त्रण करने में शोध सफलता को प्राप्ति होती।

④ समाज की उपयोगिता-सचेत में यह कहा जा सकता है कि व्यापारिक पूर्वानुमानों से समस्त समाज को लाभ पहुंचना है। देश में सामाजिक स्थायित्व की आशा की जाती है। व्यापारिक चक्रों का कुप्रभाव समस्त प्रब्रह्मवस्था को अस्त-व्यस्त कर देता है तथा समाज का कोई भी अग इससे अझौता नहीं रह पाता। इन कुत्सित घटनाओं का यदि समय रहते हुये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो देश के आर्थिक कलेवर को चतुरप्रस्त होने

से बचाया जा सकता है। विनियोजक, अधिकोष, रेल, वीमा प्रमदल प्रादि सदस्यों व्यापारिक पूर्वानुमान की पूरी-पूरी उपयोगिता प्राप्त होनी है।

मीमांसा-परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि व्यापारिक पूर्वानुमान से सफलता अवश्य-मात्र ही है। इसकी अपनी सीमाएँ हैं। इसमें अननिहित मान्यताओं की सही रूप में सतुरित नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में पूर्वानुमान भ्रमात्मक हो सकता है। मानव स्वभाव अनिश्चित है और पूर्वानुमान में जोषम का अवस्थन नहीं किया जाना चाहिये। यह सत्य है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होनी है परन्तु गणितीय निश्चितता के साथ नहीं। व्यापारिक पूर्वानुमान कुछ निश्चित मान्यताओं के साथ यह अवलोकन की कोशिश करता है कि मात्रा प्रवृत्ति क्या होने का सम्भावना है, इसके प्रतिरित कुछ नहीं।

### व्यापार देशनाक या व्यापार-स्थिति मान (Business Barometers)

वैज्ञानिक व्यापार पूर्वानुमान में जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है उनमें से एक व्यापार देशनाक है जिसे व्यापार-स्थितिमान या आर्थिक पूर्वानुमान कर्ता (forecaster) भी कहते हैं। १९१६ में सर्वप्रथम प्रोफेसर परसन्स (Persons) ने समय परिवर्तनों को पदमालाओं के रूप में प्रस्तुत किया, जिनमें से कुछ का उपयोग उन्होंने व्यापारिक पूर्वानुमान करने में विधा उन्होंने सर्वप्रथम इन्हें आर्थिक (बैरोमीटर) देशनाक स्थितिमान की सज्जा प्रदान की थी। एक व्यापार, उद्योग या वित्त की या किसी विशिष्ट उद्योग या व्यापार या एक व्यक्तिगत व्यापार की सामान्य दगाड़ा का दिव्यरूप करता है। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के देशनाक हमें दीर्घकालीन प्रवृत्ति, मौसमी परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन और अनियमित घट-बढ़ का ज्ञान प्रदान करने में सहाय्यक होते हैं।

विभिन्न वस्तुओं का सामूहिक देशनाक व्यापार क्रिया देशनाक (Business Activity Index) कहलाता है जो देश की समस्त व्यापार क्रिया का ज्ञान प्रदान करता है। परन्तु यह देशनाक अलग-अलग वस्तुओं के सम्बन्ध में भी तथ्यार किये जाते हैं। मूल्य देशनाक या उत्पत्ति देशनाक इसी प्रकार के हैं जो केवल एक विशिष्ट प्रवृत्ति की ओर ही इंगित करते हैं। सामूहिक प्रवृत्ति की जानकारी के लिये इन व्यापार क्रिया या आर्थिक क्रिया देशनाक तथ्यार क्रिया जाता है। व्यापारिक पूर्वानुमान की यह एक माध्यनिकतम रोति है।

बाद में प्रोफेसर पीगू ने इन्हें व्यापारिक दशाओं में परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिये कई पदमालाओं को चुना जिनमें से कुछेक वेरोजगार, प्रतिशत कर्जे लोहे का उपयोग, इण्डेल में सूख, विमास विपद्धों को सिकाने की दर, निर्मित माल की प्रमाणा, कृषि उत्पादन, सनित्र उत्पादन देशनाक, अधिकोष सात, लन्दन शोवन यूह समक, वाल्विक

मजदूरी दर, कुल सामान्य उपभोग, वैक आँफ इग्लैंड की सचिति का परिसम्पद से अनुपात, भारि है।

आज पूर्वानुमान एक प्रकार वा निष्पत्ति कार्य हो गया है—तथा जैसा कि विधुले पृष्ठों में लिखा गया है, अभीका, इग्लैंड तथा स्कॉटलैंड में पूर्वानुमान करने की मुख्य सहाए हैं। इस सम्बन्ध में इन अभिकरणों की सेवा महत्वपूर्ण है। भारत में भी इस सम्बन्ध में कुछ कार्य किया गया है। 'केपिटल' का भारतीय औद्योगिक किया देशनाक, ईस्टन इकोनो-मिस्ट का भारतीय व्यापार किया देशनाक है जिनका विवरण भव्यता किया जा चुका है।

इस प्रकार के व्यापारिक देशनाकों की भी कुछ सीमायें हुमा करती हैं। ये देशनाक भूतकालीन घटनाओं पर आधारित होते हैं तथा इनमें वर्तमान दशाओं का विचुल्भ भी समावेश नहीं किया जाता। प्रगतिशील समाज में दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता जो कारी अनियाय हैं। इसी प्रकार एक विशिष्ट उद्योग या व्यापार के देशनाकों को दूसरे उद्योग या व्यापार में प्रदृढ़ता नहीं किया जा सकता क्योंकि समस्त उद्योगों की गतिविधिया एक जैसी नहीं हुया करती। अतः ये व्यापारिक सफलता के लिये प्रबन्ध अनेकों सावधानों में से एक साधन, है जिसका पर्याप्त सावधानों से प्रयोग किया जाना चाहिये।

---

## अध्याय १६

# सांख्यिकीय निर्वचन

( Statistical Interpretation )

सांख्यिकीय अनुसंधान का प्रारम्भ समक सग्रह से होता है। वर्गीकरण, सारणीयन प्रस्तुतीकरण, तुलना, महसूसवन्य, अन्तरण, प्रतीपगमन ( regression ), विश्लेषण आदि वीच को अवस्थायें हैं जो अनुसंधानकर्ता को पार वर्ती होती हैं और निर्वचन गतव्य स्थान है। समक स्वय लक्ष्य नहीं है, वेवल लक्ष्य प्राप्ति के साधन हैं। लक्ष्य वास्तव में निर्वचन है। सांख्यिक को समको वा सग्रह, वर्गीकरण, सारणीयन, तुलना, विश्लेषण आदि अपने लक्ष्य निर्वचन तक पहुँचने के लिए करना होता है। निर्वचन का अर्थ है सप्रग्रहित सामग्री के विश्लेषणात्मक अध्ययन से निष्पर्च निकालना और उसकी सार्थकता बताना। निर्वचन सांख्यिकी विज्ञान की अन्तिम और महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि यह सप्रग्रहित सामग्री के प्रयोग को सम्भव बनाती है। सांख्यिकी की अन्य अवस्थायें सहायक मात्र हैं।

सांख्यिकीय निर्वचन एक विचारपूर्ण और गम्भीर कार्य है जिसमें पर्याप्त सततता की आवश्यकता होती है यदि समस्त सांख्यिकीय अवस्थाओं का ठीक-ठोक प्रयोग किया गया हो। परन्तु निर्वचन में त्रुटि होजाय तो सारा परिणम व्यर्थ होजाता है, इसके लिए सांख्यिकीय विधियों का समुचित और सही प्रयोग अनिवार्य है। विधियों का दुष्प्रयोग करने का परिणाम होगा मिथ्या निर्वचन जो लक्ष्य को समाप्त कर देता है। यह सही कहा गया है कि समक गोली मिट्टी के समान है जिनसे इच्छानुसार भगवान या दीतान, जो चाहें बनाया जा सकता है।' मार्क ट्वेन (Mark Twain) के मतानुसार "भूठ की तीन श्रेणियां हैं—भूठ, सफेद भूठ, और समक—और ये इसी क्रम में गम्भीर हैं। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। कुछ व्यक्ति समको पर आवारित लक्ष्यों को पूर्ण विश्वास की दृष्टि से देखते हैं, बिना यह समझे कि इनमें सततता कहा तक प्रयोग में ली गई है। उनका विश्वास होता है कि यदि समक ऐसा कहते हैं तो सत्य इससे विपरीत नहीं हो सकता। यह भी कहा जाता है कि समक कुछ भी मिथ्या कर सकते हैं परन्तु वास्तव में देखा जाय तो इस्या, सख्ता मात्र ही है, वे कुछ भी सिद्ध नहीं करती। ऐसा तब होता है जब निर्वचन में अधिनिति का प्रयोग किया जाय या अनिपुण व्यक्तिद्वारा सामग्री का प्रयोग किया जाय। वास्तव में "अनिपुण व्यक्तियों के हाथ में सांख्यिकीय रीतिया सबसे भयानक उपादान हैं। सांख्यिकी उन विज्ञानों में से है जिसमें प्रवीण व्यक्तियों को कलाकारों की तरह आत्म सम्म रखना पड़ता है।" सच पूछा जाय तो "निर्वचन में भी समक सप्रग्रह और विश्लेषण की भानि

ही साधारण बुद्धि एक प्रमुख श्रेष्ठित गुण है और अनुभव ही प्रमुख मार्ग दर्शक है।<sup>१</sup> सांख्यिक तथा सांख्यिकी का कार्य किसी तथ्य को प्रमाणित करना नहीं होता बल्कि तथ्यों का सही दिव्यदर्शन करना होता है। “सांख्यिक कोई रसायन तो है नहीं जिससे यह आशा की जा सके कि वह किसी भी व्यर्थ धारु से सोना बना देगा।”<sup>२</sup> इसके विपरीत वह एक रसायन शास्त्री है जो वस्तु को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करता है। इतना सब बुद्ध होने हुए भी कई बार सांख्यिकीय सामग्री के निर्वचन में बुटि हो जाया करती है। इसका मुख्य कारण यह है कि सधारणों पर शुद्धना की द्धारा नहीं लगी होती। सांख्यिक के अनुभव, बुद्धि तथा सांख्यिकीय रीतियों की जानकारी पर ही सही निर्वचन की सफलता निर्भर करती है। अत सांख्यिकीय निर्वचन किसी जाच के क्षेत्र से संबंधित समंकों का पूर्ण विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकालने को एक रीति है।

### निर्वचन के लिए प्रारम्भकात्तये—

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि सांख्यिकी से एक अनभिज्ञ व्यक्ति को निर्वचन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा भिज्ञ व्यक्ति को अनभिज्ञ रहना चाहिए। परन्तु विशेषज्ञ को भी निष्कर्ष निकालने से पूर्व निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए—

१. अनुसंधान के लिए सामग्री का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना—अपर्याप्त सामग्री के आधार पर निकाले गये या समग्र में से बहुत छोटे व्यादर्श पर आधारित निष्कर्ष समस्त समग्र के बारे में सूचना प्रदान नहीं करते तथा विश्वसनीय और सही भी नहीं होते।

२. सामग्री का उपयुक्त तथा विश्वसनीय होना—पर्याप्त मात्रा में होने के साथ-साथ सामग्री अनुसन्धान कार्य के उपयुक्त भी होनी चाहिये। जिस वस्तु स्थिति का अध्ययन करना हो उसी से सम्बन्धित सामग्री होना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ उपभोक्ता निर्वाहि लागत देशनाक के लिये फुटवर मूल्य होने चाहिये न कि थोक मूल्य। साथ ही मुख्य विशिष्ट वर्ग द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के होने चाहिये। समुचित सामग्री के साथ साथ उसका विश्वसनीय भी होना आवश्यक है।

३. मामग्री साजातीय हो—निर्वचन से पूर्व ध्यान देने की बात है कि समक समान लक्षण बाले होने चाहिये अर्थात् सामग्री तुलनीय हो। तुलना समान लक्षण बाले वस्तुओं वी बीच हो सकती है, विजातीय (heterogeneous) के बीच नहीं।

1 Commonsense is as much a chief requisite and experience as great a teacher in the delicate task of interpretation as in collection and analysis of quantitative data.

2 A statistician is not an alchemist expected to produce gold from any worthless material.

४. सामग्री ठोक प्रकार से संग्रहित की गई हो—सप्रह वैज्ञानिक दण से किया गया हो तथा पद्धतिहीन हो ।

५. समको की शुद्धता—समक निर्वचन पूर्व सभी प्रकार के विभ्रमों से मुक्त होने चाहिए । अधिनान या अन्तर्भिन्न विभ्रम यदि नहीं हो तो श्रेष्ठकर है अन्यथा निर्वचन से पूर्व ही इन्हे दूर कर देना चाहिये अन्यथा निष्कर्षं पशुद्ध होने की आशका रहती है ।

६. सामग्री का वैज्ञानिक विश्लेषण—उचित साहियकीय रीतियों द्वारा सामग्रों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया हो । समकों की अशुद्धियों को तथा विज्ञ डालने वाले कारणों को दूर करना ही विश्लेषण होता है । नटिपूर्ण विश्लेषण करने से शूठे निष्कर्षं निकलते हैं ।

इस प्रकार साहियक को सही निर्वचन करने के लिए उपरोक्त समस्त बातों का ध्यान रखता चाहिए जो सामग्री के सप्रह भौत विश्लेषण से सम्बन्धित हैं । तत्परतात् उसे निर्वचन का कार्य करना चाहिए भौत उनसे निष्कर्षं निकालना चाहिये । निष्कर्षं निकालने समय भी बहुत सततंता की आवश्यकता होती है । निष्कर्षं में शुटिया निम्न कारणों से हुआ करती है—

१. भ्रामक सामान्यकरण (false generalisation)

२. साहियकीय मापों का गलत निर्वचन (wrong interpretation of statistical measures) जैसे माध्य, देशनाक, सह-सम्बन्ध, गुण-साहचार्य, प्रतिशत, आदि ।

३. अत्यमान आनार पर तुलना करना

४. ऐसे तत्त्वों की सहायता लेना जो कार्य से कारण की भौत आये, आदि ।

**भ्रामक सामान्यकरण—**

इस प्रकार की शुटियों का मुख्य कारण है समग्र के एक भूमि पर आधारित निष्कर्षों को समस्त समग्र पर लागू कर देना । वही दार न्यादर्दीं के आवार पर साहियक अनुमदान किया जाता है तथा न्यादर्दीं बहुत छोटा ले लिया जाता है । समग्र के एक प्रश्न में एक प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है जबकि दूसरे भूमि में इसके विपरीत परिवर्तन हो सकता है । ऐसी स्थिति में भूमि पर आधारित निष्कर्षं समग्र पर लागू करना भ्रामक हो सकता है । सम्भावित सिद्धान्त के अनुसार यहीं ठीक है कि भूमि से निकाले गये निष्कर्षं समग्र के लिए प्रयुक्त होते हैं, परन्तु यह सदैव सत्य नहीं हुआ करता । यह सम्भव है कि भूमि में होने वाले परिवर्तन समस्त समग्र के परिवर्तनों से एकदम विपरीत हों । यह कहना सही नहीं कि एक वस्तु का मूल्य बड़ जाने से निर्वाह-व्यय बड़ जाता है क्योंकि ही सकता है मूल्य बड़ जाने से उस वस्तु का उपभोग घट गया हो या अन्य वस्तुओं के मूल्य में कमी आ गई हो, आदि ।

इस तथ्य को पुष्टि निम्न उदाहरणों द्वारा की जा सकती है ।

१६३१-३२ में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय ६५ रुपये थी, जबकि १६६१-६२ में यह ३३० रुपये थी। प्रति यह स्पष्ट है कि भारत १६३१-३२ की अरेका १६६१-६२ में पाच गुना अधिक समृद्धिशाली हो गया है। (एम० काम०, राजन्यान, १६६३)

यह कहना कि हमारी राष्ट्रीय आय पाच गुनी हो गई, विन्दुन गल्य है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन इसमें यह निष्कर्ष निकाल लेना कि हमारी समृद्धि भी पाच गुनी अधिक हा गई है, एक भाषण में सामाजिक वृद्धि भने ही हुई हो वास्तविक आय में बुद्धि भी वृद्धि नहीं हुई है। हम यह जान बरना होगा कि इन तीन वर्षों में मूल्य स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है। हम ऐसे हैं कि मूल्य भी पाच गुना में अधिक ही बढ़े हैं। अत आप में सन्तानमत् वृद्धि भने ही हुई हो वास्तविक आय में बुद्धि भी वृद्धि नहीं हुई है। हमें यह भी जानना होगा कि बड़ी हुई आय का वित रण किस प्रकार से हुआ है। श्री नेहरू द्वारा गठित संकेन्द्रण समिति की प्रारम्भिक प्रति वेदन से तो यही जान होना है कि बड़ी हुई आय का अनिवार्य मात्र बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पास ही गया है। कृपि अर्थिकों की वास्तविक आय में तो कभी हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनी वग अधिक धनी हुआ है और निर्भत बैसे ही हैं। इसके अनिरिक्त यह हमें भी भावि विदिन है कि १६३१-३२ की राष्ट्रीय आय का अनुमान ३० रुपये अपनी नियोजन में लगाया था। उम समय कई प्रकार के आवडे विन्दुन भी उपलब्ध नहीं थे। अनिक्तर सातों से आय जान करन में उन्होंने अनुमान मात्र ही लगाया था। १६६१-६२ की राष्ट्रीय आय का अनुमान N I U द्वारा अधिक वैज्ञानिक ढंग में लगाया गया है। अब अरिक प्रकार एक मात्रा में समझ उपलब्ध है। प्रति दोनों अनुमानों का दिना सभापोजन किए तुलना करना भी भाषण परिणाम देगा। अब सामाजिक वरन करने से पहले हमें सब पहुंचो पर विचार करना आवश्यक है।

**उदाहरण—स्पेन-अमरीकी युड़ के दौरान अमरीकी बड़े में मूल्य दर ६ प्रति हजार थी जब वि उसी अवधि में न्यूयार्क शहर मूल्य दर १६ प्रति हजार थी, अन्यूयार्क शहर में निवास करन के बजाय अमरीकी बड़े में नाविक बनना अधिक सुरक्षित है।**

यदि मूल्य दर की वास्तविक स्थितियों की ही तुलना की जाय तो उपरोक्त विषय पर निवासना स्वामाविक होगा। लेकिन इसका विलेपण करना आवश्यक है। हम यह भी जान बरना होगा कि दानो जगह प्रत्यक्ष प्रकार की परिस्थिति समान थी या नहीं। यह सब जानते हैं कि फौज में बहुत अच्छा वेतन मिलता है, पौटिक भोजन दिया जाता है तथा स्वास्थ्य सबधी पूरी सावधानी बर्ती जानी है। फौजी निवास स्थान म विशेष जोड़ाया व कीटाणु को नष्ट कर दिया जाता है। इन सब कारणों से बड़े मूल्य दर कम होना स्वामाविक है। न्यूयार्क शहर में सब प्रकार—धनी, मध्यम दर्जे, अधिक, आदि के व्यक्ति दर्जे हैं। हो सकता है मध्यम और विशेष रूप से अधिक वर्ग में स्वास्थ्य सबकी सुविधाएँ पूरी प्राप्त नहीं हैं, डाक्टरी सहायता समय पर नहीं मिल पाती हो, रहन का स्थान

अस्वद्वय एवं अस्वास्पदप्रद हो, आय वर्म हो, पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं होना हो। शिशु मरण— दर भी अधिक हो सकती है।

यह स्पष्ट ही है की बेडे में अधिक सुविधा उपलब्ध होनी है और प्रत्येक प्रकार की सावधानी बर्ती जानी है। अतः मृत्यु दर के आधार पर ही उपरोक्त निष्पर्यं निकालना एक भ्रामक सामान्य करणे होगा।

### साहित्यकीय मापो का गलत निर्वचन—

**भाष्य**—माय वेवल केन्द्रीय प्रवृत्ति को बनलाना है। श्रेणी की व्यक्तिगत इवाई की विशेषता उसमें सुप्त हो जाती है। एक व्यक्ति चार दिन तक प्रति दिन पाच मीन चलता है और दूसरा व्यक्ति पहिले दिन चार मीन, दूसरे दिन १ मील, तीसरे दिन कुछ नहीं और चौथे दिन १५ मील चलता है। दोनों का औसत ५ मील है। यदि वेवल औसत ही हमें ज्ञान हो तो हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि दोनों व्यक्तियों की प्रगति कैसी है।

भारत देश के निवासियों की औसत आयु ४७ वर्ष है। इसका यह अर्थ लगाना गलत होगा कि प्रत्येक भारतवासी ४७ वर्ष की उम्र के बाद जीवित ही नहीं रहता या नोडे में औसत आयु ७३ वर्ष है अतः इस उम्र से पहिले विसी की मृत्यु ही नहीं होती।

**देशनाक**—आज कल तुलना करते के लिए देशनाक का विवापक प्रयोग होना है। उत्पादन, व्यापार, मजदूरी, रोजगार, मूल्य आदि की तुलना देशनाको के मायम से ही की जाती है। लेकिन यह हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि देशनाक केवल औसत प्रवृत्ति इगित करते हैं। उनसे विसी भी समस्या के सबय में पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। साथ ही देशनाको से सही अर्थं निवालने के लिए उनका आधार वर्ष, भार, उद्देश्य, बनाने की विधि आदि की जानकारी होना आवश्यक है अन्यथा गलत अर्थं निकाला जाएगा। चूंकि अधिक वर्ग की आय के देशनाक में निरन्तर वृद्धि हो रही है अतः उनका रहन-सहन का स्तर अच्छा हो गया है, निष्पर्यं निकाल लेना अनुचित होगा। साथ ही हमें मूल्य निर्देशाक का भी अव्ययन करना होगा। उसके आधार पर हमें वास्तविक आय के निर्देशाक तैयार करने होंगे। अमनी म्यति का दिग्दर्शन वास्तविक आय के निर्देशाक करेंगे, जैसे—

किसी उद्योग में एक अमिक की आय एवं मूल्य के पाव वर्धा के निर्देशाक नीचे दिए गए हैं।—

वर्ष	आय निर्देशाक	मूल्य निर्देशाक	पास्तविक	
			रु	रु
१९५३	३००	१००	३००	३००
१९५४	३५०	१२५	२८०	
१९५५	४५०	१५०	३००	
१९५६	५००	१७५	२८६	
१९५७	६००	२००	३००	

आय निर्देशाक बताते हैं कि अमिक की आय पाव वर्धा में ३०० रु से ६०० रु अर्थात् दुगनी होगई। सेकिन यह निष्कर्ष ठीक नहीं है। मूल्य निर्देशाक वे आधार पर आय निर्देशाक की मपस्कीति (mapsize) करने पर जात होता है कि अमिक की पास्तविक आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

सह सम्बन्ध—यदि दो शृंखलाओं या समक मालाओं में कारण और प्रभाव का सम्बन्ध ही तो उहै सह सम्बन्धित वहा जाता है। परन्तु अंकिक सह-सम्बन्ध ऊंचा होने के आधार पर ही सब बुद्धि निष्कर्ष नहीं तिकान लेना चाहिए। यह भी जात करना आवश्यक है कि कारण और प्रभाव में सम्बन्ध भी है या नहीं। यदि कपड़े के उत्पादन की वृद्धि और खाद्यान्न में उत्पादन में वृद्धि में घनात्मक सह सम्बन्ध हा तो यह नहीं तथ कर लेना चाहिए कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने के निए कपड़े के उत्पादन की वृद्धि की जाय। इन दोनों में कारण और प्रभाव का कोई सम्बन्ध नहीं है।

किन्तु दो शृंखलाओं में ऊंचा सह सम्बन्ध होने पर भी यह निष्कर्ष तिकालता ठीक नहीं है कि भ्रमुक कारण की वजह से ही प्रभाव हुमा है। अन्य कारण भी हो सकते हैं। जैसे, मुद्रा परिवर्तन की मात्रा और धोक-मूल्य सूचक में ऊंचा घनात्मक सह सम्बन्ध होने पर यह निष्कर्ष तिकाल लिया जाय कि मुद्रा के परिवर्तन में वृद्धि होने के कारण मूल्यो में वृद्धि होगई है। मूल्यो में वृद्धि माल की माग, पूर्ति, उत्पादन आदि से भी प्रभावित होती है।

यदि किसी जगह व्यक्तियों की आय और सलानों की संख्या में घनात्मक सम्बन्ध हो तो इसका अर्थ होगा कि कम आय वाले व्यक्तियों के कम बच्चे होते हैं और अधिक आय वाले व्यक्तियों के अधिक बच्चे होते हैं। इससे यह निष्कर्ष तिकाल जाय कि आबादी की वृद्धि को रोकने के लिए सब व्यक्तियों की आय कम बरदी जाय तो उचित नहीं होगा।

**गुण साहचर्य.**— गुण साहचर्य से निष्पर्य निकालने में बहुत सावधानी की प्रावश्यकता है। किन्हीं दो गुणों में साहचर्य किसी तीसरे गुण की उपस्थिति की बजह से भी हो सकता है। इसे आशिक गुण-साहचर्य (partial association) कहते हैं। उदाहरण के लिए बी. सी. जी. (B. C. G.) का टीका सपवाने और तपेदिक नहीं होने में घनातमक गुण साहचर्य हो सकता है। इससे एक दम यह निष्पर्य नहीं लगा सेना चाहिए कि B. C. G. का टीका लगवाने पर तपेदिक होनी ही नहीं है। यह हो सकता है कि जिन व्यक्तियों के टीका लगाया था वे उनी व्यक्ति हो या स्वन्य एवं खुले मकानों में रहते हों और जिनके टीका नहीं लगाया गया वे अस्वन्य एवं गन्दी वस्तियों में रहते हों या निर्धन हों।

यह बहुता कि ६६ प्रतिशत व्यक्ति जो शराब पीने हैं १०० वर्ष की उम्र प्राप्त करने के पहले ही मर जाते हैं, अन दीर्घायु के लिए शराब पीना खराब है, सदैव ठीक नहीं होगा। यह बिन्कुल ठीक है कि अधिक शराब पीने से जिगर लीए हो जाता है, प्रीत इस कारण से मृत्यु भी हो सकती है लेकिन यह निष्पर्य निकालना कि शराब पीने वाले व्यक्ति १०० वर्ष तक उम्र प्राप्त करेंगे ही नहीं, ठीक नहीं है। यह हो सकता है कि वे व्यक्ति जिनकी जाच को गई हो बहुत गरीब हों, जो बहुत निम्न स्तर की शराब पीते हों, जिनकी सगत टीक नहीं हो, जिन्हें डाक्टरी सुविधा प्राप्त नहीं होती है। अच्छी आप वाले व्यक्ति सदा अच्छी विस्म की शराब पीते हैं। उससे कम हानि होती है। ठड़े देशों में तो स्फूर्ति एवं शक्ति प्रदान करने के लिए शराब पीना प्रावश्यक होता है। अतः उपरोक्त निष्पर्य सब वर्गों के व्यक्तियों के लिए लागू नहीं हो सकता है।

**प्रतिशत** — केवल प्रतिशत के आधार पर ही, विना वास्तविक तथ्यों की जानकारी के, निष्पर्य गलत निकल सकते हैं। एक कानेज का एम. ए. परीक्षा का कल १०० प्रतिशत या और दूसरे का ६६ प्रतिशत अन प्रथम कानेज को अच्छा माना गया लेकिन विद्यार्थियों की सभ्या ज्ञात करने पर मालूम हुआ कि प्रथम कानेज में केवल दो ही विद्यार्थी थे और वे दोनों उर्फ़ेण हो गए जबकि दूसरे कालेज में १०० विद्यार्थी थे, जिनमें से ६६ उर्फ़ेण हुए। वास्तव में दूसरे कालेज को अच्छा बनाना होगा यदि अन्य बातें समान हों तो।

**उदाहरण** — किसी वर्ष 'क' स्कूल का परीक्षा फल ७५ प्रतिशत था। उसी वर्ष 'क' स्कूल में ६०० में से ४०० विद्यार्थी पास हुए। अन. 'क' स्कूल में अव्याप्त हार अच्छा था। (बी. काम देहली)

जपरी तौर से देखने पर तो उपरोक्त निष्पर्य टीका लगता है क्योंकि 'क' स्कूल का परीक्षाफल ७५ प्रतिशत और 'क' स्कूल का  $\frac{400}{600} \times 100 = 66.6$  प्रतिशत है। लेकिन केवल प्रतिशत के आधार पर ही निष्पर्य निकालने से भ्रामक परिणाम हो सकता

है। अन्य तथ्यों के विस्तेपण की भी आवश्यकता है। हमें यह जानना होगा कि 'व' स्कूल में वितने विद्यार्थी हैं। यदि कुल ४ विद्यार्थी हो और उनमें से ३ पास हो गए हो तो भी पॉन ७५ प्रतिशत होगा। प्रतिशत के साथ साथ वास्तविक संख्या की भी आवश्यकता होती है। यदि यह भी मान लिया जाय कि 'व' स्कूल में भी ६०० विद्यार्थी हैं तो भी निम्न बातें जानना जरूरी है। क्या दोनों स्कूलों में अध्यापकों को एक साथेतन मिलता है? क्या उनका शुनाव बिना मिलारिंग के बेवज़ योग्यता एवं अनुभव के आधार पर ही किया गया है? क्या दोनों स्कूलों में विद्यार्थी रामाय्य तौर पर समान स्तर के हैं? यदि 'व' स्कूल में धनी परिवारों के बच्चे आते हों जिहें सर मुवियाएं उपलब्ध हो और 'प' स्कूल में निर्घन परिवार के बच्चे हों जिहें न्यूनतम मुवियाएं भी प्राप्त नहीं हों तो दोनों की तुलना करना टीक नहीं होगा। सब ऐहुओं पर विचार करने के बाद निष्पत्ति निभालना ही टीक रहता है।

**उदाहरण—** एक घातक दीमारी का सफल आपरेशन ( शत्रु ) होने की सभाविता १ प्रतिशत है। एक डाक्टर ६६ आपरेशन करने में असफल रहा है। अब १०० वें मरीज का आपरेशन सफल होना अवश्यम्भावी है।

( एम. बाम. राजस्थान १९६३ )

यह एक भासक निष्पत्ति है। सभाविता और निश्चिन्ता में बहुत अन्तर होता है। सभाविता में प्रत्येक मद को स्वतन्त्र ( independent ) माना जाता है। यह तहत विकास ६६ प्रसफल आपरेशन होने के बारण १०० वाँ आपरेशन घबराय ही सफल होगा, टीक नहीं है। वह सफल हो भी सकता है और असफल भी। १०० वें आपरेशन के अपन होने की सभाविता भी इडैड ही हो सकती है और असफल होने की सभाविता नहीं। सभाविता में पिछले मदों के सफल या असफल होने का अपनी मद के परिणाम पर बोई अन्तर नहीं पड़ता। यदि एक मिक्के को पहिली बार उछालने पर सिर आता है तो यह जहरी नहीं है कि दूसरी बार उछालने पर पोठ अवश्य ही आए। दुबारा भी सिर आ सकता है।

उदाहरण—१९५१ की जनगणना के आधार पर नीचे विविध क्षेत्रों में ५ से १४ वर्ष की उम्र के बच्चों के विवाह सम्बन्धी संक दिए गए हैं। अंकों के आधार पर बाल-विवाह के संबंध में निर्वचन दीजिए।

क्षेत्र	पुरुष संख्या हजार में	विवाहित पुरुष हजार में	स्त्री संख्या हजार में	विवाहित स्त्रियों हजार में
उत्तर भारत	८२६८	६५३	७४१६	१५६८
पूर्वी भारत	१०६३५	६४६	१०२५३	१७५६
दक्षिण भारत	६२५६	८७	६२१३	४२१
पश्चिमी भारत	५३४२	१२८	५०१०	५३५
मध्य भारत	६७५०	४६४	६४२७	१३६४

T.D.C. Raj. 1963.

उपरोक्त संख्याओं का ठीक निर्वचन करने के लिए पुरुषों व स्त्रियों में विवाहितों के प्रतिशत निकालना प्रावश्यक है। नीचे दोनों के प्रतिशत दिए गए हैं—

क्षेत्र	विवाहित पुरुष प्रतिशत	विवाहित स्त्रिया प्रतिशत
उत्तर भारत	११०५	२१
पूर्वी भारत	८७	१७
दक्षिण भारत	०६	४५
पश्चिमी भारत	२४	१०
मध्य भारत	७०३	२१

उपरोक्त प्रतिशत तालिका से ज्ञात होता है कि आचो क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में बाल विवाह की प्रथा भ्रष्टिक प्रचलित है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय परम्परा एवं प्रथा के अनुसार लड़की अपने विवाह के लिए स्वयं कुछ भी नहीं बहती। वह अपने भाग्य निर्माता अपने माता पिता वो ही समझती है।

विवाहित पुरुषों व स्त्रियों में सबसे अधिक प्रतिशत सह्या उत्तरी भारत व सबसे बम सह्या दक्षिण भारत में है। इसके कई कारण हो सकते हैं शिक्षा का प्रसार दक्षिण भारत में अधिक है। दक्षिण भारत में माता पिता अपने बच्चों के उच्ज्ञवल भविष्य के लिए अधिक प्रयत्न करते हैं। वहाँ अन्य विश्वास एवं रुद्धियों का कम प्रभाव पड़ना है। वहाँ के लोगों की आम तौर पर तुलनात्मक हृष्टि से आर्थिक हितनि अच्छी नहीं है। अब वे अपने बच्चों की पढाई पर अधिक ध्यान देते हैं। दक्षिण भारत एक प्रगतिशील द्वेरा है। उत्तरी भारत में शिक्षा कम होने के कारण व पुरुषी बुपयागों से विवाह होवर वहाँ के माता पिता अपने बच्चों का जल्दी ही विवाह कर देते हैं।

मध्य भारत में स्त्रियों के बाल विवाह भी सह्या भी सबसे अधिक है। अत बाल विवाह को रोकन के लिए उत्तर भारत, मध्य भारत व पूर्वी भारत में शिक्षा का अधिक प्रसार करना चाहिये, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस सम्बन्ध में अधिक प्रयत्नशील रहना चाहिये व इन दोनों में राज्य सरकारों को शारदा अधिनियम अधिक कठेपन से लागू करना चाहिये। मुख्य रूप में हिन्दूओं के बाल विवाह रोकने पर अधिक बल देना चाहिये।

असमान आधार पर तुलना करना—सारी साहित्यकीय रीतियों का प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है। लेकिन तुलना का आधार समान नहीं हो तो निष्कर्ष असमक होगे। एक विद्यार्थी के किसी प्रश्न पत्र में से ५० में से २५ व दूसरे के १०० में से ४० अक आते हैं। दोनों विद्यार्थियों के अब्बो—२५ व ४० की तुलना करने पर हमारा निष्कर्ष होगा कि दूसरा विद्यार्थी बहुत अच्छा है, लेकिन यह परिणाम गलत है क्योंकि तुलना का आधार असमान है पहले विद्यार्थी को ५० में से अक मिलते हैं और दूसरे को १०० में से। सही तुलना करने के लिए दोनों की समान अब्बों में से ही अक मिलना चाहिये। अत दोनों को ( $\frac{1}{2} \times 5$  व  $\frac{1}{2} \times 10$ ) या ( $\frac{1}{2} \times 25$  व  $\frac{1}{2} \times 40$ ) अक प्राप्त हुए मानने चाहिये। अब हम ठीक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहला विद्यार्थी दूसरे से अच्छा है।

उदाहरण—१६६१ में एक औद्योगिक वस्ती में मृत्यु दर १३४ प्रति हजार थी जब कि एक अन्य शहर में उसी वर्ष में मृत्यु दर १३४ प्रति हजार थी, अत औद्योगिक वस्ती शहर की तुलना में अधिक स्वास्थ्य प्रद है। (एम. कॉम. राज. १६६३)

मृत्यु दरों की तुलना करने पर तो उपरोक्त निष्कर्ष ठीक लगता है। लेकिन अधिक विश्लेषण करने पर हो सकता है यह निष्कर्ष असमक हो। हम अध्याय १३ में पढ़ चुके हैं कि मृत्यु या जन्म दर की तुलना करने का आधार एक होना चाहिए। उपरोक्त दोनों दर अशोधित (crude) दर हैं। दो अशोधित दरों की तुलना करने से असमक परिणाम निकल सकता है क्योंकि दोनों दरों में जन सह्या का वितरण आमु बर्गों में अलग अलग होता है। उचित तुलना करने के लिए किसी एक शहर को प्रभाप शहर मानना होना है और प्रभाप शहर की अशोधित दर की तुलना अन्य शहर की प्रमाणित दर से की जाती है।

उपरोक्त प्रश्न में प्रमाणित दर नहीं दी हुई है अब ठीक निष्पत्ति नहीं निकाला जा सकता। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि दो प्रारोधित दरों की तुलना करके ठीक निष्पत्ति नहीं निकाला जा सकता है।

वभी वभी ऐसे तर्कों की सहायता से ली जाती है जो कारण में कारण की ओर जाते हैं। यह बात स्पष्ट है कि पहले कारण होता है और फिर कुछ विनम्रता (lag) के बाद उसका प्रभाव। पहले प्रभाव और बाद में उसका बारण वभी नहीं हो सकता। यदि ऐसा चिया जाय तो निष्पत्ति भासक होगा। मूल्य देशनाक का अध्ययन करने से जात होता है कि वे निरन्तर रहे हैं। इसने यह निष्पत्ति निकाल लिया जाय जिस मूल्यों के बढ़ने के कारण देश में मुद्रा स्फीति हो गई है, ठीक घोड़े के ग्रामे गाड़ी रहना होगा बास्तव में मुद्रा स्फीति की बजह से मूल्य बढ़ने हैं। कारण मुद्रा स्फीति है और प्रभाव मूल्यों की वृद्धि। उन्हाँ निष्पत्ति निकालना बहुत धातक मिथ हो सकता है। ऐसी तर्क की बुनकं (bad logic) यहा जाना है।

वही कही साहचर्य को सह-सबध मान लेने में भी भासक निष्पत्ति निकाल सकते हैं। बुनकं (bad logic) और अनुयक्तरण (Non-sequitur), दरों के गलत प्रयोग आदि से भी निर्वचन ठीक नहीं हो पाता है।

यह हम भली भाति जानने हैं कि समक स्वय कुछ भी सिद्ध नहीं करने हैं, वे सिद्ध करने में सहायक हो सकते हैं। साध्यकीय रीनियों के सहारे सब तर्कों का पूर्ण विश्लेषण करके सही निष्पत्ति निकाले जा सकते हैं। लेकिन साध्यकी पर सम्पूर्ण निमंत्र रहना अनुचित है। क्योंकि साध्यकी की कई सीमाए हैं। साध्यकीय नियम औसतन सही उनरते हैं। इसलिए अन्य तरीकों की सहायता लेकर साध्यकीय निष्पत्ति की पुष्टि बरना चाहिए।

ठीक निर्वचन करने के लिए यह आवश्यक है कि साध्यक एक कुशल, अनुभवी एवं साध्यकीय रीनियों ने पूर्ण भिन्न व्यक्ति हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि भिन्न साध्यक पूर्ण रूपेण पद्धतानहीन हो अन्यथा साध्यकी और साध्यकीय रीनियों की बदनामी होती है जबकि साध्यकी में कोई भी चुट नहीं होती है, सब कुछ शुद्धिया व कमी साध्यक में ही होती है।

अध्याय १७

## सर्वे का आयोजन ॥

( Planning of Survey )

आधुनिक युग आयोजन का युग है। किसी भी सर्वे से पूर्ण एवं ठीक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें सर्व प्रथम बहुत सोच विचार कर एक विस्तृत योजना बनानी पड़ती है। योजना बनाते समय निम्न बातों पर सही-सही एवं उचित उत्तर प्राप्त कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। यदि किसी भी बात या पहलू को रूपरेखा ठीक नहीं बनती है तो सर्वे के दौरान में कई वास्तविक कठिनाइया उपस्थित हो जाती हैं जिससे या तो व्यय घटिक बढ़ जाता है या विलम्ब हो जाता है या परिणाम शुद्ध नहीं होने हैं।

सबसे पहिले हमे सर्वे का उद्देश्य ( purpose) तय करना चाहिए। सर्वे व्यो किया जा रहा है? हम किस समस्या की जानकारी के लिए सर्वे करना चाहते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। बड़े-बड़े सर्वे बिना उद्देश्य को तय किए शुरू कर देने से असफल हो सकते हैं। यदि उद्देश्य स्पष्ट होगा तो आगे की कई बातें भी ठीक प्रकार से तय की जा सकेगी अन्यथा इधर-उधर भटकना पड़ता है। एक भी तथ्य वी कभी रह जाने की वजह से दुबारा यक संश्लेषण करनाना आवश्यक हो जाता है।

उद्देश्य तय कर लेने के पश्चात् सर्वे का क्षेत्र ( scope ) तय करना पड़ता है। यदि क्षेत्र ठीक प्रकार और सावधानी से तय नहीं किया गया तो हो सकता है कि ऐसे क्षेत्र से तथ्य एकत्र कर लिए जाएं जहा का सर्वे ही नहीं करना है या जिस क्षेत्र का सर्वे करना है उसमें से कोई भाग छूट जाये। ऐसी परिस्थिति में परिणाम सम्पूर्ण समग्र के लिए सही नहीं होते हैं। क्षेत्र निर्धारित करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए—

( क ) जात्य का क्षेत्र—हमे जात्य का क्षेत्र स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए। हमारा कितना समग्र ( universe ) है। समग्र में कौन से जिसे, तहसीलें, शहर व गाँव सम्मिलित हैं, इसका सही निर्णय पहिले से ही कर लेना चाहिए।

( ख ) इसी प्रकार हमे यह भी तय करना होगा कि किस बर्ग के व्यक्तियों का सर्वे किया जा रहा है, जैसे धनी बर्ग, निम्न बर्ग, मध्यम बर्ग, उचुर्ध थोरी के कर्मचारी, श्रमिक

---

इस अध्याय का अध्ययन करने से पहले पाठकों को लेखक की अन्य पुस्तक “साहित्यिकी—यादव, पोलाल, शर्मा” के तीसरे, चौथे, व पाचवे अध्यायों का अध्ययन कर लेना अत्यधिकर होगा।

वर्ग मादि । अभिक वर्ग में भी किम उद्योग के श्रमिक शामिल किये जायेगे । क्या श्रमिकों में केवल बुशल और घर्वकुशल श्रमिक ही होंगे या अबुशल भी, स्थायी श्रमिक होंगे या अस्थायी श्रमिक भी ।

(ग) हमें यह भी तथ्य करना होगा कि अक संग्रहण किस अवधि का करना है—एक दिन, सप्ताह, मास या वर्ष का । अवधि में एक रूपता रहना आवश्यक है । सर्वे के संगठन के सम्बन्ध में भी विचार कर लेना चाहिये । सर्वे का प्रमुख बोन होगा और उसका पद क्या होगा—सचालक, भर्यीक्षक मादि । सचालक के भर्यीन वित्तने उप सचालक, सहायक सचालक, सांस्थिक, निरीक्षक, डॉपटमेन्ट, प्रगणक मादि होंगे । सचालक का मुख्य कार्यालय विस शहर व स्थान में होगा । उपकार्यालय कहा—कहा होंगे ?

संगठन के साथ ही साथ हमें सर्वे का विस्तृत आय—व्ययक ( budget ) भी तैयार करना चाहिये । भर्य का समुचित एवं सामयिक प्रबन्ध भी हो सकेगा या नहीं । यह व्याप देन योग्य बात है कि नियन्त्रन सर्वे के लागत (व्यय) पर ही मुख्य रूप से न्यादर्श का प्रकार (size) तथ्य किया जाता है । यदि अवधिभाव होता है तो छोटा न्यादर्श ही चुना जाता है ।

इन सब बातों के उपरान्त सर्वे का प्रकार ( जाव की प्रणाली ) भी तथ्य करना पड़ता है । सर्वे के अधिकारियों द्वारा यह तथ्य किया जाता है कि उन्हें क्या—क्या तथ्य एकत्र करने पड़ते । उन तथ्यों में से यदि कुछ या सब ही द्वितीयक सामग्री ( secondary data) के रूप में प्राप्त हो जाएं तो कावे सुगम एवं अन्य व्यय में ही सम्पन्न हो जायेगा । लेकिन द्वितीयक सामग्री का प्रयोग करने से पूर्व हमें यह अच्छी तरह से जाँच कर लेना चाहिये कि वह सामग्री हमारे लिये उपयुक्त भी होगी या नहीं । क्या उस सामग्री का चेत, उद्देश्य, इकाई, विश्वसनीयता, अशुद्धना की मात्रा, समक संग्रहण की प्रणाली आदि वैसी ही जैसी हम चाहते हैं । अन्यथा जैसा कीनर ( Connor ) ने कहा है कि दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित समक हमको गति में गिरा सकते हैं यदि उनका प्रयोग सावधानी से न किया जाय । इसी प्रकार बाउले ( Bowley ) ने भी कहा है कि प्रकाशित सामग्री को विना उसका अर्थ एवं सीमाएं समझे करेवर के आवार पर प्रयोग में लेना बिलकुल भी सुरक्षित नहीं है ।

जो तथ्य द्वितीयक सामग्री के रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं उन्हें प्राथमिक सामग्री (primary data) की तरह एकत्र किया जाता है । हमें प्राथमिक सामग्री के संग्रहण के तरीकों की अच्छी तरह से जानकारी है । तथ्य दो प्रकार से एकत्र किये जा सकते हैं—संगणना (census) रीति और नियन्त्रन ( sampling ) रीति से । संगणना रीति से हमारे देश में प्रति दस वर्ष में जन गणना, प्रति वार वर्ष में पशु गणना और प्रति वर्ष निवितियों की गणना होती है । संगणना रीति से तथ्य अधिक शुद्ध एकत्र होते हैं यदि

प्रगणक प्रशिक्षण प्राप्त एवं उत्तरदायित्व समझने वाले हो। सेविन संगणना रीति में अधिक समझ, अधिक ध्यय, अधिक शक्ति य बड़े भारी समझन की व्यवस्था करती पड़ती है। जनगणना में दो बरोड रूपये व्यय होते हैं और १० लाख कार्यकर्ता कार्य करते हैं। संगणना रीति से गणना करना सरेकार या किसी बड़े औद्योगिक संस्थान के द्वारा ही सम्भव है। यदि जो च का ढोने छोटा है तो यह रीति मुगमता से अपनाई जा सकती है। भारत जैसे विशाल देश में जहा साक्षरता (literacy) अब भी २४ प्रतिशत है अच्छे प्रशिक्षित एवं उत्तरदायी प्रगणकों की कमी रहने की बजह से संगणना रीति का कम प्रयोग होता है।

पिछले ४०-५० वर्षों में निदर्शन रीति से सर्वे करने में बहुत शोध कार्य हुआ है। वैज्ञानिक रीति से यादाश को चुन लेने के बाद कम समय कम व्यय व बहुत प्रगणकों द्वारा ही विश्वसनीय समक एकत्र किए जा सकते हैं। साथ ही अशुद्धता की सीमा भी निदर्शन विभ्रम ज्ञात कर सीमित की जा सकती है। हमारे देश में १९५० से राष्ट्रीय न्यादर्झ अधीक्षण ( N S S ) के द्वारा निदर्शन रीति से समूण देश में विकिय आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं पर आकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। १९५६ से C S O की औद्योगिक शाखा भी इभी रीति से औद्योगिक समक एकत्र करती है। I S I I C A R व आर्थ शोध संस्थाए एवं विश्व विद्यालय भी विभिन्न सर्वे निदर्शन रीति से ही करते हैं।

पहिल सविचार निदर्शन रीति ( deliberate sampling method ) और देव निदर्शन रीति ( random sampling method ) में ही न्यादाश चुना जाता था। अब शोध कार्य के फलस्वरूप निदर्शन की कई रीतियां हैं। आजकल स्तरित निदर्शन रीति ( stratified sampling method ) और बहुस्तरीय निदर्शन रीति ( multi-stage sampling ) का व्यापक प्रयोग होता है। इन रीतियों में सविचार रीति और देव निदर्शन रीति के सब लाभ विद्यमान हैं तथा अलाभ का निवारण कर दिया गया है। दूसे उद्देश्यों में किम्त नियन्त्रण ( quality control ) करने के लिए अनुक्रमिक निदर्शन रीति ( sequential sampling ) का भी प्रयोग होता है। अम निदर्शन रीतिया भी है जिनकी जानकारी पाठकों को पहिले ही हो चुकी है।

सर्वे कार्य प्रारम्भ करने से पहिल समक सफहण की इकाई ( unit ) और विश्लेषण एवं विवेचन की इकाई भी तय करना पड़ता है। समक सफहण की इकाई सरल या जटिल हो सकती है। विश्लेषण एवं विवेचन दर ( rate ), प्रतिशत ( percentage ), अनुपात ( ratio ) या गुणक ( coefficient ) में किया जाता है।

अच्छी साहियकीय इकाई में निम्न मुख्य लकड़ होते चाहिए—

१—इकाई का मूल्य स्थायी ( stable ) होना चाहिए। सारे अध्ययन काल में उसका अप एक ही रहना आवश्यक है।

२—इकाई जात के लिए उपयुक्त ( suitable ) होनी चाहिए। यदि शहरों या गांवों के बीच वी दूरी नापनी हो तो निचोमीटर उपयुक्त होगा। “मीटर” तथ करना बिन्कुल ही अनुपयुक्त होगा।

३—इकाई वी परिमाप सरल, स्थाट, सूदम एवं भ्रम रहित होनी चाहिए।

४—इकाई में सजातिता ( homogeneity ) और समानता ( similarity ) होनी चाहिए। मलग-मलग त्रैत्र में इकाई का प्रथम घनग घनग न लगाना चाहिए।

सर्वे में परिशुद्धता वी मात्रा ( degree of accuracy ) तय करना अत्यन्त आवश्यक है। सब प्रकार के सर्वेदणों के लिए परिशुद्धता के एक में व समान नियम नहीं बनाए जा सकते। परिशुद्धता प्रत्येक सर्वे के लिए मलग-मलग तय करनी पड़ती है। परिशुद्धता वी मात्रा मुख्य रूप से सर्वे के उद्देश्य पर निभर करती है। यदि विस्तृत एवं गहन मध्यवर्त बरना है तो अगुदि वी मात्रा बहुत ही बन होनी चाहिए। यदि अनुभान बरना है तो अशुद्धि वी मात्रा थोड़ी सी अतिक भी हो सकती है। परिशुद्धता वी मात्रा घन वी उपलब्धि पर भी निभर करती है।

समक संग्रहण का वार्ष मी मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाना है—

१—डाक प्रणाली के द्वारा

२—प्रगताक द्वारा

डाक प्रणाली—इसे ( mail-card enquiry method ) या ( Householder method ) भी कहते हैं। इस प्रणाली म प्रश्नावली ( questionnaire ) डाक के द्वारा भेज दी जाती है। सूचक ( informants ) स्वयं अपनी जानशारी, समझ एवं इच्छा के अनुसार प्रश्नावलियों म सूचना भर कर डाक से वापिस प्रेपिन कर देते हैं। इस प्रणाली से विश्वसनीय एवं पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि निम्न वार्ता का ध्यान रखा जाय—

क—सूचना प्राप्त करने वाले का नाम या संस्था का नाम अवश्य बताना चाहिए।

ल—सूचना प्राप्त करने का उद्देश्य स्थाट करना चाहिए।

ग—कठोर ही यह भी विश्वास दिलाया जाय कि भजी हुई सूचना गोपनीय रखी जाएगी।

घ—जवाबी डाक सर्वे का भी सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा ही प्रदिम-योद्धन कर दिया जाय।

इतनी सावधानी रखने पर यह आशा की जा सकती है कि भारत जैसे देश में लगभग ५० प्रतिशत प्रश्नावलिया पूरी भर कर वापिस आजाएंगी। शत प्रतिशत प्रश्नावलिया तो अमेरिका में भी वापिस नहीं आती हैं।

२—प्रगणक ( enumerator ) द्वारा—इस प्रणाली को ( convassor method ) भी कहते हैं। इस प्रणाली में प्रगणक स्वयं अनुसूचिया ( schedules ) लेकर सूचकों के घर-घर पहुँचते हैं और प्राप्त सूचना को अनुसूचियों पर स्वयं भरते हैं। यह प्रणाली शुद्धता की हाईट से अधिक उपयुक्त है। इसमें प्रगणक प्रत्येक प्रश्न सूचक को अच्छी तरह समझा देता है और फिर सूचना एकत्र करता है। लेकिन इस प्रणाली में अधिक व्यय होता है और समय भी अधिक लगता है। जनगणना, जशु गणना में यही प्रणाली प्रयोग में साई जाती है। इस प्रणाली का प्रयोग अधिक खर्चीली होने के कारण सरकार या बहुत अच्छी वित्तीय परिस्थिति वाली संस्था ही कर सकती है। इस प्रणाली की सफलता प्रगणक के ऊपर बहुत कुछ निम्नर करती है। अतः प्रगणक में निम्न मुख्य गुण होना आवश्यक हैं—

१—प्रगणक शिक्षित होना चाहिए। वह समको का महत्व जानने वाला होना चाहिए।

२—प्रगणक सबधित द्वेष की बोल-चाल की भाषा में प्रवीण होना चाहिए। मद्रास, केरल या मेसूर राज्य का प्रगणक राजस्थान या बगाल में सफलता—दूर्बल समक एकत्र नहीं कर सकता जब तक उसने इन राज्यों में रह कर दक्षता प्राप्त न करली हो।

३—प्रगणक को सबधित द्वेष के रीति-रिवाजो, परम्पराओं, हड्डियों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उसे उस द्वेष का कलेंडर भी जानना चाहिए।

४—प्रगणक को बहुत ही तीरदण बुद्धि वाला, असीम धैर्यरील एवं कठोर परिश्रमी होना चाहिए। उसे अपने कार्य की महत्ता को समझ कर कार्य-लम्ब होना चाहिए।

५—विनाशता एवं शान्ति स्वभाव वाला प्रगणक अपने कार्य को अच्छा करेगा। जो प्रगणक अनायास ही सूचकों से वाद-विवाद करने लग जाता है वह अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता।

६. यदि गणक सेवा भाव से कार्य करे तो उसका कार्य बहुत सरल होगा और सूचना भी सही प्राप्त होगी।

उपरोक्त सर्व गुण सम्पूर्ण प्रगणकों वी हमारे देश में कमी है। प्रगणक ही किसी सर्व का मूल-आधार होता है। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि प्रगणक को बहुत अच्छा बेतन दिया जाय और उसकी अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखता जाय। उसे सफर करने के लिए उपयुक्त साधन की सुविधा प्रदान की जाए।

प्रगणकों के प्रशिदाण के लिए नियमित रूप में प्रशिदाण सत्याप्ति को कार्य करना चाहिए। प्रशिदाण प्राप्ति के बाद प्रगणक का किसी अनुभव प्राप्त वरिष्ठ प्रगणक वे साथ कार्य करने का प्रबन्ध होता चाहिए। बाद में वह प्रगणक स्वयं स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकता है।

चाहे डाक प्रणाली का प्रयोग किया जाय या प्रगणक द्वारा सूचना एक बर्वाई जाय, पूछे जाने वाले प्रश्नों को तेयार करने में बहुत ही अनुभव एवं सूक्ष्म की आवश्यकता है। प्रश्नों की सूची को प्रश्नावली ( questionnaire ) कहते हैं। सूचक प्रश्नावलि भर बर भेजते हैं और प्रगणक अनुसूची ( schedule ) पर स्वयं सूचना भरता है। यह हमें भली भांति पाद रखना चाहिए कि सर्वे के उद्देश्य पर ही प्रश्नावलि तैयार की जानी है। यदि उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो प्रश्नावलि वभी भी ठीक नहीं बन सकती।

एक अच्छी प्रश्नावलि में निम्न गुण होने चाहिए।

१—प्रश्नावलि अधिक बड़ी न हो। आज कल प्रत्येक व्यक्ति कार्य-व्यस्त रहता है। उसके पास इनका अधिक समय नहीं होता है कि वह वही प्रश्नावलिया, जो ६-७-८ पृष्ठों में छोटी हुई हो, भरा बरे। वैवाहिक रूप में अनिवार्य करने पर यह भले ही समव हो।

२—प्रश्नों की सत्या भी उचित होता चाहिए।

३—प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए कि उनका उत्तर सक्षिप्त में दिया जा सके। हा या ना या सत्या के रूप में उत्तर प्राप्त होने से सूचना और प्रगणक दोनों का ही कम समय समता है।

४—प्रश्न की भाषा स्पष्ट, सरल एवं सर्विग्रह रहित होनी चाहिए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो आसानी स समझा जा सके। स्पष्ट भाषा होने से किसी भी शब्द के दो अर्थ नहीं लगाए जा सकते।

५—प्रश्न में व्यक्तिगत एवं गोपनीय सूचना नहीं पूछी जानी चाहिये।

६—प्रश्न जाच से प्रत्यक्ष रूप से सबम्बन्धित होने चाहिए।

७—पारस्परिक पुष्टि ( Corroboration ) वाले प्रश्न पूछे जाने चाहिये ताकि एक प्रश्न की सूचना की दूसरे प्रश्न की सूचना से पुष्टि की जा सके।

८—प्रश्न बोल चाल की भाषा में पूछे जाने चाहिये।

९—प्रश्न ऐसे नहीं होने चाहिए जिनसे सूचक की भावना को टैम पहुँचे या उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डाले।

उपरोक्त लब बातों का व्याज रखकर प्रश्नावलि बनाने में बाकी परिप्रेक्ष एवं अनुभव का उपयोग करना चाहिये।

किसी शहर में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के मासिक व्यय का अनुमान लगाने के लिये निम्न प्रश्नावलि प्रयोग में लाई जा सकती है—

१	विद्यालय का नाम	
२	विद्यालय मरकारी है या नित्री	"
३	विद्यार्थी का नाम	
४	लिंग	
५	उम्र	
६	कक्षा	
७	वहा विद्यार्थी छात्रावास में, अलग कमरा लेकर या परिवार के साथ रहता है	
८	विविध मदा पर मानिह धर—	६०
क	विद्यालय की फीस	
ख	पुस्तकों एव स्थानरी	
ग	भाषन एव नाश्ता	
घ	कपड़े और धुनाई	
ट	किराया एव प्रशारा	
च	आमोद-ग्रमोद	
छ	तल सावुन आदि	
ज	विविध	

## योग-२०

इनी प्रकार अब प्रश्नाविद्या तैयार की जा सकती है। यह पहिले ही स्टड किया जा चुका है कि प्रत्यक्ष जाति के लिए अलग स प्रश्नावनी तैयार करनी होती है। कोइ भी एक प्रकार की प्रश्नावनि सब जाति के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती।

आजकल अधिकतर जाति निदर्शन रीति से ही की जाती है। यह तथ्य कर लेने पर कि जाति निदर्शन रीति स की जाएगी तो अनली बात यह तथ्य करनी पड़ती है कि बौन सी निदर्शन रीति का प्रयोग करना चाहिये। प्राय स्थानिक दैव निदर्शन (stratified random sampling) और बहु-स्तरीय (multi-stage) निदर्शन प्रणालियों का ही प्रयोग किया जाना है।

उदाहरण के लिए मानिए कि हम भारत में उपभाग के स्वरूप (pattern of consumption) की जाति करनी है। हम समूहा भारत को कई छक्का (zones) में विभक्त कर देंगे। निर्दर्शन रीति स प्रत्यक्ष चेत्र म से, मानिए कि, हम दो-दो जिले चुनने हैं। यदि ५० चेत्र थे तो १०० जिले चुन जायेंगे। प्रत्यक्ष निले म से हम निर्दर्शन रीति से दो दो तहसील चुन सेंगे। इस प्रकार म २०० तहसीलें चुनी जायेंगी। प्रत्यक्ष तहसील में से भी इसी प्रकार ५-५ गांव चुन कर कुल १००० गांवों का चयन कर लिया

जायगा। प्रत्येक गाव में से १०-१० परिवार को चुन कर कुल १०,००० परिवारों की सूची तयार करली जाएगी। इसमें हमने जिला, तहसील, गाव और परिवार-चार स्तरों पर निश्चिनि किया। इसलिए इसे बहु स्तरीय दैव निदर्शन रीति कहते हैं।

आजकल दैव निदर्शन रीति में इकाईयों को चुनने के लिए बनी बनाई सारणिया उपलब्ध हैं। टिपेट, फिशर-मेट्स, बेन्डल व स्मिथ, बारनोज की दैव-निदर्शन सारणिया अधिक प्रचलित हैं। दैव निदर्शन रीति में भी पद्धति पूर्ण ( systematic ) या दैविक ( at random ) चुनाव किया जा सकता है।

**पद्धति पूर्ण रीति—**मान सीजिए कि प्रत्येक ज़िले में से ५ प्रतिशत गाव और प्रत्येक गाव में से १० प्रतिशत परिवारों को दैव निदर्शन रीति से चुनना है। किसी ज़िले में मानिए कि १८२ गाव हैं। ५ प्रतिशत के हिसाब से ८ गाव चुने जायेंगे। कुल मदों की संख्या १८२ में चुने जाने वाले प्रतिशत की संख्या ( ५ प्रतिशत ) से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे भागफल ( quotient ) कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण में  $( \frac{182}{36} ) = 5$  भागफल ( quotient ) है। अब हम कुल मदों की संख्या ( १८२ ) में भागफल ( ५ ) का भाग देकर बर्गान्तर ( interval ) ज्ञात करें। उपरोक्त उदाहरण में  $( \frac{182}{5} ) = 36$  बर्गान्तर हुआ। अब हम दैव निदर्शन सारणियों ( random tables ) के द्वारा ८ मद २०-२० के अन्तर पर चुनेंगे। स्थायी अन्तर पर मदों को चुनने के कारण ही इस रीति को पद्धति पूर्ण ( systematic ) कहते हैं। परि कुल मदों की संख्या ३ अको ( digits ) में हो तो तीन अकों वाली दैव निदर्शन सारणी को प्रयोग करता चाहिये और कुल मदों की संख्या दो अकों में हो तो दो अकों वाली सारणी को। उपरोक्त उदाहरण में कुल मदों की संख्या १८२ है। अब तीन अकों वाली सारणी का प्रयोग करना चाहिये। सारणी के प्रत्येक पृष्ठ में कई स्तम्भ ( columns ) होते हैं अत कोई सा स्तम्भ दैविक रूप से ( at random ) चुन देना चाहिये। इस पृष्ठक के घन में एक अक, दो अक व तीन अक की दैविक सारणिया दी गई हैं। तीन अकों वाली सारणी के चौथ ( कोई सा भी ) स्तम्भ में हम शुरू से प्रत्यक्ष संख्या को देखने जायेंगे और वह पहिली संख्या ज्ञात करेंगे जो समग्र भ द्वितीय हुए मदों की संख्या ( १८२ ) के बराबर या इससे कम हो। चौथे स्तम्भ में १८२ से छोटी संख्याएँ संख्या ०३५ अर्थात् ३५ है। किसी भी ब्रम्भ भौगोलिक, संस्कृतमक या वर्णांतमक में तैयार की हुई गावों की सूची में पहिला गाव ३५ वा होगा। ३५ के २० ( बर्गान्तर ) बाद दूसरा गाव ( ३५+२० ) = ५५ वा, तीसरा ( ५५+२० ) = ७५ वा, चौथा ९५ वा, पाचवा ११५ वा, छठा १३५ वा, सातवा १५५ वा, आठवा १७५ वा और नवा ( १७५+२०-१८२ ) = १३ वा होगा। इस प्रकार से सूची भ से १३, ३५, ५५, ७५, ९५, ११५, १३५, १५५, व १७५ नम्बर के गाव चुन लिये जायेंगे।

इसी प्रकार प्रत्येक गाव में से १० प्रतिशत परिवार चुने जाएंगे। तेहवें गाव के परिवारों की, उदाहरणार्थ, हमने किसी भी कम में सूची तैयार कर ली है। मान लीजिए इस गाड़ में कुल परिवारों की संख्या ६२ है। भागफल (quotient)  $\frac{62}{6}=6$  होगा और वर्गान्तर (interval)  $6^2=36$  होगा। पर्यात् ६ परिवार दस-दस के अन्तर पर चुन जाएंगे। दो अकों की सारणी में कोई स्तम्भ (पाचवे) में शुरू से प्रत्येक संख्या को देखते जाएंगे और वह पहिली संख्या ज्ञात करेंगे जो ६२ या इससे कम है। पाचवे स्तम्भ में पहिली संख्या ६३, दूसरी ८१ व तीसरी २२ है। अतः पहिला परिवार २२ वाँ, दूसरा ( $22+10$ ) = ३२ वाँ, तीसरा ४२ वाँ, चौथा ५२ वाँ, पाचवा ६२ वाँ व छठा ( $62+10-62$ ) = १० वाँ होगा। इस प्रकार सूची में से १०, २२, ३२, ४२, ५२ व ६२ नम्बर के परिवार चुन लिए जाएंगे।

गाव व परिवार पद्धति पूर्ण दैव निर्दर्शन रीति से चुन लेने के बाद एक न्यादर्श स्खाका (sample frame) तैयार किया जाता है जिसमें भागफल, वर्गान्तर, चुने संख्या, परिवार संख्या, जिले, तहसील व चौक के नाम, सारणी में प्रदोग किए गए स्तम्भ संख्या आदि दिए रहते हैं।

यदि अपद्धति पूर्ण प्रणाली (at random) प्रपनानी हो तो कोई स्तम्भ को चुन लिया जाता है और उसमें शुरू से संख्या को पढ़ने जाते हैं। न्यादर्श की संख्यानुसार उन सब संख्याओं को चुन लेते हैं जो समग्र में मदों की कुल संख्या से कम हो। उपरोक्त उदाहरण में कुल गावों की संख्या १८२ थी और हमें ६ गावों को चुनना था। हमने चौथे स्तम्भ की संख्या चुनी थी। अपद्धति पूर्ण प्रणाली से चौथे स्तम्भ में से १८२ से छोटी संख्याएँ ६ संख्याओं से कम हैं अतः हम अगले स्तम्भ, पाचवे व छठे में से भी चालित संख्याएँ चुनेंगे। इन प्रकार ३५, ७७, १३७, २६, ४७, ४८, ३२, ६६ व ५८ नम्बर के गाव चुने जाएंगे। ६ परिवारों के नम्बर चुने जाने के लिए पाचवे स्तम्भ (कोई सा भी) में से २२, ५३, ६१, २६ ३६ व १३ वें नम्बर लिए जाएंगे।

शुद्ध दैविक रीति से न्यादर्श चुनने के लिए अपद्धति पूर्ण प्रणाली अधिक उपयुक्त रहती है। यदि कोई चुना हुआ नम्बर हमारे लिए विन्दुल ही उपयुक्त नहीं हो तो अगला नम्बर चुन लेना चाहिए। जैसे हम परिवारों के रहन-सहन की लागत की जाच कर रहे हैं। दैविक रीति से २० वाँ मकान चुना गया है जिसमें कोई परिवार नहीं रहता है वन्कि पशु वाघे जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में २० के बजाय २१ वाँ परिवार चुना जा सकता है।

किसी भी समग्र की निर्दर्शन रीति से जाच करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि न्यादर्श में मदों की संख्या उचित हो। उचित संख्या का निर्धारण प्रत्येक जाच के

उद्देश्य, लागत आदि का ध्यान रख कर दिया जाता है। कभी कभी वडी जाच शुरू करने के पहिले लागत व न्यादर्श में मदों की उचित सत्या तथा तप्य करने के लिए एक निदेशक जाच ( pilot survey ) भी की जाती है। यदि पहिले इसी प्रकार और स्तर की जाच की गई हो तो उसके अनुभव के आधार पर भी न्यादर्श में मदों की सत्या तथा तप्य की जाती है। यदि परियोग्यता की मात्रा अधिक वाढ़ती य हो तो न्यादर्श में मदों की सत्या अधिक सत्या में रहती होगी।

उपरोक्त प्रकार से मदों को चुनकर सूचना का संग्रहण किया जाता है। जब सब सूचना एकत्र हो जाती है तो उसका मुख्य कार्यान्वय में सम्पादन वर्गीकरण, सारणीयन करके उसे विवेचन एवं विश्लेषण के योग्य बनाया जाता है। विविध व्युत्पादों (derivatives) में सम्पूर्ण सामग्री को बदल कर तरह तरह के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बाद में इन्हें प्रतिवेदन या रिपोर्ट के रूप में लिखकर, यदि सम्भव हो तो प्रकाशित कर दिया जाता है।

---

## अभ्यास के लिये प्रश्न

- 1 Give in brief the history of the growth of the statistical material available in India
- 2 Distinguish between official and non-official statistics in India Explain in brief the nature of data collected and compiled by non-official agency in India
- 3 Give an account of the statistical organization at the centre and states
- 4 Narrate in brief the steps taken by the Government to improve the availability of statistical material in India after independence
- 5 Give the names of any five Government publications of statistical nature with which you are acquainted with a brief note of their contents and mention in what ways you consider them defective
- 6 Describe the organization and function of the Central Statistical Organization (CSO) in India M Com Raj 1962
- 7 Give a short account of the organization of the department of statistics of your state Mention the publications brought out by the department and the nature of contents therein
- 8 What data pertaining to agricultural statistics of Rajasthan are available Describe the main official sources of such data M Com Raj 1962
- 9 Write a note on recent improvement in agricultural statistics of India, with special reference to Rajasthan M A Econ (Raj) 1963
- 10 Define a normal yield and describe the official method of determining it What do you consider to be the defects of the method and how would you remove them
- 11 Write a lucid note on either the system of crop-forecasting in India or the adequacy of agricultural prices in India
- 12 Mention the sources of data on Agricultural prices in India Cite a few recommendations of the committee on the Collection of Agricultural Prices in India T D C Raj 1963
- 13 Discuss the adequacy of statistics in India for estimating the national income Explain why the main aggregates in the national income accounts are valued at fixed (1948-49) prices M Com Raj 1962

14. Describe the method that was adopted by the national income committee to frame an estimate of the national income of India. What reasons led the committee to adopt this method?

M Com. Raj. 1962—T D C Raj. 1963.

15. What are special problems of National Income estimation in India? Describe briefly the various methods followed for the calculation of national income.

16. What steps have been taken by the C S.O to improve the adequacy and reliability of national income statistics? In this connection mention the research that is being carried on to get the regional income estimates.

17. Explain the concepts of (a) national income at factor cost, and (b) national product at market prices in India? How is national income estimated in India? M A Econ. Raj 1963.

18. Write a brief critical note on the aims and achievements of the National Sample Survey

19. Examine critically the Economic Adviser's Index Number of wholesale prices and suggest ways to improve it

20. Examine the method of construction of the All-India Index Number of wholesale prices issued by the government of India giving information on the following points particularly —

- (a) Name of agency compiling the index number,
- (b) Base period for (1) comparison and (2) weight,
- (c) Groups of commodities included,
- (d) Method of weighting and averaging adopted

M A Econ Raj 1963.

21. Discuss the practical utility of collecting price data in a country. How are they collected, used and published. T D.C. Raj. 1962.

22. Discuss the importance of data on construction pattern in the construction of cost of living Index Number. In this connection explain the design of a Family Budget Enquiry. T D.C. Raj I962.

23. Give a detailed account of the recent series of the Consumer Price Index Numbers for working class.

24. Write a note on the adequacy and accuracy of price or trade statistics at present available in our country. B Com Raj. 1963.

25. Write a historical note on the Security Price Index Numbers in India.

- 26 What do you understand by an index of Business Activity ? How will you plan to collect, process and use the necessary data for the purpose T D C Raj 1961

Is there any index compiled in India which can be designated as an index of Business Activity ? Give suggestions T D C Raj 1963,

27 Write a note on 'Statistics of Trade' in India Discuss the recent changes introduced by the D G C I & S in the publication of these statistics T D C Raj 1962

28 Mention the utility of trade statistics Narrate the various publications giving information about the foreign trade of India

29 What do you know about the statistics of Industrial Production in India ? What statistics of small scale industries are available in India

30 Write a lucid note on the nature and scope of industrial statistics in India

31 What is meant by Census of Production ? Give a critical account of the statistical information collected under the Industrial Act M Com Raj 1963

32 Give an account of the information available in India regarding the following—  
 (i) Agricultural Wages  
 (ii) Industrial Wages  
 (iii) Employment Statistics  
 (iv) Statistics of Social Security

33 Mention the nature and scope of official financial statistics available in India

34 'Census is not merely the counting of heads but it also gives a fund of other valuable information Comment on this statement in the light of the Census of 1931 and 1961

35 Discuss the main features of the population statistics in India What suggestions would you offer to make them more reliable and useful

36 Enumerate the special features of 1961 Census of India In this connection, throw light on Pretesting of questionnaires and Post Census survey T D C Raj 1963

37 Mention the special features of 1961 Census of population What light does it throw on the economic condition of the population M Com Raj 1963

38. Discuss the Registrar General's scheme for the improvement of population data particularly in regard to the collection of Vital statistics. T.D.C. Raj. 1962.
39. Give formulae for the computation of birth, death and reproduction rates. Offer your suggestions for improvement of Vital Statistics in India. T.D.C. Raj 1963.
40. Discuss the various methods used in measuring the growth of population in a Country. T D C. Ray 1962.
41. Describe how statistical methods are used to analyse the problems of human population. T.D.C. Raj. 1961.
42. What are the various ways of the measurement of population growth ? In this connection discuss in detail the calculation of net-reproduction rate.
43. What do you understand by Crude Birth Rate ? Is it an accurate measure of the population growth of a locality ? If not, how can it be modified to give better results.
44. What do you understand by Statistical Quality Control ? How does it differ from Budgetary Control. How will you introduce Budgetary Control in a cloth mill in your state.
45. Explain clearly the meaning of Quality Control. What is the purpose of effecting quality control ? How is it done ?
46. Write short notes on --Product Control, Process Control, Lot Acceptance Sampling, Operating Characteristics Curve.
47. Discuss the important theories of Business Forecasting. How does analysis of time series help in forecasting of economic events ?
48. Distinguish between 'probability' and 'forecasting'. Describe the utility and limitations of business forecasting. How can it be usefully employed in India ?
49. What do you understand by interpretation ? What are the common mistakes which statisticians are likely to commit while interpreting statistical data ? T.D.C. 1962.
50. What are the causes of errors in interpretation ? Explain with suitable examples.
51. How is a sample survey conducted ? Describe any such sample survey conducted in your State T.D.C. 1963.
52. How will you plan a sample survey ? Illustrate your answer by taking an example from the small scale industries in your State. T.D.C. 1961.

53 Write notes on—

- (i) Annual Survey of Industries, (A. S. I.).
  - (ii) National Income Unit (N. I. U.).
  - (iii) N. S. S.
  - (iv) C. S. O.
  - (v) Annawari Estimates.
  - (vi) D. G. C. I. & S.
  - (vii) Consumer Price Index Numbers.
  - (viii) Index Numbers of industrial production.
  - (ix) 'De jure' and 'De facto' Census.
  - (x) Estimates of State Income as an index of regional growth.
  - (xi) 'Factor Cost' and 'Factor Prices'.
  - (xii) Quick estimates of national income.
  - (xiii) Economic Adviser's Index Number of wholesale prices  
(latest)
  - (xiv) Post Census Sample Survey.
  - (xv) Business Barometres.
-

## दैविक संख्या सारिणी ( एक अंक )

( One digit random number tables )

स्तम्भ ( Column ) संख्या:—

द्वितीय संख्या सारिणी (दो अंक )  
 ( Two digit random number tables )

स्तम्भ ( Column ) संख्या —

१	२	३	४	५	६	७	८
---	---	---	---	---	---	---	---

५१	५१	००	८३	६३	२२	५५	३६
६८	६७	८७	६४	८१	०७	८३	७३
३०	७६	२०	६६	२२	४०	६८	७२
८१	६६	४०	२३	७२	५१	३६	७५
६०	६०	७३	८६	५३	६७	८६	३७
४६	१५	३८	२६	६१	७०	०४	६८
४४	०५	४८	६७	२६	४३	१८	१४
८८	२५	५५	०३	३६	६७	६८	५८
११	५३	४४	१०	१३	८५	५७	७८
०६	७१	६५	०६	७६	८८	५४	३७
८३	४५	१६	१०	७०	६६	००	१४
४८	६०	६५	१७	३८	२०	४६	५८
३८	८४	५१	६७	११	५२	४८	१०
१६	१७	१७	१५	७०	४५	८०	४४
१३	७४	६३	५२	५२	०१	४१	१०
६८	८३	६०	६१	८७	२८	६१	४१
०१	०७	८८	८१	४६	५०	४७	६१
७४	६७	७६	८८	०३	२६	६३	६०
१६	३३	५३	०५	७०	५३	३०	६७
४१	७०	०२	८७	४०	४१	४५	५८
८५	८०	९८	१४	६७	३५	३८	०५
८२	१५	८४	५१	३८	४१	६७	४४
६५	३१	११	५१	८०	३२	४४	६१
८५	९३	६५	०६	२८	७५	६३	५२
६५	७८	२०	७१	५८	२०	२५	७७
८१	०६	०१	८३	३७	४५	१२	८८
५०	२८	११	८८	०३	३४	२५	८८
५२	३२	४०	८६	४०	८६	७६	८४
६४	८४	८६	८३	२२	३२	८८	८७

देविक संख्या सारिणी ( तीन अंक )  
 ( Three digit random number tables )

तमा ( Column ) संख्या:—

१	२	३	४	५	६	७	८
६४२	८०७	२७०	५४६	०२६	८३५	८२८	३८६
७६०	१८६	६०८	८८७	२६५	२५७	२७६	१३४
४३५	४१०	०६६	२०५	६८६	७८६	३१३	०६४
२१८	३४५	२२६	४३३	६०५	३६८	३८५	६०४
२६३	६२६	२२५	२६७	५३१	६१७	१३४	४१६
२८६	३४०	६२८	४०३	५२६	०४८	१३८	६०६
८३५	८८३	२७३	३०७	७००	२२६	१०१	७६२
०५८	५६६	८५८	४२२	४६६	८५०	६४७	०५०
४५२	३४१	२२१	१६२	२२६	६४५	६१४	७३४
७५७	०६४	४७६	३४८	४०७	५७५	३७७	०६५
१४६	३२२	२४३	३०२	०४७	४२७	८३२	२४७
६३६	२५२	२१२	८०१	३२५	०३२	७१५	७६५
६४८	०४७	३८४	६२४	७४८	०६६	७०४	७३२
५७३	४६६	२३३	६५८	७८२	०५८	१३४	०४७
८७६	६३२	५६६	६१५	३५२	७०६	७८७	४२८
६७६	१८३	०६२	२२७	२२१	१४३	७६०	०६१
२३५	४१७	५७२	०३५	८८४	६७६	२५५	०३४
७४६	७८२	४१०	०००	४३७	०५७	०७४	४०४
३६४	६६६	७००	०७७	७६२	५५१	६४६	७०२
४०६	६६७	६५१	८२३	१६६	७४७	७४२	२०२
७४६	६०४	५६६	४६५	३७०	५३२	६५२	८४३
३५५	२१७	२३७	४२६	३०८	६७६	८१२	१६४
३६२	१८४	६५४	८५१	६८६	२०२	७३२	६४०
६२७	८१६	२५२	४१८	४६०	८६८	३३२	८५२
७०६	३४६	६७१	५०५	८५५	६०५	५४६	५५०
८७६	२१६	४१५	४१८	६४३	८६४	८६४	४२४
६८७	५२६	६२८	८२२	६४१	०३३	४४८	२६६
८३६	८४४	४६५	३७६	७७६	३४८	२१७	१६५
२६४	४८४	४३०	८०७	६६५	३२६	१८१	४३८
४०६	२६२	७३०	१३७	२३५	१५४	७१४	११४